रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/99 REGISTERED NO. DL—33001/99

[illegible] SECRETARIAT LIBRARY [illegible] 8/4/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 23, 1999 (माघ 3, 1920)
No. 4] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 23, 1999 (MAGHA 3, 1920)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं
[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies.]

कंपनी कानून, १९५६
इंटर कनैक्टड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड
(गारंटी से परिसीमित)
के साझेदारी के अनुच्छेद

कंपनी कानून, १९५६ को पहली सूची किसी तालिका में अंतर्निष्ट अधिनियम कंपनी पर लागू नहीं होंगे किंतु कंपनी के व्यवस्थापन के लिए अधिनियमों तथा उसके सदस्यों व प्रतिनिधियों के अनुपालन के लिए कंपनी साविधिक अधिकारों की शर्तों के अनुसार होंगे जो निरस्तीकरण या परिवर्तन के उल्लेख के सहित या विशेष प्रस्ताव द्वारा इसके अधिनियमों में योग अथवा कंपनी कानून, १९५६ में उद्धृत इन अनुच्छेदों के अनुरूप हों।

व्याख्या

१. इन अनुच्छेदों में यदि उस विषय या संदर्भ में असंगत या हटकर न हो तो निम्न शब्दों व अभिव्यक्तियों के निम्न अर्थ होंगे।

१.१. 'कानून' व 'कथित कानून' का अर्थ है कंपनी कानून १९५६ और इसमें फिलहाल लागू सभी सांविधिक संशोधन व प्रतिस्थापना भी है।

१.२. 'द आर्टिकल' का अर्थ है कि इसमें फिलहाल लागू कंपनी का आर्टिकल आफ एसोसिएशन शामिल है।

१.३. "बोर्ड" "बोर्ड आफ डायरेक्टर्स" या "द डायरेक्टर्स" का अर्थ है कंपनी का निदेशक बोर्ड या सामूहित रूप से कंपनी के निदेशक। ये तीनों पारिभाषिक शब्द विनिमेय के रूप में प्रयुक्त होते हैं।

१.४. "बाय-लॉज" का अर्थ है फिलहाल लागू कंपनी के उप कानून और संदर्भ अलग सूचित न करता हो तो इसमें प्रबंधन को योग्य बनाने व अनुबंधों के नियंत्रण के प्रावधान भी शामिल है। कंपनी के उपकानून सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों की शर्तों के व सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार होंगे।

१.५. ''कंपनी'' का अर्थ है ''इंटर कनेक्टड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया'' जिसका उल्लेख ''आई एस ई'' या एक्सचेंज के रूप में भी होता है जो फिलहाल केंद्र सरकार या सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सिक्युरिटीज कांट्रेक्टस (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ की धारा ४ द्वारा मान्यता प्राप्त है। चारों पारिभाषिक शब्द विनिमेय हैं।

१.६. ''ग्राहक'' या ''घटक'' का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके निर्देश और जिसके खाते में ट्रेडर या डीलर किसी भी व्यापार योग्य प्रतिभूति की खरीद या बिक्री या उससे संबंधित कोई काम का अनुबंध करता है।

१.७. ''डीलर'' का अर्थ है ''कंपनी'' में नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार डीलर के रूप में प्रविष्ट (व्याख्या : बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने पर कंपनी में एक से अधिक प्रकार के डीलर रजिस्टर्ड हो सकते हैं)

१.८. ''डील्स'' ''ट्रांसैक्शन्स'' व ''कांट्रेक्ट्स'' का इन नियमों, उपनियमों, के संबंध में वही अर्थ होगा, बशर्ते संदर्भ अन्यथा संकेत न दे। तीनों पारिभाषिक शब्द विनिमेय हैं।

१.९. ''एक्जीक्यूटिवी कमेटी'' का अर्थ है बोर्ड द्वारा गठित व नियुक्त कार्यकारी समिति (समितियां), जो कंपनी द्वारा दिन-प्रतिदिन का काम चलाने के लिए नियमों के अनुरूप गठित की गई है। कार्यकारी समिति के सदस्य को कार्यकारी समिति सदस्य कहा जाएगा।

१.१०. ''इंटर कनेक्टड मार्केट सिस्टम'' या ''आई सी एमएस'' का अर्थ है आई एस ई द्वारा स्थापित वे मूल संसाधनगत तथा अन्य सुविधाएं जो प्रतिभूतियों की ट्रेडिंग, क्लीयरिंग, निपटान व सौदों को संभव बनाएगी और जो मामले ट्रेडरों, डीलरों, हिस्सेदारी व अन्य उपयोग कर्ताओं के लिए प्रासंगिक या अनुवर्ती हो उन पर विचार करेगी तथा इसमें ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारों व अन्य उपयोगकर्ताओं के आईएसई की सुविधाओं में हिस्सा लेने के लिए मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा स्थापित सुविधाएं भी शामिल हैं।

१.११. ''इश्युअर'' में सरकारी निकाय, कार्पोरेट या अन्य प्रविष्टि भले ही वह समाविष्ट हो या नहीं, शामिल है जो कोई भी प्रतिभूति या अन्य दस्तावेज जारी करता या निकालता हो अथवा कोई भी विनिमेय दस्तावेज जो आईएसई की अधिकृत सूची में कामकाज के लिए स्वीकृत हो को मंजूर करता हो।

१.१२. ''मार्केट मेकर'' का अर्थ है वे ट्रेडर व डीलर जो आईएसई पर विशिष्ट प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के बाजार निर्माण के कार्यों के लिए पंजीकृत है।
(व्याख्या : कंपनी में एक से अधिक प्रकार के मार्केट मेकर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, इस संबंध में समय-समय पर बोर्ड निर्णय ले सकता है)

१.१३. ''मेम्बर'' का अर्थ है और इसमें सहयोग के ज्ञापन पत्रा के पैरा के नाम शामिल है और कंपनी के वे अन्य सदस्य भी आएंगे जिन्हें प्रविष्टि मिली हो, जो समझौता ज्ञापनपत्रा की धारा ३ के अनुसार कंपनी की आस्तियों में योगदान देंगे।

१.१४. 'माह' का अर्थ है कैलेंडर महीना।

१.१५. ''आफिस'' का अर्थ है फिलहाल कंपनी का कार्पोरेट कार्यालय।

१.१६ ''आफिशियल लिस्ट ऑफ सिक्युरिटीज'' का अर्थ है भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों की सूची जो आईएसई की अधिकृत सूची पर प्रविष्ट है।

१.१७. ''पार्टिसिपेंट'' का अर्थ है कंपनी के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के तहत संबंधित अधिकारी द्वारा समय-समय पर रजिस्टर्ड व्यक्ति।

१.१८. ''पार्टिसिपेटिंग स्टॉक एक्सचेंज'' या ''पार्टिसिपेटिंग एक्सचेंज'' का अर्थ है भारत के मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज जो संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमों, उपनियमों व अधिनियमों की शर्तों व विषय के अनुसार समय-समय पर इंटर कनेक्टड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड में स्वीकृत हो। ये दोनों परिभाषिक शब्द विनिमेय हैं।

१.१९. ''रजिस्टर'' का अर्थ है कानून की धारा १५० के अनुसार रखे जाने वाला सदस्यों का रजिस्टर।

१.२०. ''रजिस्टर्ड आफिस'' का अर्थ है फिलहाल कंपनी, कानून १९५६ के तहत पंजीकृत कार्यालय।

१.२१. ''रूल्स'' का अर्थ है आईएसई के नियम जिसमें समय-समय पर बोर्ड के गठित व संशोधित किया हो (व्याख्या : ''रूल्स'' में कंपनी का साझेदारी ज्ञापनपत्र तथा साझेदारी के अनुच्छेद आएंगे और ये सामान्यतः एक्सचेंज के संविधान व व्यवस्थापन तथा अन्य आकस्मिक व संबंधित मामलों से जुड़े हैं)।

१.२२. ''रूल्स'' ''बाय-लॉज'' व ''रेग्युलेशंस'' का अर्थ है कंपनी के फिलहाल लागू होने वाले नियम उपनियम व अधिनियम।

१.२३. ''रेग्युलेशन'' का अर्थ है फिलहाल लागू कंपनी के अधिनियम और संदर्भ, अन्यथा न होने पर इसमें व्यवसाय के नियम, आचार संहिता तथा वे अन्य प्रक्रियाएं, परिपत्र, निर्देश, आदेश , नोटिस व विनियम आएंगे जिन्हें आईसी.एम.एस. के संचालन के लिए बोर्ड, कार्यकारी समिति या अन्य संबंधित अधिकारी समय-समय पर अलग से उल्लेख और जारी करेंगे और ये सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ और उसके तहत बने नियमों तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत बने नियमों व अधिनियमों के अनुरूप होंगे।

१.२४. ''रेलेवेन्ट आथोरिटी'' का अर्थ है आईएसई के सदस्यों के सामान्य निकाय, बोर्ड, कार्यकारी समिति या अन्य ऐसी आर्थोरिटी जिसका विशेष उल्लेखित उद्देश्य के लिए नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत समय-समय गठन किया जाता है।

१.२५. ''एससी (आर) एक्ट'' का अर्थ है सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ और उसमें फिलहाल लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियम भी शामिल है।

१.२६. ''सील'' का अर्थ है फिलहाल के लिए कंपनी की मुहर।

१.२७. ''सेबी एक्ट'' का अर्थ है सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसमें फिलहाल लागू कोई सांविधिक संशोधन या पुनर्अधिनियम भी शामिल है।

१.२८. "सेबी" का अर्थ है सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, १९९२ के तहत स्थापित सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।

१.२९. "स्टॉक एक्सचेंज" का अर्थ है भारत में स्टाक एक्सचेंज जिसे सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) कानून १९५६ के तहत ४ के तहत मान्यता प्राप्त है।

१.३०. "सिक्युरिटी का अर्थ है सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ में दिया गया है, और इसमें भौद्रिक सौदों, दस्तावेजों, कागज रहित या अन्य प्रकार जिन्हें आईसीएमएस पर काम करने की अनुमति है भी शामिल हैं।

१.३१. "ट्रेडेबल सिक्युरिटी" का अर्थ है आईएसई की अधिकृत सूची में काम करने के लिए स्वीकृत कोई भी प्रतिभूति।

१.३२. "ट्रेडर" का अर्थ है हिस्सेदार स्टाक एक्सचेंज के सदस्य जो नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार कंपनी मे ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड हैं। (व्याख्या : कंपनी में एक से अधिक प्रकार के ट्रेडर रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित किए जाने के अनुसार होगा।)

१.३३. "ट्रेडिंग सैगमेंट" का अर्थ है अलग क्षेत्र या विभाग जिसमें बोर्ड या संबंधित आथोरिटी द्वारा समय-समय पर आईसीएमएस में प्रतिभूतियों को वर्गीकृत या स्पेसिफाइड किया जाएगा।

१.३४. "ट्रेडिंग सिस्टम" का अर्थ है वह प्रणाली है जो सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारों व निवेशक जनता को आईसीएमएस की अधिकृत सूची पर कारोबार के लिए स्वीकृत प्रतिभूतियों की कोटेशन जिस भी नाम से हो उपलब्ध कराई जाती है, इन सौदों का कार्यान्वयन किया जाता है, तथा मूल्यों, सौदों की मात्राा तथा बोर्ड या एक्जीक्यूटिव कमेटी या अन्य संबंधित ऑथोरिटी द्वारा जारी किए जाने वाली अधिसूचनाएं हैं, निदेश, प्रपत्रा तथा सूचना का प्रसार किया जाता है।

१.३५. "राइटिंग" में प्रिंटिंग, टाइपराइटिंग, लिथोग्राफी तथा लिखने के अन्य आम विकल्प शामिल हैं।

१.३६ "ईयर" का अर्थ है कंपनी का वित्त वर्ष।

१.३७. व्यक्ति शब्दों का अर्थ है इसमें कंपनियां, कार्पोरेशंस, फर्म, संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय, व्यक्तियों की संस्थाएं, सोसाइटियां, ट्रस्ट, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, किसी सार्वजनिक वित्तीय संस्थान की सब्सिडरियांग या बैंक शाखा कंपनियां आते हैं।

१.३८. कंपनी, कार्पोरेशन व फर्मों के मामलों में पुलिंग शब्दों के अर्थ में स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग में पुलिंग व नपुंसक लिंग शामिल हैं।

१.३९. एकवचन शब्दों के अर्थ में बहुवचन व बहुवचन शब्दों में एकवचन सम्मिलित है।

१.४०. इस पेश करने में अन्यथा परिभाषित हो या संदर्भ की आवश्यकता हो या भिन्न अर्थ का सूचक हो, इन पेश करने में आनेवाली अभिव्यक्ति या आशय का अर्थ कंपनी कानून, १९५६ एससी (आर) कानून, १९५६ और सेबी कानून १९९२ या इनमें आने वाले किसी संशोधन या पुर्नअधिनियम या उनमें गठित किसी नियमों या अधिनियमों के अनुसार होगा।

१.४१. थोड़े से नोट से उसकी रचना प्रभावित नहीं होगी।

संस्थापन पूर्व की व्यवस्था

२. कंपनी भागीदारी स्टॉक एक्सचेंजों की योजना कार्यान्वयन समिति द्वारा लिए गए सभ कदमों तथा व्यवस्थाओं को तत्काल स्वीकृत करेगी तथा कंपनी की स्थापना के पूर्व सभी व्यवस्था, खर्च, अनुबंध स्वीकार करेंगी।

सदस्यता

३.१. समझौता ज्ञापनपत्र के सब्सक्राइबर कंपनी के प्रथम सदस्य होंगे बशर्ते ये व्यक्ति इन अनुच्छेदों की शर्तों के अनुसार सदस्यता के पात्र हो।

३.२. केवल मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचेंज कंपनी के सदस्य होंगे। कोई भी अन्य व्यक्ति, फर्म, कंपनी या निकाय कंपनी का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा।

३.३. कंपनी के निदेशक मंडल के सुझाव पर कंपनी की आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव द्वारा हर सदस्य की प्रविष्ट प्रथम सदस्यों का छोड़कर होगी।

३.३४. सदस्यता में कंपनी द्वारा सदस्यों कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार संलग्न कुछ अधिकारों व विशेषाधिकारी के लिए स्वीकृत अनुमति आएगी।

३.३५. सदस्य अपनी सदस्यता के अधिकार या कोई भी संलग्न अधिकारों या विशेषाधिकारों को बांट, गिरवी, धरोहर या बंधक नहीं रख सकता, या चार्ज नहीं कर सकता और इस प्रकार के किसी बांटने, गिरवी, रखने, धरोहर या बंधक रखने या चार्ज किसी भी उद्देश्य के लिए कंपनी के विरुद्ध प्रभावी नहीं होंगे।

४. कोई भी स्टाक एक्सचेंज कंपनी के सदस्य के रूप में प्रविष्टि का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक उसने यह स्वीकार नहीं कर लिया है।

४.१. ट्रेडिंग क्लीयरिंग व सैटलमेंट कार्यों के लिए स्क्रीन आधारित ट्रेडिंग तथा कंप्यूटरीकृत निपटान, प्रणाली की स्थापना।

४.२. सेबी द्वारा निर्धारित बैड डिलिवरी सैल की स्थापना।

४.३. सेबी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल पूंजी आवश्यकता की पूर्ति तथा कंपनी द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता निरीक्षण प्रणाली की स्थापना।

४.४. कंपनी और सेबी द्वारा निर्धारित जोखिम प्रबंधन, प्रणाली को अपने नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में जगह देना।

४.५. स्टाक एक्सचेंज में होने वाले कामकाज में क्लीयरिंग व सैटलमेंट के लिए क्लीयरिंग हाऊस की स्थापना व संचालन।

४.६. सेबी द्वारा निर्धारित मार्जिन का भुगतान लागू करना।

४.७. प्रभावी बाजार निगरानी प्रणाली की स्थापना।

४.८. इन प्रस्तुतियों तथा नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में निर्धारित के अनुसार, विवादों के निपटान के लिए मध्यस्थता प्रणाली का स्थापना व संचालन।

४.९. अपने सदस्य ब्रोकरो तथा क्लीयरिंग हाउस की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए कंपनी द्वारा निर्धारित के अनुसार व्यापक बीमा सुरक्षा लेना।

४.१०. इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड व इन्वेस्टर इंफार्मेशन केंद्र (केंद्रों) की स्थापना व संचालन।

४.११. समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों को पूरा करना।

४.१२. कंपनी द्वारा समय-समय पर विशेष रूप से उल्लिखित किए जाने पर नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में संशोधन, सुधार, परिवर्तन, कमी या योग बशर्ते उसे सेबी ने स्वीकृत किया हो।

४.१३. प्रविष्टि के समय या बाद में कभी कंपनी द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करना।

सदस्यों का दाखिला

५.१. आवेदन स्टाक एक्सचेंजों द्वारा सदस्य के रूप में दाखिले का हर आवेदन लिखित रूप से कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किया जाएगा। जिसके साथ कंपनी द्वारा निर्धारित बोर्ड का प्रस्ताव होना चाहिए।

५.२. बोर्ड आफ डायरेक्टर आवेदन पर विचार करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि आवेदक स्टाक एक्सचेंज ने इन प्रस्तावों की सभी शर्तों तथा समय-समय पर निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा किया है और उसके बाद वह सामान्य बैठक में सदस्यों के विचार करने की सलाह के साथ आवेदन भेज देगा।

५.३. कंपनी सामान्य बैठक में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सुझाव के साथ आवेदन पर विचार करने के बाद इसके निरपेक्ष विषय में स्टॉक एक्सचेंज को सदस्य के रूप में प्रविष्ट कर सकता है या बिना कोई कारण बताए आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है या जो शर्तें वह ठीक समझे लगाकर स्टाक एक्सचेंज को प्रविष्टि दे सकता है।

५.४. सदस्य के रूप में चुना गया स्टाक एक्सचेंज दाखिले से शर्तें पूरी करेगा।

५.४.१. आवश्यक दाखिला फीस का भुगतान जो फिलहाल पांच लाख (५ लाख) रुपए हैं।

५.४.२. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले सिक्युरिटि डिपाजिट, मूल संसाधनगत फीस, कनेक्टिविटी फीस, सैटलमेंट स्टैबलाइजेशन फंड डिपाजिट, वार्षिक फीस तथा जमा का भुगतान करेगा।

५.४.३. कंपनी के बोर्ड तथा सेबी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली शर्तों व जरूरतों और प्रकियाओं का पूरा करना।

५.४.४. इन प्रस्तावों में दी गई शर्तों व जरूरतों के अलावा समय-समय पर कंपनी के बोर्ड और सेबी द्वारा दाखिले के संबंध में विशेषत: उल्लिखित की जानेवाली शर्तों व जरूरतों को पूरा करना।

५.५. सदस्य के रूप में स्टाक एक्सचेंज का दाखिल होने पर दाखिले की सूचना उसे तथा सदस्यों को भेज दी जाएगी।

५.६. सदस्यता के लिए दाखिल होने पर हर स्टाक एक्सचेंज को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर निर्धारित सुरक्षा जमा अन्य जमा देनी होगी।

५.७. सदस्य द्वारा दी जानेवाली सिक्युरिटी जमा या नकद में रूप में होगी या ऐसी किसी रूप में जो समय-सयम पर बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निर्धारित की जाए।

५.८. नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के किसी भी प्रावधान के अंदर आनेवाला कोई भी अतिरिक्त आवश्यक डिपजिट नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में बताए गए समय व अवसर के अनुसार होगा और इस प्रकार की अतिरिक्त जमा करने में असफल रहनेवाला कोई भी सदस्य चूक के लिए सदस्यता के विशेषाधिकारी से वंचित कर दिया जाएगा। कोई भी अतिरिक्त जमा सिक्युरिटी जमा का ही एक हिस्सा मानी जाएगी।

५.९. हर सदस्य को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा समय-समय पर निश्चित किया जाने वाला वार्षिक चंदा देना होगा और फिलहाल वार्षिक चंदा ५०,००० रुपए प्रति सदस्य हैं।

५.१०. कंपनी के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार यदि कोई सदस्य वार्षिक फीस, शुल्क या अन्य राशि जो उस पर देय हो, कंपनी द्वारा लिखित नोटिस भेजे जाने के दो महीने के अंदर भरने में असफल रहे तो सदस्य को भुगतान किए जाने तक निलंबित किया जा सकता है और यदि छह महीनों के अंदर वह इस प्रकार का भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा निकाला जा सकता है।

सदस्यों का रजिस्टर

६. बोर्ड द्वारा सदस्यों का रजिस्टर बनाया जाएगा जिसमें सभी सदस्यों के नाम, उनके पते, दाखिले, त्यागपत्रा, चूक, स्थगन या निष्कासन द्वारा सदस्यता समाप्ति की तारीख दर्ज होगी।

सदस्यों के अधिकार व विशेषाधिकार

७. कानून के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड समय-समय पर ऐसे नियम, उपनियम व अधिनियम बनाएगा जिनसे सदस्य कंपनी के सदस्यों के रूप में अपने अधिकारों व विशेषाधिकारों का उपयोग कर सकेंगे।

सदस्यता की समाप्ति

८. भागीदारी स्टाक एक्सचेंज सदस्य नहीं रहेगा :

८.१. त्यागपत्र की बोर्ड आफ डायरेक्टर्स द्वारा स्वीकृति होने की तारीख से,

८.२. यदि कोई सदस्य कार्पोरेट निकाय है तो इसके समापन के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा तथा सक्षम न्यायव्यवस्था के न्यायालय द्वारा समापन का आदेश दिया जाएगा।

८.३ देय तारीख के दो महीनों के अंदर या बोर्ड द्वारा बढ़ाई गई अवधि में कंपनी को किसी भी देयता का भुगतान करने में

असफल होने पर, सदस्य को भुगतान करने के लिए लिखित नोटिस भेजने के बाद,

८.४. यदि एससी (आर) कानून या सेबी कानून के तहत इसकी मान्यता खत्म हो जाए,

८.५. कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार निष्कासन पर निकाले जाने की तारीख से,

८.६. इन प्रस्तावों में उल्लिखित किसी पात्रता शर्त को पूरा करने में असफल होने पर या बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किए जाने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने में सफल होने पर।

सदस्यों का त्यागपत्र

९.१. कंपनी की सदस्यता के त्यागपत्र के इच्छुक सदस्य को इस संबंध में बोर्ड को लिखित नोटिस देना होगा।

९.२. बोर्ड ऐसी स्थितियों का उल्लेख कर सकता है और ऐसी शर्त लगा सकता है जिसे ठीक समझे और वह कंपनी तथा अन्य सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों व अन्य भागीदारों के विरुद्ध इस प्रकार के सदस्य व उसके ट्रेडरों की सब वर्तमान देयताओं के निपटान के लिए शामिल हो किंतु समिति नहीं हो, विशेष रूप से उल्लिखित स्थितियों व शर्तों को सदस्य द्वारा पूरा किए जाने पर सदस्य इस मामले पर विचार करने के लिए एक आम बैठक बुलाने का विचार कर सकता है।

९.३. कंपनी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर जो तारीख निश्चित करे या जो स्थितियां व शर्तों का निर्धारण करके आधार पर सदस्य का त्यागपत्र स्वीकार कर सकती है या त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए मना कर सकती है, कंपनी आम बैठक में तब तक त्यागपत्र स्वीकार करने से मना कर सकती है जब तक उसे इस बात का संतोष न हो जाए कि सदस्यों एवं उसके ट्रेडरों की सभी बकाया देयताओं का निपटान हो गया है तथा सभी भावी दावों व देयताओं के लिए व्यवस्था कर दी गई हो।

सदस्य का निलंबन

१०.१. बोर्ड सदस्य के सदस्यता अधिकार को स्थगित और या चेतावनी और या रोकने तक प्रस्ताव या निलंबित कर सकता है। यदि वह एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों किसी प्रस्ताव, आदेश, नोटिस, निर्देश या एक्सचेंज या बोर्ड या संबंधित आथोरिटी या प्रबंध निदेशक या पूर्णकालिक निदेशक के आदेशों का उल्लंघन, पूरा न करने, अवमानना, अपमान या अपवंचन का दोषी पाया जाता है। यह आदेश एक्सचेंज की ओर से अधिकृत किसी समिति या अधिकारी के भी हो सकते हैं, या समय-समय पर लागू उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार बोर्ड एक्सचेंज के किसी सदस्य के उस व्यवहार, व्यवसाय की प्रक्रिया व तरीके को अपमानजनक, अकीर्तिकर या अनुपयुक्त अथ्वा व्यापार के न्यायसंगत व उचित सिद्धांतों से असंगत या एक्सचेंज के हित, अच्छे नाम या लाभ के लिए क्षतिकारक या इसके उद्देश्यों व लक्ष्यों के लिए प्रतिकूल व विनाशक समझे।

परंतु जब बोर्ड किसी सदस्य को इस प्रकार के व्यवहार या काम के लिए दोषी देखता है जिससे उसे निकाला जा सकता है तो अपने विवेकाधिकार से उसे निकालने के स्थान पर बोर्ड द्वारा ठीक समझे जाने वाली अवधि के लिए या उसे अवधि के लिए।

१०.१.१ सदस्य को बोर्ड से निष्कासित या आस्थगित करने के संबंध में कोई प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा या उस पर वोटिंग नहीं होगा जब तक सदस्य को उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों के स्पष्टीकरण का अवसर न दिया जाए।

या सदस्य इस तरह की बैठक में उपस्थित हो सकता है या अन्य सदस्य उसका प्रतिनिधित्व कर सकता है या बैठक के अध्यक्ष को अपना मामला लिखित रूप से भेज सकता है जो उसे बैठक के सामने रख सकता है।

१०.१.२. सदस्य के निष्कासन या स्थगन के संबंध में बोर्ड का कोई प्रस्ताव बोर्ड के उपस्थित सदस्यों के दो तिहाई से कम में पारित नहीं होगा। इसके लिए कम से कम चार वोट होने जरूरी हैं, मांगों को एक कर दिया जाएगा।

१०.१.३. बोर्ड किसी सदस्य या उसके प्रतिनिधि, एजेंट या कर्मचारी को किसी कार्म, छूट के लिए निष्कासित या आस्थगित और अथवा दंडित और या निंदा प्रस्ताव और या चेतावनी दे सकता है जो यदि सदस्य द्वारा किया जाए या करने के लिए छोड़ दिया जाए तो भी उस दंड का भागी होगा।

१०.१.४. सदस्य अपने प्रतिनिधियों, एजेंटों व कर्मचारियों की चूक व काम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे और यदि ऐसा कोई काम या चूक बोर्ड द्वारा ऐसा समझा जाए जिसके सदस्य द्वारा किए जाने या छोड़े जाने से वह एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों की शर्तों के अनुसार दंड का पात्र बन सकता है तो वह सदस्य उसी प्रकार के और उसी के दंड के लिए उत्तरदायी होगा जैसा कि उस प्रकार का काम या छूट उसने स्वयं किया हो।

१०.१.५. सदस्य बोर्ड या एक्सचेंज द्वारा उसकी ओर से अधिकृत समिति या अधिकारी के समक्ष पेश होगर गवाही देगा और अपने प्रतिनिधियों, एजेंटस व कर्मचारियों को गवाही देने के लिए प्रेरित करेगा, तथा बोर्ड, निदेशक या एक्सचेंज द्वारा उसकी ओर से अधिकृत समिति या अधिकारी के समक्ष इस पर की किताबें, पत्र व्यवहार, दस्तावेज, कागजात व रिकार्ड या उसका कोई हिस्सा पेश करेगा या पेश करने के लिए प्रेरित करेगा जो उसके या उनके अधिकार में हो, जो उपयोगी समझे जाएं या जांच पड़ताल अथवा तहकीकात के किसी मामले की सामग्री हो या जिसे बोर्ड अपने निरपेक्ष विवेकधि से व्यापार के उचित व न्यासंगत सिद्धांतों के हित में या सार्वजनिक में और एक्सचेंज व इसके सदस्यों के कल्याण के लिए आवश्यक समझे।

१०.१.६. किसी व्यक्ति को व्यावसायिक परामर्शदाता, अटार्नी, वकील या किसी अन्य प्रतिनिधि द्वारा बोर्ड या किसी समिति के समक्ष जांच या सुनवाई में तब तक प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार नहीं होगा जब तक बोर्ड या समिति उसकी अनुमति नहीं देती।

१०.१.७. बोर्ड अपने विवेकाधिकार से किसी मामले में सदस्य को निष्कासन या दंड की जगह आस्थगित कर सकता है, इन अनुच्छेदों में आनेवाले मामलों को छोड़कर, अथवा सभी या किसी सदस्यता अधिकार समाप्त कर सकता है अथवा दंड आस्थागन या निष्कासन के स्थापन पर जुर्माना लगा सकता है औरयह निर्देश दे सकता है कि अपराधी सदस्य के लिए निंदा प्रस्ताव हो या चेतावनी दी जाए या ठीक व उचित लगने वाली शर्तों पर इस प्रकार के किसी दंड से छूट या कमी की जा सकती है।

१०.१.८. कंपनी आम बैठक में अपने प्रस्ताव पर या संबंधित सदस्य द्वारा की जानेवाली अपील पर पुनर्विचार कर सकती है, या सब या कोई

सदस्यता अधिकारी समाप्त करने या जुर्माना या निंदा प्रस्ताव या चेतावनी के प्रसार में संशोधन या रद्द कर सकती हैं। इसी प्रकार बोर्ड किसी सदस्य को निकालने के अपने प्रस्ताव को रद्द या दबा सकता है या संशोधन कर सकता है।

बशर्ते एक्सचेंज का ऐसा कोई भी प्रस्ताव आम बैठक में धारा १०.१७ व १०.१.८ के तहत वर्तमान सदस्यों के दो तिहाई से कम बहुमत से पारित नहीं होगा, कम से कम चार वोट जरूर होने चाहिए, भागो को एक मान कर सम कर दिया जाएगा।

परंतु जहां कोई उक्त निष्कासन, आस्थागन या अन्य दंड सेबी, भारत सरकार या अन्य आथोरिटी व निर्देशों के अनुसार हो जो सिक्युरिटीज कांट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, १९५६ या उसके तहत बने नियमों, और सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, १९९२ और उसके तहत बने नियमों के तहत उन्हें दिए गए अधिकारों के निष्पादन के लिए जारी किए गए हो और बोर्ड इन्हें रद्द, दबाने या संशोधन के लिए अपने अधिकारों का उपयोग नहीं करेगा, संबंधित अधिकारियों की पूर्व अनुमति अपवाद होगा।

१०.१.९. यदि कोई सदस्य एक्सचेंज द्वारा भेजे गए लिखित नोटिस के चौदह दिनों के अंदर जुर्माना या दंड का भुगतान नहीं कर पाता, तो उसे बोर्ड से आस्थगित किया जा सकता है जब तक वह भुगतान नहीं करता और यदि और ३० दिनों की अवधि में भी भुगतान नहीं कर पाता तो उसे बोर्ड से निकाला जा सकता है।

आस्थगन के परिणाम

११. सदस्य के आस्थगन के निम्न परिणाम होंगे :

११.१. आस्थगित सदस्यों को अपनी आस्थागन अवधि के दौरान सदस्यता के सभी अधिकारों व विशेषाधिकारों से वंचित होना पड़ेगा। इसमें एक्सचेंज की किसी बैठक में भाग लेने या वोट करने का अधिकार भी शामिल है। किंतु आस्थागन से पूर्व या बाद में किए गए किसी अपराध के लिए उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है और बोर्ड को सुनवाई करने या फैसला सुनाने या उसके विरुद्ध किसी अन्य सदस्य के किसी दावे से निपटने से रोका नहीं जा सकता।

११.२. आस्थगन से उस सदस्य के अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा जो आस्थागित सदस्यों के लेनदार हैं।

११.३. आस्थागित सदस्य को अपने आस्थगन के समय सब बकाया देयताओं को पूरा करना होगा।

११.४. वे सब ट्रेडर जो आस्थगित सदस्य के सदस्य हैं आगे से एक्सचेंज के ट्रेडर के रूप में आस्थगित कर दिए जाएंगे।

११.५. आस्थागन से किसी कार्यालय या सदस्य अथवा ट्रेडर जो आस्थगित सदस्य का सदस्य है की जगह खाली हो जाएगी।

निष्कासन के परिणाम

१२. सदस्य के निष्कासन के निम्न परिणाम होंगे :

१२.१ निष्कासित सदस्य के एक्सचेंज की सदस्यता के सब अधिकार तथा एक्सचेंज के सदस्य के रूप में सभी अधिकार व विशेषाधिकार जब्त हो जाएगी, इसमें उपयोग का कोई अधिकार या कोई दावा या एक्सचेंज की किसी संपत्ति या फ्रंड में हिस्सा खत्म हो जाएगा किंतु इस निष्कासन से किसी ऐसे सदस्य की एक्सचेंज के किसी के भी प्रति देयता अप्रभावित रहेगी।

१२.२. सभी ट्रेडर जो निष्कासित सदस्य के सदस्य है अब कंपनी के ट्रेडर के रूप में आस्थगित कर दिए जाएंगे।

१२.३. निष्कासन से कार्यालय में या सदस्य अथवा ट्रेडर जो निष्कासित सदस्य का सदस्य है की जगह खाली हो जाएगी।

१२.४. निष्कासन से उन सदस्यों के अधिकार पर असर नहीं पड़ेगा जो निष्कासित सदस्य के लेनदार हैं।

१२.५. निष्कासित सदस्य निष्कासन के समय के दायित्वों को पूरा करने के लिए बाध्य हैं।

अतिरिक्त सुरक्षा जमा

१३.१. बोर्ड या प्रबंध निदेशक द्वारा समय-समय पर कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत सदस्य के आवश्यक अतिरिक्त जमा की जरूरत होने पर सदस्य को इसका भुगतान करना होगा अन्यथा यदि वह नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत अधिक सिक्युरिटी जमा देने में असफल रहता है तो उसका कारोबार आस्थिगित किया जाएगा और अतिरिक्त जमा के रूप में आवश्यक राशि का भुगतान करने तथा उसका आस्थगन बरकरार रहेगा।

१३.२. अनुच्छेद १३.१ के तहत जिस सदस्य को व्यवसाय आस्थगित करना है और यदि वह इन नियमों के प्रावधानों के विरोध में काम करता है तो उसे बोर्ड द्वारा निष्कासित किया जाएगा।

आस्थागन या निष्कास का नोटिस

१४.१. सदस्य के निष्कासन या आस्थगन या उस पर या उसके अर्टानी, एजेंट या अन्य कर्मचारियों पर लगे किसी दंड का नोटिस संबंधित सदस्य को और सामान्य रूप से सदस्यों को दिया जाएगा।

१४.२. बोर्ड अपने निरपेक्ष विवेकाधिकार और जिस तरह से वह ठीक समझे, कंपनी के सदस्यों को या सार्वजनिक रूपसे अधिसूचित कर सकता है कि इस अधिसूचना में जिस व्यक्ति का नाम है उसे निष्कासित, आस्थागित, दंडित किया गया है और वह अब सदस्य नहीं रहा है इस प्रकार का व्यक्ति कंपनी, बोर्ड, या बोर्ड के किसी सदस्य या प्रबंध निदेशक या किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध इस प्रकार के अधिसूचना के प्रकाशन व वितरण के विरुद्ध किसी भी स्थिति में न काई कार्यवाही कर सकता है ना ही मुकदमा चला सकता है।

सदस्यता की समाप्ति के परिणाम

१५.१. उक्त प्रावधानों में से किसी के तहत यदि कोई भागीदार स्टाक एक्सचेंज की सदस्यता समाप्त हो जाती है तो कंपनी के सदस्य के

रूप में उसके सब अधिकार व विशेषाधिकार कंपनी उसकी संपत्ति, दंड पर दावे जब्त हो जाएंगे और इस सदस्य के माध्यम से रजिस्टर्ड सभी व्यक्ति कंपनी के ट्रेडर नहीं रहेंगे किंतु कथित सदस्य या ट्रेडर कंपनी, अन्य सदस्यों एवं उनके निवेशकों ट्रेडरों, अन्य सदस्यों, डीलरों व हिस्सेदारी के प्रति उत्तरदायी रहेगी। पूरा पैसा जो सदस्यता समाप्त होने के समय कंपनी, अन्य सदस्यों के ट्रेडरों, डीलरों व भागीदारों पर देय था उन्हें भुगतान करेगा।

१५.२. सदस्यता समाप्त होने वाला भागीदार स्टाक एक्सचेंज इन प्रावधानों के तहत सदस्य के रूप में किसी भी समय पुन: प्रवेश का पात्र रहेगा। कंपनी आम बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित कर ऐसा कर सकती है।

ट्रेडर

१६.१. भागीदार स्टाक एक्सचेंज सदस्य ब्रोकर जो सेबी में स्टाक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर्ड है कंपनी के ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड होने के पात्र हैं।

१६.२. भागीदार स्टाक एक्सचेंज जिसका ब्रोकर सदस्य है के द्वारा निर्दिष्ट तरीके से सलाह देने पर व्यक्ति को ट्रेडर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा।

१६.३. समय-समय पर लागू होनेवाले नियमों, उपनियमों, अधिनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित तरीके से व्यक्ति को ट्रेडर के रूप में रजिस्टर किया जाएगा। ट्रेडर को समय-समय पर लागू कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार चलना होगा।

१६.४. ट्रेडर के रूप में व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के तहत कंपनी द्वारा ट्रेडर को कंपनी के नियमों के उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार उससे जुड़े कुछ अधिकारों व विशेषाधिकारों के निष्पादन की अनुमति दी जाएगी। ट्रेडर को कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार नहीं होंगे।

१६.५. ट्रेडरों का बोर्ड द्वारा रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। बोर्ड अपने विवेकाधिकार से ट्रेडर को रजिस्टर कर सकता है या बिना कोई कारण दिए ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है अथवा जो वह उपयुक्त समझे वे शर्तें लगा कर ट्रेडर को रजिस्टर कर सकता है।

१६.६. कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार स्थितियों में ट्रेडर को आस्थगित या निष्कासित किया जा सकता है।

१६.७. ट्रेडर को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निश्चित की जानेवाली दाखिल फीस, वार्षिक चंदा व अन्य फीस व जमा का भुगतान करना होगा।

१६.८. ट्रेडर अपने अधिकारों का ट्रेडर के रूप में तथा उससे जुड़े अधिकारों व विशेषाधिकारों को बांट, गिरवी, बंधक, रेहन या आरोपित नहीं कर सकता और इस प्रकार का कोई बांटने, बंधक, गिरवी, रेहन या आरोपित करने का कोई प्रयास कंपनी के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा।

डीलर

१७.१. बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित व्यक्ति ही कंपनी के डीलर बनने के लिए अधिकृत होंगे।

१७.२. डीलर को बोर्ड द्वारा रजिस्टर किया जा सकता है। बोर्ड अपने विवेकाधिकार से डीलर को रजिस्टर कर सकता है या बिना कोई कारण बताए रजिस्ट्रेशन का आवेदन अस्वीकृत कर सकता है या जो वह ठीक समझे व शर्तें लगाकार डीलर को रजिस्टर कर सकता है।

१७.३. किसी व्यक्ति को समय-समय पर लागू नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार डीलर के रूप में रजिस्टर किया जा सकता है। डीलर को समय-समय पर लागू होने वाले कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों को मानना होगा।

१७.४. डीलर के रूप में व्यक्ति के रजिस्ट्रेशन के तहत कंपनी द्वारा डीलर को कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार उससे जुड़े कुछ अधिकारों व विशेषाधिकारों के निष्पादन की अनुमति दी जाएगी। डीलर को कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार नहीं होंगे।

१७.५. कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार स्थितियों में डीलर को आस्थगित या निष्कासित किया जा सकता है।

१७.६. डीलर को बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जानेवाली दाखिला, वार्षिक या अन्य फीस व जमा का भुगतान करना होगा।

१७.७. डीलर अपने अधिकारों का ट्रेडर के रूप में तथा उससे जुड़े अधिकारों व विशेषाधिकारों को बांट, गिरवी, बंधक, रेहन या आरोपित नहीं कर सकता और इस प्रकार का कोई बांटने, बंधन, गिरवी, रेहन या आरोपित करने का कोई प्रयास कंपनी के विरुद्ध प्रभावी नहीं होगा।

सामान्य बैठक

१८.१. अन्य बैठकों के अतिरिक्त कंपनी को हर वर्ष में एक बार एक आम बैठक करनी होगी जो बाद में "एनुअल जनरल मीटिंग" कहलाएगी और नीचे दिए प्रावधानों के अनुसार होगी।

१८.२. पहली वार्षिक सामान्य बैठक के बाद कंपनी को वार्षिक सामान्य बैठक कानून के प्रावधानों के अनुसार हर वर्ष होगी।

१८.३. हर वार्षिक सामान्य बैठक काम के घंटों के समय में होगी, उस दिन सार्वजनिक छुट्टी नहीं होनी चाहिए और जो कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय या जिस शहर में कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय है के किसी अन्य स्थान पर होगी और बैठक बुलाने की अधिसूचना में इसे वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) कहा जाएगा।

१८.४. वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा सभी सामान्य बैठकों को एक्स्ट्रा जनरल मीटिंग कहा जाएगा।

१८.५. बोर्ड जब भी ठीक चाहे वह उसकी अपनी इच्छा हो या यहां बाद में बताए गए कंपनी के के कुछ सदस्यों की आवश्यकता के कारण हो कंपनी की एक्स्ट्रा आर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है और इस प्रकार के मांग पत्र के लिए निम्न प्रावधान लागू होंगे :

१८.५.१ मांगपत्र में बैठक बुलाने के कारण बताए जाएंगे और मांग करनेवालों द्वारा हस्ताक्षरित कर कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में जमा कर दिए जाएंगे।

१८.५.२. मांगपत्र में फार्म के समान बहुत से दस्तावेज होंगे, प्रत्येक एक या अधिक मांगकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

१८.५.३. किसी मामले के लिए बैठक की मांग करने के अधिकृत सदस्यों की संख्या इतनी होगी जो मांगपत्र जमा करने की तारीख पर हर रह सके, कंपनी के कुल सदस्यों के एक तिहाई से कम न हो, क्योंकि उस तारीख को उस मामले में वोटिंग का अधिकार भी होगा।

१८.५.४ जहां मांगपत्र में दो या अधिक मामले दिए गए हो तो इस प्रकार के हर मामले में लिए अनुच्छेद १८.४.३. के प्रावद्दान अलग से लगू होंगे और मांगपत्र उसी मामले के लिए वैध माना जाएगा जिसके संदर्भ में कथित अनुच्छेद की शर्त पूरी होती हो।

१८.५.५. यदि किसी मामले के संबंध में वैध मांगपत्र के जमा किए जाने के इक्कीस दिनों के अंदर बोर्ड उन मामलों पर विचार करने के लिए मांग पत्र जमा होने के पैंतालिस दिनों के अंदर बैठक बुलाने के संबंध में कार्यवाही नहीं करता है तो इस प्रकार से मांग करनेवाले बैठक बुला सकते हैं, बशर्ते, उनकी संख्या जैसा कि यहां अनुच्छेद की धारा १८.५.३. में दी गई है।

१८.५.६. अनुच्छेद १८.२.५. के तहत मांग करनेवालों के या उनमें से किसी एक द्वारा बुलाई जाने वाली बैठक :

(ए) जहां तक संभव हो बैठक इसी प्रकार बुलाई जाए जिस प्रकार बोर्ड द्वारा बैठक बुलाई जाती है।

(बी) मांगपत्र जमा करने की तारीख के तीन महीने समाप्त होने के बाद नहीं की जाए बशर्ते इस अनुच्छेद में दी हुई कोई भी चीज उक्त तीन महीने की अवधि समाप्त होने के पहले हुई बैठक को अवधि समाप्त होने के बाद की किसी तारीख को स्थगित करने से रोकती न हो।

१८.५.७. बोर्ड द्वारा बैठक बुलाने में असफल रहने के कारण मांगकर्ताओं को होने वाले कोई भी खर्च की कंपनी द्वारा प्रतिपूर्ति की जाएगी और इस प्रकार पूर्तिपूर्ति की जाने वाली राशि कंपनी के पास उसे फीस या शुल्क या चूककर्ता निदेशकों की सेवाओं के वेतन के रूप में अथवा देय होने वाली किसी राशि के रूप में रहेगी।

१८.६. कंपनी की सामान्य बैठक इक्कीस दिनों के लिखित नोटिस पर बुलाई जा सकती है।

१८.७. अनुच्छेद १८.६ में बताई गई अवधि से कम समय के नोटिस पर भी आम बैठक बुलाई जा सकती है बशर्ते इसकी अनुमति दी गई हो।

१८.७.१ वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में जहां वोट करने के अधिकृत सब सदस्य हो, और

१८.७.२ कंपनी के सदस्यों की किसी अन्य बैठक की स्थिति में जहां बैठक में निष्पादन योग्य मताधिकार के पिचानवे प्रतिशत से कम न हों।

परंतु जहां किसी सदस्य को बैठक के केवल कुछ प्रस्तावों पर वोट डालने का अधिकार है, औरा पर नहीं तो इस प्रकार के सदस्य को इस अनुच्छेद के लिए पूर्व प्रस्तावों के संबंध में में लिया जाएगा, बाद के में नहीं।

१८.८. कंपनी की बैठक की हर अधिसूचना में बैठक की जगह, दिन व ठीक समय बताया जाएगा और उसमें होने वाले काम का विवरण भी होगा।

१८.९. कंपनी की हर बैठक की अधिसूचना इन्हें दी जाएगी।

१८.९.१ कानून की धारा ५३ द्वारा किसी भी तरह अधिकृत कंपनी के हर सदस्य को,

१८.९.२. कानून की धारा ५३ द्वारा किसी भी तरह अधिकृत कंपनी के फिलहाल आडिटर या आडिटरों को।

१८.१०. किसी सदस्य को या अन्य व्यक्ति जिसे यह दिया जाना चाहिए संयोगवश नोटिस देने में भूल होने या सदस्य द्वारा नोटिस प्राप्त न करने पर बैठक की कार्यवाही रद्द नहीं की जाएगी।

१८.११. वार्षिक सामान्य बैठक में लिया जानेवाला सारा काम विशिष्ट माना जाएगा, जिसमें ये विशेष अपवाद स्वरूप होंगे :

१८.११.१. खातों, बैलेंस शीट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरस व आडिटरों की रिपोर्ट

१८.११.२. सेवा निवृत्त होनेवाले निदेशकों की जगह निदेशकों की नियुक्ति, और

१८.११.३. ऑडिटरों की नियुक्ति तथा उनके वेतन का निर्धारण।

१८.१२. अन्य बैठकों में सभी विशिष्ट होंगे।

१८.१३. जहां बैठक में होनेवाले कार्य व्यापार का कोई भी आइटम उपरोक्त के अनुसार विशिष्ट माना जाएगा, तो बैठक की अधिसूचना के

साथ इस प्रकार व्यवसाय के हर आइटम के संबंध में सभी तथ्यों का विवरण सत्थी होगा, खास कर इसमें यदि कोई हो तो हर निदेशक व मैनेजर के मामले व हित से संबंधित व्यवसाय विशेष रूप से शामिल होगा, परंतु जब उक्त किसी विशेष व्यवसाय के किसी आइटम का संपादन कंपनी की बैठक में करना हो, का संबंध या प्रभाव दूसरी कंपनी पर पड़ता हो तो हर निदेशक और मैनेजर यदि हो तो, की उस दूसरी कंपनी के शेयर होल्डिंग हित का भी विवरण में उल्लेख करना होगा बशर्ते इस प्रकार का शेयर होल्डिंग हित कंपनी की प्रदत्त पूंजी का बीस प्रतिशत से कम न हो।

१८.१४. जहां व्यवसाय के कोई भी मद बैठक द्वारा दस्तावेज की स्वीकृति के अनुरूप हो तो उक्त दस्तावेज में समय और जगह जहां दस्तावेज की जांच की जा सकती है का उल्लेख किया जाएगा।

१८.१५ प्रस्ताव साधारण प्रस्ताव होगा जब सामान्य बैठक में जिसके लिए कानून के तहत आवश्यक अधिसूचना दे दी गई है। प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के अधिकृत सदस्यों द्वारा वोट मामले के अनुसार चाहे हाथ दिखा कर हो, या मतदान से (इसमें यदि चेयरमैन के लिए भी हो, तो वह भी शामिल है) दे दिया गया हो और जो उस वोट से अधिक है जो विरोध में दिए गए हैं।

१८.१६ प्रस्ताव उस स्थिति में विशेष प्रस्ताव होगा जब :

१८.१६.१ प्रस्ताव को विशेष प्रस्ताव मानने का उद्देश्य सामान्य बैठक बुलाने के अधिसूचना या विशेष प्रस्ताव के लिए सदस्यों को दी गई अधिसूचना में यथावत उल्लिखित कर दिया गया है।

१८.१६.२. कानून के तहत आवश्यक अधिसूचना सामान्य बैठक में यथावत् दे दी गई है, और

१८.१६.३ प्रस्ताव के पक्ष में दिए गए उन सदस्यों के मत (चाहे हाथ दिखा कर हो, या मत से जैसी स्थिति हो,) जो ऐसा करने के लिए पात्र है, प्रत्यक्ष वोट कर रहे हैं, की संख्या विपक्ष में वोट करनेवाले अधिकृत सदस्यों के मतों से तीन गुणा से कम नहीं है।

१८.१७. कानून या इन प्रस्तुतीकरण में निहित कोई प्रावधान किसी प्रस्ताव के लिए विशेष अधिसूचना की आवश्यकता है, जिस बैठक में इसे पेश किया जाना है से कम से चौदह दिन पूर्व प्रस्ताव पेश करने की अधिसूचना कंपनी को देनी होगी, इसमें अधिसूचना दिए या दिया जाना समझने का दिन और बैठक के दिन शामिल नहीं है।

१८.१८. इस प्रकार के किसी प्रस्ताव पर विचार करने के संबंध में प्राप्त अधिसूचना के तुरंत बाद अपने सदस्यों को प्रस्ताव के संबंध में उसी प्रकार अधिसूचना देता है जिस प्रकार यह बैठक की देता है, और यदि यह व्यवहार्य न हो तो उन्हें अधिसूचना दे दी जाएगी, चाहे यह अच्छे प्रसारण वाले समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा हो या अनुमत किसी अन्य प्रकार द्वारा हो, जो बैठक से कम से कम सात दिन पूर्व जरूर होगी।

सामान्य बैठक की कार्यवाही –

१९.१. व्यक्ति रूप से मौजूद पांच व्यक्ति आम बैठक के लिए कोरम होंगे और जब तक काम शुरू करने के समय आवश्यक कोरम नहीं होगा तब तक कोई कामकाज नहीं होगा।

१९.२. सामान्य बैठक में यदि अध्यक्ष का पद खाली है तो उसके चुनाव के अतिरिक्त किसी काम की चर्चा नहीं की जाएगी।

१९.३. बोर्ड के अध्यक्ष को हर सामान्य बैठक में अध्यक्ष पद ग्रहण करने का अधिकार होगा। यदि अध्यक्ष नहीं है या इस प्रकार की बैठक शुरू होने के समय से पंद्रह मिनट पूर्व तक वह उपस्थित नहीं होता, या बैठक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का अनिच्छुक है और उसके ऐसी चूक करने की स्थिति में तो सदस्य निदेशकों में से किसी एक को अध्यक्ष पद संभालने के लिए कहेंगे, और यदि उपस्थित कोई निदेशक कुर्सी ग्रहण करने का इच्छुक है तो उपस्थित सदस्य अपने सदस्यों में से एक को बैठक का अध्यक्ष बनाने के लिए चुन लेंगे।

१९.४. यदि आम बैठक करने के निर्धारित समय के आधा घंटे बाद तक कोरम पूरा नहीं होता तो सदस्यों की मांग पर आयोजित बैठक भंग कर दी जाएगी और किसी अन्य मामले में अगले सप्ताह उसी समय, उसी दिन, उसी स्थान पर की जाएगी या निदेशक द्वारा निर्दिष्ट किए गए दिन, समय व स्थान पर होगी। यदि इस प्रकार स्थगित की हुई बैठ शुरू होने के समय के आधे घंटे के अंदर कोरम पूरा नहीं होता है तो उपस्थित सदस्यों का ही कोरम होगा और जिस काम के लिए बैठक बुलाई गई थी वह कर लिया जाएगा।

१९.५. अध्यक्ष उपस्थित सदस्यों की राय के समय-समय पर एक जगह से दूसरी जगह कोई भी बैठक स्थगित कर सकता है किंतु स्थगित बैठक में केवल उसी व्यवसाय की चर्चा होगी जो स्थगित बैठक में लिया जाने वाला था। बैठक तीस से अधिक दिनों तक के लिए स्थगित न होने पर बैठक स्थगित होने की अधिसूचना जरूरी नहीं है।

१९.६ किसी भी सामान्य बैठक में वोट के लिए रखा जानेवाला प्रस्ताव हाथ दिखाने के अनुसार निर्णीत किया जाएगा, किंतु यदि मतदान (हाथ दिखाने पर परिणाम की घोषणा के पहले या बाद) की मांग यहां बाद में बताए गए के अनुसार हो और जब तक इस प्रकार मतदान की मांग न हो, अध्यक्ष की यह घोषणा की प्रस्ताव हाथ उठाने में से एकमत से पारित या रद्द हो गया है, उस संबंध में कंपनी की कार्यवाहियों की बुक में प्रविष्टि इस प्रकार के प्रस्ताव के पक्ष या विपक्ष में रिकार्ड किए गए वोटों की संख्या या अनुपात की बिना प्रमाण के सच्चाई का एक निर्णायक प्रमाण होगा।

१९.७. किसी प्रस्ताव पर हाथ उठाने या वोटिंग के परिणाम की घोषणा या उससे पूर्व बैठक में अध्यक्ष स्वयं के प्रस्ताव पर मतदान का आदेश दे सकते है या उसे ऐसा करने के लिए उपस्थित सदस्य या सदस्यों द्वारा मांग की ओर से आदेश दिया जाए ऐसे सदस्यों का प्रस्ताव के संबंध में मताधिकार का दसवां भाग होना चाहिए अथवा मांगकर्ता मतदान की मांग कभी भी वापस ले सकता है।

१९.८. यदि अध्यक्ष के चुनाव या रद्द किए जाने के प्रश्न पर मतदान की मांग की जाती है तो उसे बिना रद्द किए पूरा करना होगा।

१९.९. किसी भी अन्य प्रश्न पर मतदान की मांग को मांग किए जाने के अड़तालीस घंटों के अंदर जैसा अध्यक्ष निर्देश दे लिया जाएगा।

१९.१०. मतदान की जगह बैठक का अध्यक्ष दिए गए मतों की जांग के लिए दो जांचकर्ता रखेंगे जो उसे रिपोर्ट देंगे।

१९.११. मतदान के परिणाम घोषित किए जाने के पूर्व कभी भी अध्यक्ष को जांचकर्ता को पद च्युंत करने और जांचकर्ता के कार्यालय में इस प्रकार रहटाए जाने या किसी अन्य कारण से हुई खाली जगह को भरने का अधिकार होगा।

१९.१२. धारा १९.१० के तहत नियुक्त दो जांचकर्ता में से एक निश्चित रूप से उपस्थित सदस्य होगा बशर्ते वह सदस्य नियुक्ति के लिए तैयार हो।

१९.१३ कानून प्रावधान के अनुसार बैठक के अध्यक्ष को मत किस प्रकार हो इसे नियंत्रित करने के अधिकार होगा।

१९.१४ मतदान का परिणाम उस प्रस्ताव के संबंध में बैठक का निर्णय माना जाएगा जिस पर मतदान हुआ है।

१९.१५. हाथ उठाने और मतदान दोनों में मतों की समानता होने पर अध्यक्ष को सदस्य के रूप में अपने मत के अलावा निर्णायक वोट का अधिकार होगा।

१९.१६. मतदान की मांग से बैठक किसी व्यवसाय का कामकाजी जारी रहना होगा नहीं, मतदान की मांग किए जानेवाले प्रश्न को छोड़कर।

१९.१७. कंपनी सामान्य बैठक की सब कार्यवाहियों का विवरण उस उद्देश्य के लिए रखी गई बुक में दर्ज करेगी। हर बैठक के विवरण में उसमें हुई कार्यवाहियों का अच्छा और ठीक सारांश होगा। किसी भी बैठक में हुई अधिकारियों की नियुक्तियां बैठक के विवरण में शामिल की जाएगी। इन विवरणों पर यदि जिस बैठक में कार्यवाही हुई है उस बैठक के अध्यक्ष के हस्ताक्षर नहीं हो पाते या उस अध्यक्ष की मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में बोर्ड द्वारा यथावत अधिकृत निदेशक कार्यवाहियों का गवाह होगा।

१९.१८. कंपनी की सामान्य बैठकों की कार्यवाहियों का विवरण रखनेवाली बुक कंपनी के रजिस्टर्ड कार्यालय में रखी जाएगी तथा प्रत्येक कार्यकारी दिन दो घंटे के लिए बिना किसी शुल्क के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुली रखी जाएगी।

१९.१९. हर सदस्य ऊपर उल्लिखित विवरण की प्रति कानून के अनुसार शुल्क पर पाने का अधिकारी है और इसके लिए उसके द्वारा कंपनी को आवेदन किए जाने के सात दिनों के बाद यह उसे दी जाएगी।

१९.२०. इसमें से किसी प्रावधानों या कानून द्वारा अयोग्य न ठहराए जाने तक सदस्य को हर सामान्य बैठक में हाथ उठाकर मत देने का अधिर्कार होगा और मत पर हर व्यक्तिगत रूप से उपस्यत व वोट के अधिकृत सदर्स्य का एक वोट होगा।

१९.२१. हर सदस्य जो एक प्रतिनिधि द्वारा उपस्थित है जिसे निदेशकों या निकाय के प्रस्ताव द्वारा कानून की धारा १८९ के प्रावधानों के अनुसार यथावत् अधिकृत किया गया है, कंपनी के सदस्य के रूप में हाथ दिखा कर वोट दे सकता है। इस तरह के कार्पोरेट निकाय के कार्यकारी निदेशक या शासी निकाय या शासी निकाय द्वारा यथावत अधिकृत व्यक्ति से यथावत हस्ताक्षरित व यथातत्य प्रति के रूप में प्रमाणित इस तरह के प्रस्ताव का बैठक में उत्पन्न होना बैठक में कंपनी द्वारा उसकी नियुक्ति की वैधता के पर्याप्त प्रमाण के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

१९.२२. मत व्यक्तिगत रूप से या कार्पोरेशन के मामले में ऊपर दिए के अनुसार यथावत् अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाएगा।

१८.२३. मत की वैधता के लिए कोई आपत्ति नहीं उठाई जाएगी, बैठक और मतदान के समय जब मत डाला जाएगा तब को छोड़कर, इसे प्रकार की बैठक या मतदान जो भी हो के लिए वैध समझा जाएगा।

१८.२४. किसी भी बैठक का अध्यक्ष इस प्रकार की बैठक में दिए जाने वाले हर मत का एक मात्र न्यायाधीश होगा। मत लेने के समय डाली गई हर वोट का निर्णायक उस समय उपस्थित अध्यक्ष होगा।

डायरेक्टर्स

२०.१. सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा निश्चित किए जाने की स्थिति को छोड़कर डायरेक्टरों की संख्या में नौ से कम या बीस से अधिक नहीं होगी, इसमें सेबी के नामांकित निदेशक, सार्वजनिक प्रतिनिधि, सदस्य निदेशक, प्रबंध निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक शामिल है परंतु निदेशक की संख्या केंद्र सरकार व सेबी की स्वीकृति से बढ़ सकती है।

२०.१.१. कंपनी के बोर्ड पर सदस्य निदेशकों, सेबी नामांकितों व सार्वजनिक प्रतिनिधियों की संख्या हमेशा ५०.५० रहेगी।

२०.२. निम्नलिखित नामोंवाले व्यक्ति कंपनी के प्रथम निदेशक है :

	नाम	के नामांकित
१)	श्री पी. सी. श्रीमल	हैदराबाद स्टाक एक्सचेंज
२)	श्री पंकज जे. शाह	बैंगलोर स्टाक एक्सचेंज
३)	श्री अशोक सरवाना	भुवनेश्वर स्टाक एक्सचेंज
४)	श्री डी बालसुब्रमरम्	कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज

५)	श्री गोविंद खंडेलवाल	मध्य प्रदेश स्टाक एक्सचेंज
६)	श्री विष्णुभाई आई पटेल	वडोदरा स्टाक एक्सचेंज
७)	श्री आशिष एम पारिख	मैंगलोर स्टाक एक्सचेंज
८)	श्री रामस्वरूप जोशी	गोहाटी स्टाक एक्सचेंज
९)	श्री दीनदयाल सारडा	उत्तर प्रदेश स्टाक एक्सचेंज
१०)	श्री जोसैफ मैसी	
११)	श्री वी. शंकर	

२०.३ सेबी समय-समय पर डायरेक्टर के रूप में तीन से अधिक लोगों को नामांकित नहीं कर सकती, ये अनुच्छेद में "नामांकित निदेशक" के रूप में उल्लिखित है और नामांकित निदेशक क्रमावर्तन से सेवानिवृत्ति के पात्र नहीं हटा सकता।

२०.४. बोर्ड सेबी की स्वीकृति से छह व्यक्तियों की नियुक्ति कर सकता है जो सार्वजनिक प्रतिनिधि कहलाएंगे और कंपनी के बोर्ड पर निदेशक होंगे और उनमें से एक को बोर्ड द्वारा कंपनी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा ये निदेशक अगली वार्षिक सामान्य बैठक तक या वार्षिक सामान्य बैठक के बाद नए नामांकितों के नामांकन एवं नियुक्ति होने तक पर, जो भी बाद में हो पद पर रहेंगे। त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा होनेवाली कोई खाली जगह इसी प्रकार भरी जाएगी।

२०.४.१. सार्वजनिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति के लिए कंपनी का निदेशक बोर्ड नामांकितों के नाम स्वीकृति के लिए सेबी के पास भेजेगा। यद्यपि सेबी के पास कंपनी द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों को छोड़कर अन्यों को नामांकित करने का अधिकार है।

२०.४.२. कंपनी का अध्यक्ष प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और जिसे पूजी बाजार का ज्ञान व अनुभव होगा।

२०.४.३. अध्यक्ष किसी स्टाक एक्सचेंज का सदस्य नहीं होना चाहिए और पूर्णकालिक रोजगार में भी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष का पद गैर कार्यकारी पद होगा।

२०.५. पद की अवधि को छोड़कर, नामांकित निदेशक व सार्वजनिक प्रतिनिधि कंपनी के किसी भी अन्य निदेशक के समान दी अधिकारों, विशेषाधिकारों व देयताओं के पात्र होंगे।

२०.६. अध्यक्ष कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों, साझेदारी के अनुच्छेदों में दिए गए अधिकारों व कार्यो के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अधिकारों, कार्यों का अनुपालन करेगा और सौंपे गए कर्तव्यों को निभाएगा। अध्यक्ष सभी सार्वजनिक मामलों में कंपनी का अधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करेगा।

२०.७. सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा बोर्ड पर नौ से अधिक निदेशक नियुक्त नहीं किए जाएंगे और ये निदेशक क्रमावर्त्तन से सेवानिवृत्त होंगे। ये निदेशक सदस्य निदेशक कहलाएंगे।

२०.८. सदस्य एक्सचेंज का केवल ट्रेडर जो सदस्य एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा नामांकित है, ही कंपनी के सदस्य निदेशक के रूप में नियुक्त हो सकता है। इस प्रकार सदस्य एक्सचेंज द्वारा नामांकित ट्रेडर बोर्ड पर तभी नामांकित किए जाने का पात्र होगा जब ट्रेडर सेबी द्वारा ट्रेडरों के लिए बताई गई पात्रता मानदंड को पूरा कर सकेगा और उसे समय-समय पर कंपनी या सेबी द्वारा निर्धारित स्थितियों में पद त्यागना होगा।

बशर्ते उक्त प्रावधान सेबी द्वारा कंपनी को एससी (आर) कानून १९५६ की धारा ४ के तहत मान्यता मिलने के छह महीनों के अंदर लागू न हो।

२०.९. ऐसा सदस्य निदेशक जिस सदस्य एक्सचेंज का ट्रेडर है नामांकित माना जाएगा।

२०.१०. सदस्य एक्सचेंज के बोर्ड को सदस्य निदेशक के कार्यकाल की अवधि में कभी भी कंपनी के बोर्ड से अपने नामांकित की जगह दूसरा रखने का अधिकार होगा।

२०.११. कानून के प्रावधानों तथा सेबी की स्वीकृति के अनुसार बोर्ड समय-समय पर कंपनी के प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति कर सकता है। यह अवधि एक बार में पांच वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और बोर्ड जिसे ठीक समझे उन शर्तों और स्थितियों के अनुसार होना चाहिए।

२०.११.१. प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक की नियुक्ति, सेवा की शर्तें, नियुक्ति का नवनीकरण तथा सेवा की समाप्ति सेबी की पूर्व स्वीकृति के अनुसार होगी।

२०.११.२. कंपनी के निदेशक बोर्ड के अलावा प्रबंध कनदेशक का भी यह कर्तव्य होगा कि सेबी द्वारा जारी किए गए निदेशों, मार्गदर्शिका व आदेशों को प्रभावी बनाए ताकि कानूनी, साझेदारी के अनुच्छेदों, कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के उपयोगी प्रावधानों को ठीक से लागू किया जा सके। इस संबंध में किसी प्रकार की असफलता के प्रबंध निदेशक को सेबी की पूर्व स्वीकृति या सेबी से उस संबंध में प्राप्त निदेशों के आधार पर सेवा किया जा सकता है, किंतु प्रबंध निदेशक को हटाए जाने के विरुद्ध सुनवाई का एक अवसर दिया जाएगा।

२० ११.३ कंपनी के मामलों की पूर्ण व्यवस्था जो समझौते के अनुच्छेद के अनुच्छेद २४ व नियमों के अध्याय २ के अनुसार बोर्ड को सौंपी गई है की शर्तों के अनुसार :

(१)प्रबंध निदेशक को कंपनी का दिन प्रतिदिन का तथा समझौते के अनुच्छेद, नियमों , उपनियामों व अधिनियमो को लागू करने प्रशासन चलाने के लिए कार्यकारी अधिकार सौंपें जाऐंगे और वह इन अधिकारों का उपयोग निम्न प्रकार से और बोर्ड द्वारा समय समय पर उसे सौपे जाने के अनुसार करेगा।

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेश को अध्यक्ष को सत्ता ,. अधिकार कर्तव्य व काम सौंपें जाऐंगे । यह साझेदारी के अनुच्छेदों कंपनी के नियमों , उपनियमो व अधिनियमों के अनुसार होगा। इसमे अनुच्छेद १९.३ए १९.४, १९.६, १९.७, १९.१०, १९.११, १९.१५.ब १९.२५, २२.२ व २२.४ अपवाद अपवाद होगे

२० ११० ४ पूर्ण कालिक निदेशक बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपें गए कामों कर्तव्यों व उत्तादायित्वों को पूरा करेगो । प्रबंध निदेशक के अभाव मे पूर्ण कालिक निदेशक का दायित्व सेबी द्वारा जारी किए गए निर्देशों, गाइडलाइन्स व आदेशों को प्रभावी बनाना होगा ताकि कानून, साझेदारी के अनुच्छेदों, उपनियमों , व कंपनी के अधिनियमों के प्रयोग किए जाने योग्य प्रावधानो को लागू किया जा सके । इस संबध में किसी प्रकार की असफलता के कारण पूर्णकालिक निदेशक स्टॉक एक्सचेंज द्वाराा सेबी की पूर्वनुमति लेने पर हटाए जाने का पात्र होगा अथवा सेबी से उस तरह के निर्देश मिलने पर, बशर्ते पूर्ण कालिक निदेशक को इस प्रकार हटाए जाने के विरुध्द सुनवाइ का मौका दिया जायेगा।.

२० ११ ५ प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति या उसके कार्य निष्पादन में अयोग्यता के परिणाम स्वरूप उसके काम व अधिकारो का निष्पादन पूर्णकालिक निदेशक के अभाव में बोर्ड जिसे अधिकृत करेगी कॅपनी का वही उसके बाद आनेवाला वरिष्ठअधिकारी करेगा।

२२.११.६ अध्यक्ष के अतिरिक्त कंपनी के प्रबंध निदेशक पूर्णकालिक निदेशक सभी सार्वजनिक मामलों में कंपनी का अधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व रूप से करेंगे।

२०.१२ कानून के प्रावधान के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं व पूर्णकालिक निदेशक के आफिस में रहते हुए सेवानिवृति के पात्र नहीं बनेगें किन्तु कंपनी के अन्य निदेर्शकों के सामान त्यागपत्र व हठाए जाने की अन्य शर्तों उन पर लागू होगें व यदि किसी कारणवश निदेशक के पद से छूट जाते है। तो स्वत: तत्काल वे प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक नहीं रहेगें

२०.१३. कानून के प्रावधान के अनुसार बोर्ड समय समय पर फिलहाल प्रबंध निर्देशक व पूर्णकालिक निर्देशक को ऐसी सता सौपेंगा और देगा जो उनके साथ ऐसी शर्ते और स्थितियों व प्रतिबंधों से जुडी होगीं जो वे सामान्तर रूप से या उनकी सता के बहिष्कार व समय समय पर इस प्रकार की सताओं को रदद, समाप्त परिवर्तित या अदल बदल करें

२०.१४ कानून की धारा ३१३ के अनुसार बोर्ड आफ डायराक्टर डायरैक्टर (इसके बाद इन अनुच्छेदों में ''मूल निर्दशक '' कहलाएगा) के स्थान पर काम करने के लिए एवजी निर्देशक अनयुक्त कर सकता है जो उसकी सलााह पर या अन्यथा भारत से क़म से कम महीने के लिए अनुपस्थित रहने पर होगा।

२०.१५ २०.१४ के अनुच्छेदों के अंतर्गत नियुक्त निर्देशक मूल निर्देशक जिसके स्थान पर वह नियुक्त हुआ है की अनुमति से अधिक समय के लिए पद पर नहीं रह सकता और मूल निदेशक के भारत लौटने की स्थिति में मूल निर्दशक के भारत लौटने पर उसे पद छोडना होगा।

२०.१६ यदि भारत लौटने से पूर्व मूल निदेशक के आफिस की शर्त निशिचत हो जाती है, दूसरी नियुक्ति की चूक के संबध में सेवानिवृत्त होने वाले निर्दशके के स्वत: पुननियुक्ति के लिए कोई प्रावधान मूल निर्दशक पर लागू होगा स्थानपन्न निर्दशक पर नहीं ।

२०.१७ कानून के लागू होने योग्य प्रावधानों और इन अनुच्छेदों के अनुसार प्रबंधा निर्दशक व पूणकालिक निदेशक को दिए जाने वाले पारिश्रमिक तथा उसके तथा कंपनी के बीच में कोई अनुबंध जा समय समय पर सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा तया किया गया हो, निशिचत वेतन या अनुलाभी या किसी भी अन्य प्रकार जिसे कानून में मनाई न हो के रूप में हो सकता है ।प्रबंध निर्दशक और अथवा पूर्ण कालिक निदेयाक उपदेशपन शुल्क के लिये अधिकृत नहीं हैं।,,

२०.१८ बोर्ड या समिति की हर बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को बोर्ड द्वारा निशिचत किये जाने वाला वेतन शुल्क के रूप में मिल सकता है , जो कानून में बताए गए अधिकतम के अनुसार होगा। निदेशक की बोर्ड समिति की बैठकों या कंपनी का कोई काम करने के लिए हुए वास्तविक खर्चो की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

२०.१९ बोर्ड के आकस्मिक हुए खाली स्थान को भरने के लिए इन प्रस्तुतीकरण के प्रावधानों की शर्तो के अनुसार डायरैक्टर्स किसी भी समय या समय समय पर डायरैक्टर नियुक्त कर सकते हैं ताकि कुल संख्या उक्त प्रकार से निश्चित की अधिकतम संख्या से अधिक न हो और आकिस्मिक खाली स्थान भरने के लिए इस प्रकार नियुक्त निर्देशक केवल उसी दिन तक पद पर रहेगा जो इस निर्देशक यदि वह पद पर रहता के अनुसार होगा जिसकी जगह पर वह नियुक्त हुआ है।

२०.२० कानून के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान रहने वाले निर्देशक उनके निकाय में किसी खाली स्थान के बावजूद काम कर सकते हैं । यदि बने रहनेवाले सदस्यो की संख्या न्यनूतम से कम रहती है तो डायरैक्टर खाली जगह भरने या कंपनी की सामान्य बैठक बुलाने जैसी आकस्मिक स्थितियेां को छोडकर अन्यथा संख्याक्रम रहने तक काम नहीं कर सकते और वे इन अनुच्छेदों के प्रावधानेां के तहत आवश्यक कोरम के अभाव के बावजूद इस तरह काम कर सकते हैं।

.२०.२१ कानून की धारा २८३ (२) के प्रावधान के अनुसार निर्देशक का स्थान तब खाली होगा यदि,

ए) सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अस्वस्थ मनोदशा वाला माने,

बी)वह दिवालिया समझे जाने लायक हो,

सी) उसे दिवालिया समझ लिया जाए

डी)नैतिक भ्रष्टाचार संबधी किसी मामले में उसी अपराधी माना जाए और उस संबध में उसे कम से कम छह महीने का सजा हुई हो,

ई) वह बोर्ड की तीन बैठकों में लगातार या बोर्ड की सभी बैठकों में लगातार तीन महीने तक जो भी अधिक हो में, स्वयं को बीना अनुपस्थिति रहे,

एफ) वह (चाहे स्वयं अपने हित या खाते के लिए किसी को) या जिस जुर्म में भागीदार है या कोई निजी कंपनी जिसमें वह निर्देशक है , कानून की धारा २९५ को उल्लधंन करते हुए कंपनी से श्रण या गारंटी या सिक्युरिटी स्वीकार करता है,

जी) वह कानून की धारा २९९ के विरूद्ध काम करता हो।

एच) कानून की धारा २०३ के तहत उसे अपात्र ठहरा दिया जाए,

आइ) उसके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पूर्व कंपनी की सामान्य प्रस्ताव द्वारा कानून की धारा २८४ के अनुसार उसे हठा दिया गया हो,

जे)कंपनी या बोर्ड के नाम वह लिखित नोटिस द्वारा त्यागपत्र दे,

के)वह, या उसके संबधी या हिस्सेदार जिसमें वह या उसके संबधी हिस्सेदार है या कोई निजी कंपनी जिसका वह निर्देशक या सद है, कंपनी या उसकी सहायक में कोई लाभ का पद रखता हो, कानून की धारा ३१४ का उल्लंधन करता हो,

एल) कंपनी में किसी पद या अन्य रोजगार होने के कारण निदेशक हुआ हो और उसका कंपनी में यह पद या राजेगार समाप्त हो जाए,

एम) उसे नामंकित करने वाला सदस्य एक्सचेजं कंपनी की सदस्यता से आस्गथित या निष्कासित कर दिया गया हो,

एन) कंपनी या सदस्य एक्सचेंज द्वारा उसे आस्थगित,निष्कासित या चूककर्ता घोषित कर दिया गया हो या,

ओ) यदि कंपनी या सदस्य एक्सचेंज द्वारा उसके विरूद्ध कोई अनुशासन संबंधी या अन्य कार्यवाही की गई हो, जिसमें वह दोषी पाया गया हो

२०.२२ अनुच्छेद (२०.२१ एच) और (२०.२१ एच) की इन धाराओं में दी गई साम्रागी के बावजदू इन स्थितियों प्रभवी नहीं होगी,

२०.२२.१. निर्णय दंडाज्ञा या आदेश या के तीस दिनों के अन्दर या

२०.२२.२ जब उक्त तीस दिनों के अंदर निर्णय दंडाज्ञा या आदेश के विरूद्ध कोई अपील या आवेदन किया जाए जिसमे अपील या आवेदन निपटाए जाने के सात दिन स्त्म होने पर अपराध स्वीकृति हो या निर्णय दिया जाए, या

२०.२२.३. जब उक्त के सात दिनो कें अंदन निर्णय या आदेश या दंडाज्ञा के विरूद्ध कोई अपील या आवेदन किया जाए और अपीहल या आवेदन की अनुमति मिलने पर इस प्रकार की किसी अपील या आवेदन के निपटाए जाने तक अपात्रता सामाप्त हो जाएगी।

२१.१. पहली वार्षिक सामान्य बैठक के अलवा कंपनी की हर वार्षिक सामान्य बैठक में फिलहाल इस प्रकार की के निदेशकों में से एक तिहाई कमावर्तन से सेवानिवृत्त किए जा सकते है और यदि उनकी संख्या तीन से कम हो या तीन से गुणा कमें नहीं हो, तो एक तिहाई के लगभग संख्या पद से सेवा निवृत्त हो जाएगी।

२१.२. हर वार्षिक सामान्य बैठक में क्रमावर्तन से सेवा निवृत्त होने वाले निर्देशक वे होगें जो अपनी आखिरी नियुक्ति के बाद सबसे अधिक समय के लिए हो किन्तु जो व्यक्ति एक ही दिन निर्देशक बने हो, उनमें वे सेवा निवृत्त होगें जो किसी समझौते के चूककर्ता हो, और यह उनके बीच भाग्य पत्रक द्वारा निशिचत किया जाएगा।

२१.३. बोर्ड पर सदस्य निदेशकनामंकित करने का अधिकार सदस्य एक्सचेंज को निम्न शर्तो के अनुसार क्रमानुसार आधार पर मिलेगा:

२१.३.१. कंपनी कें बोर्ड पर सदस्य निर्देशकों की संख्या कंपनी के सदस्यों की संख्या से कम हो सकती है, सदस्य एक्सचेजं द्वारा सदस्य निदेशक नियुक्त करने का अधिकार सख्ती के साथ प्राथमिकता के आधार पर होगा जो सदस्य एक्सचेंज के कंपनी में स्वीकृत किए जाने की तारीख कें आधार पर होगा।

२१.३.२ यदि एक से अधिक सदस्य एक्सचेंज एक ही दिन कंपनी पर सद॰ि के रूप में नियुक्त हुआ हो, तब उनके प्रवेश का क्रम प्रवेश कें समय ही आपसी सलाह से निशचित किया जाएगा, ऐसा न हो सकने पर यह भाग्य पत्रक द्वारा तय किया जाएगा।

२१.४. सदस्य एक्सचेंज के स्थगन या निष्कासन की स्थिति में कंपनी के बोर्ड में होनेवाली आकस्मिक खाली जगह पर, इस तरह क़ा खाली स्थान बोर्ड द्वारा उस सदस्य एक्सचेंज से भरा जाएगा जिसका बोर्ड पर कोई नामंकित नही हैं और इस प्राकर की नियुक्ति हुई है उसका पद रहता, यदि वह खाली नहीं किया जाए हालोंकि इस प्रकार की नियुक्ति से सदस्य एक्सचेंज का सामान्य प्रकार से बोर्ड पर नामांकित नियुक्त करने का अधिकार प्रभावित नहीं होगा।

२१.५० संदस्य एक्सचेंज का किसी प्रकार का स्थगन या निष्कासन सामान्य प्रकार से सदस्य निर्देशक नियुक्ति करने की प्राथमिकता को प्रभावित नहीं करेगा, बशर्ते इस बीच वह कंपनी के सदस्य के रूप में पुन : प्रविष्ठ किया जा चुका हो।

२१.६० कंपनी की हर वार्षिक सामान्य बैठक में अकेले एक ही प्रस्ताव से दो या अणिक व्यक्तियों की कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्ति का निर्णया तब तक नहीं किया जाऐंगा जब त क इस प्रकार के प्रस्ताव को बिना किसी एक भी विरूद्ध वो?ट की बैठक में स्वीकार कर लिया गया है।

२१.१७ इस अनुच्छे के अनुच्छेद २१.६० के खंडन में रखा गया प्रस्ताव आामन्य गिप्रा, चाहे आपत्ति इस प्रकार के प्रस्ताव के समय हो या नहीं,किन्तु यदि इस प्रकार रखा गया प्रस्ताव पारित हो जाता है तो दूसरी नियुथ्म के तिलए चुककर्ता सेवा निपवृत्त होनेवाले निदेशकों की स्वत:́ पुननियुक्ति का कोई प्रस्ताव नहीं होगा।

२१.८० इस अनुच्छेद के उद्येश्य के लिए व्यक्ति की नियुक्ति का प्रस्ताव चलाना उसकी नियुक्ति का प्रस्ताव माना जाएगा।

२१.९. कंपनी एक सामान्य प्रस्ताव द्वारा किसी दिदेशक के जो सार्वजनिक प्रतिनिधी न हो या केन्द्र सरकार द्वारा उसकी नियुथ्कत न हो और अथवा कानून की धारा ४०८ के तहत सरकार द्वारा नियुक्त निदेशक न हो उसके कार्यकाल से पहले ही निकाल सकती है

२१.१० किसी निदेर्शक को अनुच्छेद २९.९ के तहत निकालने व इस प्रकार हटाए गए निर्देशक के स्थान पर जिस बैठक मे वह हटाया गया है - उसके स्थान पर निर्देशक नियुक्त करने के लिए विशेष अधिसूचना आवश्यक है।

२१.११ अनुच्छेद २१.१० के तहत किसी निदेशक को निकालने के , प्रस्ताव की अधिसुचना मिलने पर कंपनी के उसकी प्रति निर्देश्क तथा संबंधित संदस्य एक्सचेंज को भेजीबी और कथित निदेश्क को बैठक में प्रस्ताव पर सुनवाई का अधिकार होगा।

२१.१२. जहां निर्देशक को अनुच्छेद २१.११ के तहत हटाने को प्रस्ताव दिया गया है और संबंधित निर्देशक उसके बाद कंपनी को सादर प्रतितिधित्व भेजता हैं (जो उचित लंबाई से अधिक न हो) और कंपनी के सदस्यों को उसकी अधिसुचना की प्रार्थना करता है, कंपनी यदि प्रतिनिधत्व बहुत देर से न पहुंचे तो:

२१.१२.१. कंपनी के सदस्यों को दिए गए किसी भी प्रतिनि?धतित्व में इस प्रकार किए गए प्रस्तावों का तथा बताया गया हो, और-

२१.१२.२ जिन सदस्यों को बैठक की अधिसूचना भेजी गईं की उनमें से हरेक को प्रतिनिधीत्व की प्रति भेजना (कंपनी द्वारा प्रतिनिधित्व की प्राप्ती के पहलें या बाद में) और यदि उपरोक्त के अनुसार प्रतिनिधीत्व की प्रति नहीं भेजी जाती है क्योंकि वह बहुत विलंब से मिली या कंपनी की चूक के कारण, तो कथित निर्देश्क (मौखिक रूप से सुने जाने के अपने अधिकार को हानि पहुचांए बिना) को उस प्रतिनिधीत्व को बैठक में पढना होगा और प्रतिनिधीत्व की प्रतियां बाहर भेजने की आवश्यकता नहीं है। और प्रतिनिधीत्व की बैठक में बढने की जरूरत नहीं हैं, यदि कंपनी या कोई व्यक्ति जो हानी होने का दावा करता है द्वा रा आवेदन प्राप्त होने पर न्यायालय को इस बार की संतुन्ष्ठि है कि इस धारा द्वारा प्रदन्त अधिकारों का मानहानि कारक विषय के अनावश्यक प्रचार के लिए दुरूप्रयोग किया गया है।

२१.१३ सामान्य बैठक या बोर्ड द्वारा नियुक्त निर्दे शक को इस अनुच्छेद के तहत हटाए जाने से खाली हुए स्थान की पूति उसी

बैठक में जिसमें उसे हटाया गया, दूसरे निर्देशक की नियुक्ति द्वारा की जा सकती है बशर्ते अनुच्छे २१.१० के तहत उस नियुक्ति की विशेष अधिसूचना दे ही गई हो। इस प्रकार की नियुक्त निर्देशक तब तक पद पर रहेगा जब तक उसका पूर्ववर्त्ती हटाए न जाने की स्थिति में पद पर रहता ।

२१.१४. यदि अनुच्छेद २१.३० कें तहत खाली स्थान भरा नहीं गया है, तो इन प्रस्तावों के तहत उसे आकस्मिक खाली स्थान के रूप में भर दिया जाएगा।,

२१.१५ कंपनी जो पात्र है उन सदस्य एक्सचेजों को कंपनी के बोर्ड पर निर्देशके के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए उनके नामंकितों को प्रस्तावति करने के अधिकार के बारे में सूचना भेज दी जाऐगी।

२१.१६ इस प्रकार की सूचना द्वारा सदस्य एक्सचेजो को अगली वार्षिक सामान्य बैठक कं ९० दिन पहले तक पहुँचा दी जानी चाहिए।

२१.१७ सदस्य एक्सचेंज इस संबंध में कंपनी से प्राप्त सूचना के २१ दिनों के अंदर अपने नामंकितों के नाम की लिखित सूचना भेज देगी।

२१.१८ इस अनुच्छेद के तहत लिखित में या अधिसुचना तभी दी हुई समझी जाएगी यदि इस प्रकार के सदस्य एक्सचेंज के निर्देशक द्वारा हस्ताक्षिरत हो और इस प्रकार के सदस्य एक्सचेंज के बोर्ड द्वारा पारित प्रस्तवा की प्रमाणित प्रति उसके साथ जुड़ी हुई है।

२१.१९. यदि सदस्य एक्सचेंज बोर्ड पर नियुक्ति के लिए अपने पर्स्तावित नामांकित का नाम बोर्ड को भेजने में असफल रहता है तो बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सदस्य एक्सचेंजक के अले सुपात्र अधिकारी में से किसी एक को नामांकित करने का अधिकार होगी।

बोर्ड की कार्यवाही

२२.१० निर्देशक व्यवसाय निपटाने, जिस तरह वह ठीक समझे उस तरह अपनी बैठकों,व प्रकियाओं को स्थगित करने और अन्यथा नियन्त्रित करने के लिए मिल सकते हैं, बशर्ते बोर्ड की बैठक हर तीन महीने में एक बार हो और हर वर्ष में कम से कम इस प्रकार की तीन बैठक हों।

२२.२. बोर्ड की सभी बैठकों की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी किन्तु यदि निदेशकों की किसी बैठक व में बैठक किये जाने के निर्धारित समय पर अध्यक्ष मौजूद न हों, निर्देशक उस समय मौजूद निर्देशकों में से किसी एक को बैठक की अध्यक्षता के लिए चुनेंगें।

२२.३. अध्यक्ष कभी भी व प्रबंध निर्देशक या निर्देशकों द्वारा अधिकृत कंपनी का कोई अन्य अधिकारी निर्देशकों की बैठक आयोजित करेगा।

२२.४. किसी भी बैठक में उठनेवाले प्रश्नों पर बहुमत से निर्णय लिया जाएगा तथा वोटो की समानता की स्थिति में बैठक का अध यक्ष इन प्रस्तावों के आधार पर नियुक्त अध्यक्ष हो या इस तरह की बैठक की अध्यक्षता करनेवाला निर्देशक हो समर्थन देने वाला निर्णायक मत देगा।

२२.५. निर्देशक बोर्ड के बैठकों का कोरम इसकी कुल शक्ति का एक तिहाई इस एक तिहाई में आनेवाला कोंाीा अंश एक में पूरा किया जाएगा या तीन निदेशकों मे से जो भी अधिक हो होगा , बशर्ते किसी बैठक में सूची में रहेने वाले निर्देशोकेकी संख्या कुल ताकत की दो तिहाई या उससे अधिक हो , तो बैठक में मौजूद अनिच्छुक निर्देशक तीन से कम न हो, उस समय कोरम होगा, इसेके साथ ही उक्त प्रावधान उस समय लागू नही होगा जब कंपनी की ओर से किसी निदेशक, सिकी एसी फर्म से जिस पर इस पेकार की निदेशक या प्रमुख सदस्य है किसी अन्य कंपनी के शेयरों व डिबेंचरों की खरीद बेच या कंपनी द्वारा श्रण पर कोई अनुबंध या समझौता किया जाए।

१. कुल ताकत का अर्थ है कंपनी के निदेशकों की कुल ताकत जो कानून के अनुसार निशिचत निर्देशके की संख्या होने की स्थिति में खाली स्थान घटा कर हो।

२. ''संबंध निर्देशक'' का अर्थ है कोई भी निर्देशक जिसकी मौजूदी के धारा १०० या बोर्ड के बताए किसी अन्य कारण से बोर्ड की बैठक में किसी विषय पर चर्चा या मतदान के समय का कारण नही हो सकती।

२२.६. यदि कोरम के अभाव में बोर्ड की बैठक नही हो सकती, तो उपस्थित निर्देशकें अन्यथा निर्णय लिए जाने को छोड़कर बैठक दूसरे समान दिन समय व स्थान के सीगित कर दी जाएगी या यदि वह दिन सार्वजनिक छुट्टी का दिन है तो दूसरे दिन तो सार्वजनिक छुट्टी का दिन नही है को समान समय व सीम दे स्थगित कर दी जाएगी।

२२.७. कंपनी का हर निर्देशक जो प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार से अनुबंध व्यवस्था या प्रस्तावित अनुबंध या व्यवस्था से

जुड़ा या संबंध है, कंपनी द्वारा या उसकी और से प्रवेश कर चुका है। या करनेवाला है को निर्देशक बोर्ड की बैठक में संबा या जुडें होने की प्रकृमि का खुलासा करना होगा।

२२.७.१. प्रस्तावित अनुबंध के या व्यवस्था के मामलें में अनुच्छेद २२.६ के तहत किया जाने वाला स्पष्टीकरण बोर्ड की उस बैठक में किया जाऐगा जिसमें अनुबंध या व्यवस्था में प्रवेश करने का पहली बार प्रश्न विचारार्थ उठाया गया था या निर्देश्क उस बैटक की तारीख को प्रस्तावित अंनुबंध या व्यवस्था से उतने संबंध और जुडें नहीं थे जितने उनके इस प्रकार से संबघ या जुडने की तारीख के बाद।

२२.७.२. अन्य किसी अनुबंध या व्यवस्था के मामले में निर्देशक के अनुबंध या व्यवस्था से संबध या जुडें होने के बाद हुई बोर्ड की पहली बैठक में आवश्यक स्पष्टीकरण करना होगा।

२२.७.३ अनुच्छेद २२.७, २२.७.१ और २२.७.२ के लिए निर्देश्क बोर्ड को दिया गया सामान्य नोटिस कि वह विशिष्ट कॉपोरेंट निकाय का निर्देशक है या सदस्य या विशिष्ट फर्म का साझीदार सदस्य है और किसी अनुबंध या व्यवस्था में वह संबंध या जुडा हुआ समझा या फर्म में प्रवेश करे, को इस प्रकार हुए अनुबंध या व्यवस्था से संबध या रूचि का पर्याप्त स्पष्टीकरण समझा जाएगा।

२२.७.४ इस प्रकार की कोई सामान्य अधिसूचना या उसके बाद नवीनकरण तब तक प्रभावी नहीं होगा जबतक वह बोर्ड की बैठक में न दिया जाए या संबधिंत निर्देशक इस बात की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उटाए कि दिए जाने के बाद बोर्ड की पहली बैठक में इसे लिया व पढा जाए।

२२.८. २२.७ से २२..७.४ के अनुच्छेंदों में से कुछ भी किसी कंपनी कें निदेशक को कंपनी के किसी अनुबंध या व्यवस्था में किसी प्रकार का संबध या रूचि लेने के लिए कानून के किसी नियम के संचालन के विपरीत नहीं ले सकता ।

२२.९. अनुच्छेद २२.७ से २२.७.४ तक में कुछ भी कंपनी या किसी अन्य कंपनी के बीच जहां कंपनी का कोई भी निर्देशक या उनमें से दों एक साथ दूसरी कंपनी में एक साथ दो प्रतिशत से अधिक शेयर रखत या न रखते हो, हुए किसी प्रविष्ट या प्रविष्ट होनेवाले अनुबंध या व्यवस्था पर लागू नहीं होगा।

२२.१० २२.७ से २२.९ अनुच्छेदों के प्रावधान आवश्यक परिवर्तन के साथ कार्यकारी समिति के सदस्य पर लागू होगें जो कार्यकारी समिति की बैठक में अपनी रूचि का स्पष्टीकरण करेगा।

२२.११ कंपनी का कोई भी निर्देशक कंपनी या उसकी और से निर्देशक के रूप में किसी प्रविष्ठ या प्रविष्ट होनेवाल अनुबंध या व्यवस्था पर किसी चर्चा या मतदान में कोई हिस्सा नहीं लेगा, यदि वह किसी भी प्रकार से अनुबंध या व्यवस्था में रूची रखता है या जुडा है, ना ही इस प्रकार की किसी चर्चा या मतदान के लिए उसकी मौजूदगी कोरम बनाने के लिए गिनती में ली जाएग, और यदि वह मत देता है तो वह रदद माना जाएगा।

२२.१२ अनुच्छेद २२.११ निम्न पर लागू होंगे,

२२.१२.१ कंपनी के लिए शोभनीय या जमानतदार बनने के कारण निदेशको या उनमें से एक को होनेवाली हानि के विरूद्ध क्षतिपूर्ति के किसी अनुबंध के लिए,

२२.१२.२. सार्वजनिक कंपनी या मिजी कंपनी जो सार्वजनिक कंपनी की सहायक कंपनी है से हुए किसी अनुबंध या व्यवस्था जिसमें केवल उक्त निर्देशक का हित हो।

२२.१२.२.९ उसके इस प्रकार की कंपनी के निर्देशक तथा उसमें उतने शेयर या मूल्य का धारक होना जो कंपनी द्वारा उसके निर्देशक बनने की आवश्यक शर्त हो, या

१२.१२.२.२ इस प्रकार की अम्य कंपनी में सदस्य के रूप में दो प्रतिशत से अधिक धारिता न रखता हो।

२२.१३. निदेशक कंपनी द्वारा प्रवर्तित किसी कंपनी में निर्दशक बन सकता है, या जिसमें कंपनी विक्रेता सदस्य या अन्यथा के रूप में रूचि रखती हो, बशर्तें यह कानून के प्रावधानों के अनुसार हो जिसके तहत इस प्रकार का कोई निदेशक इस प्रकार की कंपनी से दिशकं या सदस्य के यप में किसी प्रकार के लाभ के लिए जिम्मेवार नहीं होगा।

२२.१४ बोर्ड कानून के प्रावधानों के अनुसार उनके निकाय के सदस्य या सदस्यों या व्यक्ति या व्यक्तियों वाली समिति जिन्में वह ठीक समझे अपने कोई भी अधिकार सौंप सकता है और वे समय समय पर इस प्रकार के प्रतिनिधित्व को रदद कर भी सकता है । इस प्रकार गठित कोई भी समिति इस प्रकार प्राप्त अधिकारों को बोर्ड द्वारा समय समय पर लगाए गए नियमों व अधिनियमों के अनुरूप उपयोग करेगी।

२२.१५ इस प्रकार की किसी समिति की प्रक्रियाएं व बैठक निदेशकों की बैठकों व प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के उद्देश्य से बने, अधिनियमों के प्रावधानों से प्रशासित होगी, बशर्तें वह उस पर लागू हो और पहले अनुच्छेद के तहत बोर्ड द्वारा बने

नियमों व अधिनियमों का स्थान न लें।

२२.१६ बोर्ड या उसकी समिति/ या निर्देशक के रूप में काम करनेवाले किसी व्यक्ति द्वारा किसी बैठक में हुए सभी कामों, जिसका बाद में पता चले कि उनमें से एक अधिक इस प्रकार के निर्देशकों या उक्त के रूप में काम करनेवाले किसी व्यक्ति व किसी श्रुटि या अयोग्यता के कारण इन अनुच्छेदों के कानूनू के किसी प्रावधान के अनुसार उसकी नियुक्ति रदद कर दी गई हो, बाद इस अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो कंपनी को उसकी निर्देशक के रूप में हुई नियुक्ति/रदद या समाप्त दिखाए जाने के बाद वैधता दिलानेवाली समझी जा सके।

२२.१७ निर्देशक के रूप में व्यक्ति द्वारा किए गए काम वैध माने जाऐंगे भले ही बाद में यह पता चले कि उसकी नियुक्ति किसी श्रुटि या आयेाग्यता के कारण अवैध थी या इस कानून या अनुच्छेद के किसी प्रावधान के द्वारा समाप्त कर दी गई हो किन्तु कंपनी को निद्रेशक की नियुक्ति रदद या समाप्त हुइ दिखाए जाने के बाद इस अनुचछेद में कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके कामों के वाद करार कर सकें

२२.१८ कोई भी प्रस्ताव बोर्ड या उसकी समिति द्वारा यथावत पारित नही समझा जायेगा यदि प्रस्तावा को आवश्यक कागजों के साथ प्रारूप के रूप में सभी निर्देशक या उस समय के भारत स्थित सभी सदस्यों(बोर्ड या समिति जैसा भी प्रसंग हो कि बैठक के लिये निश्चित कोरम से कम न हो) तथा सभी निर्देशकों या सदस्यों को उसके भारत में स्थित पते पर प्रसारित न किया गया हो और भारत में उस समय स्थित निदेशकों या उनमें से अधिकांश जो प्रस्ताव पर मत देने के लिये अधिकृत है द्वारा स्वीकृत न कर लिया गया हो।

बोर्ड व समितियों की प्रक्रियाओं का विवरण

२३.१. कंपनी निदेशक बोर्ड तथा बोर्ड की सभी समितियों की बैठको का विवरण तैयार करेगी जो इस उद्देश्य के लिये निर्धारित किताब या किताबों में यथावत प्रविष्ट किया जायेगा।

२३.२०. बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की किसी बैठक का कोई विवरण यदि उसका उदेश्य उस बैठक के अध्यक्ष या उसके बाद आने वाली बैठक के अध्यक्ष के तारीख डलवाना या हस्ताक्षर कराना हो, जो कानून की धारा १९३ के प्रावधानों के अनुसार हो, हर उदेश्य के लिए चाहे वह जो भी हो, वास्तविक प्रस्ताव पारित किये जाने तथा वास्तविक नियमित सौदों या इस रिकॉर्ड की हुई प्रक्रियाओं की घटनाओं तथा बैठक की नियमितता जिस पर उसका घटित होने लगता हो, का सभी चीजों के लिये प्रमाण होगा।

२३.३ विवरर्ण में निम्न का समावेश होगा,

अे) बैठक की प्रकियाओं का उचित व ठीक सारांश,

बी)निर्देशक बोर्ड या बोर्ड की किसी समिति की बैठक में उपस्थित निदेशकों के नाम,

सी) बोर्ड तथा बोर्ड की समिति के द्वारा दिए गए सभी आदेशों तथा अफसरों व निदेशकों की समिति की सभी नियुक्तियां

डी)बोर्ड व बोर्ड की समितियों की बैठकों के सभी प्रस्ताव व प्रक्रियाऐं और-

ई) बोर्ड या बोर्ड की समिति की बैठक में पारित हर प्रस्ताव की संबध में प्रस्ताव के विरोध में या उसमें सहयोग न देन वाले निदेशकों के नाम

२३.४. बोर्ड या कार्य समिति की हर बैठक की विवरण की प्रति बोर्ड या कार्यकारी समिति, जो भी हो, से सुनिश्चित कराए जाने के बाद हर सदस्यको भेज दी जाऐगी।

बोर्ड के अधिकार

२४.१. निर्देशक कानून की धारा २९४, २९७, २९९, ३०१, ३०५,३०७ व ३०८ जहां तक लागू होती हो को पूरा करेंगे।

२४.२ कानून व प्रस्तुतियों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के व्यवसाय व मामलें बोर्ड द्वारा प्रबंधित किए जाऐंगे जो उन सभी अधिकारों का उपयोग करेंगे और वे सब चीजों पर काम करेंगे जो कंपनी के समझौता ज्ञापन पत्र या अन्यथा के अनुसार करने के लिए अधिकृत है ओ वे आम बैठक में कंपनी द्वारा पूरा करने व उपयोग करने के लिए इन प्रस्तुतियों व अध्यादेश द्वारा निर्देशित व अपेक्षित नहीं है, किन्तु फिर भी कानून व समझौता ज्ञापन पत्र तथा इन प्रस्तुतियों के प्रावधानों के अनुसार हो और कंपनी द्वारा समय समय पर सामान्य बैठक मे दिए गए ज्ञापनपत्र के नियमों से परस्पर विरोधी न हो, बशर्ते इस तरह का कोई अधिनियम निर्देश के उस के उस किसी काम को अमान्य नही करेगा जिसे जो अधिनियम न बनने की स्थिति

में वैध था।

२४.३. बोर्ड आम बैठक में कंपनी की राय के अलावा,

२४.३.१. कंपनी के उपक्रम का पूरा या काफी या जहां कंपनी के पास एक से अधिक उपक्रम है, तो इस प्रकार के किसी उपक्रम का पूरी तरह या काफी हद तक विक्रय, लीज या निपटारा नही कर सकता।

२४.३.२ निदेशक द्वारा देय श्रण की माफी या पुनभुगतान के लिए समय नही दे सकता ।

२४.३.३ अनुच्छेद २४.३.१. में उल्लिखित किसी ऐसे उपक्रम के अनिवार्य अधिगेहण या इस प्रकार के उपक्रम के लिए काम में आने वाला कोई समुकल या संपति के अनिवार्य अधिग्रहण से प्राप्त क्षतिपूर्ति जिसके बिना मान नही चल सकता था या मुशिकल से या काफी समय बाद ही यह काम चल सकता है। ट्रस्ट सिक्युरिटीज के अलावा निवेश।

२४.३.४ पैसा उधार लेना जहां कंपनी द्वारा पहले आधार लिए गए पैसे के साथ पैसा उधार लेना है (व्यवसाय की समान प्रक्रिया में कंपनी के बैंकरों द्वारा प्राप्त अस्थायी श्रणों को छोडकर) कंपनी की प्रदत पुंजी व फ्री रिजर्व जिसे खास उदेश्य से अलग नही रखा गया है कि औसत से अधिक हो।।

२४.३.५ दानशील व अन्य जैसे फंडों में कुछ भी योगदान जो कंपनी के व्यवसाय वा कर्मचारियों के कल्याण से प्रत्यक्ष नहीं हुई है। जिसका एक वित्त वर्ष में औसत ५०,००० रूपये या ठीक पहले के तीन वित्त वर्षो के दौरान कानून की धारा ३४९ व ३५० के प्रावधानों के अनुरूप निशिचत शुद्ध लाभ के औसत का पांच प्रतिशत से अधिक में से जो भी ज्यादा हो।

२४.४ बोर्ड एस सी (आर) कानून, सेबी कानून के प्रावधानों और उसके तहत गठित नियमों, व अधिनियमों व मार्गदर्शिका तथा कंपनी द्वारा दी गई सेवाओं व सुविधाओं के लिए सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों व अन्य हिस्सेदारों के लिए आचारा संहिता, नियमों उपनियमें, अधिनियमों का गठन, संशोधन व परिवर्तन करेगा। बशर्ते बोर्ड द्वारा बुलाई गई बैठक में ३/४ बहुमत से पास किया गया हो,

२४.५ बोर्ड के पास कंपनी के सदस्यों, ट्रेडरों व अन्य भागीदारों की सुविधाओं को व्यवस्थित बनाए रखने का अधिकार होगा जो एस सी (आर) कानून, सेवी कानून और उसके तहत समय समय पर जारी किये गये नियमों, अधिनियमों व गठित मार्गदर्शिका तथा निर्देशों के प्रावधानेांक के अनुरूप हों

२४.६. इन प्रस्तुतियों व एम सी (आर) कानून, सेबी कानून और उनके तहत समय समय पर जारी किये गये नियमों अधिनियमों मार्गदर्शिका व निर्देशों के प्रावधानों के तहत व ऑथीरिटी को समय समय पर बोर्ड नियमों व उपनियमों अधिनियमों के निर्माण व संशोधन का एवं खत्म करने का अधिकार होगा होगा जो कंपनी के व्यवसाय के संचालन सदस्यों,ट्रेडरों डीलरों व अन्य भागीदारों व्यवसाय व सौदों से संबंधित सभी मामलों तथा इस प्रकार के सभी सौदों के नियंतित्र व नियमन तथा कंपनी के उदेश्य पूर्ति के लिए आवश्यक काम व चीजे करने के आवश्यक है किन्तु नियम व उपनियम बनाने या संशोधन करने के लिए या खत्म करने के लिये बोर्ड आफ डायरेक्टरों की बैठक में डाले गए मतो का कम से कम दो तिहाई पक्ष में होने पर विशेष प्रस्त पारित किया जायेगा। और कोई नियम अधिनियम बनाने के लिए पक्ष में दिये गये अधिकांश वोटो से स्वीकृति प्रस्ताव की जरूरत है।

२४.७ पूर्वोक्त की समान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना तथा इस अनुच्छेद प्रावधानों के अनुसार बोर्ड के पास अन्य के साथ किसी भी नियम विषय के लिए नियम उपनियम व अधिनियम बनाने का अधिकार होगा।

२४.७.१ कपंनी की सदस्यता में प्रवेश

२४.७.२ कंपनी के ट्रेडरों का पंजीकरण

२४.७.३ कंपनी के डीलरों का पंजीकरण

२४.७.४ कंपनी के भागीदारों का पंजीकरण

२४.७.५ कंपनी के व्यवसाय का संचालन

२४.७.६ ट्रेडरों, डीलरों व हिस्सेदारों का निष्कासन व स्थगन

२४.७.७ सदस्यो का निष्कासन व स्थगन

२४.७.८ कंपनी के सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों व अन्य हिस्सेदारों का कंपनी के व्यवसाय के संबंध में आचरण, इसमें सभी तरह की प्रतिभूतियों की सभी सौदों से जुड़े सभी मामले तथा कंपनी के नियमों उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार किये गये सभी अनुबंध शामिल है।

२४.७.९ प्रवेश के लिए जाने वाले अनुबंधों के लिए फार्म व शर्तें तथा ट्रेडरों व डीलरों व डीलरों के दूसे ट्रेडरों व डीलरों तथा ट्रेडरों व डीलरो का अपने ग्राहकों के साथ हुए अनुबंधों को पूरा करने के समय प्रकार व पद्धति।

२४.७.९.१ प्रवेश के लिए शर्तें, शुल्क या सब्सक्रिप्शन या सदस्यता जारी करना तथा कंपनी में ट्रेडरों व डीलरों के रूप में रजिस्ट्रेशन जारी रखने तथा रजिस्ट्रेशन की शर्तें व फीस

२४७९.२ कंपनी के हिस्सेदारों का रजिस्ट्रेशन जारी रखने तथा रजिस्ट्रेशन के लिये शर्ते व फीस आदि

२४७१० कंपनी के माध्यम से व्यवसाय करने के लिये संमय, स्थान व तरीका।

२४७११ नियमो,, उपनियमों व अधिनियामें या कंपनी के सामान्य अनुशासन, जिसमें सदस्यों, ट्रेडरों , डीलरों व हिस्सेदारों का निष्कासन व स्थगन शमिल हैं, के उल्लघंन व आज्ञा उल्लंघन करने के लिए दंड।

२४.७१२ किसी सदस्य, टेडर, डीलर या भागीदार का चूककर्ता, घोषित किया जाना या स्थगन या उसे कंपनी के अधिकारों व विशेषाधि कारियों से स्थगित करना, हटाना या निकालना

२४७.१३ ट्रेडरों व डीलरों द्वारा लिये जाने वाले कमीशन व दलाली का अनुपात

२४७.१४ कंपनी द्वारा होने वाले सोदों पर समय समय पर निर्धारित किये जाने वाले सदस्यों ट्रेडरों व डीलरों द्वारा देय प्रभार,

२४.७.१५ सदस्यों, ट्रेडरों डीलरो व अन्य हिस्सेदारों की वित्तीय स्थिति, व्यवसास पद्धति व सोदों की जांच पड़ताल,

२४.७.१६ सदस्यों के आपसी, डीलरों के आपसी, ट्रेडरों के आपसी, ट्रेडरों व डीलरों के बीच तथा ट्रेडरों, डीलरों व अनेक ग्राहकों के बीच अनेक कंपनी के नियमों उपनियमों व अधिनियमों व प्रथा के अनुसार सिक्युरिटीस में हुए किसी सौदे के संबध में हुए विवादों, शिकायतो, व दावों के निपटान जिसमें कंपनी के नियमों, उपनियमों अधिनियमों व प्रथा के अनुसार मध्यस्थता द्वारा निपटारा भी शामिल है।

२४७.१७ क्लेरियहगाउस, कलीयरिंग बैंकों या क्लीयरिंग की अन्य व्यवस्था की स्थापना व कार्यप्रणाली,

२४.७.१८ कंपनी के किसी उदेश्य के लिये समिति या समितियों की नियुक्ति

२४.७.१९ कंपनीं द्वारा स्थापना गारंटी फंड की शुरूआत,

२४.७.२० कंपनी द्वारा इन्वैस्टर प्रोटैक्शन फंड की स्थापना,

२४.७.२१ कंपनी द्वारा इन्वैस्टर कन्फॉमेशन फंड की स्थापना।

२४.८ बोर्ड कार्यकारी समितियों, समितियों या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को कंपनी के सभी या कुछ मामलों को संभालने के लिए अपने सभी या कुछ अधिकार दे सकता है।

२४.९ बोर्ड या कंपनी संदस्य, ट्रेडर, डीलर या भागीदार के कुछ या सभी अधिकारों को समाप्त या खींच सकते हैं या किसी सदस्य ट्रेडर, या भागीदार पर जुर्माना लगा सकते है।, उसे डांट सकते हैं या निन्दा प्रस्ताव रख सकते है। यदि बोर्ड या कंपनी कों ऐसा लगता है कि वह कंपनी या समिति, प्रबंधक निर्देशक व कंपनी की और से अधिकृत अधिकारी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों किसी प्रस्ताव आदेश सूचना , निर्देश व निर्णय व व्यवस्था के खडन अनुपालन न किये जाने अनुशासन भंगता, आदर न देने में अपराधी पाया गया है । या कंपनी द्वारा सदस्य, डीलर ट्रेडर या भागीदार के किसी व्यवसाय प्रकिया या व्यवसाय के तरीकों को अपकीर्तिकर, लज्जानक, अशोभनीय, समझे जाने पर या व्यापार के उचित व न्यायसेंगत सिद्धांतों के अननुरूप हो या कंपनी के हितो व अच्छे नाम के लिए हानिकारक हो या इसके उदेश्य व सिद्धांतो के प्रतिकुल व विनाशक हो।

२४.१० सदस्य, ट्रेडर, डीलर या भागीदार को निकालने या स्थगित करने के संबध में बोर्ड या कंपनी का कोई प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जाएगा या उस पर मतदान नहीं होगा जब तक सदस्य ट्रेडर, डीलर, या भागीदार को उसके विरूद्ध आरोपों के स्पष्टीकरण करने का मौका दिया जा चुका हो । ऐसा सदस्य ट्रेडर डीलर या भागीदार इस तरह की बैठक में पेश हो सकता है । या प्रतिनिधी भेज सकता है या बैठक के अध्यक्ष के नाम अपना मामला लिखित में भेज सकता है जो उसे बैठक मे समक्ष रखेगा।

कार्यकारी समिति

२५.१. आई सी एम एस की पूर्णत: या आंशिक व्यवस्था के लिये बोर्ड एक या अधिक कार्यकारी समिति (समितियों) व गठित का उन्हें अधिकृत कर सकता है।

कार्यकारी समिति (समितियों) के गठन व कार्यप्रणाली के बारे मे बोर्ड इस प्रकार के नियम बना सकता है जो वह ठीक समझता हो।

२५.२ कंपनी के बोर्ड द्वारा गठित कार्यकारी समिति में निम्न का समावेश होगा।

१. कंपनी का प्रबंध निर्देशक

२. कंपनी का पूणकालिक निर्देशक

३. सेबी द्वारा नामांकित एक से अधिक व्यक्ति नहीं

४. तकनीक, कानून, वित या अन्य किसी व्यस्था के क्षेत्र से अधिकतम पांच व्यक्तियों जो सार्वजनिक प्रतिनिधी समझे जाएंगे जैसा कि कंपनी उन्हें नामंकित करें।

५. भागीदार स्टॉक ढक्सचेजों के ट्रेडरों, डीलरों, व कार्यकारी निदेशकों में से अधिकतम चार जो भी बोर्ड द्वारा इस संबद्ध में निर्धारित नियमों के अनुसार हो। हर कार्यकारी निर्देशक की अधिकतम ताकत बारह होगी।

२५.३ कंपनी का अध्यक्ष कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

२५.४ कंपनी के कामों को संपन्न कराने के संबंध में बोर्ड समय समय पर निर्देश दे सकता है और इस प्रकार के निर्देश कार्यकारी समिति का दायित्व होगें, यदि किसी समय बोर्ड इस बात से संतुष्ट होता है कि सार्वजनिक हित के लिए मौजूदा हालत यह आवश्यक कर देते हैं तो वह अधिकारी समिति को स्थान ले सकता है। और या उसे विघठित कर नई कार्यकारी समिति उन शर्तो व अधिकारों के साथ नियुक्त व घठित कर सकता है। जो वह ठीक समझे।

२५.५ कार्यकारी समिति बोर्ड की शर्तो और प्रतिनिधित्व के अनुसार तथा उस प्रतिनिधित्व की सीमा के अनुसार उस प्रकार से ही सब काम करेगी व अधिकराके का उपयोग करेगी जैसा कि बोर्ड करता।

अन्य समितियों व नाम सूची

२६.१ कार्यकारी समिति के साथ साथ बोर्ड को एस सी (आर) कानून, सेबी, कानून मध्यस्थता व समाधान कानून १९९६, तथा उनके तहत समय समय पर बने व जारी किए गए नियमों, अधिनियमों, व मार्गदर्शीका के अनुसार मध्यस्थता सूची, डिसिपलनरी एक्शन कमेठी व डिफाल्ट कमेटी गठित करने का अधिकार है । यह सब समितियों सेबी द्वारा उल्लेखित प्रकार व तरीके तथा इन प्रस्तुतियों के अनुसार गठित की जाएगीं और कंपनी के साझेदारी अनुच्छेदों, निदेशक बोर्ड द्वारा तदर्थ समय समय पर गठित नियमों, उपनियामें, अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अधिकार व काम सम्पन्न करेगीं। प्रबंध निर्देशक व पूर्णकालिक निर्देशक कंपनी के बोर्ड द्वारा गठित समितियों के पदेन सदस्य रहेगें।

२६.२ बोर्ड कंपनी के कामकाज के लिए अन्य समिति या समितियां गठित कर सकता है।

मध्यस्थता पैनल व समितियों

२७.१ कंपनी मुंबई / नवीं मुबंई में मध्यस्थों का पैनल गठित करेगी जो सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन पैनल कहलाएगा, इसमें १० (दस) पैनल सदस्य होगें, जिसमें से ४०/ (चालीस प्रतिशत) कंपनी के डीलरों व ट्रेडरो के लिए जाऐगें ६० प्रतिशत कानून, न्याय, वित्त या एकाउन्टैन्सी क्षेत्र के जाने माने व्यक्ति होगें और जो किसी स्टॉक एक्सचैंज के सदस्य ब्रोकर नहीं होंगे।

२७.१.१ साथ ही कंपनी का बोर्ड समय समय पर सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन पैनल पर मध्यस्थों की संख्या बढा सकता है जो मध्यसथ्ता के लिए प्रस्तुत मामलों की संख्या के अनुसार होगा और सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन पैनल का इस प्रकार बढा हुआ आकररट्रेडरों डीलरों व अन्यों के बीच के ४०.६० के अनुपात का उल्लंधन नहीं करेगा।

२७.१ सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन बोर्ड पर सार्वजनिक प्रतिनिधियों के नामंकन के लिए कंपनी का निर्देशक बोर्ड व्यक्तियों के नामों की सूची स्वीकृति के लिए सेवी के पास भेजेगा । हालांकि सेबी के पास कंपनी द्वारा सुझाई सूची के बाहर के व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार है। इसके अलावा प्रबंध निर्देशक व पूर्णकालिक निर्देशक इस पैनल से पदेन सदस्य होंगे।

२ २. इसी प्रकार बोर्ड रीजनल आर्बिटेशन पैनल गठित करेगा जिसमें हर सदस्य एक्सचेंज पर कम से कम १० प्रतिशत होगें जिसमें ४० प्रतिशत कंपनी के ट्रेडरों व ६० प्रतिशत तकनीक व कानून न्याय, वित्त व अकाउन्टैन्सी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होगें और किसी स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होगें

२७.२.१ साथ ही कंपनी का बोर्ड का.सेबी की पूर्व स्वीकृति के बाद समय समय पर रीजनल आबिट्रेशन मध्यस्थों की संख्या बढा सकता है जो मध्यस्थता के लिये पेश मामलों की संख्या के अनुसार होगी और रीजनल आबिट्रेशन पैनल का इस प्रकार बढा आकर ट्रेडरों/डीलरों व अन्यों के बीच ४०.६० के अनुपात का उल्लंधन नहीं करेगा।

२७.२.२ रीजनल आर्बिटेशन पैनल पर सार्वजनिक प्रतिनिधियों को नामंकित करने के उदेश्य से कंपनी का निर्देशक बोर्ड सेवी के पास वार्षिक आम बैठक के ९ महीने के अंदर के नाम स्वीकृति के लिए भेजेगा। हालांकि सेबी के पास कंपनी द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को नामंकित करने का अधिकार है । अपने अपने सदस्य एक्सचेजों के कार्यकारी निर्देश्क इस पैनल से पदेन सदस्य होगें ।

२७.३. सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन पैनल का उन सभी दावो वा विवादो के संबध में अधिकार क्षेत्र होगा जो ट्रेडरों के बीच हो, जहां वादी व प्रतिवादी अलग स्टाक एक्सचेजों से है डीलरों के बीच आपस में और कंपनी के माध्यम से किये गये सौदों व अनुबंधों व लेन देन के संबध में ट्रेडरों व डीलरों के बीच हो, जो कंपनी कानून, १९९६ व कंपनी के साझेदारी अनुच्छेदों, नियमों उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार हों।

२७.४. रीजनल आर्बिट्रेशन पैनल के अधिकार क्षेत्र में वे सब दावे व शिकायत आएंगे जो समान सदस्य एक्सचेंज के वादी प्रतिवादी ट्रेडरों के बीच आपस में हो, ट्रेडरों और गैर ट्रेडरों (गैर ट्रेडर का अर्थ है ग्राहक, रैमिशियर, अधिकृत क्लर्क व संबंधित ट्रेडरों के कर्मचारी) के बीच कंपनी के माध्यम से किए गए सौदों, अनुबंधों व लेनदेन के संबंध में जो कंपनी कानून १९९६ व कंपनी के साझेदारी अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार हो।

२७.५. सैंट्रल व रीजनल, आर्बिट्रेशन पैनल का कार्यकाल एक वर्ष होगा। पैनल सदस्यों का नामांकन कंपनी के बोर्ड द्वारा किया जाएगा और वे आगामी वार्षिक सामान्य बैठक तक या वार्षिक आम बैठक के बाद जो भी देर से हो नए नामांकितों की नियुक्ति तक पद पर रहेंगे। त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा उत्पन्न कोई भी खाली जगह इसी प्रकार भरी जाएगी। सेंट्रल या अन्यथा उत्पन्न कोई भी खाली जगह इसी प्रकार भरी जाएगी। सेंट्रल व रीजनल आर्बिट्रेशन पैनल के सभी सेवानिवृत्त होने वाले सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

२७.६. मध्यस्थता प्राप्त कंपनी के साझेदारी के अनुच्छेरों, नियमों उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट १९९६ की शर्तों के आधार पर होंगे।

२७.६.१. जहां एक पार्टी के मध्यस्थ नियुक्त किया है और दूसरी पार्टी मध्यस्थ नियुक्त करने में असफल रहती या प्रथम पार्टी और नियुक्त मध्यस्थ अपनी अनुमति प्रदान करने तो प्रबंध निदेशक व उसकी अनुपस्थिति में पूर्वकालिक निदेशक चूककर्ता पार्टी के लिए मध्यस्थ अनुयक्त करेगा।

२७.७. विशिष्ट, फार्म व पद्धति के अनुसार दिए गए मध्यस्थता आवेदन पर ही विचार किया जाएगा।

२७.८. किसी खास मामले के लिए नियुक्त मध्यस्थ जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कहलाएगा, निपटारे को बढ़ावा देने के लिए पार्टियों की सहमति के मध्यस्थता प्रक्रियाओं के समय मध्यस्थता, समझौता या अन्य प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है। यदि प्रक्रियाओं के दौरान पार्टियों का विवाद निपट जाता है, तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, प्रक्रियाएं समाप्त कर विवाद के सार पर आर्बिट्रल पुरस्कार के रूप में निपटारे को रिकार्ड करेगा।

२७.९. आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट, १९९६ के अध्याय ८ के अनुच्छेद २७.१० के अनुसार अपील के प्रावधान के अनुसार इन प्रावधानों के तहत दावा करने वाली पार्टियों व व्यक्तियों के संबंध में मध्यस्थता पंच निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। यह पंच निर्णय सीविल प्रोसीडियर १९०८ को संहिता के तहत कोर्ट के आदेश के समान ही लागू होगा।

२७.१०. आर्बिटल ट्रिब्युनल के पंच निर्णय के असंतुष्ट पार्टी बोर्ड द्वारा उल्लिखित अवधि व प्रकार से निर्णय मिलने के बाद इस प्रकार से निर्णय के विरुद्ध कंपनी के बोर्ड को आवेदन कर सकता है। बोर्ड को अपील करने वाली पार्टी को आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पंच निर्णय के प्रति अपनी आपत्ति को लिखित रूप से बोर्ड को देना होगा और बोर्ड प्रबंध निदेशक के पूर्णतः या आंशिक रूप से छूट देने की स्थिति को छोड़कर कंपनी के पास पंच निर्णय में आदेशित नकद रूप से वह पूरी राशि या दी जाने वाली प्रतिमूतियां या आदेशित दी जानेवाली प्रतिमूतियों के प्रचलित बाजार मूल्य को जमा कराना होगा। जमा करनेवाली पार्अी इस बात के लिए तैयार समझी जाएगी कि इस प्रकार की जमा कंपनी द्वारा अपील के निर्णय की शर्तों के अनुसार दूसरी पार्टी को सौंप दी जाएगी। बोर्ड को की जाने वाली अपील में इस बात का प्रमाण पत्र होगा कि कंपनी के पास जमा कर दी गई है। कंपनी के बोर्ड का पंच निर्णय आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट, १९९६ के अध्याय ८ के अनुसार अंतिम व बाध्यकारी समझा जाएगा।

२७.११. आबिट्ल ट्रिब्यूनल का पंच निर्णय लिखित होगा और हस्ताक्षरित प्रतियां हर पार्टी, संबंधित सदस्य एक्सचेंज व कंपनी को दी जाएगी। इसी प्रकार कंपनी के बोर्ड को पंच निर्णय लिखित रूप से दिया जाएगा और कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित होगा।

२७.१२. पंच निर्णय का अनुपालन, पेश करने की असफलता या मनाई या ट्रेटरों/डीलरों द्वारा मध्यस्थता के किसी पंचनिर्णय को स्वीकार करने या उसके अनुसार चलने में असफलता या मना करने से वे कंपनी के बोर्ड/प्रबंध निदेशक द्वारा स्थगन या बोर्ड द्वारा चूककर्ता के रूप में घोषित किए जाने के पात्र बनेंगे और उसके बाद दूसरी पार्टी पंचनिर्णय लागू करने या अन्यथा अपना अधिकार जमाने के लिए कानूनी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगी।

२७.१३. क्षेत्रीय व केंद्रीय दोनों स्तरों पर कान्सिलेशन का भी प्रावधान है। कंपनी का बोर्ड क्षेत्रीय व केंद्रीय स्तरों पर कासिलेटरों का पैनरल नियुक्त करेगा व कांसिलेशन प्रणाली का गठन व काम करने का तरीका मध्यस्थत प्रणाली के समान ही होगा जो आर्बिट्रेशन एंड कांसिलेशन एक्ट, १९९६ और कंपनी द्वारा समय-समय पर निश्चय किए जाने वाले साझेदारी के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगा।

डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी

२८.१. बोर्ड के वार्षिक आमसभा के महिने के अंदर एक डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का गठन करेगा जिसमें पांच व्यक्ति होंगे जिसमें से दो ट्रेडरों/डीलरों में से होंगे और तीन कानूनी, न्याययिक व अकाउटेंट क्षेत्र से होंगे जो किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी पर व्यक्तियों की नियुक्ति सेबी की स्वीकृति के आधार पर ही होगी। डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधियों का नामांकन करने के उद्देश्य से कंपनी का निदेशक बोर्ड व्यक्तियों के नाम नियुक्ति के उद्देश्य से

सेबी को देगा। हालांकि सेबी को कंपनी द्वारा सुझाए गए व्यक्तियों से हट कर नामांकन करने का अधिकार है इसके साथ ही प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक कमेटी के पदेन सदस्य होंगे।

२८.२. डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी अपने निकाय से एक अध्यक्ष चुनेगी जो सेबी द्वारा नामांकित जनता के सदस्यों से होगा।

२८.३. डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी के सदस्यों का अगली वार्षिक बैठक के बाद नई नियुक्ति तक कार्यकाल होगा। कमेटी के सब सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे।

२८.४. डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का कोरम तीन होगा जिसमें से दो जनता प्रतिनिधि होंगे।

२८.५. बोर्ड द्वारा अन्यथा बताए या निदेशित होने को छोड़कर कमेटी बोर्ड के समान अपनी प्रक्रियाओं का संचालन व नियंत्रण करेगी।

२८.६. कमेटी अधिकारी के समक्ष कोई भी विषय बैठक में डाले गए अधिकांश मतों से निर्णय होगा तथा मतों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष सदस्य के रूप में वोट देने के अतिरिक्त निर्णायक वोट भी डालेगा।

२८.७. डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी सदस्य, ट्रेडर, डीलर या भागीदार के सभी या किसी अधिकार को समाप्त या खींच सकती है, यदि डिसिप्लिनरी कमेटी को महसूस होता है कि वह कंपनी के किसी नियम, उपनियम, व अधिनियम कंपनी या किसी समिति प्रबंध निदेशक या उसकी ओर से अधिकृत कंपनी के अधिकारी के प्रस्तावों, आदेशों, अधिसूचनाओं निदेशों, निर्णयों या व्यवस्थाओं के उल्लघन, पूरा न करने, अनुपालन, अनादर या अपवचन का दोषी है या किसी सदस्य, ट्रेडर डीलर या भागीदार का कोई व्यवहार, प्रक्रिया या व्यवसाय का तरीका जिसे डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी अपकीर्तिकर, अशोभनीय, अपयशकारी या व्यापार के उचित व न्यायसंगत सिद्धांतों के विरुद्ध या कंपनी के हितों, अच्छे नाम व कल्याण के लिए हानिकारक या इसके उद्देश्यों प्रयोजनों के प्रतिकूल व विनाशकारी हो।

२८.८. डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी का निर्णय अंतिम व सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों व अन्य हिस्सेदारों के लिए बाध्यकारी होगा और कमेटी द्वारा निश्चित की गई तारीख से लागू होगा हालांकि अपकृत पार्टी को सभी या किसी एक अधिकार के निष्कासन व स्थगन के लिए बोर्ड को अपील करने का हक होगा।

डिफाल्ट्स कमेटी

२९.१. बोर्ड हर वर्ष एक डिफाल्ट्स कमेटी का गठन करेगा जिसमें दस व्यक्ति होंगे, जिसमें से चार व्यक्ति ट्रेडरों/डीलरों में से और छह व्यक्ति जनता के होंगे जो कानूनी, न्यायिक, वित्तीय या अकाउटेंसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे। सार्वजनिक प्रतिनिधियों को कमेटी पर नामांकित करने के लिए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यक्तियों के सेबी को भेजेंगे। हालांकि सेबी को कंपनी द्वारा सुझाए गए के अलावा व्यक्तियों को नामांकित करने का अधिकार होगा। इसके साथ ही प्रबंध निदेशक व पूर्णकालिक निदेशक इस कमेटी के पदेन सदस्य होंगे।

२९.२. कमेटी सदस्य, ट्रेडर, डीलर या अन्य भागीदार द्वारा आईसीएमएस या कंपनी की प्रतिबद्धता में चूक के संबंध में किसी विशेष मामले में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्णय लेगी और इस प्रकार के नियम व अधिनियम बनाएगी और ऐसे निर्णय लेगी जो इसे उल्लिखित विशेष मामले व कमेटी के ठीक कार्य संचालन के लिए आवश्यक, समझा जाए, इसमें देयताओ की इस तरह की वसूली शामिल है जिसमें सदस्गय ट्रेडर डीलर या अन्य भागीदारों के अधिकारों, विशेषाधिकारों, आस्तियों या संपत्तियों की जब्ती भी निहित है, बशर्ते वे एससी (आर) कानून, सेबी कानून तथा बोर्ड के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के सांविधिक प्रावधानों या किसी इसी तरह के निर्णय के विरुद्ध न हो जो मार्गदर्शिका की प्रकृति के हो बशर्ते वे किसी सांविधिक प्रावधानों के विरुद्ध न हो।

२९.३. डिफाल्ट कमेटी कमेटी के सार्वजनिक नामांकितों में से एक को अपना अध्यक्ष चुनेगी।

२९.४. कमेटी के सभी सेवानिवृत्त सदस्य पुननियुक्ति के पात्र हैं।

२९.५. कमेटी के सभी सेवा निवृत्त होने वाले सदस्य आफिस में तब तक रहेंगे जब तक उनके उत्तरदायी वैद्यता से नियुक्त न कर लिए जाए।

२९.६. कमेटी की बैठक के लिए चार का कोरम होना आवश्यक है इनमें से कम से कम दो सार्वजनिक नामांकित होने चाहिए।

२९.७. कमेटी के समक्ष कोई भी प्रश्न बैठक में डाले गए बहुमत से निश्चित किया जाएगा तथा वोटों की समानता की स्थिति में अध्यक्ष का निर्णायक वोट होगा जो सदस्य के रूप में उसके वोट के अतिरिक्त होगा।

२९.८. डिफाल्ट कमेटी का निर्णय अंतिम होगा और सदस्यों, ट्रेडरों, डिलरों व अन्य भागीदारों पर बाध्यकारी होगा।

३०. कंपनी की एक आम सील होगी और निदेशक बोर्ड उसकी सुरक्षित हिफाजत की कोशिश करेंगे। सील किसी इंस्टुमेंट से सही नत्थी नहीं की जाएगी सिवा निदेशक बोर्ड या बोर्ड की समिति के प्रस्ताव की सत्ता तथा एक निदेशक या इस प्रकार के अन्य व्यक्ति के जो इस संबंध में अधिकृत है, जो हर इंस्टुमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे जिस पर उनकी उपस्थिति में सील लगाई जाएगी। ये हस्ताक्षर इस बात के निश्चित प्रमाण होंगे कि सील ठीक से लगा दी गई है।

बैलेंस शीट

३१.१. बोर्ड आफ डायरेक्टर कंपनी की वार्षिक आम बैठक में बैलींस शीट तथा ऑडिटर व बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों की रिपोर्ट के साथ कंपनी कानूनी १९५६ के प्रावधानों के साथ लाभ व हानि खाता रखेंगे।

३१.२. जहां भी प्राप्त हो कंपनी की आय व संपत्ति का उपयोग केवल ज्ञापनपत्र में बताए गए उद्देश्य के संवर्द्धन के लिए होगा।

३१.३. पैसे के रूप में कोई परिश्रमिक या लाभ कंपनी द्वारा इसके किसी सदस्य को नहीं दिया जाएगा चाहे वह कंपनी के अधिकारी या नौकर हो या नहीं, जेब खर्च के लिए दी जाने वाली राशि, कंपनी को उधार दिए गए पैसे पर समुचित ब्याज या किराए पर दी गई जगह पर समुचित किराया।

३१.४. आय व संपत्ति का कोई हिस्सा लाभांश, बोनस या अन्यथा लाभ के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ट्रांसफर नहीं किया जाएगा जो कभी कंपनी का सदस्य रहा है या किसी एक या अधिक को या किसी व्यक्ति को जो उनमें से एक या एक से अधिक का दावा कर रहा हो।

३१.५. कंपनी के अंतर्गत ऐसा कोई ऐसा नियुक्त नहीं किया जाएगा जिसे कंपनी कानून के अलावा वेतन, शुल्क या अन्य किसी प्रकार से नियुक्त किया जाएगा।

३१.६. इन धाराओं में से कोई भी कंपनी द्वारा इसके किसी अधिकारी या सेवक (जो सदस्य न हो) या किसी अन्य व्यक्ति (जो सदस्य न हो) तो कंपनी को दी हुई सेवाओं के बदले समुचित पारिश्रमिक देने से नहीं रोकती।

अकाउंट्स

३२.१. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स "कंपनी द्वारा प्राप्त व खर्च किए गए पैसे का सही हिसाब रखेंगे साथ ही उन मामलों का जिनमें इस प्रकार की प्राप्तियां" खर्च होते है और कंपनी की आस्तियों, क्रेडिट व देयताओं का।

३२.२. अकाउंट्स बुक कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस या उस जगह जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ठीक समझ में रखी जाएगी।

३२.३. निदेशक बोर्ड समय-समय पर यह निश्चित करेगा कि क्या, किस किस हद तक किस किस समय और जगह, किन स्थितियों या अधिनियमों में अकाउंट व कंपन ीकी किताबें या उनमें से कोई भी कंपनी के सदस्यों की जांच के लिए खाली जाए और किसी सदस्य (जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का सदस्य न हो) को किसी खाते या बुक या दस्तावेज की जांच का अधिकार नहीं है सिवा सामान्य बैठक में कंपनी द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस तरह अधिकृत किया गया हो या कानून से प्रवत्त हो।

३२.४. कंपनी के फंड अतिरेक या अन्यथा का उपयोग केवल केवल के उद्देश्य बढ़ाने के लिए किया जाना और सदस्यों के बीच किसी तरह उनका वितरण नहीं किया जाएगा और सदस्यों का एक्सचेंज की किसी संपत्ति या आस्तियों पर कभी कोई दावा नहीं होगा।

३३.१. कंपनी की प्रभावी व्यवस्था के लिए निदेशक बोर्ड नियम, उपनियम व अधिनियम बनाएगा जो एस सी (आर) कानून के प्रावधानों के अनुसार होंगे और केंद्र सरकार/सेबी की मंजूरी प्राप्त करेगा।

३३.२. इस प्रकार के उपनियम व अधिनियम समय-समय पर निदेशक बोर्ड द्वारा संशोधित किए जाएंगे जो केंद्र सरकार/सेबी की पूर्व स्वीकृति से होंगे या केंद्र सरकार/सेबी द्वारा इस प्रकार निर्देशित होंगे।

३३.३. निदेशक बोर्ड सिकुरिटीज के व्यवसाय में किसी सौदे की शुरुआत से पहले केंद्र सरकार/सेबी की मान्यता के लिए आवेदन करेगा व प्राप्त करेगा जो एससी (आर) कानून/सेबी कानून के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

समापन

३४. यदि कंपनी के समापन, विघटन यादूसरे स्टाक एक्सचेंज, व्यापार या कमर्शिअल निकाय के साथ एकीकरण के बाद कंपनी के समापन के खर्च सब ऋण व देयताओं को निपटाने के बाद कुछ बाकी रह जाता है या जो भी कंपनी के शुद्ध अतिरिक्त आस्तियां या संपत्ति हो तो उनका कंपनी के सदस्यों के बीच भुगतान या बंटवारा नहीं किया जाएगा औरउसे ऐसे अन्य निकाय, संगठन या कंपनी को सौंप दिया जाएगा या ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिसके उद्देश्य कंपनी से मिलते-जुलते हो या ऐसे किसी निकाय को जो मुख्यत: ग्राम या वाणिज्य बढ़ाने के लिए जनता के लाभार्थ गठित हो, या इसका लक्ष्य सामान्य सार्वजनिक उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य और उद्योग, वाणिज्य, कला का संवर्द्धन हो। इसका निर्णय विघटन, विलय या समामेलन से पूर्व कंपनी के सदस्यों द्वारा या चूककर्ता होने पर न्याय व्यवस्था के उच्च न्यायालय जिसके पास मामले का अधिकार क्षेत्र हो या प्राप्त हो सकता है द्वारा किया जाएगा।

ऑडिट

३५ हर वर्ष में एक बार कंपनी के खातों की जांच सच्चाई की जाएगी तथा लाभ व हानि खाता और बैलेंस शीट एक या एक से अधिक ऑडिटर द्वारा तैयार किया। कानून के प्रावधान ऑडिटरों पर भी लागू होंगे।

नोटिस

३६. कंपनी द्वारा किसी भी सदस्य को व्यक्तिगत रूप से या उसके पंजीकृत पते डाक या फैक्स या कोरियर या ईमेल या इलेक्ट्रोनिक डाक अधिसूचना भेजी जाएगी।

३६.१. जब डाक फैक्स कोरियर या ईमेल या इलेक्ट्रोनिक द्वारा नोटिस भेजा गया हो तो नोटिस की तामील ठीक पता लिखने, पूर्व भुगतान और अधिसूचना का पत्र डाक में डालने से मानी जाएगी और विपर्याय सिद्ध होने को छोड़कर जिस समय की सामान्य स्थिति में पत्र डिलिवरी किया जाएगा उसी समय प्रभाव होगा।

क्षतिपूर्ति व उत्तरदायित्व

३७.१. कानून की धारा २०१ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक बोर्ड, मैनेजर या दूसरी अधिकारी या कंपनी के कर्मचारी की क्षतिपूर्ति कंपनी के द्वारा की जाएगी और निदेशक बोर्ड का कर्तव्य होगा कि निदेशक बोर्ड का कोई सदस्य, अधिकारी, मैनेजर या कर्मचारी जो लागत, खर्च या नुकसान उठाए या खर्च सहित अपने कर्तव्य करते हुए या किसी अनुबंध के कारण देय हो उसकी पूर्ति कंपनी के फंड में से की जाएगी और खास कर इसत हर कि छूट हुए प्रावधानों की व्यापकता सीमित न हो और जो उसने बोर्ड के सदस्य, मैनेजर, अधिकारी या कर्मचारी के रूप में किसी दिवानी या फौजदारी प्रक्रिया की सफाई के दायित्व में खर्च की हो, जिसमें निर्णय उसके पक्ष में दिया गया हो या उसे दोषमुक्त ठहराया गया हो या कानून की धारा ६३३ को तहत किसी आवेदन के संबंध में जिसमें न्यायालय द्वारा राहत दी गई हो और वह राशि जिसके लिए यह क्षतिपूर्ति दी गई है तत्काल कंपनी की संपत्ति से ग्रहणाधिकार के रूप में जब्त कर ली जाएगी और सदस्यों के कुल दावों के ऊपर इसकी प्राथमिकता होगी। उक्त क्षतिपूर्ति के अतिरिक्त कंपनी अपनी संपत्ति या आस्तियों को कर्मचारियों, एजेंट्स या प्रतिनिधियों द्वारा अपना दायित्व निभाते हुए धोखा, चोरी, घोटाले आदि की किसी घटना से होने वाली संभावित हानि या क्षति से बचाने के लिए अपने हित की रक्षा करने के उद्देश्य सेकंपनी कर्मचारी की ईमानदारी बीमा पालिसी लेती है।

३७.२. कानून की धारा २०१ के प्रावधानों के अनुसार निदेशक बोर्ड, मैनेजर या कंपनी के दूसरे अधिकारी या कर्मचारी निदेशक बोर्ड के किसी अन्य सदस्य के कामों प्राप्तियों, तिरस्कार या चूक या कोई अन्य प्राप्ति या समुनुरूपता के लिए कोई अन्य कानून या निदेशकों के आदेश द्वारा उनके या कंपनी की ओर से हासिल किस संपत्ति के हक में अपर्याप्तता या कमी के कारण के लिए जिसके लिए कंपनी का कोई पैसा निवेश किया जाएगा या किसी ऐसे व्यक्ति जिसके पास कोई पैसा, प्रतिभूतियां या मालमत्ता जमा किया जाएगा के दिवालिएपन या कपटपूर्ण काम से होन वाले किसी नुकसान या क्षति या उसकी तरफ से गलत निर्णय, चूक, भूल या या असावधानी से होने वाली किसी हानि या कोई अन्य हानि, नुकसान या दुर्भाग्य जो भी कार्यालय में अपना काम करे हुए या उसके संबंध में हुआ हो, यदि उसकी स्वयं की बेईमानी से हुआ हो तो बात और है।

गोपनीयता

३८. कोई सदस्य, ट्रेडर, डीलर, कोई अन्य भागीदार या उनका प्रतिनिधि कंपनी के किसी परिसर का बिना बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के निरीक्षण करने का या कंपनी की गतिविधियों के संबंध में खोज या विस्तार से जानकारी या ऐसा कोई मामला, जो व्यापार का भेद या रहस्य हो, व्यवसाय संबंधी कोई गुप्त प्रक्रिया जो कंपनी के व्यवसाय के संबंधित हो और निदेशकों के मत से जिसका खुलना कंपनी के हित के लिए घातक हो सकता है की जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

साझेदारी के अनुच्छेदों में फेर-बदल

३९. कंपनी सेबी की पूर्व स्वीकृति से कंपनी के इन कानूनों के मौजूदा प्रावधानों में से किसी में तबदिली, जोड़, सुधार या कमी कर सकती है या कोई नया अनुच्छेद जोड़ सकती है या कानून के प्रावधानों के अनुसार नए अनुच्छेदों का समावेश कर सकती है।

(२९ अगस्त, १९९८ को हुई एक्स्ट्रा आर्डिनरी जनरल मीटिंग में हुए संशोधन के अनुसार, बशर्ते सेबी द्वारा स्वीकृत हो)

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED.

JOSEPH MASSEY
Managing Director,

नियम

इंटर-कैन्क्टड स्टॉ एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड

१. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

१. इन नियमों में यदि संदर्भ या विषय से असंगत या परस्पर विरोधी न हो तो निम्न शब्दों व स्पष्टीकरण का निम्न अर्थ होगा:

१.१ कानून या कथित कानून का अर्थ कम्पनी कानून, १९५६ है और इसमें वर्तमान में लागू सभी संविधिक संशोधन या प्रतिस्थापन भी शामिल होगें।

१.२ अनुच्छेद का अर्थ है वर्तमान में लागू कंपनी के साझेदारी अनुच्छेद।

१.३ बोर्ड, बोर्ड आफ डायरैक्टर्स या डायरैक्टर्स का अर्थ है इंटर कनैक्टड स्टाक स्क्सचेंज लिमिटेड (आई एसई) का निर्देशक बोर्ड या सामूहिक रूप से आईएसई के निदेशक ये तीनों पारिभाषिक शब्द अदल–बदल कर प्रयोग किए जाते हैं।

१.४ उप नियमों का अर्थ है कंपनी केउप नियम जो वर्तमान में लागू है और यदि संदर्भ अन्यथा संकेत न करें तो उसमें वे प्रावधान भी शमिल हैं जो अनुबंधों का नियमन व नियंत्रण संभव करसते हैं कंपनी के उपनियम सिक्यूरिटीज कान्ट्रैक्ट (रैग्युलैशन) एक्ट, १९६५ के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों व सिक्युरिटीज एवड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट १९९२ तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार होंगे।

१.५ ग्राहक या घटक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके निर्देश पर और जिसके खाते में ट्रेडर या डीलर किसी भी सौदे योग्य सिक्युरिटी की खरीद या बेच का अनुबंध प्रविष्ट करता है या उससे संबंधित कोई काम करता है।

१.६ कंपनी का अर्थ है इंटर कनैक्टड स्टाक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड या आई एस ई के रूप में भी लिखित किया गया है और वर्तमान में जिसे केन्द्र सरकार या सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड आफ इंडिया ने सिक्यूरिटीज कान्ट्रैक्टस (रैग्युलैशन) एक्ट, १९५६ की धारा ४ के तहत मान्यता दी है। सभी परिभाषाएं अदल बदल कर प्रयोग की जाती है।

१.७ डीलर का अर्थ है नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार कंपनी में डीलर के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश। (व्याख्या: कंपनी में पंजीकृत डीलरों को एक से अधि

क वर्ग हो सकता है, जो भी बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित किया गया हो।

१.८ इन नियमों उपनियमों व अधिनियमों के लिए सौदों लेन देन व अनुबंधी का एक ही अर्थ होगा बशर्ते संदर्भ का संकेत कुछ और न हो। तीनों पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अदल बदल कर होता है।

१.९ इंडर कनैक्टड मार्केट सिस्टम या आईएमएस का अर्थ है आईएसई द्वारा सिक्युरिटीज के सौदों के ट्रेडिंग समाशोधन व निपटान के लिए स्थापित आन्तरिक संसाधान व अन्य सुविधाएं और अन्य सभी मामलें जो परिणामस्वरूप या आकस्मिक हों या ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारों व अन्य उपयोग कर्ताओं से संबधित हो और इसमें मान्यता प्राप्ति भागीदार स्टाक एक्सचैंजों द्वारा ट्रेडरों, डीलरों , भागीदारों और अन्य उपयोगकर्ताओ को आईएसई की सुविधाओं में लेने योग बनाने के लिए स्थापित सुबिधाओं का समावेश है।

१.१० इश्युअर का अर्थ सरकारी निकाय, कार्पोरेट या अन्य सत्ता चाहे निगमित हो या नहीं, जो आईएसई की अधिकृत सूची पर सौदों के लिए स्वीकृत कोई प्रतिमूर्ती या अन्य प्रपत्र जारी करें या विकय प्रपत्र प्राप्त अथवा स्वीकृत करे।

१.११ मार्केट मेकर का अर्थ विशिष्ट प्रतिमूर्ति या प्रतिमूतियां में मार्केट मेकिंग कार्य संचालन करने के लिए आईएसई पर ट्रेडर या डीलर के रूप में पंजीकृत व्याख्या कंपनी द्वारा पंजीकृत मार्कट मेकरस एक से अधिक हो वर्ग हो सकता है और जो भी बोर्ड द्वारा समय समय पर तैयार किया जाय।

१.१२ सदस्य कम्पनी का सदस्य या सदस्य एक्सचैज का अर्थ और इसमें साझीदारी ज्ञापन पत्र व साझीदारी अनुच्छेद के सब्सकाइबर और कम्पपनी के सदस्य सामिल हैं जो इस रूप में स्वीकृत किये गयें हो जो समझौता ज्ञापन पत्र की धारा ३ में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए कम्पनी की आस्थियां में योगदार देगें यहां उल्लेखित तीनों परिभाषाओं का अदल बदर कर उपयोग किया गया है।

१.१३ महीनें का अर्थ है कलेन्डर महीना

१.१४ आईएसई प्रतिमूतियों की अधिकृत सूची का अर्थ है उन प्रतिमूतियों की सूची जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त एक्सचैंज जो आईएसई की अधिकृत पर सौदे करने के लिए सूचिकृत हो पर सूचीवध हो।

१.१५ भागीदार का अर्थ व व्यक्ति जिसे कंपनी के नियमों उपनियमों व अधिनियमों के तहत समय समय पर संबंध अधिकारी द्वारा इस रूप में हमे पंजीकृत किया जाय।

१.१६ भागीदार स्टाक एक्सचैंज या भागीदार एक्सचैंज या सदस्य एक्सचैज का अर्थ है भारत का एक मान्यता प्राप्त स्टाक एक्सचैज जो संबध अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों के अनुसार नियामों , उपनियमों व अधिनियमों के अनुरूप इंटर कनैक्टड स्टाक एक्सचैज आफ इंडिया लिमिटेड के सदस्य के रूप में स्वीकृत हो या तीनों परिभाषाएं अदल बदल कर उपयोग की जा सकती है।

१.१७ रजिस्ट्रड का अर्थ होगा कानून १५० के अनुसार रखा जाने वाला सदस्यों का रजिस्टर्ड।

१.१८ रजिस्टर्ड आफिस का अर्थ है कंपनी कानून १९६५ के तहत रजिस्टर्ड आफिस

१.१९ नियमों का अर्थ है आई एसई के समय समय बनाये व संशोधित किये जाने वाले नियम व्याख्या नियामो के अर्न्तगत कम्पनी का ज्ञापन पत्र और समझौते के अनुच्छेद और इसका एक्सचैज के संविधान व व्यवस्थापन तथा अन्य आकस्मिक व संबंधी विषयों से सम्मलित होगा।

१.२० अधिनियम का अर्थ आई एसई के वर्तमान में लागू अधिनियम यदि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे तो इसमें बोर्ड कार्यकारी समिति या अन्य संबन्धित अधिकारी द्वारा आईसीएमएस के संचालन के लिए समय समय पर निर्धारित व जारी किये गये व्यवसाय नियम आचार्य संहिता तथा अन्य प्रकियाऐं परिपत्र निदेश पत्र, आदेश , अधिसूचना है व अधिनियम भी आयेगें। ये सिक्योरिटीज कान्ट्रैक्टस रैग्यूलेशन एक्ट १९५६ तथा उसके तहत बने नियमों व सिक्योरिटीज एंड एक्सचैज बोर्ड ऑफ इडिया एक्ट १९९२ व उसके तहत बने नियमों के प्रावधान के अनुसार होगें।

१.२१ संबंधित अधिकारी के अर्थ आई एस ई के सदस्यों का सामान निकाय कार्यकारी सीमित या नियमों उपनियमों साझेदारी के अनुच्छेदों के तहत किसी विशेष उदेश्य के लिए सम्बंध कोई व्यक्ति या नियमों व उपनियमों व अधिनियमों के तहत विशेष उद्देश्य के लिए समय समय पर गठित कोई इस प्रकार की सत्ता

१.२२ एस सी आर एक्ट का अर्थ सिक्योरिटीज कान्ट्रैक्टस रैग्यूलेशन एक्ट १६५६ औ्र इसमें वर्तमान में लागू कोई भी संबधित शंसोधन अथवा पुर्नअधिनियम और उसके तहत बने नियम भी आयेगें।

१.२३ मोहर का अर्थ है फिलहाल कम्पनी की सामान्य मोहर।

१.२४ सेवी एक्ट का अर्थ सिक्योरिटीज एंड एक्सचैज बोर्ड आफ इडिया एक्ट १६६२ इसमें वर्तमान मे लागू कोई भी संबंधिक संशोधन या पूर्ण अधिनियम और उसके तहत बने नियम भी आयेगे।

१.२५ सेबी का अर्थ है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेज इंडिया एक्ट १६६२ स्थापित सिक्योरिटीज एंड एक्सचैज बोर्ड आफ इडिया ।

१.२६ स्टाक एक्सचैज का अर्थ भारत का स्टाक एक्सचैज जिसे सिक्योरिटीज कान्ट्रैक्टस रैग्यूलेशन एक्ट १६५६ की धारा ४ के तहत मान्यता प्राप्त है।

१.२७ ट्रेडेबल सिक्योरिटीज का अर्थ है आई एस ई की अधिकृत सूची पर सौदे के लिए स्वीकृत कोई सिक्योरिटीज।

१.२८ ट्रेडर का अर्थ होगा भागीदार स्टझक एक्सचैज का सदस्य जो नियमों उप नियमों व अधिनियमों के अनुसार कंपनी में ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड है ये तीनों परिभाषाएं अदल बदल कर उपयोग की जाती है। व्याख्या कम्पनी में रजिस्टर्ड ट्रेडरों का एक से अधिक वर्ग हो सकता है इस निश्चित समय पर बोर्ड लग सकता है।

१.२६ ट्रेडिंग सैग्मैंट का अर्थ है भिन्न क्षेत्र या विभाग जिसमें आईसीएमएस के तहत सौदों के लिए बोर्ड या संबधित अधिकारी द्वारा वगीकृत व निर्धारि सिक्योरिटीज का समावेश हो।

१.३० ट्रेडिंग सिस्टम का अर्थ एक ऐसी प्रणाली जो सदस्यों ट्रेडरों डीलरों भागीदारों व निवेशक जनता व अन्यों को आईसीएमएस की अधिकृत सूची पर सौदे के लिए स्वीकृत सिक्यूरिटीज की कोटेशन जिस नाम से हो उपलब्ध कराती है उनके सौदों का कार्यान्वयन करती है मूल्यों व सौदों की संख्या से संबधित सूचना तथा बोर्ड या कार्यकारी समिति या किसी अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचनाओं निदेशत्रों प्रपत्रों व सूचना का प्रसार करती हैं।

१.३१ राईटिंग में प्रिटिंग टाइपराइटिंग विथोग्राफीक व लिखने के अन्य आम स्थानापन्न आते हैं।

१.३२ ईयर का अर्थ कंपनी का वित्त वर्ष

१.३३ व्यक्ति के अर्थ वाले शब्दों में कंपनियां कार्पोरेशन फार्म संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय व्यक्तियों के एसोसियन सोसायठियों ट्रस्ट सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या बैंको या कम्नियों में किसी भी सब्सीडरी शामिल हैं।

१.३४ पुलिग के अर्थ वाले शब्दों में स्त्रीलिंग तथा स्त्रीलिंग में पुलिंग और कम्पनियों कार्पोरेशनों व फार्मो मे नपुंशक लिग होगा।

१.३५ एक बचन के अर्थ वाले शब्दों में बहुबचन वाले शब्दों मे एक बचन शामिल होगा।

१.३७ इन प्रस्तुतियों मे अन्यथा परिभाषित न हो या संदर्भ की आवश्यकता न हो या भिन्न अर्थ सूचित न हो तो इन प्रस्तुतियों में आया कोई शब्द या अभिभाविक अर्थ कंपनी कानून १९५६ सिक्युरिटीज कान्ट्रैक्ट रेग्युलेशन एक्ट १९५६ तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट १९९२ या इसके किसी संशोधन या उसके तहत बने किसी नियम य अधिनियमों के अनुसान होगा।

२ **बोर्ड**

२.१ कम्पनी के साझेदारी अनुच्छेदों के प्रावधनों के अनुसार गठित बोर्ड आफ इंटर कनेक्टेड स्टाप एक्चेंज आफ इंडिया लि. आई एस ई के कामो तथा सिक्योरिटीज

एक्ट १९५६ सिक्योरिटीज एन्ड एक्सचैज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत समय समय पर जारी नियमों साथ साथ अधिनियमों मार्ग दर्शिकाओं का आयोजन अनुरक्षण व्यवस्था तथा साथ कराता है और आईएस ई के अनुच्छेदो नियमों उपनियामों व अधिनियामे के कुल प्रावधानों के अलावा एक्सचैंज द्वारा इनका अनुपालन कराया जा सकता है।

२.२ कम्पनियों के निदेशक कम्पनी के साझेदारी अनुच्छेदों क प्रावधानों के अनुसार होगें २.१ से २१.१६ के अनुसार होगें।इस प्रकार निदेशक की नियमों के प्रावधानों के अनुसार हुई नियुक्त एक्ट समझी जायेगी।

२.३ सिक्यूरिटीज कान्ट्रैक्ट रैग्युलेशन एक्ट १९५६ तथा सिक्योरिटीज एड एक्सचैज बोर्ड आफ इडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत समय समय पर जारी अधिनियमों मार्ग दर्शिकाओं व निदेशेको के प्रावधानाओ के अनुसार तथा नियम उपनियम अधिनियम बनाने के लिए बोर्ढ अधिकृत है और इस प्रकार लेन देन तथा एक्सचैज को नियमित करने के उदेश्य से आवश्क सभी कामों और चीजों को करने के लिए बोर्ड को अधिकार प्राप्त हैं।

२.४ बोंर्ड समय सयम पर कार्य कारी निदेशक या प्रबन्ध निदेशक या किसी अन्य व्यक्ति को अधिकार सौपने के लिए अधिकृत हैं इस प्रकार जो व उचित समझे आईसीएमएस के मामलों मे से किसी या सभी व्यवस्था के लिए पुनः दिये जाते है।समय समय पर यह सभी य कुछ रद या खत्म या बदले जा सकते हैं

२.५ बोर्ड समय समय पर स्वनिर्णय के अनुसार बोर्ड के सदस्यों जिन्हे व ठीक समझे एक या अधिक समिति का गठन करता है और इस समिति को जो व उचित समझे अधिकार दे सकता है और समय पर बोंर्ड इस अधिकारें में से कुछ या सभी रदद खत्म या बदल सकता है।

२.६ बोर्ड के पात्र या कार्यकारी समिति या कोई अन्य समिति या किसी अन्य व्यक्तियों को जिन्हे उसने अधिकार सौपे है जो समय पर निर्देश पत्र जारी करने के लिए अधिकृत है निर्देश पत्र जो इस अधिकार को पूरा करते हुए जारी किए गये हैं और ये

सम्बधित समिति व्यक्ति पर बंधन कारी होगें।

२.७ सिक्योरिटीज कान्ट्रैक्ट रैगुलेशन एक्ट १९५६ सिक्युरिटीज एंड एक्सचैज बोर्ड आफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत समय समय पर जारी अधिनियोमों अधिकारी द्वारासंबधिन खंडों के लिए जारी अधिनियमों का समाबेश है बोर्ड का उसके द्वारा बनाये गये नियमों उपनियमों व अधिनियमों मे संशोधन परिवर्तन जोड या घटाने का अधिकार है।

२.८ बोर्ड का एससीआर कानून १९५६ और उसके तहत बने नियमों और सेबी कानून १९९२ उसके तहत जारी अधिनियमों र्मागदर्शिकाओं व निर्देशों के अनुसार अधिनियम बनाने भारतीय रिर्जव वैक या अन्य संवैधानिय नियामक अधिकारियों द्वारा समय समय पर मनची मार्केट इन्स्टुमैन्टस या अन्य संबंधित खंडो जिनसे ट्रेडिग समाशोधन व निपटान संभव हो के लिए निधारित किए जानेवाले अधिनियम निवेशक सुरक्षा के हित में तथा संबंधित खंड के लिए एक्सचैज के सुचारू कार्यनिष्पादन के लिए आवश्यक जोखिम प्रबंधन या इसीप्रकार की अन्य अगतिविधियों के लिए अधिनियम बनाने का अधिनियम है।

३. कार्यकारी समिति

कार्यकारी समिति का गठन

बोर्ड आईएसई तथा हर भागीदार स्टाक एक्सचेज पर दस मध्यस्थों का एक पैनल गठित करेगा जिसमें कानून न्याय या अकाउन्टैन्सी प्रसिद्ध व्याक्तियों के साथ ट्रेडर व डील होगें किन्तु टेडरों में से चार से अधिक व्यक्ति नही हो सकते।

३.१ बोर्ड आईसीएमएय के मामलों को पूरी तरह या आंशिक रूप से संभालने के लिए एक या अधिक कार्यकारी समिति का गठन और उन्हें अधिकार सौप सकता है व बोर्ड कार्यकारी समिति के निर्माण व कार्यप्रणाली के लिए जो उचित समझे नियम बना सकता है।

३.१ कंपनी के बोर्ड द्वारा गठित कार्यकारी समिति में निम्न का समावेश होगा।

१ कंपनी का प्रबंध निदेशक

२ कंपनी का पूर्णकालिक निदेशक

३ सैबी द्वारा नामांकित किया जानेवाला एक से अधिक व्यक्ति नहीं

४ तकनीक कानून वित्त व अन्य विधाविशेष क्षेत्रों के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनकी संख्या पांच से अधिक न हो और इन्हें सार्वजनिक प्रतिनिधि के रूप में जाना जाएगा। इनकी नामांकम कंपनी के बोर्ड के अनुसार होगी।

४ ट्रेडरों डीलरों और भागीदारों स्टाक एक्सचेजों से चार से अधिक व्यक्ति नही होगें जिनका नामांकन बोई द्वारा इस विषय में निर्धारित किए गए नियमों के अनुसार होगा और इनकी संख्या चार से अधिक नही हो सकती । कार्यकारी समिति की अधिकतम संख्या बारह होगी।

३.३ कंपनी का प्रबंध निदेशक कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा।

कार्यकारी समिति के अधिकार

३.४ आई सीएमएस के सभी या किसी मामले को सम्भाल के लिए बोर्ड समय समय पर कार्यकारी समिति को यह अधिकार उन शर्तों पर सौप सकता है जिन्हें वह ठीक समझे ओर इस प्रकार कार्यकारी समिति को सौपे गए अधिकारों को रदद समाप्त या बदल भी सकता है।

३.५ हर ट्रेडिंग खंड के पास इस प्रकार के दायित्व व अधिकार होगें जिन्हें बोर्ड द्वारा उसे समय समय पर सौपा गयाप हो ओर जिसमें पूर्वकछर्ती की व्यापकता को प्रतिबन्धित किए बिना के साथ नियमों उपनियमों और अधिनियमों

के प्रावधानों के अनुसार निम्न उत्तरदायित्व भी होगे।

ए आईसीएमएस सिक्युरिटीयों की संबंधित अधिकृत सूची पर प्रवेश के लिए प्रतिभूतियों का स्वीकरण

बी ट्रेडर डीलरों व भागीदारों का रजिस्टेशन

सी मार्केट मेकर्स की इस प्रकार काम करने के लिए मंजूरी देना।

डी आईसीएमएस का निरीक्षण ओर जिन्हें वह उचित समझे उन व्यवसाय नियमों व आचार संहिता का प्रवर्त्तन

ई ट्रेडरों डीलरों भागीदारों व उन कंपनियों जिनकी प्रतिमूतियों अधिकारिक सूची पर प्रविष्ट है या होनेवाली है द्वारा आईएसई देय ने फीस जमा मार्जिन और अन्य पैसा तथा ट्रेडरों और डीलरों द्वारा ली जानेवाली दलाली का निर्धारण समय समय पर नैटवर्थ पूजी पर्याप्तता व अन्य उन मानदडों का निर्धारण जिन्हें बनाए रखना टेडरों और डीलरों के लिए आवश्यक है

एफ समय समय पर नैटवर्थ पूजी पर्याप्तता व अन्य उन मानदंडों का निर्धारित जिन्हें बनाए रखना टेडरों और डीलरें के लिए आवश्यक हैं

३.७ कार्यकारी समिति समय समय पर इस प्रकार के प्रावधानों जिन्हे उत्तरदायित्व पूरा करने ओर बोर्ड द्वारा प्राप्त अधिकारों को निभाने के लिए बनाया गया है के अनुसार इन अधिनियमों दस्ताबेजों व कार्यों को सम्पन्न करने क लिए या पूर्णकालिक निदेशक या अन्य व्यक्तियों को अधिकृत कर सकती है।

३.८ कार्यकारी समिति बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों को पूरा करने के लिए बाध्य व विवश होगी और निर्धारित के अनुसार कार्यकृत कर सकती है ।

३.९ समिति द्वारा निर्धारित पर बोर्ड द्वारा अपेक्षित होने की स्थिति मे कार्यकारी समिति द्वारा निश्चित किए जाने या उससे पूर्व कार्यकारी समिति की हर बैठक के विवरण की प्रति बोर्ड के हर सदस्य निदेशक को भेजी जाएगी।

सेबी प्रतिनिधि

३.१० सेबी कार्यकारी समिति पर समय पर एक व्यक्ति को नामाकित करेगा जो सेबी नातिनी कहलाएगा।

३.११ इस प्रकार के नाामंकित प्रतिनिधि के व्यागपत्र नामाकन समाप्त करने मृव्यु या किसी अन्रू तरह से खाली हुए जगह इसी प्रकार नामांकित व्यक्ति से भरी जाएगी।

ट्रेडरों डीलर व कार्यकारी निदेशक समिति के नामाकितयों के रूप में

३.१२ यहां दिए ३.१४ ओर ३.१५ नियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड अधिकारी समिति पर समय समय पर डीलरों टेडरों व भागीदार स्टाक एक्सचेज में से अधिक से अधिक चार का नामाकन करेगा। आई एसई बोर्ड उन भागीदार एक्सचेजों से कार्यकारी समिति पर नामामकन करेगा जो साझेदारी अनुच्छेद मुं कमावर्त्तन के सिद्धान्त प्राथमिक के अधार पर पात्र होगें। इस नियम के तहत नियुक्त व्यक्ति कमावर्त्तन के अनुसार सेवानिवृत्त के पात्र होगें।

३.१३ इस समिति में इस श्रेणी के अन्तर्गत नियुक्त नामाकितों का कार्यकाल नियुक्त की तारीख से दी वर्ष होगा। इस श्रेणी में व्यक्तियों की सेवानिवृत्ति और उनके स्थान पर नामाकित की नियुक्त प्रवेश के समय भागीदार स्टाक को दी गई प्राथमिकता के आधार पर होगी।

३.१४ पहली वषिक सामन्य बैठक को छोडकर कंपनी की हर आम बैठक मे फिलहाल इस श्रेणी के आधो से ज्यादा नामाकित जो कमावर्त्तन से सेवानिवृत्त होनेवाले है पद से सेवानिवृत्त होनेवाले नामामकित व होगे जो अपनी अखिरी नियुक्त के बाद समिति से सबसे अधिक समय के लिए हैं

३.१५ इस प्रकार नामाकित व्यक्ति हटाए जाने या अन्य कारणेंा से हुए रिक्त स्थान की पूर्ति उसी सदस्य एक्सचेज को नामाकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी जिसका नामाकंन निर्गामी है।

सार्वजनिक प्रतिनिधि

३.१७ बोर्ड कार्यकारी समिति पर समय समय पर वित्त अकउन्टिग कानून व तकनीकी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्तियों की नामांकित कर सकता है जो सार्वजनिक प्रतिनिधि कहलाएगे इनकी इनकी संख्या अधिक हो सकती है इस प्रकार नामाकित व्यक्ति दो वर्षो के लिए वपद पर रहेगें।

३.१८ इस प्रकार नामांकित सार्वजनिक प्रतिनिधियों के व्यागपत्र हटाए जाने मृत्यु या अन्य कारण से रिक्त हुए स्थान की पूर्ति इसी प्रकार नामांकित व्यक्ति द्वारा की जाएगी।

३.१६ वर्षिक सामान्य बैठक के बाद १ महीने के अन्दर बोर्ड द्वारा अपनी समिति में इस श्रेणी में व्यक्तियों को नामांकित करेगा। यदि सेवानिवृत्त के कारण स्थान खाली हुआ है।

कार्यकारी समिति में पद का खाली होना।

.२० सार्वजनिक प्रतिनिधियों डीलरों भागीदारों स्टाक के कार्यकारी निदेशकों सहित कार्यकारी समिति के नामाकितों का पद स्वत खाली हो जायेगा यदि

अ उसे दिवालिया निर्णत किया गया हो

ब वह व्यवहारिक रूप से दिवालिया निणीत किया गया हो

स वह भारत के किसी न्यायलय में किसी अपराध के लिएदोषी ठहराया गया हो और उंसके लिए कम से कम ३० दिन की सजा हुई हो

ड वह कार्यकारी बिना समिति की बैठक से छुटटी लिए समिति की लगाए तीन बैठकों में या लगातार तीन महीनों तक अनुपस्थित रहता है इनमें जो भी अधिक हो

ई टेडरों डीलरें के मामले में यदि वह आईएसई का टेडर या डीलर नही रहता है या वह कार्यकारी को संबधित कर लिखित रूप से नोटिस द्वारा त्यागपत्र भेजता या यदि उसे आस्थगित या निष्कासित किया जाता है

एफ कार्यकारी निदेशकों के संदर्भ में यदि वह भागीदार एक्सचेंज का निदेशक नहीं रहता है या वह कार्यकारी निदेशक को लिखित नोटिस भेज कर समिति में अपने पद से त्याग पत्र दे देता है

हालांकि यदि किसी समय बोर्ड इस बात से सन्तुष्ट होता कि सार्वजनिक हित के लिए नामांकित कर सकता है

३.२१ कोई भी डीलर या टेडर तब तक कार्यकारी समिति का सदस्य नामांकित किए जाने योग नही होगा जब तक

ए जब तक वह सिक्युरिटीज कान्टैक्टस एक्ट १९५६ और उसके तहत नियमों तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेज आफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत बने नियमों तथा आई एस ई के नियमां उपनिमयों व अधिनियमां को पूरा नही कर लेता

बी जब तक वह संबंधित टेडिंग खंड का बोर्ड द्वारा समय पर तय की गई अवधि के लिए टेडर या डीलर नही हो

सी यदि वह ऐसे टेडर का हिस्सेदार है जो कार्यकारी समिति का पहले से ही सदस्य है

डी यदि वह किसी समय चूक कर्ता घोषिति किया जा चूका या समान्य रूप से अपना दायित्व पूरा नही कर पाता या उसके उधारकर्ताओं के साथ यह जुडी हो

ई यदि उसे स्थगित या निष्काषित किया गया हो

३.२२ इस श्रेणी में कोई भी डीलर सिवाय उस सदस्य की शिफारिसकों छोडकर जो प्रवेश के समय प्राथमिक के कम का निश्चय किए जाने क` अनुसार सदस्य एक्सचेज का नामोंकित करने के अधिकारी है।

३.२३
कार्यकारी समिति का सदस्य नियुक्त टेडर सदस्य का सदस्य माना जाएगा।

३.२४ कार्यकारी समिति पर डीलर की नियुक्त बोर्ड द्वारा समय पर निधारित मानदंडों के अनुसार हो सकती है

३.२५ कोई कार्यकारी निदेशक कार्यकारी समितिका सदस्य बनाने का पात्र सभी होगा जब वह किसी भागीदार स्टाक का कार्यकारी निदेशक हो

३.२६ इस श्रेणी में कोई भी व्यक्ति सिवाय इस सदस्य एक्सचेंज की शिफारिश को छोड़कर नामांकित नही किया जाएगा। जो ,पवेश कम प्राथमिकता के कम का निश्चय किए जाने के अनुसार नामांकित करने का अधिकारी है

३.२७ कार्यकारी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त कार्यकारी निदेशक उन सदस्य का सदस्य समझा जाऐगा।

३.२८ किसी आकस्मिक खाली स्थान पर उक्त रूप से नामांकित व्यक्ति उसी अवधि तक पद पर रहेगा। जब तक जिसकी जगह पर उसकी नियुक्त हुई है वह व्यक्ति पद पर रहता है यदि उसके उक्त रूप से जगह खाली न की हो

कार्यकारी समिति की बैठक

३.२८ कंपनी का प्रबंध निदेशक कार्यकारी समिति का अध्यक्ष होगा

३.२६ मृत्यु व्यागपत्र या किसी अन्य कारण से समिति के अध्यक्ष के पद में होने वाले किसी रिक्त स्थान पर पूर्णकालिक निदशक नियुक्त होने तक समिति का अध्यक्ष रहेगा।

३.३० कार्यकारी समिति व्यवसाय निपटाने अपनी बैठकों के स्थान और जैसा वह ठीक समझे उस प्रकार अपनी प्रकियाओं के नियन्त्रण के लिए हर कैलेन्डर महीने में कम से कम एक बार जरूर मिलगी और व्यवसाय के लेने देने के लिए आवश्यक कोरम का निर्णय लेगी।

३.३१ कार्यसमिति की बैठक का कोरम कार्यकारी समिति की कुल संख्या का एक तिहाई होगा, खंडो को एक या चार सदस्यों जो भी अधिक हो, के रूम में लिया जाएगा। परंतु जब किसी समय इच्छुक सदस्यों की संचया कुल संख्या बैठक का कोरम बनेगी।

३.३२ प्रबंध निदेशक कया कार्यकारी समिति के तीन सदस्य किसी भी समय कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन कर सकते है।

३.३४ कार्यकारी समिति की सभी बैठकों में प्रबन्ध निदेशक सामान्य रूप से अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपसिीति में पूवैकालिक निदेशक अध्यक्ता करेगा।

३.३५ प्रतिनिधित्व से मत की अनुमति नहीं होगी।

३.३६ स्थगित या निष्कासित होनेवाल भागीदार स्टॉक एक्सेचंज का कोई कार्य निदेशक या किसी बैठक में हिस्सा लेने या उसकी किसी कार्यवाही या वहां वोट देने का हकदार नहीं होगा।

कार्यकारी समिति का अध्यक्ष

३.३७ कार्यकारी समिति का अध्यक्ष कार्यकारी समिति द्वारा समय समय पर एक्सचेंज के निध ारित नियमों और अधिनियमों के अनुसार सांपे गए अधिकारो को मान कार उनका प्रयोग और कर्त्तवचें का पालन करेगा।

३.३८ प्रबन्ध निदेशक की अनुपस्थिति या उसके काम करने की अक्षमता की स्थिति में उसके कामों व अधिकारें को उपयोग पूर्ण कालिक निदेशक द्वारा किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति या अक्ष्मता की स्थिति में कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा कार्यकारी समिति के निर्देशो के तहत किया जाएगा।

३.३९ प्रबन्ध निदेशक और उसकी अनंपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशक कार्यकारी समिति द्वारा निष्पादन याग्य सभी या किसी एक अधिकार को पूरा करने लिए तब अधिकृत होगा जब उसके मत से तत्काल कार्यवाही करनी जरूरी हो बशर्ते चौबीस घन्टों के

अन्हर इसे कार्यकारी निदेशक की अनुमति मिल जाए।

३.४० कार्यकारी समिति का अध्यक्ष या प्रतिनिधि सभी सार्वजनिक मामलों में आईएसई का अधिकारिक रूम से प्रतिनिधित्व करेगा।

३.४२ प्रवधनदेशक और उसकी अनुपस्थिति में पूवकालिक निदेशक ट्रेडर या डीलर को या किसी प्रतिमूति में सौदे को तब तक अस्थायी रूप से आस्थगित करने का अधिकारी होगा जब तब संबंधित अधिकारी द्वारा इन नियमाकें के तहत स्थागन की प्रकियाओं का पूरा होना बाकी हो।

४ संवैधानिक समितियां

४.१ आर और उसके तहत बने नियमों और सेबी कानून १९९२ तथा उसके तहत बने नियमों और कंपनी के अनुक्षछेदों नियमाकें उपनियमों के प्रावधानों के अनुसार कंपनी की ती संवैधारिनक समितियों होंगी जिनके नाम इन प्रकार होंग आब्रिट्रेशन पेनल डिसिपलिनपरी कमेटी और हिर्डोल्ट्रस कमेटी। बोर्ड समय समय पर संवैधनिक समितियों को उनके सुचारू कार्यसंचालन से संबंधित मामलों के लिए नियमों व अधि ानियमों का अधिकार दे सकता है इसमें सैकेटेरियल व कानूनी सहयाता बैठक बुलाने की प्रकिया समय अवतिध व क्षेत्र के निर्धारण सूचना प्राप्त करने अनुशासनात्मक कार्यवाहियों आदि सहित दंड व जुर्माने के लिए अधिकारी शामिल है।

मध्सयमस्थ्ता पॅनल व मध्यस्थ्ता समित

४.२ बोड्र आईएसई पर तथा हर भागीदार स्टॉक एकसेंचंच पर दस मध्यस्थों का एक पैनल गठिन करेगा जिसमें कानेन न्याय क्षेत्रों के प्रसिध्द व्यक्ति होंगे और डीलर व ट्रेडर भी होंगे किन्तु ट्रेडरो और डीलरों की संख्या चार से अधिक नहीं होगी।

४.३ कंपनी मुबई नीवी मुबई में सैन्ट्रल आर्बिट्रेशन पैनल नाम से मध्यस्थो को पैनल गठिन करेगी जिसमें कम से कम दत सदस्य होंगे वित्त व अकाडन्टैन्सी क्षेत्रें के प्रसिध्द व्यक्ति होंगे और वे किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य ब्रोकर नहीं होंगे। प्रबध मिदेशक व पूकालिक मिदेशक पदेन सदसये होंगे।

४.४ बोर्ड समय समय पर केन्द्रीय मध्यस्थता पेनल पर मध्यस्थों की संख्या बढ़ सकता है जो मध्यस्थता के लिए आए मामलों पर निर्भर करेगा। केन्द्रीय मध्यस्थता पैनल या बढ़ाकर ट्रेडरों/डीलरों व अन्यों के ४०:६० का अनुपात ही रखेगा।

४.५ बोर्ड इसी प्रकार एक क्षत्रीय मध्यस्थता पैनल का गठन करेगा जिसमें हर सदस्य एक्सचेंज पर कम से कम १० सदस्य होंगे जिनमें से ४०: कंपनी के ट्रेडरों और डीलरों में से तथा ६० कानून वित्त या अकाउन्टैन्सी क्षेत्रे के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और वे किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य होकर नही हो सकते।

४.६ बोर्ड क्षेत्रीय मध्यस्थता पैनल पर समय समय पर [illegible] मध्यस्थता के लिए आए मामलों की संख्या के अनुसार मध्यस्थों की संख्या बढ़ा सकता है। क्षेत्रीय मध्यस्थता पैनल के इस बढ़े हुए आकार में भी ट्रेडरों/डीलरों व अन्यों की संख्या का अनुपात ४०:६० होगा।

४.७ पैनल अपने स्वविवेक से आईसीसी या भागीदार सदस्यों एक्सचेंजों जिनसे मामला जुड़ा है या अन्य भागीदार स्टॉक एक्सचेंजों के किसी अधिकारी या प्रशासनात्मक मशीनरी से सहायता मांग सकता है इस तरह की सहायता बिना किसी विलंब या समर्थन के दी जानी होगी।

४.८ बोर्ड केन्द्रीय मध्यस्थता पैनल व क्षेत्रीय मध्यस्थता पैनल की बैठक बुलाने उसका विवरण तैयर करने निर्णय हरजाना फीस तथा पैनलो के सक्षम व प्रभावी कार्यसंचालन से संबंध्धित अन्य सभ्सी मामलों के लिए अधिनियमों का उल्लेखन कर सकता है बशर्ते यह किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लधन न करे। किसी प्रकार के उल्लंधन की सिथिति में संबंधी संशोधन करने से पूर्व संबंधित अधिकारी का समूचित स्पष्टीकरण लेना होगा।

अनुशासनात्मक कार्यसमिति

४.९ बोर्ड एक अनुशासनात्मक कार्य समिति का गठन करेगा जिसमें पांच व्यक्ति होगे जिनमे से तीन कानून, न्याय, वित्त व अकाउन्टेन्सी क्षेत्रे के प्रसिध्द व्यक्ति होंगे। जो किसी स्टाक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे और शेष दो ट्रेडरों और डीलरों में से होंगे।

४.१० इसप्रकार गठित अनुशासनात्मक कार्य समिति के सदस्यों की अवधि एक वर्ष होगी जब तक सामान्य बैठक में सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पुर्ननियुक्ति के पात्र हों। हालाकि जानेवाले सदस्य वार्षिक सामान्य बैठक के बाद समिति पर नए प्रतिनिधियों का नामांन होने तक काम करना जारी रखेंगे।

४.१२ समिति अनुशासनात्मक कार्य के अनुपालन के प्रक्रिया निशिचत करेगी, अपने कार्यसंचालन के लिए ठीक समय समझाकर नियमाके अधिनियमों का निर्माण करेगी और अपने

सदस्यों ट्रेडरो व डीलरो व अन्य भागीदारों के विरूद इस प्रकार की नियंत्रक व अनुशासनात्मक कार्यवाही करेगी जो उसवक उल्ले,ित विशिष्ट मामल के लिए ठीक लगें।

४.१३ समिति अपने स्वनिर्णय से आईएसई या भागीदार सदस्य एक्सचेंजो जिनसे मामला जुड़ा है के किसी अधिकारी या प्रशासनात्मक मशीनरी से सहायता मांग सकता है। इस तरह की सहायता बिना सिी विलंब या समर्थन के दी जानी होगी।

४.१४ समिति बैठक बुलाने, उसका विवरण तैयार करने निर्णय दंड हरजाना फीस तथा समिति के सक्षम व प्रभावी कार्य संचालन से संबंति अन्य सभी मामलों के लिए अधि ानियमों का उल्लेखन करेगी बशर्ते वे किसी संवैधनिक नियम का उल्लधन न करें।

डिफॉल्टस समिति

४.१५ बोर्ड हर वर्ष डिफॉल्टस समिति गठित करेगा जिसमें व्यक्ति होगें जिसमें छह व्यक्ति कानून न्यान वित्त व अकाउन्टैन्सी क्षेत्री के प्रसिध्द व्यक्ति होंगे और ये किसी स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे और शेष चार टेडरों और डीलरों में से होंगे।

४.१६ इस प्रकार गठित समिति के सदस्यों की अवधि एक वर्ष होगी जब तक अगली वार्षिक सामान्य बैठक में सदस्य दूसरे कार्यकाल के लिए पुनर्नियुक्ति के पात्र हों।

४.१७ डिफॉल्टस समिति की बैठक का कोरम सदस्यों की कुल संघसा के एक तिहाई से कम नहीं होगा, खंडों को जोडकार अगली संख्या के लिए जाएगा। समिति की किसी भी बैठक में कम से कम दो सार्वजनिक प्रतिनिधि होन जरूरी है।

४.१८ समिति आईसीएमएस या कंपनी को सदस्यों टेडरों डीलरों व अन्य भागीदारों द्वारा वादा पूरा करने से संबंधित किसी विशेष मामले में अपनाई जानेवली प्रकिया का निर्णय लेबी और इस प्रकार के नियम व अधिनियम बनाएगी और ऐसे निर्णय लेगी जो उसे उल्लिखत विशेष मामलों में तथा समिति के सुचारू कार्ययंचालन के लिए आवश्यक हों। इसमें सदस्य ट्रेडर डीलर या भागीदार के अधिकार विशेषाधिकार आस्तियों व सम्पत्तियों की जब्ती द्वारा देयताओं की वसूली शामिल है बशर्त यह एसी

ए १६४३ सेबी कानून १६६२ के संवैधानित प्रावधानों तथ अनुछेदों नियमों उपनियमों और अधिनियमों या बोर्ड के इस प्रकार के किसी निर्णय जो मार्गदर्शिकार के समान हो

४.१६ समिति आईएसई या भागीदार स्टॉक एक्सेचंज जिससे मामला संबंधित है के किसी अधिकरी या प्रशासनात्मक मशीनरी या किसी अन्य भागीदार स्टॉक एक्सचेंज से सवनिर्णय के अनुसार सहायता मांग सकती है। इस प्रकार की सहायता बिना किसी विलंब या समर्थन के दी जाएंगी।

४.२० समिति बैठक बुलाने, उसका विवरण तैया करने निर्णय सदस्य ट्रेर डीलर या आईसीएमएस या कुपनी के किसी अन्य भागीदार के चूक का कामला निपटाने तथा समिति के सक्षम व प्रभावी कार्यसंचालन के सभी मामलों के अधिनियमों का उल्लेखन करेगी बशर्ते वे किसी संवैधनिक प्रावधान का उल्लंधन न करें।

५० सदस्य, ट्रेडर और डीलर

अनुच्छेदो के प्रावधानों के अतिरिक्त सदस्य, ट्रेडर व डीलर को निम्न चीजें पूरी करनी होंगी।

५०१ सदस्य, डीलर, ट्रेडर अपने स्कॉनी, एजेन्ट अधिकृत सहायकों और कर्मचारियों के कामों व त्रुटियों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा और यदि इस प्रकार का कोई काम या त्रुटि बोर्ड आफॅ डायरैक्टर्स द्वारा नियन्त्रित रखी गई हो और जो यदि सदस्य, ट्रेडर या डीलर द्वारा हो जाती या होने के लिए चूक जाती तो उस पर कंपनी नियमों? उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार दंड मिलता और इस प्रकार का सदस्य, ट्रेडर या डीलर उसी प्रकार के और उतने ही दंड मिलता का पात्र होगा जो उस काम के किए जाने या करने के लिए छोड़ दिया जाने पर मिलता।

५.२ सदस्य, ट्रेडर या डीलर कंपनी या निदेशक बोर्ड या अध्यक्ष या प्रब ध निदेशक या कार्यकारी समिति या कंपनी के उस लिए अधिकृत अधिकारी के समक्ष आकर गवाही देगा और अपने एटॉर्नी, एजेन्ट, अधिकृत सहायाकों और कर्मचारियों को भी उपरोक्त

के सामने आकर गवाही दिलवाएगा उसके समाने अपने या उनके अधिकार में र.ी किताबों, पत्रव्यवहार दस्तावेजों, कागजों व रिकॉडों या उसके किसी हिस्से को सामने रखोगा या सामने रखने का निमित्त बनेगा। ये किसी जॉच पड़ताल के तहत आनेवपाल मामले से संबंधित माने जा सकते है या जिन्हें कंपनी अपने स्वनिर्णय से कंपनी और उसके सदस्यों तथा जनता के हित व लाभर्थ तथा व्यापार के उचित व न्याय संगत समझे।

५.३ किसी सदस्य, ट्रेउर या डीलर को प्रोफैशनल सताहकार, एटॉनी, एडवोकेट या अन्य प्रतिनिधि द्वारा कंपनी या बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स के समक्ष किसी जांच या सुनवाई के लिए प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं होगा बशतें कंपनी या निदेशक बोर्ड इसकी अनुमति दें।

५.४ सदस्य, ट्रेडर या डीलर के अधिकार व विशषाधिकार एक्सचेंज के अनुच्छेदों नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होंगे।

५.५ आईएसई के सभी ट्रेडरों, और डीलरों के आईएसई पर काम शुरू करने से पहले कंपनी में अपने को रजिस्टर कराना होगा। अधिकार और विशेषाधिकार रजिस्ट्रेशन तथा उन नियमों व अधिनियमों का पुरा करने के बाद ही मिलेंगे जिन्हें संबंधित अधि ाकारी ने समय समय निर्धरित किया है और अनुच्छदों, नियमों, उपनियमों और अ धि ानियमों के अनुसार है, ट्रेडर का रिजस्ट्रेशन उस सदस्य एकसचेंज के प्रवेश के बाद ही हो सकता है जिसका वह सदस्य ब्रोकर है।

५.६ भागीदार स्टॉक एक्सचेंजो के सदस्य ब्रोकर जो सेबी पर स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्टर है आईएसई पर ट्रेडर के रूप में रजिस्ट्रेशन के लिए अधिकृत होंगे, जो आईएसई के अनुच्छेओं, उपनिंयमों व अधिनियमों की शर्तो के अनुसार हों। बोर्ड समय समय पर एससी (आर) अे सेबी कानून और उसके तहत बने नियमों के प्रवध ाानों के अनुसार इन शर्तो और आवश्यकताओं में तबदीली, संशोधन या उन्हें खत्म कर सकता है।

५.७ किसी भी ट्रेहिंग खंड का ट्रेडर उस खंड में लागू ओईएसई प्रतिमूतियों मे सौदाकर

सकता है।

५.८ कोई कानून का व्यक्ति बोर्ड की स्वीकति से आईएसई द्वारा कुछ शर्तो पर डीलर के रूप में रजिस्टर हो सकता है।

५.६ किसी भी खंड का डीलर उस खंड में लागू आईसीएमएस प्रतिमूतियों में सौदा कर सकता है।

६० ट्रेडरों व डीलरो का रजिस्ट्रेशन

६.१ आईएसई पर ट्रेडर या डीलर के रूप में स्वयं को रजिस्टर करने के इच्छुक व्यक्ति को आईएसई के संबंधित ट्रेडिंग खंड में ट्रेडर या डीलर कीतरह से रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन देना होगा। हर आवेदक पर संबंधित अधिकारी/या अधिकृत व्यक्ति जो इन आवेदनों को रजिस्टर या आवीकृत करने का स्वनिर्णय से अधिकारी है विचा करेगा।

६.२ आवेदन इसतरह की रूपरे,ा में होगा जिससे संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर हर ट्रेडिंग खंड के लिए आवेदन या रजिस्ट्रेशन के संबंध में निर्धारित किया गया हो।

६.३ ट्रेडर के रजिस्ट्रेशन का आवेदन बोर्ड या भागीदार स्टॉक एक्सेंचज के निर्धारिरत अधि ाकारी द्वारा याथावत् अनुमोदित कर आईएसई को भेजा जाएगा। डीलर के आवेदन पर आईएसई के संबंधित अधिकारियों द्वारा सीधे कार्यवाही की जाएगी। सामान्य सिहथतियों में आईएसई पूरे किए गए आवेदन प्राप्त होने की तारी,ा के ३० दिनों के अन्दर रजिस्ट्रेशन के आवेदन पर कार्यवाही कर रजिस्ट्रेशन पर निर्णय ले सकता है।

६.७ आवेदन संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित रूप व प्रकार से फीस, सुरक्षा जमा व अन्य पैसों के साथ पेश किया जाएगा।

६.८ संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए के अनुसार आवेदन में जुड़ी होनी जरूरी है।

६.६ संबंधित अधिकारी को आवेदकों से फीस, या जमा, नकद या किस्म में इस तरह की

अतिरिक्त सुरक्षा अतिरिक्त सूचना या गारंटी देने या किसी भवन निर्माण पुड, कंप्यूटरीकरण पुड, ट्रेनिंग फंड या फीस की मांग करने का अधिकार है यह समय समय पर उसके निधारित किए अनुसा हो सकता है।

६.७ संबंधित अधिकारी आवेदक को आईएसई के निजी खंड में ट्रेडर या डीलर के रूप में प्रविष्ट कर सकते है बशर्ते व्यक्ति पात्रता शर्तें, अन्य प्रक्रियाएं व आवेदन तथा प्रवेश की आवश्यकताओं को पूरा करता हो। संबंधित अधिकारी बिना कारण दिए अपने निर्णय के उधार पर रजिस्ट्रेशन का आवेदन अस्तीकार कर सकते है।

६.८ संबंधित अधिकारी ट्रेडर या डीलर के आई एस ई पर रजिस्ट्रेश के बाद किसी भी समय रजिस्ट्रेशर खतम कर सकता है यदि उसने ट्रेडर या डीलरा के रूम में रजिस्ट्रेशन के आवेदन के समय या रजिस्ट्रेशर से पूर्व संबंधित अधिकारी द्वारा की जानेवाली जांच के समय

अे. जानबूझ कार कोई मिथ्या निरूपना किया हो, या

बी. प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से गलत विवरण या सूचना दी हो या गलत घोषणा की हो

सी. उसके चरित्र व पूर्ववर्ती घटनाओं के विषिय में आवश्यक चीजों ब सूचना को दबाया

६.९ जब कोई आईएसई के ट्रेडर या डीलर के रूप में रजिस्टर्ड हो तो उसके रजिस्ट्रेशन की सूचना भागीदार स्टॉक एक्सचेंज को भेजी जाएगी जिसका वह सदस्य है, यदि आईएसई के ट्रेडर या डीलर के रूप में किसी का रजिस्ट्रशन होता है और उसके प्रवेश की सूचना यथावत् भेजे जाने के आद वह संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित ट्रेडर यार डीलर के विशेषधिकारें का उपयोग करने के लिए काम व प्रक्रियाएं पूरी रजिस्ट्रेशन की सूचना भेजे जाने के बाद निर्धारित अवधि के अन्दर करते हुए ट्रेडर या डीलर नहीं बनता तो उसके द्वारा भुगतान की गई रजिस्ट्रेशन फीस जब्त कर ली जाएगी।

६.१० आईएसई के हर ट्रेडर या डीलर को आईएसई का ट्रेडर या डीलर नियुक्त होने के

बाद रजिस्ट्रर किया जाने तथा आईएसई के ट्रेडर या डीलर के लाभ व विशेषाधिकर के अधिकृत होने का एक प्रमाणपत्र या अधिकृतव पर्थी मिलेगी। यह अधिकृतत्व या प्रमाणपत्र अन्तरणीय या प्रेष्य नहीं होगा।

६.११ प्रमाणपत्र या अधिकृतात्व सूची कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार नहीं देती।

६.१२ ट्रेडर या डीलर अपने ट्रेडिंग अधिकार या कोई भी अधिकार यार उससे संबंधित विशेषाधिकार निर्दिष्ट, बन्धकर गिरवी, रहन या निरीक्ष्पाधीन नहीं र,ोगा और इस प्रकार प्रयास किया गया किसी प्रार का निदिष्ट, बन्धक, गिरवी, रेहन या निरीक्षणाधीन रखा जाना किसी भी उदेश्य के लिए आईएसई के प्रभावी नहीं होगा, ना ही ट्रेडर या डीलर के व्यक्तिगत अधिकार व व्याज के अलावा कोई अन्य अधिकार आईएसई पर मान्य नहीं होगा। इस नियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले या उल्लंघन का प्रयास करनेवाले आईएसई के ट्रेडर या डीलर को संबंधित अधिकारी निषकासित करेगा।

पार्टनरशिप व कॉर्पोरेशन

६.१३ कोई भी ट्रेडर मामले के अनुसार अपने संबंधित एक्सचेंज या सेबी की पूर्व अनुमति के बिना या कॉर्पोरटाइज किए बिना और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार पार्टनरशिम बना सकता है या मौजूदा पार्टन रशिम में नया पाटनर जोड़ सकता है या मौजूदा पार्टनरशिप या कॉर्पोरेट के नाम में परिवर्तन कर सकता है इसमें अन्य बातों के साथ साथ जमा, घोषाणएं, गारंटी व अन्य वे शर्ते भी शामिल होंगी जो कंपनी के निदेशकों व फर्म के पार्टनरो पर बाध्यकारी होंगे।

६.१४ ट्रेडर द्वारा सदस्यता की पार्टनरशिप या कॉर्पोरटाइजेशन ट्रेडर जिस भागीदार स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य है उसके नियमों, उपनियमों व अतिधनियमों और एसी ए १९४३ और सेबी कानून १९९२ और उसके तहत बने अनुच्छेदों नियमों के साथ आईएसई के नियमों उपनियमों व अतिधनियमों के अनुरा होगी पार्टनरशिम फर्म कॉर्पोरेशन के रजिस्ट्रेशन संबंध में प्रशासनात्मक व नियन्त्रक कार्य, सभी संबंधित कानूनों, नियमों

व अतिधनियमों को पूरा करने के कार्य उस भागीदार स्टॉक एक्सचेंजो को भी पार्टनरशिम फमो के रजिस्ट्रेशन या संविधान में परिवर्तन या अपने सदस्य ब्रोकरो के कॉपरेटाइजेशन के विषय में आईएसई को सूचित करना होगा। आईएसई से त्यागपत्र देने के बाद संविधान में या ट्रेडर के स्वामित्व ढांचे में किसी प्रकार के परिवर्तन भागीदार स्टॉक के स्वामित्व ढांचे में किसी स्वीकृत्ति देंगे।

६.१५ पार्टनरशिप फर्म का कोर्द ट्रेंडर बिना आएसई की अनुमति के फर्म में अपना हित का हस्तांतरण या उसे शपग्रस्त नहीं कर सकता।

६.१५.१ कोई ट्रेडर एक ही समय में एक से अधिक पार्टनरशिम फर्म जो एक्सचेंज पर ट्रेडर है का पार्टनर नहीं हो सकता।

६.१५.२ पार्टनरशिप फर्म आयेकार विभाग तथा फर्मो के रजिस्ट्रर के पास रजिस्टर करा कर इस प्रकार के रजिस्ट्रेशन का प्रमाण आईएसई को वेगी।

६.१८ पार्टनरशिम फर्म के सवस्यों को आईएसई को सभी भागीवारों व बचे भागीवारों के हस्ताक्षरों के साथ विघटन या किसी पार्टनर की सेवा निवृति या मृत्यु से होनेवाले पार्टनरशिम परिवर्तन की सूचना आईएसई को लिखित रूप से वेनी होगी।

रजिस्ट्रेशन का समापर

६.२० निम्न से किसी एक या अधिक के लागू होने पर टेडर या डीलर या डीलर नहीं रहेगा

त्यागपत्र

मृत्यु

अनुच्छेदों नियमों उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार निष्कासन

सेबी द्वारा स्टॉक ब्रोकर के रूप में रजिस्ट्रेशन रदद किए जानेपर,

भागीदार स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य न रहने पर

भागीदार स्टॉक एक्सचेंज का सदस्य न रहरे पर

भागीदार स्टॉक एक्सचेंज जिसका वह सदस्य है कि सदस्यता की समाप्ति या निष्कासन

६.२०.१ एक्सचेंज के उपनियामो नियमों व अधिनियामें के अनुसार चूककर्त्ता घोष्ति किए जाने पर।

त्यागपत्र

६.२१.१ ट्रेडर या डीलर जो आईएसई के ट्रेडर या डीलर के रूप में त्यागपत्र देने का इच्छुक है अपने भागीदार स्टॉफ एक्सचेंज के माध्यम से इस संबंध में आईएसई को लिखित नोटिसय देगा जो आईसीएमएस के कोटेशन सिस्टम पर संबंधित अधिकारियों द्वारा निशिखत की गई अवधि के लिए प्रदिशित किया जायेगा।

६.२१.२ कोई ट्रेडर या डीलर या आईएसई का सदस्य इस प्रकार के किसी त्यागपत्र के संबंध ा में काई अपत्ति है वह आपत्ति के कारणें की जानकारी समय समय पर संबंधित अधि ाकारी द्वारा निर्धरित अवधि के अन्दर पत्र द्वारा डनहें प्रषित करेगा।

मृत्यु

६.२२ ट्रेडर या डीलर की मृत्यु पर उसका कानूनी प्रतिनिधि व अधिकृत प्रतिनिधि यदि हो, भागीलदार स्टॉक को इस संबंध में पूरी सूचना देंगे, जो आईएसई के संबंधित अधि ाकारी तक सूचना पहुंचाएगा। डीलर के संबंध में सूचना सीधे आईएसई को दी जानी चाहिए।

प्रभार देने में असफल

६.२३ एक्सेचेंज के नियमों उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार यदि कोई ट्रेडर या डीलर संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धरित अवधि के अन्दर आईएसई द्वारा लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी आईएसइ या क्लीयरिंग हाउस को देय प्रभार वार्षिक सब्सक्रिप्शन फीस या अन्य पैसासनहीं दे पाता तो भुगतान न करने तक उसे

संबंधित अधिकारी द्वारा तब तक के लिए आस्थगित किया जा सकता है जब तक वह भुगतार करें और यदि और पन्द्रह दिनों के अन्दर व भुगतान करने में असफल रहता है तो उसे संबंधित अधिकारी द्वारा निकाला जा सकता है।

सतत प्रदेश

६.२४ संबंधित अधिकारी समय समय पर ट्रेडरों और डीलरों के सतत रजिस्ट्रेशन की शर्तों व आवश्यकताओं का निर्धारण करंगे इसमें और चीजों के साथ साथ न्यूनतम नैटवर्थ व पूंजी पर्याप्तता का भी समावेश है। इन आवश्यकाताओं को पूरा करने में असफर ट्रेडर या डीलर निष्कासन के पात्र होंगे।

चूककत्ताओं को पुनप्रवेश

६.२५ ट्रेडर/डीलर के चूककर्त्ता किए जाने के तत्कार बाद ट्रेडर व डीलर के विशेषाधिकार समाप्त होकर आईइसई को बिल जाएगो। चूककर्त्ता घोषित किए जाने के बाद ट्रेडर या डीलर को आईएसई से प्राप्त सभी अधिकार व विशेषाधिकार जब्त कर लिए जाएगे।

६.२६ संबंधित अधिकारी चूककर्त्ता ट्रेडर/डीलर को समय समय पर नियमों उपनियों व अधि ानियमों में निर्धारित प्रवाधानों के अनुसर तथा भागरीदार स्टॉक एक्सचेंच और डिफाल्ट समिति के सुझााव के बाद ही पुर्नप्रवेश दे सकते है।

६.२७ संबंधित अधिकारी केवल उन्ही चूककर्त्ताओ को पुनः रजिस्टर कर सकते है जो उनके अमत से :

अे) चेककर्त्ता घोषित होने के छह महीनों के अन्दर आईएसई तथा भागीतदार स्टॉक एक्सचेंज और ग्रहकों का सब पैसा दे चुके हो

बी) उसने उन सिध्दान्तों के कारण चूक की हो जिन्हें उसने पूरा करने के लिए ठीक समझा हो

सी) वह खबरा विश्वास या आईएसई व भागरीदार स्टॉक एक्सचेंज के उपनियामों

नियमो व अधिनियामों के उल्लंधन का दोषी नहीं है।

डी) अपने सामान्य व्यवहार में निर्दोष है, और

६.२८ चूककर्त्ता पर पुर्नरहिस्ट्रेशन के लिए संबंधित अध्किाररियों द्वारा दो वर्ष बाद ही विचार किा जाएगा। देश्ताओं में आईएसई भागीदार स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडरों डीलरों, ग्राहकों तथा आईएसई से जुड़े सभी भागीदारों की देयताएं जाएंगी।

७ आवार संहिता अनुशासनात्क कार्यवाहियों दंड, स्थगन और निष्कासन

अनुशासनात्म अधिकार क्षेत्र

७.१ संबंधित अधिकारी ट्रेउर या डीलर को सभी या किसी एक अधिकार या विशेषाधिकार के लिए चेतावनी, दे सकता है उसे समाप्त, निष्कासित स्थमित कर सकता है जुर्माना या निन्दा प्रस्ताव लगा सकता है यदि उसे एक्सचेंज के अनुक्षछेदों या उस ओर से अधिकृत आईएसेई के अधिकारी के आदेशी का उल्लंधन पूरा न करना अनुशासनहीनता अनादार या अपवंचन काअधिकारी माना जाता है या किसी व्यवहार, अपयशकारी व अनुचित समझते हो या व्यापार के अचित व न्यासंगत सिध्दान्तो के विरूद हो या आई एसई के हितों अच्छो नाम व आईएसई के लाभो के लिए घातक हो या इसके उदेश्य के प्रति पक्षपातपूर्ण व विद्रोही माना जाता है

दुवर्यवहार, व्यवसाय विराधी व्यवहार व अव्यावसायिक व्यवहार के लिए दंड

८.२ विशेष रूप से और नियम ७.१ के प्रावधानों की व्यापकता के प्रति पूवग्रिह व सीमित किए बिना ट्रेडर या डीलर को सारे ट्रेहिंग अध्किारों से निष्कासन व स्थगन कर उन्हें समाप्त कर दिया जाएगा और तथा उसतरह से दिए गए प्रावधानों के अनुसार या जुर्माना का भुगतान और या निन्दा प्रस्ताव फटकार या चेतावनी उसके छुव्यवहार अव्यावसायिक के समान बताव या अप्रोफैशनल तरीके के लिए दिए जाएगें।

दुर्व्यवहार

७.३ ट्रेडर या डीलर सदस्य नियम से किसी या समान कामों या आईसीएमएस पर होनेवाली चूकों या भागीदार स्टाक एक्सचेंजों पर की गई निम्न मूलों के लिए दुर्व्यवहार के दोषी ठहराए जाएगें।

ए) धोखा: यदि यह अपराधिक दोष में दोषी ठहराया जाए या धोखा या धोखाधडी का काम करता है जिसमें संबंधित अधिकारी के मत में वह ट्रेडर या डीलर रहने योग्य नहीं रहता।

बी) उल्लंघन: यदि उसने आईएसई या भागीदार स्टाक,एक्सचेंज, ट्रेडरों डीलरों सामान्य रूप से सिक्योरिटी व्यवसाय के कामों और गतिविधियों को प्रशासित करनेवाले अध यादेश के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो।

सी) अनुचित बर्ताव: यदि संबंधित अधिकारी की नजर में वह आईएसआई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज पर अनादरपूर्ण, अपमानजनक या अनियंत्रण या अनुचित व्यवहार करता है जिससें आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज के काम में जानबूझ कर बाध ा पड़ती है।

डी) नियमों, धाराओं उपनियमों व अधिनियमों का उल्लघंन: यदि भागीदार स्टाक एक्सचेंज के किसी ट्रेडर , डीलर या सदस्य जिसके बारे में उसे आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज नियम, उपनियम अधिनियम या किसी प्रस्ताव आदेश, अधिसूचना, या उसके ताह किसी संबंधित अधिकारी या किसी समिति या आईएसई के अधिकारी या उस ओर से अधिकृत भागीदार स्टाक एक्सचेंज के निर्देशों के उल्लंघन या अपवंचन की जानकारी होते हुए की छुपायी हो या सूचना न पहुंचने देने में सहायता की गई हो।

ई) प्रस्ताव पूरा करने में असफलता: यदि वह संबधित अधिकारी या किसी समिति या आईएसई के अधिकारी या भागीदार स्टाक एक्सचेंज उसकी ओर आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत अधिकृत के

प्रस्ताव, आदेश, अधिसूचना निर्देश, निर्णय या दण्डाज्ञा पूरा करने के लिए मना करता है या उल्लंघन करता है।

एफ) मध्यस्थता को मानने में असफलता : यदि यह संबंध अधिकारियों या मध्यस्थता समिति या मध्यस्थों की जिन्हें आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज नियमों ओर अधिनियमों के तहत उल्लेखन के संबंध में गठित किया गया है के निर्णय, निषेधाज्ञा या आदेश मानने या पूरा करने में असफलता व असावधान रहता है और मध्यस्थता के लिए देने के लिए लिए मना करता है।

जी) साक्ष्य या सूचना देने में असफलताः यदि वह संबंधित अधिकारी या समिति या आईएसई के अधिकारी या उसकी ओर से अधिकृत भागीदार स्टाक एक्सचेंज को इस प्रकार के खाते, पत्रव्यवहार, दस्तावेज व कागजात सौपने में असावधानी बरतता है या असफल रहता है या मना करता है, जिनका दिए जाना अपील व इसके किसी भागीदार, स्टॉनी, एजेन्ट, अधिकृत प्रतिनिधियों या कर्मचारियों के सामने पेश करना तथा संबंधित अधिकारी या इस तरह की समिति या आईएसई के अधिकारी या भागीदार स्टाक एक्सचेंज या उसके लिए अधिकृत अन्य व्यक्तियों के समक्ष गवाही के लिए आवश्यक है।

एच) विशेष प्रतिलाभ देने में असफलताः यदि संबंधित अधिकारियेां द्वारा निर्धारित समय में वह संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित फार्म मे ऐसी सूचना जो जरूरत पडने पर संबधित अधिकारी को चाहिए कि साथ विशेष प्रतिलाभ देने में असमर्थ रहता है जब कि संबंधित अधिकारी चाहते हैं कि , इस प्रकार के विशेष प्रतिलाभ या सूचना किसी ट्रेडर या डीलर या भागीदार स्टाक एक्सचेंज के सदस्य द्वारा दिए जाने चाहिए।

आई) ऑडिट किए हुए अकाउन्ट देने में असफलता : यदि वह आडिटर रिपोर्ट के साथ अपने आडिट किए हुए खाते आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज को निर्धारित संबंधित द्वारा समय समय पर निर्धारित समय अवधि में देने में असावधानी बरतता है, असफलता रहता है या मना करना है।

जे) चूककर्ता के साथ खाते की तुलना व देने में असफलता : यदि वह आईएसई की चूककर्ता समिति या भागीदार स्टाक एक्सचेंजों की चूककर्ता समिति के साथ अपने खाते की तुलना करने में असावधानी बरतता है या असफल होता है या चूककर्ता के साथ अपने खातों का विवरण या यह प्रमाणपत्र कि उसका ऐसा कोई खाता नहीं है या यह उसके संबंध में झूंठा व भ्रामक का विवरण देता हैं।

के) झूंठे व भ्रामक प्रतिलाभः' यदि वह अपने क्लीयरिंग फार्म में या आईएसई या भागीदार एक्सचेंज को उनके नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत आवश्यक रिटर्न भरने के समय ध्यान नहीं देता, असफलत रहता है या देने के लिए मना करता है या भ्रामक विवरण देता है,

एल) विवादग्रस्त शिकायतें: यदि वह या उसका एजेन्ट संबंधित अधिकारी या आईएसई के अधिकारी या भागीदार कोई अन्य व्यक्ति के समंध आरोप, शिकायत या मुकदमा लाता है जिसे संबंधित अधिकारी तुच्छ, विवाद्ग्रस्त या दुर्भावपूर्ण समझे,

एम) देयताएं व शुल्क के भुगतान में असफलता : यदि वह अपना सब्सक्रिप्शन, फीस मध्यस्थल प्रभार या अन्य कोई राधि जो उस पर देय हो या आईएसई व भागीदार स्टाक एक्सचेंज द्वारा लगाए गए किसी दण्ड या हरजाना का भुगतान करने में असफल रहता है

एन) भागीदार एक्सचेन्ज का: बोर्ड वैधानिक संमिति या कार्यकारी निर्देशक या अन्य समक्ष अधिकारी आ एस ई को यह सूचना देता है कि ट्रेडर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है। उसे इसका आर्डर पास हो गया है।

अव्यवसायिक जैसा व्यवहारः

(७.४) ट्रेडर और डीलर को अव्यावसमयकि के समान व्यवहार का अपराधी समझा जायेगा। या जो निम्न किसी काम या आईएसई या भागीदार स्टॉक एक्सचेंज पर छूट के कारण हो।

ए) झूठे नामः यदि वह अपना व्यवसाय या घटकों का व्यवसाय गलत काम से या

एक्सचेंज या भागीदार स्टाक एक्सचेंज के एक से अधिक ट्रेडिंग खंड में झूठे नाम से काम करता हो,

बी) झूंठे सौदे : यदि वह झूंठे सौदे करता है या प्रतिमूतियों की खरीद बेच के लिए आर्डर देता है जिसे पूरा करने में स्वामित्व परिवर्तन की जरूरत न हो या उसकी विशेषता के अनुरूप आर्डर पूरे करता हो,

सी) अफवाह फैसला : यदि वह किसी प्रकार अफवाह फैलाता है या फैलाने का कारण बनकर है:

डी) हानि कर व्यवसाय: यदि वह बाजार का सन्तुलन बिगडनें या ऐसी स्थिति जिसमें भावों से बाजार मूल्य का पता न चले के आधेश्य से बाजार का सन्तुलन बिगडने या गडबडाने के लिए प्रतिमूर्तियों की खरीद बिकी या खरीद बेच के लिए आफर करने के संबध में कोई योजना या चाल पूरी किएं जाने के लिए कदम उठाता हे या इस प्रकार की योजना बनाने में सहायता करता हे या ज्ञान से इसकी एक पार्टी बनता है

ई) बाजार में धोखोबाजी और भावों में कृत्रिम घट'–बढ : यदि वह प्रत्यक्ष या अप्रव्यक्ष रूप से अकेले या किसी के साथ प्रतिमूर्तियों के सौदो को उस हद तक प्रभावित करता है जिससे उस प्रतिमूर्ति में स्पष्ट सकिय ट्रेडिंग हो तथा मूल्यों में चढाव या उतार आए ताकि वह उस प्रतिमूर्ति में अन्यों से बिकी व खरीद करवा सके,

एफ) अनुचित व्यवसाय: यदि वह लापरवाही से अनुचित या मार्केट में व्यवसाय विरोध सौदों से उसके घटक के खाते के लिए खरीद या बिकी को प्रभावित करता है या किसी ऐसे खाते को जिसमें उसकी रूचि हो प्रभावित करता है जहां उसके घटक या उसके स्वयं के साधनों को देखते हुए खरीद या बिकी वित्तीय संसाधानों से बहुत अधिक है।

जी) समझौता: यदि वह किसी ट्रेडर या डीलर की निजी असफलता से अनजान बन कर प्रतिमूर्तियों के सौदे से उठनेवाले ट्रेडर या डीलर के उसे देयशण के निपटाने के लिए उचित है के भुगतान का आधा या उससे कम स्वीकारता हो,

एच) अस्वीकृत चैक: यदि वह किसी अन्य ट्रेडर या डीलर को या अपने घटकों को चैक जारी करता है और किसी भी कारण वंश पेशी किए जाने पर अस्वीकृत हो जाता है,

आई) घटकों के साथ सौदे करने में असफलता : यदि वह संबंधित अधिकारियों की नजरों में उसके घटको के साथ प्रतिबन्ध सौदे पूरे करने में असफल रहता है,

जे) यदि भागीदार स्टाक एक्सचेंज का बोर्ड, बैधानिक समितियां या कार्यकारी निर्देशक या अन्य सक्षम अधिकारी आईएसई का यह सूचना देता है कि ट्रेडर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है उसे इसका आर्डर पास हो जायेगा।

के) व्यवसाय विरोधी व्यवहार

७.५ ट्रेडर या डीलर आईएसई पर या भागीदार स्टाक एक्सचेंज पर छूट के किसी किस्म के निम्न कामों या गैर व्यवहारिक काम के लिए अपराधी समझा जाएगा।

ए) उन प्रतिमूर्तियों में सौदे जिनमें व्यवसाय अनुमत : यदि वह उन प्रतिमूर्तियों में सौदे करता है जिनमें सौदोंकी अनुमति नही है।

बी) चूककर्ता घटकों के लिए व्यवसाय : यदि वह सीधे या अप्रव्यक्ष रूप से ऐसे घटक के साथ व्यवसाय करता है या उसका आर्डर पूरा करता है जो उसकी जानकारी में प्रतिमूर्तियों से संबंधित वादे पूरा करने में असफलता है और दूसरे ट्रेडर या डीलर के प्रति चूककर्ता है बशर्ते ट्रेडर या डीलर के साथ घटक ने सन्तोषजनक व्यवस्था कर ली हो,

सी) दिवालिए के लिए व्यवसाय : यदि पहले संबाधित अधिकारी की अनुमति लिए या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवसाय में जुडा हो या [illegible] चुक हो या व्यवसाय करता हो जो दिवालिया या परिधीण रहा हो भले हीउस व्यक्ति को दिवालिया कोर्ट से अन्तिम मुक्ति मिल चुकी हो।

डी) स्थगन के अधीन होने पर बिना अनुमति के व्यवसाय: यदि बिना संबंधित अधिकारी की अनुमति के यह ट्रेडर या डीलर के माध्यम से अपने या प्रमुख के खाते पर उस

समय व्यवसाय करता है जब संबंधित अधिकारी द्वारा आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेंज कर व्यवसाय स्थगित करने की आवश्यकता है,

ई) स्थगित निष्कासित या चूककर्ता डीलरों के साथ व्यवसाय : यदि संबंधित अधिकारी की बिना विशेष अनुमति के यह किसी ऐसे ट्रेडिंग सदस्य के साथ दलाली में हिस्सा बांटता है या व्यवसाय या सौदे करता है जिसे स्थगित या निष्कासित किया गया या चूककर्ता घोषित किया गया है।

एफ) अन्य ट्रेडरों व डीलरों के लिए व्यवसायः यदि वह दूसरे ट्रेडर या डीलर या उनके अधिकृत प्रतिनिधि या कर्मचारी के लिए बिना उनकी लिखित अनुमती के सीधे व्यवसाय करता है या उनके आर्डर पूरे करता है। के सीधे व्यवसाय करता है या उनके आर्डर पूरे करता है।

जी) आई/भागीदार स्टाक एक्सचेज पर के कर्मचारियों के साथ व्यवसायः

यदि वह कोई सट्टे का सौदा करता है जिसमें आईएसई या भागीदार स्टाक एक्सचेज का कर्मचारी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से रूचि रखता है,

एच) डीलर, चैक्कव संयुक्त कंपनियों को व्यावसायिक उदेश्य से विज्ञापन ब्ररता है या नियमित रूप से व्यवसाय संचार पत्र या परिपत्र जारी करता है या स्टाक बाजार से संबंधित परिपत्र, पैम्पलैट या कोई अन्य साहित्य अपने नाम के साथ प्रकाशित करता है।

आई) मार्जिन आवश्यकताओं का अपर्वचनः यदि वह जानबूझ कर आईएसई या भागीदारी स्टाक एक्सचेंज द्वारा निधारित उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार मार्जिन आवश्यकताओं का अपर्वचन करता है या अपर्वचन में सहायता देता है।

जे) दलाली प्रभारः यदि वह दलाली लेने व हिस्सा बांटने संबंधी उपनियमों अधिनियमों से जानबूझ कर हटता है या अपर्वचन करता है या अपवर्चन की कोशिश करता है।

के) यदि भागीदार स्टाक एक्सचेंज का बोर्ड कार्यकारी निदेशक या वैधानिक समिति या

अन्य सक्षम अधिकारी आईएसई को यह सूचना देता है कि ट्रेडर दुर्व्यवहार का दोषी पाया गया है। तो उसके विरूद्ध आर्डर पास हो जायेगा।

व्यवसाय का स्थगन:

७.६ संबंधित अधिकारी निम्न के लिए ट्रेडर/डीलर द्वारा पूरी तरह या आंशिक रूप से उपर से व्यवसाय को स्थगित कर सकते हैं

ए) प्रतिकूल व्यवसाय: जब संबंधित अधिकारी के मतानुसार ट्रेडर/डीलर आईसीएमएस का भागीदार स्टाक एक्सचैंज के प्रतिकूल व्यवसाय करें जिसके लिए वे प्रतिमूर्तियों की खरीद व बिकी तथा खरीद व बिकी का आफर इस प्रकार करे जिससे बाजार का सन्तुलन बिगड जाए या अस्तव्यस्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसमें भावों से सही बाजार मूल्यों का ठीक प्रकार से पता नहीं चल पाएगा या

बी) अनुचित व्यवसाय: जब संबंधित अधिकारी के मत से यह अनुचित व्यवसाय करता है या अपने घटक के खाते या किसी अन्य खाते जो खरीद बेच करता है जिसमें यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुडा है ऐसी खरीद या बेंच करता है जो उसके तथा उसके घटक के साधनों व वित्तीय संसाधनों या इस प्रकार कीप्रतिमूर्तियों के संबंध में बाजार को देखते हुए अत्याधि है या

सी) असन्तोषजनक वित्तीय स्थिति : जब संबंधित अधिकारी के मत से यह आईसीएमएस या भागीदारी स्टाक एक्यचेज या अपवने उधार दाताओं के साथ सुरक्षित रूप से व्यवसाय करने के अनुमति प्राप्ति करने के वित्तीय स्थिति में न हो,

(डी) यदि कोई ट्रेडर/डीलर समय के अंदर अपना मार्जिन जमा नहीं देता या पे–इन, या डिलीवरी या निर्धारित न्यूनतम पूंजी जमा या अतिरिक्तपूंजी जमा या बैड डिलीवरी के दायित्व को या सौदे की फीस या सैहलमेंट गारंटी फंड या इन्वेस्टरी प्रोटेक्शन फंड या इन्वेस्टर्स सर्विस फंड या इन्श्योरेंस प्रीमियम का अंश या वार्षिक चंदा या दूसरी कोई फीस या दायित्व समय के अन्दर पूर्ण नहीं करता एवं समय पर उसे अचत अवसर देने के वजाय वह पूर्ण नहीं करता, तो

संबंधित अधिकारी उसके व्यवसाय को निलंबित कर सकेगा या उसको व्यवसाय की निलंबित की जरूरत

ई) यदि कोई ट्रेडर या डीलर अपना नेट वर्थ पूर्ण नहीं करता या निवेशकों के क्लेम सैटल नहीं करता या अर्विट्रेशन एवार्ड पूर्ण नहीं करता या समय समय पर जारी किऐ गए अनुदेशों या आदेशों का पालन नहीं करता या सेनी की रजिस्ट्रेशन फीस या सर्विस टेक्स या कोई वैधानिक नकाया को समय पर नहीं चुकाता, तो संबंधित अधिकारी उसके व्यवसाय को निलंबित कर सकते हैं।

एफ) यदि कोई ट्रेडर/सेबी द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा या अन्य कोई वैधानिक बॉर्डी द्वारा निलंबित किया गया है तो संबंधित अधिकारी उसके व्यवसाय को निलंबित कर सकेंगे।

जी) यदि किसी भारीदारी एक्सचेंज के द्वारा कोई ट्रेडर निलंबित निष्काषित या चुककर्ता घोषित किया है तो आई॰ एस॰ आई॰ के संबंधित अधिकारी उस ट्रेडर के खिलाफ निलंबित, निष्काषित एवं चुक कर्ता घोषित करने का कार्य कर सकते हैं।

एच) उपरोक्त कारणों के कारण संबंधित अधिकारी उस ट्रेडर/डीलर के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उसके सौदों को एस्क्वायर अप करने का उसे अधिकार दे सकते हैं या उसके सौदों को एस्क्वायर अप कर सकते हैं, जल्दी उसकी व्यवसाय करने की स्थिति को निस्कीय कर सकते हैं। उसे या कोई दूसरी तरह से निलंबित कर सकते हैं।

७.७ ट्रेडर /डीलर संबधी अधिकारों का अस्थायी निलंबन

उपरोक्त क्लॉज में लिखित क्लाज के यदि प्रबंध निदेशक या होल टाइम डाइरेक्टर या संबंधित अधिकारी किसी ट्रेडर/डीलर को अस्थायी निलंबन करने की जरूरत मंजूर करता हो तो वह ऐसा कर सकता है वशर्ते लिखित में उन कारणों को प्रदर्शित करते हुए उसका अस्थायी निलंबन करे। उस तरह के अस्थायी निलंबन के लिए पूर्ण सुनवाई के नोटिस की जरूरत नहीं होगी एवं इस तरह का अस्थायी निलंबन को बाद

में कारण पृच्छा समर्थन कर देता है तो इस यह अस्थायी निलंबन भय का भावी प्रभाव नहीं होगा जो उपरोक्त क्लॉज में लिखा हुआ है वशर्ते

ए) अस्थायी निलंबन का कारण पृच्छा नोटिस ट्रेडर/डीलर को तीन दिन के भीतर दे दिया गया है।

बी) यदि प्रबंध निदेशक या होल टाइम निदेशक या संबधित अधिकारी पूर्णतया संतुष्ट हो जाए कि जिन कारणों से अस्थायी निलंबन किया गया है वे कारण खतम हो गए हैं या उनका संतोषप्रद समाधान कर दिया गया है तो ऐसा प्रबंध निदेशक या संबंधित अधिकारी लिखित रूप में उसका निलंबन रद्द कर सकता है।

सी) अस्थायी निलंबन से ग्रसित ट्रेडर/डीलर संबंधित अधिकारी के पास अपने अस्थायी निलंबन का प्रतिवेदन कर सकता है वशर्ते उसका प्रतिवेदन स्वतः रोक दिया गया हो या संबंधित अधिकारी द्वारा विरीत आदेश पारित कर दिया गया हो।

स्थगन के परिणाम

७.८ ट्रेडर/डीलर के स्थगन के निम्न परिणाम होगे:—

७.८ (ए) सदस्यता अधिकारों से स्थगनः स्थगित ट्रेडर/डीलर अपने स्थगन के दौरान आई एस ई ट्रेडर/डीलर के अधिकारों व विशेषाधिकारों तथा भागीदार स्टॉक एक्सचेंज जिसका वह सदस्य है कि सदस्यता (ट्रेडर होने पर) से वंचित कर दिया जायेगा। किन्तु उसके विरूद्ध सम्बन्धित अधिकारी द्वारा उसके द्वारा किये गये किसी अपराध के लिए उसका स्थगन से पूर्व या पश्चात मुकदमा चलाया जा सकता है और सम्बंधित अधिकारी को सुनवाई और निर्णायादेश तथा दूसरो ट्रेडर/डीलर द्वारा उसके विरूद्ध किये गये दावों से निपटने से रोका नहीं जा सकता ।

७.८ (बी) ऋणदाताओं के अधिकार अक्षुणः स्थगन से उन ट्रेडरों/डीलरों के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पडेगा जो स्थगित ट्रेडर/डीलर के ऋणदाता हैं।

७.८ (सी)

पद का परित्याग करना निलंबन होने पर यदि किसी ट्रेडर/डीलर के पास कोई पद हो तो उसे उसका पद का परित्याग करना पड़ेगा। वह पद या स्थिति खाली हो जाएगी जिस पर वह ट्रेडर/डीलर था।

डी) अनुबंधों को पूरा करना: स्थगित ट्रेडर या डीलर अपने स्थगन से समय बकाया अनुबंधों को पूरा करने के लिए आध्य है

ई) और अधिक व्यवसाय प प्रतिवंध : स्थगित ट्रेडर या डीलर अपने स्थगन के दौरान किसी ट्रेडर या डीलर के साथ या माध्यम से कोई व्यापार या व्यवसाय का सौदा नहीं करेगा किन्तु संबधित अधिकारी की अनुमति से ट्रेडिग सदस्य के साथ या उसके माध्यम से स्थगन के समय का बकाया सौदा बन्द कर सकता है

एफ) डीलर सौदा नहीं करेंगे: कोई ट्रेडिंग सदस्य किसी स्थगित ट्रेडिंग सदस्य के साथ उसके स्थगन समय के दौरान या उसके लिए न तो व्यवसाय करेगा या दलाली बांटेगा संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति से यह हो सकता है

(७.९) निष्कासन के परिणाम

ट्रेडर डीलर के निष्कासन के निम्न परिणाम होगें

(ए) डीलरशिप अधिकारों की जब्ती : निष्कासित ट्रेडिंग सदस्य एक्सचेंज को अपना डीलरशिप अधिकारी और एक्सचेंज के सदस्य के रूप में अपने सभी अधिकार व विशेषाधिकार अपवर्तित कर देगा। इसमें उपयोग का कोई अधिकार या कोई दावा या एक्सचेज की किसी सम्पत्ति या फंड में रूचि की शमिल है लेकिन इस प्रकार के ट्रेडिंग सदस्य की एक्सचैंज के किसी ट्रेडिंग सदस्य के प्रति देयता जारी रहेगी और निष्कासन से प्रभावित नही होगी

बी) रिक्त पद: निष्कासन से वह पद या स्थिति खाली हो जाएगा। जिस पर निष्कासित सदस्य था

सी) ऋणादाताओं के अधिकार अक्षुण्ण : निष्कासन से ट्रेडर या डीलर जो निष्कासित ट्रेडर या डीलर के ऋणदाता है के अधिकार प्रभाव नही होगे। क्योंकि वह निष्कासन के समय किए हुए बकाया सौदो को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है और संबधित अधिकारी की अनुमति से ट्रेडर या डीलर के साथ या माध्यम से बकाया सौदे बंद कर सकता है

डी) अनुबंधों का पूरा किया जानाः निष्कासित ट्रेडर या डीलर अने निष्कासन के समय के बकाया सोदो को पूरा करने के लिए उत्तरदायी है और संबधित अधिकारी की अनुमति से ट्रेडर /डीलर के साथ माध्यम से बढाया सौदे बंद कर सकता है।

ई) डीलर सौदे नहीं करेगें: कोई ट्रेडर या डीलर निष्कासित सदस्य के साथ या उसके लिए व्यवसाय नही करेगे और न ही दलाली में हिस्सा बाटेगें सिवाय संबंधित अधिकारी की पूर्वानुमति को छोडकर।

७.१० व्यवसाय के निलंबन के परिणाम:-

नियम ७.६ में व्यापार का निलंबन होने पर निम्न परिणाम होगें:

ए) काम करने के अधिकार का निलंबन –निलंबित ट्रेडर/डीलर निलंबन के समय के अंदर आई सी एम एस में व्यापार करने के प्रिवीलेज से वंचित रह गया है। परन्तु वह अपने सारे बकाया सौदों का निपटान आई एस ई के नियम, उपनियम, उत्यादि के अनुसार करेगा। तथा इसके लिए वह डिलीवरी में, पेन्डल में पे–आउट में भाग लेगा। यह केवल उन्हीं बकाया सैटलमैंट एवं बकाया दायित्वों के लिए होगा।

बी) **ऋणदाताओं के अधिकार अक्षुण्णः** निष्काषन से ट्रेडर/डीलर जो निष्काषित ट्रेडर/डीलर के ऋण दाता है के अधिकार प्रभावित नहीं होगें। क्योकि वे निष्काषन के समय किए हुए बकाया सौदों के प्रति उत्तरदायी हैं और सम्बन्धित अधिकारी की अनुमति से ट्रेडर/डीलर के साथ या माध्यम से बकाया सौदे बन्द कर सकता है।

सी) **अनुबंधों का पूरा किया जाना:-** निष्काषित ट्रेडर/डीलर अपने निष्काषन के समय के बकाया सौदों को पूरा करने के लए उत्तरदायी है और संबन्धित अधिकारी की अनुमति से ट्रेडर/डीलर के साथ या माध्यम से बकाया सौदे बन्द कर सकता है।

डी) **ट्रेडर/डीलर सौदे नहीं करेगें :-** कोई ट्रेडर/डीलर निष्काषित सदस्य के साथ या उसके लिए व्यावसाय नहीं करेगें और न ही दलाली में हिस्सा बाटेंगा, शिवाय सम्बंधित आधिकारी पूर्वानुमति को छोड़कर।

रूल ७.७ के अलावा

७.११ रूल ७.७ के अलावा ट्रेडर/डीलर या सदस्य को निष्कासन या स्थगन से पूर्व संबंधित अधिकारी एक कारण बताओं नोटिस जारी करेगा। जिसमें उसके खिलाफ सभी कानूनी उलंघनों का विवरण होगा तथा अधिकारी समक्ष बुलाये जाने और स्पष्टीकरण देने का अधिकार होगा किन्तु सब मामलों में सम्बंधित अधिकारी का निर्णय अन्तिम व निश्चयकारी होगा। परन्तु रूल ७.६ के अनुसार ट्रेडर/डीलर को कारण बताओं नोटिस की जरूरत नहीं होगी।

७.१२ कानूनी प्रतिनिधि के लिए आवश्यक अनुमति:

कोई सदस्य, ट्रेडर, डीलर , भागीदार, या उसके ऐजेन्टों, प्रोफेशनल सलाहकारों, एटॉर्नी, एडवोकेट या अन्य प्रतिनिधि से किसी जांच या सम्बंधित अधिकारी या अन्य समिति के समक्ष सुनवाई के लिए प्रतिनिधित्व तब तक नहीं ले सकता जबतक सम्बन्धित अधिकारी या समिति इनकी अनुमती न दे दे।

७.१३ संबन्धित अधिकारी का निर्णय अंतिम और बाध्य:-

कारण पृच्छा नोटिस जारी करने तथा सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद संबंधित अधिकारी उपरोक्त वर्णित विपरीत नियमों के अन्तर्गत अंतिम निर्णय ले सकता है और ऐसे निर्णय हर स्थिति में अंतिम तथा ट्रेडर/डीलर के प्रति बाध्य होंगे।

७.१४ अपील

कोई ट्रेडर/डीलर संबंधित अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध बोर्ड के समक्ष अपील दर्ज कर सकता है । इन सब मामलों में बोर्ड केस से संबंधित सभी मामलों के ऊपर अपना निर्णय लेगा। जिसमें पेनाल्टी का संशोधन तथा कम करना भी शामिल होगा और निलंबन या निष्कार्षण की अवधि को कम करना या संबंधित अधिकारी के निर्णय को अनुमोदित करना शामिल होगा। बोर्ड का निर्णय अखिरी होगा और संबंधित ट्रेडर/डीलर पर प्रतिबंधित होगा, वशर्ते बोर्ड के समने अपील की बिचाराधीन समय तक संबंधित अधिकारी का निर्णय लागू रहेगा जब तक कि बोर्ड इसके विपरीत निर्णय नहीं ले ले।

दंड का नोटिस व व्यवसाय का स्थगन

७.१५ संबंधित ट्रेडर या डीलर या सामान्य रूप से ट्रेडर या डीलर निष्कासन स्थगन या चूक या ट्रेडर या डीलर द्वार व्यवसाय के स्थगन या उस पर या उसके पाटनरों, एटानी, एजेंन्ट, प्रतिनिधियो कर्मचारियों पर लगाए गए दंड की सूचना आईसीएमएस कोटेशन सिस्टम पर नोटिस द्वारा दी जाएगा। संबंधित अधिकारी अपने स्वनिर्णय के आधार पर और जिस प्रकार ठीक समझे आईएसई के ट्रेडर या डीलर को या जनता को सूचित करेंगे कि इस अधिसूचना में आनेवाला व्यक्ति निष्कासित स्थगित या दंडित यिा गया है या चूककर्ता घोषित किया गया है उसने अपना काम बंद कर दिया है या वह ट्रेडर या डीलर नहीं रहा है ऐसे व्यक्ति के साथ किसी भी हालत में कोई कार्यवाही या प्रकिया आईएसई या संबंधित अधिकारी या आईएसई के किसी अधिकारी या कर्मचारी के साथ इस प्रकार के नोटिफिकेशन के प्रकाशन या प्रसार और ट्रेडर या डीलर के लिए आवेदन या रजिस्टेशन केलिए आवेदन के संबध में नही किया गया जाएगा क्योंकि गठित एटानी या अधिकृत प्रतिनिधि या संबंधित व्यक्ति लाइसैसी के रूप में काम करेगें व इन उपनियमों नियमों ओर अधिनियमों को इस प्रकार के विज्ञापन या नोटिफिकेशन छापने प्रकाशित या प्रसारित करने की इजाजत माना जाएगा।

पारिणामिक निलंबन या निष्कापनः-

७.१६ यदि कोई ट्रेडर/डीलर उपरोक्त कायदे कानून के अनुसार व्यवसाय से निलंबित किया जाता है, तो संबंधित उस समय उसका पालन नहीं करता है तो संबंधित अधिकारी उस ट्रेडर/डीलर को यह कारण बताओ नोटिस देकर तथा अपने समक्ष सुनवाई के लिए अवसर देकर उसे ट्रेडर/डीलरशीप अधिकारों से वंचित कर सकते हैं।

७.१७ कोई ट्रेडर/डीलर जो व्यवसाय से निलंबित होने को है संबंधित अधिकारी के आदेश का पालन न करने पर, निष्काषित किया जा सकता है।

७.१८ लागू होने वाले निष्कासन नियमः– जब कोई ट्रेडर/डीलर इन उननियमों के तहत मृत्यु चूक या त्यागपत्र से ट्रेडर/डीलर नहीं रहता, तो यह ऐसा होगा मानों इस प्रकार के ट्रेडर/डीलर को सम्बंधित अधिकारी द्वारा निष्कासित किया गया हो। और उस स्थिति में इस नियमों के सभी निष्काम सम्बंधी प्रावधान हर प्रकार से इस प्रकार के ट्रेडर/डीलर पर लागू होगें।

पार्टनरों, एजेन्टों व कर्मचारियों के लिए ट्रेडरों व डीलरों का उत्तरदायित्वः

७.१९ कोई ट्रेडर या डीलर अपने अधिकृत अधिकारी, एटार्नी, ऐजेन्ट अधिकृत प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के कामों व मूलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार है और यदि किसी प्रकार कोई काम या छूट संबन्धित अधिकारी द्वारा पाया जाता है कि जिसके किए या छोडे जाने से ट्रेडर या डीलर आई एस ई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार दण्ड का पात्र हो सकता है तो वह ट्रेडर या डीलर उसी प्रकार से वही उसी हद तक दण्ड का होगा मानो यह काम या छूट उसके स्वयं के द्वारा की गयी हो।

७.२० व्यवसाय से निलंबन की वापसी या रद्द होना

यदि किसी ट्रेडर/डीलर का किसी कारण निलंबन हुआ है, तो संबंधित अधिकारी उसका निलंबन उन कारणों का पूर्ण करने पर वापस कर सकती है।

७.२१ नियम ७.८ के अंदर यदि ट्रेडर/डीलर का निलंबन हुआ है तो संबंधित

अधिकारी उसके व्यवसाय को वापस चालू कर सकती है वशर्ते उसने फीस या मार्जिन जमा या उन कारणों को जिनके कारण वह निलंवित हुआ है, पूर्ण कर देता है, यदि कोई ट्रेडर/डीलर फीस या मार्जिन वह समय के अंदर जमा नहीं करता है या उन कारणों को पूर्ण नहीं करता है, तो संबंधित अधिकारी उसके ट्रेडरशीप/डीलरशीप अधिकारों से वंचित कर सकता है।

७.२२ स्थगन का प्रतिसंहरण

उक्त धारा (७.८) के तहत व्यवसाय का स्थगन जब तक जारी रहेगा जब तक ट्रेडर इस प्रकार की जमा नहीं देता या ऐसा काम नहीं करता जिससे संबन्धित अधिकारी निष्काषन या स्थगन की सूचना या स्थगन को रद्द किऐ जाने को सूचक करता के पुर्नाविश के लिए आवश्यक समझे और उसे संबन्धित आधिकारी द्वारा व्यवसाय पुनः शुरू करने के की अनुमति न मिल जाए।

ट्रेडर या डीलर व अन्यों द्वार गवाही व सूचना देना।

७.२३ ट्रेडर या डीलर संबंधित अधिकारी या या अन्य समितियों या उसके लिए अधिकृत आईएसई के अधिकारी या उसके लिए अधिकृत आईएसई के अधिकारी के समक्ष आकर गवाही देना या अपने भागीदारों स्टानी एजेन्ट व अधिकृत प्रतिनिधियों व कर्मचारियों को अन्य समिति समितियों संबंधित अधिकारियों या उसके लिए अधिकृत आईएसई के अधिकारी के समक्ष पेश करेगा और संबंधित अधिकारी को अपने पास रखे खाते उसके लिए अधिकृत एक्सचेज के अधिकारी को अपने पास रखे हिस्से जो जांच पडताल के तहत आवश्यक या किसी मामले के लिए सामग्री माना जाएगा को देगा।

दंड लगाया जाना।

७.२४ स्थगन का दंड सभी ट्रेडिंग अधिकारों की समाप्ति जुर्माना, निंदा प्रस्ताव या चेतावनी संबधित अधिकारी द्वारा अकेले या एक साथ लगाए जा सकते है निष्कासन का दंड संबंधित अधिकारी द्वारा लगाया जा सकता है।

दंडों का पूर्व निर्धारण

७.२५ संबधित अधिकारी को स्थगन की अवधि विशिष्ट अधिकारों ओर किसी उपनियमों नियम या अधिनियम आईएसई या संबंधित अधिकारी या समिति के किसी प्रस्ताव, आदेश नोटिस, निर्देश निर्णय या अध्यापेश को पूरा न करने उल्लंघन अनुशासनहीनता जनादार या अपवंचन के संबधों में लगाए जानेवाले जुर्माना की राशि व दंडों अदि के पूर्व निर्धारिण का अधिकार है

परिवर्तन

७.२६ एससी (आर) कानून और सिक्योरिटीज कान्ट्रेक्टस रैग्यूलेशन रूल्स १६५७ के अनुसार सबंधित अधिकारी स्वनिर्णय के अनुसार किसी मामले में निष्कासन के दंड की जगह ट्रेडर या डीलर को स्थगित कर सकते है या सब या कोई भी अधिकार समाप्त कर सकते है या स्थगन व निष्कासन की जगह जुर्माना लगा सकते है और यह निर्देश दे सकते हे कि अपराधी ट्रेडर या डीलर को निंदा प्रस्ताव या चेतावनी दी जाए य जिसे वह ठीक समझे उन दंडों और शर्त तथा स्थितियों को कम या माफ कर सकते है।

पुर्नविचार व पुनरीक्षण

७.२७ सिक्युरिटीज कान्ट्रेक्टस (रैग्युलेशन) रूल्स १६६७ के प्रावधानों के अनुसार संबंधित अधिकारी समय समय पर अपनरे प्रस्ताव पर या संबंधित ट्रेडर या डीलर की अपील ट्रेडर या डीलर को स्थगित कर निष्कासित करने के संबंध में अपने निर्णय पुर्नविचार कर उसे निवस्त, रद्द या संशोधित कर सकते हैं।

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED,

JOSEPH MASSEY
Managing Director.

उपनियम

इंटर–कनैक्टड स्टॉक एक्सचैंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड

विषय – सूची

अध्याय पृष्ट – संख्या

१) परिभाषाएँ और व्याख्याएँ
२) व्यवस्थापना संरचना
३) व्यापार खंड
४) सदस्य
५) व्यापारी
६) डीलर
७) अधिनियम
८) आई एस ई पर सौदे
९) व्यापारियों व डीलरों द्वारा सौदे
१०) समाशोधन और निपटान
११) समाशोधन गृह
१२) क्लोर्जिग आउट
१३) मार्जिन
१४) ब्याज, लाभांश, राईट्स व मांग
१५) सौदो पर दलाली
१६) सदस्यों के अधिकार व दायित्व
१७) व्यापारियों, डीलरों व संघटकों के अधिकार व दायित्वी
१८) मधयस्थता
१९) चूक
२०) निपटान गारंटी फंड
२१) निवेशक सुरक्षा फंड
२२) भागीदार
२३) विविध

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED.

JOSEPH MASSEY
Managing Director.

१०॰ **परिभाषाएँ व व्याख्याएँ**

१०१॰ इन उपनियमों में यदि वे विषय या उस संदर्भ से हट कर या असंगत न हो तो निम्नलिखित शब्दों का निम्नलिखित अर्थ होगा:

१०२॰ कानून या कथित कानून का अर्थ कंपनी कानून, १९५६ है और इसमें वर्तमान में लागू सभी सांविधिक संशोधन या प्रतिस्थापना भी शामिल होंगे।

१०३॰ अनुच्छेद का अर्थ है वर्तमान में लागू कंपनी के साझेदारी अनुच्छेद।

१०४॰ बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स या डायरैक्टर्स का अर्थ है इंटर–कनैक्टड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (आं एस ई) का निदेशक बोर्ड या सामूहिक रूप से आईएसई के निदेशक ये तीनों पारिभाषिक शब्द अदल – बदल कर प्रयोग किए जाते है।

१०५॰ उप–नियमों का अर्थ है कंपनी के उप–नियम जो वर्तमान में लागू हें और यदि संदर्भ उन्यथा संकेत न करे तो इसमें वे प्रावधान भी शामिल है जो अनुबंधी का नियमन व नियंत्रण संभव कराते है। कंपनी के उपनियम सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्ट (रैग्युलेशन) एक्ट, १९५६ के प्रावधानों और उसके तहत बने नियमों सिक्युरिटीज एंड एक्सचोंज बोर्ड ऑफ इंडिया – एक्ट, १९९२ तथा उसके तहत बने नियमों के अनुसार होंगे।

१०६ ग्राहक या घटक का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके निर्देश पर और जिसके खाते में ट्रेडर या डीलर किसी भी सौदे योग्य सिक्युरिटी की खरीद या बेच का अनुबंध प्रविष्ट करता है या उससे संबंधित कोई काम करता है।

१०७ कंपनी का अर्थ है इंटर कनैक्टड स्टॉक एक्सचोंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जिसे आईएसई या आईसीएमएस के रूप में भी उल्लिखित किया गया है और वर्तमान में जिसे केन्द्र सरकार या सिक्युरिटीज एंड एक्सचोंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्टस् (रैग्युलेशन) एक्ट॰ १९५६ की धारा ४ के तहत मान्यता दी हे। सभी परिभाएँ अदल–बदल कर प्रयोग की जाती हैं।

१०५०१ समसोधन ग्रह क्लीयरीग हाऊस का अर्थ है क्लीयरीग हाऊस जो कम्पनी अपने पंजीकृत कार्यालय में सीपित करेगा या भागीदार एक्सचेन्जों में स्थापित करेगा या भागीदार एक्सचेंज अपने यहाँ स्थापित करगा तथा क्लीयरेग एव एजेन्टस, लाइंसेन्सीज और अधिकृत व्यक्ति जिसको कम्पनी ने नियुक्त किया शामिल होगें। एव क्लीयरीग हाउस का कार्य करेगें।

१०८ डीलर का अर्थ है नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार कंपनी में डीलर के रूप में किसी व्यक्ति का प्रवेश । (व्याख्या : कंपनी में पंजीकृत डीलरों का एक से अधिक वर्ग हो सकता है, जो भी बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित किया गया हो। डीलर को कंपनी के सदस्य के रूप में कोई अधिकार नहीं होगा। डीलर के लिए कंपनी का सदस्य होना आवश्यक नहीं है)

१०९ इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के लिए सौदो, लेन–देन व अनुबंधों का एक ही अर्थ होगा बशर्ते संदर्भ का संकेत कुछ और न हो। तीनों पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग अदल७बदल कर होता है।

१०१० इंटर–कनैक्टड मार्केट सिस्टम या आईसीएसएस का अर्थ है आईएसई सिक्युरिटीज के सौदो के ट्रेडिंग, समाशोधन, व निपटान के लिए स्थापित आन्तरिक संशोधन व अन्य सुविधाएँ और अन्य सभी मामले जो परिणाम स्वरूप या आकस्मिक हों या

ट्रेडरों, डीलरों भागीदारों व अन्य उपयोग कर्त्ताओं से सम्बन्धिक हो और इसमें मान्यता प्राप्त भागीदार स्टॉक एक्सचेंजो द्वारा ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारों और अन्य उपयोग कत्ताओं को आईएसई की सुविधाओं मे हिस्सा लेने योग्य बनाने के लिए स्थापित सुविधाओं का भी समावेश है। इम्यूअर का अर्थ है वह सरकारी निकाय, कॉपोरेट या अन्य सत्ता चाहे निगमित हो या नहीं, जो आईएसई की अधिकृत सूची पर सौदो के लिए स्वीकृत कोई प्रतिभूति या अन्य प्रपत्र जारी करे, या विक्रेय प्रपत्र प्राप्त अथवा स्वीकृत करें।

१०१२ मार्केट मेकर का अर्थ है विशिष्ट प्रतिमूति या प्रतिमूतियों में मार्केट मेकिंग कार्य संचालन करने के लिए आईएसई पर ट्रेडर या डीलर के रूप में पंजीकृत। *(व्याख्या : कंपनी द्वारा पंजीकृत मार्केट मेकर्स का एक से अधिक वर्ग हो सकता है, जो बोर्ड द्वारा समय समय पर तय किया जाए।)*

१०१३ सदस्य , कंपनी का सदस्य या सदस्य एक्सचेंज का अर्थ है और इसमें साझेदारी ज्ञापन पत्र व साझेंदारी अनुच्छेद के सब्बाक्राइबर और कंपनी के वे सदस्य शामिल है जो इस रूप में स्वीकृत किए गए हो जो समझौता ज्ञापनपत्र की धारा ५ (वी) में उल्लिखित उदेश्यों के लिए कंपनी की आस्तियों में योगदान देंगे। यहाँ उल्लिखित तीनों परिभाषाओं का अदल—बदल कर उपयोग किया गया है।

१०१४ महीने का अर्थ है कैलेन्डर महीना।।

१०१५ आईएसई प्रतिमूतियों की अधिकृत सूची का अर्थ है उन प्रतिमूतियों की सूची जो भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज जो आईएसई की अधिकृत सूची का सौदे करने के लिए स्वी कृत हो पर सूचीबद्ध हो।

१०१६ भागीदार का अर्थ है वह व्यक्ति जिसे कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत समय समय पर संबंद्ध अधिकारी द्वारा इस रूप में पंजीकृत किया जाए।

१०१७ भागीदार स्टॉक एक्सचेंज या भीगीदार एक्सचेंज या सदस्य एक्सचोंज का अर्थ है भारत का एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचोंज जो संबंद्ध अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तो के अनुसार नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुरूप इंटर—कनैक्टड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पर सदस्य के रूप में स्वीकृत हो। ये तीनों परिभाषाएँ अदल—बदल कर उपयोग की जा सकती हैं।

१०१८ रजिस्टर का अर्थ होगा कानून की धारा १५० के अनुसार रखा जाने वाला सदस्यों का रजिस्टर।

१०१९ रजिस्टर्ड ऑफिस का अर्थ है कंपनी कानून, १९६५ के तहत रजिस्टर्ड ऑफिस।

१०२० नियमों का अर्थ है आईएसई के समय—समय बनाए व संशोधित किए जाने वाले नियम। (व्याख्या : नियमों के अन्तर्गत कंपनी का ज्ञापनपत्र और समझोते के अनुच्छेद और इनका एक्सचोंज के संविधान व व्यवस्थापन तथा अन्य आकस्मिक व संबंधित विषयों से संबंध भी सम्मिलत होगा।)

१०२१ अधिनियम का अर्थ है आईएसई के वर्तमान में लागू अधिनियम और यदि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे तो इसमें बोर्ड, कार्यकारी समिति या अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा आईसीएसएस के संचालन के लिए समय – समय पर निर्धारित व जारी किए गए व्यवसाय नियम, आधार संहिता अन्य प्रक्रियाएँ, प्ररिपत्र, निदेश पत्र, आदेश, अधिसूचनाएँ व अधिनियम भी आएंगे। ये सिक्युरिटीज कॉन्टैक्ट्स (रैग्युलेशन) एक्ट

१६५६ तथा उसके तहत बने नियमों व सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, १६६२ व उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार होंगे।

इस उप–नियम को स्थानापन्न करने का प्रस्ताव है क्योंकि अधिनियम का अर्थ है कंपनी के अधिनियम जो वर्तमान में लागू है और यदि संदर्भ अन्यथा संकेत न दे तो इसमें बोर्ड, कार्यकारी समिति या अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा आईसीएसएस के संचालन के लिए समय समय पर उल्लिखित व जारी किए गए व्यवसाय नियम, आधर संहिता तथा अन्य प्रक्रियाएँ, परिपत्र, निदेशपत्र, आदेश, अधिसूचना व अधिनियम भी आएंगे। ये सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्टस (रैग्युलेशन) एक्ट १६५६ तथा उसके तहत बने नियमों व सिक्युरिटीज एं सक्सचोंज बोर्ड इंडिया एक्ट, १६६२ व उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार होगें।

१०२२ संबंधित अधिकारी का अर्थ है आईएसई के सदस्यों का सामान्य निकाय, कार्यकारी समिति या नियमों, उपनियमों, अधिनियमों व साझेदारी के अनुच्छेदों व अधिनियमो के तहत विशेष उदेश्य के लिए समय समय पर गठित कोई इस प्रकार की सत्ता।

१०२३ एस सी (आर) एक्ट का अर्थ है सिक्युरिटीज कॉन्टैक्स (रैग्युलेशन) एक्ट १६५६ और इसमें वर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन अथवा पुर्नअधिनियम और उसके तहत बने नियम भी आएंगे।

१०२४ मुहर का अर्थ है फ़िलहाल कंपनी की सामान्य मुहर।

१०२५ सेबी एक्ट का अर्थ है सिक्युरिटीज एंड एक्सचोंज बोर्ड ऑफ़ अंडिया एक्ट, १६६२ और इसमें चर्तमान में लागू कोई भी सांविधिक संशोधन या पुर्नअधिनियम और उसके तहत बने नियम भी आएंगे।

१०२६ सेबी का अर्थ है सिक्युरिटीज एंड एक्सचोंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट १६६२ के तहत स्थापित सिक्युरिटीज एंड एक्सचोंज बोर्ड ऑफ इंडिया।

१०२७ स्टॉक एक्सचोंज का अर्थ है भारत का स्टॉक एक्सचोंज जिसे सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रैग्युलेशन) एक्ट १६४६ की धारा ४ के तहत मान्यता प्राप्त हैं

१०२८ ट्रेडेबल सिक्युरिटी का अर्थ है आई एसई की अधिकृत सूची पर सौदे के लिए स्वीकृत कोई सिक्युरिटी।

१०२६ ट्रेडर या मैम्बर ब्रोकर का अर्थ होगा भागीदार स्टॉक एक्सचोंज का सदस्य जो नियमों, उप–नियमों व अधिकनयमों के अनुसार कंपनी में ट्रेडर के रूप में रजिस्टर्ड है। ये दोनों परिभाषाएँ उदल–बदल कर उपयोग की जाती है। (व्याख्या : कंपनी में रजिस्टर्ड ट्रेडरों का एक से अधिक वर्ग हो सकता है, इसका निश्चय बोर्ड समय समय पर करेगा।

१०३० ट्रेडिंग सैग्मैंट का अर्थ है भिन्न क्षेत्र या विभाग जिसमें आईसीएमएस के महत सौदों के लिए बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा वर्गीकृत व निर्धारित सिक्युरिटीज का समावेश हो।

१०३१ ट्रेडिंग सिस्टम का अर्थ ह एक ऐसी प्रणाली जो सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारी व निवेशक जनता व अन्य को आईसीएमएस की अधिकृत सूची पर सौदे के लिए स्वीकृत सिक्युरिटीज की कोटेशन जिस नाम से हो उपलब्ध कराती है, उनके

सौदो का कर्यान्वयन करती है मूल्यों व सौदों की संख्या से संबंधित सूचना, तथा बोर्ड या कार्यकारी समिति या किसी अन्य संबंधित अधिकारी द्वारा जारी अधिसूचनाओं, निदेशपत्रों, प्रपत्रो व सूचना का प्रसार करती है।

१०३२ राइटिंग में प्रिन्टिंग, टाइपराइटिंग, लिथोग्राफी व लिखने के अन्य आम स्थानापन्न आते हैं।

१०३३ ईयर का अर्थ है कंपनी का वित्त वर्ष।

१०३४ व्यक्ति के अर्थ वाले शब्दों में कंपनियाँ कॉपारेशन्स, फर्म संयुक्त परिवार या संयुक्त निकाय, व्यक्तियों के एसोसिएशन, सोसाइटियाँ, ट्रस्टख सार्वजनिक वित्तीय संस्थाए, सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं या बैकों या कंपनियों, कॉर्पोरेशनों व फर्मों में नपुंसक लिंग होगा।

१०३६ एक वचन के अर्थ वाले शब्दों में बहुवचन व बीवचन वाले शब्दों मे एक वचन शामिल होगा।

१०३७ इन प्रस्तुतियों में अन्यथा परिभाषित न हो या संदर्भ की आवश्यकता न हो या भिनन अर्थ सूचित न होता हो, तो इन प्रस्तुतियों में आया कोई शब्द या अभिव्यक्ति का अर्थ कंपनी कानून, १९४६ सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स (रैग्युलेशन) एक्ट, १९४३ तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट, १९९२ या इनके किसी संशोधन या पुर्नअधिनियम या उसके तहत बले किसी नियमया अधिनियमों के अनुसार होगा।

१०३८ मार्जिनल नोटों से इसकी संरचना परप्रभाव नहीं पड़ेगा।

२०१०१ अनुच्छेद २० के आधार पर हर साल कंपनी की सालाना सामान्य बैठक के बाद अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा जो कि सार्वजनिक प्रतिधियों में से ही होगें। कंपनी का अध्यक्ष प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा और जिसे पूंजी बाजार का ज्ञान व अनुभव होगा।

१०१०२ अध्यक्ष किसी स्टॅक एक्सचेंज का सदस्य नहीं होना चाहिए और पूर्ण कालिक रोजगार में भी नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष का पद गैर कार्यकारी पद होगा।

२०१०३ अध्यक्ष के पद की अवधि बोर्ड निश्चित करेगा, जो अधिकतम तीन वर्ष होगी, वर्शे अध्यक्ष पद के दौरान वह सार्वजनिक प्रतिनिध बना रहे।

२०१०४ अध्यक्ष कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों, साझेदारी के अनुक्षछेदों में ति गए अधिकारों व कार्यों के अतिरिक्त बोर्ड द्वारा सभय समय पर सौपे जाने वाले अधिकारों, कार्यों का अनुपालन करेगा और सौपे गए कर्तव्यों को निभाएगा। अध्यक्ष सभी सार्वजनिक मामलों में कंपनी का अधिकारिक रूप से प्रतिनिधित्व करेगा।

१० व्यवस्थापन संरचना

२०२ साझेदारी के अनुच्छेदों के २४वें अनुच्छेद और नियमों के दूसरे अध्याय के तहत बोर्ड को सौपे गए कंपनी के मामलों के कुल व्यवथापन के अनुसार

(१) प्रबंध निदेशक को दिन प्रतिदिन के कार्य संचालन के निए तथा साझेदारी के अनुच्छेदों, कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुपालन के लिए कंपनी के कार्यकारी अधिकरी दिए जाएंगे और वह नीचे दिए गए प्रकार और जिस प्रकार बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंपे जाएँ इस प्रकार के अधिकारों का पालन कर सकता है।

(२) अध्यक्ष की अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक को साझेदारी के अनुच्छेरों कंपनी के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार अध्यक्ष के अधिकार, सत्ता, कर्तव्य व कार्य सौंपे जाएंगे। अनुच्छेद १६०३, १६०५, १६०६ए १६०७ए १६०१०, १६०११, १६०१४, १६०२४, २२०२, और २२०४ अपवाद होंगे।

२०४ पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा समय समय पर सौंचे गए सभी कार्यों, कर्तव्यों व उत्तरदायित्वों को पूरा करेगा। प्रबंधनिदेशक की अनुपस्थिति में पूर्णकालिक निदेशक का दायित्व होगा कि कानून के लागू होने वाले प्रावधानों, साझेदारी के अनुच्छेदों कंपनी के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों को लागू करने के लिए सेबी द्वारा जारी किए गए निदेश, मार्गदर्शिकाओं, व निदेशपत्रों को प्रभावी बनाए। इस संबंध में किसी प्रकार की चूक से स्टॉक एक्सचेंज द्वारा सेबी की पूर्व अनुमति से या सेबी द्वारा उस दिशा में पाए निदेश से पूर्णकालिक निदेशक को निलंबित या स्थागित किया जा सकता है बशर्ते पूर्णकालिक निदेशक को इस प्रकार हटाए जानेके विरूद्ध सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

२०५ प्रबंध निदेशक की अनुपस्थिति में या काम करने की उसकी अण्यक्षता के कारण, उसके काम व सत्ता का निष्पादन पूर्णकालिक निदेशक द्वारा किया जाएगा और पूर्णकालिक निदेशक की अनुपस्थिति में यह काम कंपनी के दूसरे वरिष्ठ अधिकारी जिसे बोर्ड अधिकृत करे किया जाएगा।

२०७ कार्यकारी समितियों का गठन या नियुक्ति बोर्ड द्वारा आईएसई विभिन्न ट्रेडिंग खण्डों के दैनिक मामलों की व्यवस्था के लिए साझेदारी के अनुच्छेदों और नियमों के प्रावधानों के अनुसार इस प्रकार की जाएगी जिस प्रकार साझेदारी के अनुच्छेदों नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में दिया गया हो।

२०८ हर खण्ड की कार्यकारी समिति को साझेदारी के अनुच्छेदों और नियमों के अनुसार बोर्ड द्वारा समय समय पर अधिकार व उत्तरदायित्व सौंपे जाएंगे।

३० व्यापार खण्ड

३०१ बोर्ड द्वारा समय समय पर उल्लेखन के अनुसार एक से अधिक व्यापार खण्ड हो सकते है।

३०२ विभिन्न खण्डों में जिन सिक्युरिटीज को ट्रेडिंग की अनुमति मिलेगी उनका बोर्ड या संबंधित सत्ता समय समय उल्लेख करेगी।

३०३ सिक्युरिटीज कॉन्ट्रैक्टफस (रैग्युलेशन) एक्ट, १९४६ के तहत ट्रेडिंग की पात्र प्रतिभूतियों को कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग खंण्ड में सौदों के लिए स्वीकृत किया जा सकता हैं।

३०४ ऋण, प्रपत्र, स्क्रिप–रहित, प्रपत्र, फयूचर्स, ऑपशन्स, आदि ट्रेडिंग खण्डों व अन्य खण्डों को संबंधित ऑथोरिटी द्वारा समय समय पर उल्लिखित किया जा सकता हैं।

३०४०१ हालांकि फयूचर्स और ऑपशन्स या डेरिवेटिव्य में टेडिंग सेबी द्वारा प्राप्त अनुमति और सेबी द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले निदेशों व मार्गदर्शिकाओं के अनुसार होगी। सभी अनुबंध व व्यवसाय नियम उक्त ट्रेडिंग खण्डों के उपनियमों की शर्तों के अनुरूप होंगे। ऑपशन्स और फ्यूचर्स या डेरिवेटिव्य के ट्रेडिंग खण्ड पृथक शासी निकाय द्वारा शासित होंगे और संबंधित खण्ड के अपने उपनियम होगें।

४.० सदस्य

४.१ नियुक्ति व शुल्क

४.१.१ सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव द्वारा कंपनी को सिक्युरिटीज कॉन्टैक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट१९४६ व उसके तहत बने नियमों तथा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट १९९२ और उसके तहत बने नियमों के अनुसार समय समय पर बने नियमों, उपनियमों, अधिनियमों तथा साझेंदारी के अनुच्छेदों के सदस्य स्वीकार करने का अधिकार होगा।

४.१.२ निदेशक बोर्ड या संबंधितअधिकारी सदस्य के रूप में प्रवेश, समाप्तिख पुर्नप्रवेश के आवेदन के लिए रूप रेखा व प्रक्रिया उल्लिखित करेंगे।

४.१.३ बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा उल्लिखित फ़ीस, सुरक्षा जमा तथा अन्य पैसे सदस्य के रूप में प्रवेश तथा उसके बाद प्रवेश जारी रखने के लिए देय होंगे।

४.२ शर्तें

४.२.१ सदस्य को प्रवेश के समय या उसके बाद प्रवेश बनाए रखने के लिए साझेंदारी के अनुच्छेदों में दी गई पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा।

४.२.२ सदस्य आईएसई के नियमों, उननियमों व अधिनियमों का अनुपालन करेगा और बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी किए गए व लागू संचालन मानदंडो, निर्णयों, अधिसूचनाओं, मार्गसूचनाओं, मार्गदर्शिकाओं व निदेशो को पूरा करेगा।

४.२.३ सदस्य को समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित फार्म पर घोषणाएँ प्रतिज्ञा व क्षतिपूर्ति आदि उपलब्ध करानी होगी।

४.२.४ सदस्य को आईएसई को ऑडिटर का वरिष्ठ प्रमाणपत्र देना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि संबंधित आधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित आईएसई आवश्यकाओं को पूरा किया गया है।

४.२.५ सदस्य को अपने काम व अन्य विषयों के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित सूचना व नियतकालिक प्रतिलाभ देने होंगे।

४.२.६ सदस्य को संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर मांगी गई ऑडिटड या अनऑडिटिड वित्तीय या मात्रात्मक सूचना व विवरण आईएसई कोउपलब्ध कराने होगे।

४.२.७ संबंधित अधिकारी या आईएसई के अन्य अधिकृत अधिकारी द्वारा किसी सौदे, व्यापार, विवरण, लेखा नीति और या अन्य संबंधित मामलों केलिए निश्चित निरीक्षण व ऑडिट के लिए सदस्य को पूरा सहयोग तथा आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण देना होगा।

५.० व्यापारी

५.१ रजिस्ट्रेशन

४.१.१ बोर्ड अथवा, संबंधित अधिकारी को समय समय पर एस जी (आर) कानून तथा उसके तहत बने नियमों के प्रावधानों के अनुसार तथा सेबी कानून उसके नियम उपनियम के तहत भागीदार स्टॉक एक्सचेंजों के सदस्यों को ट्रेडरों के रूप में प्रविष्ट या रजिस्टर करने का अधिकार होगा।

५०१०२ बोर्ड या संबंधित अधिकारी हर व्यापार खंण्ड के लिए ट्रेडरों के रजिस्ट्रेशन, समाप्ति या पूर्नरजिस्ट्रेशन आदि के लिए रूपरेखाएँ व प्रक्रियाएँ उलिखित कर सकता है। बोर्ड ऑफ डायरैक्टर्स या संबंधित अधिकारी केवल अपने निर्णय के आधर पर ट्रेडर के रूप में रजिस्टर करने के लिए किसी आवदेदक को अनुमति देने से इन्कार कर सकते है।

५०१०३ व्यक्ति को ट्रेडर के रूप में रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन बनाए रखने के निए बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित फ़ीस, सुरक्षा जमा और अन्य पैसा देना होगा।

५०१०४ किसी भी व्यापार क्षेत्र का ट्रेडर उस क्षेत्र में लागू आई एसई सिक्युरिटीज में सौदे कर सकता है।

५०१०५ ट्रेडर संबंधित प्रतिमूतियों में अपने खुंद के खाते में प्रमुख के रूप में या अपने ब्रहेकों की ओर से सौदे कर सकता बर्शेते संबंधित अधिकारी द्वारा अन्यथा उलिखित न हो और संबंधित अधिकरी द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप हो। यदि इस प्रकार अधिकृत हो और निर्धारित शतोध के अनुरू हो तो यह इन प्रतिमूतियों में मार्केट मेकर का काम भी कर सकता है।

५०२ शर्ते

५०२०१ ट्रेडरों को आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों का अनुपालन करना होगा और समय समय पर जारी किए गए और लागू होने वाले संबंधित अधिकरी के संचालन मानदंडो, निर्णयों, अधिसूचनाओं, मार्ग दर्शिकाओं व निदेशों को पूरा करना होगा।

५०२०२ आईएसई पर सौदों के निए जारी सभी अनुबंध आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुरूप होंगे।

५०२०३ ट्रेडर संबंधित उपधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले फार्म या मामले से संबंधित घोषणाए पूरी करेंगे।

५०२०५ ट्रेडर को ऑडिटर का वार्षिक प्रमाण पत्र आईएसई को देना होगा जिसमं प्रमाणित किया गया होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित आईएसई आवश्यकता को पूरा किया गया है।

५०२०६ ट्रेडर को अपने काम के संबंध मेंसंबंधित अधिकरी द्वारा समय समय पर अपेक्षित सूचना व नियतकालिक प्रतिलाभ उपलब्ध कराने होंगे।

५०२०७ ट्रेडर को संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर मांगी गई ऑडिटिड या अनऑडिटिड वित्तीय या मात्रात्मक सूचना व विवरण आईएसई को उपलब्ध कराने होगें।

५०२०७ संबंधित अधिकारी या आईएसई के अन्य अधिकारी द्वारा किसी सौदे, व्यापार विवरण, लेखानीति और या अन्य संबंधित मामलों के लिए निश्चित निरीक्षण व ऑडिट के लिए ट्रेडर को पूरा सहयोग तथा आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण देना होगा।

६० डीलर

६०१ पात्रता की शर्तें

बोर्ड समय समय पर आईसी एमएस के डीलर बनने योग्य व्यक्तियों की श्रेणियों निर्धारित करेगा। ये पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं।

६०१०१ कोई भी व्यक्ति या फर्म आईसीएमएस के डीलर के रूप में प्रवेश के पात्र नहीं हैं।

६०१०३ डीलर पर लागू होनेवाली संचालन मार्गदर्शिका का डीलर को अनुपालन करना होगा और संबंधी अधिकारी द्वारा समय समय पर जारी की जानेवाली प्रवेश आवश्सकताओं को पूरा करना होगा।

६०१०३ एससी (आर) कानून और उसके तहत नियमों व सेबी कानून तथा उसके तहत नियमों के में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और सेबी में रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

६०१०४ आईएसई द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली पूंजी पर्याप्तता तथा तथा अन्य पात्रता शर्तो को पूरा करना।

३०१०५ संबंधित अधिकारी आईएसई की आवश्यकताओं के अनुरूप उक्त शर्तो में समय समय पर संशोधन जोड़ घटाना परिवर्तन कर सकता है।.

६०१०६ विदेशी संस्थागत निवेशकों को डीलर के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होगी।

६०१०७ सेबी की स्वीकृति के अनुसार आईएसई डीलरों की भिन्न श्रेणी उल्लिखित करेगा।

६०२ रजिस्ट्रेशन

६०२०१ बोर्ड या संबंधित अधिकारी एससी (आर) कानून व उसके तहत नियमों तथा सेबी कानून व उसके तहत नियमों के अनुसार समय समय पर बनाए नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में निहित प्रावधाना के अनुरूप डीलरों को प्रविष्ट व रजिस्टर करने के लिए अधिकृत हैं।

६०२०२ बोर्ड या संबंधित अधिकारी हर ट्रेडिंग खण्ड के लिए डीलरों के रजिस्ट्रेशन समाप्ति, पुर्नरजिस्ट्रेशम आदि के लिए रूपरेखा व प्रक्रियाएँ उलिखित कर सकते है। बोर्ड डीलर के रूप में नियुक्त करने के लिए किसी आवेदक को अपने निर्णय के आधर पर मना कर सकते हैं।

६०२०३ व्यक्ति को डीलर के रूप में रजिस्ट्रेशन तथा उसके बाद रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित की जाने वाली फीस सुरक्षा जमा व अन्य पैसों का भुगतान करना होगा।

३०२०४ किसी भी ट्रेडिंग खंड का डीलर उस खण्ड में लागू आईएसई प्रतिभूतियों में सौदे कर सकता है।

६०२०५ डीलर संबंधित प्रतिभूतियों में अपने खुद के खाते में प्रमुख के रूप में या अपने ग्रहकों की ओर से सौदे कर सकता है बशेर्ते संबधि त अधिकारी द्वारा अन्यथा उलिखित न हो और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तो के अनुरूप हो। यदि इस प्रकार अधिकृत हो और निर्धारित शर्तो के अनुरूप हो तो यह इन प्रतिभूतियों में मार्केट मेकर का काम भी कर सकता हैं।

६०३ शर्ते

६०३०२ डीलरों को आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों का पालन करना होगा और समय समय पर जारी किए गए और लागू होने वाले संबंधित अधिकारी के संचालन मानदंडों, निर्णयों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शिकाओं व निदेशोंको पूरा करना होगा।

६०३०२ आईएसई पर सौदों के लिए जारी सभी अनुबंध आईएसई के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के अनुरूप होंगे।

६०३०३ डीलर बोर्ड या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धातिर आईएसई की आवश्यकताओं ओ पूरा करेगे जो विज्ञापन तथा ट्रेडरों के रूप मेंउनकी गतिविधियों से संबंधित प्रपत्रों से जुड़ी हों।

६०३०४ डीलर संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले फार्म या मामलों से संबंधित घोषणाएँ पूरी करेंगे।

६०३०५ डीलर को ऑडिटर का वार्षिक प्रमाणपत्र आईएसई को देना होगा जिसमें यह प्रमाणित किया गया होगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा समय पर निर्धारित आईएसई की आवश्यकताओं को पूरा किया गया है।

६०४०६ डीलर को अपने काम के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर अपेक्षित सूचना व नियतकालिक प्रतिलाभ उपलब्ध कराने होंगे।

६०६०७ डीलर को संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर मांगी गई ऑडिटिड या अनआडिटिड वित्तीय या मात्रात्मक सूचना व विवरण आईएसई को उपलब्ध कराने होंगे।

६०६०७ संबंधित अधिकारी या आईएसई के अन्य अधिकारी द्वारा किसी सौदे, व्यापार, विवरण, लेखानीति और अन्य संबंधित मामलों के लिए निश्चित निरीक्षण व ऑडिट के लिए डीलर को पूरा सहयोग तथा आवश्यक सूचना व स्पष्टीकरण देना होगा।

७० अधिनियम

७०२ बोर्ड या कार्यकार समिति या संबंधित अधिकारी आईसीएमएस की कार्यप्रणाली व संचालन के लिए तथा सदस्यों, ट्रेंडरों व डीलरों के कामों के नियम के लिए समय समय पर अधिनियम निर्धारित कर सकते हैं।

७०२ उक्त उपनियम ७०१ की व्यापकता के प्रतिकूल न हो बोर्ड या संबंधित अधिकारी समय समय पर अन्य चरजों के साथ साथ निम्न के संबंध में ऐसे अधिनियम निध ारित कर सकते है :

७०२०१ आईएसई सिक्युरिटीज की अधिकारिक सूची पर प्रतिमूतियों के समावेश के लिए मानदंड, फार्म, प्रक्रियाएँ शर्तो व जरूरतों को पूरा करना।

७०२०२ आईएसई सिक्युरिटीज की अधिकारिक सूचीं पर समावेश वतत समावेश के लिए इश्यूकर्त्ता द्वारा देय फीस

७०२०३ उनयिमों के अध्याय ४,५ और ६ के अनुसार सदस्यों, ट्रडरों और डीलरों के प्रवेश के लिए मानदंड व प्रक्रियाएँ।

७०२०४ मार्केट मेकर्स के यप में काम करने के लिए मानदंड प प्रक्रियाएं।

७०२०५ फार्म तथा प्रवेश किए जाने वाले सौदों, ट्रेडरों व डीलरों के बीच आपसी या ट्रेडरों, डीलरों व उनके ग्राहकों के आपस की शर्ते, ट्रेडरों के आपसी अनुबंधों के कार्य निष्पाअन, समय, प्रकार व पध्दति।

७०२०६ समय समय पर फीस, सिस्टम के उपयोग का प्रभार, जमा, मार्जिन, तथा अन्य पैसा जो सदस्यों, ट्रेडरों, डीलरों व भागीदारों तथा उन इश्यूकर्त्ताओं जिनकी प्रतिभूतियों या तो आईएसई पर स्वीकृत हो गई है या होने वाली है द्वारा आईएसई को देय।

७०२०७ टैंडरों व डीलरों द्वारा अपने ग्रहकों से ली जाने योग्य दलाली की मात्र।

७०२०७ समय समय पर उस नैटवर्थ व पूंजी पर्याप्तता तथा अन्य मानदंडों का उल्लेख किया जाना जिन्हें बनाए रखना ट्रडरों व डीलरों के लिए आवश्यक हैं।

७०२०१ आईइसई का निरीक्षण तथा आवश्यक समझे जाने वाले ध्यावसायिक नियमों व आध ाार संहिता का प्रवर्तन।

७०२०१० सदस्यो, ट्रेडरों और डीलरों द्वारा जैसे भी ठक समझा जाए लेखा खातों व अन्य दस्तावेजों का अनुरक्षण साळर ही एससी (आर) से व उसके तहत नियमों तथा सेबी काननू व उसके तहत नियमों के लिए आवश्यक रिकॉर्ड का समावेश होगा।

७०२०११ लेखा खातों व अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण व ऑडिट।

७०२०१२ चूक या नियमों, उपनियमों, और अधिनियमों तथा आचार संहिता के उल्लंघन के लिए स्थगन/निरूकासन सहित दंड, जुरमाना व अन्य परिणामों का समय समय पर निर्धारण व प्रयोग तथा यदि पुनः प्रवेश व पुनः रजिस्ट्रेशन हो तो उसके लिए उल्लिखित मानदंड।

७०२०१३ किसी भी सदस्य, ट्रेडर, डीलर के विरूद्ध अनुशासनात्मक प्रक्रियाएँ/कार्य।

७०२०१४ ट्रेडरों और डीलरों के आपसी, ट्रेडरों/डीलरों व उनके ग्रहकों के बीच आई सीएमएस पर हुए प्रतिमूतियों के सौदो के लिए विधादों, शिकायतों, दावों तथा मतभेद और मध्यस्थता का निपटान।

७०२०१५ मध्यस्थता के मानदंड, प्रक्रियाएँ, शर्ते व आवश्यकताएँ।

७०२०१६ निवेशक सुरक्षा फंड सहित कंपनी द्वारा स्थापित फंड (खंडों) के समूह का प्रबंधन, रखरखाव व निवेश।

७०२०१७ सौदों के निपटान व क्लीयरिंग के लिए मानदंड व प्रक्रियाएँ और क्लीयरिंग हाउस की कार्यप्रणाली या कस्टरोडियल सेवाओं व डिपॉजिटरियों सहित अन्य व्यवस्था।

७०२०१८ भागीदार स्टॉक एक्सचेंजों, ट्रेडरों व डीलरों के रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन जारी रखने के लिए मानदंड, प्रक्रियाएँ, शर्ते व आवश्यकताएँ।

७०२०१६ अनुबंधों,सौदों या लेनदेन के बंद होने के परिणाम स्वरूप या आकस्मिक स्थिति के लिए मानदंड व प्रक्रियाएँ।

७०२०२० आईसीएमएस प्रणाली पर सूचना का प्रसार व घोषणाएँ।

७२०२१ क्लीयरिंग सदनों या सदस्यों के क्लीयरिंग कॉर्पोरेशनों के निरीक्षण तथा जो यह उचित समझे उस तरह के व्यवसाय नियमों और उससेसंबंधित आचार संहिता का प्रसार।

७०२०२२ सदस्यों, ट्रेडरों व डीलरों द्वारा आईसीएमएस को देय फीस, सिस्टम उपयोग प्रभार, जमा, मार्जिन व अन्य राशियों का समय समय पर निर्धारण तथा सौदों की क्लीरिंग का प्रमाण व सदस्यों, ट्रेडरों और डीलरों से एकत्र किए जाने वाले अन्य प्रभारों को निश्चित करना।

७.२.२३ सदस्यों, ट्रेडरों और डीलरों के लिए गारंटी फड को निपटान द्वारा सुनिश्चित का निपटान के लिए मानदंड, प्रक्रियाएँ, शर्ते, और आवश्यकताएँ।

७.२.२४ जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए विभिन्न प्रकार के मार्जिन तथा सदस्यों, ट्रेडरो और डीलरों पर समय समय पर आईएसई द्वारा लागू किए जाने वाले अन्य प्रभारों व प्रतिबंधों कोलागू करने के लिए मानदंड, प्रक्रियाएँ शर्ते व आवश्यकताएँ।

७.२.२५ बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाने वाला कोई भी अन्य मामला।

७.३ बोर्ड सेबी द्वारा इच्छित या निदेशी किसी भी नियमन को संशोधित परिवर्तित, समाप्त या सम्मिलित करेगा।

७.० आईएसई पर सौदे

७.१ आईएसई प्रतिभूतियों में सौदों का व्यवसाय समय आईसीएमएस के विभिन्न खण्डों के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए अनुसार होगा। बोर्ड या संबंधित अधिकारी किसी खास दिन व्यवसाय का समय घटा या बदल सकते है।

७.२ आईएसई सिस्टम पर सौदों के लिए व्यवसाय का दिन रविवार व छुट्टी को छोड़ कर सभी दिन होगा। अन्यथा सम्बधित अधिकारी द्वारा निर्णीत किया गया हो।

७.२.१ संबंधित अधिकारी कैलेन्डर वर्ष के लिए छुट्टियों की सूची घोषित कर सकता है। संबंधित अधिकारी समय समय पर इन प्रावधानों के अनुसार आईसीएम द्वारा निश्चित छुट्टियों में से किसी को बदल या रद्द कर सकता है। यह कुछ विशेष कारणों से जिन्हें दर्ज करना होगा छुछ्टियों के अलावा किसी भी दिम बाजाए बन्द कर सता हैं।

७.२.२ उपधारा ७.२.१ के तहत दिए गए के बावजूद आईसीएमएस रविवार या किसी अन्य छुटी के दिन व्यवसाय के लिए खुला रह सकता है बशर्ते, निदेशक बोर्ड या सम्बधिन्त अधिकारी यह निर्णय ले या आवश्यक समझे।

ट्रेडिंग प्रणाली

७.३ ऑर्डर संचालित, कोट संचालित (मार्केट मेकर्स) हाईब्रिड या कोई अन्य ऐसी प्रणाली जो आईसीएमएस समय समय पर भिन्न ट्रेडिंग खण्डों के लिए निश्चित करें।

७.३.१ ट्रेडरों व डीलरों के बीच सौदे इलैक्ट्रानिक मीडिया या कंप्यूटर नैकवर्क या किसी भी अन्य माध्यम से जो संबंधित अधिकारी समय समय पर निश्चित करें से प्रभावित हो सकते हैं।

७.३.२ सौदे हाजिर, तत्काल या संबंधित अधिकारी द्वारा सिक्युरिटीज कॉन्ट्रेक्ट्स (रेग्युलेशन) एक्ट, व नियमों तथा सेबी कानून की शर्तों के अनुसार समय समय पर उल्लिखित किसी अन्य आधर से प्रभावित हो सकते हैं।

सौदे

७.४.१ संबंधित अधिकारी समय समय पर प्रतिभूतियों का उल्लेख कर सकते है जिन पर सौदे इस संबंध में बने उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार आईसीएमएस पर स्वीकृत किए जा सकते है।

७॰४॰२ क्लीयरिंग व निपटान अनुमत की जाएगी जिन्हें समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा प्रविष्ट या अनुमत किया जाएगा।

७॰४॰३ संबंधित अधिकारी समय समय पर किसी प्रतिभूति को सौदे कि लिए जोड़ या इसी प्रकार स्थगित या हटा सकते हैं।

७॰४॰४ संबंधित अधिकारी अपने निर्णय के आधार पर अन्तिम दस्तावेजों में सौदे प्रविष्ठ एवं अधिकृत कर सकते है।

७॰४॰४॰१ इन उपनियमों व अधिनियमों केलिए अस्थायी दस्तावेजों का अर्थ कूपन, के अलावा अपूर्ण प्रमाणपत्र, परित्याग के लिए पत्र या आबंटन के अन्तरणीय पत्र होंगें। स्वीकृति या आवेदन या विकल्प या अन्य राइट्स या इश्यूकर्त्ता जिनकी सिक्युरिटी स्वीकृत होनी बाकी है का निपटान व समाशोधन आईसीउएमएस द्वारा किया जाएगा।

७॰४॰५ आईसीएसएस पर सौदे समाशोधन, हाजिर डिलिवरी या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर उल्लिखित इस प्रकार के अन्य सौदों के लिए हो सकते हैं।

७॰४॰६ संबंधित अधिकारी समय समय पर सिक्युरिटी या सौदे को जितने समय के लिए वह निश्चित करे स्थगित और जो शर्तें उन्हें ठीक लगें उप पर पुनः शुरू कर सकती हैं।

७॰४॰७ संबंधित अधिकारी समय समय पर समाशोधित, गैर–समाशोधित, डिपॉजिटरी, गैर डिपॉजिटरी सौदों तथा आईएसई पर अनुमत किसी भी सौदे के लिए अधिनियम बना सकते हैं।

८॰४॰७ एक्सचेंज द्वारा बिना सेबी की स्वीकृती के किसी प्रकार के बदले या कैरी फारवर्ड सौदों की अनुमति नहीं दी जा सकती।

सर्वश्रेष्ठ कोटेशन पर सौदा

८॰५ ग्राहकों के साथ या उनकी ओर से सौदों में ट्रेडरों और डीलरों को ग्राहकों को आईसीएमएस भागीदार एक्सचेंज का वर्तमान सबसे अच्छा भाव बताना चाहिए।

ट्रेडिंग के लिए संचालन सीमाएं

८॰६ संबंधित अधिकारी समय समय पर आईसीएमएस पर प्रतिभूतियों के सौदों संबंध में सीमाएं निर्धारित व घोषित करेगे जिनका सदस्यों, ट्रेडरों व डीलरों को अनुपालन करना होगा।

८॰७ संचालन सीमाओं में अन्य चीजों के साथ इनमें से किसी का समावेश हो सकता है।

८॰७॰२ अनुमत ट्रेडिंग सीमाएँ जिसमें नैटवर्थ व पूंजी व डीलरों के लिए आईसीएमएस को सूचित करना आवश्यक होगा।

८॰७॰३ यदि आवश्यक समझा जाए तो बोली व ऑफर के बीच के अन्तर की सीमा,

८॰७॰४ मार्केट लॉट/ य बेची व खरीदी जाने वाली प्रतिमितियों की न्यूनतम संख्या,

८॰७॰५ बोली और ऑफर मूल्यों के बीच एक दिन या दिनों के बीच अन्तर की सीमाएँ,

८॰७॰६ अन्य मामले को जनता के बेहतर हित को ध्यान में रखते हुए प्रतिमूतियों के सम्यक संचालन को प्रभावित करें,

७॰८॰७ ट्रेडर या डीलर व प्रतिमूति के लिए अनुमत ट्रेड के व्यवसाय का निश्चय,

८॰७॰८ ट्रेडिंग प्रणाली के संचालन ब्योरे का निर्णय जिसमें सिस्टम डिजाइन, उपयोगकर्त्ता

के मूल संसाधन, सिस्टम का विशेष उल्लेख व कार्यसचालन शामिल हैं।

विशेष डिलिवरी के लिए सौदा

८०८ विशेष डिलिवरी के लिए सौदों को तब प्रविष्ठ किया जा सकता है जब प्रतिमूतियों को रजिस्ट्रेशन, उपविभाग, समेकन, नवीनीकरण, परिवर्तन या विनिमय के लिए भेजा गया हो या जब प्रतिमूतियों को ब्याज, लाभांश, बोनस, या राइट्स के टाइटल के लिए दायर किया गया हो या जब प्रतिमूतियों को विदेश से प्राप्त करना हो या जब अनुबध की तारीख के चौदह दिनों के अन्दर प्रतिमूतियों की डिलिवरी किसी अन्य कारण से नहीं दी जा सके बशर्ते डिलिवरी की अवधि दो महीने से अधिक न हो, यदि बोर्ड या सबंधित अधिकारी द्वारा इसे बढाया न जाए। इस प्रकार के सभी सौदों की सूचना एक्सचेंज को निर्धारित फार्म में देनी होगी।

ट्रेडिंग सीमाओं को पूरा करने में असॅलता पर स्थान

८०९ इन उननियमों व अधिनियमों के अनुसार अपनी ट्रेडिंग सीमाओं के अन्दर आईसीएमएस पर अपने सौदे प्रतिबन्धित न कर सकने वाले ट्रेडर और डीलर को सबंधित अअधिकारी आगे से सौदे ट्रैडिंग सीमाओं में सीमित रखने के लिए कहेंगे। संबंधित अधिकारी अपने निर्णय से ट्रेडर या डीलर को ट्रेडिंग सीमाओं के उल्लंघन के लिए स्थगित कर सकते है और संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार का स्थगन समाप्त करने तक यह स्थगन जारी रहेगा।

अनुबंध विवरण

८०१० अनुबंध विवरण समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा उल्लिखित अवधि में जारी करना होगा। यह ग्राहकों से प्रभावित या ग्रहकों की ओर हुए सौदों के लिए होगा, निधारित फार्म पर होगा और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर उल्लिखित विवरण दिया जाएगा। अन्य बातों के साथ अनुबंध विवरणों में यह भी उल्लेख होगा कि सौदा आईसीएमएस के नियमों उपमियमों और अधिनियमों और उनमें दिए गए विधायन की शर्तो के अनुसार हो।

८०११ प्रभावित सभी सौदों का विवरण उल्लेखन के अनुसार सौदे के दिन आईएसई को सूचित किया जाएगा।

८०१२ आईएसई सिक्युरिटीज के संबंध में होने वाले सभी सौदों आईएसई के नियमों, उननियमों व अन्यनियमों के तहत आएंगे।

८०१३ यथावत् बने प्रतिनिधी ट्रेडर या डीलर अनुबंध विवरण पर हस्ताक्षर किये जाएंगे।

प्रतिमूतियों की डिलिवरी

८०१४ प्रतिमूतियों, दस्तावेजों, और कागज और सभी सौदों केसबंध में भुगतान इस प्रकार और ऐसी जगहों पर किया जाएगा जो समय समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई है।

८०१५ संबंधित अधिकारी समय समय इन प्रतिमूति दस्तावेजों का उल्लेख करेंगे जो निर्धारित तरीके से दि जाने पर अच्छी डिलिवरी बनें। जहाँ स्थिति की आवश्यकता हो संबंधित अधिकारी यह निश्चय कर सकते है अमुक डिलिवरी है या नहीं जिसके कारण जाएगें और यह जानकारी संबंधित पार्टियों के लिए प्रतिबंधकारण होगी। जहाँ संबंधित अधिकारी यह निश्चय करता है कि अमुक डिलिवरी गुड

डिलिवरी नहीं है, डिलिवरी करने वाली पाटी को मूल डिलिवरी की जगह उल्लिखित समय के अन्दर गुड डिलिवरी देनी होगी।

८०१६ मार्केट ऑड लॉट, न्यूनतम, लॉट, आंशिक डिलिवरी, ऑशिक रूप से प्रदत्त प्रतिमूतियों की डिलीवरी आदि के संबंध में मानदंड व प्रक्रियाएँ समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी।

८०१७ विवादित डिलिवरियों या गलत डिलिवरियों तथा डिलिवरी के संबंध में विवाद या गल्तियॉ निपटाने के कदम, प्रक्रियाएँ व प्रणाली या इस प्रकार की डिलिवरियॉ के परिणाम और उनके समाधान सबंधित अधिकरयिों द्वारा समय समय पर बने इन उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होगे।

६०१ आई सी एम एस में प्रविष्ठ सभी सौदे पर निम्न न्याय क्षेत्राधिकार लागू होगा।

क्रसं० विवाद से सम्बन्धित न्यायिक क्षेत्राधिकार

१ (क) ग्रहक और ट्रेडर उस जगह का हाई कोर्ट जिस जगह पर ट्रेडर या डीलर का आफीस हो तथा जहां से कान्ट्राक्ट नोट दिया जाएगा।

(ख) ग्राहक और डीलर

२० दो ट्रेडर्स के मध्य में या दो डीलर्स के मध्य में या डीलर एवं ट्रेडॅस के मध्य में हुआ है तथा उस तगह से जहां इनके बीच एक हाई कोठ का न्यायाधिकारण लगता हो सम्बधिन्त क्षेत्र का हाईकोट

३० दो ट्रेडर्स या दो डीलर्स या डीलर एवं ट्रेडर्स के मध्य में हुआ हो तथा दोनों का न्यायिक क्षेत्र दो अलग अलग हाईकोर्ट से सम्बंम्धित है। बम्बई हाई कोर्ट उपरोक्त क्षेत्राधिकार होते हुए भी यदि किसी भी विवाद में आई एस आई को शामिल किया जाता है तोकेवल मुम्बई हाई कोर्ट ही न्यायिक होगा और विवद अन्य किसी कोर्ठ में नहीं चलेगा।

प्रमाण के लिए रिकॉर्ड

६०२ सैन्ट्रल प्रोसेसिस इकाई या प्रोसैगि इकाइयों के समूह द्वारा याकंप्यूटर प्रोसैसिंग इकाइयों द्वारा सुरक्षित रखे गए आईएसई के रिकॉर्ड चाहे उन्हें किसी रजिस्ट्रर, मैग्नैटिक स्टोरेज इकाइयों, इलैक्टॉनिक स्टोरेज इकाइयों, ऑप्टिकल सटोरेज इकाइयों या कंप्यूटर स्टोरेज इकाइयों या किसी अन्य पद्यति से कम्पनी के प्रतीकृत आफीस या किसी ऐसी जगह जहाँ आईएससी ने तय की हो सुरक्षित रखा गया हो में आईसीएमएस के अमाध्यम से प्रविष्ट किसी सौदे के संबंध में स्वीकृत व प्रमाणित रिकॉर्ड होंगे। ट्रेडिंग, क्लीयरिग या निपटान से संबंधित किसी विवाद के लिए या घटकों व ट्रेडर या डीलर या आईसीएमएस के ट्रेडरों व डीलरों के आईसीएमएस सौदों के लिए आपसी या उनके बीच के किसी भी विवाद या दावे के लिए आईसीएमएस द्वारा सुरक्षित रिकार्ड प्रमाण माने जाएंगे।

क्षतिपूर्ति

६०३ आईएसई पर ट्रेडर या डीलर या ट्रेडर या डीलर के रूप में काम करने वाले किसी व्यक्ति चाहे वह अधिकृत हो या अनाधिकृत की किसी गतिविधि के लिए उत्तरदायी नहीं होगे। उपनियमों व अधनियमों के प्रावधन इसका अपवाद होंगे। किन्तु आईएसई आईसीएमएस पर ट्रेडर न डीलर के नाम पर अनधिकृत सौदों के लिए कभी जिम्मेदार नही होगा।

सौदों के लिए केवल ट्रेंडर व डीलर ही पाटी होंगे।

६०४०१ एक्सचेंज अपने रजिस्टर्ड डीलरो और ट्रेडरों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौदे की पाटी नही मानता।

६०४०२ हर ट्रेडर या डीलर आईसीएमएस के नियमों व अधिनियमो के अनुसार हर ट्रेडर या डीलर जिसके साथ वह आईसीएमएस पर कोई सौदा कर उसे पूरा करने के लिए करता है, चाहे ऐसा सौदा इसे प्रभावित करने वाले ट्रेडर खाते के लिए हो या घटक के खाते के लिए हो के प्रति प्रत्यक्ष और पूर्णतः उत्तरदायी होगा।

नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार सौदे

६०५ आईसीएमएस पर प्रतिमूतियों के सब सौदे आईएसई के नियमों, उननियमों व अधिनियमों की शर्तो के अनुरूप माने जाएंगे और इस प्रकार के सब सौदों की शर्तो व आवश्यकतों के अनुरूप होंगे और ये सौदे संबंधित अधिकारी द्वारा आईसीएमएस के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों द्वारा प्राप्त अधिकारों को पूरा करने का एक हिस्सा होंगे। सभी सौदे नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होंगे।

आईसीएमएस पर प्रतिमूतियों के सब सौदे आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमो के अनुसार माने जाएंगे और ये इस प्रकार के सब सौदो की शर्तो व आवश्यकताओं का एक हिस्सा होगे और ये सौदे आईसीएमएस के नियमों, उपनियमो, व अधिनियमो द्वारा सबधित अधिकारी को प्राप्त अधिकार के पालन के अनुसार होगे।

ट्रेड की अलघनीयता

६०३०१ आईएसई पर किसी सौदे को रद करने का आवेदन सबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत नहीं किया जाएगा, धोखे या जानबुझ कर गलत प्रस्तुतीकरण का विशेष आरोप या सौदे में इस प्रकार की कोई ऊपर से दिखने वाली महत्वपूर्ण गलती अवश्य इसके अपवाद होंगे। इस स्थिति या किसी अन्य कारण जो संबंधित अधिकारी ठीक समझे का निर्णय समय समय पर संबंधित अधिकरी लेगें।

६०३०२ उक्त उपधारा ६०३०१ के तहत किसी सौदे का रध किया जाना केवल संबंधित अधिकारी के निर्णय द्वारा होगा और इस संबंध में निर्णय अन्तिम पव बंधनकारी होगा और तुरंत लागू होगा।

ट्रेंडर या डीलर के प्रतिनिधि द्वारा सौदे

६०७०१ ट्रेडर या डीलर संबंधित अधिकारी की पूर्व अनुमति के विशिष्ठ अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में काम करने के लिए दूसरे ट्रेडर या डीलर को नियुक्त कर सकता हैं।

६०७०२ जब कोई ट्रेडर या डीलर दूसरे ट्रेडर या डीलर को अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी घटक के सौदे केलिए नियुक्त करता है तो इस प्रकार के प्रतिनिधि को सौदे की सूघना नियुक्तकर्त्ता व ट्रेडर या डीलर को उसी मूल्य पर देनी होगी जिस पर बाजार में सौदा किया गया है और नियुक्त कर्त्ता ट्रेंडली या डीलर इस प्रकार के सौदे के संबंध में घटक को उसी मूल्य की सूचना देगा।

समाशोधन और निपटान

१०७१ सौदो का समाशोधन और निपटान सबधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निधारित या उल्लिखित व्यवस्थाओं, प्रणालियों, एजेन्सियों या प्रक्रियाओं का उपयोग करते हुए पार्टियों द्वारा किया जाएगा। यह निर्धारण या उल्लेखन समय समय पर ट्रेडरों, डीलरों, भागीदारी व अन्य उल्लेखित घंटको जैसे कस्टोडियल, क्लीयरिंग, बाकिंग, बीमा करियर व डिपॉजिटरी सेवाओं द्वारा समाशोधन व निपटान व्यवस्था तथा प्रणाली के सुरक्षित संचालन के अधिग्रहण या उपयोग के लिए होगा।

१०७२ क्लीयरिंग हाउस का काम आईएसई या इस उदेश्य के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा सुनिश्चित एजेन्सी द्वारा किया जाएगा। क्लीयरिंग हाउस की भूमिका ट्रेडरों/डीलरों/भागीदारों द्वारा आईएसई पर किए गए सौदों की डिलिवरी की प्रक्रिया व भुगतान को सरल बनाने वाले की होगी।

आईएसई के हर बाजार खड का निपटान या तो शुद्ध या कुल आधर पर, व्यापार के बदले व्यापार के आधार पर या समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा उल्लिखित किसी आधर पर हो सकता है अधिनियमो में स्पष्ट रूप से ठि हुए को छोड़कर जब फंड व सिक्युरिटीज किसी निर्धारित व्यवस्था के तहत हो, जो क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से हो, निपटान की जिम्मेदारी पूरी तरह व केवल ट्रेड की विरोधी पार्टियों और/या मामले के अनुसार संबंधित ट्रेडरों व डीलरों पर होगी। और क्लीयरिंग हाउस प्रतिमूतियों की डिलिवरी लेने और देने के लिए सदस्य/ट्रेडर/डीलर भागीदारी के सामान्य एजेन्ट के यप में बिना प्रमुख के लिए दायित्व या बाध्यतता देते हुए काम करेगा।

११७ समाशोधन गृह

प्रयोजनीयता

११७१ इस अध्यायन के प्रावधान आईएसई द्वारा स्थापित क्लीयरिंग हाउस और भागीदार एक्सचेंजों के क्लीयरिंग हाउस या आईएसई के एजेंन्ट के क्लीयरिंग हाउस के लिए इस हद तक लागू होने जहां तक इल क्लीयरिंग गृहों को आईसीएसएस सौदों और उनसे संबंधित ममलों के समाशोधन व निपटान की जिम्मेदारी दी गई हो।

११७११७१ बोड/साबंधित अधिकारी आईएसई पर होने वाले अनुबंधों/व्यापारों के संचालन, नियमन व नियन्त्रण के लिए उपनियम, नियम व अधिनियम बनाएगा जिका समाशोधन व निपटान केन्द्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर आईएसई के क्लीयरिंग हाउस द्वारा किया जाएगा।

११७१७१ बोर्ड/संबंधित अधिकारी निम्न के नियमों, उपनियमों, अधिनियमों का निर्माण करेगा :

अ) अनुबंधों व उनके मतभेदों के नियतकालिक निपटान, प्रतिमूतियों की डिलिवरी व भुगतान डिलिवरी आदेश देने के लिए क्लीयरिंग हाउस के कार्यसंचालन तथा इस प्रकार के क्लीयरिंग हाउस के लिए नियमन व अनुरक्षण,

ब) क्लीयरिंग हाउस द्वारा (सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड को) सब या एक निम्न विवरण के यथाशक्ति शीघ्र नियतकालिक निपटान जैसा कि (सिक्युरिटीज एंउ एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया) समय समय पर मांगे, जैसे

१) सिक्युरिटी के हर वर्ग की कुल संख्या जिसे एक निपटान से दूसरे निपटान कैरी फारवर्ड किया गया हो,

२) हर निपटान के दौरान निअटाए जाने वाले प्रत्येक वर्ग के यिक्युरिटी व अनबुधों की कुल संख्या,

३) हर क्लीयरिंग पर वास्तव में दी जाने वाली हर वर्ग की सिक्युरिटी की कुल संख्या,

क) (सिक्युरिटज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) को दिए जाने वाले यब या एक विवरण का (ब) धारा के अन्तर्गत यदि कोई है तो (सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड) द्वारा इसकी ओर से प्रकाशनः

ड) अनुबंधों की संख्या व वर्ग जिनके संबंध में क्लीयरिंग हाउस के द्वारा निपटान किया जाएगा अन्तर दिया जाएगा।

क्लीयरिंग हाउस के काम

११०२०१ आईएसई और भागीदार स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडर या डीलर क्लीयरिंग हाउस का अनुरक्षण करेंगे जो संबंधित अधिकारी के नियन्त्रण में होगा। क्लीयरिंग हाउस ट्रेडरों व डीलरों के बीच सौदों आदि का समाशोधन करने तथा ट्रेडरों और डीलरों को सिक्युरिटी देने व प्राप्त करने और इस प्रकार ट्रेडरों और डीलरों को किसी अनुबंध के संबंध में देय या उनके द्वारा देय किसी राशि का भुगतान करने के लिए सदस्यों, ट्रेडरों व डीलरों के सामान्य एजेन्ट के रूप में काम करेगा और छोड़ दिए गए उदेश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी काम करेगा।

११०२०२ आईएसई उक्त उदेश्य के लिए एक या अधिक क्षेत्रीय क्लीयरिंग गृहों की स्थापना व अनुरक्षण कर सकता हैं।

क्लीयरिंग हाउस का दायित्व

११०३ क्लीयरिंग हाउस टाइटल की गारंटी, स्वामित्व ट्रान्सफर डीड या क्लीयरिंग हाउस से गुजरने वाले किसी अन्य दस्तावेज या किसी प्रतिमूति की प्रामाणिकता, नियमितता, वैधता, टाइटल व नियमतता बताने के लिए बाध्य नहीं है और इस संबंध में क्लीयरिंग हाउस का दायित्व प्रतिमूतियों, ट्रान्सफर डीड तथा सदस्यों, ट्रेडरों व डीलरों के मध्य किसी अन्य दस्तावेज की डिलिवरी व भुगतान सुसाध्य करना होगा।

आईउसई का दायित्व

११०४ क्लीयरिंग हाउस द्वारा अपने काम के दौरान किए जाने वालीर या की गई चीज का दायित्व आईउसई या बोर्ड या कोई अन्य कर्मचारी या निदेशक या बोर्ड का कोई सदस्य या भागारी स्टॉक एक्सचेंज के किसी सदस्य पर नहीं होगा ना ही वह व्यक्ति किसी प्रकार से किसी अन्य दस्तावेज के टाइटल, स्वामित्व, प्रामाणिकता, नियमितता व वैधता के संबंध में जवाबदेह नहीं है ना ही इन व्यक्तियोंसे इन प्रतिमूतियों ट्रान्सफर डीड व किसी अन्य दस्तावेज के संबंध में कोई दायित्व जुड़ा होगा।

११०५ भागीदार स्टॉक एक्सचेंज का क्लीयरिंग हाउस जिस पर आईसीएमएस के सौदों के समाशोधन व निपटान का उत्तरदायित्व है को भागीदार एक्सचेंज पर ट्रेडरों के किसी दायित्व के विरूद्ध आईसीएमएस सौदों/फंडों के सबंध में अपने सदस्यों/से/या को प्राप्त या दी गई प्रतिमूतियों या फंडों के आवेदन का कोई विवेकाधिकार नहीं होगा।

क्लीयरिंग हाउस सिक्युरिटीज की डिलिवरी स्वनिर्णय से करेगा।

११०६ क्लीयरिंग हाउस इन उननियमों व अधिनियमों के तहत ट्रेडर एव डीलर से प्राप्त होने वाली प्रतिमूतियों को देसरे ट्रेडर एवं डीलर को देगा (या जिन प्रतिमूतियों की से डिलिवरी देनी है उनकी सीधे डिलिवरी देने के लिए ट्रेडर को निदेश देगा) जिसे संबंधित अधिकारी व अधिनियमों के तहत प्रतिमूतियों की डिलिवरी प्राप्त करने का अधीकार होगा।

अनुबंधों का सबंध

११०७ उपधारा (५) के अनुसार डिलिवरी देने और प्राप्त करने वाले ट्रेडर या डीलर के बीच भले ही कोई प्रत्यक्ष अनुबंध न हो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुबुध किया है हालांकि, इन ट्रेडरों या डीलरों के अपने निकटत अनुबुध करने वाली पाटियों के संबंध में अधिकार व दायित्व प्रभावित नहीं माने जाएगें सिवाय इसके कि बिक्री करने वाला ट्रेडर या डीलर जो प्राप्त करने वाले ट्रेडर या डीलर (यदि वह स्वयं ही डिलिवरी करने वाला ट्रेडर या डीलर है तो अलग बात है) के मध्यस्थ अनुबंध करने वाली पाटी है को प्राप्त कर्त्ता ट्रेडर या डीलर द्वारा प्राप्त दस्तावेजों के टाइटल, स्वामित्व, प्रामाणिकता, नियमितता और वैधता के संबंध में सभी उत्तरदायित्व से मुक्त किया जाएगा। एव कम्पनी के नियमा, उपनियमों व अधिनियमों के अनुरूप हर प्रकार की हानि से निपटा जाएगा।

मध्यस्थों की रिहाई

११०८ नियमों व अधिनियमों के प्रावधानों या संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार से निर्देशित होने की स्थिति को छोड़कर यदि ट्रेडर या डीलर क्लीयरिंग हाउस से बाहर प्रतिमूतियों की डिलिवरी देता है तो इस प्रकार डिलिवरी करने या स्वीकारने वाले सभी मध्यस्थ पार्टियों को सब दायित्वों से रिहा कर देंगे। केवल डिलिवरी देनेवाला ही प्राप्त करने वाले के प्रति उत्तरदायी रहेगा।

न्यासी के रूप में बोर्ड

११०९ क्लीयरिंग हाउस को दिया गया सब पैसा तथा उसके लिए अधिकृत ट्रेडर एवं ड़ीलर के खाते में क्लीयरिंग हाउस की किताबों में दिखाई देने वाली सब जमस आईएसई की ओर से बोर्ड द्वाराऐजेन्ट व ट्रस्ट कें रूप में इस प्रकार रखी जाएगी। इस प्रकार का भुगतान करने या जमा की प्रविष्टि इस प्रकार के ट्रेडर एव डीलर की जमा का भुगतान समझा जाएगा। कोई ट्रेडर एवं डीलर उसकी उगाही, जब्जी या कार्याय्न के लिए अधिकृत नहीं होगा और ना ही आईएसई कोई सदस्य या कोई अन्य व्यक्ति फिलहाल किसी कानून के अनुसार इस प्रकार के किसी पैसे योजना कर कोई अधिकार, स्वामित्व या रूचि नहीं रखेगा।

भागीदार क्लीरिंक बैकों के माध्यम से डिलिवरी व भुगतान

११.१० क्लीयरिंग हाउस बोर्ड द्वारा स्वीकृत बैंकों, ट्रस्ट कंपनियों और अन्य फर्मों की सूची रखेगा। (इसके क्लीयगिं ट्रेडर या डीलर बैंक कहा जाएगा) जो ट्रेडरों, डीलरों व उनके घटकों के लिए प्रतिभूतियों, ट्रान्सफर डीड, अन्य दस्तावेजों की डिलियरी लेने व देने तथा उपनियमों व अधिनियमों के आधार पर भुगतान करने व स्वीकारने के लिए काम करेंगे।

भागीदार क्लीयरिंग बैंक उपनियमों व अधिनियमों का अनुपालन करेंगे।

११.११ भागीदार क्लीयरिंग बैंकों को सौदो की डिलिवरी, भुगतान व निपटान के संबंध में उपनियमों, अधिनियमों के अनुसार चलने के लिए तैयार होना चाहिए, या यह क्लीयरिंग हाउस के निदेश तथा प्रस्तावों, आदेशों, अधिसूचनाओं और संबंधित अधिकारी के निर्णय के अनुसार होगा।

स्वीकृत सूची में समावेश या हटाना।

११.१२ बोर्ड या संबंधित अधिकारी समय समय पर अपने स्वनिर्णय के आधार पर भागीदार बैंकों की सूची में नाम जोड़ या घटा सकते हैं।

अधिसूचनाएँ व निर्देश:

११.१३ सभी ट्रेडर व डीलर क्लीयरिंग बैंक संबंधित अधिकारी के निर्देशो, आदेशों, अधिसूचनाओं, व निर्णयों तथ क्लीयरिंग हाउस के कार्यसंचालन से संबंधित सभी मामलों को पूरा करेंगे।

संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाने वाली क्लीयरिंग हाउस की प्रक्रिया।

११.१४ सदस्य, ट्रेडरों, डीलरों और भागीदार क्लीयरिंग बैंकों द्वारा सभी व्यवसायों के सौदों जिनका ट्रान्सफर आवश्यक है के संबंध में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया फीस हरजाना संबंधित अधिनियमों में निर्धारित प्रावधानों या इनके

अलावा या इनमें संशोधन या इनके स्थान पर संबधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाने वाले इस प्रकार के अन्य प्रावधानों के अनुसार होंगे।

११.१५ बोर्ड या संबंधित अधिकारी समय समय पर बैंक या बैंकों का निर्धारण कर सकते हैं निके साथ सब डीलर क्लीयरिंग संचालन के लिए खाता रखेंगे।

निर्धारित किए जाने वाले क्लीयरिंग फार्म

११.१६ क्लीयरिंग हाउस के उद्देश्य के लिए काम आने वाले सब क्लीयरिंग फार्म (जिनमें क्लीयरेंन्स सूची, डिलिवरी और प्राप्ति आदेश विवरण का पन्ना, बैलेंन्स शीट, वादे की विवरण, वाउचर, व अन्य फार्म तथा दस्तावेज शामिल होंगे) संबंधित अधिनियम या इस प्रकार के अनय फार्म या फार्मों में होंगे जो संबंधित अधिकारी समय समय पर उनके अतिरिक्त, उनके स्थान पर या उनके संशोधन स्वरूप निर्धारित करेंगे।

दंड

११.१७ संबंधित अधिकारी समय समय पर किसी सदस्य, ट्रेडर या डीलर द्वारा असफलता के हर मामले के लिए दंड का निर्धारण करेगा जिसे क्लीयरिंग हाउस के उपनियमों व अधिनियमों को पूरा करना होगा तथा क्लीयरिंग हाउस के माध्यम से सौदों के समाशोदान व निपटान के और प्रस्तावों, आदेशों, अधिसूचनाओं, निर्देशों और निर्णयों जो अवैध क्या गुप्त प्रदेश, किसी फार्म या दस्तावेज भरने के संबंध में, कार्य संचालन के दौराम क्लीयरिंग हाउस द्वारा आवश्यक हो, क्लीयरिंग हाउस को इस प्रकार के किसी फार्म या दस्तावेज पेश किए जाने के संबंध में हो पूरा करना होगा।

समाशोधन के लिए प्रभार

११.१८ संबंधित अधिकारी समय-समय पर क्लीयरिंग प्रभार का अनुपात निर्धारित करेंगे जो क्लीयरिंग उस के माध्यम से किए जाने वाले समाशोदान व निपटान के लिए होगा।

१२. निलाम या क्लोजिंग आउट

१२.१ पूर्वोक्त की व्यापकता के प्रति गृह के बिना तथा संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार आई.सी.एस.इ. पर किया हुआ कोई भी प्रतिभूतियों का सौदा ट्रेडर, डीलर अथल भागीदार के विरूद्ध आई.एस.आई. पर खरीद या बेचा द्वारा निम्न प्रकार से बन्द किया जायेगा।

१२.१.१ बिक्री करने वाले ट्रेडर/डीलर/भागीदार के देयर तारीख पर डीलीवरी न देने पर सौदे किये जाने से हुए किसी प्रकार के नुकसान क्षति का दायित्व वह ट्रेडर/डीलर/भागीदार पर होगा। जिसने डिलिवरी नहीं दी है या कम दी है। यदि नीलामी में पूर्ण सिक्योरिटी नहीं प्राप्त हो सकी एवं नीलामी के लिए ऑफर्स की कमी के कारण पूर्ण आक्सन नहीं हो सका तो सम्बन्धित अधिकारी बची हुई सिक्योरिटी का बिना नोटिस दिए हुए क्लोज आकर कर सकता है। बशर्ते

(१) निम्न (अ) एवं (ब) में से जो भी उच्चतर है।

(अ) उस सिक्योरिटी का आई.सी.एम.एस. में उस से प्लेमेंट में जिसमें आक्सन हुआ है या आक्सन के समय तक जो भाव सबसे ऊंचा रहा हो।

(ब) आक्सन के दिन आई.सी.एम.एस. में विभिन्न वर्ग की सिक्योरिटी की आखिरी दामों से निर्धारित प्रतिशत ऊपर और आक्सन के दिन उस सिक्योरिटी ये सौदा नहीं हुआ हो तो उस सिक्योरिटी का आखिरी सौदे के दिन के दाम पर।

(२) ऐसा दाम जो सम्बन्धित अधिकारी के समय समय पर निर्धारित तरीके मे उचित समझें।

१२.१.२ खरीददार ट्रेडर/डिलर/भागीदार के देयर तिथि को भुगतान करने में असफल रहने पर उस सिक्योरिटी जिसका उसने खरीदा हो का आई.सी.एम.एस. में नीलाम होने पर किसी प्रकार का नुकसान। क्षति होगी वह खरीदार ट्रेडर/डिलर/भागीदार द्वारा देय होगी।

नीलाम या

१२.१.३ आई.एस.ई. के समशोधन व निपटान के लिए स्वीकृत सौदा डिलर या ट्रेडर द्वारा सौदों की डिलिवरी, भुगतान व निपटान संबंधी प्रावधानों को पूरा करने में असफल रहने या संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर उल्लेखित की जाने वाली स्थितियों को पूरा करने में असफल रहने पर बंद कर दिया जाता है। सौदा संबंधित अधिकारी द्वारा इस तरह की अवधि और ऐसी स्थितियों व प्रक्रियाओं में बन्द किया जा सकता है जो संबंधित अधिकारी समय समय पर निर्धारित करें।

संबंधित अधिकारी द्वारा बन्द किए जाने का स्थगनः

१२.१.४ जब क्लोजिंग आउट के समय उचित समझे जाने वाले मूल्य पर प्रतिभूतियों का कोई खरीददार या विक्रेता न हो या जब ये प्रतिभूतियां खुले बाजार में प्राप्त या विक्रेय न हों तो संबंधित अधिकारी द्वारा क्लोजिंग आउट अगले दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है और खरीददार व विक्रेता मिलने तक के लिए इन्हें हर दिन स्थगित किया जा सकता हैं और इस प्रकार के स्थगन से चूककर्ता पार्टी को किसी प्रकार की होने वाली हानि से छूट नही मिलेगी। बशर्ते स्थगन नियमों, उपनियमों के अनुसार डिलिवरी व भुगतान की देय तिथि के पन्द्रह दिनों तक बाद न हो।

क्लोजिंग आउट का निलम्बन या स्थगनः

१२.२ बोर्ड या संबंधित अधिकारी किसी प्रतिभूति या प्रतिभूतियों के संबंध में क्रय-विक्रय का स्थापन या निलंबन कर सकता है और समय समय पर जब स्थितियां इस प्रकार के स्थगन या निलंबन को व्यापार व सार्वजनिक हित के लिए आवश्यक समझे तो इस प्रकार के स्थगन या निलंबन की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है परन्तु सिकी भी प्रकार में से प्लमेंट के ये इनके दिन से १ हफ्ता से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती केवल बुक क्लोजर एवं नोडिलिवरी समय में होने वाली प्रतिमूर्तियों को छोड़कर क्लोजिंग हाउस द्वारा निपटाई जाने वाली प्रतिमूर्तियों के अनुबंध के संबंदा में मध्यस्थों का दायित्व इस प्रकार के स्थगन या निलंबन के दौरान जारी रहेगा।

१२.३ धारा १२.२ में लिखित व्यस्क को नजर अन्दाज करते हुए सम्बन्धित अधिकारी नीलाम को एक सप्ताह से आगे बढ़ने के कारण को लिखित दर्शाते हुए तथा सेबी से पूर्ण स्वीकृति लेकर पूर्ण नीलम या असंतुष्ट नीलाम को आगे बढ़ा सकता उसे बदल सकता है या निलम्बित कर सकता है या रद्द कर सकता है उस समय के लिए या उस पद्धति से जो वह उचित समझें।

खरीदी गई किन्तु डिलिवरी न की गई प्रतिमूर्तियां:

१२.४ खरीदी गई किन्तु व्यवसाय के अगले दिन डिलियर न की जाने वाली प्रतिमूर्तियां तत्काल डिलिवरी के लिए पुनः खरीदी जा सकती है और उससे होने वाले किसी नुकसान या हानि का भुगतान इस प्रकार की पुनः खरीद के कारक ट्रेडर या डीलर द्वारा किया जाएगा किन्तु चूककर्ता ट्रेडर या डीलर के देस अन्तर को जब्त कर एक्सचेंज को दे दिया जाएगा। जो सेटलमेंट गारंटी फण्ड में जमा किया जाऐगा। उन नियमों के तहत जो संबंधित अधिकारी ने तय किया हो इसके लिए किसी भी प्रकार के दुबारा नोटिस देने की जरूरत नहीं होगी।

बेची गई किन्तु भुगनतान न की गई प्रतिमूर्तियां:

१२.५ वे पार्टियां जिनके विरूद्ध प्रतिमूर्तियां बेची गई है उसके विरूद्ध किए जाने वाले क्लोजिंग आउस से होने अन्तर या लाभ का हकदार नहीं होगा किन्तु चूककर्ता पार्टी को देय अन्तिम जब्त कर उसका भुगतान एक्सचेंज को किया जाएगा। जो सेटलमेंट गारंटी फण्ड में उन नियमों के तहत जमा किया जाएगा जो संबंधित अधिकारी वे तय किया है। चक करने वाली पार्टी क्लोजिंग आउट पर लाभ की हकरदार नहीं।

१२.६ ग्राहक सहित वह पार्टी जिसके विरूद्ध क्लोजिंग आउट किया गया है उसके विरूद्ध किये जाने वाले क्लोजिंग आंउट से उत्पन्न होने वाले अन्तर या लाभ की हकरदार नही होगी। किन्तु चूक करने वाले पार्टी को देय लाभ जब्त कर उसके एक्सचेंज को भुगतान किया जायेगा। एवंमं सेटलमेंट गारंटी फण्ड से नियमों के तहत जमा किया जायेगी।

बेची गई किन्तु भुगतान न की गई प्रतिमूर्तियाँ

१२.५ वे पार्टीयां जिनके विरूद्ध प्रतिमूर्तियां बेची गई हैं उसके विरूद्ध किये जाने वाले क्लोजिंग आउट से होने वाले अन्तर का लाभ का हकदार नहीं होगा। किन्तु चूक कर्ता पार्टी को देय अन्तर जब्त कर उसका भुगतान एक्सचेंज को किया जायेगा। जो सेटलमेंट गारंटी फण्ड में उन नियमों के तहत जमा किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी ये तय किया है। चूक करने वाली पार्टी क्लोजिंग आउट पर लाभा की हकदार नहीं।

१२.६ ग्राहक सहित वह पार्टी जिसके विरूद्ध क्लोजिंग आउट किया गया है उसके विरूद्ध किये जाने वाले क्लोजिंग आउट से उत्पन्न होने वाले अन्तर या लाभ की हकदार नहीं होगी, किन्तु चूक करने वाली पार्टी को देय लाभ या जब्त कर उसके एक्सचेंज को भुगतान किया जायेगा एवं सेटलमेंट गारंटी फण्ड में नियमों के तहत जमा किया जायेगा।

१२.७ प्रतिभूतियों के सौदे या अनुबंध का बन्द किया जाना तथा उससे होने वाले दावों का निपटान इस प्रकार से उस अवधि में किया जायेगा और उन शोर्तों व प्रक्रियाओं के अनुसार होगा जिनका निर्धारण समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

१३ मार्जिन

मार्जिन आवश्यकताएँ

१३.१ किसी सिक्योरिटी या सिक्योरिटियों में सौदे समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित मार्जिन आवश्यकताओं के अनुसार होंगे।

मार्जिन जमा के फार्म

१३.२ इन उपनियमों व अधिनियमों के तहत ट्रेडर या डीलर द्वारा दिया जाने वाला मार्जिन नकद या जमा द्वारा दिया जायेगा या संबंधित अधिकारी द्वारा स्वीकृत किसी बैंक की जमा रसीद के रूप में या समय समय पर

लगाई गई शर्तों और आवश्यकताओं के अनुसार किसी अन्य रूप या प्रतिभूतियों के रूप में दिया जायेगा। नकद जमा में ब्याज नहीं होगा और ट्रेडर या डीलर द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियां जिनका आंकलन बाजार मूल्य के अनुसार हुआ है उस समय के लिए जिनके द्वारा दिये जाने वाली मार्जिन राशी को पूरा करेगा। और इसका प्रतिशत संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार होगा।

मार्जिन जमा का मूल्य बनाए रखना होगा

१३.३ प्रतिभूति के रूप में मार्जिन जमा करने वाला ट्रेडर या डीलर मार्जिन राशी जो फिलहाल उनके द्वारा पूरी की गई कम से कम उस स्तर पर मूल्य बनाये रखेगा। ऐसा वह संबंधित अधिकारी के संतोष के लिए और प्रतिभूति देकर करेगा। संबंधित अधिकारी ही हमेशा कथित मूल्य निश्चित करेगा और उसका आंकलन समय समय पर पूरी की जाने वाली कमी की राशि भी निर्णायक रूप से निश्चित करेगा।

आई.एस.ई. द्वारा रोकी जाने वाली मार्जिन जमा

१३.४ मार्जिन जमा आई.एस.ई. के पास रहेगी और जब यह बैंक जमा रसीद और प्रतिभूतियों के रूप में हो और इस प्रकार की रसीदें व प्रतिभूतियां संबंधित अधिकारी के निर्णय पर उन व्यक्तियों आई.एस.ई. द्वारा स्वीकृत बैंक को ट्रांसफर की जा सकती हैं।

सब मार्जिन जमा आई.एस.ई. के पास या स्वीकृत व्यक्तियों और / या केवल आई.एस.ई. के खाते वाले स्वीकृत बैंक के पास रहेगी। जमा करने वाले ट्रेडर और भागीदार एक्सचेंज का कोई अधिकारी नहीं होगा और जिनक अधिकार वे इस प्रकार के निर्णय पर प्रश्न कर सकते हैं।

घोषणा पत्र

१३.५ इन उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के तहत मार्जिन जमा करने वाला ट्रेडर जरूरत पड़ने पर इस प्रकार के मामलों के लिए घोषणा पत्र पर और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित फार्म या फार्मों पर हस्ताक्षर करेगा।

मार्जिन पर ग्रहणाधिकारी

१३.६ मार्जिन के रूप ट्रेडर या डीलर द्वारा इन उपनियमों व अधिकारियों के प्रावधानों के अनुसार जमा किया गया पैसा या बैक जमा रसीद या अन्य प्रतिभूतियां व आस्तियां उक्त के अनुसार आई.एस.ई. को देय किसी राशि के लिए सर्वोच्च ग्रहण अधिकार का कारण होगा। अपने कार्यों, दायित्वों व देयताओं को पूरा करने के लिए ट्रेडरों और डीलरों के अन्य दावों के वरीयता में उपलब्ध होगा। ये दायित्व व देयताएँ आई.एस.ई. के नियमों उपनियमों व अधिनियमों या उसके अनुसार किये गये सौदों व अनुबंधों या उसके अनुसार किसी चीज के लिए होने वाली आकस्मिक स्थित के लिए होंगे।

मार्जिन अपवंचन निषिद्ध

१३.७ ट्रेडर या डिलर प्रत्यक्ष या परोक्षा रूप से किसी व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा या इन उपनियमों व अधिनियमों व तहत निर्धारित मार्जिन आवश्यकताओं के अपवचन या अपवचन में सहायता करने के उद्देश्य से कोई प्रक्रिया अपनायेंगा।

मार्जिन जमा करने पर असफल होने पर स्थगन

१३.८ इन उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार जमा करने में ट्रेडर या डिलर के असफल होने पर संबंधित अधिकारी उसका व्यवसाय तुरंत स्थगित कर सकते हैं। इसके लिये कारण बताओं नोटिस की जरूरत नहीं है न ही ट्रेड एक डिलर को सुनवाई का अवसर देने की भी आवश्यकता नहीं है। व्यवसाय का स्थगन निम्न तीन प्रकार से हो सकता है।

(अ) ट्रेडर एवं डिलर का व्यवसाय उसके बकाया सौदे के निपटान तक के लिए चालू रखा जा सकता है।

(ब) ट्रेडर एवं डिलर का बकाया सौदा आई.एस.ई. द्वारा खुद निपटान किया जा सकता है जो संबंधित ट्रेडर या डिलर के दायित्व पर किया जायेगा।

(स) ट्रेडर या डिलर का टर्मिनल बंद करके उसके ट्रेडिंग अधिकारों को रद्द या निम्नलिखित किया जा सकता है।

१४. व्याज, लाभांश, राइटस व मांग

१४.१ कूपन सहित, वाउचर सहित, लाभांश सहित, नकद बोनस सहित, निर्गमों सहित, राईट सहित आदि खरीदी हुई प्रतिभूतियों से संवंधित सभी वावचर कूपन लांभाभ, नकद बोनस, बोनस निर्गम, राईटस व अन्य विशेषाधिकारी खरीदने वाले घटक को मिलेंगे। विक्री करने वाले एक्स बाउचर एक्स कूपन, एक्स लाभांश, एक्स नकद बौनस निर्गम, एक्स राईटस पर बेची गई प्रतिभूतियों से संवंधित सभी बाउचर, कूपन लाभांश, नकद बौनस, बौनस निगर्म, राईटस व अन्या विशोषधिकार देने होंगे।

१४.२ खरीदने वाले ट्रेडर व डीलर तथा बेचने वाले ट्रेडर व डिलर के बीच बाउचरों, कूपनों लाभांशों, नकद बौनस निर्गमों, राईटस व विशेष अधिकारों के संबंध में समायोजन तथा तारीख आदि के संबंध में परीवर्तन स्थगन व निकालने की पद्धति व प्रक्रिया समय समय पर संबंधित आधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। ट्रेडर इस प्रकार के समायोजन के लिए आपस में जिम्मेदार होंगे।

१४.३ प्रतिमूर्तियों में उस संबंध में जो पुनसंरचना य पुनव्यवस्था की योजना के अर्न्तगत नई या अन्य प्रतिमूर्तियों के साथ बदले जाने योग्य हों या हो जायेंगे। बिक्री करने वाला घटक संबंधी अधिकारी के निर्देश अनुसार या तो अनुबंधित प्रतिमूर्तिया, या इस पुनसंरचना व पुर्नव्यवस्था की योजनाओं के तहत प्राप्त प्रतिमूर्तियों के बराबर और या नकद / या अन्य प्राप्त सम्पत्ति खरीददार को डिलिवर कर देगा।

१५. सौदों पर दलाली

दलाली

१५.१ ट्रेडर और डीलर प्रतिमूर्तियों की खरीद या बिक्री के संबंध सभी आर्डर करने पर दलाली लेने के लिए अधिकृत हैं। ये दलाली संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित अधिकृत दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मांग पर दलाली

१५.२ ऐसी प्रतिभूतियां खरीदने वाले ट्रेडर या डीलर जिनकी मांग का विक्रेता द्वारा भुगतान किया जा चुका है। इस प्रकार की मांगों की राशि के साथ खरीद मुल्य में दलाली ले सकता है।

अंडरराईटिंग कमीशन व दलाली

१५.३ संबंधित अधिकारी द्वारा यदि अन्यथा निश्चित या प्रतिबंधित न किया गया हो तो ट्रेडर या डीलर अपने निर्णय से अंडरराईटिंग प्लेसिंग या या ब्रोकर के रूप में काम करने या किसी परिवर्तन या नये इश्यू या किसी प्रतिभूति के आधार पर फौंर सेल की प्रारंभिक व्यवस्था में प्रवेश करने के लिए दलाली या कमीशन ले सकता है। यह इश्यूकर्ता या ऑफर कर्ता या प्रमुख अंडरराईटरों या इश्यू कर्ता व फार्म कर्ता द्वारा रखे गये दलालों के बीच हुए समझौते के अनुसार होगा। जो समय समय पर लागू संबंधित संवैधानिक प्रावधानों की शर्तों की चुनाव के अनुसार होगा।

दलाली की हिस्सेदारी

१५.३.१ ट्रेडर या डीलर इन व्यक्तियों से दलाली में हिस्सा नहीं बढ़ायेगा।

(१) जिसके साथ एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के तहत उसे व्यवसाय करने की मना दी हैं।

(२) जो दूसरे ट्रेडर या डीलर के रोजगार में ट्रेडर, डीलर या कर्मचारी है।

१५.३.२ किसी व्यक्ति के साथ दलाली में हिस्सा बढ़ाने की किसी व्यवस्था का ध्यान किये बिना ट्रेडर या डीलर हर अन्य ट्रेडर या डीलर के प्रति जिसके साथ ये ट्रेडर या डीलर आई.एस.ई. पर सौदा करता है पूर्णतः वह प्रत्यक्ष उत्तरदायी होगा।

१५.४ गैर-सदस्य ग्राहकों के वीच सीधे हुए सौदे पर ट्रेडर या डीलर एक से अधिक ग्राहक से दलाली ले सकता है।

ग्राहक को दलाली की छूट की पावंदी।

१५.५ ट्रेडर या डीलर द्वारा किसी ग्राहक से किसी सौदे का संवंध में या किसी आवेदक जिसका खरीद या सब्सक्रिप्शन के लिए आवेदन उनके द्वारा या उसके माध्यम से दिया गया हो या किसी अन्य व्यक्ति से सिवाय जिनको यहां वताया गया है। भत्ता, दलाली, छूट, प्रतिलाभ, रिफंड, या दलाली या कमीशन का किसी तरह का बंटवारा नहीं किया जा सकता।

१६. सदस्यों के अधिकार व दायित्व

१६.१.१ सदस्य आई.एस.ई. के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों का पालन करेंगे और संबंधित अधिकारियों के लागू होने वाले संचालात्मक मानदंडों, निर्णयों, अधिसूचनाओं, मार्गदर्शिकाओं व निर्देशों को पूरा करेंगे।

१६.१.२ सदस्य संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये नियमों, उपनियमों, अधिनियमों व साझेदारी के अनुच्छेदों में संशोधन, परिवर्तन, जोड़ या घटाने कर सकते हैं। बशर्ते सेबी की अनुमति हो।

१६.१.३ संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किये गये के अनुसार सदस्य घोषणा प्रतिज्ञा या हर्जाना पूरा करेंगे।

१६.१.४ हर सदस्य को आई.सी.एम.एस. के संबंध में भागीदार एक्सचेंज पर लगाई गई सुविधाएं, मूल संसाधन व सुविधाओं हमेशा अपने खर्च पर निर्धारित तरीके से अनुरक्षित करना होगा। हर सदस्य को संबंधित अधिकारी द्वारा भागीदार एक्सचेंज पर लगाई गई सुविधाओं के अनुसार, व्यवस्थापन का अनुपालन करना होगा। और उसके संबंधित सारी लागत की भरपाई करनी होगी।

सूचना में हिस्सा

१६.२ भागीदार एक्सचेंज सदस्यों की वित्तीय स्थिति, बाजार निगरानी के आकड़े, मूल्यों में धोखेबाजी, एक्सचेंज पर इनसाइडर ट्रेडिंग और मूल्यों की उठापटक तथा ऐसी अन्य घटनाएं जो बाजार की सुव्यवस्था व सुचारू संचालन के लिए निर्धारित की गई हो के संबंध में सभी सूचना आई.एस.ई. के साथ बाटेगा । समय समय पर नियतकालिक रूप से आवश्यकता के अनुसार संबंधित अधिकारी द्वारा तय की गई विभिन्न सीमाओं के लिए सूचना में हिस्सा बांटा जायेगा। इस प्रकार की सभी सूचना रजिस्टर में या इलैक्ट्रानिक रूप से दर्ज की जाएगी प्राप्त होने के बाद उसे सुनिश्चित किया जायेगा।

डिलिवीरयों का अग्रेषण व संचयन

१६.३ भागीदार एक्सचेज सीधे अपने एजेन्टों द्वारा आई.एस.ई. पर डिलिवरों का ट्रेडरों द्वारा होने वाले प्रतिभूतियों के सौदे के संबंदा में सभी डिलिवरियों के संचयन के लिए उत्तरदायी होंगे। प्रतिभूतियों की डिलिवरी पे इन पूरा करने के लिए एकत्र की गई डिलिवरियों को सेवी या आई.एस.ई. मार्गदर्शिका के अनुसार बैड डिलिवरी के किसी संभावित कारणों के लिए उनका निरिक्षण किया जायेगा और आई.एस.ई. के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होने डिलिवरी करने वाले ट्रेडर या डीलर को लौटा दिया जायेगा। क्लीयर किये हुए दस्तावेज प्राप्त कर्ता ट्रेडर या प्राप्त कर्ता सदस्य एक्सचेंज या उनके एजेन्ट को सीधे संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित माध्यम या पद्धति से डिलिवर किया जाना चाहिए। सदस्य एक्सचेंज संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निश्चित की जाने वाली शर्तो व निर्धारित प्रतिक्रियाओं का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं।

क्लीयरिंग हाउस के उत्तरदायित्व - आचार संहिता

१६.४ (अ) भागीदार एक्सचेज संबंधित आधिकारी द्वारा निर्धारित क्लीयरिंग हाउस का अनुपोषण करेगा। सदस्य एक्सचेंज का क्लीयरिंग हाउस संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार कड़ाई से चलेगा। संबंधित अधिकारी क्लीयरिंग हाउस के संचालन, प्रतिभूतियों की सम्भाल, पैसे की सम्भाल, बैड डिलिवरियों की सम्भाल आदि के संबंदा में समय समय पर मार्गदर्शिका उल्लेखित करेगा। और इससे जुड़ा प्रभार आई.एस.ई. से लिया जायेगा। क्लीयरिंग हाउस में कागज रखने और उसकी संभाल की जोखिम की पूरी तरह सदस्य एक्सचेंज की होगी।

(व) भागीदार एक्सचेंज के लिए आई.एस.ई. में ट्रेडर की ट्रेडिंग बध्यता के विरूद्ध प्राप्त डिलिवरियों का भी विवरण आवश्यक होगा। इस प्रकार प्राप्त डिलिवरियां आई.एस.ई. द्वारा बताई गई पद्धति से वितरित की जाएंगी।

निगरानी

१६.५ भागीदार स्टॉक एक्सचेंज आईएसई खंड का एक निगरानी विभाग स्थापित करेंगे जो संबंधित अधिकारी के बतार अनुसार होगा और स्थानीय खंड के निगरानी विभाग से अलग होगा यह विभाग अन्य गतिविधियों के अलावा समय समय पर संबंधित अधिकारी के संकेतानुसार निगरानी का काम करेगा.

बैड डिलीवरी अभिक्रिया

१६.६ प्रत्येक भागीदार एक्सचेंज सेबी के बताए अनुसार बैड डिलीवरी सैल ''बीडीसी'' स्थापित करेगा और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर बताए अनुसार इसका संचालन करेगा. हर भागीदार एक्सचेंज को एक समान बैड डिलीवरी मानदण्ड व प्रक्रिया द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी.

१६.७ सदस्य मार्जिन, पे-इन-देयताएं, पे-इन प्रतिमूर्तियों और अपने सदस्यों से इस प्रकार के अन्य जमा व प्रतिमूर्तियां संचय करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित करेंगे. ये सदस्य आईसीएमएस के टेडरों के सौदों के संबंध में आईएसई की देयताओं के लिए अधिनियमों, नियमों, उपनियमों के तहत निर्धारित आईएसई के रजिस्टर्ड टेडर है. इस प्रकार संचित राशि इस उद्देश्य के लिए खोले गए अलग बैंक खाते में रखी जाएगी.

आई.एस.ई. द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन

१६.८ सदस्य संबंधित अधिकारी के सभी निर्णय, आदेश व निदेश अपने सदस्यों पर बिना किसी संशोधन या रधोबदल के लागू करेगा.

१६.९ सदस्य को संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देशित के अनुसार अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी होगी और इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा.

निगरानी

१६.५ भागीदार स्टॉक एक्सचेंज आईएसई खंड का एक निगरानी विभाग स्थापित करेंगे जो संबंधित अधिकारी के बतार अनुसार होगा और स्थानीय खंड के निगरानी विभाग से अलग होगा. यह विभाग अन्य गतिविधियों के अलावा समय समय पर संबंधित अधिकारी के संकेतानुसार निगरानी का काम करेगा.

बैड डिलीवरी अभिक्रिया

१६.६ प्रत्येक भागीदार एक्सचेंज सेबी के बताए अनुसार बैड डिलीवरी सैल ''बीडीसी'' स्थापित करेगा और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर बताए अनुसार इसका संचालन करेगा. हर भागीदार एक्सचेंज को एक समान बैड़ डिलीवरी मानदण्ड व प्रक्रिया द्वारा समय समय पर निर्धारित की जायेगी.

१६.७ सदस्य मार्जिन, पे-इन-देयताएं, पे-इन प्रतिमूर्तियों और अपने सदस्यों से इस प्रकार के अन्य जमा व प्रतिमूर्तियां संचय करने के लिए संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित करेंगे. ये सदस्य आईसीएमएस के टेडरों के सौदों के संबंध में आईएसई की देयताओं के लिए अधिनियमों, नियमों, उपनियमों के तहत निर्धारित आईएसई के रजिस्टर्ड टेडर है. इस प्रकार संचित राशि इस उद्देश्य के लिए खोले गए अलग बैंक खाते में रखी जाएगी.

आई.एस.ई. द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन

१६.८ सदस्य संबंधित अधिकारी के सभी निर्णय, आदेश व निदेश अपने सदस्यों पर बिना किसी संशोधान या रधोबदल के लागू करेगा.

१६.९ सदस्य को संबंधित अधिकारी द्वारा निर्देशित के अनुसार अपने सदस्यों पर अनुशासनात्मक कार्यवाही लागू करनी होगी और इस मामले में कोई विवेकाधिकार नहीं होगा.

मध्यस्थता

१०.१० अ- सदस्य को आईएसई के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के तहत मध्यस्थता के लिए

उल्लेखित किए जाने वाले सभी वादों, मतभेदों व विवादों के लिए आईएसई के अनुच्छेदों, नियमों व उपनियमों के अनुरूप मध्यस्थता पैनल व समिति नियुक्त करेगा.

ब- मध्यस्थलों का पैनल व मध्यस्थता समिति आईएसई के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार निर्धारित पद्धति से काम करेंगे तथा मध्यस्थता अधिनियम संबंधी सभी प्रावधान आईएसई के अनुच्छेद, नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के तहत अपील कर लागू होंगे.

अनुपालन अधिकारी व प्रमुख अधिकारी

१६.११ हर सदस्य एक अनुपालन अधिकारी नियुक्त करेगा जो आईसीएमएस के संबंध में सभी मामलों के लिए काम करेगा तथा आईएसई के प्रति उत्तरदायी होगा और उसे रिपोर्ट करेगा. सदस्य ऐसे अन्य अधिकारी नियुक्त करेंगे जिनकी संबंधित अधिकारी को जरूरत है. ये अधिकारी संबंधित अधिकारी के नियन्त्रण, निर्देशन व निरीक्षण में काम करेंगे.

पे-इन देयताओ, मार्जिनों, उगाही, फीस व जुर्माना का संचयन

१६.१२ सदस्य आईएस प्रणाली पर टेडिंग के संबंध में पे-इन देयताएं, मार्जिन, उगाही फीस, व जुर्माना जो भी आईएसई के प्रावधानों के तहत आवश्यक हो और समय समय पर लागू हो, संचित करने के लिए जिम्मेदार होगा. सदस्य एक्सचेंज आईसीएमएस द्वारा समय समय पर सूचित इस प्रकार के सभी राशियों की उगाही तथा उसे बैंक में जमा करने के लिए होगा.

१६.१२.१ इस प्रकार जमा किया गया पैसा निर्दिष्ट बैंक के निर्दिष्ट खाते में जिसका निर्णय संबंधित अधिकारी समय समय पर लेंगे, जमा किया जाना चाहिए.

१६.१२.२ उक्त देयताओं की वसूली में किसी प्रकार की चूक निर्धारित तरीके से तत्काल सूचित की जानी चाहिए.

मार्जिन, जमा आदि पर ग्रहणाधिकार अथवा प्रभार

१६.१३ सदस्य एक्सचेंजों को इन नकद या प्रतिमूर्तियों या अन्य किसी आस्ति पर कोई ग्रहणाधिकार व

प्रभार नहीं होगा जिसका भुगतान ट्रेडर [illegible] सदस्य का उसकी देयताओं व बाध्यताओं के संबंध में नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत आईएसई को किया गया हो और सदस्य द्वारा उसकी एजेन्सी या दफ्तरी, दायित्व के रूप में संचय किया गया हो.

आईएसई में मार्जिन, पे-इन, पूंजी पर्याप्ता या अन्य के लिए ट्रेडर और डीलर के अनुबंध के लिए सदस्य के पासरही किसी प्रतिमूर्ति या फण्ड पर केवल आईएसई का ग्रहणाधिकार होगा. उक्त फण्ड व आस्तियों पर आईएसई का पूरा व सर्वोपरि, ग्रहणाधिकार व दायित्व आहोगा और हर स्थिति में सदस्य इससे बाहर होगें.

चूक

१६.१४ चूक की स्थिति में इन उपनियमों के आधार पर लगाए हुए प्रतिबंध सदस्य को पूरे करने होंगे.

सूचना देने का दायित्व

१६.१५ सब सदस्य एक्सचेंजों को सब या कोई इस प्रकार की सूचना उस अवधि के दौरान उपलब्ध करानी होगी जिसका निर्धारण सदस्य एक्सचेंज के ट्रेडर के संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारण किया जाएगा. सूचना अनुपालन अधिकारी या प्रमुख अधिकारी या सदस्य एक्सचेंज के कार्यकारी निदेशक या आपतकाल के दौरान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दी जाएगी. आईएसई द्वारा पूछे जाने पर सदस्य एक्सचेंज द्वारा कोई जानकारी किसी हालत में रोकी नहीं जाएगी सूचना इस प्रकार और इस रूप में दी जाएगी जो आईएसई को अपेक्षित होगी.

अनुच्छेदों, नियमों उपनियमों व अधिनियमों में संशोधन

१६.१६ सभी भागीदार स्टाक एक्सचेंज सेबी की स्वीकृति के अनुसार अपने अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों, में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित के अनुसार रद्दोबदल कर सकते हैं.

१७. ट्रेडरों, डीलरों व घटकों के राइटस व देयताएं

सभी अनुबंध नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होंगे.

१७.१ ट्रेडर और डीलर द्वारा आईसीएमएस पर अनुमत सौदे से संबंधित सभी अनुबंध सभी मामलों में आईएसई के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत हुए माने जाएंगे. यह इस प्रकार के सब अनुबंधो का हिस्सा व शर्त होंगे.

डीलर, निर्देश व आदेश स्वीकारने के लिए बाध्य नहीं है

१७.२ ट्रेडर या डीलर प्रतिमूर्तियों की खरीद बेच के लिए घटकों के सब निर्देश या आर्डर मानने के लिए बाध्य नहीं है. यह स्वनिर्णय के आधार पर इस प्रकार के कनिर्णयों आदेशों का पूर्णत: व आंशिक रूप से स्वीकरण मना कर सकते हैं और इस संबंध में वे कोई कारण बताने के लिए बाध्य नहीं हैत्र

परन्तु इस प्रकार के निर्देशों व आदेशों का पूर्णत: या आंशिक रूप से पालन करने पर वह तत्काल घटक को इसकी सूचना देगा.

मार्जिन

१७.३ ट्रेडर और डीलर को इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत उसके द्वारा घट के लिए किए गए व्यवसाय के संबध में दिए गए मार्जिन जमा के मांगने का अधिकार है. ट्रेडर या डीलर को आर्डर का कार्यान्यवन करने से पूर्व अपने घटक के नकद रूप से / या प्रतिमूर्तियों के रूप में प्रारम्भिक मार्जिन मांगने का अधिकार है या वह यह शर्त रख सकता है कि घटक मार्जिन देगा. घटक समय समय पर मांगे जाने पर तुरन्त मार्जिन जमा और अथवा अतिरिक्त मार्जिन देगा जो उसके और अट्टर व डीलर के बीर्च समझौते के अनुसार हुए या होने वाले व्यवसाय के संबंध में नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत आवश्यक हो. इस प्रकार का भुगतान न किए जानें से घटक के विरूद्ध ट्रेडर व डीलर वही कार्यवाही करेंगे. जो ट्रेडर द्वारा मार्जिन का भुगतान न करने पर आईएसई करता या ऐसे करने के लिए अधिकृत होता जिसके लिए परस्पर ए ट्रेडर या डीलर व घटक के बीच सहमति या समझौता हुआ हो. हालांकि यदि आईएसई या सेबी द्वारा किसी न्यूनतम मार्जिन का निर्धारण किया गया हो तो उसे वसूल किया जाएगा.

चूककर्ता घटक

१७.४ ट्रेडर या डीलर ऐसे धटक के लिए तब तक या परोक्ष रूप से व्यवसाय नहीं करेगा जो उसकी

जानकारी में दूसरे ट्रेडर या डीलर के प्रति चूककर्ता है जब तक इस प्रकार के घटक द्वारा उसे उधार देने वाले के प्रति सन्तोषजनक समझौता न कर लिया गया हो.

१७.५ ब्रोकर का ग्रहणाधिकार

१७.५.१ जब भी कोई ग्राहक किसी भी तरह से ट्रेडर या डीलर का कर्जदार हो और इस प्रकार के ग्राहक द्वारा समय समय पर ट्रेडर या डीलर के पास प्रतिमूर्तियां रखी हों या ट्रेडर या डीलर ने ग्राहक की ओर से रोकी हुई हो और इस तरह के ग्राहक का कोई नकद ट्रेडर या डीलर की ओर से रोकी हुई हो और इस तरह के ग्राहक को कोई नकद ट्रेडर या डीलर के पास हो तो यह यह इस तरह के ट्रेडर याडीलर के लिए खाते के आम बैलेंस या मार्जिन या अन्य पैसे के लिए उसके ग्रहणाधिकार में होगा. यह मार्जिन या इस ग्राहक द्वारा अकेले या औरों के साथ इसके ट्रेडर या डीलर को एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत किए गए किसी व्यवसाय के संबंध में देय होगा और इस प्रकार समय समय पर रखी गई सब पैसे के भुगतान ''ब्याज, कमीशन, दलाली व अन्य खर्चो सहित'' जो भी ग्राहक द्वारा उसे देय हो के लिए संघबद्ध सिक्यूरिटी मानी जाएगी.

बिक्री करने के लिए ब्रोकर का अधिकार

१७.५.२ ग्रहणाधिकार व सिक्यूरिटी के लिए उपधारा ''उपधाराओं'' के अनुसार अधिकृत ट्रेडर या डीलर इस प्रकार की प्रतिमूर्तियों व आस्तियों को जो उसे ठीक लगे उस प्रकार से उन शर्तों व समय पर बेचकर गिरवी रख कर या उसे विरुद्ध पैसा उधार लेकर स्वयं को या जिस किसी को इस ग्राहक की ओर से स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार किए गए व्यवसाय के संबंध देय हो - भुगतान कर सकता है.

ग्राहक द्वारा सुरक्षा

१७.६ किसी प्रतिमूति की खरीद या बेच के किसी अनुबंध या ग्राहक के निर्देशों के संबंध में किए गए काम और इस प्रकार के ग्राहक के खाते या अनुरोध पर इस तरह के ग्राहक द्वारा अपने प्रमुख की ओर से एजेन्ट की तरह काम करने वाले के रूप में सुरक्षित रखे जाने का अधिकार होगा.

प्रमुख के रूप में ट्रेडर या डीलरों द्वारा अनुबंध

१७.७ ट्रेडर या डीलर प्रतिमूर्तियों की खरीद या बिक्री के लिए किसी भी ग्राहक के साथ प्रमुख के रूप में अनुबंध करने के लिए स्वतंत्र है और यदि इन उपनियमों, और अधिनियमों के अनुसार इस प्रकार ग्राहक के बकाया अनुबंध के लिए ट्रेडर या डीलर नोट के ज्ञापनपत्र में या समझौते या खरीद या बिक्री नोट में यह स्पष्ट कर दे कि इस प्रकार बन्द करने के लिए वह प्रमुख के रूप में काम कर रहा है तो उसके साथ भी प्रमुख के रूप में काम करने के लिए स्वतंत्र है.

१७.८ ट्रेडर या डीलर जिसने उपनियमों और अधिनियमों के तहत किसी चूककर्ता ग्राहक से विरूद्ध मध्यस्थता का आश्रय लिया है कि आवेदन पर संबंधित अधिकारी किसी ट्रेडर या डीलर के विरूद्ध निर्देश जारी कर उसे या उन्हें चूककर्ता ग्राहक को कोई पैसा या प्रतिमूर्ति देने से उस सीमा या मूल्य तक रोक सकता है जो ऋणदाता ट्रेडर या डीलर के उसके द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत किए गए सौदे के अनुसार चूककर्ता ग्राहक को देय या डिलीवरी योग्य मूल्य से अधिक न हो इस प्रकार के निर्देश प्राप्त करने पर संबंधित ट्रेडर या डीलर तत्काल उन्हें जमा कर देगा और चूककर्ता ग्राहक द्वारा इस प्रकार का पैसा और प्रतिमूति खुद को पैसा जो एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों अधिनियमों के अनुसार किए गए सौदो से निकालता है को पूरा करने के बाद ट्रेडर या डीलर को एक्सचेंज में जमा करने के लिए अधिकृत किया हुआ समझा जाएगा इस प्रकार निर्देश प्राप्त करने पर संबंधित ट्रेडर या डीलर तत्काल उन्हें जमा करदेगा और चूककर्ता ग्राहक इस प्रकार का पैसा और प्रतिमूति खुद का पैसा जो एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार किए गए सौदों से निकलता है को पूरा करने के बाद ट्रेडर या डीलर को एक्सचेंज में जमा करने के लिए अधिकृत किया हुआ समझा जाएगा.

इस प्रकार की जमा से जमा करने वाला ट्रेडर या डीलर चुककर्ता ग्राहक के प्रति आगे की सब देयताओं और बाध्यताओं से मुक्त हो जाएगा. उधारकर्ता ट्रेडर या डीलर का आवेदन जिसके अनुसार एक्सचेंज के पास पैसा व प्रतिमूर्तिया जमा कर गई है को चूककर्ता ग्राहक के विरूद्ध उसके दावे के मध्यस्थता का उक्त उल्लेखन माना जाएगा. जमा किया गया पैसा व प्रतिमूतिया मध्यस्थता के निर्णय के रूप में दिया जाएगा. और विचाराधीन निर्णय की स्थिति में निर्णय के लिए मामला दर्ज करते हुए कोर्ट में जमा किया जाएगा बशर्ते उधारकर्ता ट्रेडर या डीलर तथा चूककर्ता घटक किसी अन्य प्रकार से आपस में निर्णय न ले लें.

१७.९ घटक के खाते का बंद किया जाना

१७.९.१ घटक के खाते को बंद करते समय ट्रेडर या डीलर इस प्रकार के सौदों को प्रमुख के रूप

बाजारस्थिति के अनुसार उचित मूल्य पर अपने खाते में ले जा सकता है या वह खुल बाजार में बंद कर सकते है और इस पर होने वाला खर्च घटक को सहन करना होगा इस प्रकार बंद करने वैसे संबंधित अनुबंध नोट यह प्रकट करेगा कि ट्रेडर या डीलर प्रमुख के रूप में काम कर रहा है दूसरे घटक के खाते के रूप में.

किन्तु चुककर्ता ट्रेडर या डीलर के विरूद्ध बंद करने के संबंध में इस उपनियम के प्रावधान उस ट्रेडर या डीलर पर लागू नहीं होंगे जो सैटलमैन्ट गारन्टी फण्ड के सक्रिय होने के बाद घोषित किया गया हो.

१७.९.२ उक्त १७.९.१ मे दिए के होते हुए भी भागीदार खातों को इस प्रकार बंद किया जाएगा और यह ऐसी शर्तो के अनुसार होगा जो समय समय पर निर्धारित की गई हो.
ट्रांसफर के रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए ट्रेडर या डीलर भागीदार नहीं

१७.१० ट्रेडर या डीलर प्रतिभूतियों के ट्रांसफर या घटक के नाम रजिस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं है. यदि यह इस प्रकार का काम सामान्य रूप से या घटक के अनुरोध या इच्छा या रजामन्दी से करता है उसे उस मामले में घटक का एजेन्ट माना जाएगा और प्रक्रिया के दौरान हुए नुकसान या ट्रांसफर करने के लिए इश्यूकर्ता के मना करने से हानि के लिए यह किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा ना ही इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों द्वारा विशेष रूप से लगाई गई किसी जिम्मेदारी के लिए बाध्य होगा. इश्यूकर्ता को दी जाने वाली स्टैम्प ड्यूटी, ट्रांसफर फीस व अन्य प्रभार, प्रतिभूतियों के रजिस्ट्रेशन का काम देखने की फीस और ट्रेडर या डीलर द्वारा किए जाने वाले डाक आदि के सब आकस्मिक खर्च घटक द्वारा उठाए जाऐंगे.

१७.११ जब प्रतिभूतियों का रजिस्ट्रेशन ट्रेडर या डीलर या नामांकित के नाम हो

१७.११.१ जब घटक के ट्रेडर या डीलर के पास ट्रांसफर पूरा करने और ट्रांसफर बुकों के बंद होने से पहले प्रतिभूतियों को रजिस्टर करने के लिए ३० दिन से कम का समय हो और जब प्रतिभूतियों ब्याज, लाभांश, बोनस व राइटस के साथ खरीदी गई जिसे इश्यूकर्ता घोषित कर चुका हो तो ट्रेडिंग ट्रेडर या डीलर प्रतिभूतियां अपने या अपने नामांकित के नाम रजिस्टर कर सकता है और ट्रांसफर फीस, स्टैम्प ड्यूटी व अन्य प्रकार क्रेता घटक से वसूल कर सकता है.

१७.११.२ ट्रेडर या डीलर आईएसई को इस प्रकार के घटको के नाम व सौदो का विवरण संबंधित आदि

ाकारी द्वारा समय समय पर उल्लेखित के अनुसार देगा / ट्रेडर या डीलर खरीददार घटक को तत्काल सूचना सूचना देगा और इस प्रकार के काम में डिलीवरी में विलंब होने के परिणाम स्वरूप उसे हरजान मिलेगा.

१७.११.३ प्रतिभूति के ब्याज, लाभांश, बोनस या राइटस बाद होते ही ट्रेडर या डीलर उसे भूल घटक को पुर्नट्रांसफर करने के लिए बाध्य होगा.

अनुबंध करने में असफल होने पर घटक द्वारा क्लोजिंग आउट

१७.१२ यदि कोई ट्रेडर या डीलर इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार डिलीवरी या भुगतान द्वारा संबंध पूरा करने में असफल रहता है तो घटक यथासंभव आईएसई के किसी दूसरे ट्रेडर या डीलर से इस प्रकार का अनुबंध बंद करवायेगा और इस प्रकार के क्लोजिंग आउट से होने वाले क्षति या नुकसान चूककर्ता ट्रेडर द्वारा घटक को तत्काल देय होगी. यदि यहां दिए गए के अनुसार क्लोजिंग आउट प्रभावी नहीं होता है तो पार्टियों के बीच नुकसान का निश्चय संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार होगा तथा घटक और ट्रेडर या डीलर एक दूसरे के विरूद्व सहारे के अधिकार खो बैठेंगे

घटकों की प्रतिभूर्तियों पर कोई ग्रहणाधिकार नहीं

१७.१३ यदि अपने घटक के खाते में प्रतिभूतियों की डिलीवरी करने के बाद ट्रेडर या डीलर चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है और संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाण को सन्तोषजनक समझे जाने के बाद और आईएसई से प्रापत संबंधित अधिकारी के अप्रतिबन्धित स्वनिर्णय जिसमें संबंधित अधिकारी इस प्रकार की प्रतिभूति या उसके मूल्य की उसके उसके द्वारा चूकक़र्ता को देय राशि के भुगतान या कटौनी तो घटक दावे का अधिकारी होगा.

१७.१४ घटक द्वारा शिकायत

१७.१४ जब घटक द्वारा संबंधित अधिक को शिकायत की गई हो कि कोई ट्रेडर या डीलर उसके सौदे पूरे नहीं कर पाया है तो संबंधित अधिकारी शिकायत की जांच करेगा और शिकायत उचित है इस बात से संतुष्ट होने पर या जो उचित समझे वह अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है

टे्डर या डीलर और घटकों के बीच संबंध

१७.१५ फिलहाल लागू किसी कानून के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इन उपनियमों के अनुसार टे्डर और डीलर व उनके घटक बीच आपसी अधिकार व बाध्यताएं संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित के अनुसार होंगे.

१८ मध्यस्थता, समाधान व विवदप्रस्ताव
मध्यस्थता या समाधान का उल्लेखन

१८.१ टे्डरों के बीच, डीलरों के बीच, टे्डर व डीलर या टे्डरों व नॉन टे्डरों / डीलरों और डीलरों व नॉन टे्डरों / डीलरों के बीच किसी लेन-देन, सौदे, टे्डिंग, कार्य-सम्पादन या अनुबंध जो किसी आकस्मिक चीज के कारण हुए हों से संबंधित सभी दावे, शिकायते, भेद-भाव, विवाद आईएसई के इन उपनियमों या अनुच्छेदों, नियमों व अधिनियमों के अनुसार मध्यस्थता और समाधान का विषय होंगे.

स्पष्टीकरण: सदस्यों के बीच वित्तीय कार्य सम्पादन से उठने वाले दावे या और अन्य कार्य जो एक्सचेंज पर निषिद्व है मध्यस्थता व समाधान के तहत नहीं आएंगे.

१८.२ किसी दावे, शिकायत, मतभेद या विवाद जिसका उल्लेखन मध्यस्थता या समाधान के लिए किया जाना है के संबंध में कोई टे्डर या डीलर दूसरे टे्डर या डीलर के विरूद्व बोर्ड की पूर्वानुमति के बिना कानूनी कार्यवाही नहीं करसकता. यदि टे्डर या डीलर इस प्रकार की कार्यवाही बिना पूर्वानुमति के करता है और पैसा या मदद प्राप्त करता है तो वह इसे एक्सचेंज की खातिर संभाल कर रखेगा और बोर्ड के निर्देशानुसार एक्सचेंज को सौंप देगा.

१८.३ टे्डर या डीलर जो किसी दावे, शिकायत, मतभेद, विवाद का एक हिस्सा है इसकी जांच व विवाद के निपटान के लिए मध्यस्थता या समाधान प्रक्रियाएं शुरू करने के लिए आवेदन कर सकता है.

१८.४.१ मध्यस्थता या समाधान के लिए किसी दावे, शिकायत, मतभेद या विवाद का उल्लेखन यदि इसके शुरू होने के तीन महीने के अन्दर न किया गया हो तो नहीं किया जा सकता.

१८.४.२ मध्यस्थता के आवेदन पर तभी विचार किया जाएगा जब यह निर्धारित रूप व पद्वति से किया

गया हो. तथा आवश्यकतानुसार फीस तथा प्रभार के साथ जमा की गई हो.

अनुबंधों का संचालन

१८.५ इस प्रकार के सौदों, कार्यनिष्पादनों, अनुबंधो व समझौते की पार्टियों द्वारा मुंबई शहर या उन शहरों जहां भागीदार स्टॉक एक्सचेंज स्थित है के न्यायालयों के न्याय क्षेत्र को मान लिया समझा जाएगा. ये न्यायालय आईएसई के नियमों, उपनियमों, अनुच्छेदों व अधिनियमों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से अध्याय ९ में परिभाषित न्याय क्षेत्र के स्थान के अनुसार स्थित हैं

मध्यस्थे की संख्या

१८.६ एक अकेला मध्यस्थ होगा जिसकी नियुक्ति पार्टियों द्वारा की जाएगी किन्तु यदि पार्टिया निश्चित करें कि, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल में एक से अधिक मध्यस्थ होंगे.

१८.७ एक से अधिक मध्यस्थ होने पर उनकी संख्या सम नहीं होगी.

१८.८ दो पार्टियों के मध्यस्थ की नियुक्ति के संबंध में किसी समझौते पर न पहुंच पाने पर हर पार्टी एक मध्यस्थ नियुक्त करने में असपफल रहती है तो बोर्ड / प्रबंध निदेशक या संबंधित अधिकारी दूसरी पार्टी के लिए मध्यस्थ नियुक्त करेंगे.

मध्यस्थों की नियुक्ति

१८.१० अ- मध्यस्थों की नियुक्ति एक्सचेंज द्वारा गठित मध्यस्थों के पैनल से की जाएगी और यह उनके न्याय क्षेत्र के आधार पर समय के अनुसार होगी.

ब- किसी भी पार्टी द्वारा नियुक्ति मघ्यस्थ अपने ताल्लुकात उस पार्टी के बारे में लिखित रूप से सम्बन्धित अधिकारी को दे. सम्बन्धित अधिकारी की समझ में यदि उनके मध्यस्थ एवं पार्टी के ताल्लुकात साफ नहीं है तथा उसने न्याय करने पर प्रभाव पड सकता है तो वह मध्यस्थ नहीं बन सकता है.

स- विवाद निपटाने के मध्य किसी मध्यस्थ को ऐसे कारणों का पता चलता है या ऐसी सूचना मिलती है जिसके कारण वह समदृष्टि से मध्यस्थ का कार्य निपटाने में असमर्थ

पाता हे तो उसे इसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी को लिखित रूप द्वारा दे देनी चाहिए.

मध्यस्थों का पैनल

१८.११ एक्सचेंज केन्द्रीय व क्षेत्रीय मध्यस्थता कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार नियुक्त करेगा.

मध्यस्थ का प्रतिस्थापन

१८.१२ यदि मध्यस्थों द्वारा निर्णय देने के लिए निर्धारित समय बिना निर्णय दिए खत्म हो रहा हो या यदि मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या वह मध्यस्थ के रूप में काम करने में असफल रहता है असावधानी बरतता है या ऐसा करने से इन्कार कर देता है या अयोग्य हो जाता है

१- तो सम्बन्धित अधिकारी मध्यस्थता पैनल से एक अकेले मध्यस्थ की नियुक्ति करेगा, और

२- इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ को इस बात की स्वतन्त्रता होगी कि वह कार्यवाही के रिकार्ड पर इस समय के अनुसार काम शुरू करे या-उल्लेखन नए सिरे से शुरू करे.

मध्यस्थता प्रक्रिया का पूरा होना

१८.१३ किसी विवाद के निपटाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाऐं इस प्रकार की प्रक्रियाएं शुरू होने के ३० दिन के अन्दर पूरी की जाएंगी.

स्पटीकरण: मध्यस्थता प्रक्रिया की शुरूआत उपनियम १७.६ व १७.९ के प्रावधान अनुसार अपलीकेशन देने के दिन से मानी जाएगी. मध्यस्थ अन्तिम सुनवाई के पश्चात १५ दिनों में अपना निर्णय दे देंगे. देरी करने पर देरी का कारण लिखित रूप से दें देंगे.

१८.१४ १- मध्यस्थ जो इसके बाद विवाचन अदालत कहलाएंगे, पार्टियों की रजामन्दी से निपटान को प्रोत्साहन देने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान बीच बचाव, समाधान या अन्य तरीका का इस्तेमाल करेंगे.

२-यदि, कार्यवाही के दौरान, पार्टियों विवाद निपटा लेती है, तो विवाद निपटा लेती है, तो विवाचन अदालत कार्यवाही रोक कर तयशुदा शर्तो पर विवाचन निर्णय के रूप में समझौते को रिकार्ड करेंगे. जिसका प्रभाव स्थिति विवाद के विषय पर किसी भी अन्य विवाचन निर्णय के ही समान होगी.

मध्यस्थता निर्णय का स्वरूप व विषयवस्तु

१८.१५ १- मध्यस्थता निर्णय लिखित रूप से होगा और इस पर विवाचन अदालत के सदस्यों या संबंधित अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे और हस्तांतरित प्रतियां प्रत्येक पार्टी और एक्सचेंज को दी जानी चाहिए.

२- मध्यस्थता निर्णय में वे कारण दिए जाएंगे जिन पर वह आधारित है बशर्ते पार्टियां अन्यथा तैयार हो

निर्णय का अन्तिम स्वरूप व लागू किया जाना

१८.१६ १- आर्बिट्रेशन एण्ड कॉन्सिलिएशन एक्ट, १९९६ के अध्याय ७ व उपनियम १८.२८ के अनुसार मध्यस्थता निर्णय अन्तिम होगा और उसके तहत दावा करने वाले व्यक्तियों व पार्टियों पर क्रमश: बाध्यकारी होगा.

२- कोड ऑफ सिविल प्रसीडियर, १९०८ के तहत निर्णय कोर्ट की डिग्री के समान ही लागू होगा.

मध्यस्थता कार्यवाहियों का समापन

१८.१७ मध्यस्थता प्रक्रियाएं इस प्रकार समापत होगी :

१- अन्तिम निर्णय से, या
२- पार्टियों की रजामन्दी से, या
३- पार्टियों द्वारा फीस का भुगतान करने पर मध्यस्थ द्वारा

मध्यस्थता कार्यवाहियों का संचालन

मध्यस्थता का स्थान

१८.१८ मध्यस्थता का स्थान केन्द्रीय मध्यस्थता पैनल से संबंधित सब मामलों के लिए इंटर कनेक्टड स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया का रजिस्टर्ड ऑफ़िस होगा और जिस क्षेत्रीय मध्यस्थता पैनल के न्यायक्षेत्र के मामले होंगे वहाँ के भागीदार स्टॉक एक्सचेंज का रजिस्टर्ड ऑफ़िस या कोई ऐसी जगह जिसका निर्धारण संबंधित अधिकारी की पूर्व सम्पत्ति से विवाचन अदालत द्वारा किया जाएगा ।

लिखित बयान / सुनवाई

१८.१९ पार्टियों में लिखित बयान पर उल्लेखन का निर्णय विवाचन अदालता द्वारा लिया जाएगा । हालांकि, कोई भी पार्टी सुनवाई के अवसर के लिए विवाचन अदालत से अनुरोध कर सकती है । इस स्थिति उसे सुनाजाएगा और दूसरी पार्टी व पार्टियों को इसी प्रकार सुनने का अवसर दिया जाएगा ।

१८.२० निर्धारित समय के अन्दर लिखित बयान दर्ज करने में असफलता के बावजूद विवाचन अदालत उल्लेखन शुरू कर सकती है और एक या सब पार्टियों के नोटिस के बाद निर्धारित समय व स्थान पर कार्यवाही में हिस्सा लेने में असफल रहने, नजरअन्दाज करने या मना करने से अनुपस्थित रहने पर उल्लेखन शुरू कर सकती है ।

सुनवाई का स्थगन

१८.२१ विवाचन अदालत सामय समय पर उल्लेखन की किसी पार्टी या अपनी इच्छा से सुनवाई स्थगित कर सकती है, किन्तु यह तीन से अधिक बार नहीं हो सकता ।

किन्तु यदि उल्लेखन की एक पार्टी के अनुरोध पर स्थगन दिया जाता है तो विवाचन अदालत यदि ठीक समझे तो ऐसी पार्टी से स्थगित सुनवाई के लिए होनेवाले शुल्क और लागत का भुगतान करवा सकती है और ऐसी पार्टी के ऐसा करने में असफल रहने पर वह उसे आगे सुनने से मना कर सकता है या उसका मामला रद्द कर सकता है या इसप्रकार मामले से निपट सकता है जो वह ठीक समझे ।

कानूनी सलाहकार व प्रमाण

१८.२२ सुनवाई के दौरान उल्लेखन की पार्टियाँ विवाचन अदालत की अनुमति से यथावत् अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा पेश हो सकते है । किन्तु अधिकृत प्रतिनिधि कानूनी सलाहकार नहीं हो सकता । जब एक पार्टी को इस प्रकार की अनुमति दी जाएगी तो दूसरी पार्टी या पार्टियाँ को भी इसी प्रकार का विशेषाधिकार दिया जाएगा । लेकिन विवाचन अदालत की अनुमति के बिना कोई पार्टी इस प्रकार अधिकृत नहीं होगी ना ही वह विवाचन अदालत को ज़रूरत के अलावा गवाहो को सुनने व जांच करने या जबानी या लिखित प्रमाण प्राप्त करने के लिए जोर दे सकता है ।

सैट-ऑफ और जवाबी दावा

१८.२३ एक पार्टी द्वारा मध्यस्थता के उल्लेखन पर दूसरी पार्टी या पार्टियाँ पहली पार्टी के विरुद्ध सैट-ऑफ़ [निपटाना] या जवाबी दावा करने के लिए अधिकृत है बशर्ते इस प्रकार का सैट-ऑफ़ या जवाबीदावा सौदों, लेन-देन व अनुबंधो के कारण हो या उनसे जुड़ा हो और उसके अनुसार मध्यस्थता का पात्र हो लेकिन इस प्रकार का सैट-ऑफ या जवाबी दावा पूरे विवरण सहित एक साथ में उल्लेखन की पहली सुनवाई पर या उससे पहले पेश किया जाएँ और विवाचन अदालत से अनुमति मिलने पर ही बाद में पेश किया जा सकता है ।

ब्याज, निश्चित करने के लिए अधिनिर्णय

१८.२४ जहाँ तक अधिनिर्णय पैसे के भुगतान के लिए है विवाचन अदालत मध्यस्थता कार्यवाही शुरु किए जाने से पूर्व मूल राशि पर दिए जानेवाले ब्याज का निर्णय अधिनिर्णय में कर सकता है, और मध्यस्थता प्रक्रियाएँ शुरु होने की तारीख से निर्णय के दिन तक के लिए उचित समझे वाली मूल राशि पर अतिरिक्त ब्याज का भी अधिनिर्णय दे सकता है । इसप्रकार निर्णीत कुल राशि पर ब्याज प्रचलित बाजार दर पर निर्णय की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख या डिग्री तक होगा ।

लागत

१८.२५ विवरचन समिति करेगी कि कौन सी पार्टी लागत वहन करेगी, जो मामले की स्थितियों पर निर्भर करेगा और यदि उचित हो तो यह पार्टियों के बीच लागत बांट सकती है।

मध्यस्थ - निर्णय के विरूद्ध अपील

बोर्ड को अपील

१८.२६.१ मध्यस्ता के पद की रिक्तता की पूर्ति

मध्यस्ताा के निर्णय के पूर्व मध्यस्ता भी बिमारी के कारण या उसकी मृत्यु के कारण है या किसी दूसरे कारण से मध्यस्था का पद खाली हो जाता है तो सम्बन्धित नये मध्यस्ता की नियुक्ति करता है।

१८.२६.२ कार्यवाही एवं गवाही

संबंधित अधिकारी द्वारा नियुक्त नये मध्यस्थ उन सभी कार्यवाही एवं गवाहियों का दुबारा सुन कसता है जो पहले रिकार्ड भी जा चुकी है। वशर्ते सभी परिमा उनको स्वीकृत कर लें।

१८.२६.३ पुराने मध्ययस्थ द्वारा दिया हुआ उद्देश्य या फैसला

वर्खास्त होने के पूर्व मध्यस्ता द्वारा दिय गये आदेश व फैसले को केवल इस कारण अवैध नहीं किया जा सकता कि उसे वर्खास्त कर दिया गया। वशर्ते उसके द्वारा दिया आदेश व निर्णय धारा १८/१० के अनुरूप अदेध नहीं की गई हो तो सभी पार्टीयों को स्वीकृत हो।

१८.२६.४ मध्यस्थ द्वारा दिया गया अन्तरीय फैसला

मध्यस्थ को यह अधिकार है कि वह सुनवाई के दौरान अन्तरीय फैसला कर मकता है एवं सुरक्षा की दृष्टि से अन्तरीय उपाय भी कर सकता है तथा किसी पार्टी को अन्तरीय सुरक्षा के लिए आदेश दे सकता है।

स्पष्टीकरणः लागत का अर्थ है मध्यस्थों, गवाहों, वर्चों व प्रशासनात्मक फीस व शुल्क अनुसूची के अनुसार अन्य प्रभार आदि से संबंधित खर्च व फीस की लागत।

मध्यस्था - निर्णय के विरूद्ध अपील

बोर्ड को अपील

लिखित आपत्ति व प्रमाण पत्र

१८.२७.१ बोर्ड को अपील करने वाली पार्टी विमोचन अदालत को अधिनिर्णय के विरूद्ध आपत्ति लिखित रूसे से देगी और बोर्ड / प्रबंदा निदेशक द्वारा पूर्णतः या आंशिक छूट मिलने की स्थिति को छोड़कर भुगतान करने के लिए आदेशित पूरी राशि नगद रूप जमा या डिलिवर की जाने के लिए आवश्यक प्रतिभूतियों की डिलिवरी या डिलिवर करने के लिए आदेशित प्रतिभूतियों के बाजार भाव के अनुरूप मूल्य एक्सचेंज में जमा कर देगी। जमा रखने वाली पार्टी इस प्रकार की जमा एक्सचेंज द्वारा दूसरी पार्टी को देने के लिए तैयार मानी गई है जो अपील के निर्णय की शर्तों के अनुरूप होगा।

१८.२७.२ एक्सचेंज से यह प्रमाण पत्र कि देय जमा धारा (१) के अनुसार दी गई है, अपील के साथ नत्थी की जाएगी। जिस अपील के साथ इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं जुड़ा होगा पर विचार नहीं करेगा।

बोर्ड के निश्चय की अन्तिमता

18.28 जमा का प्रमाण अपील से जुड़े होने पर बोर्ड अपील की सुनवाई सशुरू करेगा और आर्बिट्रेशन एंड कॉनसिएलेशन एक्ट, 1996के अनुच्छेद 7 के अनुसार उसका निर्णय अन्तिम माना जायेगा और अपील की पार्टियों पर बाध्यकारी होगा।

निर्णय पर हस्ताक्षर

18.29 बोर्ड द्वारा दिया गया निर्णय लिखित होगा और प्रबंध निदेश या संबंधित अधिकारी से हस्तावंरित होगा ।

निर्णय के अनुपालन में असफलता पर दंड

18.30 ट्रेडर / डीलर जो विवाचन अदालत के निर्णय उपनियम 18.16 व 18.17 के अनुसार अन्तिम है को स्वीकारने या अनुपालन करने या उस पर चलने में असफल रहे या मनाकरे उसे बोर्ड/प्रबंध निदेशक आवश्यक समझी जानेवाली अवधि के लिए स्थगित कर सकता है या चूककर्ता घोषित कर सकता है या निष्कासित कर सकता है और उसकेबाद दूसरी पार्टी निर्णय लागू किए जाने के लिए कानूनी कार्यवाही का कोई मुकदमा शुरू कर सकती है या अन्य प्रकार सेट्रेडर/डीलर के विरूद्ध अपने अधिकारोंकी रक्षा कर सकता है।

भाग—2.

समाधान व मध्यस्थो की नियुक्ति

18.31 (1) यदि पार्टियाँ इस बात के लिए तैयार हो जाती है कि दो या तीन मध्यस्थ हो सकते है वरना एक ही मध्यस्थ होगा ।

(2) मध्यस्थ मध्यस्थें का चुनाव बोर्ड द्वारा गठित मध्यस्थों के चुनाव से किया जायेगा ।

मध्यस्थों का पैनल

18.32 एक्सचेंज मध्यस्थों का चैनल गठित करेगा जो सैन्ट्रल कॉन्सिएटर्स पैनल कहलाएगा जिसमें कम से कम 10 (दस) पैनल सदस्य होंगे 40 प्रतिशत (चालीस प्रतिशत) इंटर – कनैक्टड स्टाक एक्सेचंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के ट्रेडरों/डीलरों से होगा और शेष 60 प्रतिशत (साठ प्रतिशत) गैर सदस्यों से लिए जायंगे ।इसमें कानून, न्याय वित्त व अकाउन्टैन्सी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे और वे स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे ।

18.33 इसी प्रकार बोर्ड क्षेत्रीय कॉन्सिलिएशन का गठन करेगा जिसमें दस सदस्य होंगे, 4 (चार) भागीदार स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य ब्रोकर तथा 6(छह)गैर सदस्य कानून, न्याय, वित्त व अकाउन्टैन्सी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जो किसी स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य नहीं होंगे ।इसके अलावा आईएसई बोर्ड मध यस्थता के लिए प्रस्तुत मामलों की संख्या के अनुसार समय समय पैनल पर मध्यस्थों की संख्या बढ़ा सकता है । ऐसा सेबी की पूर्वानुमति से किया जाएगा और इसके लिए सदस्यों व गैर सदस्यों का अनुपात 4:60 ही रहेगा ।

मध्यस्थता, प्रक्रियाओं का समापन

18.34 किसी विवाद के निपटाने के लिए मध्यस्थता प्रक्रियाएं इस प्रकार की प्रक्रियाओं के शुरू होने के 30 दिन के अन्दर पूरी की जाऐगी ।

स्पष्टीकरण : मध्यस्थता प्रक्रियाओं की शुरूआत यहाँ दिए अनुसार मध्यस्थों की नियुक्ति पूरे होते ही

शुरू मानी जाएगी ।

मध्यस्थ को विवरण का निवेदन

18.35.1 नियुक्ति के बाद मध्यस्थ हर पार्टी से लिखित रूप से संक्षिप्त विवरण देने के लिए अनुरोध कर सकते है । इस विवरण में विवाद की आम प्रकृति, इश्यू संबंधी बिन्दु और यदि हो तो दावे का पैसा । प्रत्येक पार्टी इस विवरण की प्रति दूसरी पार्टी को भेजेगी ।

18.35.2 मध्यस्थता प्रक्रियाओं के किसी भी चरर्ण में मध्यस्थ पार्टी से इस प्रकार की अतिरिक्त सूचना जिसे वह / वे ठीक समझे देने के लिए अनुरोध कर सकता है ।

प्रतिनिधित्व व सहायता

18.36 हर पार्टी दूसरी पार्टी और मध्यस्थ को लिखित रूप से इनकी सलाह देगी.,

(ए) उस व्यक्ति का नाम व पता जो उसे प्रतिनिधित्व करेगा व सहायता देगा और

(बी) वह हैसियत जिस पर वह व्यक्ति काम करेगा ।

मध्यस्थ व पार्टियों के बीच सम्पर्क

18.37 मध्यस्त पार्टियों को मिलने के लिए बुला है या उनसे लिखित या मौखिक रूप से मिल या सम्पर्क बनाए रखा सकत है ।

18.38 मध्यस्थ के साथ जहां बैठक होगी उस जगह का निश्चय एक्सचेंज की सलाह से मध्यस्थ द्वारा लिया जायेगा ।

सूचना का खुलासा

18.39 जब मध्यस्थ पार्टी से विवाद के बारे में तथ्यपरक सूचना प्राप्त करता है, वे उस सूचना का सार दूसरी पार्टी किसी विशेष शर्त के अनुसार मध्यस्थ को सूचना देती है कि इसे गुप्त रखा जाए तो मध्यस्थ उस सूचना को दूसरी पार्टी को नही बताएंगे ।

मध्यस्थ के साथ पार्टियों का सहयोग

18.40 पार्टी स्वयं या माध्यस्थ की पहल और नियत्रंण पर विवाद निपटाने के संबंध में सुझाव दे सकते है ।

निपटान समझौता

18.42.1 जब मध्यस्थ को ऐसा लगे कि समझौते का छूट है जो दोनों पार्टियों को स्वीकार्य हो सकता है तो वह एक संभावित समझौते की शर्त तैयार कर पार्टियों को उनके अवलोकनार्थ देगा । पार्टियों की टीका–टिप्पणी प्राप्त करने के बाद उनको ध्यान में रखते हुए मध्यस्थ संभावित समझौते की शर्त पुर्नगठित कर सकता है ।

18.42.2 यदि पार्टियों विवाद के समझौते पर सहमत हो जाती है तो वे उसे तैयार कर लिखित निपटाम समझौते पर हस्ताक्षर कर सकती है । मध्यस्थ निपटाना समझौता तैयार कर सकता है या पार्टियों को ऐसा करने में सहायता दे सकता है ।

18.42.3 जब पार्टियों निपटाम समझौते पर हस्ताक्षर कर देंगी तो वह अन्तिम होगा और उस के तहत दावा करने वाली पार्टियों पर बाध्यकारी होगा ।

18.42.4 मध्यस्थ निपटान समझौते को मध्यस्थ प्रामाणिक ठहराएगा और उसकी एक प्रति प्रत्येक पार्टी और एक्सचेंज को देगा ।

निपटान समझौते की स्थिति व प्रभाव

18.43 निपटान समझौते की स्थिति व प्रभाव विवाद के विषय पर अनुमत शर्तों के मध्यस्थ निर्णय के समान ही होंगे ।

गोपनीयता

18.44 वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून में निहित किसी भी चीज के होते हुए मध्यस्थ व पार्टियाँ मध्यस्थता प्रक्रियाओं से संबधित सभी मामले गुप्त रखेगी । सिवाय जब प्रभावी बनाने व लागू करने के खुलासा किया जाना आवश्यक हो ।

मध्यस्थता प्रक्रियाओं का समापन

18.45.1 मध्यस्थता प्रक्रियाएँ समाप्त होंगी :

(अ) समझौते की तारीख पर पार्टियों द्वारा निपटान समझौते पर हस्ताक्षर द्वारा या

(ब) पार्टियों से सलाह के बाद मध्यस्थ की लिखित घोषणा से जिसके अनुसार घोषणा के दिन मध्यस्थता के लिए और प्रयासों का अब औचित्य नही है, या

(सी) मध्यस्थता को संबोधित करते हुए पार्टियों की लिखित घोषणा जिसके अनुसार घोषणा के दिन मध्यस्थता प्रक्रिकाएँ समाप्त कर दी गई है, या

(डी) एक पार्टी से दूसरी पार्टी व मध्यस्थ को घोषणा द्वारा कि घोषणा के दिन मध्यस्थता प्रक्रिकाएँ समाप्त हो गई है ।

18.45.2 प्रक्रिकाएँ समाप्त होने पर मध्यस्थ इस संबंध में एक्सचेंज को लिखित सूचना भेजेगा ।

लागत

18.46.1 मध्यस्थता प्रक्रिकाएँ समाप्त होने पर मध्यस्थ शुल्क सूची के आधार पर तथा प्रबंध निदेशक या संबंधित अधिकारी से बात कर मध्यस्थता की लागत तय कर उस संबंध में पार्टियों को लिखित नोटिस देगा :

(ए) मध्यस्थ व मध्यस्थ द्वारा अनुरोध किए गए, पार्टियों की सलाह से गवाहों की फीस व खर्च,

(बी) पार्टियों की सलाह से मध्यस्थ द्वारा मांगी गई कोई विशिष्ट सलाह,

(सी) मध्यस्थता प्रक्रिकाओं व निपटान समझौते के संबंध मे होनेवाला कोई अन्य खर्च।

18.46.2 लागत का वहन दोनों पार्टियों द्वारा समान रूप से किया जाएगा बशर्ते निपटान समझौते में संविभाजन का प्रावधान न हो ।

जमा

18.47.1 मध्यस्थ हर पार्टी को किसी राशि जितनी वह समझता है खर्च होगी । एक्सचेंज में लागत के अग्रिम के रूप में जमा करने का निर्देश दे सकता है । हलांकि मध्यस्थता प्रक्रिकाओं के दौरान मध्यस्थ हर पार्टी को पूरक जमा के रूप में बराबर राशि का निर्देश दे सकता है ।

18.47.2 यदि उपधारा(1) के अनुसार आवश्यक जमा दोनों पार्टियों द्वारा सात के अन्दर नहीं दी जाती तो मध्यस्थ कार्यवाही स्थगित कर सकता है या कार्यवाही की समाप्ति के संबंध में पार्टियों को लिखित घोषणा कर सकता है जो घोषणा के दिन ही प्रभावी होगा ।

18.47.3 मध्यस्थता प्रक्रिकाओं की समाप्ति पर एक्सचेंज पार्टियों को प्राप्त जमा का हिसाब देगा और जो अनपेक्षित रूप से बचा होगा उसे पार्टियों को वापस लौटा देगा ।

अन्य प्रक्रिकाओं में मध्यस्थ की भूमिका

18.48 यदि पार्टियों की अन्यथा सहमति न हो :

(ए) मध्यस्थ विवाचन या पार्टी के मध्यस्थ या प्रतिनिधि या पार्टी के सलाहकार के रूप में मध्यस्थता प्रक्रिकाओं के विषय के विवाद के संबंध में मध्यस्थता व न्यायिक प्रक्रियों में काम नहीं करेगा ।

(बी) पार्टियों द्वारा मध्यस्थ को किसी न्यायिक या मध्यस्थता प्रक्रिया में गवाह के रूप में पेश नहीं किया जाएगा ।

अन्य प्रक्रिकाओं में प्रमाण की स्वीकार्यता :

18.49 पार्टियों मध्यस्थता या न्यायिक प्रक्रिकाओं में प्रमाण नहीं पेश करेंगी और नहीं निर्भर करेगी भले ही ये प्रक्रिकाएँ उसे विवाद से संबंधित हों या नहीं जो मध्यस्थता प्रक्रिकाओं का विषय है :

(ए) विवाद के संभावित निपटान के संबंध में दूसरी पार्टी द्वारा दिए गए विचार या सुझाव,

(बी) मध्यस्थता प्रक्रिकाओं के दौरान पार्टी द्वारा की गई स्वीकृतियाँ

(सी) मध्यस्थ द्वारा दिया गया प्रस्ताव, और

(डी) यह तथ्य कि दूसरी पार्टी के मध्यस्थ द्वारा दिए गए समझौते के प्रस्ताव को स्वीकारने की इच्छा जाहिर की है ।

भाग–2–

प्रशासनात्मक प्रबंधन

18.50 आईएसई का प्रबंधनिदेशक या उसके तहत काम करनेवाले संबंधित अधिकारी :

(1) उल्लेख का रजिस्ट्रर रखेंगे,

(2) विवाचन व मध्यस्थता के सब आवेदन, उल्लेखन और पार्टियों द्वारा संबंधित पत्राध्यवहार, मध्यस्थता से पूर्व या उसे दौरान या अन्यथा उस संबंध में प्राप्त किए जाएंगे ।

(3) सभी लागत, प्रभार, फीस व अन्य खर्चों संबंधी भुगतान प्राप्त करनर,

(4) विवाचन से पूर्व या उसे दौरान सुनवाई या अन्य पार्टियों को दी जानेवाली अन्य अधिसूचनाएं या उससे संबंधित अन्य के विषय में नोटिस देना,

(5) मध्यस्थों के सभी आदेश व निर्देश पार्टियों तक पहुंचाने,

(6) उल्लेखन से संबंधित सभी दस्तावेजों व कागजों को प्राप्त करना और रिकार्ड कर कस्टडी में रखना सिवाय जिन्हें पार्टियों रखने के लिए अनुमत हों,

(7) विवाचन की ओर निर्णय प्रकाशित करना

(8) विवाचनों की ओर से निर्णय दर्ज कराना, और

(9) सामान्यतः सभी ऐसे काम करना और इस प्रकार के सब कदम उठाना जो विवाचकों / मध्यस्थों को उनके काम करने के लिए आवश्यक हों ।

हरजाना

18.51 कोई भी पार्टी एक्सचेंज निदेशक बोर्ड अध्यक्ष प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक या एक्सचेंज के किसी कर्मचारी या कर्मचारियों जो अधिकारियों के तहत काम कर रहे है के विरूद्ध या इन उपनियमों व अधिनियमों के तहत किए जानेवाले किसी मामले या चीज के संबंध में विवाचनों / मध्यस्थों के विरूद्ध कोई मुकदमा या कार्यवाही शुरू नहीं कर सकते है ।

समय सारिणी

18.52.1	अनन्य विवाचक की नियुक्त	एक्सचेंज को दिए आवेदन के तीन दिनों के अन्दर
18.52.2	अनन्य विवाचक की नियुक्ति पर असहमति की स्थिति में पार्टियों द्वारा एक–एक विवचाक की नियुक्ति	अन्तिम दिन से तीन दिनों के अन्दर अर्थात् अनन्य विवाचक की नियुक्ति के तीसरे दिन
18.52.3	इस प्रकार नियुक्त दो विवाचकों द्वारा तीसरे विवाचक की नियुक्ति (एक्सचेंज को आवेदन के सात दिन पूरे होने के बाद विवाचक नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी नहीं रहेंगी)	मध्यस्थों की नियुक्ति के अगले दिन
18.52.4	विवाचकों को उनकी नियुक्ति की सूचना	एक्सचेंज को आवेदन के सातवें दिन

18.52.5 विवाचन प्रक्रियाओं की शुरूआत विवाचक (को) को उनकी नियुक्ति की सूचना केबाद से ही समझी जाएगी, सिवाय यदि एक या सभी विवाचक सूचना मिलने के तीन दिन के अन्दर विवाचक के रूप में काम करने के लिए अपनी असमर्थता प्रकट करें ।

अन्दर ही विवाचन प्रक्रियाएँ समाप्त करनी होगी ।

अधिसूचनाएँ व पत्राध्यवहार

18.53 ट्रेडर या डीलर या घटक को सभी अधिसूचनाएँ व पत्राध्यवहार उसके सामान्य पते और / या उसके रहने की सामान्य जगह और / या उसके अन्तिम विदित पते पर निम्न किसी एक या अधिक प्रकार से भेजी जाएंगी :

(ए) रजिस्टर्ड डाक द्वारा

(बी) हाथ से भेज कर जिसमें कुरियर सर्विस शामिल है ।

(सी) सर्टिफिकेटऑफ पोस्टिंग द्वारा

(डी) एक्सप्रेस डिलिवरी डाकद्वारा

(ई) तार द्वारा

(एफ) अन्तिम विदित पते या आवास पते के दरवाजे पर लगा कर

(जी) तीसरे व्यक्ति की उपस्थिति में पार्टी को जबानी संदेश से

(एच) किसी प्रमुख दैनिक समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा

(आई) आईएसई की अधिसूत ट्रेडिंग प्रणाली–पर नोटिस लगा कर डाक या तार द्वारा सर्विस

18.54 डाक यातार से भेजी गई अधिसूचना या पत्राध्यवहार पार्टी द्वारा उसी समय प्राप्त किए गए माने जाएंगे जब वे डाक या तारकी सामान्य प्रक्रिया में डिलिवर किए गए होते : रजिस्टर्ड पत्र या तार या सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के लिए प्राप्त रसीद इसप्रकार से नोटिस या पत्र भेजे जाने का ठोस प्रमाण होगा और इसमें नोटिस की समुचित प्रकार निहित होगा ।

डिलिवरी स्वीकार करने से मना करना

18.55 किसी भी हालत में नोटिस या संदेश की डिलिवरी अस्वीकार करने से सर्विस की वैधता प्रभावित नहीं होगी ।

विज्ञापन या नोटिस बोर्ड पर नोटिस से सर्विस

18.56 समाचार पत्र में प्रकाशित या आईएसई के नोटिस बोर्ड पर लगाया हुआ नोटिस या संदेश जिस दिन प्रकाशित हुआ हो या लगाया गया हो उसी दिन पार्टी को भेजा गया माना जाएगा ।

विलंब से किए दावे रोके जाएंगे

18.57 शुरू होने के तीन महीने केअन्दर यदि किसी दावे, शिकायत, मतभेद या विवाद का उल्लेख नहीं हुआ है तो विवाचक उसकी सुनवाई नहीं करेंगे ।

समय वृद्धि

18.58 बोर्ड/प्रबंध निदेशक या संबंधित अधिकारी वह समय बढ़ा सकते हैं जिसमें विवाचन का उल्लेख या विवाचक के किसी निर्णय के विरुद्ध अपील की जासकती हो, भले ही ऐसा करने का समय खत्म हो चुका हो, या आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996 के अनुसार लागू सीमाओं के अनुसार न हो ।

18.59 शुल्क सारिणी

प्रशासनात्म फीस

1.	रजिस्ट्रेशन	विवाचन / मध्यस्थता के लिए आवेदन करते समय एक्सचेंज में 200 रूपए जमा किए जाएंगे ।
2.	जहां विवाद की कुल राशि 50,000/–रू. से अधिक न हों ।	800/–रूपए
3.	जहां विवाद कुल रशि 50,000/–रू. से अधिक हो किन्तु 5,00,000/– से अधिक न हो ।	800/– रूपए+50,000/–रूपए से अधिक विवाद की रशि की 0.25 प्रतिशत

नोट :

1. किन्तु कुल फीस 1,000/– रूपए से कम या 15,000/– रूपए से अधिक नहीं होगी ।
2. विवाचक को आरएसई पर दी जानेवाली उपवेशन फीस हर बैठक के लिए 500 रूपए होगी और केन्द्रीय पैनल के लिए 1,000/– रूपए प्रति बैठक होगी ।

18.60 मध्यस्थो के पैनल का क्षेत्राधिकार

केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मध्यस्थों के पैनल या क्षेत्राधिकार निम्नांकित होगा ।

क्र.	संख्या विवाद सम्बधित पक्ष	क्षेत्राधिकार व डीलर
1.	ग्राहक एवं ट्रेडर ग्राहक एवं डीलर	ट्रेडर के सम्बंध में जहां से वह कार्य करता है और वहां भागीदारी एक्सचेंज है वहां का क्षेत्रीय मध्यस्थ पैनोल उस विवाद का क्षेत्राधिकारी होगा परन्तु उस स्टेट में भागीदारी एक्सचेन्ज नहीं है जहां से ट्रेडर /डीलर कार्य करता है तो केन्द्रीय पैनेल का मध्यस्थ क्षेत्राधिकारी होगा भागीदारी एक्चेंज के ।
2.	दो टेड्रस्स के मध्य परन्तु एक ही भागीदार एक्सचेंज से	क्षेत्रीय मध्यस्क पैनेल के क्षेत्राधिकार से

3. दो ट्रेडर्स या दो डीलर या एक ट्रेडर्स और एक डीलर भिन्न भिन्न एक्सचेंज से — केन्द्रीय मध्यस्थ पैनल क्षेत्राधिकार से

उपर्युक्त वर्णित लिखावट के बावजूद प्रबन्धन्यासी किसी भी विवाद के विषय में क्षेत्राधिकार नियुक्त करने या भिन्न मध्यस्थ पेनेल के मामले में निर्णय देने में निषेधक अधिकारी होंगे और उनका फैसला अन्तिम और सभी पार्टियों को मान्य होगा ।

18.60.3 केंद्रीय व क्षेत्रीय दोनों विवाचन पैनलों का कार्यकाल अगली आम वार्षिक बैठक बाद नई नियुक्ति तक होगा । पैनल सदस्यों का नामांकन कंपनी के बोर्ड द्वारा किया जाएगा । और वे तब तक पद पर रहेंगे जब तक आगामी वार्षिक सामान्य बैठक या उसके बाद नए नामांकित की नियुक्ति न हो जाए–इनमें जो भी देर से हो । त्यागपत्र मृत्यु या अन्यथा होने वाला कोई भी रिक्त स्थान इसी प्रकार भरा जाएगा । केन्द्रीय व क्षेत्री विवाचन पैनलों के सभी सेवानिवृत्त होनेवाले सदस्य पुर्ननियुक्ति के पात्र होंगे ।

18.60.4 विवाचन प्रक्रिया कंपनी के साझेदारी अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट, 1996के तहत सम्पन्न होगी ।

19. चूक

चूक की घोषणा

19.1 ट्रेडर या डीलर को बोर्ड या आईएसई के बोर्ड द्वारा नियुक्त संबंधित अधिकारी के निर्देश / परिपत्र / अधिसूचना द्वारा संबंधित ट्रेडिंग खंड के लिए चूककर्ता घोषित किया जा सकता है यदि :

19.1.1 वह अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहता है या,

19.1.2 वह अपना दायित्व, कर्तव्य व देयताओं को पूरा करने में अपनी असमर्थता स्वीकारता व स्पष्ट करता है या,

19.1.3 वह निर्धारित समय में, फीस, दंड,जमा, मार्जिन,नुकसान और इन नियमों, उननियमों व अधिनियमों के तहत उसके विरूद्ध किए गए क्लोजिंग आउट के कारण उत्पन्न पैसे के अन्तर का भु गतान करने में असमर्थ रहता है, या

19.1.4 आईसीएमएस को देय राशि का भुगतान करने में या एक्सचेंज को देयत रीख पर डिलिवारी देने और आदेश प्राप्त करने में, अन्तर का विवरण व प्रतिभूतियाँ, बैलेंस शीट और अन्य क्लीयरिंग फार्म और संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित अन्य विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहता है, या

19.1.5 यदि वह संबंधित अधिकारी द्वारा ट्रेडर या डीलर की सचूक घोषित होने के निर्देशित समय में चूककर्ता घोषित किए गए ट्रेडिंग ट्रेडर या डीलर को देय सब पैसा, प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियों का भुगतान करने में असफल रहता है ।

19.1.6 यदि वह नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत विवाचन, निर्णय का अनुपालन करने में असमर्थ रहता है,

19.1.7 यदि वह दिवालिया घोषित किया जाता है,

19.1.8 यदि वह भागीदार स्टॉक एक्सचेंज द्वारा जिसका वह सदस्य है चूककर्ता घोषित किया जाता है,

19.1.9 यदि वह सैटलमैन्ट गारंटी फंड का भुगतान करने में असफल रहे, किन्तु शासी निकाय या सम्बोधित अधिकारी ट्रेडर/डीलर को चूककर्ता नहीं भी घोषित कर सकता है यदि उसकी चूक एक्सचेंज के पास ट्रेडर द्वारा सैटलमैन्ट गारंटी फंड को दिए सब प्रत्यर्पणीय योगदान और ट्रेडर द्वारा एक्सचेंज को दी जानेवाली अन्य विक्रेय प्रतिभूतियाँ, पैसे, बैंक गारंटी से कम हों, और एक्सचेंज द्वारा इन्हें स्वीकृत कर लिया गया हो, और इस प्रकार के मामलें में एक्सचेंज मूल पूंजी, अतिरिक्त पूंजी, प्रतयर्पणीय योगदान, इस प्रकार की प्रतिभूतियाँ, तथा ट्रेडर/ डीलर के मुक्त करने की गारन्टी व पैसे, बाध्याताएँ, देयताएँ को वसूल कर उनका उपयोग कर सकता है ।

19.1.10 उननियम 19.1 के प्रावधान के अनुसार जहां ट्रेडर / डीलर क्लीयरिंग हाउस को अपनी निपटान देयताएँ देने में असफल रहता है, शासी निकाय या सम्बोधित अधिकारी ट्रेडर /डीलर को पे-आउट घोषित होने से पूर्ण चूककर्ता घोषित कर देंगे , किन्तु ट्रेडर/डीलर पे-आउट घोषित होने के पहले यदि चूककर्ता घोषित नहीं किया जाता तो इस उपनियम के तहत शासी निकाय, बोर्ड या सम्बन्धित अधिकारी ट्रेडर/डीलर कोपे-आउट घोषित होने के बाद चूककर्ता किए जाने से कोई रोक नहीं सकता ।

19.2 संबंधित अधिकारी ट्रेडर या डीलर को घोषित किए जाने का आदेश दे सकते है यदि वह आईएससौदे से होनेवाली घटक या ट्रेडर या डीलर की देयता पूरी करने में असमर्थ रहते है ।

दिवालिया चूककर्ता

19.3 दिवालिया घोषित किया जानेवाला ट्रेडर या डीलर स्वतः चूककर्ता घोषित हो जाएगा यद्यपि वह उसी समय आइएसई पर चूककर्ता नहीं भी हो सकता ।

ट्रेडर और डीलर का कर्तव्य सूचना देना

19.4 ट्रेडर और डीलर आईएसई को तत्काल अधिसूचित करने के लिए बाध्य है यदि उसके किसी ट्रेडर द्वारा उसकी देयताएँ पूरी तरह सम्पादितकरने में चूक हुई हो ।

19.5 सदस्य एक्सचेंज आईएसई को तत्काल अधिसूचित करने के लिए बाध्य है यदि इसका कोई ट्रेडर अपना दायित्व पूरा करने में असफल रहा हो।

समझौता वर्जित

19.6 ट्रेडर या डीलर किसी ट्रेडर या डीलर से प्रतिभूतियों के सौदो से होनेवाले ऋण के निपटान के लिए पूरे व उचित भुगतान से कम स्वीकारने का दोषी ट्रेडर और डीलर उस अवधि तक के लिए स्थगित किया जाएगा जिसे संबंधित अधिकारी निश्चित करें ।

चूक की घोषणा की अधिसूचना

19.7.1 ट्रेडर और डीलर के चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद संबंधित ट्रेडिंग सिस्टम पर उस संबंध में तत्काल एक नोटिस लगा दिया जाएगा ।

19.7.2 संबंधित अधिकारी द्वारा चूककर्ता घोषित किए जान के बाद वह लिस भागीदार एक्सचेंज का ट्रेडर या डीलर है उस पर स्वतः चूककर्ता घोषित हो जाएगा ।

चूककर्ता की बुक व दस्तावेज

19.8 ट्रेडर और डीलर के चूककर्ता घोषित किए जाने के बाद डिफॉल्टर समिति उसके सभी खातें की बुक, दस्तावेज, कागजों व वाउचरों कोअपने अधिकार मेंकर लेगा ताकि उसके मामले की स्थिति पता चल सके और चूककर्ता इस प्रकार की बुक, दस्तावेज, कागज व वाउचर चूककर्ता समिति को सौप देगा ।

उधार लेने और देने वालों की सूची

19.9 चूककर्ता डिफाल्टर्स समिति के पास संबंधित अधिकारी द्वारा उसके चूककर्ता घोषित होने के बाद निश्चित किए जाने वाले समय के अन्दर उनके द्वारा निर्देशित के अनुसार उसके उधार लेने और देनेवालो की उन्हें देये या लिए जानेवाले पैसे की पूरी सूची दे देगा ।

चूककर्ता को सूचना देनी होगी

19.10 चूककर्ता खाते, सूचना का विवरण व डिफाल्टस समिति द्वारा समय समय पर अपेक्षित अपने मामले की जानकारी आदि डिफाल्अर समिति को पेश कर देंगे और यदि समिति चाहेगी तो चूक के संबंध में होने वाली समिति की बैठकों में भी आएंगे ।

जाँच

19.11 डिफाल्टस समिति चूककर्ता के खातों तथा बाजार में उसके लेन–देन के संबंध में कडी जांच कर यदि कोई बात गलत, अव्यावसायिक या ट्रेडर या डीलर के लिए अनुचित हो और उसकी जानकारी में आए तो संबंधित अधिकारी को इसकी सूचना दे देगी ।

चूककर्ता की आस्तियाँ

19.12 (ए) डिफाल्टस समिति चूककर्ता द्वारा जमा की गई सिक्युरिटी और मार्जिन राशि तथा प्रतिभूतियाँ तथा अन्य आस्तियाँ जो किसी ट्रेडर या डीलर द्वारा चूककर्ता को देय या डिलिवर की जानी हो, और जो एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों व अधिनियमों के अनुसार किए गए सौदों या लेन–देन के संबंध में हो को मांग व प्राप्त कर सकती है । और ये आस्तियाँ चूककर्ता समिति में उधारदाता ट्रेडर या डीलर के लाभ और उसके खाते में रहेंगी ।

(बी) आईएसई की चूककर्ता समिति का भागीदार एक्सचेंज पर सभी प्रतिभूतियों, मार्जिन, पैसे, घजमाव अन्य सभी आस्तियों चाहे वे नकद जमा की गई हों याअन्य किसी प्रकास से के समूचे बहिष्करण पर सर्वोपरि, गहवाधिकार होगा । ये जमा आईएसई के ट्रेडरों की सभी लागत, खर्चे, प्रभार, दावों और आईसीएमएस पर ट्रेडरों के दायित्वों के लिए देय भुगतान चके निमित्त होगी ।

(सी) चूककर्ता की आस्तियाँ – उपनियम 19.12 (ए) में कहे गए के बावजूद जहां ट्रेडर या डीलर सैटलमैन्ट गारन्टी फंड के संचालन के दिन या बाद में चूककर्ता घोषित कर दिया गया हो, उपनियम 19.12 (ए) का प्रावधान लागू नहीं होगा और इस प्रकार के मामले में चूककर्ता समिति चूककर्ता द्वारा जमा की गई सिक्युरिटी व मार्जिन मांग कर ले सकती है और चूककर्ता को किसी अन्य ट्रेडर / डिलर द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियामों के तहत किए गए लेन–देन या सौदो के संबंध में देय, भुगतान या डिलिवर करने योग्य सब पैसा, प्रतिभूतियाँ या अन्य आस्तियाँ प्राप्त कर सकती है । इस प्रकार की आस्तियाँ चूककर्ता समिति के पास रहेगी और चूककर्ता समिति उपनियम 20.36 के तहत बने अधिनियमों के अनुसार इन्हे निपटाएगी ।

चूककर्ता समिति को भुगतान

19.13.1 चूककर्ता को देय, भुगतान की जानेवाली या डिलिवर की जानेवाली सब राशि, प्रतिभूतियाँ व अन्य आस्तियाँ चूककर्ता समिति को चूकंत घोषित होने की अवधि के दौरान दी या डिलिवर की जानी चाहिए जो संबंधित अधिकारी निर्देशित करें । इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले ट्रेडर या डीलर को चूककर्ता घोषित किया जाएगा ।

19.13.2 ट्रेडर या डीलर जिसने खाते का अन्तर या इस प्रकार के खाते या सौदे के निपटान के लिए निश्चित तारीख से पूर्व किसी सौदे में कुछ भी प्राप्त किया होगा ।जिस ट्रेडर या डीलर से उसने यह अन्तर या लाभ प्राप्त किया है उसके चूककर्ता घोषित हो जाने पर उस अन्तर या लाभ को चूककर्ता समिति को दे देगा । ट्रेडर या डीलर जिसने इस प्रकार का अन्तर या लाभ दूसरे किसी ट्रेडर या डीलर को इस प्रकार के समझौते से पूर्व किया होगा पुनः चूककर्ता समिति को अन्य ट्रेडर या डीलर के चूक की स्थिति में उध ारकर्ता ट्रेडर या डीलर के खाते में उसके लाभार्थ भुगतान करना होगा ।

19.13.2 ट्रेडर या डीलर जो किसी भी क्लीयरिंग के दौरान दूसरे ट्रेडर या डीलर से दावे का नोट या क्रेडिट नोट प्राप्त करता है जो उसे या उसके घटक को देय राशि से हट कर राशि से हटकर राशि बताता है और जो राशि उसके द्वारा उस घटक के खाते में उसकी ओर से प्राप्त की जानी है तो दूसरे ट्रेडर या डीलर के चूककर्ता घोषित हो जाने पर यह राशि संबंधित अधिकारी द्वारा निपटान के दिन के बाद निर्धारित दिनों में वापस लौटानी होगी । ये रिफंड के लिए दिया जाएगा और इसे उन ऋणदाता ट्रेडरो या डीलरों के दावों के परिसमान में उपयोग किया जायेगा जिनके दावे इन नियामें, उपनियमों, अधिनियशों के तहत स्वीकृत किए चजा चुके है।

19.14 चूककर्ता समिति ऋण ट्रेडर या डीलर की जोखित पर वसूली के दौरान प्राप्त सब आस्तियाँ संबंधित अधि ाकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित बैंक और/या आईएसई नामों में रख सकता और यथासंमव शीघ्र उसका विरण यथानुपात किन्तु बिना ब्याज के क्रेडिट ट्रेडर या डीलर और उन डीलरों में जिनके दावे इन नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार स्वीकृत किए जा चुके है ।

19.14.1 उपनियम 19.14 में कहे गए के अनुसार जहाँ ट्रेडर / डीलर सैटलमेंअ गारन्टी फंड के संचालन के दिन या बाद में चूककर्ता घोषित किया गया हो, उपनियम 19.14 का प्रावधान लागू नहीं होगा और इस प्रकार के मामले में चूककर्ता समिति चूककर्ता के उधारकर्ताओं की जोखिम व लागत पर वसूली के दौरान प्राप्त सब आस्तियों का भुगतान डिफाल्टर समिति द्वारा समय समय पर निश्चित किए गस बैंक / या क्लीयरिंग हाउस के नामों पर रख देगी । और इनका उपयोग यथाशीघ्र उपनियम 19.20 के तहत बने संबंधित अधिनियमों के अनुरूप करेगी ।

क्लोजिंग आउट

19.15.1 चूककर्ता द्वारा सौदे शुरू करने के बाद ट्रेडर या डीलर चूक घोषित होने के बाद आईएसई पर इस प्रकार के सौदे बंद कर देंगे। इस प्रकार का क्लोजिंग आउट संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित किए गए तरीके से किया जाएगा । इस संबंध में संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित अधिनियमों के अनुसार, जब संबंधित अधिकारी के अनुसार स्थितियों के अनुसार इस प्रकार का क्लोजिंग आउट इस प्रकार हुआ माना जाएगा जिसका निर्धारण संबंधित अधिकारिया आईएसई के अन्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा ।

19.15.2 क्लोजिंग आउट के उक्त समायोजन से उत्पन्न होनेवाले अन्तर का दावा चूककर्ता से किया जाएगा या चूककर्ता समिति को उधारकर्ता ट्रेडर या चूककर्ता के डीलरों के लाभ के लिए भुगतान किया जाएगा ।

किन्तु इस धारा के प्रावधान सैटलमैन्ट गारंटी फंड के संचालन की तरीख या उसके बाद चूककर्ता घोषित होनेवाले ट्रेडर/डीलर पर लागू नहीं होंगे ।

19.15.3 चूककर्ता ट्रेडर/डीलर के साथ अनुबंध बंद किया जाना--उपनियम 19.15.1 में कहे गए के बावजूद जहां ट्रेडर/डीलर सैटलमैन्ट गारंटी फंड के संचालन के दिन या बाद में चूककर्ता घोषित किया गया हो, उपनियम 19.15.1 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इन मामलों में सभी ट्रेडर /डीलर उसके साथ किसी

प्रतिभूति में सौदे रखते हुए यदि आवश्यक हो तो सब बकाया अनुबंध उपनियम 20–36 के प्रावधानों के अनुसार क्लोजिंग आउट, सैटलमैन्ट, समायोजन या रद्द कर निश्चित करेगा ।

चूककर्ता के विरुद्ध दावा

19.16 चूक की घोषणा के बाद संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में आईएसई पर व्यवसाय करनेवाला हर ट्रेडिंग ट्रेडर या डीलर, जैसे भी उसके करने के लिए आवश्यक हो, या तो अपने खाते की चूककर्ता समिति के साथ चूककर्ता द्वारा यथावत् समायोजित व इन नियमो, उपनियमों, अधिनियमों, के तहत तुलना करे या संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित के अनुसार फार्म या फार्मों पर चूककर्ता को इन खातों का विवरण दे या एक प्रमाणपत्र दे कि उसके पास इस तरह का कोई खाता नही है ।

रिपोर्ट

19.17 चूककर्ता समिति हर छठे महीने संबंधित अधिकारी को चूककर्ता के मामलों के विषय में एक रिपोर्ट और वसूल की गई आस्तियां, सम्पन्न देयताएं और दिए गए लाभांश की जानकारी देगा ।

खातों का निरीक्षण

19.18 चूककर्ता समिति द्वारा नियमों, उपनियमों व अधिनियामें के अनुसार रखे गए सब खाते किसी भी उधारकर्ता, ट्रेडर या डीलर द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे ।

किन्तु कोई ऋणदाता ट्रेडर / डीलर सैटलमैन्ट गारंटी फंड से संबंधित किसी खाते की जांच के लिए अधिकृत नहीं होगा ।

प्रभार मापक्रम

19.19 एकत्र की गई आस्तियों पर आईएसई को दिए जानेवाले प्रभार पर संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई राशि दी जाएगी ।

आस्तियों का आवेदन

19.20 (ए) चूककर्ता समिति नियमों उपनियमों, व अधिनियामों के तहत अनुमत सभी खर्चे, लागत व प्रभार चुका कर शेष हाथ में बचे, से पहले आईएसई का दावा पूरा करने में लगाएगी और फिर एक्सचेंज पर घटकों की ओर से किए गए सौदों से उठनेवाले और उसके बाद आईएसई के नियमों, उपनियों और अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने स्वयं के खातों में प्रविष्ट ट्रेडर के स्वीकृत दावों को यथानुपात चुकता करेगी ।

(बी) सभी लागत, प्रभाव, देयताओ की अदायगी के बाद यदि कुछ अतिरिक्त बचता है तो डिफाल्ट समिति द्वारा रखा जाएगा और भागीदार एक्सचेंजो के चूककर्ता समिति को लागत ,प्रभार व ट्रेडरो की उन सौदो के लिए देयताओं जो चूककर्ता समिति द्वारा सत्यापन के बाद हों के लिए दिया जाएगा ।

(सी) आस्तियों का आवेदन – उपनियम 19.20(ए) में कहे गए के अनुसार जहां सैटलमैन्ट गारन्टी फंड के दिन या उसके बाद ट्रेडर डीलर चूककर्ता घोषित किया गया है, 20.36 के प्रावधान लागू नहीं होंगे और इस मामले में डिफाल्टर समिति इस प्रकार की सब लागत, प्रभार व खर्च व जो इन उपनियमों व अधिनियमों में अनुमत है का भुगतान करने के बाद हाथ में बची शुद्ध आस्तियों का संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उपयोग करेगा ।

कुछ दावे जिन्हे पूरा नहीं किया जाना है

19.21 चूककर्ता समिति चूककर्ता के विरुद्ध कोई दावा पूरा नहीं करेगी ।

19.21.1 जो उन प्रतिभूतियों के अनुबंध से हो जिनका सौदा अनुमत है, या जो आईएसई के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार न किए गए हों या जिसमें दावा करनेवाले ने या तो स्वयं भुगतान नहीं किया है या किसी सिक्युरिटी के लेन-देन पर देय मार्जिन के अपवंचन में चूककर्ता के साथ उसकी सांठ-गांठ है,

19.21.2 जो ऐसे अनुबंध के कारण हो जिसमें खातों की तुलना इन नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत न की गई हो या कोई तुलना ही न की गई हो यदि अनुबंध इन अनुबंध के संबंध में नियमों, उपनियमों, अधिनियमों के अनुसार नहीं दे दिया गया हो,

19.21.3 जो इस दावे के देय होने के दिन उचित पैसे के भुगतान की जगह दावे के किसी भी प्रकार की निपटान व्यवस्था के कारण हुई हो,

19.21.4 जो सिक्युरिटी के साथ या बिना ऋण के संबंध में हो,

19.21.5 जो संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के अनुसार चूक घोषित होने की तारीख के बाद चूककर्ता समिति को दर्ज नहीं की गई हो ।

चूककर्ता प्रतिनिधि के विरुद्ध दावे

19.22 चूककर्ता समिति चूककर्ता के विरुद्ध ट्रेडर और डीलर का वह दावा पूरा करेगी जो उसे चूककर्ता द्वारा बताए घटक के उन सौदों के संबंध में अपना दावा पूरा न करने से उत्पन्न हो जो आईएसई पर अनुमत है और आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार हों बशर्ते चूककर्ता प्रतिनिधि ट्रेडर या डीलर के रूप में इस ऋणदाता ट्रेडर डीलर के साथ यथावत् रजिस्टर्ड हों ।

किन्तु इस प्रकार के दावे को सेटलमेन्ट गारन्टी फंड से कोई लाभ नहीं मिलेगा ।

चूककर्ता समिति का दावा

19.23 उस चूककर्ता का दावा जिसकी सम्पदा चूककर्ता समिति द्वारा दूसरे चूककर्ताओं के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हो को दूसरे ऋणदाता ट्रेडर या डीलर के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं होगी किन्तु वह अन्य दावों के समान होंगी ।

चूककर्ता की सम्पदा पर दावे का निर्धारित

19.24 चूककर्ता का लेनदार होने वाले ट्रेडर या डीलर संबंधित अधिकारी की अनुमति के बिना इसका दावा बिक्री, हस्तान्तरित या गिरवी नहीं रखेगा ।

चूककर्ता के नाम पर कार्यवाही

19.25 नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के तहत चूककर्ता समिति को दिए गए अधिकारों के प्रति पक्षपातपूर्ण हुए बिना, चूककर्ता समिति शासी निकाय की अनुमति से किसी भी कार्यवाही पर मुकदमा कर सकती है जो उसके स्वयं के नाम पर या चूककर्ता के नाम पर हो सकता है, चूककर्ता की आस्तियों की वसूली के लिए जो भी ठीक हो ।

चूककर्ता समिति का भुगतान

19.26 यदि कोई ट्रेडर या डीलर चूककर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता हो चाहे वह उसकी चूक की अवधि

के दौरान हो या उसके पुर्नप्रवेश के बाद, जो आईएसई के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार बाजार में चूककर्ता घोषित होने से पूर्व किए गए किसी सौदे या लेन–देन से उठनेवाले चूककर्ता की सम्पदा के विरूद्ध दावे को लागू करने के लिए हो और डिग्री प्राप्त कर उसपर कोई धन प्राप्त कर लेता है तो वह यह राशि या उसका हिस्सा जो भी संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए का भुगतान चूककर्ता समिति को इस प्रकार के चूककर्ता के विरूद्ध दावा करने वाले ऋणदाता ट्रेडर या डीलर के लाभार्थ और उसके खाते में कर देगा ।

19.27 सदस्य एक्सचेंज चूककर्ता की देयता, पहचान और सम्पति से संबंध निश्चित करने के लिए तथा आस्तियों के विरण के लिए आईएसई को पूरी सहायता देगा ।

पे–आउट की घोषणा के लिए ट्रेड गारंटी फंड से चूक की राशि प्राप्त करना

12.28 चूककर्ता के कारण पे–इन में होनेवाली कमी की वसूली आईएसई के सैटलमैन्ट गारन्टी फंड (एसजीएफ) से पे–आउट की घोषणा के लिए की जाएगी।

भागीदार स्टॉक एक्सचेंजो को सूचना और चूककर्ता की अकाउन्ट बुक देनी होंगी

19.29 सदस्य एक्सचेंज संबंधित अधिकारी द्वारा मांगे जाने पर सभी स्रोतों से सभी सूचनाएँ उपलब्ध कराएगा, इसमें चूककर्ता, ट्रेडर की बुक ऑफ अकाउन्ट भी शामिल है,

भागीदार स्टॉक एक्सजेंच चूक की सब आस्तियाँ अनुपलम्य बना कर उन्हें डिफॉल्ट्स समिति से जोड़ देंगे

19.30 सदस्य एक्सचेंज ट्रेडर की समपत्ति जब्त कर उपलब्ध प्रतिभूतियों, नकद व अन्य आस्तियों के संबंण्ध में सब विवरण संबंधित अधिकारी को देंगे।

टीजीएफ के क्षेत्र में न आनेवाले दावों की पहचान

19.31 सदस्य एक्सचेंज एसजीएफ के चेत्र में न आनेवाले दावों को उन्हीं आकर पर पहचानने में संबंधित अधिकारी की सहायता करेंगे। आईएसई चूक से निपटने के लिए अपने एक या सभी कर्मचारी जो भी संबंधित अधिकारी ठीक समझें लगा देंगे।

भागीदारी एक्सचेंजो का दायित्व

19.32 आईएसई के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के तहत ट्रेडर के चूककर्ता घोषित होने पर भागीदार स्टॉक एक्सचेंज उसे तत्काल चूककर्ता घोषित कर देंगे ही उसने भागीदार एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों, व अधिनियमों के तहत कोई चूक न की हो और चूक के संबंध में भागीदार स्टॉक एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों, और अधिनियमों के सदस्य की आस्तियों, जमा प्रतिभूतियों आदि के संबंध में सभी प्रावधान लागू होंगे और भागदीदार एक्सचेंज की चूक समिति में निहति होंगे।

19.33 भागीदार एक्सचेंज की चूक समिति आईएसई को निर्धारित फार्म पर चूककर्ता ट्रेडर की भागीदार एक्सचेंज पर आस्तियों का और भागीदार एक्सचेंज को ट्रेडर की देयताओं के बारे में पूरा विवरण देंगे।

19.34 भागीदार एक्सचेंज पर सदस्य के खर्च, देयताएँ, लागत व दायित्व पूरा करने के बाद चूककर्ता सदस्य की अतिरिक्त आस्तियाँ भागीदार एकसचेंज की चूककर्ता समिति के पास रहोगी और आईएसई की चूककत्र समिति को भुगतान कर दी जाएंगी। निर्धारित पध्दति से इसकी मांग करने पर भी किसी भी हालत में अतिरिक्त का भुगतान चूककर्ता को तब तक नहीं दिया जाएगा जब ताक और आईएसई के संबंधित अधिकारी से इस प्रकार के भुगतान की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त नहीं हो जाती।

19.35 भागीदारी एक्सचेंज के चूककर्ता सदस्य के सदस्यता अधिकारों की नीलामी या बिक्री किसी अन्य प्रकार से एक अलग समिति द्वारा जिसके आईएसई और भागीदार एक्सचेंज पर समान प्रतिनिधि हो की जाएगी।

19.36 चुककर्ता के सदस्यता अधिकार की बिक्री से प्रापत लाभ उस संबंध में हुए खर्च का मुगतान काने के बाद चूककर्ता समिति और भागीदार एक्सचेंज के बीच बराबर बाँट लिया जाएगा।

19.37 यदि आईएसईया भागीदार एक्सचेंज पर चूककर्ता के देय व दायित्वों का पूरा मुगतान नहीं हो पाता तो गठित चूककर्ता समिति चूककर्ता के विरूद्ध संबंधित न्यायालय में कानूनी या अन्य कार्यवाही कर सकती है। इस प्रकार की कार्यवाही से प्राम्त राशि भागीदार एक्सचेंज व आईएसई के बीच चूककर्ता के विरूद्ध उनकी देयताओं कया देय राशि के अनुपात में बाँट दी जाएगी।

20. सैटलमैन्ट गारन्टी फंड

20.1 आईएसई सभी सैटलमैन्ट दायित्वों के लिए आरंटी इदेने के उद्येश्य से सैटलमैन्ट गारंटी फंड (एसजीएफ) का पोशण करेगा। एसवजीएफ का उद्येश्य यह देखना है कि ट्रेडर/डीलर के निपटान दायित्व की देखरेख एसजीएफ से की जा सके। इस प्रकार ट्रेडर या डीलर के असफल होने पर ट्रेडर/डीलर को निपछान कमें कोइ नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा बशर्ते सौदा आईएसई के नियमो, उपनियमों व अधिनियमों के तहत संवैधनिकं रूप से हुआ हो। फंड का स्रोत प्रभार वितरण व अन्य अधिनियमों का निर्णय संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर लिया जाएगा और ट्रेडरों, डीलरों, घटकों आदि को बाध्यकारी होगा। एसजीएफ के तहत अवैधानिक ट्रेडिंग, अनधिकृत ट्रेडिंग, बैड डिलिवरी सक्युलर ट्रेडिंग, इन्साइडर ट्रेडिंग नेगोशियक्ड ट्रेडस आदि से होने वाली चूक नहीं आएगी ओर उस पर संबंधित अधिकारी द्वक्षरा समय समय पर लगाए गए शर्त व प्रतिबंध लागू होंगे।

20. 2 (ओ) परमिाषाएँ

उपनियम (20.2) से (20.56) में यदि विषय या संदभ्र के कुछ असंगत न हो तो—

20.2 (ओ) (1) —ट्रेडर/डीलर के "एसोशिएट" का अर्थ होगा—

(2) ट्रेडर या डीलर का पार्टनर,

(3) ट्रेडर/डीलर के कंपनी या अन्य कॉर्पोरेट निकाय होने की स्थिति में ट्रेडर/डीलर का नामित निदेशक होगा,

(4) ट्रेडर/डीलर ट्रेडर /डीलर के पार्टनर, या उक्त (2) के अनुसार नामित निदेशक की पत्नी, पुत्रवधू, दमाद, भाई या बहिन या इस धारा में उललेखित भाइ या बहिन के परम्परागत वंशज,

(5) ट्रेडर/डीलर, ट्रेडर/डीलर के पार्टनर या उक्त

(6) के अनुसार नामित निदेशक के संबंधी,

(7) ट्रेडर/डीलर के मामले में जो कंपनी है या अन्य कॉपरेट निकाय है, आयकर कानून, 1961 की धारा 13 के अनुसार ट्रेडर/डीलर में पर्याप्त रूचि रखनेवाला व्यक्ति।

20.2 (ओ) (2) बिजनेस डे" को अर्थ उपनियम 8.2 के अनुसार ही होगा।

20.2 (ओ) (3) "फंड" का अर्थ होगा सैटलमेनअ गारंटी फंड।

20.2 (ओ) (4) "संबंधी" का अर्थ होगा जो निम्न अर्थों के अनुसार संबंधी हो—

(1) आयकर कानून, 1961 की धारा 13, या

(2) कंपनी कानून, 1956 की

20.2. (ए) (5) "सैटलमैन्ट" का में सामान्य नीलामी व सैटलमैन्ट आएंगे किन्तु इसमें पबैड डिलिवरी सैअलमैन्ट सम्मितिल नहीं होंगे :—

सैटलमैन्ट जिसमें ट्रेडर/डीलर डिफॉल्टर घोषित किया गया हे का निम्न अर्थ होगा : जहाँ ट्रेडर/डीलर किसीर सैअलमैन्अ अवधि के संबंध में क्लीयरिंग हाउस या स्ऑक एक्सचेंज को देय राशि का भुगतान न करने से चूककर्ता घोषित किया गया हो, तो वह निपटान अवधि जिसके संबंध में ट्रेडर/डीलर द्वारा भुगतान नहीं किया या हे और जिससे ट्रेडर/डीलर चुककर्ता घोषित किया या हैही वह सैटलमैन्ट होगा जिसमें ट्रेडर/डीलर या चूककर्ता चूककता घोषित किया गया है, और जिसमें ट्रेडर/डीलर उसके द्वारा देय राशि का भुगतान एक से अधिक निपटान के लिए क्लयीरिंग हाउस को करने में असफल रहा हैं तो वह सैटलमैन्ट जिसमें ट्रेडर/डीलर या चूककता को चूककर्ता घोषित किया गया हे उस अधिकारी द्वारा इस प्राकार उल्लिखित सैटलमैन्ट होगा जिस अधिकारी ने उसे चूककर्ता घोषित किया है।

20.2 (बी) नियमों, उपनियमों और अधिनियमो में यदि विषय या संदर्भ कुछ असंगत न हो तो :

"तारीख जिस पर सैटलमैन्अ गारन्अी फंड होता है "का अर्थ है शासी निकाय द्वारा उल्लिखित तारीख जिस पर सैटलमैन्अ गारन्टी फंड शुरु होगा।

20.3 (1) एक्सचेंज एक फंड स्थापित करेगा जो "सैटलमैन्ट गारन्टी फंड" के रूप में प्रसिद्ध होगा ।

(2) एक्सचेंज के नियमो, उपनियमों और अधिनियमों के अन्य प्रावधानों के अनुसार- फंड का उद्येश्य एक्सचेंज के नियमो, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार एक्सचेंज के ट्रेडर/डीलरों के आपसी वैध सौदे जो एकसचेंज के सैठलमैन्अ सिस्अम। एक हिस्सा है के निपटान की गारंटी ताकि एक्सचेंज पर सैटलमैन्ट समय पर पूरा हो सके जिससे निवेदक तथा एक्सचेंज के ट्रेडर/डीलरों के हितों में की रक्षा की जा सके। साथ ही निवेशक के मन में एक्सचेंज पर सैअलमैन्ट के समय पर व शीघ्र पूरा होने का विश्वास उत्पन्न हो सके तथा स्टॉक मार्क्रेट के विकास में सहायता मिल सके।

(3) शासी निकाय इस प्रकार के अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत है जिसे वह फंड का संचालन व व्याप्ति की पध्दति, मानदंडो ओर प्रक्रियाओं के संबंध में ठीलक व उचित समझें । शासी निकाय द्वारा बनाए गए अधिनियम किसी उपनियम से असंगत नहीं होगें।

(4) उक्त धारा (3) की व्यापकता के प्रति पक्षपातपूर्व न होते हुए शासी निकाय मानदंडों, प्रक्रियाओं व पद्धतियों से संबंधित अधिनियम बनाने के लिए अधिकृत होगा—

(ए) फंड के व्यवस्थापन व प्रशासन,

(बी) फंड का ढांचा व संरचना,

(सी) एक्सचेंज व एक्यचेंज के ट्रेडर/डीलर व अन्यों द्वारा फंड को दिया जानेवाला योगदान

(डी) फंड का निवेश

(ई) फंड का उपयोग

(एफ) चूककर्ता समिति या इस उद्येश्य के लिए शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित किसी अनय संबंधित अधिकारी की बैठकों

(जी) फंड से जो व्यक्ति लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगें और अधिकृत न होने का कारण,

(एच) फंड में कोष का न्यूनतम मूल्य और फंड के वितरण की अधिकतम सीमा,

(आई) चूककर्ता समिति या संबंधित अधिकारी के अधिकार व सत्ता,

(जे) चूककर्ता समिति या संबंधित अधिकारी को दिया जानेवाला या प्राप्त किया जानेवाला पेसा या सम्पति,

(के) चूककर्ता समिति या संबंधित अधिकारी द्वारा दी या ली जानेवाली राशि या सम्पति का आवेदन कि जिसमें प्राथमिकता का क्रम जिस पर उनका आवेदन किया जाएगा भी निहित है,

(एल) चूककर्ता के साथ ट्रेडर/डीलर द्वारा किए जानेवाले अनुबंधों का बंद किया जाना, समायोजन, सैटलमैन्ट व रद्द करना।

20.4 फंड का व्यस्थापन–

(1) एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार, या शासी निकाय द्वारा समय समस पर जारी किए जानेवाले, निर्देश व हिदायतों के अनुसार चूककत्र समिति कांड के व्यवसीपन व प्रशासन पर पूरा नियन्त्रण होगा। एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमो, उपनियमों व अधिनियमों के अन्य प्रावधानों द्वारा प्राप्त अधिकारों के अलावा चूककर्ता समिति के पास वे सब अधिकार सत्ता और विकेकाधिकार होंगे जो फंड के व्यवस्थापन व प्रशासन के लिए या फंड का उद्येश्य पूरा करने के लिए आवश्यक या समयोचित या आकस्मिक हों।

(2) पूर्वोक्त की व्यापकता के प्रति पक्षपात पूर्ण हुए बिना चुककर्ता कि समिति के पास ुड के उद्येश्य के लिए ये अधिकार होंगे–

(ए) ट्रेडर/डीलरों, ट्रेडर/डीलरों के पार्टनर या एसोशिएट, ट्रेडर/डीलरों के ग्राहक और ट्रेडर/डीलरों के अन्य निदेशक जो कंपनियों और अन्य कॉर्पोरेअ निकाय हे को चूककर्ता समिति के समक्ष पाश होने के लिए कर सकते हे और प्रश्न पूछ सकते हैं,

(ब) ट्रेडर/डीलरों, ट्रेडर/डीलरो के पार्टनर और जो ट्रेडर/डीलर कंपनियाँ या अन्य कॉर्पोरेट निकाय हे उनके निदेशकों को चूककर्ता समिति को इस तरह की सूचना, बुक ऑु अकाउन्ट और कागज जिनकी चूककर्ता समिति को जरूरत हो सकती है, उन्हें चूककर्ता समिति द्वारा निर्धारित समय में देने की मांग,

(सी) निर्धारित फाम्र समझौते, एफिडेविट, अंडरटेकिंग व अन्य लेखों पर ट्रेडर/डीलरों के ग्राहक, जो ट्रेडर/डीलर कंपनियाँ या कॉर्पोरेट निकाय है उनके निदेशक या अनय व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और जिस अवधि में इन्हें हस्ताक्षर कर पेश करना है उसका उल्लेख

20.4 फंड का व्यवस्थापन–

(1) एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार, या शासी निकाय क्षरा समय समय पर जारी किए जानेवाले, निर्देश व हिदायमों के अनुसार चूककर्ता समिति का फंड के व्यवस्थापन व प्रशासन पर पूरा नियन्त्रण होगा। एकसचेंज के अनुच्छेदों, नियमो, उपनियमों व अधिनियमों के अन्य प्रावधानों द्वारा प्राप्त अधिकारों के अलावा चूककर्ता समिति के पास वे सब अधिकार सत्ता और विकेकाधिकार होंगे जो फंड के व्यवस्थापन व प्रशासन के लिए या फंड़ का उद्येश्य पूरा करने के लिए आवश्यक या समयोचित या आकस्मिक हों।

(2) पूर्वोक्त की व्यापकता के प्रति पक्ष्पात पूर्ण हुए बिना चूककर्ता समिति के पास फंड के उद्येश्यो के लिए थे अधिकार होंगे–

(ए) ट्रेडर/डीलरों, ट्रेडर/डीलरों के पार्अनर या एसोशिएट, ट्रेडर/डीलर के ग्राहक और ट्रेडर/डीलरो के अन्य निदेशक जो कंपनियाँ और अनय कॉर्पोरेअ निकाय है को चूककर्ता समिति के समक्ष पेश होने के लिए कर सकते है

ओर प्रश्न पूछ सकते हैं,

(बी) ट्रेडर/डीलरों, ट्रेडर/डीलरो के पार्टनर और जो ट्रेडर/डीलर कंपनियाँ या अन्य कॉर्पोरेट निकाय हे उनके निदेशकों को चूककर्ता समिति को इस तरह की सूचना, बुक ऑफ अकाउनट और कागज जिनकी चूककर्ता समिति को जरूरत हो सकती है, उन्हें चुककर्ता समिति द्वारा निर्धारित समय में देने की मांग,

(सी) निर्धारित फार्म समझौते, एफिडेविट, अंडरटेकिंग व अन्य लेखों पर ट्रेडर/डीलरों, ट्रेडरों/डीलरो के पार्अनर या एसोसिएशन ट्रेडर/डीलरों के ग्राहक, जो ट्रेडर/डीलर कंपनियाँ या कॉर्पोरेट निकाय है उनके निदेशक या अनय व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित होंगे और जिस अवधि में इन्हें हस्ताक्षर कर पेश करना है उसका उल्लेख

(डी) फंड के पैसे का निवेश या उससे सौदे

(ई) फंड को दी जानेवाली किसी सिक्युरिटी या अन्य सम्पति की प्राप्ति या अन्याथा व्यापार,

(एफ) बिना सिक्युरिटी या फंड या किसी समपति या फंड से प्राप्त या पहुँच वाली सिक्युरिटी के साथ पैसा उधार लेना

(जी) बैकों, संस्थाओं, कंपनियाँ व अन्य व्यक्तियों के साथ वित्तीय व्यवस्था में प्रवेश

(एच) गारंटी व क्षतिपूर्ति जारी करना,

(आई) चूककर्ता समिति के कोई भी अधिकार या काम संबंधित अधिकारी को सौपना जो एक या अधिक उपसमितियाँ हो सकती है, जिसमें चूककर्ता समिति के एक या अधिक ट्रेडर/डीलर हो सकते है या चुककर्ता समिति द्वारा क गढ़ित एक विशिष्ठ समिति को जो एक्सचेंज में जो कि प्रबंधन के उद्येश्य से गेठित हुई और या चुककर्ता समिति लगाना उचित समझे ओर जो चूककर्ता समिति द्वारा कुल अनुसमर्थन के अनुसार हों।

(जे) वे सब काम करने जो डिफॉल्टर्स समिति फंड के आगे बढ़ाने व सुरक्षा के लिए या फंड का उद्येश्य व लक्ष्य पाने के लिए आवश्यक समझे।

(के) चूककर्ता या ट्रेडर/डीलर की आस्तियाँ वसूल करने के उद्येश्य से कानूनी कार्यवाही करना।

20.5 फंड का अकाउन्ट और ऑडिट

शासी बोर्ड के अनयथा निर्देश को छोड़कर फंड का अकाउन्ट एक्सचेंज के अकाउन्अ के यप में तैयार किया व रखा जाएगा और एक्सचेंज के एक हिस्से के रूप में ही उसको ऑडिट किया जाएगा।

20.6 दस्तावेजों को ट्रेडर/डीलर व उनके भागीदार पेश करेंगे—

(1) चूककर्ता समिति क्षरा निधरित समय में (चूककर्ता समिति द्वारा समय समय पर आगे बढ़ा दी सकती है) हर ट्रेडर/डीलर और हर पार्टनर या हर ट्रेडर/डीलर का पार्अनर जो एक्सचेंज पर पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहा है चूककर्ता समिति को चूककर्ता समिति द्वारा समय समय पर निर्धारित फार्म के अनुयार अन्य लिखित सामग्री पर हसताक्षर कर चूककर्ता समिति को देगा। इन दसतावेजों का निर्धारण चूककर्ता समिति शासीबोर्ड के पूर्व अनुमोदन से करेगी।

(2) किसी समझौते या लेखन में किसी प्रकार के परिवर्तन (यह परिवर्तन चूककर्ता समिति द्वारा शासी निकाय की पूव्र अनुमति किया जाएगा) की स्थिति में चूककर्ता समिति चाहोगी कि एक्सचेंज पर पार्टनरिशिध में काम करनेवाला हर ट्रेडर/डीलर ट्रेडर/डीलर का हर पार्अनर पूरक समझौता या लेखन या नए समझौतों या लेखन पर हस्ताक्षर कर चूककर्ता समिति द्वारा निर्धारित समय के अन्दर (जिसे चूककर्ता समिति समय समय पर बढ़ा भी सकती है) चूककर्ता समिति को देना होगा।

20.7 फंड की संरचना

(ओ) फंड में निम्न होंगे –

(1) एक्सचेंज के ट्रेडर डीलर से अप्रर्त्यपणीय योगदान जेसा कि आगे दिया गया है,

(2) एक्सचेंज से अपत्यर्पणीय योगदान जैसा कि इसके आगे मुहैया कराया है,

(3) फंड के निवेश से प्राप्त होनेवाला व्याज, लाभांश या अन्य आय

(4) फंड के निवेश से या सैटलमैन्ट गारन्टी प्रभार से प्राप्त होनेवाली आय

(5) पैसा या सम्पति जो चूककर्ता समिति फंड में विनियोग के लिए अधिकृत है, और

(6) अन्य पैसा या सम्पति जो ुड का हिस्सा हो।

(बी) एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों द्वारा अनयथा न बताया गया हो तो चूककर्ता समिति व फंउ की इन तक पहूँच होगी–

(1) एक्सचेंज के ट्रेडर/डीलरो अप्रतयर्पणीय योगदान जेसा कि आगे दिया गया हे,

(2) फंड को सिक्युरिटी के रूप दिया गया पैसा व आस्तियाँ और उनकी प्राप्ति से मिलने वाला पैसा,

(3) चूककर्ता समिति या एक्सचेंज द्वारा किसी ट्रेडर/डीलर, ट्रेडर/डीलर के पार्टनर, गारन्टी करने वाले या एक्सचेंज फंड या चुककर्ता समिति को चूक के संबंध या अनुसार पैसा देने के लिए उत्तरदायी अनय व्यक्ति से प्राप्त और वसूलो गया पैसा और सम्पत्ति।

(4) गारन्टी की प्रार्थना परफंड को प्राप्त होने वाला पैसा,

(5) एसजीएफ के पक्ष में बंधक रखे सदस्यता अधिकार, और

(6) फंड को प्राप्त कोई अन्य पैसा या सम्पत्ति

(सी) इस उपनियम की धारा (बी) में दी गई राशि की फंड की बेलेंसशीट में झलक नहीं मिलेगी जब तक यह राशि इस उपनियम की धारा (ए) में उल्लिखित न की गई हो।

20.8 फंड को एक्सचेंज को योगदान

एक्सचेंज समय समय पर फंड को वह राशि देगा जो शासी निकाय अपने विवेकाधिकार से तय करेगा।

20.9 फंड को ट्रेडर/डीली का योगदान–

ट्रेडर/डीलर का प्रारम्भिक योगदान–

एक्सचेंज के हर वर्तमान व वी ट्रेडर/डीलर को शासी निकाय द्वारा समय समय पर उल्लेखित राशि का प्रारम्भिक शेगदान के योगदान करना होगा (इ सके बाद ट्रेडर/डीलर का प्राम्भिक योगदान कहा जाएगा) ट्रेडर/डीलर का प्रारम्भिक योगदान हर ट्रेडर/डीलर द्वारा चूककर्ता समिति के इसके लिए बताए गए समय के अन्दर किया जाएगा। ट्रेडर /डीलर का प्रारम्भिक योगदान उर्प्रर्त्यपणीय होग और इसकी वसूली क्लीयरिंग हाउस द्वारा उगाहे गए बिलों य संबंधित ट्रेडर/डीलर के सैटलमैन्ट खाते से ऋण लेकर।

20.10 ट्रेडर/डीलर का आधार पूंजी को योगदान उक्त उपनियम (20.9) में उल्लिखित ट्रेडर/डीलर के प्रारम्भिक योगदान

के अलावा सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की आवश्यकतानुसार ट्रेडर/डीलर द्वारा आधारपूंजी के रूप में अब या समय समय पर दिया गया पैसा, प्रतिमूर्तियाँ, सावधि जमा तथा अनय सम्पत्यिाँ व चीजें ट्रेडर/डीलर का आधार पूंजी योगदान काह जाऐगा) ट्रेडर /डीलर का आधार पूंजी योगदान एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों के अनुयार दी स्थितियों में अप्रत्यर्पणीय होगा। ट्रेडर/डीलर को उसके आधार पूंजी योगदान के विरूद्ध एक्सचेंज में रखी प्रतिमूर्तियाँ के संबंध में सभी लाभांश, ब्याज (डिबेंचन/बॉन्ड पर) राइट्स का आधिकार, राइट्स शेयर, बोनस शेयर व अन्य आय और सहवर्धन का अधिकार होगा।

20.11 ट्रेडर/डीलर का लगातार योगदान

हर सैटलमैन्ट के अनत में ट्रेडर/डीलर को संबंधित सैटलमैन्ट में अपने टर्नओवर का 0.000001प्रतिशत (अर्थात प्रति एक लाख रूपया) या शासी बोर्ड द्वारा समय समय पर निश्चित की जानेवाली अन्य राशि फंउ को देगा (इसके बाद ट्रेडर/डीलर के कान्टनुअस कन्ट्रिब्युशन अर्थात सतत् योगदान के रूप में उल्लेखित) शासी बोर्ड जोभी निश्चित करे ट्रेडर/डीलर का सतत योगदान एकमुश्त हो समता है या ट्रेडर/डीलर के टर्नओवर के आधार पर या अन्यथा शगसी बोर्ड द्वारा निश्चित किया जा सकता है। ट्रेडर/डीलर का सतत योगदान अप्रत्यर्पणीय होगा और इसका संचय क्लीयरिंग हाउस द्वारा उगाहे गए बिलों और/या ट्रेडर/डीलर के सैटलमैन्ट खाते में से लेकर होगा। ट्रेडर/डीलर को इसकी वसूली अपने ग्राहकों से करने की अनुमति नहीं

स्पष्टीकरण :— इस घारा के लिए ट्रेडर/डीलर के टर्नओवर का अर्थ होगा (1) एक सैटलमैन्ट के अन्दर किए गए क्रय–विक्रय सौदों का सौदे के भाव पर मुल औसत मूल्य, ये वे सौदे होंगे जिन्हें ट्रेडर/डीलर ने एक्सचेंज के कंप्यूटरी कृत ट्रेडिंग प्रणाली द्वारा प्रविष्ट किया हे (प्रतिकूल लेनदेन और उन सौदों को छोड़कर जो एसजीए के तहत नहीं आते) या (2) दूसरा अन्य इस प्राकर का अथ होगा जिसका निश्चय शासी निकाय दूसरा समय समय पर किया जाएगा।

20.12 ट्रेडर/डीलर का अतिरिक्त योगदान —

हर ट्रेडर/डीलर फंड को इस प्रकार का अतिरिक्त योगदान देगा जिसका निर्धारण समय समय पर शासी बोर्ड करेगा (इसके बाद ट्रेडर/डीलर के अतिरिक्त योगदान के रूप में उलिलतिखत) ट्रेडर /डीलर का अतिरिक्त योगदान शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित स्वरूप के अनुसार होगा (इसमें—नकद, प्रतिमूतियाँ, बैंक गारन्टी या सावधि जमा रसीद आ सकती है। (ट्रेडर/डीलर का अतिरक्ति योगदान प्रत्यर्पणीय या अप्रत्यर्पणीय हो सकता हे जिसका निर्धारण शासी बोर्ड करेगा और यह शासी बोर्ड द्वारा उल्लिखित रूप में होगा । शासी बोर्ड के बनयथा उल्लेखित न करने पर फंड फंड ट्रेडर/डीलर के प्रतयर्पणीय योगदान के संदर्भ में सभी लभांश, ब्याज, हक राइट्स शेयर/बोनस शेयर के लिए अिधिकृत होगा । शासी बोर्ड उस पध्दति का उल्लेख करेगा जिस तरह ट्रेडर/डीलर के प्रत्यर्पणीय योगदान के संदर्भ में सभी लामांश, ब्याज, हक राइट्स शेयर/ बोनस शेयर के लिए अधिकृत होगा। शासी बोर्ड उस पद्धति का उल्लेखन करेगा जिस तरह ट्रेडर/डीलर के अतिरिक्त योगदान को उपयागउ होगा।

20.13 योगदानों के लिए सामान्य व विशिश्अ उपलम्यता

(1) किसी ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित होने के बाद हर ट्रेडर/डीलर के सभी अप्रतयर्पणीय येगउदान ओर आधार पूजी योगदान और एक्सचेंज के अमुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुरूप उपयोग के लिए उपलब्ध होंगे (इसके बाद सामान्य उपलम्य फंड के रूप में उललेखित होगा) ।

(2) यदि ट्रेडर/डीलर के अनुराध पर दिया गया ट्रेडर/डीलर का मार्जिन या अतिरिक्त पूंजी (एकस्चेंज या सिक्युरिटीज एंड एकसचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा जैसे कभी मा्ा जाए) या कोइ बैंक गारंटी उपनियम 20.12 के अनुसार फंड करो उसका योगदान या अन्यथा माना जाएगा चूककर्ता समिति व फंउ के लिए संबंधित ट्रेडर/डीलर की चूक की स्थिति में ही सुलभ होगा न की अन्य ट्रेडर/डीलर के चूक के मामलने में और उस ट्रेडर/डीलर के ऋणदाताओं

का भुगतान करने के लिनए ही इसे प्रापत किया जा सकता है न किसी अनय ट्रेडर/डीलर के उधारकर्ता का भुगतान करने के लिए (इसके बाद विशिष्ट उपलभ्य फंड के रूप में उलिलखित होगा ।)

(3) इस उपनियम की धारा (1) और (2) के प्रावधानों के अनुसार शासी बोड यह निश्चित करेगा कि किसी ट्रेडर/डीलर का अतिरिक्त योगदान सामान्य उपलभ्य फंड हैय या विशिष्ट उपलभ्य फंड।

20.14 ट्रेडर/डीलर की सदस्यता समाप्ति से ट्रेडर/डीलर का दायितव अप्रभावित

ट्रेडर/डीलर की सदस्यता समाप्त होने पर फंड के प्रति ट्रेडर/डीलर का पूरा न किया गया दायितव छोड़ा नहीं जाएगा या अन्यथा प्रतिकूलतः प्रभावित नहीं होगा

20.15 फंड को भुगतान करने में विफलता पर कार्यवाही

सैटलमैन्ट गारन्टी फंड को किसी राशि का भुगतान करने में असफल रहने पर शासी बोर्ड जो ढीक व उचित समझे वह कार्यवाही कर सकता हैं इसमं ट्रेडर/डीलर के व्यवसाय, सदस्यता से निष्कासन आदि शामिल हैं ।

20.16 प्रतयर्पणीय योगदान का प्रतिस्थापन

एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों और अधिनियमों में अन्यथा न दिया गया हो तो चूककत्र समिति ट्रेडर/डीलर को यदि उसने चूककर्ता समिति को स्वीकार्य उतने ही अध्कि मूल्य का प्रत्यर्पणीय योगदान फंड को कर दिया है, प्रतयप्रणीय योगदान निकालने की अनुमति दे सकता है।

20.17 अप्रत्यर्पणीय योगदान

ट्रेडर/डीलर सदस्यता की समाप्ति पर या अन्य किसी भी कारण से ट्रेडर/डींलर कोई अप्रत्यर्पणीय योगदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

20.18 अप्रत्यर्पणीय योगदान

ट्रेडर/डीलर सदस्ता की समापित पर या अन्य किसी भी कारण से ट्रेडर/डीलर सदस्यता की समाप्ति पर या अन्य किसी भी कारण से ट्रेडर/डीलर कोई अप्रत्यर्पणीय योगदान प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा ।

20.18 अप्रत्यर्पणीय योगदानों का प्रर्त्यपण

चुककर्ता समिति उसके ट्रेडर/डीलर न रहलने पर उसका अप्रतयप्रणीय योगदान वापस कर सकती है बशर्ते वह शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति द्वारा समय समय पर लगाई शर्तो को पूरा करे तथा धारा (1) या (5) की हर निम्न शर्ते पूरी कर दी गई है या धारा (6) की शर्त पूरी कर दी गई हैं ।

(1) ट्रेडर/डीलर न रहने पर ट्रेडर/डीलर के सब बकाया दायित्व व सौदे जिनसे फंड को किसी राशि के भुगतान की आवश्यकता पड़ सकती हे । बंद कर दिए हे और उताक अन्तिम रूप से निप्आना हो चुका हैं ।

(2) एक्सचेंज व क्लीयरिंग के प्रति ट्रेडर/डीलर के सभी दायित्व पूरी तरह चुका दिए गए हों।

(3) एकसचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों व अनुच्छेदों के अनुसार प्रतिभूतयों के सौदों के संबंध में ट्रेडर/डीलर द्वारा देय सभी गेर विवादस्पद राशियाँ पूरी तरह चुका दी गई हों ।

(4) एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिमियमों के अनुसार प्रतिमूर्तियों के सौदों के संबंध में ट्रेडर/डीलर द्वारा देय विवादित राशि पूर्णतः चुका दी गइ हो पर शासीबोर्ड या चूककत्र समिति ट्रेडर/डीलर द्वारा सुरक्षित किए जाने से पूणतः सम्तुष्ट हो ।

5 शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति द्वारा निश्चित की गइ उपयूक्त राशि उसके स्वनिर्णय से निम्न के लिए अलग रख दी गई हो–

(ए) भविष्य में बताइ जानेवाली कोइ भी डिलिवरी या दस्तावेज की त्रुटियों के लिए संभावित भुगतान, और

(बी) ऐसी अन्य बाध्यताएँ जिन्हें शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति भविष्य में संभावति समझे,

(सी) ऐसी (कूलिंग) अवधि जिसका निर्धारण शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति करेगी और जिसके पहले कोई दावा नहीं दिया जाएगा।

(6) एक्सचेंज का दूसरा ट्रेडर/डीलर (इसके बाद दूसरा ट्रेडर/डीलर कहा जाएगा) या ट्रेडर/डीलर सदस्यता के ट्रान्सफर के मामले में एकसचेंज के आनेवाले सदस्य के–

(अ) ट्रेडर/डीलर के सब दायित्व और देय राशि जैसा कि धारा (1) से (5) तक उलिलखित हे, अग्गिृहीत कर उन्हें सम्पन्न करने के लिए तेयार ।

(बी) शासी निकाय या चूककर्ता समिति को इस बात का सन्तोष दिलाया जा चूका हे कि दूसरे ट्रेडर/डीलर के पास इस तरह का दायित्व पूरा करने और राशि का भुगतान करने के लिए पर्याप्त फंड हैं, और

(सी) शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति को जिनकी जयरत हो सकती हे ऐसे प्रलेख व दस्तावेज निष्पादित करना

20.19 ट्रेडर/डीलर के दायित्वो को निभान–चूककर्ता घोशित किए जाने के अलावा ट्रेडर/डीलर न रहने पर, शासी बोर्ड या चुककर्ता समिति ट्रेडर डीलर का अनुपमुक्त प्रत्यर्पणीय योगदान रख सकती है । और या उपरनियम (20.18) के तहत उल्लिखित उसके दायित्वो को पूरा करने या उनके द्वारा देय उपनियम 20.18 के अनुसार किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए शासी बोर्ड या चूककर्ता समिति जैसे ठीक समझती हो उसका उपयोग कर सकती है।

20.20 प्रत्यर्पणीय योगदान का अप्रत्यर्पण –

उक्त में दिए हुए के बावजूद ट्रेडर/डीलर किसी प्रकार के प्रत्यप्रणीय योगदान के वापस मिलने के लिए अधिकृत नहीं होगा–

(1) फंड के उद्येश्यों के लिए आवेदन करने के बाद, या

(2) ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित किए जाने पर

20.21 प्रत्यर्पणीय योगदानों के प्रत्यपण्र की सीमा–

ट्रेडर/डीलर को प्रत्यर्पणीय योगदान में से वापस लौटायी जानेवाली राशि उस ट्रेडर डीलर को उपलब्ध क्रैडिट से सब राहश्या जो उसमें से काटी जा सकती है या रखी जा सकती है, काटने के बाद वास्तविक प्रत्यर्पणीय योगदान से अधिक नहीं होगी।

20.22 फंड का योगदान भाग

(1) ट्रेडर/डीलर द्वारा फ ।ड को बप्रत्यर्वतनीये योगदान फंड का एक स्सिा बनेगा और ट्रेडर/डीलर योगदन पिर किसी भी तरह के अधिकार का हकदार नहीं होगा ।

(2) ट्रेडर/डीलर उसके द्वारा किसी भी प्रकार किए गए प्रत्यर्पणीय या अप्रतय्रपणीय योगदान को ऋान्सुर बांटने या अन्यथा करने के लिए अधिकृत नहीं होगा और योगदाम जब्त नहीं किया जा सकता या अम्यर्थ ट्रेडर/डीलर के अनुरोध पर किसी जब्ती निषेधाज्ञा या आदेश या अन्यथा ट्रेडर/ डीलर के किसी दायितव से प्रतिकूल पभावति नहीं होगा

20.23 फंड का न्यूनतम मूलय

(ए) शासी निकाय व चूककर्ता समिति इस बात पर ध्यान देगी कि किसीाी समय फंड का मूल्य निम्न से कम होगा—

(1) एक्सचेंज का प्रारम्भिक योगदान या नूरंत पूव की 31 मार्च को फंड के क्लोजिंग मूलय का 75 प्रतिशत या जो भी अधिक हो, या

(2) दूसरी अन्य राशि जो तीन करोड़ रूप्य से अधिक नहीं होगी जिसका निर्धारण शासी निकाय समय समय पर कर सकता है, या

(3) फंड के मूल्य में पैसे, अस्ति, सम्पत्ति सिका उल्लेख 20.17 की की धारा ए व बी के अनुसार किया गया है किन्तु इसमें कोई विशिष्ट उपलम्य फंड नहीं आएगा।

(सी) फंड का मूल्य इस उपनियम तहत न्यूनतम मूल्य से कम होने के कारण फंड का कार्यसंचालन स्थगित नहीं होगा।

(डी) यदि फंड का मूल्य 1,00,000 रूपये से कम हो जाता है तो—

(अे) एक्सचेंज तीन व्यवसाय दिनों के अन्दर एक्सचेंज के नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा कर एक्सचेंज के ट्रेडर/डीलरों के इसकी सूचला देगा और,ख

(बी) सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कोई भी लाभ स्थगित कर सकता है, जिसके लिए सिक्युरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑ इंडिया ने सैटलमैन्ट गारंटी फंड का निर्धारण्रा पूर्व शर्त के रूप में किया है।

20.24 फंड को और अधिक योगदान

(1) फंड का मूल्य उपनियम (20.23) (ए)) के तहत न्यूनतम मूल्य से कम होने पर शासी बोर्ड तत्काल और किसी भी हालत में फंड के न्यूनतम मूल्य से कम होने के दो हफतें के अन्दर फंड का मूकल्य उस मूल्य तक पहुंचाने के लिए जो न्यूनतम मूल्य से कम नहीं है वह इस प्रकार से कदम उठा सकता है।

(अे) सभी ट्रेडर/डीलरों से समान या अन्यथा योगदान

(बी) एक्सचेंज से योगदान और/या

(सी) उस प्रकार से शासी बोर्ड समय समय पर तय करें।

(2)उस उपनियम की धारा (1) का प्रावधान शासी बोर्ड या चूककर्ता समितिकि समय समय पर जब फंड का मूल्य न्यूनतम मूल्य से अधिक हो, ट्रेडर/डीलरों से अतिरिक्त योगदान माने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता।

(3) उपनियम (20.24) के तहत फंड के न्यूनतम मूल्य से कम हो जाने के कारण फंड का संचालन स्थगित नहीं किया जाएगा।

20.25 फंड का निदेश—

(अे) शासी बोर्ड के निदेशों व हिदायतों के अनुसार चूककर्ता समिति निम्न कर सकती है—

(1)एक या अधिक बैंक अकाउन्ट खोलना, पोषन करना, संचालन व बंद करना और,

(2)फंड का पैसा इस प्रकार के निदेश में लगाना जो एक्सचेंज का फंड व पैसा लगाने के लिए अनुमत है और इस प्रकार के निदेश की बिक्री, ट्रान्सफर, हेर फेर करना, क्रम बदलना या इस प्रकार के निदेश से अन्यथा पिटना।

(बी) फंड के सब निवेश और फंड खाते एक्सचेंज के नाम (नामों) में रखे जा सकते है, एक्सचेंज या उसके दो या अधिक न्यासियों,

चूककर्ता समिति के कोई दो या अधिक ट्रेडिरों, या उपसमिति के दो से अधिक जिनकी नियुक्ति चूककर्ता समिति द्वारा की जाएी इनका संचालन कर सकते हैं।

(सी) फंड के निदेश में हानि—

फंड के निदेश का मूल्य घटने या हानि, जो भी कारण से हो, किन्तु चूककर्ता समिति के किसी ट्रेडर या ट्रेडरों किसी ट्रेडर, किसी उप—समिति या किसी न्यासी, की जानबूझ कर की गई धोखाधड़ी या चूक के कारण न हो तो इसे फंड सहन करेगा और चूककर्ता समिति या उपसमिति के ट्रेडर

(2)उस उपनियम की धारा (1) का प्रावधान शासी बोर्ड या चूककर्ता समितिके समय समय पर जब फंड का मूल्य न्यूनतम मूल्य से अधिक हो, ट्रेडर/डीलरों से अतिरिक्त योगदान माने के अधिकार को प्रभावित नहीं करता।

(3) उपनियम (20.24) के तहत फंड के न्यूनतम मूल्य से कम हो जाने के कारण फंड का संचालन स्थगित नहीं किया जाएगा।

20.25 फंड का निदेश—

(अे) शासी बोर्ड के निदेशों व हिदायतों के अनुसार चूककर्ता समिति निम्न कर सकती है—

(1)एक या अधिक बैंक अकाउन्ट खोलना, पोषन करना, संचालन व बंद करना और,

(2)फंड का पैसा इस प्रकार के निदेश में लगाना जो एक्सचेंज का फंड व पैसा लगाने के लिए अनुमत है और इस प्रकार के निदेश की बिक्री, ट्रान्सफर, हेर फेर करना, क्रम बदलना या इस प्रकार के निदेश से अन्यथा पिटना।

(बी) फंड के सब निवेश और फंड खाते एक्सचेंज के नाम (नामों) में रखे जा सकते है, एक्सचेंज या उसके दो या अधिक न्यासियों.

(सी) चूककर्ता समिति के कोई दो या अधिक ट्रेडिरों, या उपसमिति के दो से अधिक जिनकी नियुक्ति चूककर्ता समिति द्वारा की जाएी इनका संचालन कर सकते हैं।

20.26 फंड के निदेश में हानि—

फंड के निदेश का मूल्य घटने या हानि, जो भी कारण से हो, किन्तु चूककर्ता समिति के किसी ट्रेडर या ट्रेडरों किसी ट्रेडर, किसी उप–समिति या किसी न्यासी, की जानबूझ कर की गई धोखाधड़ी या चूक के कारण न हो तो इसे फंड सहन करेगा और चूककर्ता समिति या उपसमिति के ट्रेडर

या न्यासी उसके लिए या उस खाते के लिए किसी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगें ना ही उनका कोई दायित्व होगा। इस प्रकार के नुकसान या मूल्य हानि का कारण यदि चूककर्ता समिति या उपसमितियों के किसी ट्रेडिर (ट्रेडरों) या ट्रस्टी की जानबूझ कर की गई चुक या धोखाधड़ी हो तो इस प्रकार की जानबूझकर की गई धोखाधड़ी या चूक से हुए नुकसान या मूल्य हानि के लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा जो अन्य व्यक्ति जो इस सजानबूझ कर की गई धोखाधड़ी या चूक में हिस्सेदार नहीं है इस तरह की हानि या उतार के लिए जिम्मेदार नहीं होगें।

20.27 ट्रेडर/डीलर की आशंकित असफलता की सूचना—

(1) इस प्रकार के काम या चूक का विवरण,

(2) एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार किए गए अनुबंधी या सौदा से उनपन्न अन्य ट्रेडरों/डीलरों के प्रति प्रतिबध्ता, दायित्व व देयताओं के मूलय का विवरण,

(3) जिस हद तक वह इन प्रतिबध्दताओं व दायितवों को अपने स्वयं के फंड और/या उसके द्वारा अन्यों से प्राप्त फंड से पूरा कर सकता है और,

(4) वे सभी तथ्य तथा स्थितियाँ जिनके कारण इस प्रकार की प्रतिबध्ता व दायित्वों निभाने में असफलता की आशंका हैं।

20.28 ट्रेडर/डीलरों द्वारा क्लीयरिंग हाउस में पैसे का भुगतान करने में असफलता—

(1) यदि कोई ट्रेडर/डीलर उसके द्वारा किए गए सौदो के लिए दी जानेवाली राशि का क्लीयरिंग हाउस को भुगतान करने में असफल रहता हे तो इस प्रकार की असफलता के 24 घन्टों के अनदर ट्रेडर/डीलर या क्लीयरिंग हाउस लिखित रूप से इस प्रकार की असुलता तथा ट्रेडर/डीलर के दायित्व व प्रतिबध्दताएँ किस हद तक पूरे नहीं हो पाएँ है इसकी सूचना संबधित अधिकारी को देगा।

स्पष्टीकरणः इस धारा के लिए ट्रेडर/डीलर द्वारा शॅर्ट डिलिवरी के लिए क्लीयरिंग हाएस को देय राशि ट्रेडर/ डीलर द्वारा क्लीयरिंग हाउस को उसके द्वारा किए गए सौदों के संबंध में देय राशि मानी जाएगी।

(2) क्लीयरिंग हाउस या ट्रेडर/डीलर से उक्त प्रकार से बताई गई कोई सूचना प्राप्त करने पर, आईएसई के संबअधित अधिकारी तत्काल दो घन्टों में लिखित या मौखिक नोटिस द्वारा ट्रेडर/डीलर को संबंधित अधिकारी या भागीदार एक्सचेंज पर आईएसई के पूरक अधिकारी या भागीदार एक्सचेंज के कार्यकारी निदेशक के समक्ष पेश होने के लिए बुला सकता हैं।

ट्रेडर/डीलर जिसे यह आशंका है कि वह उपनियम 19 मं उल्लेखित कोई काम या चूक कर सकता है तो उसे तत्काल चूककर्ता समिति को अधिसूचित करना होगा।

(3) यदि संबंधित निपटान के पे.आउट के पूर्व ट्रेडर/डीलर उस निपटान के लिए क्लीयरिंग हाउस को देय किसी राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो संबंधि अधिकारी उस निपटासन के लिए पे–आउट से पूर्व ट्रेडर/डीलर को चूककर्ता घोषित कर देंगें।

20.29 सैटलमैन्ट गारंटी के तहत भुगतान–ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित ?किए जाने कि बाद यदि वह निपटान जिसमें चूककर्ता घोषित किया गया है,

चूककर्ता की चूक के कारण पूरा नहीं होता, तो चूककर्ता समिति–

(1) संबंधित निपटान से पूर्व क्लीयरिंग हाउस चूककता द्वारा देय भुगतान न किए गए निपटान के दिय क्लीयरिंग हाउस को दे देगी।

(2) पे–आउट की तारी,1 के दो सप्ताहों के अन्दर उस निपटान के संबंध में दी जानेवाली प्रतिभूतियों जिसमें वह चूककर्ता घोषित किया गया हो डिलिवर की जानेवाली सिक्युरिटी दे देगी, या खरीददार ट्रेडर/डीलर के अनुरोध पर संबंतित सैटलमैन्ट के दौरान की दारें क अनुसार सौदों के मूल्य का भुगतान पे–आउट के पहले कर दिया जाएगा।

20.30 उपनियम 20.29 में दिए के बावजूद–

(1) उपनियम 20.29 के तहत चूककर्ता समिति केवल उसी राशि का भुगतान करेगी जो चूककर्ता द्वारा जिस निपटान में उसे चूककर्ता घोष्भ्रित किया है उससे संबंधित सौदों की खरीद बेच के लिए चूककर्ता द्वारा क्लीयरिंग हाउस को देय है।

(2) यदि चूककर्ता जिस सैटलमैन्ट में उसे चूककर्ता घोषित किया है के संबंध में क्लीयरिंग हाउस में कोई प्रतिभूर्ति देने में असफल रहता है, तो चूककर्ता समिति क्लीयरिंग हाउस या सीधें संबंधित ट्रेडर/डीलर के बाजार से वसूल करने के दो सप्ताह के अन्दर प्रतिभूर्ति जमा कर सकती है, ऐसा न होने पर क्लोजिंग आउट के प्रावधान लागू होगें।

20.31 (1) अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों पर अन्यत्र दिए हुए के बावजूद यदि चूककर्ता समिति के पास यह विश्वास करने के कारण है कि कोई सौदा –

(ए) प्रमाणिक नहीं है।

(बी) ट्रेडर/डीलर की चूक के संबंध में उपनियम खास कर उपनियम 19.21 के तहत अस्वीकृत किया गया है या

(सी) यह जमा याऋण के भुगतान या पुर्नभुगतान से जुड़ा है, तब–

(डी) यदि सौदों से संबंधित सौदों के बाजासर मूल्य या लेन–देन मूल्य या पे'आउट की राशि 5,00,000 रूपये (पांच लाख रू) या उससे अधिक है, तो चूककता समिति अपने अविश्वास के कारण रिकार्ड करेगी तथा इस उपनियम की धारा (1) के (2), (3) में उल्लिखित प्रकार के सौदों इस उपनियम में

"अस्वीकृत सौदो" के रूप में उल्लिखित के लिए पंड से तब तक न तो भुगतान करेगी न प्रतिमूर्तियों की डिलिवरी करेगी जब तक चूककर्ता समिति ने अन्तिम रूप से यह तय कर लिया है कि सौदों के अस्वीकृत नहीं किया गया है और उपनियम 20.30 व अन्य लागू होनेवाले अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों और उपनियमों के अनुसार उनका भुगतान व प्रतिमूतियों की डिलिवरी दे देगी। यदि किसी कारणवश कोई भुगतान हो जाता है या इस तरह के किसी सौदे की प्रतिमूतियाँ दे दी जाती है तो संबंधित प्राप्तकर्ता ट्रेडर/डीलर उस राशि का पुर्नभुगतान करेगा या 48 घन्टों के अन्दर जिसमें उसे ऐसा करना चाहिए उसके तथा उपनियम 20.38 के अनुसार ये प्रतिमूतियाँ डिलिवर कर देगा।

(2बी) यदि हर ट्रेडरध्डीलर के पे—आउट की राशि या सौदों का मूल्य या संबंधित सौदे का बाजार मूल्य 4,00,000/— रू0 (पाँच लाख रूपए) से कम है तो चुककर्ता समिति इस तरह के सौदों के लिए पंड से भुगतान करेगी और यदि चुककर्ता यसमिति अन्तिम रूप से यह सुनिश्चित कर लेती है कि सौदा अस्वीकृत सौदा है तो संबंधित प्राप्तकर्ता ट्रेडर/डीलर उस राशि का पुर्नभुगतान करेबगा या 48 घन्टों के अन्दर जिसमें उसे ऐसा करना चाहिए उसके तथा उपनियम 20.38 के प्रवधानों के अनुसारये प्रतिमुतियाँ डिलिवर कर देगा।

(2ब) इस उपनियम की धारा (1) के लिए चुककर्ता समिति इस उपनियम में उल्लिखित के अनुसार हर ट्रेडर/डीलर के सभी सौदों के मूल्य व राशि के कुल योग करने के लिए अधिकृत है।

(1) यदि चुककर्ता समिति ने इस धारा (1) की उपधारा 1 ए के तहत किसी राशि या प्रतिमुतियों की भुगतान रोका है या प्राप्ति किया है तो चुककर्ता समिति यह अन्तिम रूप से निश्चत करने से पूर्व कि सौदा अस्वीकृत सौदा है या नहीं संबंधित ट्रेडरध्डीलर को कम से कम 28 घन्टे के नोटिस पर सुनवाई कर अवसर देगी।

(2) इस उपधारा के (1) की उपधारा (1 बी) के तहत चुककर्ता समिति अन्तिम रूप से यह निश्चत करने से पूर्व कि सौदा अस्वीकुत सौदा है या नहीं संबधित ट्रेडरध्डीलर को कम से कम 24 घन्टों के नोटिस पर सुनवाई का अवार देगी।

(3) सौदा अस्वीकृत सौदा है या नहीं यह निश्चित करने के पूर्व अन्य बातों के सथ साथ चूककर्ता समिति को आसपास को स्थितियाँ, एक्सचेंज पर सौदो की सामान्य प्रकिया, चुककर्ता व दावा करनेवाले के बीच संबंध, सौदे से जुी प्रतिमुतियों का मूलय व मात्रा, उस शेयर के अन्य सौदे और अन्य ऐसे मामले जिन्हें चूककर्ता समिति उपयुक्त समझाती पर विचार करने का अधिकार होगा।

(4) संबंधित पे—आउट के एक महीने के अन्दर चूककर्ता समिति निश्चित करेगी कि सौदा अस्वीकृत सौदा है या नहीं।

(5) ट्रेडर/डीलर जिसका सौदा इस उपनियम की धारा में उल्लिखित के अनुसार निश्चित किया गया है, चूककर्ता समिति के निर्णय तथा उसमें दिए गए कारणों के विरूद्ध चूककर्ता समिति के निर्णय के बाहत्तर घन्टोंके अन्दर शासी बोर्ड को अपील कर सकता है या यह शासी बोर्ड द्वारा अनुमत (चूककर्ता समिति के निर्णय तथा उसमें दिए कारणों के 15 दिनों से अधिक नहीं) बढ़ाई हुई अवधि में ऐसा कर सकता है। किन्तु यदि संबंधित ट्रेडर/डीलर ने अस्वीकृतम सौदों के लिए भुगतान या प्रतिमूतियाँ प्राप्त कर ली है तो उसे तब तक अपील करने का अधिकार नहीं होगा जब तक वह उसके द्वारा प्राप्त अस्वीकृत सौदों से संबंधित भुगतान या प्रतिमूतियों को पुनः चूककर्ता समिति के पास जमा नहीं कर देता।

20.32 दूसरे सैटलमैनट के बकाया अनुबंध —

(1) ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित होने के समय जो निपटान अधूरे है, उनके संबंध में चूककर्ता

समिति चूककर्ता की जोखिम व लागत पर चूककर्ता के सब या एक सौदों को बकाया बिग्री व खरीद स्थिति को बाज़ार में अनुरूप खरीद व बिकी अनुबंधों से प्रवेश कर चुकता कर देगा। पहली बार इस प्रकार चुकता किए जानेव पर लाभ या हानि का भुगतान पंड को पंड के द्वारा किया जाएगा और चूककर्ता के पंड के पास खाते में इसे कैडिट या डेबिट किया जाएगा।

(2) इस उपनियम की धारा (1) के प्रावधाननों के अतिरिक्त ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित किए जाने पर 20.29ए 20.30, 20.31 उपनियमों तथा अन्य लागू होने यौगय उपनियमों के प्रावधान उस सैटलमैन्ट जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोष्ज्ञित किया है को छोड़कर अन्य पिटान या निपटानों पर आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगें बशर्ते शास्री बोर्ड दर्ज किए जानेवाले कारणों के लिए अन्यथा तय करते हुए एक प्रस्ताव पारित करता है जिसमें इस प्रकार के निपटान या निपटानों के लिए जिनका निर्धारण शासी निकाय कर सकता है (उस निपटान को छोड़कर जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो।) पंड से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।

20.33 पंड में कमी—

उपनियम 20.29 के तहत से 2 रा भुगतान किए जाने कि लिए यदि प ड कम पड़ता है, इस प्रकार के मामले में सैटलमैन्ट में चूककर्ता ट्रेडर/डीलर के अनुबंध, जिसमें उसे चूककर्ता घोषित किया गया हो और बाद के सैटलमैन्ट समायोजित, निपटाए और उपनियम 20.55 के प्रावधानों के अनुसार बन्द, या स्थगित कर ए जाएगें और चूककर्ता समिति इस प्रकार के क्लोजिंग आउट समायोजन, सैटलमैन्ट और या स्थगन पर चूककर्ता द्वारा ट्रेडर के को देय राशि यथानुपात आध ाार पर यथाशक्ति पंड से भुगतान करेगी। पंड के इस प्रकार उपयोग के बाद शेष पूरे न किए गए ट्रेडर/डीलर के दायित्व इस प्रकार आकंलित किए जाएगें जिन्हें शासी निकाय समय समय पर ठीक समझे।

20.34 प्राप्त करने कि लिए अधिकार से वंचित आदाता द्वारा पुर्नभुगतान यदि इन उपनियमों के तहत चूककर्ता समिति क्लीयरिंग हाउस ने इस प्रकार की किसी राशि का भुगतान कर दिया है और बाद में य ह पता चलता है कि किसी कारणवश आदाता इस प्रकार की राशि प्राप्त करने का हकदार नहीं है तो आदाता तत्काल चूककर्ता समिति या क्लीयरिंग हाउस जिसे भी देना हो, को इसका पुर्नभुगतान 2 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज दर के हिसाब से(या ऐसी दर जिसका उल्लेख चूककर्ता समिति करें) करेगा, जो उस अवधि के लिए होगा जिसकी शुरूआत आदाता द्वारा प्राप्त भुगतनान से तथा उक्त आदाता द्वारा पुर्नभुगतान की तारीख से होगा।

20.35 चूककर्ता का पैसा और सम्पति

सब पैसा (मार्जिन मनी व अतिरिक्त पूंजी सहित) पेतिभूतियाँ या सम्पत्ति आदि चूककर्ता जो कुछ भी क्लीयरिंग हाउस के पास है(सिवाय उसे छोड़कर जिसे किसी समय किसी समय शासी बोर्ड द्वारा दी गई या भुगतान की गई प्रतिभूतियाँ या पैसा जो क्लीयरिंग या एक्सजेंज को चूककर्ता के खाते में क्रेडिट किया गया हो, को या इन उपनियमों और चूककर्ता समिति के निर्देशों के अनुसार चूककर्ता समिति को दे दिया जाएगा या एक्सजेंज या क्लीयरिंग हाउस में रखा जाएगा)

20.36 भुगतान तथा प्राथमिकता के आधार पर पैसे और सम्पत्ति का उपयोग

उपनियम 20.29 और 20.32 के उल्लिखित के अनुसार कोई भी भुगतान करने कि लिए चूककर्ता समिति पंड का इस प्रकार का पैसा और/चूककर्ता समिति को प्राप्ति अन्य पैसा या आस्तियाँ जो भी चूककर्ता समिति ठी समझे और जाहँ तक संभव सुविधाजनक व व्यावहारिक हो फंड का पैसा उपयोग काने के लिए अधिकृत है का उपयोग करेगी और/या अन्य पैसा या आस्तियाँ जो चूककर्ता समिति को प्राथमिकता के निम्न आधार पर उपलब्ध है —

(1) प्रथम, उपनियम 20.17 में उल्लेखित पैसा, सम्पत्ति व प्रतिमूतियाँ और/या इन आस्तियों, और प्रतिमूतियों से होनवाली प्राप्ति, औ –

(2) और फंड की आवश्यकता पड़ने पर, कोई प्रतिमूर्ति और/या चूककर्ता समिति या एक्सचेंज के पक्ष में चूककर्ता द्वारा स्थापति प्रतिमूर्ति की वसूली से प्राप्त लागू और

(3) और फंड की आवश्यकता पड़ने पर चूककर्ता का प्रत्यर्मणीय योगदान और चूककर्ता की चूक से प्राप्त कोई विशिष्ट पहुँच फंड और

(4) औश्र फंड की आवश्यकता होने पर अन्य कोई आस्ति/और/या चूककर्ता के ट्रेडिंग अधिकार की बिक्री से प्राप्त लाभ सहित चूककर्ता समिति को प्राप्त चूककर्ता की किसी आस्ति से प्राप्त होने वाले लागू और

(5) और फंड की आवश्यकता पड़ने पर फंड का संचित ब्याज उपचय व अन्य, और

(6) और फंड की आवश्यकता पड़ने पर फंड का संग्रह और

(7) और फंड की आवश्यकता पड़ने पर अन्य ट्रेडरों/डीलरों का प्रत्यर्पणीय योगदान जहाँ तक यह उनयोग के लिए प्राप्त है।

20.37 चूककर्ता द्वारा ब्याज का पुर्नभुगतान व भुगतान

यदि ट्रेडर/डीलर की चूक के लिए चूककर्ता समिति द्वारा उपनियम 20.36 की धारा 5 से 7 में उल्लेखित पैसे या सम्पत्ति में से कोई राशि का भुगतान किया गया है तो चूककर्ता को दायित्व होगा कि उसे तुरन्त एक्सजेंज या चूककर्ता समिति फंड के क्रेडिट में 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के साथ (या जो भी दर शासी बोर्ड निश्चित करे) पुर्नभुगतान करे। यह चूककर्ता समिति द्वारा भुगतान की तारीख से शुरू होनेवाली अवधि औश्र पुर्नभुगतान की तारीख के लिए होगा और एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियामं, उपनियमों व अधिनियामं के उद्देश्य के लिए यह ब्याज फंड को/फंड से दी जानेवाली राशि मानी जाएगी।

20.38 चूककर्ता की आस्तिया व अन्य राशियों का आवेदन–

उपनियम 20.39 के प्रावधानों के अनुसार चूककर्ता समिति चूककर्ता का वह सभी पैसा, अधिकार व आस्तियाँ जो चूककर्ता कंपनी के पास है या उसके द्वारा प्राप्त किया गया है (उपनियम 19.32 से उपनियम 19.37 के अनुसार शासी बोर्ड द्वारा चूककर्ता के ट्रेडर/डीलरशिप के पूर्व नामांकन अधिकारों के संबंध में हुई प्राप्ति के विषय में चूककर्ता समिति को दी गई राशि के अलावा और एक्सचेंज या मार्किट में चूककर्ता की सब अन्य आस्तियों व पैसा जिसमें किसी अन्य (ट्रेडर/डीलर द्वारा प्राप्त प्रतिमूतियाँ या पैसा, एक्सचेंज या क्लीयरिंग हाउस के पास रखा पैसा क्लीयरिंग के पास रखा क्रेडिट बैलेंस, सक्युरिटी जमा, बैंक गारंटी) जो चूककर्ता की ओर से दी गई हो, सावधि जमा खरीद जो एक्सजेंच में अदा या सौंपी गई हों, चूककर्ता द्वारा एक्सजेंच में जमा की आधार/अतिरिक्त पूंजी, एक्सचेंज या चूककर्ता समिति के पक्ष में चूककर्ता या अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापति या स्थापति की जानेवाली कोई प्रतिमूर्ति जिसका उद्देश्य चूककर्ता के दायित्व निम्न उद्देश्यों व निम्न प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना हो–वसूल कर उपयोग करेगी–

(1) पहला–उपनियम 20.2 सी व 20.32 के तहत किए जानेवाले भुगतान

(2) दूसरा चूककर्ता समिति द्वारा निश्चित किया जानेवाला इस तरह का सब्सक्रिप्शन, ऋण जुरमाना और अन्य पैसा जो चूककर्ता द्वारा सिक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, या एक्सचेंज या

क्लीयरिंग हाउस का देया होगा।

(3) बेड डिलीवरी का सुधारना या बदलना या मुआफजा देना जो कि डिफोलटर ने खुद या उसके एसज में किसी और ने किसी भी अन्य ट्रेडर या डीलर को उस सेटलमेंट में जिसमें वह डिफोलटर घोषित किया गया है या उसके पहले या बाद के सेटलमेंट में दी हो (जबतक कि बोर्ड ने कुछ और नहीं निर्धारित किया हो उस सेटलमेंट के लिए या सेंटलमेंट जो कि उपनियम 20.32 में है) यदथपी नियम उपनियम और रेग्यूलेशन का हर प्रविजन और बोर्ड का हर निदेशन पूरा किया गया है।

(4) चौथा– शेष यदि है, का भुगतान फंड को उस हद तक किया जाएगा जिस हद तक पैसा ट्रेडर/डीलर के प्रत्यर्पपीय योगदानों से निकाला गया है– (चूककर्ता के प्रत्यर्पण्णीय फंड को छोड़कर) और फंड द्वारा वसूल नहीं किया गया है और उसके संबंध में चुककर्ता द्वार फंड को देय ब्याज)

(5) पांचवा– उपनियम 19.21 सहित एक्सचेंज के अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार शेष यदि है तो एक्सचेंज के (ट्रेडर/डीलर) के या द्वारा इस प्रकार के भुगतान न किए गए बकाया, ऋण, देयताओं बाध्यताओं व दावों के भुगतान के लिए चूककर्ता समिति उसका उपयोग कर सकती है, ये देय चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार इस प्रकार के ट्रेडर/डीलर के किए गए किसी प्रकार के अनुबंधों के लिए होगा जिन्हें चूककर्ता समिति द्वारा स्वीकृत कर लिया गया है, किन्तु यदि प्राप्त राशि इस प्रकार सब ऋणों देयताओं, बाध्यताओं व दावों को पूरी तरह भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो उसे यथानुपात चुकता किया जाएगा।

(6) छठा– एक्सचेंज के नियमें, उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार, खास कर 19.21, यदि कुछ शेष है का उपयोग चूककर्ता समिति द्वारा चूककर्ता के घटक के या को भुगतान के लिए किया जाएगा जो चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज के नियमों, उपनियमों और अधिनियमों के अनुसार किए गए अनुबंधो से उठनेवाले हो और शासी बोर्ड द्वारा स्वीकृत किए गए हो, किन्तु यदि प्राप्त राशि इस प्रकार के सब ऋणों, देयताओं, बाध्यताओं व दावों का पूरी तरह भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो उन्हे यथानुपात पूरा किया जाएगा।

(7) सातवॉ–यदि शेष बचा है तो उसका भुगतान ग्राहक एक्सचेंज के निवेशक सुरक्षा फंड को एक या सम्पूर्ण भुगतान जो ग्राहक/निवेशक सुरक्षा फंड से चूककर्ता की देयताएँ व दायित्व पूरा करने के लिए किया गया हो के विरुद्ध दिया जाएगा और उसके लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह (या शासी बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य दर) की दर से ग्राहक/निवेशक सुरक्षा फंड से किए भुगतान की तारीख से फंड को पुर्नभुगतान की तारीख तक के लिए ब्याज देय होगा।

(8) आठवां–यदि कुछ अतिरिक्त है तो उसका भुगतान चूककर्ता द्वारा किया जाएगा।

स्पष्टीकरण–यह स्पष्ट किया जाता है कि यह उपनियम 20.39 शासी बोर्ड द्वाराचूककर्ता समिति को नियम 19.32 से 19.37 के अनुसार दी जाने वाली उस राशि के लिए लागू नहीं होगा जो शासी बोर्ड द्वारा चूककर्ता के ट्रेडर/डीलरशिप के पूर्वअधिकार के नामांकन के लिए प्राप्त हो क्योंकि, यह चूककर्ता की नहीं है और चूककर्ता का उस पर कोई दावा, अधिकार स्वामित्व या हित नहीं है।

20.39 नामांकन अधिकार-पर विचार के लिए आवेदन–

यदि चूककर्ता की आस्तियों व अन्य राशि उपनियम 20.39 में उल्लिखित के अनुसार उपनियम 20. 39 की धारा (1) से (7) में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए अपर्याप्त है तो चूककर्ता के ट्रेडर/डीलर के पूर्वाधिकार के संबंध में शासी बोर्ड द्वारा चूककर्ता समिति के नियम 19.32 से 19.37 के अनुसार दी गई राशि चूककर्ता समिति दूसरा उपनियम 20.39 की धारा 5 व 6 में

उल्लिखित के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर और यदि कुछ अतिरेक है का भुगतान एक्सचेंज के फंड को किया जाएगा, बशर्ते सामान्य बैठक में एक्सचेंज अपने निर्णयाधिकार से यह निर्देश दे कि इस प्रकार के अतिरेक को जो भी वह ठीक समझे निपटा दिया जाए या उपयोग किया जाए।

20.40 चूककर्ता की आस्तियों पर प्रभार

उपनियम 20.36 की (5) से (7) में उल्लिखित पैसे या सम्पत्ति में से चूककर्ता समिति द्वारा किए गए भुगतान पर एक्सचेंज व चूककर्ता समिति दोनों का चूककर्ता की आस्तियों व सम्पत्तियों चाहे वह जहाँ भी हो और चाहे जिस तरह की हो पर इस प्रकार के पैसे के पुर्नभुगतान के लिए और उस पर तथा सभी प्रभारों रेहन और चूककर्ता द्वार निर्मित कोई अन्य बाधाओं जो चूककर्ता समिति द्वारा इस प्रकार का भुगतान किए जाने के पहले दिन बहुमूल्य सोच–विचार के लिए ठीक थी की सिक्यूरिटी के रूप में पूरा अधिकार होगा।

20.41 चूककर्ता समिति व एक्सचेंज की कार्यवाही–

चूककर्ता द्वारा चूककर्ता समिति, ग्राहक/निवेशक सुरक्षा फंड व एक्सचेंज को देय राशि की वसूली के लिए एक्सचेंज और प्रबंध निदेशक इस प्रकार के कदम उठाने व प्रक्रियाओं के लिए अधिकृत है (किसी सम्पत्ति या उसके किसी हिस्से की बिक्री सहित किन्तु उससे सीमित नहीं) जो एक्सचेंज या चूककर्ता समिति चूककर्ता के विरुद्ध चूककर्ता की समिति और चूककर्ता को किसी व्यक्ति द्वारा देय कोई राशि में ठीक समझे।

20.42 उधार

उपनियम 20.29 और/या उपनियम 20.32 में उल्लेखित किसी भुगतान के लिए चूककर्ता समिति बिना सिक्युरिटी और/या किसी सम्पत्ति या फंड के विरुद्ध किसी सिक्यूरिटी और/या चूककर्ता या किसी ट्रेडर/डीलर द्वारा इसे सिक्युरिटी के रूप में दी जाने वाली सम्पत्ति के विरुद्ध पैसा ले सकता है।

20.43 फंड का खर्च

चूककर्ता समिति के ट्रेडर/डीलर किसी तरह के वेतन के लिए अधिकृत नहीं होगें किन्तु फंड से फंड के निर्माण, प्रशासन व व्यवस्थापन तथा ऑडिटरों, वकीलों, कानूनी सलाहकारों, चार्टर्ड अकाउन्टैन्ट, आकलनकर्त्ता व अनरू व्यावसायिक सलाहकारों की फीस तथा फंड के निर्माण, प्रशासन व प्रबंधन और फंड के अधिकारों के अनुपालन संबंधी सभी पारिश्रामिक वेतन व संबंधित लागत, प्रभार तथा खार्च फंड से ले सकेगें।

20.44 सदभावना के किए गए कामों के लिए सुरक्षा व क्षतिपूर्ति

इच्छा से की गई चूक व धोखाधड़ी को छोड़कर चूककर्ता समिति, कोई उपसिमति या चूककर्ता समिति या किसी उपसमिति का ट्रेडर/डीलर अपने कर्तव्यों, व कार्यों के पालन के लिए किसी प्रकार के काम व छूट के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20.45 कानूनी आश्रय

ट्रेडर/डीलर एसजीएफ या एंबंधित अधिकारी या चूक करता समिति के काम या संचालन के प्रति किसी प्रकार का कानूनी आश्रय आईएसई से प्राप्त सब सहारों को पूरा किए बिना तथा उस पर किए गए सब दावों व बाजार की बकाया देयताओं को पूरा किए बिना नहीं ले सकता।

20.46 उक्त उपनियम 20.44 के प्रति पूर्वाग्रह के बिना फंड चूककर्ता समिति या चूककर्ता समिति के

किसी ट्रेडर/डीलर के विरूद्ध दर्ज सभी मुकदमों, कार्यों, प्रक्रियाओं व वादों के सारे खर्च, लागत व प्रभार वहन करेगा। सिवाय उनके जो उनके जानबूझ कर गई चूक व धोखाधड़ी से उठनेवाले हो और चूककर्ता समिति के ट्रेडर/डीलर फंड के निर्माण, प्रबंधन व व्यवस्थापन संबंधी सभी कामों, प्रक्रियाओं, नुकसान, दावो, देयताओं, लागत, प्रभार खर्च व उससे सौदों आदि के लिए फंड द्वारा सुरक्षित रख जाएगें सिवाय उनके जो उनकी जानबूझ कर की गई भूलों व धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हों।

20.47 फंड से सीमित भुगतान–

फंड से भुगतान फंड को प्राप्त सीमित पैसे व आस्तियों के अनुसार सीमित होगा और किसी कमी की स्थिति में एक्सचेंज ओर/या चूककर्ता समिति का दायित्व नहीं होगा।

20.48 चूककर्ता समिति की बैठक–

चूककर्ता समिति की हर कैलेंडर वर्ष में तीन महीने में एक बार बैठक अवश्य होगी और दो बैठकों के बीच में तीन महीने से अधिक का समय नहीं रहेगा।

20.49 चूककर्ता समिति की बैठके–

चूककर्ता समिति की बैठक चूककतर्रा समिति के सदस्यों को कम से कम अड़तालीस घन्टों के लिखित नोटिस पर की जा सकती है। किन्तअत्यावश्यक मामलों में चूककर्ता समिति की बैठक चूककर्ता समिति के सदस्यों को केवल एक घन्टे के जबानी या लिखित नोटिस पर भी आयोजित की जा सकती है और मामला अत्यावश्यक है और उसके विषय में सूचित नोटिस दे दिया गया है के संबंध में चूककर्ता समिति के अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व निर्णायक होगा। चूककर्ता समिति की बैठक कार्यकारी दिनों, छुट्टियों के काम के घन्टों के अन्दर या उसके अलावा भी हो सकती है।

20.50 गोपिनीयता–

एक्सचेंज, अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, शासी बोर्ड और चूककर्ता समिति द्वारा प्राप्त सभी सूचना तथा बारी किए व प्रक्रियाएँ गोपनीय मानी जाएगी।

20.51 विवरण–

चूककर्ता समिति की प्रक्रियाओं का विवरण चूककर्ता समिति के सचिव के अधिकार मं रहेगा। ये विवरण गोपनीय माना जाएगा।

20.52 पत्र व्यवहार–

चूककर्ता समिति तब तक किसी प्रकार के पत्रव्यवहार को स्वीकारने व उस पर कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक यह लिखित रूप से हो और पत्र व्यवहार करनेवाले व्यक्ति की पहचान व पता न बताए और पत्रव्यवहार करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्तातरत न हो।

20.53 मध्यस्थता–

एक्सचेंज या चूककर्ता समिति और ट्रेडर/डीलर या चूककर्ता के बीच ट्रेडर/डीलर या चूककर्ता द्वारा एक्सचेंज, चूककर्ता समिति या सैटलमैन्ट गारंटी फंड को देय या आरोपित किसी राशि के संबंध में एक्सचेंज या चूककर्ता समिति के किसी दावे, विवाद या मतभेद को एक्सचेंज के प्रबंध निदेशक की मध्यस्थता या किसी ऐसे व्यक्ति की मध्यस्थता को जिसके प्रबंध निदेशक इसलिए

नामंकित करें

20.54 फंड परिचालन की तारीख

(1) शासी बोर्ड द्वारा इस बात के लिए संतुष्ट होने पर फंड का मूल्य फंड के परिचालन के लिए पर्याप्त है (जो मूल्य उपनियम 20. 23 (ओ) (2) में उल्लिखित से कम नहीं हो) शासी निकाय उस तारीख का उल्लेख करेगा जिस पर फंड संचालनीय हो।

(2) उपनियम 20.21 से 20.40 और 20.42 के प्रावधान केवल उसीह दिन और दिन से लागू होगें जिस दिन फंड का परिचालन होता है और उस तारीख के बाद घोषित चूको पर ही लागू होगें।

20.55 अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में अन्यत्र उल्लेखित के बवाजूद चूककर्ता समिति फंड से निम्न में से कोई राशि देने के लिए बाध्य नहीं है :–

(ए) लागत, प्रभार, खर्च, हरजाना व दंड से संबंधित चूककर्ता द्वारा क्लीयरिंग हाउस को देय राशि,

(बी) चूककर्ता द्वारा किसी घटक को किसी भी चीज के लिए देय राशि

(सी) चूककर्ता द्वारा ऐसे किसी सौदे के लिए देय कोई राशि जो एक्सचेंज की सैटलमैन्ट प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है,

(डी) किसी सौदे के संबंध में चूककर्ता द्वारा देय कोई राशि जिसका निपटान क्लीयरिंग हाउस के अलावा भी हो सकता था (यदि यह चूक न हुई होती)

(ई) चूककर्ता द्वारा ऐसये किसी सौदे के संबंध के देय राशि जो एक्सचेंज के कंम्प्यूटरीकृत ट्रेडिंग सिस्टम के माध्यम से प्रविष्ट न हो जब तक इस प्रकार का सौदा एक्सचेंज या एक्यचेंज के नियमों, उपनियामं व अधिनियमों या दोनों में उल्लेलिखत पध्दति के द्वारा एक्सचेंज में दर्ज न हो और इस प्रकार सूचित करते समय चूककर्ता और पध्दति में क्लीयरिंग हाउस द्वारा सौदों के निपटान का विकल्प लिया था।

20.56 हैमर प्राइस प्रावधानों की उपयुक्तता—

इन अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों में अन्यत्र उल्लेखित किसी चीज के बावचूद जब निम्न स्थितियों में ट्रेडर/डीलर चूककर्ता घोषित कर दिया जाता है तो चूककर्ता द्वारा अन्य ट्रेडर/डीलर के साथ उस निपटान में हुए क्रय–विक्रय अनुबंध जिसमें चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया हो और अन्य किसी निपआन में जो चूक घोषित होने के समय खुला व अधूरा हो को हैमर प्राइस एंड क्लोजिंग आउट व चूककर्ता के खुले सौदों के समायोजन संबंधी अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों व अधिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप समायोजित बन्द या निपटाया जाएगा :–

(1) फंड संचालन की तारीख से पहले जब ट्रेडर/डीलर चूककर्ता घोषित किया गया हो,

(2) जब उपनियम 20.33 के अनुसार पूरा भुगतान करने के लिए फंड अपर्याप्त होने पर फंड से भुगतान न किया गया हो,

(3) ऐसे निपटानों में हुए अनुबंध जिसके लिए शासी बोर्ड ने उपनियम (20.32(2)) के प्रावधानों के अनुसार एक प्रस्ताव पारित कर यह सुनिश्चित किया हो कि उपनियम 20.32 की धारा (1) और या उपनियम 20.29 या उपनियम 20.30 लागू नहीं होगा,छ

(4) उन अनुबंधों जिनके लिए चूककर्ता समिति उपनियम (20.30) या किसी अन्य नियम, उपनियम या अधिनियम के तहत फंड लगाने के लिए प्रतिबन्धित है या बाध्य नहीं है।

21 निवेशक सुरक्षा फंड

21.1 संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित आईएसई के हर बाजार फंड के लिए एक निवेशक सुरक्षा फंड का पोषण किया जाएगा जिसमें हर ट्रेडर/डीलर अपने हिस्से की राशि का योगदान देगा जो उस क्षतिपूर्ति के लिए अच्छा दावा हो सकता है या घटक तिजसे इन उपनियमों के कारण आईउसई द्वारा चूककर्ता घोषित किए जानेवाले ट्रेडर/डीलर के कारण हानि उठानी पड़ी हो द्वारा पेश की गई हो।

21.1.1 फंड की स्थापना व व्यवस्थापन इस संबंध में सेबी/सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शिकाओं के अनुसार होगा।

21.2 इस हिस्से के अनुसार वह राशि तिजसका दावा करने के लिए दावाकर्ता अधिकृत होगा के अन्तर्गत उसके द्वारा उठायी गयी वास्तविक हानि होगी (इसमें उसका दावा द्धि करने के लिए हुई उचित लागत तथा आकस्मिक परिव्यय शामिल है) जिसमें से हानि को कम करने के लिए किसी स्रोत से प्राप्त किया प्राप्त होनेवाले सब पैसे का मूल्य या राशि या अन्य लाभों को निकाल दिया जाएगा। किन्तु यह सेबी या संबंधित अधिकारी द्वारा परिव्यय के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा के अनुसार होगा।

21.3 ट्रेडर/डीलर के चूककर्ता घोषित किए जाने के कारण हानि उठानेवाले हर व्यक्ति को इस हिस्से के अन्दर दी जानेवाली राशि संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि से अधिक नहीं होगी।

21.4.1 संबंधित अधिकारी को दैनिक व व्यापक प्रसार वाले समाचार पत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित करनी होगी, जिसमें प्रकाशन के तीन महीने बाद की तारीख दी जाएगी, जिससे पूर्व या जिस पर नोटिस में उल्लिखित व्यक्ति से सम्बन्धित क्षतिपूर्ति का दावा किया जा सकेगा।

21.4.2 चूक के संबंध में क्षतिपूर्ति का दावा लिखित रूप से संबंधित अधिकारी को उक्त नोटिस में उल्लिखित तारीख पर या उससे पूर्व देना होगा और ऐसा न किए जाने पर उसे रोका जा सकता है बशर्ते संबंधित अधिकारी अन्यथा निश्चित न करें।

21.5 इस हिस्से के तहत दावा करने वाले व्यक्ति को संबंधित अधिकारी के उस निर्णय के अनुसार एक प्रतिज्ञा पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो निर्णय अन्तिम व बंधनकारी होगा।

21.6 क्षतिपूर्ति के दावे को अस्वीकृत करते हुए (पूरी तरह या आंशिक रूप से) संबंधित अधिकारी इस प्रकार की अस्वीकृति का नोटिस दावाकर्ता को देगें।

21.7 संबंधित अधिकारी (चूककर्ता समिति) यदि इस बात से सन्तुष्ट है कि जिस चूक के लिए दावा किया गया है वह वास्तव में हुआ है, दावो की अनुमति दे सकत है और उसके अनुरूप काम कर सकते है।

21.8 संबंधित अधिकारी किसी भी समय या समय समय पर किसी व्यक्ति से दावे के समर्थन में या दावा सथापति करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रतिमूर्ति, दस्तावेज या प्रमाण का लेखा जेड़खा मॉंग सकता है, और प्रथम उल्लिख्शित व्यक्ति द्वरारा इस प्रकार की किसी प्रतिमूर्ति दावे या प्रमाण का लेखा जोखा देने में चूक के परिणाम स्वरूप इस हिस्से के तहत उसके द्वारा किए गए किसी दावे को संबंधित अधिकारी अस्वीकृत कर सकते है।

21.9 निवेशक सुरक्षा फंड को हर ट्रेडर/डीलर का योगदान वह राशि होगा जो संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर तय की गई हो।

21.10 यदि इस हिस्से के अनुसार निवेशक सुरक्षा फंड में से दावों के लिए कुछ परिव्यय करना पड़ता है तो इस प्रकार का परिव्यय चूककर्ता ट्रेडर/डीलर के योगदान पर लागू होगा। यदि दी जाने वाली राशि ट्रेडर/चूककर्ता के योगदान अधिक है तो इस कमी को शेष ट्रेडर/डीलरों के योगदान में से यथानुपात आधार पर पूरा किया जाएगा।

21.11 ट्रेडर/डीलरों के विरुद्ध यथानुपात आधार पर लिया जानेवाले परिव्यय जो निवेशक सुरक्षा फंड से किया गया हो के संबंध में किसी भी समय हर ट्रेडर/डीलर की अधिकतम देयता उस समय लागू योगदान आवश्यकता होगी।

21.12 फंड समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित सीमा (वर्तमान में लागू अधिकतम 50,000/— रूपय के दावा मूल्य के अनुसार) तक चूककर्ता ट्रेडर/डीलरों के विरुद्ध ग्राहकों के दावों को पूरा करेगा।

21.13 उक्त ट्रस्ट के रूप में रखा जानेवाला निवेशक सुरक्षा फंड आईएसई या किसी अन्य प्रविष्टि या अधिकारी जिसका निर्धारण या उल्लेखन समय समय पर संबंधित अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

22 भागीदार

आवेदन पर भागीदारों का रजिस्ट्रेशन

22.1 संबंधित अधिकारी स्वयं को रजिस्टर कराने के इच्छु भागीदारें में से घटकों को समय समय पर इस उद्देश्य के लिए गठित उपनियमों और अधिनियमों की शर्तों के अनुसार जिस्टर करा सकता है।

भागीदारों का स्वतः रजिस्ट्रेशन

22.2 उक्त 22.1 निहत शर्त के बावजूद संबंधित अधिकारी घटकों में से स्वतः भागीदार के रूप में रजिस्टर कर सकते है, जिन्हें संबंधित अधिकारी के मत से दर्ज किए जाने वाले कारणों से इस प्रकार रजिस्टर कराना चाहिए जो संबंधित अधिकारी द्वारा निर्धारित शर्तों और अनुबंधों के अनुसार होगा।

भागीदारें के अधिकार व दायित्व

22.3 (ओ) उपनियम के किसी भाग में विरोधाभास के बावजूद आईसीएमएस भागीदार द्वारा किए हुए सौदे या व्यापार, सुनिश्चित किए या अनुबंध जसो उसने आईसीएमएसय के किसी फंड पर किसी ट्रेडर/डीलर के माध्यम से किए हो के लिए भागीदार को पार्टी मान सकता है। यह संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित शर्तों, अनुबंधे, आवययकताओं व स्थितियों के अनुसार हो सकता है।

(बी) अन उपनियमों और अधिनियमों में अन्यथा दिए के अनुसार आईसीएमएस द्वारा भागीदार को ट्रेडर/डीलर द्वारा किए गए सौदे, व्यापार, सुनिश्चत या अनुबंध के लिए पार्टी के रूप में मान्यता किसी प्रकार से संबंधित ट्रेडर/डीलर पए आईसीएमएस के न्यायालिधकार को उससंबंध में प्रभावित नहीं करेगी, और इस प्रकार का ट्रेडर/डीलर इस ओर से एक्सचेंज के प्रति उत्तरदायी, जवाबदार व दायी रहेगा।

22.4 संबंधित अधिकारी समय समय पर आईसीएमएस के भागीदारे के कार्य व संचालन संबंधी

मार्गदर्शिकाओं और उनके रिजस्ट्रेशन व मान्यता के जारी रखने की शर्तों का निर्धारण कर सकते है। पूर्वोक्त की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना इस प्रकार के मानदंडों, आवश्यकताओं व शर्तों में जमा, मार्जिन, फीस, सिस्टम उपयोग प्रभार, सिस्टम पोषण/सम्पत्तियों आदि के साथ साथ इनकरा निर्धारण भी आएगा।

22.5 इस धारा में दिए के अनुसार भागीदारों के अधिकार व देयताएँ इन उपनियमों के तहत घटक के रूप में आनेवाले अधिकारें व देयताओं के अलावा है, सिवाय जहाँ समय समय पर भगीदार के अधिकार और देयता के संबंध में निर्धारित इन उपनियमों व अधिनियमों के विशिष्ट प्रावधान घटक को लागू होने वाले प्रावधानों से अलग हो। इस प्रकार की भिन्नता की स्थिति में आईसीएमएस पर उनके अधिकाराके व दायित्वों के संबंध में उनके रजिस्ट्रेशन की शर्तों और अनुबंधों के अनुसार विशेष प्रावधाने लागू होगें।

22.6 भागीदारों के अधिकार व देयताएँ संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्धारित इन उपनियमों व अधिनियमों के अनुसार होगें।

22.7 समय समय पर निर्धारित अधिनियमों के अनुसार संबंधित अधिकारी किसी भी समय उन शर्तों व अनुबंधों पर भागीदार का रजिस्ट्रेशन व मान्यता रद्द करने के लिए अधिकृत होगा जिन्हें संबंधित अधिकारी उल्लेखित कर सकता है। अधिनियमों या संबंधित अधिकारी के निर्ण में अन्यथा स्पष्टतः दिया गया हो, के सिवाय भागीदार को प्राप्त सभी अधिकार व विशेषधिकार इस प्रकार के स्थगन पर समाप्त हो जाएगें।

22.8 आईएसई के निर्ण पर और निर्धारित किए जानेवाले अधिनियमों या संबंधित अधिकारी द्वारा तय की जानेवाली शर्तों और अनुबंधी के अनुसार भागीदार को सशर्त ट्रेडिंग स्टिम पर और या सीमित पहुँच की अनुमति दे सकता है, इसका निर्धाणि संबंधित अधिकारी द्वारा समय समय पर किया जा सकता है।

23 निदेशक सेवा फंड

23.1 आईएसई निवेदशकों की सेवा के लिए एक उनकी जागरूकता के लिए सेमीनार प्रोग्राम एवं निवेश शिक्षा के लिए विशेष प्रोग्राम चालू करने के लिए एक निवेसक सेवा फंड का संचालम करेगा। आईएसई का बोर्ड एवं संबंधों अधिकारी के पास रख रखाव एवं इसके कोपिरन फंड का सफल इस्तेमाल करने पूर्ण अधिकार न होगें।

23.2 प्रत्येक हेडर एवं डीलर इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड द्वारा समय समय पर निर्धारित राशि प्रदान करेगें।

23.3 इस फंड का निर्माण एवं उसका संचालन ऐबी/सरकार द्वारा निर्धारित नियम उपनियम के अनुसार होगा।

23.4 संबंधित अधिकारी इसके सफल संचालन के लिए समय समय पर इनके नियम उपनियम व कारण बतायेगा।

विविध

24.1 संबंधित अधिकारी को एक या अधिक आईएसई प्रतिभूतियों पर सौदे प्रतिबन्धित करने का अधिकृत है जिसे संबंधित अधिकारी अपने निर्णय से स्क्यिुरिटीज में उचित व व्यवस्थित बाजार बनाएं रखने के लिए उपयुक्त समझे या यह किसी अन्य कारण से सार्वजनिक हित के लिए या निवेशकों की सुरक्षा के लिए ठीक समझे। इस प्रेकार के प्रतिबंधों की प्रभाविता के समय कोई

ट्रेडर/डीलर किसी भी खाते में जिसमें उसकी रुचि हो या किसी ग्राहक के खाते के लिए इन प्रतिबन्धों का उल्लंघन करते कोई सौदा नहीं करेगा।

24.2 इस उपनियम या उपनियमों, नियमों या अधिनियमों की कोई आवश्यकता पूरी करने या बनाए रखने में किसी तरह की विफलता जहाँ भी लागू होगी संबंधित अधिकारी द्वारा इस प्रकार के उपनियमों, नियमों या अधिनियमों के उल्लंघन के रूप में अनुच्छेदों, नियमों, उपनियमों और अधिनियश्मों के अनुसार उससे निपटा जाएगा।

24.3 ट्रेडर/डीलर आईएसई के अधिकारी, ट्रेडर, डीलर, सिक्युरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के सदस्यों को इन्साइडर ट्रेडिंग, सूचना या अधिग्रहण और अन्य ऐसी सूचना/व्यवहार जो आईएसई व भागीदार एक्सचेंज के सक्षम कार्यव्यवहार के लिए घातक समझे जाए और ऐसी एक्ट व नियमों तथा अधिनियमों के तहत अपेक्षित हो देने के लिए बाध्य है।

24.4 संबंधित अधिकारी द्वारा इआईएसई के संबंधित सहायता पहुँचाने, व्यवस्थापन व संचालन के लिए क्लीयरिंग व निपटान व्यवस्था के संबंध में विशेषतः निर्धारित अधिनियमों में उल्लिखित के अनुसार आईएसई का कोई ददायित्व नहीं समझा जाएगा और इसी के अनुरूप प्रतिभूतियों के किसी सौदे में । उसके संबंध में या उससे संबंधित किसी मामले में आईएसई के विरुद्ध या आईएसई के लिए काम कर रहे किसी अधिकृत व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा या आश्रय नहीं होगा।

24.5 वर्तमान में लागू किसी कानून या प्रदत्त संविधान के तहत आईइएसई को जारी किसी आदेश या अन्य बंधनात्मक निर्देश के अनुसार अच्छी धारणा से किए गए या किए जानेवाले किसी काम के लिए अपाईएसई के विरुद्ध या आईएसई के लिए काम कर रहे किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई दावा, मुकदमा, अभियोग या कानूनी कार्यवाही नहीं होगी।

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED,

JOSEPH MASSEY
Managing Director.

Inter-connected Stock Exchange Of India Ltd.

Registered Office : International Infotech Park, Tower 7, 5th Floor, Sector 30, Vashi, Navi Mumbai - 400 703

THE COMPANIES ACT, 1956

ARTICLES OF ASSOCIATION

Of

INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

(Limited by Guarantee)

The Regulations contained in Table C in the First Schedule to the Companies Act, 1956 shall not apply to the Company, but the Regulations for the management of the Company and for the observance by the Members thereof and their representatives, shall subject to any exercise of the statutory powers of the Company with reference to the repeal or alteration of or addition to its Regulations by Special Resolution, or as specified by the Companies Act, 1956 be such as are contained in these Articles.

INTERPRETATION

1. In these Articles, if not inconsistent with or repugnant to the subject or context hereof, the following words and expressions shall have the following meanings :

1.1. "The Act" or "the said Act" means The Companies Act, 1956 and includes every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force.

1.2. "The Articles" mean and include the Articles of Association of the Company for the time being in force.

1.3. "Board", "Board of Directors" or "the Directors" means the Board of Directors of the Company or the Directors of the Company collectively. All the three terms are used interchangeably.

1.4. "Bye-Laws" means Bye-Laws of the Company for the time being in force and unless the context indicates otherwise includes provisions which enable regulation and control of contracts. The Bye-Laws of the Company shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

1.5. "Company" means "Inter-Connected Stock Exchange of India Limited" and is also referred to as "ISE" or as "Exchange" which is for the time being recognized by the Central Government or the Securities and Exchange Board of India under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. All the four terms are used interchangeably.

1.6. "Client" or "Constituent" means a person on whose instruction and on whose account the Trader or Dealer enters a contract for the purchase or sale of any tradeable security or does any act in relation thereto.

1.7. "Dealer" means any person admitted as a "Dealer" with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. *[Explanation : There may be more than one class of Dealers registered with the Company as may be determined by the Board from time to time]*

1.8. "Deals", "Transactions" and " Contracts" shall have the same meaning for the purpose of these Rules, Bye-Laws and Regulations unless the context indicates otherwise. All the three terms are used interchangeably.

1.9. "Executive Committee" means the Executive Committee(s) constituted and appointed by the Board pursuant to and in the manner specified in these Rules to manage the day-to-day affairs of the Company. A Member of the Executive Committee shall be called an "Executive Committee Member".

1.10. "Inter-Connected Market System" or "ICMS" means the infrastructure and other facilities established by ISE to facilitate trading, clearing, and settlement of transactions in securities, and to consider all other matters consequential or incidental thereto or connected therewith among Traders, Dealers, Participants and other users and includes facilities set up by the participating recognized Stock Exchanges to enable Traders, Dealers, Participants and other users to participate in the facilities of ISE.

1.11. "Issuer" includes a Government body, corporate or other entity, whether incorporated or not, which issues any security or other instrument, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted for dealing on the Official List of ISE.

1.12. "Market Maker" means a Trader or Dealer registered as such with the ISE to perform market-making operations in the specified security or securities. *[Explanation : There may be more than one class of Market Makers registered with the Company as may be determined by the Board from time to time.]*

1.13. "Member" or " Member of the Company" or " Member Exchange" means and includes the names of Members in Para VI of the Memorandum of Association and such other Members of the Company as may be admitted as such who shall undertake to contribute to its assets for the purposes mentioned in Clause III of the Memorandum of Association as provided therein. All the three terms mentioned herein have been used interchageably.

1.14. "Month" means a calendar month.

1.15. "Office" means the Corporate Office of the Company for the time being.

1.16. "Official List of ISE securities" means the list of securities listed on any recognized Stock Exchange in India which are admitted for dealing on the Official List of ISE.

1.17. "Participants" means a person registered as such by the relevant authority from time to time under the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

1.18. "Participating Stock Exchange" or "Participating Exchange" means a recognized Stock Exchange in India admitted as Member of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations subject to such terms and conditions as may be specified from time to time by the relevant authority. These two terms are used interchangeably.

1.19. "Register" means the Register of Members to be kept pursuant to Section 150 of the Act.

1.20. "Registered Office" means the Office as Registered for the time being under the Companies Act, 1956.

1.21. "Rules" mean Rules of ISE framed and amended, from time to time, by the Board. *[Explanation: "Rules" shall include Memorandum of Association and Articles of Association of the Company and these relate in general to the constitution and management of the Exchange and with other matters incidental or related thereto.]*

1.22. "Rules", "Bye-Laws" and "Regulations" mean the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, for the time being in force.

1.23. "Regulation" means Regulations of the Company for the time being in force and unless the context indicates otherwise, includes business rules, code of conduct and such other procedures, circulars, directives, orders, notices and Regulations specified and issued by the Board, the Executive Committee or any other relevant authority from time to time for the operation of ICMS and these shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules and Regulations made thereunder. *

1.24. "Relevant Authority" means the General Body of Members of ISE, the Board, Executive Committee or such other authority as may be constituted from time to time for a specified purpose under the Rules, Bye-Laws and Regulations.

1.25. "SC(R) Act" means the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.26. "Seal" means the Common Seal for the time being of the Company.

1.27. "SEBI Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.28. "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

1.29. "Stock Exchange" means a Stock Exchange in India which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

1.30. "Security" has the meaning assigned to it in the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and also includes such other class of monetary transactions or instruments, paper-less or otherwise, as may be permitted for dealings on the ICMS.

1.31. Tradeable Security means any security admitted for dealing to the Official List of ISE.

1.32. "Trader" or "Member Broker" means a Member of a participating Stock Exchange registered as a 'Trader' with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. The two terms are used interchangeably. *[Explanation : There may be more than one class of Traders registered with the Company, as may be determined by the Board* from *time to time.]*

1.33. "Trading Segment" means the separate segment or division comprising securities as classified or specified by the Board or relevant authority from time to time for dealings on the ICMS thereunder.

1.34. "Trading System" means a system which makes available to the Members, Traders, Dealers, Participants and investing public and others by whatever name called, quotations in securities admitted for dealing on the Official List of ICMS, execution of deals thereof, and dissemination of information regarding prices, traded volumes and such other notifications, directives, circulars and information as may be issued thereof by the Board or Executive Committee or any other relevant authority.

1.35. "Writing" includes printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.

1.36. "Year" means "Financial Year of the Company".

1.37. Words importing persons include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, associations of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;

1.38. Words importing the masculine gender include the feminine gender and vice-versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms, etc.

1.39. Words importing the singular shall include the plural and vice versa.

1.40. Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expressions occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Companies Act, 1956, the SC(R) Act, 1956 and the SEBI Act, 1992 or any modifications or re-enactments thereof or any Rules and Regulations framed thereunder.

1.41. Marginal notes shall not affect the construction thereof.

PRE-INCORPORATION ARRANGEMENTS

2. The Company shall forthwith approve all actions taken and arrangements made by the Project Implementation Committee of Participating Stock Exchanges and adopt all arrangements, expenditure and contracts made prior to the incorporation of the Company.

MEMBERSHIP

3.1 The subscribers to the Memorandum of Association shall be the first Members of the Company provided that such persons are otherwise eligible for membership in terms of these Articles.

3.2. Only recognised Stock Exchanges shall be Members of the Company. No other individual, firm, company or body of whatever form shall be eligible to become a Member of the Company.

3.3. Every Member, other than the first Members of the Company, will be admitted by passing a special resolution in the General Meeting of the Company on the recommendation of the Board of Directors of the Company.

3.4. The membership shall constitute a permission granted by the Company to the Member to exercise certain rights and privileges attached thereto subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

3.5. A Member shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of membership or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective against the Company for any purpose.

ELIGIBILITY FOR MEMBERSHIP

4. No Stock Exchange shall be eligible to be admitted as a Member of the Company unless it has agreed to:

4.1. establish Screen Based Trading and Computerised Settlement System in respect of its trading, clearing and settlement operations at the Stock Exchange,

4.2. establish a Bad Delivery Cell as specified by SEBI,

4.3. comply with the minimum base capital requirement as specified by SEBI and has established a capital adequacy monitoring system as specified by the Company,

4.4. provide in its Rules, Bye-Laws and Regulations, a risk management system as specified by the Company and SEBI,

4.5. establish and operate a Clearing House for clearing and settlement of business transacted at the Stock Exchange,

4.6. enforce payment of margins as specified by SEBI,

4.7. establish an effective market surveillance system,

4.8. establish and operate an arbitration mechanism for settlement of disputes as specified in these presents and the Rules, Bye-Laws and Regulations,

4.9. take a comprehensive insurance cover as specified by the Company for the business activities of its member brokers and the Clearing House,

4.10. establish and operate Investor Protection Fund and Investor Information Centre(s),

4.11. comply with the Rules, Bye-Laws, Regulations of the Company as may be specified from time to time,

4.12. amend, modify, alter, delete and or make additions to its Rules, Bye-Laws and Regulations as may be specified by the Company from time to time subject to approval by SEBI, and

4.13. comply with such other conditions as may imposed by the Company at the time of admission or any time thereafter.

ADMISSION OF MEMBERS

5.1. Every request for admission as Member shall be made in writing to the Board of Directors of the Company by the applicant Stock Exchange enclosing therewith a Board Resolution as specified by the Company. *

5.2. The Board of Directors shall consider the request and ensure that the applicant Stock Exchange satisfies all the conditions set out in these presents and such other conditions as may be specified from time to time and thereafter the Board shall forward the request with its recommendation for consideration of Members in the General Meeting. *

5.3. The Company in the General Meeting may after considering the request together with the recommendation of the Board of Directors, in its absolute discretion, admit a Stock Exchange as Member or reject its request without assigning any reason or admit the Stock Exchange as Member by imposing such other conditions as it may deem fit. *

5.4. The Stock Exchange elected for admission as a Member shall as a condition precedent to its admission*

5.4.1. pay the required admission fee, which for the time being is Rs.5.00 Lakhs (Rupees Five Lakhs Only).

5.4.2. pay the security deposit, infrastructure fees, connectivity fees, Settlement Stabilization Fund deposit, annual fees and deposits as may be specified by the Board of Directors from time to time.

5.4.3. comply with the terms, conditions and procedures regarding admission, as may be specified by the Board of the Company or SEBI from time to time.

5.4.4 comply with, in addition to the terms, conditions and requirements contained in these presents, such other terms and conditions as may be specified in respect of its admission by the Board of the Company or SEBI from time to time.

5.5. On admission of a Stock Exchange as a Member, intimation of the admission shall be sent to it as well as to all other Members.

5.6. Every Stock Exchange on admission to the membership shall be required to pay security deposit of such amount or such other deposit as may be specified by the Board of Directors from time to time.

5.7. The security deposit to be furnished by a Member shall be either in cash or by way of a deposit receipt or in such other form as may be specified by the Board of Directors from time to time.

5.8. Any additional deposit which may be required to be deposited by a Member under any of the provisions of the Rules, Bye-Laws and Regulations shall be deposited by it within such time and on such occasions as the Rules, Bye-Laws and Regulations may specify and any Member who fails to make such additional deposit shall on default be suspended from the privileges of membership. Any additional deposit shall be deemed to be part of the security deposit.

5.9. Every Member shall pay an annual subscription as may be fixed by the Board of Directors from time to time and for the time being the annual subscription shall be Rs. 50,000 for every Member. Such subscription shall be payable on or before the last working day of April of each year for which the subscription is due.

5.10. Save as otherwise provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, if a Member fails to pay annual subscription, fees, charges or other money which may be due from it within two months after notice in writing has been served upon it by the Company, the Member may be suspended by the Board of Directors until it makes payment and if within a further period of six months it fails to make such payment, it may be expelled by the Board of Directors.

REGISTER OF MEMBERS

6. A register of Members shall be maintained by the Board in which shall be entered the names of all Members together with their respective addresses and dates of their admission and the termination of membership by resignation, default and suspension or expulsion.

RIGHTS AND PRIVILEGES OF MEMBERS

7. Subject to the provisions of the Act, the Board may from time to time make such Rules, Bye-Laws and Regulations as to the manner in which the Members may exercise their rights and privileges as Members of the Company.

CESSATION OF MEMBERSHIP

8. A participating Stock Exchange shall cease to be a Member :

8.1. by resignation, from the date of acceptance thereof by the Board of Directors,

8.2. if a Member being a body corporate, a resolution is passed for its winding up and an Order for winding up is made by a Court of competent jurisdiction,

8.3. on failure to pay any dues to the Company within two months or such further extended period as may be allowed by the Board, after a notice in writing calling upon the Member to pay the dues is served on the Member,

8.4. if it ceases to be recognised under the SC(R) Act or the SEBI Act,

8.5. on expulsion in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company from the date of expulsion, and

8.6. on failure to comply with any of the eligibility conditions as specified in these presents or on failure to comply with the on-going requirements as may be specified by the Board from time to time.

RESIGNATION OF MEMBERS

9.1. A Member who intends to resign from the membership of the Company shall give a written notice to this effect to the Board.

9.2. The Board may specify such conditions and impose such terms as it may deem fit which may include but are not limited to the settlement of all present dues of such Member and its Traders against the Company and against other Members, Traders, Dealers and other Participants. Only on the satisfactory compliance by the Member of the specified conditions and terms, the Board may decide to call a General Meeting for consideration of this matter.

9.3. The Company in a General Meeting may accept the resignation of a Member by passing a special resolution from such date as it may decide and on such further terms and conditions as it may specify or may refuse to accept the resignation. The Company in the General Meeting may refuse to accept the resignation until it is satisfied that all outstanding dues and transactions of the Member and its Traders are settled and arrangements have been made to the satisfaction of the Company for all possible future claims and dues.

SUSPENSION OF A MEMBER

10.1. The Board may expel or suspend and/or censure and/or warn and/or withold any of the membership rights of a member, if he be guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Exchange and of any Resolutions, Order, Notices, Directions, or rulings of the Exchange or the Board or the Relevant Authority or Managing Director or Whole-time Director or any Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf or any conduct, proceedings or method of business which the Board in accordance with the Bye-Laws and Regulations in force from time to time deems dishonorable, disgraceful or unbecoming of a member of the Exchange or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interest, good name, or welfare of the Exchange or prejudicial or subversive to its objects and purpose.

PROVIDED THAT the Board when it has found a member guilty of such conduct or acts as will entitle the Board to expel him may, at its discretion, instead of expelling suspend him from all or any of the rights and privileges of a member for such period as the Board may deem fit or until the member has carried out or performed any lawful condition imposed by the Board in that behalf.

10.1.1 No resolution of the Board expelling or suspending a member shall be passed or voted upon until and unless the member has been given an opportunity to explain the charges against him. Such member may appear at such meeting or be represented by another member or state his case in writing addressed to the Chairman of the meeting who shall place it before the meeting.

10.1.2 Any such resolution of the Board for expelling or suspending a member shall be passed by a majority of not less than two-thirds of the members of the Board present subject to a minimum of four votes., fractions to be rounded off as one.

10.1.3 The Board may expel or suspend and/or fine and/or censure and/or warn a member or his attorney, agent or employee for any act, omission, which if done or omitted to be done by the member will subject him to such penalties.

10.1.4. A member shall be fully responsible for acts and omissions of his attorneys, agents, and employees and if any such act or omission be held by the Board to be one which if done or omitted to be done by the member will subject him to any of the penalties as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Exchange, then such member shall be liable therefor to the same penalty and to the same extent as if such act or omission has been done or omitted to be done by him personally.

10.1.5. A member shall appear, testify before and cause his attorneys, agents and employees to appear and testify before the Board or before a Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf and shall produce and cause to produce before the Board, Director or before a Committee or officer of the Exchange authorised in that behalf such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in his or their possession and which may be deemed relevant or material to any matter under enquiry or investigation or which the Board in its absolute discretion deems necessary in the interest of just and equitable principles of trade or in public interest and welfare of the Exchange and its members.

10.1.6. No person shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or any other representative in any investigation or hearing before the Board or any Committee unless the Board or Committee so permits.

10.1.7. The Board in its discretion may in any case suspend a member in lieu of the penalty or expulsion except in cases covered by these Articles or may withdraw all or any of the membership rights or impose a fine in lieu of penalty or suspension or expulsion and may direct that the guilty member be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

10.1.8. The Company in the General Meeting may of its own motion or on appeal by the member concerned reconsider and may rescind, revoke or modify the resolution withdrawing all or any of the membership rights of or fining, censuring or warning any member. In a like manner, the Board may rescind, revoke or modify its resolution expelling any member.

PROVIDED any such resolution of the Exchange in general meeting under clauses 10.1.7 and 10.1.8 hereof, shall be passed by a majority of not less than two-thirds of its members present, subject to a minimum of four votes, fractions to be rounded off as one.

PROVIDED FURTHER that where any expulsion, suspension or other penalty as aforesaid is imposed in accordance with the directions of SEBI, Government or other Authority issued in exercise of any powers conferred on them by the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or the Rules framed thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder then the Board shall not exercise the power to rescind or revoke or modify the same except with the previous sanction of the authorities concerned.

10.1.9 If a member fails to pay any fine or penalty imposed upon him within fourteen days after a notice in writing is served upon him by the Exchange, he may be suspended by the Board until he make payment and if within a further period of thirty days he fails to make such payments, he may be expelled by the Board.

CONSEQUENCES OF SUSPENSION

11. The suspension of a member shall have the following consequences, viz.;

11.1 The suspended member shall during the term of his suspension be deprived of and excluded from all the rights and privileges of membership including the right to attend or vote at any meeting of the Exchange but he may be proceeded against by the Board for any offense committed by him before or after the suspension and the Board shall not be debarred from taking cognizance of and adjudicating on or dealing with any claim made against him by any other member.

11.2 The suspension shall not effect the rights of the member who are creditors of the suspended members.

11.3 The suspended member shall be bound to fulfill all outstanding obligation at the time of his suspension.

11.4 All the Traders who are members of the suspended Participating Exchange shall forthwith be suspended as Traders of the Exchange.

11.5 The suspension shall create a vacancy in any office or position held by the member or any Trader who is a member of the suspended Participating Exchange.

CONSEQUENCES OF EXPULSION

12. The expulsion of a member shall have the following consequences, viz.;

12.1 The expelled member shall forfeit to the Exchange the rights of membership and all his rights and privileges as a member of the Exchange including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of the Exchange but any liability of any such member to the Exchange or to any one shall continue and remain unaffected by this expulsion.

12.2 All the Traders who are members of the expelled member shall forthwith be suspended as Traders of the Company.

12.3 The expulsion shall create a vacancy in the office or position held by the expelled member or any Trader who is a member of the expelled member.

12.4 The expulsion shall not affect the right of the members who are creditors of the expelled member.

12.5 The expelled member shall be bound to fulfill all obligations at the time of his expulsion.

ADDITIONAL SECURITY DEPOSIT

13.1 The Board or the Managing Director shall require member to pay any additional deposit that may be required from him under any Rules, Bye-Laws and Regulation of the Company or otherwise shall require a member to suspend his business when he fails to maintain or provide further security deposit as specified in the Rules, Bye-Laws and Regulations and the suspension shall continue until he pays the necessary amount by way of security deposit.

13.2 A member who is required to suspend his business under Article 13.1 shall be expelled by the Board if he acts in contravention of the provisions of these Rules.

NOTICE OF SUSPENSION OR EXPULSION

14.1 Notice shall be given to the member concerned and to the members in general of the expulsion or suspension of a member or of any other penalty imposed upon him or his attorneys, agents or other employees.

14.2 The Board may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit notify or cause to be notified to the members of the Company or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or ceased to be a member. No action or other proceedings shall in any circumstances be maintainable by such person against the Company or the Board or any other member of the Board or the Managing Director or any officer or employee of the Company for the publication or circulation of such notification.

CONSEQUENCES OF CESSATION OF MEMBERSHIP

15.1. A participating Stock Exchange ceasing to be a Member under any of the provisions of these presents shall forfeit all rights and privileges as a Member of the Company and claims upon the Company and its property and funds and all persons registered as Traders through such a Member shall forthwith cease to be Traders on the Company but the said Member and Traders shall nevertheless remain liable for and shall pay to the Company, Clients of the said Trader, Traders of other Members, Dealers and Participants all monies which at the time of its ceasing to be a Member may be due from it to the Company, Traders of other Members, Dealers and Participants.

15.2. A participating Stock Exchange ceasing to be a Member under these presents shall be eligible to be re-admitted as a Member any time thereafter by the Company in a General Meeting by passing a special resolution.

TRADERS

16.1. Only member brokers of the participating Stock Exchanges registered as Stock Broker with SEBI shall be eligible to be registered as Traders of the Company.

16.2. A person shall not be registered as a Trader except on recommendation in the specified manner by the participating Stock Exchange of which he is a member Broker.

16.3. A person shall be registered as a Trader in the manner specified in the Rules, Bye-Laws and Regulations as may be in force from time to time. Traders shall at all times abide by the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company as may be in force from time to time.

16.4. Registration of a person as a Trader shall constitute a permission granted by the Company to a Trader to exercise certain rights and privileges attached thereto subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. A Trader shall not have any right as a Member of the Company.

16.5. Traders will be registered by the Board. The Board may in its absolute discretion register a Trader or reject the application for registration as Trader without assigning any reason or may register a Trader by imposing such terms and conditions as it may deem fit.

16.6. A Trader may be suspended or expelled under such circumstances as are specified in and in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

16.7. A Trader shall be required to pay such admission fee, annual subscription and such other fees and deposits as may be specified by the Board from time to time.

16.8. A Trader shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his rights as a Trader or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective against the Company for any purpose.

DEALERS

17.1. Only such persons as are prescribed by the Board from time to time shall be eligible to be admitted as Dealers of the Company.

17.2. A Dealer may be registered by the Board. The Board may in its absolute discretion register a Dealer or reject the application for registration without assigning any reason or register a Dealer by imposing such terms and conditions as it may deem fit.

17.3. A person shall be registered as Dealer in the manner prescribed in the Rules, Bye-Laws and Regulations as may be in force from time to time. Dealers shall at all times abide by the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company as may be in force from time to time.

17.4. Registration of a person as a Dealer shall constitute a permission granted by the Company to it to exercise certain rights and privileges attached thereto subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. A Dealer shall not have any right as a Member of the Company.

17.5. A Dealer may be suspended or expelled under such circumstances as are specified in and in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

17.6. A Dealer shall be required to pay such admission, annual and such other fees and deposits as may be specified by the Board from time to time.

17.7. A Dealer shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his rights as a Dealer or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective against the Company for any purpose.

GENERAL MEETINGS

18.1. The Company shall, in addition to any other meetings, hold a General Meeting every year which shall be called as "Annual General Meeting" at the intervals and in accordance with the provisions specified below.

18.2. The Annual General Meeting of the Company, subsequent to the first Annual General Meeting, shall be held in each year in accordance with the provisions of the Act.

18.3. Every Annual General Meeting shall be called for a time during business hours, on a day that is not a public holiday, and shall be held either at the Registered Office of the Company or at some other place within the city where the Registered Office of the Company is situated and the notice calling the meeting shall specify it as an Annual General Meeting.

18.4. All General Meetings other than the Annual General Meetings shall be called Extra-ordinary General Meetings.

18.5. The Board may whenever it deems fit shall, either on its own volition or on the requisition of such number of Members of the Company as is hereinafter specified, forthwith proceed to call an Extra-ordinary General Meeting of the Company and in case of such requisition, the following provisions shall apply :

18.5.1. The requisition shall set out the matters for the consideration of which the meeting is to be called and shall be signed by the requisitionists and shall be deposited at the Registered Office of the Company.

18.5.2. The requisition may consist of several documents in like form, each signed by one or more requisitionists.

18.5.3. The number of Members of the Company entitled to requisition a meeting in regard to any matter shall be such number of them as hold at the date of deposit of the requisition, not less than one-third of the total membership of the Company as at that date carries the right of voting in regard to that matter.

18.5.4. Where two or more distinct matters are specified in the requisition, the provisions of Article 18.5.3 shall apply separately in regard to each such matter and the requisition shall accordingly be valid only in respect of those matters in regard to which the condition specified in the said Article is fulfilled.

18.5.5. If the Board does not, within twenty one days from the date of deposit of a valid requisition in regard to any matters, proceed duly to call a meeting for the consideration of those matters on a day not later than forty five days from the deposit of the requisition, the meeting may be called by such of the requisitionists as represent not less than one tenth of the total voting power as is referred to in Article 18.5.3 hereof.

18.5.6. A meeting called under Article 18.5.5 by the requisitionists or any of them :

a. shall be called in the same manner, as nearly as possible, as that in which the meetings are to be called by the Board, but

b. shall not be held after the expiration of three months from the date of the deposit of the requisition; provided that nothing contained in this Article shall be deemed to prevent a meeting duly commenced before the expiry of the period of three months aforesaid, from adjourning to some day after the expiry of that period;

18.5.7. Any reasonable expenses incurred by the requisitionists by reason of the failure of the Board to call a meeting shall be reimbursed to the requisitionists by the Company, and any sum so reimbursed shall be retained by the Company out of any sums due or to become due from the Company by way of fees or other remuneration for their services to such of the Directors as were in default.

18.6. A General Meeting of the Company may be called by giving not less than twenty one days' notice in writing;

18.7. A General Meeting may be called after giving shorter notice than that specified in Article 18.6 if consent is accorded thereto;

18.7.1. in the case of an Annual General Meeting by all the Members entitled to vote thereat, and

18.7.2. in the case of any other meeting by the Members of the Company holding not less than ninety five per cent of the total voting power exercisable at the meeting.

Provided that where any Member of the Company is entitled to vote only on some of the resolutions to be moved at a meeting and not on the others, such Member shall be taken into account for the purpose of this Article in respect of the former resolution(s) and not in respect of the latter

18.8. Every notice of a meeting of the Company shall specify the place and the day and the hour of the meeting, and shall contain a statement of business to be transacted thereat.

18.9. Notice of every meeting of the Company shall be given :

18.9.1. to every Member of the Company in any manner authorized by Section 53 of the Act;

18.9.2. to the Auditor or Auditors for the time being of the Company in any manner authorized by Section 53 of the Act.

18.10. The accidental omission to give notice to or the non-receipt of notice by, any Member or other person to whom it should be given shall not invalidate the proceedings at the meeting.

18.11. In the case of an Annual General Meeting, all business to be transacted at the meeting shall be deemed special, with the exception of business relating to :

18.11.1. the consideration of accounts, Balance Sheet and reports of the Board of Directors and Auditors,

18.11.2. the appointment of Directors in the place of those retiring, and

18.11.3. the appointment of and fixing the remuneration of the Auditors.

18.12. In the case of any other meeting, all business shall be deemed special.

18.13. Where any items of business to be transacted at the meeting are deemed to be special as aforesaid, there shall be annexed to the notice of meeting a statement setting out all material facts concerning each such item of business, including in particular, the nature of the concern or interest, if any, therein, of every Director and the Manager, if any;

Provided that where any item of special business as aforesaid to be transacted at a meeting of the Company relates to, or affects any other company, the extent of share-holding interest in that other company of every Director and the Manager, if any, of the Company shall also be set out in the statement, if the extent of such share-holding interest is not less than twenty percent of the paid-up capital of that other company.

18.14. Where any item of business consists of the according of approval to any document by the meeting, the time and place where the document can be inspected shall be specified in the statement aforesaid.

18.15. A resolution shall be an Ordinary Resolution when at a General Meeting of which the notice required under the Act has been duly given, the votes cast (whether on a show of hands, or on a poll, as the case may be), in favour of the resolution (including the casting vote, if any, of the Chairman) by Members who, being entitled to do so, vote in person, exceed the votes, if any, cast against the resolution by Members entitled to do so.

18.16. A resolution shall be a Special Resolution when :

18.16.1. the intention to propose the resolution as a Special Resolution has been duly specified in the notice calling the General Meeting or other intimation given to the Members of the special resolution,

18.16.2. the notice required under the Act has been duly given of the General Meeting; and

18.16.3. the votes cast in favour of the resolution (whether on show of hands, or on a poll, as the case may be), by Members who, being eligible to do so, vote in person, are not less than three times the number of votes, if any, cast against the resolution by Members so entitled.

18.17. Where, by any provisions contained in the Act or in these presents, Special Notice is required of any resolution, notice of the intention to move the resolution shall be given to the Company not less than fourteen days before the meeting at which it is to be moved, exclusive of the day on which the notice is served or deemed to be served and the day of the meeting.

18.18. The Company shall, immediately after the notice of the intention to move any such resolution has been received by it, give its Members notice of the resolution in the same manner as it gives notice of the meeting, or if that is not practicable, shall give them notice thereof, either by advertisement in a newspaper having an appropriate circulation or in any other mode allowed by these presents, not less than seven days before the meeting.

PROCEEDINGS AT GENERAL MEETING

19.1. Five Members personally present shall be a quorum for a General Meeting and no business shall be transacted at any General Meeting unless the requisite quorum be present at the commencement of the business.

19.2. No business shall be discussed at any General Meeting except the election of a Chairman whilst the chair is vacant.

19.3. The Chairman of the Board shall be entitled to take the chair at every General Meeting. If there be no Chairman or if at any meeting he is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding such meeting, or is unwilling to act as Chairman of the meeting and on default of his doing so, the Members present shall choose one of the Directors to take the chair and if no Director present be willing to take the chair, the Members present shall choose one of their number to be the Chairman of the meeting.

19.4. If within half an hour after the time appointed for holding of a General Meeting, a quorum be not present, the meeting if convened on the requisition of Members shall be dissolved and in any other case shall stand adjourned to the same day in the next week at the same time and place or to such other day and at such time and place as the Directors may determine. If at such adjourned meeting also, a quorum be not present within half an hour from the time appointed for holding the meeting, the Members present shall be a quorum and may transact the business for which the meeting was called.

19.5. The Chairman with the consent of Members present may adjourn any meeting from time to time and from place to place, but no business shall be transacted at any adjourned meeting other than business which might have been transacted at the meeting from which the adjournment took place. No notice of adjourned meeting shall be necessary to be given unless the meeting is adjourned for more than thirty days.

19.6. At any General Meeting a resolution put to vote shall be decided on a show of hands unless a poll is (before or on the declaration of the result on the show of hands) demanded in the manner hereinafter mentioned, and unless a poll is so demanded, a declaration by the Chairman that a resolution has, on a show of hands, been carried or carried unanimously or by a particular majority been passed or lost and an entry to that effect in the books of the proceedings of the Company shall be conclusive evidence of the fact without proof of the number or proportion of the votes recorded in favour of or against such resolution.

19.7. Before or on the declaration of the result or the voting on any resolution on a show of hands, a poll may be ordered to be taken by the Chairman of the meeting of his own motion, or shall be ordered to be taken by him on a demand made in that behalf by any Member or Members present in person and holding not less than one-tenth of the total voting power in respect of the resolution; or the demand for a poll may be withdrawn at any time by the person who made the demand.

19.8. If a poll is demanded on the election of a Chairman or on a question of adjournment, it shall be taken forthwith and without adjournment.

19.9. A poll demanded on any other question shall be taken at such time not being later than forty eight hours from the time when the demand was made, as the Chairman may direct.

19.10. Where a poll is to be taken, the Chairman of the meeting shall appoint two scrutineers to scrutinize the votes given on the poll and to report thereon to him.

19.11. The Chairman shall have power, at any time before the result of the poll is declared, to remove a scrutineer from office and to fill vacancies in the office of the scrutineer arising from such removal or for any other cause.

19.12. Of the two scrutineers appointed under Article 19.10, one shall always be a Member present at the meeting, provided that such a Member is available and willing to be appointed.

19.13. Subject to the provisions of the Act, the Chairman of the meeting shall have the power to regulate the manner in which a poll shall be taken.

19.14. The result of the poll shall be deemed to be the decision of the meeting on the resolution on which the poll was taken.

19.15. In the case of equality of votes, whether on a show of hands or on a poll, the Chairman of the meeting at which the show of hands takes place or at which a poll is demanded, shall be entitled to a casting vote in addition to his own vote or votes to which he may be entitled as a Member.

19.16. The demand for a poll shall not prevent the continuance of a meeting for the transaction of any business other than the question on which the poll has been demanded.

19.17. The Company shall cause Minutes of all proceedings of General Meetings to be entered in books kept for that purpose. The Minutes of each Meeting shall contain a fair and correct summary of the proceedings thereat. All the appointments of officers made at any of the meetings shall be included in the Minutes of the meeting. Any such minutes, if purported to be signed by the Chairman of the Meeting at which the proceedings took place or in the event of the death or inability of that Chairman by a Director duly authorized by the Board for the purpose, shall be evidence of the proceedings.

19.18. The books containing Minutes of the proceedings of General Meetings of the Company shall be kept at the Registered Office of the Company and shall be open to the inspection of any Member without charges for at least two hours each day during business hours on all working days.

19.19. Any Member shall be entitled to be furnished within seven days after he makes a request in that behalf to the Company with copy of any Minutes referred to above at such charges as may be specified by the Act.

19.20. Unless disqualified by any of the provisions of these presents or by the Act, a Member shall be entitled to vote at every General Meeting on a show of hands, and upon a poll every such Member present in person and entitled to vote shall have one vote.

19.21. Any representative of a Member duly authorized by a resolution of the Directors or the Governing Body of such Member in accordance with the provisions of Section 187 of the Act may vote on a show of hands as if he was a Member of the Company. The production at the Meeting of such resolution duly signed by the Executive Director of such Member or by a person duly authorized by its Governing Body and certified by him as being a true copy of the resolution shall be accepted by the Company as sufficient evidence of the validity of his appointment.

19.22. Votes may be given either personally or in case of a Corporation by a representative duly authorized as aforesaid.

19.23. No objection shall be made to the validity of any vote except at the meeting or poll at which such a vote shall be tendered, and every vote not disallowed at such meeting or poll, shall be deemed valid for all purposes of such meeting or poll whatsoever.

19.24. The Chairman of any meeting shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such meeting. The Chairman present at the taking of a poll shall be the sole judge of the validity of every vote tendered at such poll.

DIRECTORS

20.1. Unless otherwise determined by the Company in a General Meeting, the number of Directors shall not be less than nine or more than twenty including Nominee Directors of SEBI, Public Representatives, Member Directors, Managing Director and the Whole-time Director, but the number of Directors may be increased beyond twenty with the approval of the Central Government and SEBI. *

20.1.1. The ratio of Member Directors, SEBI Nominees and Public Representatives on the Board of the Company shall always be 50:50 *

20.2.The persons named hereinbelow are the first Directors of the Company :

Name		Nominee of
(1)	Shri P. C. Shrimal	Hyderabad Stock Exchange
(2)	Shri Pankaj J. Shah	Bangalore Stock Exchange
(3)	Shri Ashok Sardana	Bhubaneshwar Stock Exchange
(4)	Shri D. Balasundaram	Coimbatore Stock Exchange
(5)	Shri Govind Khandelwal	Madhya Pradesh Stock Exchange
(6)	Shri Vishnubhai I. Patel	Vadodara Stock Exchange
(7)	Shri Ashish M. Parikh	Mangalore Stock Exchange
(8)	Shri Ramswaroop Joshi	Gauhati Stock Exchange
(9)	Shri Deen Dayal Sarda	Uttar Pradesh Stock Exchange
(10)	Shri Joseph Massey	
(11)	Shri V. Shankar	

20.3. SEBI may from time to time nominate not more than three persons as Directors, referred to as "Nominee Directors" in the Articles, and the Nominee Directors shall not be subject to retirement by rotation or be removed from office except by SEBI. *

20.4. The Board shall, subject to the approval of SEBI, appoint not more than six persons who shall be called Public Representatives as Directors on the Board of the Company and one amongst them shall be appointed by the Board as the Chairman of the Company. Such Directors shall hold office until the next Annual General Meeting, or until new nominees are appointed after the Annual General Meeting, whichever is later, provided that they are eligible for appointment. Any vacancy caused by resignation, death or otherwise will be filled in the same manner. *

20.4.1 For the purpose of appointment of Public Representatives, the Board of Directors of the Company shall forward the names of nominees to SEBI, for approval. However, SEBI shall have the right to nominate persons other than those recommended by the Company. *

20.4.2 The Chairman of the Company shall be a person of eminence and possessing knowledge and expertise of the capital market. *

20.4.3 The Chairman shall not be a Member Broker of any Stock Exchange and shall also not be in full time employment. The position of the Chairman shall be non-executive position. *

20.4.4 The tenure of the Chairman shall be of such period as may be decided by the Board, subject to a maximum of three years, provided he continues to be a Public Representative during his tenure as the Chairman. *

20.5. Save and except the tenure of office, the Nominee Directors and Public Representatives shall be entitled to the same rights and privileges and be subject to the same obligations as any other Director of the Company.

20.6. The Chairman may assume and exercise such powers and functions and perform such duties as may be delegated to him by the Board from time to time in addition to the powers and functions as provided in the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. The Chairman shall represent the Company officially in all public matters. *

20.7. Not more than nine Directors shall be appointed on the Board by the Company in the General Meeting and such Directors shall be liable to retirement by rotation. Such Directors shall be called Member Directors.

20.8. Only a Trader of the Participating Exchange, as nominated by the Board of the Participating Exchange, shall be eligible to be appointed as a Member Director of the Company. The Trader so nominated by the Participating Exchange shall be eligible to be appointed on the Board only if the Trader satisfies the conditions specified in the Eligibility Criteria for Traders as approved by SEBI and he shall vacate office in such circumstances as may be specified by the Company or SEBI, from time to time.

Provided that the above provision is not applicable for a period of six months from the date of recognition of the Company by SEBI under Section 4 of SC(R) Act, 1956. *

20.9. Such a Member Director shall be deemed to be the nominee of the Participating Exchange of which he is a Trader.

20.10. The Board of the Participating Exchange shall have the right to substitute its nominee on the Board of the Company at any time during the tenure of the Member Director.

20.11. Subject to the provisions of the Act and the approval of SEBI, the Board may, from time to time, appoint or re-appoint a Managing Director and a Whole-time Director of the Company for such term not exceeding five years at a time and subject to such terms and conditions as the Board may think fit.

20.11.1 The appointment, terms and conditions of service, renewal of appointment and the termination of service of the Managing Director and Whole-time Director shall be subject to prior approval of SEBI. *

20.11.2 Besides the Board of Directors of the Company, it shall be the duty of the Managing Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provisions of Law, Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. Any failure in this regard will make the Managing Director liable for removal or termination of service by the Company with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI, subject to the Managing Director being given an opportunity for being heard against such termination. *

20.11.3 Subject to overall management of the affairs of the Company being vested in the Board as per Article 24 of the Articles of Association and Chapter II of the Rules:

(i) The Managing Director shall be vested with the executive powers of the Company to run the day to day administration and to enforce the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company and shall exercise such powers as are provided hereunder and as may be delegated or entrusted to him by the Board from time to time. *

(ii) In the absence of the Chairman, the Managing Director shall be vested with the powers, rights, duties and functions of the Chairman as provided in the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, save and except those contained in Articles 19.3, 19.5, 19.6, 19.7, 19.10, 19.11, 19.15, 19.24, 22.2 and 22.4. *

20.11.4 The Whole-time Director shall discharge all the functions, duties and responsibilities as may be delegated to him by the Board from time to time. In the absence of the Managing Director, it shall be the duty of the Whole-time Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provisions of Law, Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. Any failure in this regard will make the Whole-time Director liable for removal or termination of service by the Stock Exchange with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI, subject to the Whole-time Director being given an opportunity for being heard against such termination. *

20.11.5 In the absence of the Managing Director or due to his inability to act, his functions and powers shall be exercised by the Whole-time Director and in the absence of the Whole-time Director by the next senior officer of the Company, as may be authorized by the Board. *

20.11.6 In addition to the Chairman, the Managing Director and the Whole-time Director of the Company shall also represent the Company officially in all public matters. *

20.12. Subject to the provisions of the Act, the Managing Director and / or the Whole-time Director shall not, whilst he continues to hold that office, be subject to retirement but shall be subject to the same provisions as to the resignation and removal as the other Directors of the Company and shall ipso facto and immediately cease to be Managing Director or Whole-time Director if he ceases to hold the office of a Director for any cause.

20.13. Subject to the provisions of the Act, the Board may, from time to time, entrust and confer upon the Managing Director and/or the Whole-time Director for the time being such of the powers exercisable by them upon such terms and conditions and with such restrictions as they may think fit either collaterally with or to the exclusions of their power and from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any such powers.

20.14. Subject to Section 313 of the Act, the Board of Directors may appoint an Alternate Director to act for a Director (hereinafter in these Articles called "the original Director") at his suggestion or otherwise, during his absence for a period of not less than three months from India.

20.15. An Alternate Director appointed under Article 20.14 shall not hold office for a period longer than permissible to the original Director in whose place he has been appointed and shall vacate office if and when the original Director returns to India.

20.16. If the term of office of the original Director is determined before he so returns to India, any provision for the automatic re-appointment of the retiring Directors in default of another appointment shall apply to the original Director and not to the Alternate Director.

20.17. The remuneration payable to the Managing Director and/or Whole-time Director, subject to the applicable provisions of the Act and of these Articles and of any contract between him and the Company, be fixed by the Company in the General Meeting from time to time and the same may be by way of fixed salary and/or perquisites or by any mode not expressly prohibited by the Act. The Managing Director and/or Whole-time Director shall not be entitled to any sitting fees.

20.18. A Director may receive remuneration by way of a fee for each meeting of the Board or a Committee thereof attended by him as may be decided by the Board, subject to the maximum specified under the Act. A Director may be reimbursed the actual expenses incurred by him in attending the Board/ Committee meetings or for carrying out any work of the Company.

20.19. The Directors shall have the power at any time and from time to time to appoint, subject to the provisions of these presents, any person as a Director to fill a casual vacancy on the Board so that the total number shall not at any time exceed the maximum number fixed as above and any Director so appointed to fill a casual vacancy shall hold office only up to the date up to which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated.

20.20. Subject to the provisions of the Act, the continuing Directors may act notwithstanding any vacancy in their body. If the number of the continuing Directors falls below the minimum number fixed, the Directors shall not except in emergencies or for the purpose of filling up vacancies or for summoning a General Meeting of the Company, act so long as the number is below the minimum and they may so act, notwithstanding the absence of a necessary quorum under the provisions of these Articles.

20.21. Subject to the provision of Section 283(2) of the Act, the office of a Director shall become vacant if,

a. he is fcund to be of unsound mind by a Court of competent jurisdiction;

b. he applies to be adjudicated an insolvent;

c. he is adjudged an insolvent;

d. he is convicted by a court of any offense involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months;

e. he absents himself from three consecutive meetings of the Board or from all meetings of the Board for a continuous period of three months, whichever is longer, without leave of absence from the Board of Directors;

f. he (whether by himself or by any person for his benefit or on his account) or any firm in which he is a partner or any private Company of which he is a director accepts a loan or guarantee or security for a loan from the Company in contravention of Section 295 of the Act;

g.. he acts in contravention of Section 299 of the Act;

h. he becomes disqualified by an order of the court under Section 203 of the Act;

i. he is removed in pursuance of Section 284 of the Act by an Ordinary Resolution of the Company before the expiry of his period of office;

j. he resigns from office by notice in writing addressed to the Company or to the Board;

k. he, his relative or partner of any firm in which he or his relative is a partner or any private Company of which he is a director or Member holds any office of profit under the Company, or any subsidiary hereof in contravention of Section 314 of the Act;

l. having being appointed a Director by virtue of his holding any office or other employment in the Company, he ceases to hold such office or other employment in the Company;

m. the Participating Exchange nominating him as a Director is suspended or expelled or ceases to be a Member of the Company;

n. he is suspended, expelled or declared defaulter by the Company or Participating Exchange; or

o. if any disciplinary or other proceedings have been concluded against him by the Company or Participating Exchange in which he has been found guilty.

20.22. Notwithstanding anything contained in Articles (20.21.a), (20.21.c) and (20.21.h) the disqualifications referred to in those clauses shall not take effect :

20.22.1 for thirty days from the date of adjudication or sentence or order or

20.22.3 where any appeal or petition is preferred within the thirty days aforesaid against the adjudication, sentence or order resulting in the sentence or conviction, until the expiry of seven days from the date on which such appeal or petition is disposed off; or

20.22.3 where within the seven days aforesaid any further appeal or petition is preferred in respect of the adjudication, sentence, or order and the appeal or petition, if allowed, will result in the removal of the disqualification, until such further appeal or petition is disposed of.

ROTATION OF DIRECTORS

21.1. At every Annual General Meeting of the Company other than the first Annual General Meeting, one-third of such of the Directors for the time being as are liable to retire by rotation or if their number is less than three, or if not in a multiple of three then the number nearest to one-third, shall retire from office.

21.2. The Directors to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in office since their last appointment, but as between persons who became Directors on the same day, those who are to retire shall in default of and subject to any agreement among themselves be determined by lot.

21.3. The right of nominating a Member Director to the Board shall accrue to a Participating Exchange on a rotational basis subject to the following conditions :

21.3.1. since the number of Member Directors on the Board of the Company will be less than the number of Members of the Company, the right of nominating a Member Director by a Participating Exchange will be strictly in the order of priority which is determined on the basis of the dates on which the Participating Exchanges are admitted to the Company.

21.3.2. in case more than one Participating Exchange is admitted as a Member of the Company on the same day, then their order of admission will be determined by mutual consent, failing which by lot at the time of admission itself.

21.4. In case of a casual vacancy arising in the Board of the Company as a result of suspension or expulsion of the Participating Exchange, such vacancy shall be filled up by the Board from any of the Participating Exchanges not having a nominee on the Board and such an appointee shall hold office only upto the date upto which the Director in whose place he is appointed would have held office had it not been vacated. However, such appointment shall not affect the right of the Member Exchange filling the said casual vacancy to appoint its nominee to the Board in the ordinary course.

21.5. Any suspension or expulsion of a Participating Exchange shall not affect its order of priority for nominating a Member Director in the ordinary course, provided in the meanwhile, it has been re-admitted as a Member of the Company.

21.6. At every Annual General Meeting of the Company, a motion shall not be made for the appointment of two or more persons as Directors of the Company by a single resolution, unless a resolution that it shall be so made has first been agreed to by the meeting without any vote being given against it.

21.7. A resolution moved in contravention of Article 21.6 of this Article shall be void, whether or not objection was taken at the time to this being so moved; provided that where a resolution so moved is passed, no provision for the automatic re-appointment of retiring Directors in default of another appointment shall apply;

21.8. For the purpose of this Article, a motion for approving a person's appointment or for nominating a person for appointment shall be treated as motion for his appointment.

21.9. The Company may by an Ordinary Resolution remove a Director (not being a Public Representative or appointment by the Central Government and/or SEBI or a Director appointed by the Government under Section 408 of the Act) before the expiry of his period of office.

21.10. Special notice shall be required of any resolution to remove a Director under Article 21.9 or to appoint somebody instead of a Director so removed at the meeting at which he is removed.

21.11. On receipt of notice of a resolution to remove a Director under Article 21.10, the Company shall forthwith send a copy thereof to the Director and the Participating Exchange concerned and the said Director shall be entitled to be heard on the resolution at the meeting.

21.12. Where notice is given of a resolution to remove a Director under Article 21.11 and the Director concerned makes with respect thereto representations in writing to the Company (not exceeding a reasonable length) and requests their notification to Members of the Company, the Company shall, unless the representations are received by it too late for it to do so :

21.12.1. in any notice of the resolution given to Members of the Company, state the fact of the representations having been made, and

21.12.2. send a copy of the representations to every Member of the Company to whom notice of the meeting is sent (whether before or after receipt of the representations by the Company) and if a copy of the representations is not sent as aforesaid because they were received too late or because of the Company's default, the said Director may (without prejudice to his right to be heard orally) require that the representations shall be read out at the meeting provided that, copies of the representations need not be sent out and the representations need not be read out at the meeting, if on the application either of the Company or any other person who claims to be aggrieved, the Court is satisfied that the rights conferred by this clause are being abused to secure needless publicity for defamatory matter.

21.13. A vacancy created by the removal of such a Director under this Article may if he had been appointed by the Company in the General Meeting or by the Board be filled up by the appointment of another Director in his stead by the meeting at which he is removed, provided Special notice of the intended appointment has been given under Article 21.10. A Director so appointed shall hold office until the date up to which his predecessor would have held office if he had not been removed as aforesaid.

21.14. If the vacancy is not filled under Article 21.13, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions of these presents.

21.15. The Company shall send an intimation to the eligible Participating Exchanges about their right to propose their respective nominees to be appointed as Member Directors on the Board of the Company.

21.16. Such intimation shall be sent by the Company to the Participating Exchanges at least 90 days before the next Annual General Meeting.

21.17. The Participating Exchanges shall intimate in writing the names of their respective nominees within 21 days of the receipt of the intimation to this effect from the Company.

21.18. A writing or notice under this Article shall be deemed to have been given only if it is signed by a Director of such Participating Exchange and is accompanied by a certified copy of the resolution passed by the Board of such Participating Exchange.

21.19. In case a Participating Exchange fails to intimate the name of its proposed nominee for appointment on the Board, the Board shall have the power to nominate any one of the Office Bearers of the Participating Exchange next eligible in the order of priority

PROCEEDINGS OF THE BOARD

22.1. The Directors may meet together for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate their meetings and proceedings as they think fit provided however that a meeting of the Board shall be held at least once in every three months and at least four such meetings shall be held in every year.

22.2. All meetings of the Board shall be presided over by the Chairman, if present, but if at any meeting of the Directors, the Chairman be not present at the time appointed for holding the same, then and in that case the Directors shall choose one of the Directors then present to preside at the meeting.

22.3. The Chairman may at any time and the Managing Director or such other Officer of the Company as may be authorized by the Directors shall convene a meeting of the Directors.

22.4. Questions arising at any meeting shall be decided by a majority of votes, and in case of an equality of votes, the Chairman of the meeting (whether the Chairman appointed by virtue of these presents or the Director presiding at such meeting) shall have a second or casting vote.

22.5. The quorum for a meeting of the Board of Directors shall be one-third of its total strength (any fraction contained in that one-third being rounded off as one) or three Directors whichever is higher, provided that when at any meeting the number of interested Directors exceeds or is equal to two-third of the total strength, the Directors who are not interested present at the meeting being not less than three shall be the quorum during such time and provided further that the aforesaid proviso shall not be applicable when any contract or arrangement is entered into by or on behalf of the Company with a Director or with any firm of which such a Director is a Partner or with any private Company of which such a Director is a director or " Dominant Shareholder", for the purchase or sale of shares or debentures of any other Company or a loan by the Company.

[*For the purpose of this Article :-*

(i) "total strength" means the total strength of the Directors of the Company as determined in pursuance of the Act after deducting therefrom the number of the Directors, if any, whose place may be vacant at the time.

(ii) "interested Director" means any Director whose presence cannot by reason of Section 300 of the Act or for such other reasons as may be specified by the Board count for the purpose of forming a quorum at a meeting of the Board at the time of the discussion or vote on any matter.]

22.6. If a meeting of the Board could not be held for want of quorum then, unless the Directors present at the meeting otherwise decide, the meeting shall automatically stand adjourned till the same day in the next week at the same time and place, or if that day is a public holiday till the next succeeding day which is not a public holiday at the same time and place;

22.7. Every Director of the Company who is in any way, whether directly or indirectly, concerned or interested in a contract or arrangement or proposed contract or arrangement entered into or to be entered into, by or on behalf of the Company, shall disclose the nature of his concern or interest at a meeting of the Board of Directors.

22.7.1. In the case of a proposed contract or arrangement the disclosure required to be made by a Director under Article 22.6 shall be made at the meeting of the Board at which the question of entering into the contract or arrangement is first taken into consideration or if the Director was not at the date of that meeting concerned or interested in the proposed contract or arrangement at the first meeting of the Board held after he becomes so concerned or interested.

22.7.2. In the case of any other contract or arrangement, the required disclosure shall be made at the first meeting of the Board held after the Director becomes concerned or interested in the contract or arrangement.

22.7.3. For the purpose of Articles 22.7, 22.7.1 and 22.7.2, a general notice given to the Board by a Director, to the effect that he is a director or a Member of a specified body corporate or is a Partner of a specified firm and is to be regarded as concerned or interested in any contract or arrangement which may after the date of the notice, be entered into with that body corporate or firm, shall be deemed to be a sufficient disclosure of concern or interest to any contract or arrangement so made.

22.7.4. No such general notice and no renewals thereof shall be of effect unless either it is given at a meeting of the Board or the Director concerned takes reasonable steps to secure that it is brought up and read at the first meeting of the Board after it is given.

22.8. Nothing in Articles 22.7 to 22.7.4 be taken to prejudice the operation of any rule of law restricting a Director of the Company from having any concern or interest in any contracts or arrangements with the Company.

22.9. Nothing in Articles 22.7 to 22.7.4 shall apply to any contract or arrangement entered into or to be entered into between the Company and any other Company where any of the Directors of the Company or two or more of them together holds or hold not more than two percent of the paid-up share capital in the other Company.

22.10. The provisions of Articles 22.7 to 22.9 shall mutatis mutandis apply to a Member of the Executive Committee who shall disclose the nature of his interest at the meeting of the Executive Committee.

22.11. No Director of the Company shall, as a Director, take any part in the discussion of, or vote on, any contract or arrangement entered into, or to be entered into, by or on behalf of the Company, if he is in anyway, whether directly or indirectly, concerned or interested in the contract or arrangement, nor shall his presence count for the purpose of forming a quorum at the time of any such discussion or vote, and if he does vote, his vote shall be void.

22.12. Article 22.11 shall not apply to:

22.12.1. any contract of indemnity against any loss which the Directors or any one or more of them may suffer by reason of becoming or being surety or sureties for the Company;

22.12.2. any contract or arrangement entered into or to be entered into with a public company, or a private company, which is a subsidiary of a public company, in which the interest of the Director aforesaid consists solely:

22.12.2.1 in his being a director, of such company and the holder of not more than such number of shares or value therein as is requisite to qualify him for appointment as a director by the company, or

22.12.2.2 in his being a Member holding not more than two per cent of the paid-up share capital of such other company.

22.13. A Director may become a director of any company promoted by the Company or in which the Company may be interested as a vendor, Member or otherwise and subject to the provisions of the Act and these presents no such director shall be accountable for any benefits received as director or Member of such company.

22.14. The Board may subject to the provisions of the Act delegate any of their powers to committees consisting of such Member or Members of their body or person or persons as they think fit, and they may from time to time revoke such delegation. Any committee so formed shall in the exercise of the powers so delegated to it conform to any Rules and Regulations that may from time to time be imposed on it by the Board.

22.15. The meetings and proceedings of any such committee shall be governed by the provisions of these presents and the Rules and Regulations made for regulating the meetings and proceedings of the Directors so far as the same are applicable thereto and are not superseded by any Rules and Regulations made by the Board under the last preceding Article.

22.16. All acts done at any meeting of the Board or a committee thereof or by any person acting as a Director, if it is afterwards discovered that the appointment of any one or more of such Directors or of any person acting as aforesaid was invalid by reason of defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act or in these Articles provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the Company to be invalid or to have been terminated.

22.17. Acts done by a person as a Director shall be valid, notwithstanding that it may afterwards be discovered that his appointment was invalid by reason of any defect or disqualification or had terminated by virtue of any provision contained in the Act or in this Articles.

Provided that nothing in this Article shall be deemed to give validity to acts done by a Director after his appointment has been shown to the Company to be invalid or to have terminated.

22.18. No resolution shall be deemed to have been duly passed by the Board or by a Committee thereof by circulation unless the resolution has been circulated in draft together with the necessary papers, if any, to all the Directors or to all the Members of the Committee then in India (not being less in number than the quorum fixed for a meeting of a Board or Committee as the case may be) and to all other Directors or Members at their usual address in India and has been approved by such of the Directors as are then in India or by majority of such of them as are entitled to vote on the resolution.

MINUTES OF PROCEEDINGS OF THE BOARD AND THE COMMITTEES

23.1. The Company shall cause Minutes of meetings of the Board of Directors and of all Committees of the Board to be duly entered in a book or books provided for that purpose.

23.2. Any Minutes of any meeting of the Board or of any Committee of the Board if purporting to be dated and signed by the Chairman of such meeting or by the Chairman of the next succeeding meeting in accordance with the provisions of Section 193 of the Act, shall for all purposes, whatsoever, be evidence of the actual passing of the resolution and the actual and regular transaction or occurrence of the proceeding so recorded and of the regularity of the meeting at which the same shall appear to have taken place

23.3. The Minutes shall contain :

a. a fair and correct summary of the proceedings at the meeting;

b. the names of the Directors present at the meeting of the Board of Directors or of any Committee of the Board;

c. all orders made by the Board and Committee of the Board and all appointments of Officers and Committees of Directors;

d. all resolutions and proceedings of meetings of the Board and the Committees of the Board; and

e. in the case of each resolution passed at a meeting of the Board or Committee of the Board, the names of the Directors, if any, dissenting from, or not concurring in, the resolution;

23.4. A copy of the Minutes of every meeting of the Board and of the Executive Committee shall be sent to every Member after the same are confirmed by the Board or the Executive Committee, as the case may be.

POWERS OF BOARD

24.1 The Directors shall comply with the provisions of Sections 295, 297, 299, 303, 305, 307 and 308 of the Act to the extent applicable.

24.2. Subject to the provisions of the Act and these presents, the business and affairs of the Company shall be managed by the Board which may exercise all such powers and do all such acts and things as the Company is, by its Memorandum of Association or otherwise authorized to exercise and do, and are not by these presents or by statute directed or required to be exercised or done by the Company in General Meeting, but subject nevertheless to the provisions of the Act and of the Memorandum of Association and these presents and to any Regulations not being inconsistent with the Memorandum from time to time made by the Company in General Meeting, provided that no such regulation shall invalidate any prior act of Directors which would have been valid had such regulation not been made.

24.3 The Board shall not except with the consent of the Company in the General Meeting :

24.3.1. sell, lease or otherwise dispose of the whole, or substantially the whole of the undertaking of the Company, or where the Company owns more than one undertaking, of the whole, or substantially the whole of any such undertaking.

24.3.2. remit or give time for the re-payment of, any debt due by a Director.

24.3.3. invest, otherwise than in trust securities, the compensation received by the Company in respect of the compulsory acquisition of any such undertaking as is referred to in Article 24.3.1, or of any premises or properties used for any such undertaking and without which it cannot be carried on or can be carried on only with difficulty or only after a considerable time.

24.3.4. borrow monies where the moneys to be borrowed together with the money already borrowed by the Company (apart from temporary loans obtained from the Company's bankers in the ordinary course of business) will exceed the aggregate of the paid up capital of the Company and its free reserves, that is to say reserves not set apart for any specific purpose.

24.3.5. contribute to charitable and other funds not directly relating to the business of the Company or the welfare of its employees, any amounts the aggregate of which all, in any financial year, exceed Rs. 50,000/-, or five percent of its average net profits as determined in accordance with the provisions of Sections 349 and 350 of the Act during the three financial years immediately preceding, whichever is greater.

24.4. The Board, subject to the provisions of the SC (R) Act, the SEBI Act and the Rules, Regulations and Guidelines framed and the directives issued thereunder, shall frame, amend, alter and modify Rules, Bye-Laws and Regulations, and codes of conduct for Members, Traders, Dealers and other Participants using the services and facilities provided by the Company. *

Provided that the power under this clause shall be exercised only by a three fourths majority of the directors present and voting at a duly convened meeting of the Board.

24.5. The Board shall have power to organize, maintain, control, manage and regulate the facilities and operations of the Company by Members, Traders and Dealers and other Participants of the Company subject to the provisions of the Rules, Bye-Laws and Regulations and the SC(R) Act, the SEBI Act and the Rules, Regulations and Guidelines framed and the directives issued thereunder, from time to time. *

24.6. Subject to the provisions of these presents and the SC(R) Act, the SEBI Act and the Rules, Regulations and Guidelines framed and the directives issued thereunder from time to time, the Board shall have power and the authority to make, amend, vary, add or repeal the Rules, Bye-Laws, and Regulations from time to time, for any or all matters relating to the conduct of the business of the Company, the business and transactions of Members, Traders, Dealers and other Participants and to control and regulate all such transactions and do such acts and things which are necessary for the purposes of the Company.

Provided that for the purpose of making, amending, varying, adding or repealing any Rule or Bye-Law, a special resolution shall be passed by a majority of at-least two-thirds of the votes cast in its favour at the meeting of the Board of Directors and for the purpose of making, amending, varying, adding or repealing any Regulation, an ordinary resolution approved by a majority of the votes cast in its favour shall be required. *

24.7. Without prejudice to the generality of the foregoing and subject to the provisions of this Article, the Board shall have power to make Rules, Bye-Laws, and Regulations, among other purposes, for all or any of the following matters :

24.7.1. admission to membership of the Company;

24.7.2. registration of Traders of the Company;

24.7.3. registration of Dealers of the Company;

24.7.4. registration of Participants of the Company;

24.7.5. conduct of business of the Company;

24.7.6. expulsion, suspension and default of Traders, Dealers and Participants;

24.7.7. expulsion, and suspension of Members;

24.7.8. conduct of Members, Traders, Dealers, and other Participants with regard to the business of the Company, including all matters related to all transactions in securities of all kinds and all contracts, which have been made subject to Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company;

24.7.9. form and conditions of contracts to be entered into, and the time, mode and manner of performance of contracts to be executed by Traders and Dealers with other Traders and Dealers and by Traders and Dealers with their clients;

24.7.9.1. conditions and fee or subscription for admission to or continuance of membership and conditions and fee for registration and continuance of registration as Traders and Dealers by the Company;

24.7.9.2. conditions, fee, etc. for registration of and continuance of registration of Participants of the Company;

24.7.10. time, place and manner for transacting business through the Company;

24.7.11. penalties for disobedience or contravention of the Rules, Bye-Laws and Regulations or of the general discipline of the Company, including expulsion or suspension of the Members, Traders, Dealers and Participants;

24.7.12. declaration of any Member, Trader, Dealer or other Participant as defaulter or to suspend or remove or exclude him from the rights and privileges of the Company;

24.7.13 scale of commission or brokerage which Traders and Dealers can charge;

24.7.14. charges payable by Members, Traders and Dealers for transactions through the Company as may be laid down from time to time;

24.7.15. investigations into the financial condition, business conduct and dealings of Members, Traders, Dealers and other Participants;

24.7.16. settlement of disputes, complaints and claims arising between Members inter-se, between Traders inter-se, between Dealers inter-se, between Traders and Dealers as well as between Traders, Dealers and their clients relating to any transactions in securities made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations and usage of the Company including settlement thereof by arbitration in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations and usage of the Company in force from time to time;

24.7.17. establishment and functioning of Clearing Houses, Clearing Banks or other arrangements for clearing;

24.7.18. appointment of Committee or Committees for any purpose of the Company;

24.7.19. establishment of Settlement Guarantee Fund by the Company;

24.7.20. establishment of Investor Protection Fund by the Company;

24.7.21. establishment of Investor Information Centres by the Company;

24.8. The Board may delegate to the Executive Committee(s) or to any person or persons, all or any of the powers vested in it, to manage all or any of the affairs of the Company.

24.9. The Board or Company may expel or withdraw all or any of the rights of a Member, Trader, Dealer or a Participant, or levy fine on or censure, reprimand or warn any Member, Trader, Dealer or a Participant, if the Board or the Company finds that it is guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Company or any Committee, Managing Director or Officer of the Company authorized in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the Company deems dishonorable, disgraceful or unbecoming of a Member, Trader, Dealer or Participant or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of the Company or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

24.10 No resolution of the Board or Company expelling or suspending a Member, Trader, Dealer or a Participant shall be passed or voted upon until and unless the Member, Trader or Dealer or a Participant has been given an opportunity to explain the charges against him. Such a Member, Trader, Dealer or Participant may appear at such meeting or be represented or state his case in writing addressed to the Chairman of the meeting who shall place it before the meeting.

EXECUTIVE COMMITTEE

25.1. The Board shall constitute and empower one or more Executive Committee(s) to manage the whole or part of the affairs of ICMS. The Board shall make such Rules for the constitution and manner of working of the Executive Committee(s) as it may deem fit.

25.2. The Executive Committee constituted by the Board of the Company shall consist of:

(a) Managing Director of the Company

(b) Whole-time Director of the Company

(c) Not more than one person who shall be nominated by the SEBI.

(d) Not more than five persons of eminence from the fields of technology, legal and finance, or any other discipline and to be known as 'Public Representatives' as may be nominated by the Board of the Company. *

(e) Not more than four persons from among Traders, Dealers and Executive Directors of the Participating Stock Exchanges as may be nominated by the Board as per Rules laid down in this regard. The maximum strength of each Executive Committee shall be Twelve. *

25.3. The Managing Director of the Company shall be the Chairman of the Executive Committee.

25.4. The Board may give such directives from time to time in relation to the conduct of the affairs of the Company and such directives shall be binding upon the Executive Committee. If at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in the public interest to do so, it may supersede and/or dissolve the Executive Committee and appoint and reconstitute a new Executive Committee with such powers and on such terms as the Board may in its absolute discretion think fit.

25.5. The Executive Committee may subject to the terms and conditions of delegation by the Board and to the extent of such delegation exercise all such powers and do all such acts and things as may be exercised or done by the Board.

OTHER COMMITTEES AND PANELS

26.1. The Board shall, in addition to the Executive Committee, have powers to constitute, as per the provisions of the SC(R) Act, the SEBI Act, the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Rules, Regulations, Guidelines framed and directives issued thereunder from time to time, an Arbitration Panel, a Disciplinary Action Committee and a Defaults Committee. Each of these Committees shall be constituted in the form and manner as specified by SEBI and as stated in these presents and shall exercise such powers and functions in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, Rules, Bye-Laws and Regulations as may be framed by the Board of Directors from time to time in that behalf. The Managing Director and Whole-time Director shall be Ex-Officio members of each of the Committees constituted by the Board of the Company. *

26.2. The Board may constitute any other Committee or Committees for any of the purposes of the business of the Company.

ARBITRATION PANELS AND COMMITTEES

27.1. The Company shall constitute a Panel of Arbitrators at Mumbai/Navi Mumbai called the Central Arbitration Panel consisting of not less than 10 (ten) panel members, 40% (forty percent) of whom shall be drawn from the Traders/Dealers of the Company and 60% (sixty percent) shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and who shall not be Member Brokers of any Stock Exchange. *

27.1.1. Further, the Board of the Company may increase the number of Arbitrators on the Central Arbitration Panel from time to time, having regard to the number of cases submitted for arbitration and such increased size of the Central Arbitration Panel shall not violate the ratio of 40:60 between the Traders/Dealers and others. *

27.1.2. For the purpose of nominating Public Representatives on the Central Arbitration Panel, the Board of Directors of the Company shall forward the names of persons to SEBI for approval within one month of every Annual General Meeting. SEBI shall, however, have the right to nominate persons other than those recommended by the Company. Further, the Managing Director and Whole-time Director will be Ex-Officio Members of the Central Arbitration Panel. *

27.2. The Board shall similarly constitute a Regional Arbitration Panel consisting of not less than 10 (ten) panel members at each Participating Exchange, 40% (forty percent) of whom shall be drawn from Traders/Dealers of the Company and the remaining 60% (sixty percent) shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and shall not be member brokers of any Stock Exchange. *

27.2.1. Further, the Board of the Company may increase the number of Arbitrators on the Regional Arbitration Panel from time to time, having regard to the number of cases submitted for arbitration and such increased size of the Regional Arbitration Panel shall not violate the ratio of 40:60 between the Traders/Dealers and others. *

27.2.2. For the purpose of nominating Public Representatives on the Regional Arbitration Panel, the Board of Directors of the Company shall forward the names of persons to SEBI for approval within one month of every Annual General Meeting. SEBI shall, however, have the right to nominate persons other than those recommended by the Company. The Executive Director of the respective Participating Exchange will be an Ex-Officio Member of the Regional Arbitration Panel. *

27.3. The Central Arbitration Panel will have jurisdiction in respect of all claims and disputes between Traders inter-se where the complainants and respondents are from different Participating Exchanges, between Dealers inter-se and between Traders and Dealers arising out of or in a relation to any dealings, transactions or contracts made through this Company, which shall be subject to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. *

27.4. The Regional Arbitration Panel will have jurisdiction in respect of all claims and disputes between Traders inter-se where the complainants and respondents are from the same Participating Exchange, between Traders and Non-traders (the term Non-traders shall mean clients, remisiers, authorised clerks and employees of the concerned Traders) arising out of or in relation to any dealings, transactions or contracts made through this Company, which shall be subject to the provisions of the Arbitration and Conciliation Act,1996 and the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. *

27.5. The tenure of the Central as well as the Regional Arbitration Panels shall be 1 (one) year. The panel members will be nominated by the Board of the Company and will hold office until the next Annual General Meeting or until new nominees are appointed after the Annual General Meeting, whichever is later. Any vacancy caused by resignation, death or otherwise shall be filled in the same manner. All retiring members of the Central as well as the Regional Arbitration Panels shall be eligible for re-appointment. *

27.6 The arbitration process shall be conducted as provided under the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, subject to the Arbitration and Conciliation Act, 1996. *

27.6.1. Where one party has appointed an Arbitrator and the other party fails to give his consent to such appointment or to appoint his own Arbitrator, the Managing Director, and in his absence the Whole-time Director, shall appoint the Arbitrator for the party in default. *

27.7. An application for arbitration will be considered only if it is made in the specified form and manner. *

27.8. The Arbitrators appointed for a particular case, called the Arbitral Tribunal, may with the agreement of the parties, use mediation, conciliation or other procedure at any time during the Arbitral proceedings to encourage settlement. In case during the proceedings, parties settle their dispute, then the Arbitral Tribunal shall terminate the proceedings and record the settlement in the form of an Arbitral Award on the substance of the dispute. *

27.9. Subject to the provision of appeal as provided in Article 27.10 and Chapter VIII of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, an arbitral award shall be final and binding on the parties and persons claiming under these provisions respectively. The award shall be enforceable under the Code of Civil Procedure, 1908, in the same manner as if it were a decree of the court. *

27.10. The party dissatisfied with the award of the Arbitral Tribunal may appeal to the Board of the Company against such award within such period of the receipt of the award by him and in such manner as may be specified by the Board. The party appealing to the Board should state in writing his objection to the award of the Arbitral Tribunal and shall unless exempted in whole or in part by the Board/Managing Director, deposit with the Company in cash the full amount ordered to be paid or the securities to be delivered or the value at the ruling market price of the securities ordered to be delivered in the award. The party placing the deposit shall be deemed to have agreed that such deposit may be handed over by the Company to the other party in accordance with the terms of the decision in appeal. The appeal made to the Board shall have the certificate indicating that the deposit has been kept with the Company. The award of the Board of the Company shall be deemed final and binding on the parties to the appeal subject to Chapter VIII of the Arbitration and Conciliation Act, 1996. *

27.11. The award of the Arbitral Tribunal shall be in writing and shall be signed by the member(s) of the Arbitral Tribunal and the signed copies shall be given to each party and to the Participating Exchanges concerned and the Company. Similarly, the award of the Board of the Company shall also be in writing and shall be signed by the Managing Director of the Company. *

27.12. Non-Compliance of the award or failure or refusal to submit to or abide by or carry out any award of the Arbitration by the Traders/Dealers will make them liable for suspension by the Board of the Company /Managing Director or for declaration as defaulter by the Board and thereupon the other party shall be entitled to institute any suit or legal proceedings to enforce the award or otherwise assert his rights. *

27.13. There shall also be a conciliation provision at the Regional level and at the Central level. The Board of the Company shall appoint the panel of conciliators at the Regional and Central levels. The constitution and the manner of functioning of the conciliation system will be same as the arbitration system, subject to the provision of the Arbitration and Conciliation Act, 1996 and the provisions of the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company as decided from time to time. *

DISCIPLINARY ACTION COMMITTEE

28.1. The Board shall constitute a Disciplinary Action Committee within one month of every Annual General Meeting consisting of five persons out of whom two persons shall be from among Traders/Dealers and three persons of eminence from the legal, judicial and accountancy fields, who shall not be member brokers of any Stock Exchange. Appointment of persons as public nominees on the Disciplinary Action Committee shall be subject to prior approval of SEBI. For the purpose of nominating Public Representatives on the Disciplinary Action Committee, the Board of Directors of the Company shall forward the names of persons to SEBI for appointment. SEBI shall, however, have the right to nominate persons other than those recommended by the Company. Further, the Managing Director and Whole-time Director will be Ex-Officio members of this Committee. *

28.2. The Disciplinary Action Committee shall elect a Chairman from its own body who shall be from amongst the Public Representatives.

28.3. The tenure of the Members of the Disciplinary Action Committee shall be until new nominees are appointed after the Annual General Meeting. All retiring Members of this Committee shall be eligible for reappointment.

28.4. Quorum of the Disciplinary Action Committee shall be three out of which two shall be from amongst the Public Representatives.

28.5. Unless otherwise provided or directed by the Board, the Committee shall conduct and regulate its proceedings in the same manner as the Board.

28.6. Any matter before the Committee shall be decided by a majority of the votes cast at the meeting and in case of an equality of votes, the Chairman shall have a casting vote in addition to the vote which he is entitled to as a Member.

28.7. The Disciplinary Action Committee may expel or withdraw all or any of the rights of a Member, Trader, Dealer or a Participant, or levy fine on or censure, reprimand or warn any Member, Trader, Dealer or a Participant, if the Disciplinary Action Committee finds that it is guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Company or any Committee, Managing Director or Officer of the Company authorized in that behalf or of any conduct, proceeding or method of business which the Disciplinary Action Committee deems dishonorable, disgraceful or unbecoming of a Member, Trader, Dealer or Participant or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of the Company or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

28.8. The decision of the Disciplinary Action Committee shall be final and binding on the Members, Traders, Dealers and other Participants and shall come into force from such date as may be decided by the Committee, provided however, that the aggrieved party shall have the right of appeal to the Board in matters of expulsion and suspension of all or any of the rights.

DEFAULTS COMMITTEE

29.1. The Board shall constitute every year a Defaults Committee consisting of ten persons, out of whom four persons shall be from among the Traders/Dealers and six persons from the public, who shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and who shall not be Member Brokers of any Stock Exchange. For the purpose of nominating Public Representatives on the Committee, the Board of Directors of the Company shall forward the names of persons to SEBI for such nomination. SEBI shall, however, have the right to nominate persons other than those recommended by the Company. Further, the Managing Director and Whole-time Director will be Ex-Officio members of this Committee. *

29.2 The Committee shall decide the procedure to be followed in any specific matter related to defaults in obligations and commitment in ICMS or to the Company by a Member, Trader, Dealer or other Participants and shall make such rules and regulations and take such decisions as may be considered necessary in the specific matter referred to it and for the proper functioning of the Committee, including recovery of dues through such measures which may include attachment of any rights, privileges, assets or properties of the Member, Trader, Dealer or other Participants, provided they are not in contravention of any statutory provisions of SC(R) Act, SEBI Act and the Rules, Bye-Laws and Regulations or any such decisions of the Board which are in the nature of guidelines provided the same do not contravene any statutory provisions.

29.3. The Defaults committee shall elect its own Chairman from among the public nominees on the Committee.

29.4. The tenure of the Members of the Defaults Committee shall be one year until new nominees are appointed after the Annual General Meeting. All retiring Members of this Committee shall be eligible for reappointment.

29.5. All retiring Members of this Committee shall be eligible for reappointment.

29.6. The quorum for a meeting of the Committee shall be four, out of which at least two shall be from among the public nominees.

29.7. Any question before the Committee shall be decided by a majority of the votes cast at the meeting and in case of an equality of votes, the Chairman shall have the casting vote in addition to the vote to which he is entitled as a Member.

29.8. The decisions of the Defaults Committee shall be final and binding on the Members, Traders, Dealers and other Participants.

COMMON SEAL

30. The Company shall have a common seal and the Board of Directors shall provide for the safe custody thereof. The Seal shall not be affixed to any instrument except by the authority of a resolution of the Board of Directors or a Committee of the Board and in the presence of at least one Director or such other person who may be authorized in this regard who shall sign each instrument to which the Seal be affixed in his presence. Such signatures shall be conclusive evidence of the fact that the Seal has been properly affixed.

BALANCE-SHEET

31.1. The Board of Directors shall lay before the Annual General Meeting of the Company a Balance-Sheet and Profit and Loss account together with the report of the auditors and the report of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Companies Act, 1956.

31.2. The income and property of the Company wherever derived shall be applied solely for the promotion of its objects as set forth in the Memorandum.

31.3. No remuneration or other benefit in money's worth shall be given by the Company to any one of its Members, whether officers or servants of the Company or not, except, payments of out of pocket expenses, reasonable or proper interest on money lent or proper rent on premises let out to the Company

31.4. No portion of the income or property shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividend, bonus or otherwise by way of profit to any person who at any time are or have been Members of the Company or to any one or more of them or to any person claiming through any one or more of them

31.5. No Member shall be appointed to office under the Company which is remunerated by salary, fees, or in any other manner not allowed under the Act.

31.6. Nothing in these clauses shall prevent the payment by the Company on good faith of reasonable and proper remuneration to any of its officers or servants (not being Members) or to any person (not being Member) in return for any services rendered to the Company.

ACCOUNTS

32.1. The Board of Directors shall cause true accounts to be kept of the sum of money received and expended by the Company and the matters in respect of which such receipts and expenditure take place and of the assets, credits and liabilities of the Company.

32.2. The books of accounts shall be kept at the registered office of the Company or at such other places as the Board of Directors may think fit.

32.3. The Board of Directors shall from time to time determine whether and to what extent, at what time and place, under what conditions or Regulations the accounts and books of the Company or any of them shall be open to the inspection of the Members of the Company and no Member (not being a Member of the Board of Directors) shall have any right to inspect any accounts or books or documents of the Company except as conferred by law or authorized by the Board of Directors or by the Company in General Meeting

32.4. Funds, surplus or otherwise, available with the Company shall be utilized only to further the objectives of the Company, and shall not be distributed in any form amongst the Members; and the Members shall have no claim whatsoever at any time on any property or assets of the Exchange.

RECOGNITION

33.1. The Board of Directors shall, for effective management of the Company, make Rules, Bye-Laws and Regulations subject to the provisions of the SC (R) Act, and obtain the approval of the Central Government/SEBI.

33.2. Such Bye-Laws and Regulations may be amended by the Board of Directors from time to time with prior approval of the Central Government/SEBI or when so directed by the Central Government/SEBI.

33.3. The Board of Directors shall, before the commencement of any transaction of business in securities, apply for and obtain the Recognition of the Central Government / SEBI subject to the provisions of the SC(R) Act/SEBI Act.

WINDING-UP

34. If upon winding up or dissolution or merger or amalgamation of the Company with another Stock Exchange, trade or commercial body, there remains after meeting all the debts and liabilities and expenses of winding up of the Company, net surplus assets or property whatsoever, the same shall not be paid to or distributed among the Members of the Company but shall be handed over or transferred to such other body or organization or a company having objects similar to the objects of the Company or to any body constituted mainly for the benefit of the public in the advancement of knowledge, commerce or with objects beneficial to the advancement of any other object of general public utility and the promotion of industry, commerce and art, to be determined by the Members of the Company at or before the time of dissolution or merger or amalgamation or in default thereof, by the High Court of Judicature that has or may acquire jurisdiction in the matter.

AUDIT

35. Once every year the accounts of the Company shall be examined and the truthfulness and fairness of Profit and Loss Account and Balance-Sheet shall be ascertained and certified by one or more auditor or auditors. The provisions of the Act, as to Auditors, shall apply.

NOTICE

36. A notice may be given by the Company to any Member either personally or by sending by post, courier, fax, e-mail or other electronic communication, etc. to him to his registered address.

36.1. Where a notice is sent by post, courier, fax, e-mail or other electronic communication, etc., service of the notice shall be deemed to be effected by properly addressing, pre-paying and posting a letter containing the notice and in respect of other modes of

communication, by following the usual procedure of communication, as the case may be, and unless the contrary is proved, and such communication shall be deemed to have been effected at the time at which the letter may be delivered in the ordinary course of post or such other communication made.

INDEMNITY AND RESPONSIBILITY

37.1. Subject to the provisions of Section 201 of the Act, every Member of the Board of Directors, Manager and other Officer or servant of the Company shall be indemnified by the Company against, and it shall be the duty of the Board of Directors, out of the funds of the Company, to pay all costs, losses and expenses which any Member of the Board of Directors, Manager, officer or servant may incur or become liable to by reason of any contract entered into or in any way in the discharge of his duties including expenses and in particular and so as not to limit the generality of the foregoing provisions, against all liabilities incurred by him as such Member of the Board, Manager, Officer or servant in defending any proceeding, whether civil or criminal, in which judgment is given in his favour or he is acquitted or in connection with any application under Section 633 of the Act in which relief is granted by the Court and the amount for which such indemnity is provided shall immediately attach as a lien on the property of the Company and have priority as between the Members over all other claims. The Company may, in addition to the above indemnity, also take an employee fidelity insurance policy to secure its interests against any loss or damage to its property or assets by the acts of fraud, theft, forgery or otherwise by its employees, agents, or representatives while discharging their responsibilities.

37.2. Subject to the provisions of Section 201 of the Act, no Member of the Board of Directors, Manager or other officer or servant of the Company shall be liable for the acts, receipts, neglects or defaults of any other Member of the Board of Directors or for joining in any receipt or other act for conformity or for any loss or expense happening to the Company through the insufficiency or deficiency of title to any property acquired by order of the Directors, for or on behalf of the Company or for the insufficiency or deficiency of any security in or upon which any of the monies of the Company shall be invested or for any loss or damage arising from the bankruptcy, insolvency or tortuous act of any person with whom any monies, securities or effects shall be deposited or for any loss occasioned by an error of judgment omission, default or oversight on his part, or for any other loss damage or misfortunes whatever which shall happen in the execution of the duties of the office or in relation hereto unless the same happen through his own dishonesty.

SECRECY

38. No Member, Trader, Dealer, any other Participant or their representatives shall be entitled to visit or inspect any premises of the Company without the permission of the Board or to require discovery of or any information with respect to any detail of the Company's activities or any matter which is or may be in the nature of a trade secret, mystery of trade, secret process or any other matter which may relate to the conduct of the business of the Company and which in the opinion of the Directors, it is expedient in the interest of the Company not to disclose.

ALTERATION IN ARTICLES OF ASSOCIATION

39. The Company may, with the prior approval of SEBI, alter, add to, amend or delete any of the existing provisions of these presents of the Company or may add a new Article thereto or adopt a new set of Articles in accordance with the provisions of the Act. *

* [As amended in the Extra-Ordinary General Meeting held on August 29, 1998, subject to approval of SEBI].

RULES

INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

I. DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1. In these Rules, if not inconsistent with or repugnant to the subject or context hereof, the following words and expressions shall have the following meanings :

1.1 "The Act" or "the said Act" means The Companies Act, 1956 and includes every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force.

1.2 "The Articles" mean and include the Articles of Association of the Company for the time being in force.

1.3 "Board", "Board of Directors" or "the Directors" mean the Board of Directors of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited (ISE) or the Directors of ISE collectively. All the three terms are used interchangeably.

1.4 "Bye-Laws" mean Bye-Laws of the Company for the time being in force and unless the context indicates otherwise includes provisions which enable Regulation and control of contracts. The Bye-Laws of the Company shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

1.5 "Client" or "Constituent" means a person on whose instruction and on whose account the Trader or Dealer enters into a contract for the purchase or sale of any tradeable security or does any act in relation thereto.

1.6 "Company" means "Inter-Connected Stock Exchange of India Limited", also referred to as "ISE" which is for the time being recognized by the Central Government or the Securities and Exchange Board of India under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. All the four terms are used interchangeably.

1.7 "Dealer" means any person admitted as a "Dealer" with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. *[Explanation : There may be more than one class of Dealers registered with the Company as may be determined by the Board from time to time.*

1.8 "Deals", "Transactions" and " Contracts" shall have the same meaning for the purpose of these Rules, Bye-Laws and Regulations unless the context indicates otherwise. All the three terms are used interchangeably.

1.9 "Inter-Connected Market System" or "ICMS" means the infrastructure and other facilities established by ISE to facilitate trading, clearing, and settlement of transactions in securities,

and to consider all other matters consequential or incidental thereto or connected therewith among Traders, Dealers, Participants and other users and includes facilities set up by the Participating Recognized Stock Exchanges to enable Traders, Dealers, Participants and other users to participate in the facilities of ISE.

1.10 "Issuer" includes a Government Body, Corporate or other entity, whether incorporated or not, which issues any security or other instrument, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted for dealing on the Official List of ISE.

1.11 "Market Maker" means a Trader or Dealer registered as such with ISE to perform market making operations in the specified security or securities. *[Explanation : There may be more than one class of Market Makers registered with the Company, as may be determined by the Board from time to time.]*

1.12 "Member" or "Member of the Company" or "Member Exchange" means and includes subscribers to the Memorandum of Association and Articles of Association and such other Members of the Company as may be admitted as such who shall undertake to contribute to its assets for the purposes mentioned in Clause III of the Memorandum of Association as provided therein. All the three terms mentioned herein have been used interchangeably.

1.13 "Month" means a calendar month.

1.14 "Official List of ISE securities" means the list of securities listed on any recognized Stock Exchange in India which are admitted for trading on the Official List of ISE.

1.15 "Participant" means a person registered as such by the relevant authority from time to time under the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

1.16 "Participating Stock Exchange" or "Participating Exchange" or "Member Exchange" means a recognized Stock Exchange in India admitted as member of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time by the relevant authority. These three terms are used interchangeably.

1.17 "Register" shall mean the register of members to be kept pursuant to Section 150 of the Act.

1.18 "Registered Office" shall mean the Office as Registered for the time being under the Companies Act, 1956.

1.19 "Rules" mean Rules of ISE framed and amended, from time to time , by the Board. *[Explanation : "Rules" shall include Memorandum and Articles of Association of the Company and these relate in general to the constitution and management of ISE and such other matters incidental or related thereto.]*

1.20 "Regulation" means Regulations of ISE for the time being in force and unless the context indicates otherwise includes business Rules, code of conduct and such other Procedures, Circulars, Directives, Orders, Notices and Regulations prescribed and issued by the Board, the Executive Committee or any other relevant authority from time to time for the operation of ICMS and these shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

1.21 "Relevant Authority" means General Body of Members of ISE, the Board, Executive Committee or any person as may be relevant for a particular purpose under the Rules, Bye-Laws, Regulations and Articles of Association or such other authority as may be constituted from time to time for a specified purpose under the Rules, Bye-Laws and Regulations.

1.22 "SC(R) Act" shall mean the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.23 "Seal" shall mean the 'Common Seal' for the time being of the Company.

1.24 "SEBI Act" shall mean the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.25 "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

1.26 "Stock Exchange" means a Stock Exchange in India which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

1.27 Tradeable Security means any Security admitted for dealing to the Official List of ISE.

1.28 "Trader" or "Member Broker" shall mean a Member of a Participating Stock Exchange registered as a "Trader" with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. [Explanation: The two terms are used interchangeably. There may be more than one class of Traders registered with the Company, as may be determined by the Board from time to time.]

1.29 "Trading Segment" means the separate segment or division comprising securities as classified or specified by the Board or relevant authority from time to time for dealing on the ICMS thereunder.

1.30 "Trading System" means a system which makes available to the Members, Traders, Dealers, Participants and investing public and others by whatever name called, quotations in securities admitted to dealing on the Official List of ICMS, execution of deals thereof, and dissemination of information regarding prices, traded volumes and such other

notifications, directives, circulars and information as may be issued thereof by the Board or the Executive Committee or any other relevant authority.

1.31 "Writing" includes printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.

1.32 "Year" shall mean "Financial Year of the Company".

1.33 Words importing persons include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, associations of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;

1.34 Words importing the masculine gender shall include the feminine gender and vice-versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms, etc.

1.35 Words importing the singular includes the plural and vice-versa.

1.36. Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expressions occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Companies Act, 1956, the SC(R) Act, 1956 and the SEBI Act, 1992 or any modifications or reenactments thereof or any Rules and Regulations framed thereunder.

1.37. Marginal notes shall not affect the construction thereof.

II. BOARD

2.1 The Board of Inter-Connected Stock Exchange of India Limited (ISE), constituted in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company, may organise, maintain, control, manage, regulate and facilitate the operations of the ICMS and of securities transactions by Traders and Dealers of ISE, subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Regulations, Guidelines and Directions issued thereunder, from time to time in addition to the Rules. Besides, Trading, Clearing and Settlement and other services in each segment will also be subject to the Rules and Regulations of other Statutory Authorities which may be connected with the relevant segment and these would be adhered to by ISE in addition to overall provisions of the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE.

2.2 The Directors of the Company shall be appointed in accordance with the provisions of the Articles of Association of the Company as amended from time to time and in particular, in accordance with the provisions of Articles 20.1 to 21.19 and Rules. Any such appointment of Directors shall be considered as one being made under the provisions of these Rules.

2.3 Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Regulations, Guidelines and directions issued thereunder, from time to time and to trading Regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments and other Regulations that may be prescribed by any other statutory/Regulatory authority for the relevant segment, the Board is empowered to make Rules, Bye-Laws and Regulations from time to time, for all or any matters relating to the conduct of business of the ICMS, the business and transactions of Traders inter-se, Dealers inter-se, between Traders and Dealers inter-se and the business and transactions between Traders and Dealers and their clients and to control, define and regulate all such transactions and dealings and to do such acts and things which are necessary for the purposes of regulating ISE.

2.4 The Board is empowered to delegate, from time to time, to the Executive Committee or to the Managing Director or to such persons, such of the powers vested in it and upon such terms, as it may think fit, to manage all or any of the affairs of the ICMS and from time to time, to revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

2.5 The Board may, from time to time, constitute one or more Committees comprising of Members of the Board or such other persons as the Board may in its discretion deem fit or necessary and delegate to such Committees such power as the Board may deem fit and the Board may from time to time revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers.

2.6 The Board shall have the authority to issue directives from time to time to the Executive Committee or any other Committees or any other person or persons to whom any powers have been delegated by the Board. Such directives issued in exercise of this power, which may be of policy

nature or which may include directives to dispose off a particular matter or issue, shall be binding on the concerned Committee(s) or person(s).

2.7 Subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Regulations, Guidelines and the Directions issued thereunder from time to time and also including the trading Regulations which RBI may prescribe from time to time for money market instruments or other Regulations that may be prescribed by any other statutory/ Regulatory authority for the relevant segment, the Board is empowered to vary, amend, repeal or add to the Rules, Bye-Laws and Regulations framed by it.

2.8 The Board is empowered to make Regulations subject to the provisions of SC(R) Act, 1956 and Rules thereunder, and the SEBI Act, 1992 and the Regulations, Guidelines and the directives issued thereunder and to make such Regulations which RBI or other Statutory/Regulatory authorities may specify from time to time for money market instruments or other relevant segments, in order to facilitate Trading, Clearing & Settlement, Risk Management and such other activities that may be required to be performed by ISE in the interest of investors' protection and efficient functioning of ISE for that relevant segment.

III. EXECUTIVE COMMITTEE

CONSTITUTION OF EXECUTIVE COMMITTEE

3.1 The Board shall constitute and empower one or more Executive Committee(s) to manage the whole or part of the affairs of ICMS. The Board shall make such Rules for the constitution and manner of working of the Executive Committee(s) as it may deem fit.

3.2 The Executive Committee constituted by the Board of the Company shall consist of:

i) Managing Director of the Company.

ii) Whole-time Director of the Company.

iii) Not more than one person who shall be nominated by SEBI.

iv) Not more than five persons of eminence from the fields of technology, legal and finance, or any other discipline and to be known as 'Public Representatives' as may be nominated by the Board of the Company.

v) Not more than four persons from among Traders, Dealers and Executive Directors of the Participating Stock Exchanges as may be nominated by the Board as per Rules laid down in this regard. The maximum strength of the Executive Committee shall be twelve.

3.3 The Managing Director of the Company shall be Chairman of the Executive Committee.

Powers of Executive Committee

3.4 The Board may delegate from time to time to the Executive Committee such of the powers vested in them and upon such terms as they may think fit, to manage all or any of the affairs of the ICMS and from time to time, may revoke, withdraw, alter or vary all or any of such powers delegated to the Executive Committee.

3.5 The Executive Committee of each trading segment shall have such responsibilities and powers as may be delegated to it by the Board from time to time which without restricting the generality of the foregoing may, inter-alia, include the following responsibilities and powers to be discharged in accordance with the provisions of the Rules, Bye-Laws and Regulations:

(a) approving securities for admission to the relevant Official List of ICMS Securities;

(b) registering Trader, Dealers and Participants.

(c) approving Market-makers to act as such:

(d) supervising the ICMS and promulgating such Business Rules and Codes of Conduct as it may deem fit;

(e) determining from time to time fees, deposits, margins and other monies payable to ISE by Traders, Dealers, Participants and Companies whose securities are admitted or are to be admitted to the Official List and the scale of brokerage chargeable by Traders and Dealers;

(f) prescribing, from time to time, net worth, capital adequacy and other norms which shall be required to be maintained by Traders and Dealers;

(g) prescribing, from time to time, and administering and effecting penalties, fines and other consequences, including suspension or expulsion for defaults or violations of any requirements of the Rules, Bye-laws and Regulations and Codes of Conduct and criteria for re-admission, if any, promulgated thereunder;

(h) administering, maintaining and investing of the corpus of Fund(s) set up by ISE, including Investor Protection Fund;

(i) norms, procedures and other matters relating to arbitration;

(j) power to take disciplinary action and proceed legally against any Member or Trader or Dealer or Company or Participant or any other person, body or legal entity;

(k) dissemination of information and announcements to be placed on the trading network, Daily Official List, quotation system or in the press release;

(l) listing requirements and conditions to be complied with by the issuers in respect of listing on Participating Stock Exchanges or in ICMS.

(m) continuance of listed status of the Company with Participating Stock Exchanges whose securities are admitted to dealings on the ICMS; and

(n) any other matter delegated by the Board.

3.6 The Executive Committee may from time to time constitute such sub-committees to carry on business complying with all Regulations and guidelines laid down by the Executive Committee. The constitution, quorum and responsibilities of such sub-committees will be determined by Executive Committee.

3.7 The Executive Committee may, from time to time, authorise the Managing Director or Whole-time Director or such other person(s) to carry out such acts, deeds and functions in accordance with such provisions as may be laid down in this regard for fulfilling the responsibilities and discharging the powers delegated to it by the Board.

3.8 The Executive Committee shall be bound and obliged to carry out and implement the directives issued by the Board, from time to time and shall be bound to comply with all conditions of delegation and limitations on the powers of the Executive Committee as may be prescribed.

3.9. A copy of the minutes of every meeting of the Executive Committee shall be sent to every Member and Director of the Board after the same are confirmed by the Executive Committee or earlier, if prescribed by the Committee or desired by the Board.

SEBI REPRESENTATIVE

3.10 The SEBI shall nominate on the Executive Committee from time to time, one person to be referred as "SEBI Nominee". He shall be on the Committee for such term as may be prescribed by SEBI.

3.11 Any vacancy caused by resignation, withdrawal of nomination, death or otherwise of such a nominated Representative shall be filled in by a similarly nominated person.

TRADERS, DEALERS AND EXECUTIVE DIRECTORS AS NOMINEES ON THE COMMITTEE.

3.12 Subject to provisions of Rules 3.14 and 3.15 herein, the Board shall nominate on the Executive Committee from time to time not more than four persons from among Traders, Dealers and Executive Directors of the Participating Stock Exchanges. There should be a minimum of three nominees on the Executive Committee from among the Traders and not more than one from among the Executive Directors of Participating Stock Exchanges and Dealers. The nomination to the Executive Committee will be sought by the Board of ISE from the Board of Participating Exchanges which are eligible based on the same principle of "Order of Priority" as laid down in the Articles of Association for deciding the rotation of Directors. The person appointed under this Rule shall be subject to retirement by rotation.

3.13 The tenure of the nominees appointed under this category in this Committee shall be two years from the date of appointment. The retirement of the persons under these categories and the appointment of new nominees in their place will be based on the order of priority assigned to the Participating Stock Exchange at the time of admission.

3.14 At every Annual General Meeting of the Company other than the first Annual General Meeting, half the nominees under this category for the time being as are liable to retire by rotation shall retire from office. The nominees to retire by rotation at every Annual General Meeting shall be those who have been longest in the Committee since their last appointment.

3.15 Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated person shall be filled in by a similarly nominated person of the same Participating Exchange to which the

outgoing nominee belonged.

3.16 The persons nominated as above in any casual vacancy shall hold office for the same period for which the office-bearer in whose place he was appointed would have held office if it had not been vacated as aforesaid.

Public Representatives.

3.17 The Board shall nominate on the Executive Committee from time to time not more than five persons referred to as 'Public Representatives' who are individuals of eminence in the fields of finance and accounting, law technology. The persons so nominated shall hold office for a period of two years and shall be eligible for re-nomination.

3.18 Any vacancy caused by resignation, removal, death or otherwise of such a nominated Public Representative shall be filled in by a similarly nominated person.

3.19 In the first meeting of the Board to be held within one month of the Annual General Meeting of the Company, the Board shall nominate persons under this category in this Committee.

Vacation of Position in the Executive Committee.

3.20 The position of the nominees of the Executive Committee including that of the Public Representatives, Traders, Dealers and Executive Directors of the Participating Stock Exchanges shall ipso facto be vacated if:

(a) he is adjudicated insolvent;

(b) he has applied to be adjudicated insolvent;

(c) he is convicted by any Court in India of any offence and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than 30 days;

(d) he abstains himself from three consecutive meetings of the Executive Committee or for a continuous period of three months, whichever is longer, without obtaining leave of absence from theCommittee Meetings;

(e) In the case of Traders and Dealers, if he ceases to be a Trader or Dealer of ISE or if he, by notice in writing addressed to the Executive Committee, resigns his office or if he is suspended or expelled or if his registration is terminated; or

(f) In the case of Executive Directors, if he ceases to be an Executive Director at the Participating Stock Exchange or if he, by notice in writing addressed to the Executive Committee, resigns from his position in the Committee.

Provided however that if at any time the Board is satisfied that circumstances exist which render it necessary in public interest to do so, the Board may substitute a Nominee on the Committee with another person from the same category.

Eligibility of a Trader or Dealer to become Executive Committee Member

3.21 No Trader or Dealer shall be eligible to be nominated as a Member of an Executive Committee.

(a) Unless he satisfies the requirement, if any, prescribed in that behalf under the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules thereunder, the Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE;

(b) Unless he is a Trader or Dealer of the relevant trading segment for such period as may be decided by the Board from time to time;

(c) If he is a partner with a Trader who is already a Member of that Executive Committee;

(d) If he has at any time been declared as defaulter or failed to meet his liabilities in ordinary course or compounded with his creditors; or

(e) If he had been expelled or suspended.

3.22 No Trader shall be nominated under this category except on the recommendation of the Participating Exchange which is eligible to nominate based on the order of priority determined at the time of admission of the Participating Exchange.

3.23 A Trader appointed as a Member of the Executive Committee shall be deemed to be the Nominee of the Participating Exchange.

3.24 A Dealer may be appointed on the Executive Committee in accordance with the norms that may be prescribed by the Board from time to time.

Eligibility of an Executive Director to become Executive Committee Member

3.25 An Executive Director is eligible to become a Member of the Executive Committee if he is an Executive Director of any of the Participating Stock Exchanges.

3.26 No person shall be nominated under this category except on the recommendation of the Participating Exchange which is eligible to nominate based on the order of priority determined at the time of admission of the Participating Exchange.

3.27 An Executive Director appointed as a Member of the Executive Committee shall be deemed to be

the nominee of the Participating Exchange of which he is the Executive Director.

Meetings of the Executive Committee

3.28.1 The Managing Director of the Company shall be the Chairman of the Executive Committee.

3.28.2 In the event of any casual vacancy arising in the office of the Chairman of the Committee due to death, resignation or any other cause, the Whole-Time Director shall be the Chairman of the Executive Committee till the Managing Director is appointed.

3.29 The Executive Committee shall meet at-least once in every calendar month for the dispatch of business, adjourn and otherwise regulate its meetings and proceedings as it thinks fit, and may determine the quorum necessary for the transaction of business.

3.30 The quorum of a meeting of the Executive Committee, shall be one-third of the total strength of the Executive Committee, with any fraction being rounded off as one or four Members, whichever is higher. Provided that where at any time the number of interested Members exceeds two-thirds of the total strength, then the number of remaining Members, i.e., the number of Members not interested, shall be the quorum for the meeting.

3.31 The Managing Director or any three Members of the Executive Committee may at any time convene a meeting of the Executive Committee.

3.32 Questions arising at any meeting of the Executive Committee shall be decided by a majority of the votes cast excepting in cases where a larger majority is required by any provision of the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. Each Member of the Committee shall have one vote. In the case of equality of votes on matters which can be decided by a majority of votes, the Chairman presiding over the meeting shall have a second or casting vote.

3.33 At all meetings of the Executive Committee, the Managing Director shall ordinarily preside and in his absence, the Whole-Time Director shall preside.

3.34 No vote by proxy shall be allowed.

3.35 No Trader or Executive Director of a Participating Stock Exchange which has been suspended or expelled shall be entitled to be present at a meeting or to take part in any proceedings or to vote thereat.

CHAIRMAN OF THE EXECUTIVE COMMITTEE

3.36 The Chairman of the Executive Committee may assume and exercise all such powers and perform all such duties as may be delegated to him by the Executive Committee from time to time as provided in the Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE.

3.37 In the absence of the Managing Director or on his inability to act, his functions and powers shall be exercised by the Whole time Director and in his absence or inability to act by the senior available officer of the Company under the directions of the Executive Committee.

3.38 The Managing Director and in his absence the Whole-Time Director shall be entitled to exercise any or all of the powers exercisable by the Executive Committee whenever he be of the opinion that immediate action is necessary subject to such action being confirmed by the Executive Committee within twenty-four hours.

3.39 The Chairman of the Executive Committee and/or delegated authority shall represent ISE officially in all public matters.

Provided that the Executive Committee may direct that on any matter or occasion, the Chairman of the Executive Committee and/or other Members or Members of the Executive Committee shall represent ISE.

3.40 A meeting of the Executive Committee for the time being, at which a quorum is present shall be competent to exercise all or any of the authorities, powers and discretion for the time being vested in or exercisable by the Executive Committee generally.

3.41 The Managing Director, and in his absence the Whole-Time Director shall be empowered to suspend a Trader or Dealer or trading in a security temporarily pending completion of the proceedings for suspension under these Rules by the relevant authority.

IV. STATUTORY COMMITTEES

4.1 As per the provisions of the SC(R)A, 1956 and the Rules thereunder and the SEBI Act, 1992 and the Rules made thereunder and the provisions of Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, the Company shall have three Statutory Committees, namely, the Arbitration Panels, the Disciplinary Action Committee and the Defaults Committee. These Committees shall be constituted by the Board in the form and manner as specified by SEBI from time to time . The Board shall have power to initiate and review matters pertaining to these Committees and provide guidelines for their functioning over and above such powers as assigned to the Executive Committee or provided in the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE. The Board may also empower from time to time the Statutory Committees in matter relating to them with such Rules and Regulations as needed for their efficient and effective functioning, including, power for appointment of agents for secretarial, audit and legal assistance, procedure for conduct of meeting, fixation of time limits and area of jurisdiction, seeking information, levying fines and penalties, including disciplinary actions, etc.

ARBITRATION PANEL

4.2. The Board shall constitute at ISE and at each of the Participating Stock Exchanges a Panel of ten arbitrators, which shall comprise persons of eminence from the legal, judicial, or accountancy fields as well as from Traders and Dealers, provided that not more than four persons should be from Traders and Dealers.

4.3 The Company shall constitute a Panel of Arbitrators at Mumbai / Navi Mumbai called the Central Arbitration Panel consisting of not less than 10(ten) Members, 40% (forty percent) of whom shall be drawn from the Traders / Dealers of the Company and 60%(sixty percent) shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and who shall not be Member Brokers of any Stock Exchange. The Managing Director and the Whole-time Director shall be the ex-officio Members of the Panel.

4.4 The Board of the Company may increase the number of Arbitrators on the Central Arbitration Panel from time to time, having regard to the number of cases submitted for arbitration and such increased size of the Central Arbitration Panel shall not violate the ratio of 40:60 between the Traders/Dealers and others.

4.5 The Board shall similarly constitute a Regional Arbitration Panel consisting of not less than 10 (ten) Members at each Participating Exchange, 40% (forty percent) of whom shall be drawn from Traders/Dealers of the Company and the remaining 60% (sixty percent) shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and shall not be Member brokers of any Stock Exchange.

4.6 The Board of the Company may increase the number of Arbitrators on the Regional Arbitration Panel from time to time, having regard to the number of cases submitted for arbitration and such increased size of the Regional Arbitration Panel shall not violate the ratio of 40:60 between the Traders/Dealers and others.

4.7. The panel may seek assistance of any official or administrative machinery of ISE or of the participating Participating Exchanges to which the matter pertains or any other Participating Stock Exchange at its discretion. Such assistance will be provided without any delay or further sanctions.

4.8. The Board shall specify the related Regulations for conduct of meeting, minutisation, award, fine, penalty, fees and all such matter connected with the efficient and effective functioning of the Central Arbitration Panel and Regional Arbitration Panel provided it does not contravene any statutory provision. In case of any contravention proper clarification of relevant authority shall be taken before implementing the contravening amendment.

DISCIPLINARY ACTION COMMITTEE

4.9 The Board shall constitute a Disciplinary Action Committee consisting of five persons out of whom three persons shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields who shall not be Members of any Stock Exchange and the remaining two persons shall be from among Traders or Dealers. Appointment of persons from the public on the Disciplinary Action Committee shall be with the approval of SEBI. In addition, the Committee will have two officials of ISE, as may be nominated by the Board, as Ex-Officio Members of the Committee.

4.10 The term of the Members of the Disciplinary Action Committee so constituted will be valid for a period of one year until the next AGM and the Members shall be eligible for re-appointment in the next term. The outgoing Members shall however, continue to function after the AGM until the new representatives are nominated on the Committee.

4.11 The quorum for the Disciplinary Action Committee shall be not less than one- third of the total number of Members rounded off to next higher number with minimum two public representative being present in any Committee meeting.

4.12 The Committee shall decide on the procedure to be followed for Disciplinary Action, make such Rules and Regulations as deemed fit for its functioning and take such regulatory or disciplinary action against the Members, Traders, Dealers and other Participants as considered appropriate in a specific matter referred to it, provided it is not in contravention of any statutory provision of SC(R)A, 1956, SEBI Act, 1992 and the provisions of the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations or any such decision of the Board which is in the nature of a guideline.

4.13 The Committee may seek the assistance of any official or administrative machinery of ISE or of the Participating Stock Exchange to which the matter pertains or any other Participating Stock Exchange at its discretion. Such assistance will need to be provided without any delay or further sanctions.

4.14 The Committee shall prescribe the related Regulations for conduct of meeting, minutisation, award, fine, penalty, fees and all such matters connected with the efficient and effective functioning of the Committee provided they do not contravene any statutory provisions.

DEFAULTS COMMITTEE

4.15 The Board shall constitute every year a Defaults Committee consisting of ten persons, out of which six persons shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and who shall not be Members of any Stock Exchange and the remaining four persons shall be among the Traders or Dealers. The public representatives would be appointed with the approval of SEBI. In addition, the committee will have two officials of ISE, as may be nominated by the Board, as Ex-Officio Members of the Committee.

4.16 The term of the Members of the Committee so constituted will be valid for a period of one year until the next AGM and the Members shall be eligible for reappointment in the next term. The outgoing Members shall, continue to function after the AGM until the new representatives are nominated on the Committee.

4.17 The quorum for the Defaults Committee shall be not less than one third of the total number of Members rounded off to next higher number with minimum two Public Representatives being present in any committee meeting.

4.18. The Committee shall decide on the procedure to be followed in any specific matter related to the defaults in obligations and commitments in ICMS or to the Company by a Trader, Dealer or other Participants and shall make such Rules and Regulations and take such decisions as may be considered necessary in the specific matter referred to it and for the proper functioning of the Committee, including recovery of dues through such measures which may include attachment of any rights, privileges, assets or properties of the Trader, Dealer or other Participant, provided they are not in contravention of any statutory provisions of SC(R)A, 1956, SEBI Act, 1992, and the provisions of the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations or any such decisions of the Board which are in the nature of guidelines.

4.19. The Committee may seek assistance of any official or administrative machinery of ISE or of the Participating Stock Exchange to which the matters pertains or any other Participating Stock Exchange at its discretion. Such assistance will need to be provided without any delay or further sanctions.

4.20 The Committee shall prescribe the related Regulations for conduct of meeting, minutisation, award, disposal of a case of default by the Member, Trader, Dealer or other Participants in ICMS or to the Company and all such matters connected with the efficient and effective functioning of the Committee provided they do not contravene any statutory provisions.

V. MEMBERS, TRADERS AND DEALERS

In addition to the provisions of the Articles, a Member, Trader and a Dealer shall have to comply with the following;

5.1 A Member, Trader or Dealer shall be fully responsible for the acts and omissions of its attorneys, agents, authorized assistants and employees and if any such act or omission be held by the Board of Directors to be one which if done or omitted to be done by the Member, Trader or Dealer would subject it to any of the penalties as provided in the Rules, Bye-laws and Regulations of the Company then such Member, Trader or Dealer shall be liable to the same penalty and to the same extent as if such act or omission had been done or omitted to be done by it.

5.2 A Member, Trader or Dealer shall appear and testify before and cause its attorneys, agents, authorized assistants and employees to appear and testify before the Company or the Board of Directors or the Chairman or the Managing Director or Executive Committee or officer of the Company authorized in that behalf and shall produce or cause to be produced before it such books, correspondence, documents, papers and records or any part thereof which may be in his or their possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation or which the Company in its absolute discretion deems necessary in the interest of just and equitable principles of trade or in public interest and welfare of the Company and its Members.

5.3 No Member, Trader or Dealer shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the Company or Board of Directors unless the Company or Board of Directors so permits.

5.4 The rights and privileges of a Member, Trader or Dealer shall be subject to the provisions of Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE.

5.5 All Traders and Dealers of ISE shall have to register themselves with the Company prior to commencing operations on ISE. The rights and privileges shall be entitled only on registration and on compliance of such Rules and Regulations as may be specified by the Relevant Authority from time to time and also as laid down in the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations. The registration of Traders can commence only after the admission of the Participating Exchange of which he is a member broker.

5.6 The Member brokers of the Participating Stock Exchanges who are registered as stock brokers with the SEBI will be eligible for registration as Trader with ISE subject to such conditions as prescribed in the Articles, Bye-Laws and Regulations of ISE. The Board may from time to time alter, amend, withdraw or vary the terms and conditions subject to its conformity with the provisions of SC(R)A, SEBI Act and the Rules made thereunder.

5.7. Trader of any trading segment may trade in ISE securities applicable to that segment.

5.8. Any legal person can be registered as a Dealer by ISE subject to such conditions, as may be prescribed by the Board from time to time;

5.9. The Dealer of any segment may trade in ICMS securities applicable to that segment.

VI . REGISTRATION OF TRADERS AND DEALERS

6.1. Any person desirous of registering as a Trader or Dealer as such with ISE shall apply for registration as Trader or Dealer of the relevant trading segment of ISE. Every applicant shall be dealt with by the relevant authority which shall be entitled to register or reject such applications at its discretion.

6.2. The Application shall be made in such formats as may be specified by the relevant authority from time to time for application for registration as a Trader or Dealer to each trading segment.

6.3. The application for registration of Trader duly recommended by the Board or prescribed authority of the Participating Stock Exchange shall be forwarded to ISE. The application of the Dealer will be directly processed by the relevant authority of ISE. ISE may in the ordinary circumstances process the application for registration and decide on the registration within 30 days from the date of receipt of completed application.

6.4. The application shall have to be submitted along-with such fees, security deposit and other monies in such form and in such manner as may be specified by the relevant authority from time to time.

6.5. The application shall have to be furnished with such declarations as may be specified from time to time by the relevant authority.

6.6 The relevant authority shall have the right to call upon the applicants to pay such fees or deposit, such additional security in cash or kind, to furnish any additional information or guarantee or to require the deposit of any building fund, computerization fund, training fund or fees as the relevant authority may prescribe from time to time.

6.7 The relevant authority may admit the applicant as Trader or Dealer of the respective ISE segment provided that the person satisfies the eligibility conditions and other procedures and requirements of application and admission. The relevant authority may at its absolute discretion reject any application for registration without communicating the reason thereof.

6.8 The relevant authority may at any time from the date of registration of the Trader or Dealer on ISE cancel the registration and expel a Trader or a Dealer if he has in or at the time of his application for registration as Trader or Dealer or during the course of the inquiry made by the relevant authority preceding his registration :

(a)made any willful misrepresentation; or

(b)suppressed any material information required of him as to his character and antecedents; or

(c) has directly or indirectly given false particulars or information or made a false declaration.

6.9. When a person is registered as a Trader or a Dealer of ISE, an intimation of the person's registration shall be sent to the Participating Stock Exchange of which he is a Member. If the person registered as a Trader or Dealer of ISE, after intimation of his admission is duly sent, does not become a Trader or Dealer by complying with acts and procedures for exercising the privileges of Trader or Dealer as may be prescribed by the relevant authority within a specified time period from the date of dispatch of the intimation of registration, then the registration fee paid by him shall be forfeited by ISE.

6.10 Every Trader or Dealer of ISE shall, upon being registered as a Trader or Dealer on ISE be issued a certificate or entitlement slip as proof of having been registered and entitled to the benefits and privileges of the Trader or Dealer of ISE. Such a certificate or entitlement shall not be transferable or transmittable.

6.11 The certificate or entitlement slip does not confer any ownership right as a Member of the Company.

6.12 A Trader or Dealer shall not assign, mortgage, pledge, hypothecate or charge his right of trading or any rights or privileges attached thereto and no such attempted assignment, mortgage, pledge, hypothecation or charge shall be effective against ISE for any purpose, nor shall any right or interest as Trader or Dealer other than the personal right or interest of the Trader or Dealer therein be recognized by ISE. The relevant authority shall expel any Trader or Dealer of ISE who acts or attempts to act in violation of the provisions of this Rule.

PARTNERSHIP AND CORPORATION

6.13 No Trader shall form a partnership or admit a new partner to an existing partnership or make any change in the name of an existing partnership or corporate without intimation and prior approval of the respective Participating Exchange and/or SEBI or corporatise as the case may be in addition to any such requirements as the relevant authority may specify from time to time; which may, inter-alia, include deposits, declarations, guarantees and other conditions to be met by and which may be binding on partners of the firm or Directors of the Company.

6.14 The constitution of partnership or corporatisation of membership at the Participating Exchange by a Trader will be subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of the respective Participating Exchange where the Trader is a member and also be subject to the provision of SC(R) A, 1956 and SEBI Act, 1992 and the Rules framed thereunder apart from the Articles, Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE. The administrative and regulatory function with regard to overseeing of registration of partnership firm, corporation, fulfillment of all relevant laws, Rules and Regulations will be performed by the Participating Stock Exchange where the Trader is a Member. Apart from the Traders, the Participating Stock Exchanges will also be required to intimate the registration or change in constitution of the partnership firms and Corporatisation of its members to ISE. In case of any change in the constitution or ownership structure of a Trader after registration with ISE, the Participating Stock Exchanges will approve the registration or change only after obtaining a No Objection Certificate from ISE.

6.15 No Trader who is a partner in any partnership firm shall assign or in any way encumber his interest in such partnership firm without obtaining a " No Objection Certificate" from ISE.

6.15.1 Further, no Trader shall, at the same time be a partner in more than one Partnership Firm which is a Trader on ISE.

6.16 The partnership firm shall register with the Registrar of Firms as well as with the Income-Tax Authorities and shall produce a proof of such registration to ISE.

6.17 The partners of the firm shall do business only on account of the firm and jointly in the name of the partnership firm.

6.18 The Members of the partnership firm must communicate to ISE in writing under the signatures of all the partners or surviving partners any change in such partnership either by dissolution or retirement or death of any partner or partners.

6.19 Any notice to ISE intimating dissolution of a partnership shall contain a Letter of Guarantee as to

who undertakes the responsibility of settling all outstanding contracts and liabilities of the dissolved partnership firm but that shall not be deemed to absolve the other partners of his or their responsibility for such outstanding contracts and liabilities.

TERMINATION OF REGISTRATION

6.20 Any Trader or Dealer, may cease to be a Trader or Dealer , if one or more of the following apply;

(a) By resignation;

(b) By Death;

(c) By expulsion in accordance with the provisions contained in the Articles, Rules, Bye-Laws, and Regulations;

(d) On cancellation of registration as stock-broker by the SEBI;

(e) By dissolution in case of partnership firm;

(f) By winding up or dissolution of such company in case of a limited company;

(g) On ceasing to be a Member of the Participating Stock Exchange;

(h) On expulsion or termination of the Membership of the Participating Stock Exchange of which he is a Member.

(i) On being declared a Defaulter in accordance with the Bye-Laws, Rules and Regulations of ISE.

Resignation

6.21.1 A Trader or Dealer who intends to resign as a Trader or Dealer of ISE shall give to ISE a written notice to that effect through its Participating Stock Exchange which will be displayed on the trading network or through such other means of communication for such period as may be decided by the relevant authority.

6.21.2 Any Trader or Dealer or Member of ISE objecting to any such resignation shall communicate the grounds of his objection to the relevant authority by letter within such period as may be specified by the relevant authority from time to time.

6.21.3 The relevant authority may accept the resignation of a Trader or Dealer either unconditionally or on such conditions as it may think fit or may refuse to accept such resignation and in particular may refuse to accept such resignation until it is satisfied that all outstanding transactions of such Trader or Dealer have been settled.

Death

6.22 On the death of a Trader or Dealer, his legal representatives and authorized representatives, if any, shall give due intimation thereof to the Participating Stock Exchange who in turn shall send intimation to the relevant authority of ISE. In case of Dealer, the intimation should be directly given to ISE.

Failure to pay Charges

6.23 Save as otherwise provided in the Rules, Bye-Laws, and Regulations of ISE if a Trader or Dealer fails to pay his annual subscription, fees, charges or other monies which may be payable by him to ISE or to the Clearing House within such time as the relevant authority may prescribe from time to time after notice in writing has been served upon him by ISE, he may be suspended by the relevant authority until he makes payment and if within a further period of fifteen days he fails to make such payment, he may be expelled by the relevant authority. However, his access to the market through his trader work station may be restricted for non-payment of margins or settlement dues for a period to be decided by the relevant authority.

Continued Admittance

6.24 The relevant authority shall from time to time prescribe conditions and requirements for continued registration of Traders and Dealers which may, inter-alia, include maintenance of minimum networth and capital adequacy. The Trader or Dealer who fails to meet these requirements shall be liable to be expelled.

Re-registration of Defaulters

6.25 The privileges of a Trader or Dealer shall lapse and vest with ISE immediately on the Trader/Dealer being declared a defaulter. The Trader or Dealer who is declared a defaulter shall forfeit all his rights and privileges as a Trader or Dealer of ISE, including any right to use of or any claim upon or any interest in any property or funds of ISE, if any.

6.26 The relevant authority may re-register a defaulter as a Trader/Dealer subject to the provisions as may be prescribed in the Rules, Bye-Laws and Regulations from time to time and only on the recommendation of Participating Stock Exchange and the Defaults Committee.

6.27 The relevant authority may re-register only such defaulter who in its opinion:

(a) has paid up all dues to ISE and Participating Stock Exchange and clients within a maximum period of six months or such reduced period, as may be prescribed by the Board, from the date of his being declared a defaulter.

(b) (i) has no insolvency proceedings against him in a Court or has not been declared insolvent by any Court;

(ii) in case of a corporate entity, no insolvency proceedings have been instituted against the Directors and/or the Dominant shareholders in the Court or they have not been declared insolvent by any Court;

(c) he defaulted owing to the default of principals whom he might have reasonably expected to be good for their commitments;

(d) has not been guilty of bad faith or breach of the Bye-Laws, Rules and Regulations of ISE and Participating Stock Exchange.

(e) has been irreproachable in his general conduct and;

(f) has been recommended for re-registration by the Participating Stock Exchanges of which he is a Member in the prescribed manner.

6.28 A defaulter shall be considered for re-registration by the relevant authority only after a period of two years provided he has paid all his dues within such time as prescribed under Rule 6.27(a). The dues will include that of ISE, the Participating Stock Exchange, Traders, Dealers, Clients and such other participants which are associated with ISE.

VII CODE OF CONDUCT, DISCIPLINARY PROCEEDINGS, PENALTIES, SUSPENSION AND EXPULSION

Disciplinary Jurisdiction

7.1 The relevant authority may expel or suspend any or all of the Tradership / Dealership rights, and/ or fine and / or censure and / or warn the Trader/Dealer, if the Trader/Dealer is guilty of contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any of the provisions contained in the Articles, Bye-laws, Rules and Regulations of ISE or of any resolutions, orders, notices, directions or decisions or rulings of the Board of Directors, the Executive Committee or the Managing Director, Whole-time Director or any other Officer of ISE or of any conduct, proceeding or method of business which the relevant authority in its/his absolute discretion deems dishonorable, disgraceful, or unbecoming a Trader / Dealer of ISE or inconsistent with just and equitable principles of trade or detrimental to the interests, good name or welfare of ISE or prejudicial or subversive to its objects and purposes.

Penalty for Misconduct, Unbusinesslike Conduct and Unprofessional Conduct

7.2 In particular and without in any way limiting or prejudicing the generality of the provisions in Rule 7.1 above, a Trader / Dealer shall be liable to expulsion or suspension from Tradership / Dealership rights or withdrawal of all or any of his Tradership / Dealership rights and / or to payment of a fine and / or to be censured, reprimanded or warned for any misconduct, unbusinesslike conduct or unprofessional conduct in the sense of the provision in that behalf contained herein.

Misconduct

7.3 A Trader / Dealer shall be deemed guilty of misconduct for any of the following or similar acts or omissions committed in ICMS or in the Participating Stock Exchanges:

a) **Fraud** : If he is convicted of a criminal offence or commits fraud or a fraudulent act which in the opinion of the relevant authority renders him unfit to be a Trader/ Dealer;

b) **Violation** : If he has violated provisions of any Statute governing the activities, business and operations of ISE, Participating Exchange, Traders or Dealers and/or securities business in general;

c) **Improper Conduct** : If in the opinion of the relevant authority, he is guilty of dishonorable or disgraceful or disorderly or improper conduct on ISE or on Participating Exchange; or of willfully obstructing the business of ISE or of the Participating Exchange;

d) **Breach of Articles, Rules, Bye Laws and Regulations** : If he shields or assists or omits to report information about any Trader / Dealer or about a member of the Participating Exchange whom he has known to have committed a breach or evasion of any Article, Rule, Bye law or

Regulation of ISE or of the Participating Exchange or of any resolution, order, notice or direction thereunder of the Board of Directors, Executive Committee, other Committees, Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE or of the Participating Exchange;

e) **Failure to comply with Resolutions** : If he contravenes or refuses or fails to comply with or abide by any resolution, order, notice, direction, decision or ruling of the relevant authority or of the Board of Directors, Executive Committee, other committees or of the Managing Director, Whole-time Director, or any Officer of ISE or of the Participating Exchange;

f) **Failure to submit to or abide by Arbitration** : If he neglects or fails or refuses to submit to arbitration or to abide by or carry out any award, decision or order of the Board of Directors, Executive Committee, other Committees or of the Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE or of the Arbitration Panel; Arbitral Tribunal or the Arbitrators made in connection with a reference under the Articles, Rules, Bye- laws and Regulations of ISE or the Participating Exchange.

g) **Failure to testify or give information** : If he neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or Board of Directors, Executive Committee or the Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf, such books, correspondence, documents and papers or any part thereof as may be required to be produced or to appeal and testify before or cause any of his partners before the relevant authority or the Board of Directors, Executive Committee or the Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf;

h) **Failure to submit special returns** : If he neglects or fails or refuses to submit to the relevant authority or the Board of Directors, Executive Committee, other Committees or the Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE or of the Participating Exchange within the time notified in this regard special returns in such form as the relevant authority or the Board of Directors, Executive Committee, other Committees or the Managing Director or Whole-time Director may from time to time prescribe together with such other information as may be prescribed in this respect to be furnished by any or all Traders / Dealers;

i) **Failure to submit audited accounts** : If he neglects or fails or refuses to submit his audited accounts to ISE or to the Participating Exchange within such time as may be prescribed by the relevant authority from time to time;

j) **Failure to compare or submit accounts with Defaulter** : If he neglects or fails to compare or submit his accounts with/to the Defaults Committee of ISE or of the Participating Exchange; if he fails to submit a statement of his accounts with a Defaulter or issue a certificate that he has no outstanding account with the Defaulter or if he makes a false or misleading statement thereof either at ISE or at the Participating Exchange;

k) **False or misleading returns** : If he neglects, fails or refuses to submit or makes any false or misleading statement in his clearing forms or returns required to be submitted to ISE or to the Participating Exchange under the Articles, Bye laws, Rules and Regulations of ISE or of the Participating Exchange;

l) **Vexatious complaints** : If he or his agent brings before the Board of Directors, Executive Committee, other Committees or the Managing Director, Whole-time Director or an officer of

ISE or of the Participating Exchange or any other person authorized in that behalf a charge, complaint or suit which in the opinion of the relevant authority is frivolous, vexatious or malicious;

m) **Failure to pay dues, fees and charges** : If he fails to pay to ISE or to the Participating Exchange his annual subscription, fees, transaction charges, contribution towards Settlement Guarantee Fund or Investors Protection Fund or Investors Services Fund, arbitration and/or other charges or any other money which may be due from him or any fine or penalty imposed on him.

n) If the Board, Statutory Committee(s), the Executive Director or any other authority of the Participating Exchange duly authorised in this regard passes an order in writing holding the Trader guilty of misconduct and such communication is received by ISE.

Unbusinesslike Conduct

7.4 A Trader / Dealer shall be deemed guilty of unbusinesslike conduct for any of the following or similar acts or omissions committed either at ISE or at the Participating Exchanges namely:

a) **Fictitious names** : If he transacts his own business or the business of his client(s) in fictitious names or if he carries on business in more than one trading segment of ISE under fictitious names;

b) **Fictitious dealings**: If he makes fictitious transaction(s) or gives an order for the purchase or sale of securities, the execution of which involves no change of ownership or executes such an order with knowledge of its nature or indulges himself in circular trading or unfair trade practices;

c) **Circulation of rumours** : If he, in any manner, circulates or causes to be circulated, any rumours;

d) **Prejudicial business** : If he makes or assists in making or having such knowledge is a party to or assists in carrying out any plan or scheme for the making of any purchases or sales or offers for purchase or sale of securities for the purpose of upsetting the equilibrium of the market or bringing about a situation in which prices will not fairly reflect market values;

e) **Market manipulation and rigging** : If he, directly or indirectly, alone or with other persons, effects one or a series of transactions in any security to create actual or apparent active trading in such security or raising or depressing the prices of such security for the purpose of inducing purchase or sale of such security by others;

f) **Unwarrantable business** : If he engages in reckless or unwarrantable or unbusinesslike dealings in the market or effects purchases or sales for his client or for any account in which he is directly or indirectly interested, which purchases or sales are excessive in view of his client's or his own means and financial resources or in view of the market for such security;

g) **Compromise**: If he connives in respect of failure of a Trader / Dealer or accepts less than full and bona fide money payment in settlement of a debt due from a Trader / Dealer arising out a transaction in securities;

h) **Dishonored cheque** : If he issues to any other Trader / Dealer or to his clients a cheque which is dishonored on presentation(s) for whatever reasons;

i) **Failure to carry out transactions with clients** : If he fails in the opinion of the relevant authority to carry out his committed transactions with his clients.

j) If the Board, Statutory Committee(s), the Executive Director or any other authority of the Participating Exchange duly authorised in this regard passes an order in writing holding the Trader guilty of unbusinesslike conduct and such communication is received by ISE.

Unprofessional Conduct

7.5 A Trader / Dealer shall be deemed guilty of unprofessional conduct for any of the following or similar acts or omissions whether at ISE or Participating Exchange namely :

a) **Business in securities in which dealings not permitted** : If he enters into dealings in securities in which dealings are not permitted;

b) **Business for defaulting client** : If he deals or transacts business directly or indirectly or executes an order for a client(s) who has within his knowledge failed to carry out engagements relating to securities and is in default to another Trader / Dealer unless such client shall have made a satisfactory arrangement with the Trader / Dealer who is his creditor;

c) **Business for Insolvent** : If without first obtaining the consent of the relevant authority, he is directly or indirectly interested in or associated in business with or transacts any business with or for any individual who has been bankrupt or insolvent even though such individual may have obtained his final discharge from an Insolvency Court;

d) **Business without permission when under suspension** : If without the permission of the relevant authority, he does business on his own account or on account of a principal or on any other account with or through a Trader / Dealer during the period he is required by the relevant authority to suspend business on ISE;

e) **Business for or with suspended, expelled and defaulter Traders / Dealers**: If without the special permission of the relevant authority, he shares brokerage with or carries on business or makes any deal for or with any Trader / Dealer who has been suspended, expelled or declared a defaulter;

f) **Business for Employees of other Traders / Dealers**: If he transacts business directly or indirectly for or with or executes an order for an authorized representative or employee of another Trader / Dealer without written consent of such employing Trader / Dealer;

g) **Business for Stock Exchange Employees**: If he makes a speculative transaction in which an employee of ISE or Participating Exchange is directly or indirectly interested;

h) **Advertisement**: If he advertises for business purposes or if he issues regularly circular(s) or other business communication to persons other than his own clients, Trader / Dealers of ISE,

Banks and Companies or publishes pamphlets, circulars or any other literature or report or information relating to the stock markets with his name attached;

i) **Evasion of Margin Requirements**: If he willfully evades or attempts to evade or assists in evading the margin requirements prescribed in the Articles, Rules, Bye Laws and Regulations of ISE or of the Participating Exchange;

j) **Brokerage Charge**: If he willfully deviates from or evades or attempts to evade the Rules, Bye-Laws and Regulations relating to charging and sharing of brokerage.

k) If the Board, Statutory Committee(s), the Executive Director or any other authority of the Participating Exchange duly authorised in this regard passes an order in writing holding the Trader guilty of unprofessional conduct and such communication is received by ISE.

Suspension from doing Business

7.6 The relevant authority may suspend a Trader/ Dealer from doing business or it may require a Trader / Dealer to suspend his business forthwith in part or in whole in the following circumstances:

a) **Prejudicial Business** : When in the opinion of the relevant authority, the Trader / Dealer conducts business in a manner prejudicial to ISE or to the Participating Exchange by making purchases or sales of securities or offers to purchase or sell securities for the purpose of upsetting equilibrium of the market or bringing about a condition of destabilization in which prices will not fairly reflect market values, or

b) **Unwarrantable Business** : When in the opinion of the relevant authority, he engages himself in unwarrantable business or effects purchases or sales for his client's account or for any account in which he is directly or indirectly interested which purchases or sales are excessive in view of his client's or his own means and financial resources or in view of the market for such security, or

c) **Unsatisfactory Financial Condition** : When in the opinion of the relevant authority, he is in such financial condition that he cannot be permitted to do business with safety to his creditors or ISE or the Participating Exchange.

d) The relevant authority shall suspend business of a Trader/Dealer or shall require him to suspend his business when he fails to provide at the relevant time slot the margin deposit and / or fails to full his obligations or commitments, at the relevant time slot, in respect of pay-in, delivery-in, Base Minimum Capital, Additional Capital, settlement of bad delivery claims, payment of transaction charges or contribution towards Settlement Guarantee Fund or Investors Protection Fund or Investors Services Fund or insurance premium or annual subscription or any other charge or fee payable by the Trader/ Dealer or under such other circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time without giving any opportunity of hearing or show-cause notice.

e) The relevant authority may suspend business of a Trader/Dealer or may require him to suspend his business when he fails to maintain requisite networth or fails to settle investors claims, comply with arbitration awards, comply with orders, directions or circulars issued by the ISE from time to time, fails to pay SEBI registration fee or Service Tax or other statutory dues

or under such other circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

f) The relevant authority may suspend business of a Trader/ Dealer or may ask him to suspend his business if he is suspended by SEBI or Central Government or any Statutory body or under such other circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

g) When he is suspended or expelled or declared a defaulter by the Participating Exchange, he shall be suspended from doing business forthwith in ISE and subsequently the matter will be referred to the relevant authority of ISE for further action against such Trader including his suspension, expulsion or declaration as defaulter.

h) The relevant authority may prescribe different conditions under which a Trader/ Dealer shall be allowed to do only squaring off transactions or under which he is not allowed to enter into any transaction on his own but ISE can square off his position or under which he will be completely deactivated or such other conditions and modes of suspension from doing business as may be decided by the relevant authority from time to time.

<u>Temporary Suspension from Tradership/ Dealership rights</u>

7. 7 Notwithstanding what is contained in clauses herein above, if in the opinion of the Managing Director or Whole-time Director or the relevant authority, it is necessary to do so, he/it may, for reasons to be recorded in writing, temporarily suspend a Trader / Dealer from Tradership/ Dealership rights, pending completion of the proceedings for suspension under this chapter by the relevant authority and no prior notice of hearing shall be required for such temporary suspension and such temporary suspension shall have the same future consequences of suspension from Tradership/ Dealership rights if subsequently, after show-cause notice and hearing, such decision of suspension is upheld by the relevant authority, provided that:

(a) A notice to show cause shall be issued to the Trader / Dealer within three working days of such temporary suspension.

(b) Any such temporary suspension may be revoked at the discretion of the Managing Director or relevant authority, for reasons to be recorded in writing, if the Managing Director is satisfied that the circumstances leading to the decision of the Managing Director or Whole-time Director or relevant authority to effect temporary suspension, have ceased to exist or are satisfactorily resolved.

(c) A Trader / Dealer aggrieved by the temporary suspension may appeal to the relevant authority, provided that such appeal shall not automatically stay the temporary suspension unless otherwise directed by the relevant authority.

<u>Consequence of Suspension of Tradership /dealership rights</u>

7.8 The suspension of a Trader / Dealer under the circumstances stated under Rule 7.2 shall have the following consequences, namely:

a) **<u>Suspension of Tradership / Dealership Rights</u>**: The suspended Trader / Dealer shall during the terms of his suspension be deprived of and excluded from all the rights and

privileges of Tradership / Dealership, but he may be proceeded against by the relevant authority for any offence committed by him either before or after his suspension and the relevant authority authorized in that behalf shall not be debarred from taking cognizance of and adjudicating on or dealing with any claim made against him by other Traders / Dealers;

b) **Rights of creditors unimpaired:** The suspension shall not affect the rights of the Traders / Dealers who are creditors of the suspended Trader/ Dealer;

c) **Office vacated**: The suspension shall create a vacancy in any office or position held by the suspended Trader / Dealer.

d) **Fulfillment of Contracts**: The suspended Trader / Dealer shall be bound to fulfil contracts outstanding at the time of his suspension;

e) **Further business prohibited:** The suspended Trader / Dealer shall not during the terms of his suspension make any trade or transact any business with or through a Trader / Dealer provided that he may with the permission of the relevant authority close-out with or through Traders / Dealers the transactions outstanding at the time of his suspension;

f) **Traders / Dealers not to deal:** No Trader / Dealer shall transact business for or with or share brokerage with a suspended Trader / Dealer during the terms of his suspension, except with the previous permission of the relevant authority.

Consequences of Expulsion

7.9 The expulsion of a Trader / Dealer shall have the following consequences, namely:

(a) **Tradership / Dealership Rights forfeited**: The expelled Trader / Dealer shall forfeit to ISE his right of Tradership / Dealership and all rights and privileges as a Trader / Dealer of ISE including any right to the use of or any claim upon or any interest in any property or funds of ISE but any liability of any such Trader / Dealer of ISE shall continue and remain unaffected by his expulsion;

(b) **Office vacated**: The expulsion shall create a vacancy in any office or position held by the expelled Trader / Dealer.

(c) **Rights of Creditors unimpaired**: The expulsion shall not affect the rights of the Trader Dealer who are creditors of the expelled Trader / Dealer;

(d) **Fulfillment of Contracts**: The expelled Trader / Dealer shall be bound to fulfil transactions outstanding at the time of his expulsion and he may with the permission of the relevant authority close-out such outstanding transactions with or through other Traders / Dealers;

(e) **Traders / Dealers not to deal**: No Trader / Dealer shall transact business for or with or share brokerage with the expelled Trader / Dealer except with the previous permission of the relevant authority.

Consequences of suspension from doing business

7.10 Suspension from doing business under the circumstances stated under Rule 7. 6 shall have the following consequences:

a) **Suspension of right to trade**: The suspended Trader / Dealer shall during the continuance of suspension from doing business be deprived of and excluded from all the rights and privileges of trading in ICMS, but he shall be bound to settle all outstanding transactions as on that date as per Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and for the restricted purpose of such outstanding settlement and fulfillment of his outstanding obligations and commitments, he shall participate in the delivery, pay-in and pay-out notwithstanding his suspension from doing business.

b) **Rights of creditors unimpaired**: The suspension shall not affect the rights of the Traders / Dealers who are creditors of the suspended Trader/ Dealer;

c) **Further business prohibited**: The suspended Trader / Dealer shall not during the terms of his suspension from doing business make any trade or transact any business with or through a Trader / Dealer provided that he may with the permission of the relevant authority close-out with or through Traders / Dealers the transactions outstanding at the time of his suspension;

d) **Traders / Dealers not to deal**: No Trader / Dealer shall transact business for or with or share brokerage with a suspended Trader / Dealer during the terms of his suspension, except with the previous permission of the relevant authority.

Explanation before expulsion or suspension from Tradership/ Dealership rights

7.11 Save as provided under Rule 7.7 above, the relevant authority shall serve a show-cause notice, upon a Trader / Dealer stating therein all charges brought against him before taking decision regarding his expulsion or suspension from Tradership/ Dealership rights and shall also provide reasonable opportunity to explain the charges or to make personal representation before the relevant authority, but in all cases, the findings of the relevant authority shall be final and conclusive.

Provided that no such show cause notice or opportunity of hearing shall be required for taking a decision regarding suspension of a Trader/ Dealer from doing business under Rule 7.6.

Permission necessary for Legal Representation

7.12 In respect of such proceedings and hearing as stated under Rule 7.11, no Trader/ Dealer or other persons shall have the right to be represented by professional counsel, attorney, advocate or other representative in any investigation or hearing before the relevant authority, unless the relevant authority so permits. Such permission may or may not be granted by the relevant authority on case to case basis.

Decision of relevant authority final and binding

7.13 After service of show cause notice and giving an opportunity of hearing to the concerned Trader/ Dealer , the relevant authority shall take final decision in accordance with the provisions stated in

the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and all such decisions whatsoever shall be binding on the Trader/ Dealer.

Appeal

7.14 The Trader/ Dealer aggrieved with the decision of the relevant authority may file an Appeal before the Board and in such cases the Board shall, after considering circumstances of the case and other facts, take decision in the matter, which may include reducing or revising the penalty or period of suspension or expulsion or confirming the same decision. All such decision taken by the Board shall be final and binding on the Trader/ Dealer.

Provided that during pendancy of the Appeal before the Board, the original decision of the relevant authority shall remain effective unless otherwise decided by the Board.

Notice of Penalty and Suspension of Business

7.15 Notice shall be given to the Trader / Dealer concerned and to the Traders / Dealers in general by a notice on the trading network of ISE or through a written communication or otherwise of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a Trader / Dealer. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit, notify or cause to be notified to the Traders / Dealers of ISE or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended his business or ceased to be a Trader / Dealer. No action or other proceedings shall under any circumstances, be maintainable by such Trader/Dealer against the Board of Directors, Executive Committee, Managing Director, Whole-time Director, any other Committee or any Officer of ISE for the publication or circulation of such notification and the application for Tradership / Dealership or the application for registration as the constituted attorney or authorized representative or by the person concerned shall operate as license and the Articles, Rules, Bye Laws and Regulations shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.

Consequential suspension or expulsion

7.16 If a Trader / Dealer is suspended from doing business under the provisions of these Rules and such default or non-compliance, for which he is suspended from doing business, continues beyond a period as may be decided by the relevant authority, the relevant authority may expel or suspend such Trader/ Dealer from Tradership/ Dealership rights after serving a show cause notice and also after giving an opportunity of hearing.

7.17 A Trader / Dealer who is required to suspend his business shall be expelled by the relevant authority if he acts in contravention of such order.

Expulsion Rules to Apply

7.18 When a Trader / Dealer ceases to be such under the provisions of the Articles, Rules, Bye Laws and/or Regulations, otherwise than by death, default or resignation, it shall be as if such Trader /

Dealer has been expelled by the Board of Directors, Executive Committee or the Managing Director and in that event all the provisions relating to expulsion contained in the Articles, Rules, Bye Laws and Regulations shall apply to such Trader / Dealer in all respects.

Trader's / Dealer's responsibility for Partners, Agents and Employees

7.19 A Trader / Dealer shall be fully responsible for the acts and omissions of his Partners, Directors, authorized officials, attorneys, agents, authorized representatives and employees and if any such act or omission be held by the Board of Directors, Executive Committee or the Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf to be one which if committed or omitted by the Trader / Dealer would subject him to any of the penalties as provided in the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE, then such Trader / Dealer shall be liable thereof to the same penalty to the same extent, as if such act or omission had been done or omitted to be done by himself.

Removal or revocation of Suspension from doing business

7.20 The suspension from doing business of the Trader/ Dealer shall be revoked by the relevant authority on fulfillment of conditions for which he was suspended from doing business or otherwise as may be decided by the relevant authority.

7.21 The suspension of business under Rule 7.8 shall continue until the Trader / Dealer has been allowed by the relevant authority to resume business on his paying such fee or deposit or on his doing such act or performing such other functions as the relevant authority may require.

Provided that if a Trader/ Dealer fail to pay such fee or deposit or to do such act or perform such other functions as the relevant authority may require and such default continues beyond the period as may be prescribed by the relevant authority, he may be expelled or suspended from Tradership/ Dealership rights.

Removal or revocation of suspension or expulsion

7.22 The Board may frame rules and procedures for removal or revocation of expulsion or suspension of a Trader/ Dealer from Tradership/ Dealership rights and also the conditions and consequential effects relating thereto. The Board may decide that after revocation of expulsion/ suspension, such Trader/ Dealer shall make an additional deposit of such amount as may be prescribed by the relevant authority or that such Trader/ Dealer shall be subject to such cooling period, as may be prescribed by the relevant authority, before resuming trading rights or that such of the rights, as may be prescribed by the relevant authority, shall not be available to such Trader/ Dealer in future.

Traders / Dealers and others to testify and give information

7.23 A Trader / Dealer shall appear and testify before and cause his partners, employees and authorized representatives to appear and testify before the Board of Directors, Executive Committee, any other Committee appointed by the Board of Directors, Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf, such books, correspondence, documents, papers and

the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and all such decisions whatsoever shall be binding on the Trader/ Dealer.

Appeal

7.14 The Trader/ Dealer aggrieved with the decision of the relevant authority may file an Appeal before the Board and in such cases the Board shall, after considering circumstances of the case and other facts, take decision in the matter, which may include reducing or revising the penalty or period of suspension or expulsion or confirming the same decision. All such decision taken by the Board shall be final and binding on the Trader/ Dealer.

Provided that during pendancy of the Appeal before the Board, the original decision of the relevant authority shall remain effective unless otherwise decided by the Board.

Notice of Penalty and Suspension of Business

7.15 Notice shall be given to the Trader / Dealer concerned and to the Traders / Dealers in general by a notice on the trading network of ISE or through a written communication or otherwise of the expulsion or suspension or default of or of the suspension of business by a Trader / Dealer. The relevant authority may in its absolute discretion and in such manner as it thinks fit, notify or cause to be notified to the Traders / Dealers of ISE or to the public that any person who is named in such notification has been expelled, suspended, penalised or declared a defaulter or has suspended his business or ceased to be a Trader / Dealer. No action or other proceedings shall under any circumstances, be maintainable by such Trader/Dealer against the Board of Directors, Executive Committee, Managing Director, Whole-time Director, any other Committee or any Officer of ISE for the publication or circulation of such notification and the application for Tradership / Dealership or the application for registration as the constituted attorney or authorized representative or by the person concerned shall operate as license and the Articles, Rules, Bye Laws and Regulations shall operate as leave to print, publish or circulate such advertisement or notification and be pleadable accordingly.

Consequential suspension or expulsion

7.16 If a Trader / Dealer is suspended from doing business under the provisions of these Rules and such default or non-compliance, for which he is suspended from doing business, continues beyond a period as may be decided by the relevant authority, the relevant authority may expel or suspend such Trader/ Dealer from Tradership/ Dealership rights after serving a show cause notice and also after giving an opportunity of hearing.

7.17 A Trader / Dealer who is required to suspend his business shall be expelled by the relevant authority if he acts in contravention of such order.

Expulsion Rules to Apply

7.18 When a Trader / Dealer ceases to be such under the provisions of the Articles, Rules, Bye Laws and/or Regulations, otherwise than by death, default or resignation, it shall be as if such Trader /

records or any part thereof which may be in his possession and which may be deemed relevant or material to any matter under inquiry or investigation.

Imposition of Penalties

7.24 The penalty of suspension, expulsion or withdrawal of any or all of the Tradership / Dealership rights may be inflicted by the relevant authority. The penalty to fine, censure or warn a Trader/Dealer for contravening any of the provisions of the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations may be inflicted by the Board of Directors, Executive Committee, Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf.

Pre-determination of Penalties

7.25 The relevant authority shall have the power to pre-determine the penalties, the period of any suspension, the withdrawal of particular Tradership / Dealership rights and the amount of any fine that would be imposed on contravention, non-compliance, disobedience, disregard or evasion of any Article, Rule, Bye Law or Regulations of ISE or of the Participating Exchange or of any resolution, order, notice, direction, decision or ruling thereunder of the Board of Directors, Executive Committee, Managing Director, Whole-time Director or any Officer of ISE authorized in that behalf.

Commutation

7.26 Subject to the provisions of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, the relevant authority may in any case suspend a Trader / Dealer in lieu of the penalty of expulsion or may withdraw all or any of the Tradership / Dealership rights or impose a fine in lieu of the penalty of suspension or expulsion and may direct that the guilty Trader / Dealer be censured or warned or may reduce or remit any such penalty on such terms and conditions as it deems fair and equitable.

Reconsideration / Review

7.27 Subject to the provisions of the Securities Contract (Regulation) Rules, 1957, the relevant authority may of its own motion or on appeal by the Trader / Dealer reconsider and may rescind, revoke or modify its resolution withdrawing all or any of the Tradership / Dealership rights or fining, censuring or warning any Trader / Dealer. In the same manner, the relevant authority may rescind, revoke or modify its resolution expelling or suspending any Trader / Dealer.

Provided further that where any Expulsion, Suspension or other penalty as aforesaid is imposed by the Government, SEBI or other authority issued in exercise of any powers conferred by the SC(R) Act or SEBI Act or the Rules framed thereunder or under any other statute, then the relevant authority shall not exercise the power to rescind or revoke or modify the same except with the previous sanction of the authorities concerned.

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED,

JOSEPH MASSEY
Managing Director.

BYE-LAWS

INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED

DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS

1. In these Bye-laws, if not inconsistent with or repugnant to the subject or context hereof, the following words and expressions shall have the following meanings :

1.1 "The Act" or "the said Act" means The Companies Act, 1956 and includes every statutory modification or replacement thereof, for the time being in force.

1.2 "The Articles" mean and include the Articles of Association of the Company for the time being in force.

1.3 "Associate" of a Trader / Dealer shall mean –

(i) a partner of the Trader,

(ii) designated Director of the Trader / Dealer in the event of the Trader/ Dealer being a company or other corporate body,

(iii) a lineal ascendant or descendant of the Trader, of a partner of the Trader or of a designated Director referred to in (ii) above,

(iv) a spouse, daughter-in-law, son-in-law, brother or sister of the Trader, or of a partner of the Trader, of a designated Director referred to in (ii) above, or a lineal descendent of a brother or sister referred to in this clause,

(v) a relative of the Trader, of a partner of the Trader or of a designated Director referred to in (ii) above,

(vi) In the case of a Trader / Dealer which is a company or other body corporate, a person who has a substantial interest in the Trader / Dealer within the meaning of Section 13 of the Income Tax Act, 1961.

1.4 "Board", "Board of Directors" or "the Directors" mean the Board of Directors of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited (ISE) or the Directors of ISE collectively. All the three terms are used interchangeably.

1.5 "Business day" shall have the same meaning as is assigned thereto in Bye-law 8.2.

1.6 "Bye-Laws" means Bye-Laws of the Company for the time being in force and unless the context indicates otherwise includes provisions which enable

Regulation and control of transactions. The Bye-Laws of the Company shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

1.7 "Clearing House" shall mean the Clearing House established by the company at its Registered Office or at the Participating Exchanges or which may be set-up by the Participating Exchanges and includes the Clearing Bank and other agents, licensees and franchisees so appointed by ISE to handle the activities related to Clearing House.

1.8 "Client" or "Constituent" means a person on whose instruction and on whose account the Trader or Dealer enters into a transaction for the purchase or sale of any tradable security or does any act in relation thereto.

1.9 "Company" means "Inter-Connected Stock Exchange of India Limited", also referred to as "ISE" which is for the time being recognized by the Central Government or the Securities and Exchange Board of India under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956. All the four terms are used interchangeably.

1.10 "Dealer" means any person admitted as a "Dealer" with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. [Explanation: There may be more than one class of Dealers registered with the Company as may be determined by the Board from time to time.

1.11 "Deals", "Transactions" and " Contracts" shall have the same meaning for the purpose of these Rules, Bye-Laws and Regulations unless the context indicates otherwise. All the three terms are used interchangeably.

1.12 "Inter-Connected Market System" or "ICMS" means the infrastructure and other facilities established by ISE to facilitate trading, clearing, and settlement of transactions in securities, and to consider all other matters consequential or incidental thereto or connected therewith among Traders, Dealers, Participants and other users and includes facilities set up by the Participating Recognized Stock Exchanges to enable Traders, Dealers, Participants and other users to participate in the facilities of ISE.

1.13 "Issuer" includes a Government Body, Corporate or other entity, whether incorporated or not, which issues any security or other instrument, or draws or accepts a negotiable instrument which is admitted for transaction on the

Official List of ISE.

1.14 "Market Maker"` means a Trader or Dealer registered as such with ISE to perform market making operations in the specified security or securities. [Explanation: There may be more than one class of Market Makers registered with the Company, as may be determined by the Board from time to time.]

1.15 "Member" or "Member of the Company" or "Member Exchange" means and includes subscribers to the Memorandum of Association and Articles of Association and such other Members of the Company as may be admitted as such who shall undertake to contribute to its assets for the purposes mentioned in Clause III of the Memorandum of Association as provided therein. All the three terms mentioned herein have been used interchangeably.

1.16 "Month" means a calendar month.

1.17 "Official List of ISE securities" means the list of securities listed on any recognized Stock Exchange in India, which are admitted for trading on the Official List of ISE.

1.18 "Participant" means a person registered as such by the relevant authority from time to time under the Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company.

1.19 "Participating Stock Exchange" or "Participating Exchange" or "Member Exchange" means a recognized Stock Exchange in India admitted as member of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations subject to such terms and conditions as may be prescribed from time to time by the relevant authority. These three terms are used interchangeably.

1.20 "Register" shall mean the register of members to be kept pursuant to Section 150 of the Act.

1.21 "Registered Office" shall mean the Office as Registered for the time being under the Companies Act, 1956.

1.22 "Relative" shall mean a person who is relative within the meaning of –

(i) Section 13 of the Income tax Act, 1961, or

(ii) Section 6 of the Companies Act, 1956

1.23 "Rules" mean Rules of ISE framed and amended, from time to time, by the Board. [Explanation: "Rules" shall include Memorandum and Articles of Association of the Company and these relate in general to the constitution and management of ISE and such other matters incidental or related thereto.]

1.24 "Regulation" means Regulations of ISE for the time being in force and unless the context indicates otherwise includes business Rules, code of conduct and such other Procedures, Circulars, Directives, Orders, Notices and Regulations prescribed and issued by the Board, the Executive Committee or any other relevant authority from time to time for the operation of ICMS and these shall be subject to the provisions of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

1.25 "Relevant Authority" means General Body of Members of ISE, the Board, Executive Committee or any person as may be relevant for a particular purpose under the Rules, Bye-Laws, Regulations and Articles of Association or such other authority as may be constituted from time to time for a specified purpose under the Rules, Bye-Laws and Regulations.

1.26 "SC(R) Act" shall mean the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.27 "SGF" shall mean " Settlement Guarantee Fund"

1.28 "SSF" shall mean " Settlement Stabilisation Fund"

1.29 "Seal" shall mean the 'Common Seal' for the time being of the Company.

1.30 "SEBI Act" shall mean the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and include any statutory modification or re-enactment thereof for the time being in force and the Rules made thereunder.

1.31 "SEBI" means the Securities and Exchange Board of India established under

the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

1.32 "Settlement" shall include a normal, auction and odd lot settlement but shall not include a bad delivery settlement, settlement of negotiated transactions or crossed deals: -

"Settlement in which a Trader / Dealer or a Defaulter has been declared a Defaulter" shall have the following meaning:

Where a Trader / Dealer has been declared a Defaulter for non-payment of any amount payable by him to the Clearing Bank or Clearing House or the Stock Exchange in respect of any Settlement Period, then the Settlement Period in respect of which the payment has not been made by the Trader / Dealer and thereby the Trader / Dealer is declared a Defaulter; and

Where the Trader / Dealer has failed to pay any amount payable by him to the Clearing Bank or Clearing House in respect of more than one settlement period, then the "Settlement in which the Trader / Dealer has been declared a Defaulter" shall be the settlement so specified by the authority which has declared him a Defaulter.

1.33 "Stock Exchange" means a Stock Exchange in India which has been granted recognition under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956.

1.34 " Sub-broker" means any person not being a member of a stock exchange who is registered with SEBI as "Sub-broker" and who acts on behalf of a stock-broker s an agent or otherwise for assisting the investors in buying, selling or dealing in securities through such stock –brokers.

1.35 Tradable Security means any Security admitted for transaction to the Official List of ISE.

1.36 "Trader" or "Member Broker" shall mean a Member of a Participating Stock Exchange registered as a "Trader" with the Company in accordance with the Rules, Bye-Laws and Regulations. [Explanation: The two terms are used interchangeably. There may be more than one class of Traders registered with the Company, as may be determined by the Board from time to time.]

1.37 "Trading Segment" means the separate segment or division comprising securities as classified or specified by the Board or relevant authority from time to time for transaction on the ICMS thereunder.

1.38 "Trading System" means a system which makes available to the Members, Traders, Dealers, Participants and investing public and others by whatever name called, quotations in securities admitted to transaction on the Official List of ICMS, execution of transactions thereof, and dissemination of information regarding prices, traded volumes and such other notifications, directives, circulars and information as may be issued thereof by the Board or the Executive Committee or any other relevant authority.

1.39 "Writing" includes printing, typewriting, lithography and any other usual substitutes for writing.

1.40 "Year" shall mean "Financial Year of the Company".

1.40 Words importing persons include companies, corporations, firms, joint families or joint bodies, associations of persons, societies, trusts, public financial institutions, subsidiaries of any of the public financial institutions or banks or companies;

1.41 Words importing the masculine gender shall include the feminine gender and vice-versa and neutral gender in the case of companies, corporations, firms, etc.

1.42 Words importing the singular include the plural and vice-versa.

1.43 Unless otherwise defined in these presents or unless the context requires or indicates a different meaning, any words or expressions occurring in these presents shall bear the same meaning as in the Companies Act, 1956, the SC(R) Act, 1956 and the SEBI Act, 1992 or any modifications or reenactments thereof or any Rules and Regulations framed thereunder.

1.44 Marginal notes shall not affect the construction thereof.

2. MANAGEMENT STRUCTURE

2.1.1 In accordance with the provisions of Article 20 of the Company, the Chairman of the Company shall be appointed every year after the Annual General Meeting from amongst the Public Representatives who are appointed as a Member of the Board of Directors of the company. The Chairman shall be a person of eminence possessing knowledge and expertise of the capital market.

2.1.2 The Chairman shall not be a member of any Stock Exchange and shall also not be in full time employment. The position of the Chairman shall be non-executive position.

2.1.3 The tenure of the Chairman shall be of such period as may be decided by the Board, subject to a maximum period of three years, provided he continues to be a Public Representative during such tenure.

2.1.4 The Chairman may assume and exercise such powers and functions and perform such duties as may be delegated to him by the Board from time to time in addition to the powers and functions as provided in the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. The Chairman shall represent the Company officially in all public matters.

2.2 Besides the Board of Directors of the Company, it shall be the duty of the Managing Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provisions of Law, Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. Any failure in this regard will make the Managing Director liable for removal or termination of service by the Company with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI, subject to the Managing Director being given an opportunity for being heard against such termination.

2.3 Subject to the overall management of the affairs of the Company being vested in the Board as per Article 24 of the Articles of Association and Chapter II of the Rules:

(i) the Managing Director shall be vested with the executive powers of the Company to run the day to day administration and to enforce the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company and shall exercise such powers as are provided hereunder and as may be delegated or entrusted to him by the Board from time to time.

(ii) in the absence of the Chairman, the Managing Director shall be vested with the powers, rights, duties and functions of the Chairman as provided

in the Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company, save and except those contained in Articles 19.3, 19.5, 19.6, 19.7, 19.10, 19.11, 19.15, 19.24, 22.2 and 22.4.

2.4 The Whole-time Director shall discharge all the functions, duties and responsibilities as may be delegated to him by the Board from time to time. In the absence of the Managing Director, it shall be the duty of the Whole-time Director to give effect to the directives, guidelines and orders issued by SEBI in order to implement the applicable provisions of Law, Articles of Association, Rules, Bye-Laws and Regulations of the Company. Any failure in this regard will make the Whole-time Director liable for removal or termination of service by the Stock Exchange with the prior approval of SEBI or on receipt of direction to that effect from SEBI, subject to the Whole-time Director being given an opportunity for being heard against such termination.

2.5 In the absence of the Managing Director or due to his inability to act, his functions and powers shall be exercised by the Whole-time Director and in the absence of the Whole-time Director by the next senior officer of the Company, as may be authorized by the Board.

2.6 In addition to the Chairman, the Managing Director and the Whole-time Director of the Company shall also represent the Company officially in all public matters.

2.7 Executive Committee(s) shall be constituted or appointed by the Board in accordance with the provisions of Articles of Association and Rules for managing the day to day affairs of the different trading segments of ISE in such manner as laid down in the Articles of Association, Rules, Bye-laws and Regulations.

2.8 The Executive Committee of each segment shall have such power and responsibilities as may be delegated to it by the Board from time to time, as provided in the Articles of Association and Rules.

3. TRADING SEGMENTS

3.1 There may be more than one Trading Segment as may be specified by the Board from time to time.

3.2 Securities, which will be permitted for trading in different segments, will be specified by the Board or relevant authority from time to time.

3.3 Securities eligible for trading under the Securities Contract (Regulation) Act, 1956 may be admitted to transaction on the Capital Market Trading Segment of ISE.

3.4 The Board may from time to time specify other Trading Segments such as for Whole-sale Debt Instruments, Modified Carry Forward Trading, dematerialised instruments, Futures, Options and other instruments.

Provided that for the Modified Carry Forward Trading or for trading in Futures, Options and Derivatives, prior permission from SEBI and it shall also be in compliance with the directives and guidelines issued by SEBI from time to time. All transactions and business rules shall be subject to and in consonance with the Bye-Laws and Regulations of the said Trading Segments. The Trading Segment for Options, Futures and Derivatives will be governed by a separate body and the relevant segment will have its own Bye-Laws and Regulations.

4. MEMBERS

4.1 Appointment and Fees.

4.1.1 The Company may, by a special resolution in a General Meeting admit members in accordance with the Articles of Association, Rules, Bye-laws and Regulations, as may be framed from time to time, in accordance with the Securities Contract (Regulation) Act, 1956, and the Rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 and the Rules made thereunder.

4.1.2 The Board of Directors or relevant authority may specify formats and procedures for applications for admission, termination, re-admission, etc. as a Member.

4.1.3 Such fees, security deposit and other monies as are specified by the Board or relevant authority will be payable on admission as a Member and for continuance of Membership.

4.2 Conditions

4.2.1 A Member must satisfy the eligibility conditions as prescribed under the Articles of Association at the time of admission and for continuance of Membership.

4.2.2 A Member shall adhere to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the Board or the relevant authority as may be issued and applicable from time to time.

4.2.3 A Member shall furnish declarations, undertakings, indemnities, etc. in such form as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

4.2.4 A Member shall furnish to ISE every year an Auditors' Certificate certifying that the requirements as may be prescribed from time to time by the relevant authority pertaining to its operations have been complied with.

4.2.5 A Member shall furnish to ISE such information and periodic returns pertaining to its operations and other matters as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

4.2.6 A Member shall furnish to ISE such audited and/or un-audited financial statements and quantitative information as may be required by the relevant authority from time to time.

4.2.7 A Member shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of inspection or audit authorised by the relevant authority in regard to any trades, Transactions, statements, accounting policies and / or other related matters.

5. TRADERS

5.1 REGISTRATION

5.1.1 The Board or the relevant authority is empowered to admit or register Traders who are members of the Participating Stock Exchanges as per the provisions contained in the Rules, Bye-laws and Regulations as may be framed from time to time in accordance with the SC(R) Act and the Rules framed thereunder, and SEBI Act and the Rules and Regulations framed thereunder.

5.1.2 The Board or the relevant authority may specify formats and procedures for registration, termination, re-registration, etc. of Traders to each trading segment. The Board of Directors or the relevant authority may, at its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be registered as a Trader.

5.1.3 A person shall pay such fees, security deposit and other monies as may be prescribed by the Board or the relevant authority from time to time on registration as a Trader and for continuance of Tradership.

5.1.4 A Trader of any Trading Segment may trade in ISE securities applicable to that segment.

5.1.5 A Trader may trade in the relevant securities either on his own account as a principal or on behalf of his clients, unless otherwise allowed by the relevant authority and subject to such conditions which the relevant authority may prescribe from time to time. He may also act as market-maker in such securities if he is so authorized and subject to such conditions as may be prescribed by the relevant authority.

5.2 CONDITIONS

5.2.1 Traders shall adhere to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be issued and made applicable from time to time.

5.2.2 All transactions executed on ICMS shall be in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE.

5.2.3 Traders shall comply with such requirements as may be prescribed by the Board or the relevant authority from time to time with regard to advertisement and issue of circulars in connection with their activities as Traders.

5.2.4 A Trader shall furnish declarations relating to such matters and in such form as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

5.2.5 A Trader shall furnish to ISE every year an Auditors' Certificate certifying that ISE requirements, as may be prescribed from time to time, by the relevant authority have been complied with.

5.2.6 A Trader shall furnish such information and periodic returns pertaining to his operations as may be required by the relevant authority from time to time.

5.2.7 A Trader shall furnish to ISE such audited and/or un-audited financial statements and quantitative information, as may be required by the relevant authority from time to time.

5.2.8 A Trader shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of any inspection or audit authorized by the relevant authority in regard to any trades, transactions, their settlement, accounting policies and / or other related matters.

6. DEALERS

6.1 Eligibility Conditions.

The Board may, from time to time, prescribe the categories of persons who shall be eligible to become Dealers of ISE. The following are the eligibility criteria:

6.1.1 No individual or firm shall be eligible to be admitted as a Dealer of ISE.

6.1.2 The Dealer shall follow the operational guidelines applicable to Dealer and meet the entry requirements as specified by the relevant authority from time to time.

6.1.3 It shall meet the requirements specified by SC(R) Act and the Rules framed thereunder, SEBI Act and the Rules and Regulations framed thereunder and it shall be registered with SEBI.

6.1.4 It shall fulfill capital adequacy and other eligibility conditions as specified by ISE from time to time.

6.1.5 The relevant authority may modify, add, delete and / or alter the above conditions from time to time to suit the requirements of ISE.

6.1.6 Foreign Institutional Investors, unless registered with SEBI as stock brokers, will not be allowed to act as Dealers.

6.1.7 ISE may specify different categories of Dealers subject to approval of SEBI.

6.2 **Registration**

6.2.1 The Board or the relevant authority is empowered to admit or register Dealers as per the provisions contained in the Rules, Bye-Laws and Regulations, as may be framed from time to time, in accordance with the SC(R) Act and the Rules framed thereunder and SEBI Act and the Rules and Regulations framed thereunder.

6.2.2 The Board or the relevant authority may specify formats and procedures for registration, termination, re-registration, etc. of Dealers for each Trading Segment. The Board may, in its absolute discretion, refuse permission to any applicant to be appointed as a Dealer.

6.2.3 A person shall pay such fees, security deposit and other monies as may be prescribed from time to time by the Board or the relevant authority for registration as a Dealer and for continuance of Dealership.

6.2.4 A Dealer of any Trading Segment may trade in ISE securities allowed for that segment.

6.2.5 A Dealer may trade in relevant securities either on its own account as principal or on behalf of its clients unless otherwise allowed by the relevant authority and subject to such conditions, which the relevant authority may prescribe from time to time. It may also act as market-makers in such securities if it is so authorized by the relevant authority and subject to such conditions as may be prescribed.

6.3 **Conditions**

6.3.1 Dealers shall adhere to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions of the relevant authority as may be issued and applicable from time to time.

6.3.2 All transactions executed in ICMS shall be in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE.

6.3.3 A Dealer shall comply with such requirements as may be prescribed by the relevant authority from time to time with regard to advertisement and issue of circulars in connection with its activities as a Dealer.

6.3.4 A Dealer shall furnish declarations relating to such matters and in such form as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

6.3.5 A Dealer shall furnish to ISE every year an Auditors' Certificate certifying that the requirements as may be prescribed from time to time by the relevant authority pertaining to its operations have been complied with.

6.3.6 A Dealer shall furnish such information and periodic returns pertaining to its operations as may be required by the relevant authority from time to time.

6.3.7 A Dealer shall furnish to ISE such audited / un-audited financial statements and quantitative information as may be required by the relevant authority from time to time.

6.3.8 A Dealer shall extend full co-operation and furnish such information and explanation as may be required for the purpose of any inspection or audit authorized by the relevant authority in regard to any trades, Transactions, their settlement, accounting policies and/or other related matters.

7. REGULATIONS

7.1 The Board or the Executive Committee or the relevant authority may prescribe Regulations from time to time for the functioning and operations of ICMS and for regulating the functioning and operations of Members, Traders and Dealers.

7.2 Without prejudice to the generality of Bye-law 7.1 above, the Board or the relevant authority may prescribe Regulations from time to time, inter alia, with respect to:

7.2.1 norms, procedures, forms, terms and conditions to be complied with for inclusion of securities in the Official list of ISE Securities.

7.2.2 fees payable by an Issuer for listing and continuance of listing of securities on ISE.

7.2.3 norms and procedures for admission of Members and registration of Traders and Dealers in accordance with Chapters 4, 5 and 6 of the Bye-laws.

7.2.4 norms and procedures for approval of market-makers to act as such.

7.2.5 forms and conditions of transactions to be entered into and the time, mode and manner for performance of contracts or settlement of transactions between Traders inter se, between Traders and Dealers inter se or between Traders, Dealers and their clients.

7.2.6 determining from time to time fees, system usage charges, deposits, margins and other monies payable to ISE by Issuers whose securities are listed or to be listed on ISE.

7.2.7 scale of brokerage chargeable by Traders and Dealers to their clients.

7.2.8 specifying from time to time net worth and capital adequacy requirements and other norms, which shall be required to be maintained by Traders and Dealers.

7.2.9 supervision of ISE and promulgation of such Business Rules and Code of Conduct as it may deem fit.

7.2.10 maintenance of books of accounts and other documents by Members, Traders and Dealers, as it may deem fit, including records as required under the SC(R) Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and the Rules and Regulations framed thereunder.

7.2.11 inspection and audit of books of accounts and other documents.

7.2.12 prescribing, imposing and administering charges, fees, penalties, fines and other consequences, including suspension or expulsion of Member, Trader and Dealer and declaration of Trader and Dealer as defaulter, for violations, contravention or defaults in respect of the requirements of Rules, Bye-laws, Regulations and the Code of Conduct as well as prescribing the criteria, norms, fees, charges, etc payable for re-admission of Member and re-registration of Trader and Dealer.

7.2.13 disciplinary procedures/actions against any Member, Trader and Dealer.

7.2.14 settlement of disputes, complaints, claims and differences arising between Traders and Dealers inter-se, between Traders / Dealers and their clients for transactions in securities made on ICMS, including settlement by arbitration.

7.2.15 norms, procedures, term and conditions for arbitration.

7.2.16 administration, maintenance and investment of the corpus of the Funds set up by the Company.

7.2.17 norms and procedures for settlement and clearing of transactions, including establishment and functioning of clearing house or other arrangements for clearing and settlement including availing of custodial services and depositories.

7.2.18 norms, procedures, term and conditions for continuance of Membership, Tradership and Dealership.

7.2.19 norms and procedures in respect of and incidental or consequential to closing out of transactions.

7.2.20 dissemination of information and announcements to be placed on ICMS.

7.2.21 supervision of the clearing houses or clearing corporations of ISE and of its Members and promulgation of such business rules and code of conduct in this regard, as it may deem fit.

7.2.22 determination, from time to time, of fees, system usage charges, deposits, margin and other monies payable to ISE by Members, Traders, Dealers and Participants and to fix scale of transactions, clearing and other charges that may be collected from the Members, Traders, Dealers and Participants.

7.2.23 norms, procedures, terms and conditions to be complied with by the Members, Traders and Dealers for guaranteed settlement of transactions by SGF.

7.2.24 norms, procedures, terms and conditions for imposition and administration of different types of margins for risk management system of ICMS and other charges and restrictions that may be imposed by ISE on Members, Traders and Dealers from time to time.

7.2.25 Any other matter as may be decided by the Board.

7.3 The Board shall forthwith amend, alter, withdraw or include any such regulation if so desired or directed by SEBI.

8. **TRANSACTIONS ON ISE**

8.1 Business Hours for transactions in ISE securities in the different segments of ICMS shall be during such time as may be decided by the relevant authority from time to time. The Board or relevant authority may reduce, increase or otherwise alter the business hours on any particular day.

8.2 Business Days for transactions in ICMS shall be all days except Sundays or holidays, unless otherwise decided by the relevant authority.

8.2.1 The relevant authority may declare a list of holidays for a calendar year. The relevant authority may from time to time alter or cancel any of the ICMS holidays fixed in accordance with these provisions. It may, for reasons to be recorded close the market on days other than or in addition to holidays.

8.2.2 Notwithstanding anything contained in Bye-law 8.2.1 above, ICMS shall be open for business on Sundays or any other holiday if the relevant authority so decides or considers necessary.

8.3 Transactions may be effected through an order driven, quote driven (market makers), hybrid or such other system as ISE may put in place for the different Trading Segments from time to time.

8.3.1 Transactions between Traders and Dealers may be effected by electronic media or computer network or such other media as specified by the relevant authority from time to time.

8.3.2 Transactions on ICMS may be executed for "spot" delivery, " hand" delivery, for "clearing", for "special" delivery or on such other basis as may be specified by the relevant authority from time to time, subject to the Securities Contract (Regulations) Act and the Rules framed thereunder and the SEBI Act and the Rules and Regulations framed thereunder.

TRANSACTIONS

8.4.1 The relevant authority may, from time to time, specify the securities whose transactions will be permitted / admitted in ICMS in accordance with the provisions of the Bye- Laws and Regulations in this regard.

8.4.2 Clearing and Settlement shall be permitted in securities, which are from time to time admitted or permitted on ICMS by the relevant authority.

8.4.3 The relevant authority may from time to time add a security and in the like manner suspend, remove or delist any security from ICMS.

8.4.4 The relevant authority may in its discretion permit or admit transactions in provisional documents.

8.4.5 Provisional documents for the purpose of these Bye-Laws and Regulations shall mean, besides coupons, fractional certificates, letters of renunciation or transferable letters of allotment, acceptance or application of options or other rights or inherits in securities, warrants issued by an Issuer whose securities are permitted or admitted for transactions in ICMS.

8.4.6 The relevant authority may from time to time suspend transactions in a security or delist a security or transactions for such period as it may determine and revoke such suspension or delisting subject to such conditions as it may deem fit.

8.4.7 The relevant authority may from time to time make Regulations for cleared and non-cleared securities, for transactions through the depositories and for any other transactions permitted by ISE.

TRANSACTIONS AT BEST QUOTATION

8.5 In transaction with or on behalf of clients, Traders and Dealers shall, on demand, indicate to the clients the current best quotation in ICMS and shall execute the transactions of the clients at the best possible quotations prevailing in ICMS.

OPERATIONAL PARAMETERS FOR TRADING

8.6 The relevant authority may determine transactions and announce from time to time operational parameters regarding transactions in securities on ICMS which Members, Traders and Dealers shall adhere to.

8.7 The operational parameters may, inter alia, include:

8.7.1 any trading limits allowed which may include limits with reference to net worth and / or capital adequacy;

8.7.2 trading volumes and limits at which it will be incumbent for Traders and Dealers to intimate to ISE;

8.7.3 limit of spread between bid and offers rates for different securities, if required;

8.7.4 fixation of market lots and/or minimum and maximum number of securities number of securities to be offered for buying and selling;

8.7.5 limit of variation within a day or between days in the bid, offer and transacted prices;

8.7.6 other matters, which may affect smooth operation of trading in securities keeping in view the larger interest of the public.

8.7.7 determine the types of trades permitted for a Trader or Dealer and in a security

8.7.8 determining functional details of the ICMS including the system design, user infrastructure, system specifications and operations.

TRANSACTIONS FOR SPECIAL DELIVERY

8.8 Transactions for Special Delivery may be entered into when securities are sent for registration, sub-division, consolidation, renewal, conversion or exchange or when securities are lodged for collection of interest, dividend, bonus or rights entitlements or when securities have to be received from abroad or when securities cannot be delivered for any other reason within fourteen days following the date of the transaction, provided the period of delivery does not exceed two months unless extended by the relevant authority. All such transactions shall be reported to ISE in the prescribed form.

SUSPENSION ON VIOLATING THE TRADING LIMITS

8.9 A Trader or Dealer failing to restrict transactions on ICMS to within his trading limits as provided in these Bye-Laws and Regulations shall be required by the relevant authority to reduce transactions and / or exposure limits forthwith. The relevant authority may at its discretion suspend a Trader or Dealer for violation of trading limits and the suspension shall continue until the relevant authority withdraws such suspension.

CONTRACT NOTES

8.10 Contract Notes shall be issued within such period as may be specified by the relevant authority from time to time for transactions effected with clients or on behalf of clients and will be in prescribed form(s) and shall contain such details as the relevant authority may specify from time to time. The Contract Notes shall, inter-alia, specify that the transactions subject to the Rules, Bye - Laws and Regulations of ISE and subject to arbitration as provided therein.

8.11 Details of all transactions effected, as may be specified shall be communicated to ISE.

8.12 All transactions carried out in respect of ISE securities shall be subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE.

8.13 A Contract Note shall be signed by the Trader or Dealer or his duly constituted Attorney.

DELIVERY OF SECURITIES

8.14 Delivery of all securities, documents and papers and payment in respect of all transactions shall be in such manner and at such place(s) as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

8.15 The relevant authority shall specify from time to time the securities, documents and papers which, when delivered in the prescribed manner, shall constitute good delivery. Where circumstances so warrant, the relevant authority may determine, for reasons to be recorded, whether or not a delivery constitutes a good delivery and such finding shall be binding on the parties concerned. Where the relevant authority determines that a delivery does not constitute a good delivery, the delivering party shall be required to substitute the original delivery with good delivery within such time period as may be specified.

8.16 The norms and procedures for delivery with respect to market lot, odd lot minimum lot, part delivery, delivery of partly paid securities etc. shall be as prescribed by the relevant authority from time to time.

8.17 The requirements and procedures for determining disputed deliveries or defective deliveries and measures, procedures and system of resolving the disputes or defects in deliveries or of the consequences of such deliveries or their resolution shall be subject to these Bye Laws and Regulations for the time being in force.

9. TRANSACTIONS BY TRADERS AND DEALERS

JURISDICTION

9.1 The following jurisdiction shall apply in respect of the transactions executed in ICMS :

Sl. No.	Parties to dispute	Jurisdiction
1.	(i) Client and Trader (ii) Client and Dealer	High Court of Judicature having jurisdiction over the area where office of the Trader or Dealer issuing the Contract Note is located
2.	Between two Traders inter-se, two Dealers inter-se and Trader and Dealer operating within the area falling under the jurisdiction of the same High Court	High Court of Judicature of the respective area
3.	Between two Trader inter-se, two Dealer inter-se and Trader and Dealer operating from areas falling under the jurisdictions of two different High Courts	High Court of Judicature at Mumbai

Notwithstanding anything stated herein above, where ISE is a party in any writ, civil suit or other legal proceedings, then only the High Court of Judicature at Mumbai shall have jurisdiction over the matter to the exclusion of all other Courts.

RECORD FOR EVIDENCE

9.2 The record of ISE maintained by the central processing unit or a cluster of processing units or computer processing units, whether maintained in any computer register, magnetic storage unit, electronic storage unit, optical storage unit or computer storage unit or in any other manner stored at its registered office or at any other location permitted by ISE shall constitute the agreed and authentic record in relation to any transaction entered on ICMS. For the purposes of any dispute regarding trading, clearing or settlement of transactions the record as maintained by ISE shall constitute valid evidence in

any dispute or claim between the clients and the Traders or Dealers or between the traders inter-se or Dealers inter-se or between the Traders and Dealers in respect of ICMS deals.

INDEMNITY

9.3 ISE shall not be liable for any activity of the Trader or Dealer on ICMS or any other person acting in the name of the Trader or Dealer, whether authorized or unauthorized save and except to the extent provided in the Bye-laws and regulations. ISE shall not be liable for unauthorized transaction on ICMS by any person acting in the name of a Trader or Dealer.

TRADERS AND DEALERS ONLY PARTIES TO TRADES

9.4.1 ISE does not recognize as parties to any transaction any person other than its registered Traders and Dealers.

9.4.2 Every Trader or Dealer is directly and wholly liable, in accordance with the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE to every other Trader or Dealer with whom such Trader or Dealer effects any transaction on ICMS for due fulfillment of the transaction, whether such transaction be on account of the Trader or Dealer effecting it or on account of his client.

ALL TRANSACTIONS SUBJECT TO RULES, BYE-LAWS AND REGULATIONS

9.5 All transactions in securities on ICMS shall in all cases be deemed made subject to the Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE and this shall be a part of the terms and conditions of all such transactions. Further, all such transactions shall be subject to the exercise by the relevant authority of the powers with respect thereto vested in it by the Rules, Bye-Laws and Regulations of ISE.

INVIOLABILITY OF TRADE

9.6.1 The relevant authority may, on its own motion or pursuant to an application by any person, annul a transaction or several transactions falling within any particular class of transactions if the relevant authority is satisfied that there exists sufficient cause to do so. Such annulment shall be final and conclusive and shall come into force immediately.

9.6.2 The expression "sufficient causes" in Bye-law 9.6.1 above shall, without prejudice to generality of the expression, include fraud, willful misrepresentation or material mistake.

TRANSACTIONS BY REPRESENTATIVE OF A TRADER OR DEALER

9.7.1 A Trader or Dealer may authorize another Trader or a Dealer to act as his representative for a specified period with the prior permission of the relevant authority.

9.7.2 When a Trader or Dealer employs another Trader or Dealer as his representative and such representative has put through a transaction of a client, such representative shall report the transaction to the employing Trader or Dealer at the same price as he transacted in the market and the employing Trader or Dealer shall report the same price to the client in respect of such transaction.

10. CLEARING AND SETTLEMENT

10.1 Clearing and settlement of transactions shall be effected by the parties concerned by adopting and using such arrangements, systems, agencies or procedures as the relevant authority may prescribe from time to time for adoption and use by the Traders, Dealers and other participants, such as custodians, clearing banks, insurance companies, courier agencies, depository companies, etc. to facilitate smooth and safe operation of the clearing and settlement arrangement or system.

10.2 The function of the Clearing House may be performed by ISE or any agency identified by the relevant authority for this purpose. The role of the Clearing House shall be to act as a facilitator for processing of deliveries and payments among Traders, Dealers and Participants for trades effected by Traders and Dealers on ICMS. Settlement in each Trading Segment of ICMS shall be either on netted basis, gross basis, trade-for-trade basis or any other basis as may be specified by the relevant authority from time to time. Save as otherwise expressly provided in the Regulations, although funds and securities are, under a prescribed arrangement, routed through the Clearing House, the settlement responsibility shall rest wholly and solely upon the counter-parties to the trade and/or the concerned Traders and Dealers actually effecting the settlement, as the case may be, and the clearing house shall only act as common agent of the Members, Traders, Dealers and Participants for receiving and giving delivery of securities and for receiving and paying funds and shall not incur any liability or obligation as a principal.

11. CLEARING HOUSE

APPLICABILITY

11.1 The provisions of this chapter shall apply to the clearing house established by ISE and also to the clearing houses of the Participating Exchanges or to the clearing house of an agent of ISE to the extent these clearing houses are entrusted with the responsibility of clearing and settlement of ICMS transactions and matters connected therewith.

11.1.1 The relevant authority shall make Bye-Laws, Rules and Regulations and shall also issue circulars, notifications, guidelines, etc. for the operation, regulation, control and settlements of transactions done on ICMS, which will be cleared and settled through the Clearing House of ISE.

11.1.2 Without prejudice to generality of the provisions contained in Bye-law 11.1.1 above, the Board / relevant authority shall make Rules, Bye-Laws and Regulations for:

a) operations of the Clearing House for the periodic settlement of transactions and differences thereunder, the delivery of and payment for securities, the passing on of delivery orders and the regulation and maintenance of such Clearing House;

b) submission to Securities and Exchange Board of India, as soon as may be, after each periodic settlement, all or any of the following particulars as the Securities and Exchange Board of India may, from time to time, require for each category of securities, namely:

(i) the total quantity of each category of securities carried over from one settlement to another,

(ii) the total quantity of each category of securities in respect of which have been squared up during the course of each settlement,

(iii) the total number of each category of securities actually delivered at each settlement;

c) the publication by the Clearing House of all or any of the particulars submitted to Securities and Exchange Board of India under Bye-law 11.1.2(b) above in accordance with the directions issued by Securities and Exchange Board of India in this behalf;

d) The number and classes of transactions in respect of which settlements shall be made or differences paid through the Clearing House.

FUNCTIONS OF CLEARING HOUSE

11.2.1 ISE and Participating Exchanges shall maintain a Clearing House, which shall be under the control of ISE. The Clearing House shall act as the common agent of the members, Traders and Dealers for clearing and settlement of transactions amongl Traders and Dealers and for delivering securities to and receiving securities from Traders and Dealers and for receiving and paying any amount payable to or payable by such Traders and Dealers in connection with any of the transactions and to do all things necessary or proper for carrying out the foregoing functions.

11.2.2 ISE may establish and maintain one or more Clearing Houses for the above purpose.

LIABILITY OF THE CLEARING HOUSE

11.3 The Clearing House shall not be deemed to guarantee the title, ownership, genuineness, regularity or validity of any security, transfer deed or any other document passing through the Clearing House and the only obligation of the Clearing House in this matter shall be to facilitate the delivery and payment in respect of securities, transfer deeds and any other documents between Members, Traders and Dealers.

LIABILITY OF ISE

11.4 No liability shall attach either to ISE or the Board or any member of the Board or any member of a committee appointed by the Board or any employee of ISE or of Participating Exchanges by reason of anything done or omitted to be done by the Clearing House in the course of its operations nor shall the Board or any member of the Board or any member of a committee appointed by the Board or employee of ISE or of Participating Exchange be liable to answer in any way for the title, ownership, genuineness, regularity or validity of any securities, transfer deed or any other documents passing through the Clearing House nor shall any liability attach to them in any way in respect of such securities, transfer deeds and other documents.

11.5 Clearing House of the Participating Exchange entrusted with the responsibility of clearing and settlement of transactions in ICMS shall have no discretion in applying the securities and funds received or delivered by/ for the Traders in respect of ICMS transactions/funds against any obligation of the Traders at the Participating Exchange.

CLEARING HOUSE TO DELIVER SECURITIES AT DISCRETION

11.6 The Clearing House is entitled, at its discretion to deliver securities which it has received from a Trader, Dealer or Participant (or to instruct a Trader, Dealer or Participant to give direct delivery of securities which he has to deliver) under these Bye-laws and Regulations to another Trader who is entitled under these Bye-laws and Regulations to receive delivery of securities of a like kind, based on the procedure decided by the relevant authority from time to time.

PRIVITY OF CONTRACTS:

11.7 Traders/ Dealers giving and receiving delivery as provided in Bye-law 11.6 above shall be deemed to have made a contract with each other as seller and buyer, notwithstanding that no direct contract exists between them. However, the rights and liabilities of such Traders or Dealers in relation to their immediate contracting parties shall not be deemed to be affected thereby except that the selling Trader or Dealer who is the immediate contracting party of the receiving Trader or Dealer shall be (unless he be himself the delivering Trader or Dealer) released from all responsibility in regard to the title, ownership, genuineness, regularity and validity of the documents received by the receiving Trader or Dealer and in regard to the loss and damages arising therefrom which shall be dealt with in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE.

RELEASE OF INTERMEDIATES

11.8 In respect of ICMS transactions, if a Trader or Dealer delivers securities outside the Clearing House, except when so provided in these Bye-laws and Regulations or so directed by the relevant authority, Traders and Dealers making and accepting such deliveries shall release all intermediate parties from all liabilities. The respective deliverers shall alone remain responsible to the respective receivers.

BOARD AS TRUSTEES

11.9 All sums of money paid into the Clearing House and all credits appearing in the books of the Clearing House on account of any Trader, Dealer and Participant entitled thereto shall be held by the Board on behalf of ISE as an agent and in trust for such Trader, Dealer and Participant. No Trader, Dealer, Participant or any other person shall be entitled to levy any attachment or execution thereon and no person or authority shall have any right, title or interest in or to any such money or credit.

DELIVERY AND PAYMENT THROUGH PARTICIPANTS

11.10 The Clearing House shall maintain a list of Banks, Trust, Custodians, Depositories, Depository Participants, Companies and other firms approved by the Board (hereinafter called Participants), which may act for Traders, Dealers and their clients in giving and taking delivery of securities, transfer deeds and other documents and in making and accepting payment for the same in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations.

PARTICIPANTS TO OBSERVE RULES, BYE-LAWS AND REGULATIONS

11.11 Participants shall agree to abide by the Rules, Bye-laws and Regulations relating to delivery, payment, clearing and settlement of transactions through or as directed by the Clearing House and the resolutions, orders, notices, directions and decisions of the relevant authority.

INCLUSION IN OR REMOVAL FROM APPROVED LIST

11.12 The Board or relevant authority may at its sole discretion from time to time add names to the list of Participants and remove names therefrom.

NOTICES AND DIRECTIONS

11.13 All Traders, Dealers and Participants shall comply with the instructions, orders, notices, directions and decisions of the relevant authority in all matters connected with the operations of the Clearing House.

CLEARING HOUSE PROCEDURE TO BE PRESCRIBED BY THE RELEVANT AUTHORITY

11.14 The procedure to be followed by the Members, Traders, Dealers and Participants for transaction of all business necessary to be transacted in all matters connected with the operations of the Clearing House and the fees, fines and penalties to be paid shall be in accordance with the provisions prescribed in the relative Regulations or such other provisions as the relevant authority from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

PRESCRIBED BANKS

11.15 The Board or relevant authority may from time to time prescribe the Bank or Banks with whom all Traders, Dealers and Participants shall maintain account(s) for the purpose of clearing operation.

CLEARING FORMS TO BE PRESCRIBED

11.16 All clearing forms (which term shall include Daily Margin Statement, Interim Clearing Statement, Final Clearing Statement, Pre-auction Statement, Interim Auction Statement, Final Auction Statement, CH Delivery Statement, CH Delivery Receipt Issue and Receipt Register, Auction CH Delivery Register, ApBD transaction Statement, Statement of rejected Deliveries, CRBD transaction Statement, Clearance Lists, Delivery and Receive Orders, Statement sheets, Balance Sheets, Claim Notes, Voucher and other forms and documents) used for the purpose of the Clearing House shall be in the form prescribed in the relative Regulation or in such other form or forms as the relevant authority may from time to time prescribe in addition thereto or in modification or substitution thereof.

PENALTY

11.17 The relevant authority may from time to time prescribe the penalty to be imposed in every case of failure by any Member, Trader or Dealer to comply with the Bye-laws and Regulations relating to the Clearing House and the clearing and settlement of transactions through the Clearing House and the resolutions, orders, notices, directions and decisions of the relevant authority or for any error or omission or illegible entry, filling up of any forms or other document required by the Clearing House in the course of its operations or for any delay in submitting any such forms or documents to the Clearing House.

CHARGES FOR CLEARING

11.18 The relevant authority shall from time to time prescribe the scale of clearing charges for the clearing and settlement of transactions through the Clearing House.

FALSE OR MISLEADING STATEMENTS

11.19 The relevant authority may fine, suspend or expel a Trader or Dealer who makes false or misleading statement in the Clearing Forms required to be submitted in confirmity with these Bye-laws and Regulations or any resolutions, orders, notices, directions and decisions of the relevant authority.

CLEARING HOUSE BILLS

11.20 The Clearing House shall periodically render bills for the charges, fees, fines, penalties and other dues payable by Traders or Dealers to ISE (which will also include the charges for the use of the property) as well as the charges, fines and other dues payable on account of the business cleared and settled through the Clearing House and debit the amount payable by the Traders or Dealers to their accounts. All such bills shall be paid by the Traders and Dealers within the period as may be prescribed by the relevant authority.

12. AUCTION AND CLOSING OUT

12.1 A transaction in securities made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE may be closed out by buying-in or selling out, which procedure is termed as "Auction", against a Trader/ Dealer on his failure to comply with any of the provisions relating to delivery, payment and settlement of transactions or on his failure to fulfil the terms and conditions subject to which the transaction was executed on ICMS or under other circumstances, if the relevant authority thinks it expedient.

12.1.1 In case of failure of the selling Trader, Dealer or Participant to complete delivery of securities within the prescribed time, such short delivery will be auctioned on ICMS and the loss, damage or shortfall sustained or suffered as a result of such auction shall be payable by the Trader/ Dealer who has failed to give delivery in the prescribed manner.

Provided that in case securities are not procured in the auction by reason of absence of auction offers or insufficient number of securities being offered, the auction for outstanding quantity may not be conducted thereafter, unless the relevant authority decides otherwise and such outstanding quantity may be closed-out without further notice at either:

(i) the higher of (a) and (b) below –

(a) the highest price recorded in that security on ICMS in the settlement in which the concerned transaction, for which auction was conducted, had been entered into and upto the date of auction.

(b) such percentage as may be specified for different category of securities, above the official closing price on ICMS on the date of auction and in case there is no closing price in that security on that day, then the official closing price on the immediately preceding trading day on which there was an official closing price

or

(ii) at such price as may be specified by or be determined in a manner specified by the relevant authority from time to time.

12.1.2 In case of failure of the buying Trader, Dealer or Participant to pay the amount due on account of his settlement obligations on the due date, such securities purchased by him will be auctioned on ICMS and the loss, damage or shortfall sustained or suffered as a result of such auction shall be payable

by the Trader, Dealer or Participant who has failed to pay the amount of settlement obligation in the prescribed manner.

12.1.3 Notwithstanding anything stated hereinabove, in respect of the block trades segment of ICMS, in case of failure of the selling Trader, Dealer or Participant to complete delivery on the due date, such short delivery may not be auctioned and may be directly closed-out as provided by the relevant authority from time to time. However, the procedure for closing out will be the same as stated under Bye-law 12.1.1 and 12.1.2 above.

12.1.4 If a Trader or Dealer discloses his inability to fulfil his obligation in advance, then the relevant authority may decide to auction / close out outstanding transactions of such Trader / Dealer in accordance with the Regulations framed by the relevant authority from time to time.

POSTPONEMENT OF AUCTION AND CLOSE-OUT BY RELEVANT AUTHORITY

12.2 The auction and / or closing-out for any security / securities may be postponed by the relevant authority to the following day and to any subsequent day if, in its opinion, it is expedient to do so and such deferment shall not relieve the party in default of any resulting damages.

Provided that in no case the auction or closing out for a security may be deferred beyond a period of one week from the pay-in day of the settlement in which the concerned transaction had been executed, unless such postponement is on account of book closure or no delivery period or under such other circumstances as may be specified by the relevant authority.

12.3 Notwithstanding anything stated under Bye-law 12.1 and 12.2 above, with reasons to be recorded in writing and with prior approval of SEBI, if any time the relevant authority thinks fit and proper, it may withold, suspend, postpone, modify or cancel the whole or any portion of an auc6tion or the procedure specified under these Bye-laws in such manner and for such period as it thinks fit and proper.

SECURITIES BOUGHT-IN BUT UNDELIVERED

12.4 Securities bought-in and not delivered on the next business day may be closed out at the rates prescribed under Bye-law 12.1.1 above without further notice and any loss, damage or shortfall resulting therefrom shall be paid by the Trader, Dealer or Participant causing such closing-out.

SECURITIES SOLD-OUT BUT NOT PAID FOR

12.5 Securities sold-out and not paid for on the next business day may be again sold-out for immediate payment without further notice and any loss, damage or

shortfall resulting therefrom shall be paid by the Trader, Dealer or Participant causing such further selling-out.

DEFAULTING PARTY NOT ENTITLED TO PROFIT ON CLOSING OUT

12.6 The Trader, Dealer or Participant or the client of the Trader or Dealer against whom the auction or closing-out is effected shall not be entitled to the difference or profit which may arise from the closing-out against him. Any difference becoming payable to the defaulting Trader, Dealer or Participant shall be forfeited by ISE and the same shall be credited into the Settlement Guarantee Fund, subject to such conditions as may be prescribed by the relevant authority.

12.7 Notwithstanding anything stated under Bye-law 12.1 to 12.6, auction and closing-out of transactions in securities and settlement of claims arising therefrom shall be dealt with in such manner and within such time-frame, and subject to such conditions and procedures, as may be prescribed from time to time by the relevant authority.

13. MARGINS

MARGIN REQUIREMENT

13.1 Transactions in any security or securities shall be subject to such margin requirements as the relevant authority may from time to time prescribe.

FORMS OF MARGIN DEPOSIT

13.2 The margin to be furnished by a Trader or Dealer under the Rules, Bye-Laws and Regulations shall be provided by a deposit of cash or may be provided in the form of a Deposit Receipt of a Bank approved by the relevant authority or in securities approved by the relevant authority or in such other forms as the relevant authority may allow, subject to such terms and conditions as the relevant authority may from time to time prescribe. Interest shall not be payable by ISE to a Trader or Dealer on deposit of cash towards margin requirement. Securities deposited by a Trader or Dealer will be valued at the ruling market price and shall be subject to deduction of such percentage therefrom for the purpose of margin computation, as the relevant authority may from time to time prescribe.

VALUE OF MARGIN DEPOSIT TO BE MAINTAINED

13.3 The Trader or Dealer depositing margin in the form of securities shall always maintain the value thereof in excess of the margin requirement to take care of the cushion or haircut as may be prescribed by the relevant authority from time to time, by providing additional security to the satisfaction of the relevant authority, which shall always determine the said value and whose valuation shall conclusively fix the amount of any deficiency to be made up from time to time.

MARGIN DEPOSIT TO BE HELD BY ISE

13.4 The margin deposits shall be held by ISE and when they are in the form of Bank Deposit Receipts and securities, such Receipts and securities may at the discretion of the relevant authority be transferred to the name of ISE, the Clearing House or Clearing Bank or to the name of other Banks, as approved by ISE. All margin deposits shall be held by ISE and / or by the Clearing House or Clearing Bank or other approved Banks solely for and on account of ISE, without any right or recourse whatsoever to the depositing Trader or Dealer and Participating Exchange or to any other person or authority.

LETTER OF DECLARATION

13.5 A Trader or Dealer depositing margin under the provisions of the Rules, Bye-Laws and Regulations shall, when required to do so, sign a Letter of

Declaration in respect of such matters and in such form or forms, as the relevant authority may from time to time prescribe.

LIEN ON MARGINS

13.6 The monies, Bank Deposit Receipts and other securities and assets deposited by a Trader or Dealer by way of margin under the provisions of the Rules, Bye-Laws and Regulations shall be subject to a first and paramount lien for any sum due to ISE. ISE shall have exclusive and absolute powers to liquidate, assign, sale or otherwise dispose off all such margin deposits without any notice or recourse provided to the Trader or Dealer for the purpose of fulfillment of his obligations, commitments and liabilities.

EVASION OF MARGIN FORBIDDEN

13.7 A Trader or Dealer shall not directly or indirectly enter into any arrangement or adopt any procedure for the purpose of evading or assisting in the evasion of the margin requirements prescribed under the Rules, Bye-Laws and Regulations.

SUSPENSION ON FAILURE TO DEPOSIT MARGIN

13.8 If a Trader or Dealer fails to provide the required margin at the time and in the manner prescribed by the relevant authority, the relevant authority shall, in accordance with Rules, Bye-laws and Regulations of ISE require the Trader or Dealer to suspend his business or it may suspend his business. Such suspension from doing business may be effected by ISE without issuing show-cause notice and without providing any opportunity of hearing and it may be of any of the following types :

(i) restricting the Trader or Dealer to trade only for the purpose of squaring up his outstanding positions on ICMS, or

(ii) squaring up the outstanding positions of the Trader or Dealer by ISE, which shall be on behalf of and on account of the concerned Trader or Dealer, or

(iii) withdrawing all trading rights of the concerned Trader or Dealer on ICMS by deactivating his trading terminal.

14. INTEREST, DIVIDEND, RIGHTS AND CALLS

14.1 The buying Trader, Dealer and / or client shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges which may relate to securities bought cum-voucher, cum-coupon, cum-dividend, cum cash-bonus, cum-bonus, cum-rights etc. and the selling Trader, Dealer and / or client shall be entitled to receive all vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges and accruals which may relate to securities sold ex-voucher, ex- coupons, ex-dividends, ex- cash bonus, ex- bonus issues, ex- rights, etc.

14.2 The manner and mode of all adjustments, alterations, cancellations and / or withdrawal of entitlements with regard to the date and timing etc. in respect of vouchers, coupons, dividends, cash bonus, bonus issues, rights and other privileges, between the buying Traders, Dealers and / or clients and selling Traders, Dealers and / or clients shall be as prescribed by the relevant authority from time to time. Traders and Dealers shall be responsible among themselves and to their clients for effecting such adjustments.

14.3 In respect of a transaction in a security which shall become or are exchangeable for new or other securities under a scheme of reconstruction or reorganization, the selling Trader, Dealer or client shall deliver to the buying Trader, Dealer or client either the securities transitioned for or the equivalent in securities and/or cash and/or other property receivable under such scheme of reconstruction or reorganization, as prescribed by the relevant authority.

15. BROKERAGE ON TRANSACTIONS

BROKERAGE

15.1 Traders and Dealers are entitled to charge brokerage upon the execution of all orders in respect of purchase or sale of securities at rates not exceeding the official scale prescribed by the relevant authority from time to time.

BROKERAGE ON CALLS

15.2 A Trader or Dealer buying securities on which calls have been prepaid by the seller may charge brokerage on the purchase price with the amount of such calls added.

UNDERWRITING COMMISSION AND BROKERAGE

15.3 Unless otherwise determined and restricted by the relevant authority, a Trader or Dealer may, in his discretion, charge such brokerage or commission for underwriting or placing or acting as a broker or entering into any preliminary arrangement in respect of any floatation or new issue or offer for sale of any security as he may agree upon with the issuer or offerer or with the principal underwriters or brokers engaged by such issuer or offerer, subject to limits stipulated under the statutory provisions, as may be prescribed from time to time.

SHARING OF BROKERAGE

15.3.1 A Trader or Dealer shall not share brokerage with a person

(i) with whom he is forbidden to do business under the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE or under the instructions of the relevant authority, or

(ii) who is an employee of another Trader or Dealer or is otherwise associated with another Trader or Dealer, unless he obtains prior no-objection from the Trader or Dealer employing such person.

15.3.2 Irrespective of any arrangement for the sharing of brokerage with any person, the Trader or Dealer shall be directly and wholly liable to every other Trader or Dealer with whom such Trader or Dealer effects any transaction on ICMS.

BROKERAGE ON TRANSACTIONS BETWEEN CLIENTS

15.4 A Trader or Dealer may charge brokerage to more than one client on a transaction carried through directly between two clients.

REBATE NOT ALLOWED

15.5 No allowance, kickback, rebate, return, refund or division of brokerage or commission of any nature or character shall be made by a Trader or Dealer to any client in respect of any transaction or to any applicant whose tender or application for subscription or purchase has been submitted by or through him or to any other person except as herein provided.

16. RIGHTS, LIABILITIES AND RESPONSIBILITIES OF MEMBERS

COLLECTION OF MARGINS, PAY-IN DUES, LEVIES, FEES, PENALTIES, ETC.

16.1.1 A Member shall adhere to the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and shall comply with such operational parameters, rulings, notices, guidelines and instructions issued by the relevant authority from time to time.

16.1.2 A Member shall amend, alter, add to and delete from, subject to permission from SEBI, its Articles of Association, Rules, Bye-laws and Regulations as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

16.1.3 A Member shall furnish a declaration, undertaking or indemnity as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

16.1.4 Every Member shall maintain at all times and at their own cost the facilities, infrastructure and conveniences installed at the Participating Exchange for supporting ICMS in the manner as may be prescribed by the relevant authority. Every Member shall abide by the norms and standards of the maintenance and support arrangement, if any, made or prescribed by the relevant authority for maintenance and upkeep of the facilities, infrastructure and conveniences installed in its premises or in the premises of its Traders by ISE and reimburse all costs incurred by ISE in respect thereof as may be decided by the relevant authority from time to time.

INFORMATION SHARING

16.2 The Participating Exchanges shall promptly share all information with ISE in respect of financial status of their respective members, market surveillance data, price manipulation / insider trading / price rigging details as available or known to them and such other events and happenings as may be considered necessary to protect the integrity and smooth functioning of ICMS. The information in respect of operational details and parameters will be shared between ISE and the Participating Exchanges at a periodicity decided from time to time by the relevant authority or it may be need based. All information shared in this manner will be logged in a register or stored electronically and will be confirmed after receipt of the same.

COLLECTION AND FORWARDING OF DELIVERIES

16.3 The Participating Exchanges, either directly or through their agents, shall be responsible for collection of all deliveries arising out of transactions in securities by the Traders of the respective Participating Exchanges and Dealers permitted by the relevant authority to effect deliveries at the Clearing House of respective Participating Exchanges in ISE. The deliveries effected during delivery-in of securities shall be checked for any apparent bad delivery

as per the guidelines issued by SEBI and ISE and return the same to the delivering Trader or Dealer as per the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE. All documents which are considered to be good delivery as per the guidelines issued by SEBI and ISE will be delivered to the receiving Trader or the receiving Participating Exchange or their agent, either directly or through the medium or mode specified by the relevant authority from time to time. The Participating Exchanges shall follow the procedure prescribed by the relevant authority and the terms and conditions as may be decided by the relevant authority from time to time.

OPERATION OF CLEARING HOUSE

16.4 (a) Every Participating Exchange will maintain a separate clearing house as prescribed by the relevant authority. Such clearing house of the Participating Exchange will work strictly in accordance with the regulations prescribed by the relevant authority from time to time. The relevant authority will specify from time to time the guidelines and procedures for the operation of the clearing house, handling of securities, money, bad deliveries, etc. from time to time and will also determine other incidental matters associated therewith. The responsibility for storage and handling the securities and other documents at such clearing house will be that of the Participating Exchange.

(b) The Participating exchanges shall effect delivery-out of securities and other associated documents to the Trader or Dealer as may be instructed by ISE.

SURVEILLANCE

16.5 The Participating Exchange will set up a Surveillance Department for ICMS, as may be specified by the relevant authority, which will be different from the surveillance department for the local segment. This department shall perform such surveillance activities as prescribed by the relevant authority from time to time.

BAD DELIVERY CELL

16.6 Every Participating Exchange will set up a Bad Delivery Cell (BDC) as proposed by SEBI and operate in such manner as prescribed by the relevant authority from time to time. The Participating Exchange shall enforce the Uniform Bad Delivery norms and procedures as may be prescribed by the relevant authority and SEBI from time to time.

COMPLIANCE WITH DIRECTIONS ISSUED BY ISE

16.8 The Participating Exchange shall comply with and implement all decisions, orders and directives issued by the relevant authority in respect of itself or in respect of Traders from that Participating Exchange for ICMS transactions without any relaxation whatsoever.

16.9 The Participating Exchange shall initiate disciplinary proceedings on Traders from that Exchange in respect of ICMS transactions as directed by the relevant authority and shall have no discretion whatsoever in the matter.

ARBITRATION

16.10 (a) The member shall appoint a panel of Arbitrators in accordance with the Articles, Rules and Bye-laws of ISE in respect of all claims, differences and disputes that are to be referred to arbitration under the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE.

(b) The panel of arbitrators shall function in accordance with and in the manner prescribed in the Articles, Rules and Regulations of ISE and all other provisions regarding arbitration award, appeal under Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE will apply.

CO-ORDINATION OFFICER AND PRINCIPAL OFFICER

16.11 Every Member will appoint a Co-ordination Officer designated as such who shall act, report and be responsible to ISE in respect of all matters relating to ICMS. Member shall appoint such other officers as may be required by the relevant authority of ISE. These officers shall work under the control, direction and supervision of the relevant authority of ISE.

COLLECTION OF PAY-IN DUES, MARGINS, LEVIES, FEES AND PENALTIES

16.12 The Member shall be liable to collect in respect of trading on ICMS by their members all dues such as pay-in liabilities, margins, levies, fees and penalties as required under the provisions of ISE and as applicable from time to time. The Participating Exchanges shall be responsible for recovering all such amounts intimated to it by ISE and to deposit the same in such account and in such bank as intimated to it from time to time.

16.12.1 The money so collected shall be deposited in the designated account of the designated bank as decided by the relevant authority from time to time.

16.12.2 Any default in recovery of the aforesaid dues shall be intimated immediately by the Participating Exchange to ISE.

LIEN OR CHARGES OVER MARGINS, DEPOSITS, ETC.

16.13 Participating Exchanges will not have any lien or charge over the cash or securities or any other assets paid by the Trader to the Member under the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE in respect of his dues and obligations in ICMS or towards ISE and collected by the member as a part of its agency or ministerial responsibility. Any security or fund kept with the member for the obligation of the Trader or Dealer in ISE towards margin, pay-in, capital adequacy or otherwise will be the property of ISE and ISE alone shall have lien over such assets. ISE will have a full and paramount charge and lien over the aforesaid fund and assets to the entire exclusion of the member and any other authority under all circumstances.

DEFAULTS

16.14 In the event of default, the member shall perform such obligations as may be imposed on it under the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and as per instructions issued by ISE.

17. RIGHTS, LIABILITIES AND RESPONSIBILITIES OF TRADERS, DEALERS AND CLIENTS

ALL TRANSCTIONS SUBJECT TO RULES, BYE-LAWS AND REGULATIONS

17.1 All transactions relating to transactions permitted on ICMS made by a Trader or Dealer shall in all cases be deemed made subject to the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE. This shall form part of the terms and conditions of all such transactions.

TRADERS / DEALERS NOT BOUND TO ACCEPT INSTRUCTIONS AND ORDER.

17.2 A Trader or Dealer shall not be bound to accept all or any of the instructions or orders of clients for purchase, sale etc., of securities. It may in its absolute discretion decline to accept any such instructions or orders for execution wholly or in part and shall not be bound to assign any reason therefor.

Provided that when a Trader or Dealer is not prepared to carry out such instructions or orders either wholly or in part it shall immediately inform its client to that effect.

MARGIN

17.3 A Trader or Dealer shall have the right to demand from its client the margin deposit as required under these Rules, Bye-Laws and Regulations in respect of the business done by him for such client. A Trader or Dealer shall also have the right to demand an initial margin in cash and/or securities from its client before executing an order and/or to stipulate that the client shall make a margin deposit or furnish additional margin according to changes in market prices. The client shall, if called upon to do so, forthwith provide a margin deposit and/or furnish additional margin as required under these Rules, Bye Laws and Regulations in respect of the business done for him as agreed upon by him with the Trader or Dealer concerned. Non payment of such margin may entitle similar action against the client by his Trader or Dealer as the non payment of margin by Trader entitles ISE or it may entitle such action as may be agreed by the Trader or Dealer and the client through an understanding or an agreement. However, if any minimum margin is specified by ISE or SEBI, then the same will have to be collected.

CONSTITUENT IN DEFAULT

17.4 A Trader or a Dealer shall not transact business directly or indirectly or execute an order for a client who to his knowledge is in default to another Trader or Dealer unless such client shall have made a satisfactory arrangement with the Trader or Dealer who is his creditor.

17.5 BROKER'S LIEN

17.5.1 Whenever a client is indebted to a Trader or Dealer in whatever manner all securities and other assets from time to time lodged with the Trader or Dealer by such client or held by the Trader or Dealer for and on behalf of such client and any cash lying to the credit of such client with the Trader or Dealer shall be subject to the lien of such Trader or Dealer for any general balance of account or margin or other monies that may be due at any time by such client singly or jointly with any other person to such Trader or Dealer in respect of any business done subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and all such securities, assets and cash from time to time lodged shall be deemed as collateral security against payment to such Trader or Dealer of all such monies (including interest, commission, brokerage and other expenses) as may be due by such client in any manner.

BROKERS' RIGHT TO SELL

17.5.2 A Trader or Dealer entitled to lien on securities as provided in Bye-law 17.5.1 shall be at liberty to sell, pledge or borrow money against such securities and assets in such manner and on such terms and at such time as he may deem desirable and may pay to himself or to ISE or to any other person such money due by him on behalf of such client in respect of business done subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE.

CLIENT TO INDEMNIFY

17.6 Every Trader or Dealer entering into any transaction for the purchase or sale of any security or doing any act in relation thereto on the instructions of any client and on such client's account shall be entitled to be indemnified by such client as an agent acting on behalf of his principal.

CONTRACTS BY TRADER OR DEALER AS PRINCIPAL.

17.7 A Trader or Dealer shall be free to enter into any contact for the purchase or sale of securities as a principal with any client and for closing-out any such outstanding transaction entered into by such client in accordance with these Bye-laws and Regulations if the Trader or Dealer discloses in the note, memorandum or agreement or purchase or sale note in respect of such closing-out that he has acted as a principal.

DEPOSIT OF DEFAULTING CLIENTS' MONIES AND SECURITIES PENDING ARBITRATION

17.8 On the application of a creditor Trader or Dealer who refers or has referred to arbitration his claim against any defaulting client as provided in these Bye-laws and Regulations the relevant authority shall issue instructions to any Trader or Dealer restraining him from paying or delivering to the defaulting client any Moines or securities upto an amount or value, not exceeding the creditor Trader or Dealers' claim against such client in respect of transactions entered into subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE; on receipt of such instructions the Trader or Dealer concerned shall forthwith deposit such amount with ISE and the defaulting client shall be deemed to have authorized the Trader or Dealer concerned so to deposit with ISE such monies and securities for adjustment against his dues, if any, arising out of transactions made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE as may be decided in Arbitration or by the relevant authority. Such deposit shall exonerate the depositing Trader or Dealer from all further liabilities and obligations to the defaulting client in respect of the monies and securities deposited by him. The application of the creditor Trader or Dealer pursuant to which the monies and securities are deposited with ISE shall be deemed to form a part of the aforesaid reference to arbitration against the defaulting client. The monies and securities deposited shall be disposed of in terms of the award in arbitration unless the creditor Trader or Dealer and the defaulting client mutually agree otherwise.

17.9 CLOSING-OUT OF CLIENT'S ACCOUNT

17.9.1 In course of closing-out the account of a client, a Trader or Dealer may assume or take over such transactions to his own account as a principal at prices which are fair and justified by the condition of the market or he may close out such transaction in the open market and any expense incurred or any loss arising therefrom shall be borne by the client. The contract note in respect of such closing out shall disclose whether the Trader or Dealer is acting as a principal or on account of another client.

17.9.2 Notwithstanding anything contained in 17.9.1 above, closing out of Participants account shall be in such manner and subject to such stipulations as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

TRADER OR DEALER NOT LIABLE TO ATTEND TO REGISTRATION OF TRANSFER

17.10 Trader or Dealer shall not be deemed to be under any obligation to attend to transfer of securities and the registration thereof in the name of the client. If it attends to such work in the ordinary course or at the request or desire or by

the consent of the client it shall be deemed to be the agent of the client in the matter and shall not be responsible for loss in transit or for the issuer's refusal to transfer nor he be under any other liability or obligation other than that specifically imposed by these Rules, Bye Laws and Regulations. The stamp duty, transfer fees and other charges payable to the issuer, the fee for attending to the registration of securities and all incidental expenses such as postage incurred by the Trader or Dealer shall be borne by the client.

17.11 REGISTRATION OF SECURITIES IN NAME OF TRADER OR DEALER OR NOMINEE

17.11.1 When the time available to the clients of a Trader or Dealer is less than ten days, or such other time as the relevant authority may from time to decide, to complete transfers and lodge the securities for registration before the closing of the transfer books and where the security is purchased cum interest, dividend, bonus or rights which the issuer may have announced or declared the Trader or Dealer may register the securities in its or its nominee's name and recover the transfer fee, stamp duty and other charges from the buying client, but the accruals shall be passed on to the client as and when received by the Trader or Dealer.

17.11.2 The Trader or Dealer shall give immediate intimation to ISE of the names of such clients and details of such securities and transactions in the manner as may be specified by the relevant authority from time to time. The Trader or Dealer shall also give immediate intimation thereof to the buying client and shall not be responsible for the consequences of any delay in delivery resulting from such action.

17.11.3 The Trader or Dealer shall be obliged to retransfer the security in the name of the original client as soon as it is received by him.

CLOSING-OUT BY CLIENT ON FAILURE TO SETTLE A TRANSACTION

17.12 If a Trader or Dealer fails to complete a transaction by delivery or payment in accordance with the provisions of these Rules, Bye Laws and Regulations the client shall, subject to prior permission of the relevant authority in accordance with the Regulations as may be framed in this regard from time to time, close-out such contact through any other Trader or Dealer of ISE as soon as possible and any loss or damages sustained as a result of such closing-out shall be immediately payable by the defaulting Trader to the client. If closing-out be not effected as provided herein, the damages between the parties shall be determined on such basis as may be prescribed by the relevant authority from time to time and the client and the Trader or Dealer shall forfeit all further right of recourse against each other.

LIEN ON CLIENT'S SECURITIES

17.13 If a Trader or Dealer is declared a defaulter after delivering securities on account of his client, the client shall not be entitled to claim, even if he offers proof that any security deposited with ISE or for the time being in possession of ISE belong to him and ISE shall have exclusive rights to sell or otherwise dispose off such securities towards adjustment against liabilities of the defaulting Trader or Dealer.

COMPLAINT BY CLIENT

17.14 When a complaint has been lodged by a client with the relevant authority that any Trader or Dealer has failed to implement his Transactions, the relevant authority shall investigate the complaint and if it is satisfied that the complaint is justified it may take such disciplinary action as it deems fit.

RELATIONSHIP BETWEEN TRADER OR DEALER AND CLIENTS

17.15 Without prejudice to any other law for the time being in force and subject to the directives issued by SEBI from time to time, these Bye Laws, the mutual rights and obligations inter se between the Trader or Dealer and their client shall be such and shall be subject to such regulations as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

REGULATION OF TRANSACTION BETWEEN CLIENTS AND BROKER

17.15.1 Without prejudice to the generality of Bye-law 17.15 above and notwithstanding anything to the contrary contained in these Bye-laws; the following provisions shall apply in respect of transactions between clients and Traders or Dealers:

17.15.1.1 It shall be compulsory for all Traders and Dealers to keep the money of the clients in a separate account and their own money in a separate account. No payment for transaction in which the Trader or Dealer is taking a position, as a principal will be allowed to be made from the clients accounts. The above principle and the circumstances under which transfer from clients account to Trader or Dealer account will be allowed are enumerated below:

A. Trader or Dealer to keep accounts. Every Trader or Dealer shall keep such books of accounts, as will be necessary, to show and distinguish in connection with his business as a Trader or Dealer –

(i) moneys received from or on account of and moneys paid to or on account of each of his clients and,

(ii) the moneys received and the moneys paid on Trader's or Dealer's own account.

B) **Obligation to pay money into "Clients accounts"**

Every Trader or Dealer who holds or receives money on account of a client shall forthwith pay such money to current or deposit account at bank to be kept in the name of the Trader or Dealer in the title of which the word "Clients" shall appear (hereinafter referred to as "Clients accounts"). Trader or Dealer may keep one consolidated client account for all the clients or accounts in the name of each client separately, as he thinks fit. Provided that when a Trader or Dealer receives a cheque or draft representing in part money belonging to the client and in part money due to the Trader or Dealer, he shall pay the whole of such cheque or draft into the clients account and effect subsequent transfer as laid down in para D (II).

C) What **moneys to be paid into "clients accounts" No** money shall be paid into client's account other than –

(i) money held or received on account of clients;

(ii) such money belonging to the Trader or Dealer as may be necessary for the purpose of opening or maintaining the account;

(iii) money for replacement of any sum which may by mis ke or accident have been drawn from the account in contra ntion of para D given below;

(iv) a cheque or draft received by the Trader or Dealer representing in part money belonging to the client and in part money due to the Trader or Dealer.

(D) What **moneys to be withdrawn from "clients accounts" No** money shall be drawn from clients accounts other than –

(i) money required for payment to or on behalf of clients or for or towards payment of a debt due to the Trader or Dealer from client or money drawn on clients authority , or money in respect of which there is a liability of clients to the Trader or Dealer, provided that money so drawn shall not in any case exceed the total of the money so held for the time being for such each client.

(ii) such money belonging to the Trader or Dealer as may have been paid into the client account under para 1C (ii) or 1C (iv) given above :

(iii) money, which may be mistake or accident, has been paid into such account in contravention of para C above.

E) **Right to lien, set-off etc. not affected:** Nothings in Bye-law 17.15.1.1 shall deprive a Trader or Dealer of any recourse or right, whether by way of lien, set-off, counter claim charge or otherwise against money standing to the credit of clients account.

17.15.1.2 It shall be compulsory for the Trader and Dealer to keep separate account for clients' securities and to keep such books of accounts as may be necessary, to distinguish such securities from his/her own securities. Such accounts for client's securities shall inter-alia provide for the following: -

(a) securities received for sale or kept pending delivery in the market;

(b) securities fully paid for pending delivery to client;

(c) securities received for transfer or sent for transfer by the Traders or Dealers in the name of client or his nominee (s) :

(d) securities that are fully paid for and are held in custody by the Trader or Dealer as security /margin etc. Proper authorization from client for the same shall be obtained by the Trader or Dealer.

(e) fully paid for clients securities registered in the name of Trader or Dealer if any , towards margin requirements, etc.

(f) securities given on Vyaj-badla. Trader or Dealer shall obtain authorization from clients for the same.

17.15.1.3 The Trader or Dealer shall make payment to their clients or deliver the securities purchased within two working days of pay-out unless the client has requested otherwise. Stock Exchange shall issue a Press Release immediately after the pay-out.

17.15.1.4 The Trader or Dealer shall issue the contract note for purchase /sale of securities to a client within 24 hours of the execution of the contract.

17.15.1.5 In case of purchases on behalf of client, the Trader or Dealer shall be at a liberty to close out the transaction by selling the Securities in case the client fails to make the full payment to the Trader or Dealer for the execution of the contract within two days of contract note having been delivered or before pay-in day (as fixed by the relevant authority for the concerned settlement period for the concerned Trading Segment), whichever is earlier, unless the client already has an equivalent credit with the Trader or Dealer . The loss

18. ARBITRATION, CONCILIATION AND DISPUTE RESOLUTION

REFERENCE TO ARBITRATION OR CONCILIATION

18.1 All claims, complaints, differences, disputes between Traders inter-se, Dealers inter-se, Traders and Dealers, Traders and clients/ non-traders, Dealers and clients/ non-Dealers, arising out of or in relation to any transactions or anything incidental thereto shall be subject to Arbitration or Conciliation as provided in these Bye-Laws or in the Articles, Rules and Regulations of ISE.

Clarification: Any claim arising out of financing transaction between the Traders or Dealers or any other transaction which are prohibited by ISE shall not be subject to Arbitration and Conciliation.

18.2 In respect of any claims, complaints, differences or disputes required to be referred to Arbitration or Conciliation, no Trader or Dealer shall commence legal proceedings against another Trader / Dealer without obtaining prior permission of the relevant authority. If a Trader or Dealer institutes such proceedings without such permission, and recovers any money or other relief, he shall hold the same in trust for ISE and shall pay the same to ISE to be dealt with in the manner as may directed by the Board.

18.3 Any Trader or Dealer who is a party to any claim, complaint, difference or dispute may apply to the Board to inquire into and arrange to institute Arbitration or Conciliation proceedings for the settlement of disputes.

18.4.1 No claim, complaint, difference or dispute shall be referred to Arbitration or Conciliation, if not referred to it within three months of the date when it arose.

Provided that the Managing Director of ISE, on receipt of application for the purpose, shall have the power to entertain a claim, complaint, difference or dispute even if it is filed after lapse of more than three months, if he is satisfied that in the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused.

18.4.2 An application for arbitration will be considered only if it is made in the specified form and manner duly accompanied with payment of fee, as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

OPERATION OF TRANSACTIONS

18.5 The parties to transactions in ICMS and the parties to the arbitration proceedings shall be deemed to have submitted, for the purpose of Section 42 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, to the jurisdiction of the courts in accordance with Bye-law 9.1 for the purpose of giving effect to the Rules, Articles, Bye-laws, and Regulations of ISE and all litigation arising out of any

arbitration proceedings shall be subject to jurisdiction of the courts as stated under Bye-law 9.1 to the exclusion of all other courts.

NUMBER OF ARBITRATORS

18.6 There shall be a sole Arbitrator if both the parties to the dispute agree on the name of the same person out of the Arbitration Panel appointed by ISE.

18.7 Where there is more than one Arbitrator, the number of Arbitrators shall not be an even number.

18.8 In the event of the two parties failing to reach an agreement on the appointment of the same person as the sole Arbitrator, each party shall appoint one arbitrator, and the two appointed Arbitrators shall appoint the third Arbitrator who shall act as the presiding Arbitrator.

18.9 Where one party has appointed an Arbitrator and the other party fails to either appoint another Arbitrator or to give his consent on the name of the same arbitrator within the time limit, as may be prescribed by the relevant authority from time to time, the Managing Director or the relevant authority shall appoint the Arbitrator for the other party.

APPOINTMENT OF ARBITRATOR (S)

18.10.1 The arbitrator(s) shall be appointed from among the Panel of arbitrator(s) constituted by ISE based on their area of jurisdiction, within the time frame as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

18.10.2 Where the two arbitrators appointed by the parties fail to agree on the selection of the third arbitrator within the prescribed time, the Managing Director or the relevant authority shall appoint the third arbitrator.

18.10.3 Every person, who is approached in connection with his possible appointment as an arbitrator, shall disclose to the relevant authority in writing any circumstances likely to give rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality. If the person discloses any circumstances, which in the opinion of the relevant authority are likely to give rise to justifiable doubts as to his independence and impartiality, then he shall not be appointed as an arbitrator.

18.10.4 An arbitrator, from the time of his appointment and throughout the arbitral proceedings, shall, without delay disclose to the relevant authority in writing any circumstances referred to in Bye-law 18.10.2 above which has come to his knowledge after his appointment as an arbitrator.

PANEL OF ARBITRATORS

18.11 ISE shall constitute a Central and a Regional Arbitrator Panel as provided in the Articles of the Company.

SUBSTITUTION OF ARBITRATOR

18.12.1 If an arbitrator dies or fails or neglects or refuses to act or becomes incapable of acting as an arbitrator or causes undue delay in Arbitration Proceedings or he withdraws from his office or the parties agree to the termination of his mandate, then:

(i) The arbitrator(s) shall be appointed to fill up such vacancy in the arbitral tribunal in the same manner as stated under Bye-law 18.10 for appointment of arbitrators, and

(ii) The arbitrator so appointed shall be at liberty to act upon the record of the proceedings as existing on the date of his appointment or to commence the reference de novo and he may repeat any hearing held previously, but unless otherwise agreed to by the parties, an order or ruling of the arbitral tribunal made prior to the substitution of an arbitrator shall not be invalid solely because there has been a change in the composition of the arbitral tribunal. Provided that where an arbitrator has been terminated under the circumstances as may be specified by the relevant authority, the order or ruling of the arbitrator made prior to termination of his mandate shall become invalid unless otherwise agreed upon by the parties.

COMPLETION OF ARBITRATION PROCEEDINGS

18.13 Arbitration proceedings for the settlement of any dispute shall be completed within a period of 90 days from the date of commencement of such proceedings. The arbitral tribunal after concluding the hearing shall expeditiously make the award and in case the award is not made within 15 days of the completion of the hearing, they should record reasons for delay while making the award.

Provided that the Managing Director of ISE shall have the power to extend the date of completion on case to case basis, if the circumstances so warrant.

Explanation: Arbitration proceedings shall be deemed to have commenced on the date of filing of duly completed Reference to Arbitration by a party to dispute.

SETTLEMENT

18.14 (i) The arbitrator(s) hereinafter called the arbitral tribunal may with the agreement of the parties, use mediation, conciliation or other procedure at any time during the arbitral proceedings to encourage settlement.

(ii) If, during the proceedings, parties settle the dispute, the arbitral tribunal shall terminate the proceedings and record the settlement in the form of an arbitral award on agreed terms, which shall have the same status and effect as any other arbitral award on the substance of the dispute.

FORM AND CONTENTS OF ARBITRAL AWARD

18.15.1 (i) An Arbitral award shall be made in writing and shall be signed by the member(s) of the Arbitral Tribunal and the signed copies shall be delivered to each party and ISE.

(ii) The Arbitral award shall state the reasons upon which it is based unless the parties agree otherwise.

18.15.2 The arbitrator may be empowered to make an interim arbitral award as well as to provide interim measures of protection. An arbitrator may require a party to provide appropriate security in connection with an interim measure.

FINALITY AND ENFORCEMENT OF AWARD

18.16 (i) Subject to Bye-Law 18.28 and Chapter VIII of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, an Arbitral award shall be final and binding on the parties to the dispute and persons claiming under them respectively.

(ii) An award shall be enforceable under the Code of Civil Procedure, 1908, in the same manner as if it were a decree of a court, however ISE has got absolute authority by virtue of the provisions of Articles, Bye-laws and Regulations to implement the award and also to take disciplinary action against the parties in case they fail to comply with the award.

TERMINATION OF ARBITRAL PROCEEDINGS

18.17 The Arbitral proceedings shall be terminated

(i) by the final award; or

(ii) with the consent of the parties; or

(iii) by the Arbitral tribunal on non payment of prescribed fees by the parties in accordance with the Bye-laws and Section 38(2) of the Arbitration and Conciliation ACT, 1996; or

(iv) by the Arbitral tribunal, if the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with Section 23(1) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, unless the parties agree otherwise

(v) by the Arbitral tribunal, if the claimant withdraws his claim, unless the respondent objects to the order and the arbitral tribunal recognises a legitimate interest on his part in obtaining a final settlement of the dispute; or

(vi) by the Arbitral tribunal, if it finds that the continuation of the proceedings has for any reason becomes unnecessary or impossible.

CONDUCT OF ARBITRAL PROCEEDINGS

PLACE OF ARBITRATION

18.18 The place of Arbitration shall be the Registered Office of the Inter-Connected Stock Exchange of India Limited for all matters pertaining to the Central Arbitration Panel and the Registered Office of respective Participating Stock Exchange wherein the jurisdiction of respective Regional Arbitration Panel shall apply or such other venue as may be decided by the arbitral tribunal with the prior consent of the relevant Authority and for this purpose, it shall be deemed that the parties to the dispute have agreed upon such place of arbitration by virtue of these Bye-laws.

WRITTEN STATEMENT / HEARINGS

18.19 A reference may be decided by the arbitral tribunal on the written statements of the parties. However, any party may request the arbitral tribunal for an opportunity to be heard in person. In such an event he shall be so heard and the other party or parties shall have similar opportunity of being heard. The arbitral tribunal may also decide on its own to conduct personal hearing of the parties unless otherwise agreed to by the parties.

18.20 Unless otherwise agreed to by the parties, where without showing sufficient cause, the claimant fails to communicate his statement of claim in accordance with Section 23 (1) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, the arbitral tribunal may terminate the proceedings. However, the arbitral tribunal may proceed with the reference notwithstanding any failure to file a written statement within due time and may also proceed with the reference in the absence of any or all the parties who after due notice fail or neglect or refuse

to appear at the personal hearing or to attend the proceedings at the appointed time and place.

ADJOURNMENT OF HEARING

18.21 The arbitral tribunal may adjourn the hearing from time to time, however such adjournment can not be more than three times, upon the application of any party to the reference or at their or his own instance.

Provided however, that when the adjournment is granted at the request of one of the parties to the reference, the arbitral tribunal may, if it deems fit, require such party to pay the fees and costs in respect of the adjourned hearing borne by the other party and in the event of such party failing to do so, it may refuse to hear him further or dismiss his case or otherwise deal with the matter in any way it may think just and proper.

LEGAL ADVISERS AND EVIDENCE

18.22 During a hearing, the parties to the reference may with the permission of the arbitral tribunal, appear through a duly authorised representative. However, the authorised representative shall not be a legal counsel. Further, where one party is so permitted, a similar privilege shall be given to the other party or parties. But no party shall be so entitled without the permission of the arbitral tribunal nor shall he be entitled to insist on or require the arbitral tribunal to hear or examine witnesses or receive oral or documentary evidence other than what is deemed necessary by the arbitral tribunal.

SET-OFF AND COUNTER-CLAIM

18.23 On a reference to arbitration by one party, the other party or parties shall be entitled to claim a set-off or make a counter-claim against the first party provided such set-off or counter-claim arises out of or relates to transactions subject to arbitration as provided therein and provided further that such set-off or counter-claims are presented together with full particulars at or before the first hearing of the reference but not afterwards unless permitted by the arbitral tribunal.

AWARD TO ADJUDGE INTEREST

18.24 Where and in so far as an award is for the payment of money, the arbitral tribunal may adjudge in the award the interest, at a rate as may be decided by the arbitral tribunal, to be paid on the principal sum adjudged for any period prior to the institution of the arbitration proceedings and may also adjudge the additional interest on such principal as deemed reasonable for the period from the date of the institution of the arbitration proceedings to the date of the award. Unless the award otherwise directs, the interest on the aggregate sum so adjudged shall be payable at eighteen percent per annum or at the prevailing market rate as may be decided by the arbitral tribunal, from the date of award to the date of payment or the date of the decree.

COSTS

18.25 Arbitral tribunal shall determine the cost of arbitration and it shall also specify which party is entitled to cost, which party shall bear the costs and the manner of payment of such costs taking into account the circumstances of the case and it may apportion the cost between the parties, if it is reasonable to do so.

Explanation: The costs means the costs relating to the fees and expenses of arbitrators, witnesses, expenses and administrative fees and other charges as provided in the fee schedule.

PENALTY FOR FAILURE TO ABIDE BY THE AWARD

18.26 A Trader/Dealer who fails or refuses to submit to or abide by or carry out any award of the arbitral tribunal which has become final by virtue of the Bye-Laws shall be suspended by the Board / Managing Director for such period as it may deem necessary or be declared defaulter or expelled by the Board and thereupon the other party shall be entitled to institute any suit or legal proceedings to enforce the award or otherwise assert his rights against the Trader/Dealer.

PART -II

CONCILIATION

NUMBER AND APPOINTMENT OF CONCILIATORS

18.27 (1) There shall be one Conciliator unless the parties have agreed that there shall be two or three Conciliators.

(2) The Conciliator(s) shall be appointed from among the Panel of Conciliators constituted by the Board.

(3) The process of appointment of conciliator(s) shall be as specified in Section 64 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

PANEL OF CONCILIATORS

18.28 ISE shall constitute a Panel of Conciliator(s) called the Central Conciliators Panel consisting of not less than 10(Ten) Panel Members, 40%(Forty Percent) of whom shall be drawn from the Traders/Dealers of ISE and 60%(Sixty Percent) from non-members who shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and shall not be members of any Stock Exchange.

18.29 The Board shall similarly constitute a Regional Conciliation Panel consisting of 10(Ten) Panel members of which 4(Four) shall be the members of the Participating Stock Exchange and 6 (Six) shall be non-members who shall be persons of eminence from the legal, judicial, financial or accountancy fields and shall not be members of any Stock Exchange. Further the Board of ISE shall have power to increase the number of Conciliators on the Panel from time to time, keeping in view the number of cases, submitted for Conciliation and without disturbing the ratio of 40:60 between the Members and the Non-Members.

COMPLETION OF CONCILIATION PROCEEDINGS

18.30 The conciliation proceedings for the settlement of any dispute shall be completed within a period of 30 days, from the date of commencement of such proceedings.

Provided that the relevant authority shall have the power to extend the period for completing the conciliation proceedings, if the circumstances so warrant.

Explanation: Conciliation proceedings shall be deemed to have commenced on the date of acceptance by the party to the dispute in writing the invitation sent by the other party for conciliation.

SUBMISSION OF STATEMENTS TO CONCILIATOR

18.31.1 The Conciliator may, upon his appointment, request each party to submit to him a brief statement in writing describing the general nature of the dispute, the points at issue and the amount, if any, of the claim. Each party shall send a copy of such statement to the conciliator and to the other party. The conciliator(s) may ask the parties to submit such other documents, statements and other evidence, as he may deem appropriate.

18.31.2 At any stage of the conciliation proceedings, the Conciliator may request a party to submit to him such additional information as he / they may deem appropriate.

REPRESENTATION AND ASSISTANCE

18.32 Each party shall inform, in writing, the other party and the Conciliator of:

(a) the name and address of any person who will represent or assist him, and

(b) the capacity in which that person will represent.

COMMUNICATION BETWEEN CONCILIATOR AND PARTIES

18.33 The Conciliator may invite the parties to meet him or may communicate with them orally or in writing. He may meet or communicate with the parties together or with each of them separately.

18.34 The place of conciliation shall be the Registered Office of ISE for all matters pertaining to the Central Conciliation Panel and the Registered Office of respective Participating Stock Exchange wherein the jurisdiction of respective Regional Conciliation Panel shall apply or such other venue as may be decided by the conciliator with the prior consent of the relevant Authority and for this

purpose, it shall be deemed that the parties to the dispute have agreed upon such place of conciliation by virtue of these Bye-laws.

DISCLOSURE OF INFORMATION

18.35 When the Conciliator receives factual information concerning the dispute from a party, he shall disclose the substance of that information to the other party so that the other party may have the opportunity to present any explanation, which he considers appropriate.

Provided that when a party gives any information to the Conciliator subject to a specific condition that it be kept confidential, the Conciliator shall not disclose such information to the other party.

CO-OPERATION OF PARTIES WITH CONCILIATOR

18.36 The parties shall in good faith co-operate with the Conciliator and in particular shall endeavour to comply with requests by the Conciliator to submit written materials, provide evidence and attend meetings.

SUGGESTIONS BY PARTIES FOR SETTLEMENT OF DISPUTE

18.37 Each party may on his own initiative or at the invitation of the Conciliator submit to the Conciliator suggestions for the settlement of the dispute.

SETTLEMENT AGREEMENT

18.38. When it appears to the Conciliator that there exists an element of settlement, which may be acceptable to the parties, he shall formulate the terms of a possible settlement and submit them to the parties for their observations. After receiving the observations of the parties, the Conciliator may reformulate the terms of a possible settlement in the light of such observations.

18.39 If the parties reach to agreement on a settlement of the dispute, they may draw up and sign a written settlement agreement. If requested by the parties, the Conciliator may draw up, or assist the parties in drawing up, the settlement agreement.

18.40 When the parties sign the settlement agreement, it shall be final and binding on the parties and person claiming under them respectively.

18.41 The Conciliator shall authenticate the settlement agreement and furnish a copy thereof to each of the parties and ISE.

STATUS AND EFFECT OF SETTLEMENT AGREEMENT

18.42 The settlement agreement shall have the same status and effect as if it is an arbitral award on agreed terms on the substance of dispute rendered by an arbitral tribunal.

CONFIDENTIALITY

18.43 Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the Conciliator and the parties shall keep confidential all matters relating to the conciliation proceedings, except where its disclosure is necessary for the purpose of implementation and enforcement.

TERMINATION OF CONCILIATION PROCEEDINGS

18.44 The Conciliation proceedings shall be terminated -

(a) by signing of the settlement agreement by the parties, on the date of agreement; or

(b) by a written declaration of the Conciliator, after consultation with the parties, to the effect that further efforts at conciliation are no longer justified, on the date of the declaration; or

(c) by a written declaration of the parties addressed to the Conciliator to the effect that the conciliation proceedings are terminated, on the date of declaration; or

(d) by a written declaration of a party to the other party and the Conciliator that the conciliation proceedings are terminated on the date of declaration.

18.45 The Conciliator shall, upon termination of the proceedings send an intimation thereof in writing to ISE.

COSTS

18.46.1 Upon termination of the Conciliation proceedings, the Conciliator on the basis of the Fee Schedule and in consultation with the Managing Director or the relevant authority shall fix the costs of the conciliation and give written notice thereof to the parties:

Explanation: Costs means reasonable costs relating to: -

(a) the fee and expenses of the Conciliator and witnesses requested by the Conciliator with the consent of the parties;

(b) any expert advice requested by the Conciliator with the consent of the parties.

(c) any other expenses incurred in connection with the conciliation proceedings and settlement agreement.

18.46.2 The Costs shall be borne equally by the parties unless the settlement agreement provides for a different apportionment. All other expenses incurred by a party shall be borne by that party.

DEPOSITS

18.47.1 The Conciliator may direct each party to deposit with ISE an equal amount, as an advance for the costs, which he expects, will be incurred. However, during the course of the conciliation proceedings, the Conciliator may also direct supplementary deposits in an equal amount from each party.

18.47.2 If the required deposits under sub-section (1) are not paid in full by both the parties within such period as may be prescribed by the relevant authority from time to time, the Conciliator may suspend the proceedings or may make a written declaration of termination of the proceedings to the parties, effective on the date of declaration.

18.47.3 Upon termination of the Conciliation proceedings, ISE shall render an accounting to the parties of the deposits received and shall return any residual balance to the parties.

ROLE OF THE CONCILIATOR IN OTHER PROCEEDINGS

18.48 Unless otherwise agreed by the parties:

(a) the Conciliator shall not act as an arbitrator or as a representative or counsel of a party in any arbitral or judicial proceedings in respect of a dispute that is the subject of the Conciliation proceedings;

(b) the Conciliator shall not be presented by the parties as a witness in any arbitral or judicial proceedings.

ADMISSIBILITY OF EVIDENCE IN OTHER PROCEEDINGS

18.49 The parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings, whether or not such proceedings relate to the dispute that is the subject of the Conciliation proceedings: -

(a) views expressed or suggestions made by other party in respect of a possible settlement of dispute;

(b) admissions made by other party in the course of the conciliation proceedings;

(c) proposals made by the Conciliator; and

(d) the fact that the other party had indicated his willingness to accept a proposal for settlement made by the Conciliator.

PART III

ADMINISTRATIVE ARRANGEMENTS

18.50 The Managing Director or the relevant authority of ISE acting under his authority shall:

(i) maintain a register of references;

(ii) receive all applications for arbitration or Conciliation, references and communications addressed by the parties, before or during the course of arbitration or otherwise in relation thereto;

(iii) receive payments of all costs, charges, fees and other expenses;

(iv) give notices of hearing and all other notices to be given to the parties before or during the course of the arbitration or otherwise in relation thereto;

(v) communicate to parties all orders and directions of the arbitrators;

(vi) receive and record all documents and papers relating to the reference and keep in custody all such documents and papers except such as the parties are allowed to retain;

(vii) publish the award on behalf of the arbitrators.

(viii) cause the award to be filed on behalf of the arbitrators; and

(ix) generally do all such things and take all such steps as may be necessary to assist the arbitrator/Conciliator in the execution of their functions.

INDEMNITY

18.51 No party shall bring any suit or institute any proceedings whatsoever against ISE, the Board of Directors, the Chairman, the Managing Director, the Whole time Director or any employee or employees of ISE acting under the authority; or against the arbitrators /Conciliators for or in respect of any matter or things / done purported to be done under these Bye-Laws and Regulations.

TIME SCHEDULE

18.52 The relevant authority can decide the time schedule for various activities to be performed regarding Appointment of Arbitrators, conduct of Arbitral proceedings, etc.

NOTICES AND COMMUNICATIONS

18.53 All notices and communications to the Trader or Dealer or a client shall be served at its ordinary business address and/or at its ordinary place of residence and/or at its last known address in any one or more of the following ways:

a) by delivering it by hand including service by courier

b) by sending it by registered post

c) by sending it under certificate of positing

d) by sending it by express delivery post

e) by sending it by telegram

f) by affixing it on the door at the last known business or residential address

g) by its oral communication to the party in the presence of a third person

h) by advertising it in any prominent daily newspaper

i) by a notice placed on the automated trading system of ISE

SERVICE BY POST OR TELEGRAM

18.54 A notice or communication served by post or telegram shall be deemed to have been received by the party at a time when the same will in the ordinary course of post or telegram be delivered. The production of a letter of receipt for the registered letter or telegram or a certificate of posting shall in all cases will be conclusive proof of the posting or dispatch of such notice or communication and shall constitute due and proper service of notice.

REFUSAL TO ACCEPT DELIVERY

18.55 In no case shall any refusal to accept delivery of the notice or communication affect the validity of its service.

SERVICE BY ADVERTISEMENT OR BY NOTICE ON NOTICE BOARD

18.56 A notice or communication published in a newspaper or placed on the system of ISE shall be deemed to have been served on the party on the day on which it is published or placed.

18.57 FEE SCHEDULE

The party filing reference to arbitration shall be required to pay the following fee at the time of filing Reference to arbitration. However, the Board may revise the fee from time to time.

Administrative Fees

1. Registration	Rs. 200/- (to be deposited at the time of making application for Arbitration / Conciliation)

2. In addition to registration fee :

(a) Where total amount in dispute does not exceed Rs. 50,000/-	Rs. 800/-
(b) Where the total amount in dispute exceeds Rs. 50,000/- but does not exceed Rs. 5,00,000/-	Rs. 800/- + 0.25% of the amount by which the total amount in dispute exceeds Rs. 50,000/-

Notes:

1. The total fee will, however, not be more than Rs.15,000/-
2. The sitting fees payable to an arbitrator at the RSE per sitting will be Rs. 500/- and that for an arbitrator in the Central Panel will be Rs. 1,000/- per sitting.

JURISDICTION OF THE ARBITRATION PANELS

18.60.1 The jurisdiction of the Central Arbitration Panel and Regional Arbitration Panels shall be as follows :

Sl. No.	Parties to dispute	Jurisdiction
1.	Client and Trader	Regional Arbitration Panel of the concerned Participating Exchange.
2.	Client and Dealer	Central Arbitration Panel
3.	Between two Traders from the same Participating Exchange	Regional Arbitration Panel of the concerned Participating Exchange.
4.	Between two Traders from two different Participating Exchanges	Central Arbitration Panel
5.	Between a Trader and a Dealer	Central Arbitration Panel
6.	Between Dealers inter-se	Central Arbitration Panel

18.60.2 Notwithstanding anything stated under Bye-law 18.60.1 above, the Managing Director of the Company shall have exclusive authority to decide, in respect of any dispute or class of disputes, the jurisdiction or otherwise of different Arbitration Panels and his decision shall be final and conclusive in respect of any dispute between the parties or Participating Exchanges in respect of jurisdiction of the respective Arbitration Panels.

18.60.3 The tenure of the Central as well as the Regional Arbitration Panels shall be 1(one) year. The panel members will be nominated by the Board of the Company and will hold office until new nominees are appointed in their place after the Annual General Meeting. Any vacancy caused by resignation, death or otherwise shall be filled in the same manner. All retiring members of the Central as well as the Regional Arbitration Panels shall be eligible for re-appointment.

18.60.4 The arbitration process shall be conducted as provided under the Articles of Association, Rules, Bye- Laws and Regulations of the Company, subject to the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

19. DEFAULT

DECLARATION OF DEFAULT

19.1 A Trader or Dealer may be declared a defaulter by direction/circular/ notification of the Board or the relevant authority of ISE as appointed by the Board if:

19.1.1 he is unable to fulfill his obligations, or

19.1.2 he admits or discloses his inability to fulfill or discharge his duties, obligations and liabilities, or

19.1.3 he fails or is unable to pay within the specified time fee, penalties, deposits, margins, damages and the money difference due on a closing-out effected against him under these Rules, Bye Laws and Regulations, or

19.1.4 he fails to pay any sum due to ISE or to submit or deliver to ISE on the due date delivery and receive orders, statement of differences and securities, balance sheet and such other clearing forms and other statements as the relevant authority may from time to time prescribe, or

19.1.5 if he fails to pay or deliver to the Defaults Committee all monies, securities and other assets due to a Trader or Dealer who has been declared a defaulter within such time of the declaration of default of such Trader or Dealer as the relevant authority may direct, or

19.1.6 if he fails to abide by the arbitration award as laid down under the Rules, Bye Laws and Regulations, or

19.1.7 if he is declared an insolvent, or

19.1.8 if he is declared a defaulter by the participating exchange of which he is a member, or

19.1.9 if he fails to pay any sum payable by him to the Settlement Guarantee Fund; or

19.1.10 if he fails to resolve investors grievances filed against him, or

19.1.11 if he issues a cheque to another Trader, Dealer, client or to any other person, which is dishonoured on presentation.

19.2 The relevant authority may declare a Trader or Dealer as defaulter if he fails to meet obligation to a Trader or Dealer or client arising out of an ICMS transaction or otherwise.

INSOLVENT DEFAULTER

19.3 A Trader or Dealer who has been adjudicated an insolvent shall be ipso facto declared a defaulter although he may not be at the same time a defaulter on ISE.

TRADER OR DEALER'S DUTY TO INFORM

19.4 Trader or Dealer shall be bound to notify to ISE immediately if there be a failure by any Trader or Dealer to discharge his liabilities towards him in full.

19.5 A Participating Exchange shall be bound to notify to ISE immediately if there be a failure by any of its Trader to discharge his liabilities in full in local segment.

COMPROMISE FORBIDDEN

19.6 A Trader or Dealer guilty of accepting from any Trader or Dealer anything less than a full and bona fide money payment in settlement of a debt arising out of a transaction in securities shall be suspended for such period as the relevant authority may determine.

NOTICE OF DECLARATION OF DEFAULT

19.7.1 On a Trader or Dealer being declared a defaulter a notice to that effect shall be placed forthwith on the trading system of the relevant trading segment.

19.7.2 A Trader or Dealer on being declared a defaulter by the participating exchange shall be ipso facto declared defaulter at ISE.

DEFAULTER'S BOOK AND DOCUMENTS

19.8 When a Trader or Dealer has been declared a defaulter, the defaulter shall hand over all his books of accounts, documents, papers and vouchers to the Defaults Committee.

LIST OF DEBTORS AND CREDITORS

19.9 The defaulter shall file with the Defaults Committee, within such time of the declaration of his default as the relevant authority may direct, a written statement containing a complete list of his debtors and creditors and the sum owed by and to each of them.

DEFAULTER TO GIVE INFORMATION

19.10 The defaulter shall submit to the Defaults Committee such statement of accounts; information and particulars of his affairs as the Defaults Committee may from time to time require and if so desired shall appear before the Committee at its meetings held in connection with his default.

INQUIRY

19.11 The Defaults Committee may conduct detailed inquiry into the accounts and transactions of the defaulter in the market and shall report to the relevant authority anything improper, un-businesslike or unbecoming a Trader or Dealer in connection therewith which may come to its knowledge.

DEFAULTER'S ASSETS

19.12 (a) The Defaults Committee can call in and realize the security and margin money and securities deposited by the defaulter and recover all monies, securities and other assets due payable or deliverable to the defaulter by any Trader or Dealer in respect of any transaction made subject to the Rules, Bye Laws, and Regulations of ISE and such assets shall vest in the Defaults Committee for the benefit and on account of the creditor Traders or Dealers.

(b) The Defaults committee of ISE shall have first and paramount lien to the entire exclusion of the participating exchange on all the securities, margin money, deposits and all other assets whether deposited in cash or in securities or in any other manner in respect of transactions of the Traders at ISE for due payment of all costs, expenses, charges, claims and liabilities of the Traders at ICMS.

(c) Defaulters' Assets – Notwithstanding anything stated in Bye-law 19.12(a), where a Trader / Dealer is declared a Defaulter on or subsequent to the date on which the Settlement Guarantee Fund becomes operational, the Defaults Committee shall call in and realise the security and margin money and securities deposited by the Defaulter and recover all money, securities and other assets due, payable or deliverable to the Defaulter by any other Trader / Dealer in respect of any transaction made subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and such assets shall vest in the Defaults Committee and shall be dealt with by the Defaults Committee in accordance with the relevant Regulations made under Bye-law 20.38."

PAYMENT TO DEFAULTS COMMITTEE

19.13.1 All monies securities and other assets due, payable or deliverable to the defaulter must be paid or delivered to the Defaults Committee within such

time of the declaration of default as the relevant authority may direct. A Trader or Dealer violating this provision shall be declared a defaulter.

19.13.2 A Trader or Dealer who shall have received a difference on account or shall have received any consideration in any transaction prior to the date fixed for settling such account or transaction shall, in the event of the Trader or Dealer from whom he received such difference or consideration being declared a defaulter, refund the same to the Defaults Committee. A Trader or Dealer who shall have paid or given such difference or consideration to any other Trader or Dealer prior to such settlement day shall again pay or give the same to the Defaults Committee for the benefit and on account of the creditor Trader or Dealer in the event of the default of such other Trader or Dealer.

19.13.3 A Trader or Dealer who receives from another Trader or Dealer during any clearing a claim note or credit note representing a sum other than a difference due to him or due to his client which amount is to be received by him on behalf and for the account of that client, shall refund such sum if such other Trader or Dealer be declared a defaulter within such number of days as prescribed by the relevant authority after the settling day. Such refunds shall be made to the Defaults Committee for the benefit and on account of the creditor Traders or Dealers and it shall be applied in liquidation of the claims of such creditor Traders or Dealers whose claims are admitted in accordance with these Rules, Bye Laws, and Regulations.

DISTRIBUTION

19.14 The Defaults Committee shall at the risk and cost of the creditor Trader or Dealer pay all assets received in the course of realization into such bank and/or keep them with ISE in such names as the relevant authority may from time to time direct and shall distribute the same as soon as possible on pro rata basis but without interest among the credit Trader or Dealer whose claims are admitted in accordance with these Rules, Bye Laws, and Regulations.

19.14.1 Notwithstanding anything stated in Bye-law 19.14, where a Trader / Dealer has been declared a Defaulter on or subsequent to the date on which the Settlement Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye-law 19.14 shall be inapplicable and in such case the Defaults Committee shall at the risk and cost of the creditors of the Defaulter pay all assets received in the course of realisation into such bank and / or keep them with the Clearing House in such names as the Defaults Committee may from time to time determine and shall apply the same as soon as possible in accordance with the relevant Regulations made under Bye-law 20.38.

CLOSING-OUT

19.15.1 Traders or Dealers having open transactions with the defaulter shall close out such transactions on ISE after declaration of default. Such closing out shall be in such manner as may be prescribed by the relevant authority from time to time. Subject to the regulations in this regard prescribed by the relevant authority, when in the opinion of the relevant authority, circumstances so warrant, such closing out shall be deemed to have taken place in such manner as may be determined by the relevant authority or other authorized persons of ISE.

19.15.2 Differences arising from the above adjustments of closing out shall be claimed from the defaulter and paid to the Defaults Committee for the benefit of creditor Traders or Dealers of the defaulter.

Provided that the provisions of this Bye-law shall not apply to a Trader / Dealer who has been declared as Defaulter on or after the date on which the Settlement Guarantee Fund becomes operational.

19.15.3 Closing out of transactions with Defaulter Trader / Dealer – Notwithstanding anything stated in Bye-law 19.15.1, where a Trader / Dealer is declared a Defaulter on or subsequent to the date on which the Settlement Guarantee Fund become operational, the provisions of Bye-law 19.15.1 shall be inapplicable and in such case all Trader / Dealers having transactions with him in any security shall, if so required, determine settlement of all such outstanding transactions by closing-out, settlement, adjustment, and / or cancellation in accordance with the provisions of Bye-law 20.36."

CLAIMS AGAINST DEFAULTER

19.16 Within such time of the declaration of default as the relevant authority may direct, every Trader or Dealer carrying on business on ISE shall, as it may be required to do, either compare with the Defaulters Committee his accounts with the defaulter duly adjusted and made up as provided in these Rules, Bye Laws and Regulations or furnish a statement of such accounts with the defaulter in such form or forms as the relevant authority may prescribe or render a certificate that he has no such account.

REPORT

19.17 The Defaults Committee shall every six months present a report to the relevant authority relating to the affairs of a defaulter and shall show the assets realised, the liabilities discharged and dividends given.

INSPECTION OF ACCOUNTS

19.18 All accounts kept by the Defaults Committee in accordance with these Rules, Bye-Laws and Regulations shall be open to inspection by any creditor Trader or Dealers.

Provided that no creditor Trader / Dealer shall be entitled to inspection of any accounts relating to the Settlement Guarantee Fund.

SCALE OF CHARGES

19.19 The charges to be paid to ISE on the assets collected shall be such sum as the relevant authority may from time to time prescribe.

APPLICATION OF ASSETS

19.20 (a) The Defaults Committee shall apply the net assets remaining in its hands after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under these Rules, Bye Laws and Regulations in satisfying first the claim of ISE and then such admitted claims of Trader or Dealer on a pro rata basis against the defaulter arising out of transactions entered into on ISE on behalf of the clients and thereafter on transactions entered into on their own account, in accordance with the provisions of the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE.

(b) The surplus, if any, after defraying all costs, charges, liabilities will be retained by the default committee and to be paid to the default committee of participating exchanges towards costs, charges and liabilities of the Traders in respect of transactions entered into at the participating exchange after due verification of claim by the default committee.

(c) Application of Assets – Notwithstanding anything stated in Bye-law 19.20(a) and 19.20 (b), where a Trader / Dealer has been declared a Defaulter on or subsequent to the date on which the Settlement Guarantee Fund becomes operational, the provisions of Bye-law 20.38 shall be applicable and in such case the Defaults Committee shall, after defraying all such costs, charges and expenses as are allowed under these Bye-laws and Regulations, apply the net assets remaining in its hands in accordance with the provisions of Bye-law 20.38 and the relevant Regulations."

CERTAIN CLAIMS NOT TO BE ENTERTAINED

19.21 The Defaults Committee shall not entertain any claim against a defaulter:

19.21.1 which arises out of a transaction in securities which is not permitted or which are not made subject to the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE or in which the claimant has either not paid himself or colluded with the defaulter in evasion of margin payable on bargains in any security;

19.21.2 which arises out of a transaction in respect of which comparison of accounts has not been made in the manner prescribed in the Rules, Bye Laws and Regulations or when there has been no comparison if a contract note regarding such transaction has not been rendered as provided in these Bye-laws and Regulations and receipt thereof obtained either on the duplicate or on the counterpart of such contract note or in a peon book stating the date and the number of the contract note rendered;

19.21.3 which arises from transactions not settled by delivery and payment within the time prescribed by these Bye-laws and Regulations;

19.21.4 which arises from any arrangement for settlement of claims in lieu of bona fide money payment in full on the day when such claims become due;

19.21.5 which arises from any outstanding balance or any outstanding difference upon previous transactions which ha not been claimed at the proper time and in the manner prescribed in these Bye-laws and Regulations;

19.21.4 which is in respect of a loan with or without security:

19.21.5 which is not filed with the Defaults Committee within such time of the date of declaration of default as may be prescribed by the relevant authority.

CLAIMS AGAINST DEFAULTERS' REPRESENTATIVE

19.22 The Defaults Committee shall entertain the claim of Traders or Dealers against a defaulter in respect of loss incurred by him by reason of the failure of the clients introduced by such defaulter to fulfill their obligations arising out of transactions which are permitted on ISE and made subject to the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE provided the defaulter was duly registered as a representative Trader or Dealer working with such creditor Trader or Dealer.

Provided that such claim shall not be entitled to receive any benefit from the Settlement Guarantee Fund.

CLAIMS OF DEFAULTS COMMITTEE

19.23 A Claim of a defaulter whose estate is represented by the Defaults Committee against another defaulter shall not have any priority over the claims of other creditor Trader or Dealers but shall rank with other claims.

ASSIGNMENT OF CLAIMS ON DEFAULTERS' ESTATE

19.24 A Trader or Dealer being a creditor of a defaulter shall not sell, assign or pledge its claim on the estate of such defaulter without the consent of the relevant authority.

PROCEEDINGS IN NAME OF DEFAULTER

19.25 Without prejudice to the powers conferred upon the Defaults Committee under the Rules, Bye-law and Regulations of ISE, Defaults Committee with the consent of the Board, shall be entitled to take any proceedings in a court of law either in its own name or in any other name as it may be decide for recovering any assets of the defaulter.

PAYMENT OF DEFAULTS COMMITTEE

19.26 If any Trader or Dealers takes any proceedings in a court of law against a defaulter, whether during the period of continuance of default or subsequent to his re-admission, to enforce any claim against the defaulter's estate arising out of any transaction in the market made subject to the Rules, Bye Laws and Regulations of ISE before it was declared a defaulter and obtains a decree and recovers any sum of money thereon, it shall pay such amount or any portion thereof as may be fixed by the relevant authority to the Defaults Committee for the benefit and on account of the creditor Trader or Dealer having claims against such defaulter.

19.27 The Participating Exchanges will provide all assistance to ISE in ascertaining the liability of the defaulter, identification and attachment of the property and disbursement of assets.

DEFAULT AMOUNT TO BE RECEIVED FROM SETTLEMENT GUARANTEE FUND AND SETTLEMENT STABILISATION FUND

19.28 The shortfall in pay-in on account of the defaulter will be recovered from the Settlement Stabilisation Fund and Settlement Guarantee Fund (SGF) of ISE for declaration of pay-out in the manner prescribed under Bye-laws 20 and 21.

PARTICIAPTING STOCK EXCHANGES TO PROVIDE INFORMATION AND BOOKS OF ACCOUNTS OF DEFAULTERS

19.29 The Participating Exchanges will provide all information from all sources as and when demanded by the relevant authority including the Books of Accounts of the defaulting Trader.

PARTICIPATING STOCK EXCHANGES TO FREEZE ALL ASSETS OF DEFAULTS AND ATTACH THEM WITH DEFAULTS COMMITTEE

19.30 The Participating Exchanges will attach the property of the Trader and pass all details of all securities, cash and other assets available with it to the relevant authority.

IDENTIFY CLAIMS, WHICH DOES NOT FALL WITHIN THE PURVIEW OF SGF.

19.31 The Participating Exchanges will assist the relevant authority in identifying any claim, which do not come within the purview of SGF along-with basis for the same. ISE may delegate any or all such tasks as may be deemed fit by the relevant authority in dealing with default.

OBLIGATION OF PARTICIPATING EXCHANGES.

19.32 The participating exchange shall, on a Trader being declared defaulter under the Rules, Bye-laws and Regulation of ISE, forthwith declare him a defaulter in the participating exchange irrespective of the fact that he has not committed any default under the Rules, Bye-laws and Regulations of the participating exchange and all provisions of Rules, Bye-laws and Regulations of participating exchange regarding default shall be in force concerning the assets, deposits, securities, etc.; of the member and shall vest in the Defaults committee of the participating exchange.

19.33 The Defaults committee of the participating exchange shall furnish to ISE in the prescribed form the details on the assets of the defaulter Trader held by the participating exchange and liabilities of the Trader to the participating exchange.

19.34 Any surplus assets of the defaulter Trader after paying the costs, dues, expenses, liabilities of the Trader at the participating exchange shall be retained by the Defaults Committee of the participating exchange and shall be paid to the Defaults Committee of ISE to meet the liabilities of the Trader of ISE. No surplus under any circumstances shall be paid to the defaulter unless and until prior written permission for such payment is obtained from the relevant authority of ISE.

19.35 The membership rights of the defaulted Trader at the participating exchange will be auctioned or sold in any other manner by a committee which will have equal representatives of participating exchange and ISE.

19.36 Sale consideration of the membership right of the defaulter at the Participating Exchange will be shared equally after paying the cost incurred in relation thereto between the Defaults committee of ISE and the concerned participating exchange.

19.37 The Defaults Committee constituted shall, in case, the dues and liabilities of the defaulter could not be paid in full whether at ISE or at participating exchange shall proceed to institute civil, criminal or other proceedings against the defaulter in the appropriate courts. Any sum realised through such proceeding shall be shared among the participating exchange and ISE in proportion to their dues against the defaulter.

20. SETTLEMENTGUARANTEE FUND

20.1 ISE will maintain a Settlement Guarantee Fund (SGF) for the purpose of extending trade guarantee for all settlement liabilities. The purpose of the SGF will be to ensure that the counter-party risk in an executed trade arising out of eligible transactions is guaranteed by the SGF. Thus, failure of a Trader or Dealer will not cause its counter-party to sustain any loss in the settlement, provided the transaction has been validly executed in the system subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE. The sources of SGF, charges disbursement and other regulations will be decided by the relevant authority from time to time and shall be binding on the Traders, Dealers, clients, etc. The SGF shall not cover defaults arising from illegal trading, unauthorised trading, bad delivery, circular trading, negotiated deals, crossed deals, insider trading and shall be subject to such terms and conditions imposed by the relevant authority from time to time.

20.2 In the Rules, Bye-laws and Regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context:

"Date on which the Settlement Guarantee Fund becomes operational" means the date specified by the Board as the date on which the Settlement Guarantee Fund shall become operational."

20.3 (i) ISE shall establish a fund, which shall be known as the "Settlement Guarantee Fund".

(ii) Subject to the other provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the objects of the SGF shall be to guarantee, in accordance with the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the settlement of bonafide transactions of Traders / Dealers of ISE inter-se which form part of ISE's settlement system so as to endeavor to ensure timely completion of settlements on ISE and thereby to protect the interest of investors and the Traders / Dealers of ISE and also inculcate confidence in the minds of investors regarding the expeditious and timely completion of settlements on ISE and to support the development of the stock market.

(iii) The Board shall be entitled to make such Regulations, as it thinks fit and proper in connection with the manner, norms and procedures for the operation and coverage of the SGF for the defaults declared subsequent to the commencement of the operation of the SGF. The Regulations made by the Board shall not be inconsistent with the Bye-laws.

(iv) Without prejudice to the generality of Bye-law 20.3. (iii) above, the Board shall be entitled to make Regulations relating to norms, procedures and manner in respect of –

(a) the management and administration of the SGF,

(b) the structure and composition of the SGF,

(c) the contributions to be made to the SGF by ISE, Trader Dealers of ISE and others,

(d) investment of the SGF,

(e) application of the SGF,

(f) meetings of the Defaults Committee or any other relevant authority prescribed for this purpose by the Board,

(g) persons who will not be entitled to receive benefit from the SGF and the causes for the dis-entitlement,

(h) minimum corpus of the SGF and maximum limits on disbursements from the SGF,

(i) the rights and powers of the Defaults Committee or the relevant authority,

(j) the money and property to be paid to or received by the Defaults Committee or the relevant authority,

(k) the application of the money and property paid to or received by the Defaults Committee or the relevant authority including the order of priority in which they shall be applied, and

(l) the closing-out, adjustment, settlement and / or cancellation of transactions entered into by a Trader / Dealer with the Defaulter.

20.4 Management of SGF –

(i) Subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and any directions and instructions, which the Board may from time to time issue, the Defaults Committee shall have complete control over the management and administration of SGF. In addition to the powers conferred by the other provisions of the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the Defaults Committee shall be vested with all powers and authorities and it may exercise its discretion necessary or expedient for or incidental to the management and

administration of SGF or for achieving the objects and purpose of SGF.

(ii) Without prejudice to the generality of the foregoing, the Defaults Committee shall have for the purposes of SGF, the power to –

(a) summon and question the Traders / Dealers, Partners of Traders, Associates of Traders / Dealers, clients of the Traders / Dealers and any Directors of Traders / Dealers which are companies or other corporate bodies to appear before the Defaults Committee;

(b) call upon Traders / Dealers, partners of Traders and any directors of Traders / Dealers being a company or other corporate bodies, to furnish to the Defaults Committee such information, documents, books of account and papers as the Defaults Committee may require and within the period specified by the Defaults Committee;

(c) prescribe forms, agreements, affidavits, undertakings and other writings to be signed by Traders / Dealers, partners of Traders or Associates of Traders / Dealers, clients of Traders / Dealers, Directors of Traders / Dealers which are companies or other corporate bodies or by other persons and specify the period within which the same will be signed and submitted;

(d) invest or otherwise deal with the money of SGF;

(e) realise or otherwise deal with any security or other property offered to SGF;

(f) borrow money without security or against the security of SGF or any property of or available to or accessible by SGF or otherwise;

(g) enter into financial arrangements with banks, institutions, companies and other persons;

(h) issue guarantees and indemnities;

(i) delegate any of the powers and functions of the Defaults Committee to one or more sub-Committees comprising of one or more member(s) of the Defaults Committee or to a specific Committee constituted by the Defaults Committee for the purpose of Risk Management in ISE and / or delegate

any of the administrative powers and functions of the Defaults Committee to one or more employees of ISE subject to such terms and conditions as the Defaults Committee may think fit to impose, and subject to overall ratification by the Defaults Committee;

(j) do all such acts as the Defaults Committee considers necessary to protect or advance the interests of SGF or to achieve the purposes and objects of SGF;

(k) institute and conduct legal proceedings to recover assets of a Defaulter or a Trader / Dealer.

20.5 Accounts and Audit of SGF – Unless the Board otherwise directs, the accounts of SGF shall be prepared and maintained as a part of the accounts of ISE and shall be audited as a part of the accounts of ISE.

20.6 Documents to be executed by the Trader / Dealer and their Partners/ Associates –

(i) Within such period as may be specified by the Defaults Committee, every Trader / Dealer and every Partner of a Trader or Associate of every Trader/ Dealer who is carrying on business on ISE in partnership shall sign and deliver to the Defaults Committee agreements and other writings, in such form as may be prescribed by the Defaults Committee from time to time and such other documents prescribed by the Defaults Committee with the approval of the Board;

(ii) In the event of any change in the form of any agreements or writings (which change shall be made by the Defaults Committee with the approval of the Board), the Defaults Committee may require every Trader / Dealer, and every Partner of a Trader being a partnership firm, Directors of Traders / Dealers being companies or other corporate bodies carrying on business on ISE to sign and deliver to the Defaults Committee supplementary agreements or writings or fresh agreements or writings within such period as may be specified by the Defaults Committee.

20.7 Composition of Fund –

(a) SGF shall consist of –

(i) non-refundable contributions from Traders / Dealers of ISE as hereinafter provided,

(ii) non-refundable contributions from ISE as hereinafter provided,

(iii) interest, dividend or other income arising from investments of SGF,

(iv) accretions arising from investments of SGF or by levy of charges on transactions, deliveries and on other accounts for Settlement Guarantee,

(v) accretion rising from imposition of fines and penalties on the Traders / Dealers, to the extent of such percentage, as may be specified by the Board from time to time, provided that such percentage may be different in respect of different types of fines and penalties,

(v) accretions arising by way of interest on deposits made out of cash component of Base Minimum Capital, which is at least to the extent of Rs 1 lakh for Traders and Rs. 2.5 lakh for Dealers for the time being in force.

(vi) any money or property which the Defaults Committee is entitled to appropriate to SGF,

(vii) interest accruals on the balance available in the Settlement Stabilisation Fund set up by ISE under Bye-law 21 A.

(viii) any other money or property forming part of SGF, as may be specified by the Board from time to time.

(b) Unless otherwise provided by the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the Defaults Committee and SGF shall also have access to –

(i) refundable contributions from Traders / Dealers of ISE as hereinafter provided,

(ii) money and assets given to SGF as security and money arising from realisation thereof,

(iii) money and property received or recovered by the Defaults Committee or ISE from any Trader / Dealer, partner of a Trader, guarantor or other person liable to pay money to ISE, SGF or the Defaults Committee in connection with or pursuant to a default.

(iv) money and property received or recovered by the Defaults Committee or ISE from any Trader / Dealer, partner of a Trader, guarantor or other person other than the Trader / Dealer, who has wrongfully received credit from the Defaulter Trader / Dealer or otherwise where the Defaults Committee resolves that such money is recoverable from such other Trader/ Dealer on account of default of another Trader / Dealer.

(v) any money available to SGF upon invocation of a guarantee,

(vi) amount of money realised from a participating Exchange being fifty percent of proceeds of auction of membership right of the Defaulter Trader in the participating Exchange pursuant to Bye–law 19.36 of the Bye-laws, and

(vii) any other money or property available to SGF.

(c) The amounts mentioned in Bye-law 20.7(b) above shall not be reflected in the balance sheet of SGF unless such amounts are also mentioned in Bye-law 20.7(a) above.

20.8 **Exchange's Contribution to SGF – ISE may, from time to time, contribute such amounts to SGF as the Board may in its absolute discretion determine.**

Trader's / Dealer's Contributions to SGF – Trader's / Dealer's Initial Contribution – Every present and future Trader / Dealer of ISE shall contribute to SGF such amount as may be specified by the Board from time to time as Initial Contribution (hereinafter referred to as " Trader's / Dealer's Initial Contribution"). The Trader's / Dealer's Initial Contribution shall be paid by each Trader / Dealer at the time of his registration as a Trader. A Trader's / Dealer's Initial Contribution shall be non-refundable and may be collected at the time of registering the Trader/ Dealer or

through bills raised by the Clearing Bank or Clearing House or by debiting the concerned Trader's / Dealer's Pay -in account.

20.10 Trader's / Dealer's Base Minimum Capital Contributions – In addition to the Trader's / Dealer's Initial Contributions referred to at Bye-law (20.9) above, all money, securities, fixed deposits, and other property and things which are now or which may from to time be furnished by a Trader / Dealer towards Base Minimum Capital as specified by the Securities and Exchange Board of India shall be treated as the Trader's / Dealer's contribution to SGF (hereinafter referred to as " Trader's / Dealer's Base Minimum Capital Contribution"). A Trader's / Dealer's Base Minimum Capital Contribution shall be refundable to the Trader / Dealer in the circumstances provided in the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE. The Trader / Dealer shall be entitled to receive all dividend, interest (on debenture bonds), rights entitlements, rights shares, bonus shares and other incomes and accretions in respect of Securities lodged with ISE towards his Base Capital Contribution except interest and other accruals on the cash component of Base Capital, which is at least to the extent of Rs. 1,00,000/- (Rupees One lakh only) for the Traders and Rs 2,50,000/ - (Rupees Two lakh fifty thousand only) for the Dealers.

20.11 Trader's / Dealer's Continuous Contributions – At the end of every settlement, every Trader / Dealer shall forthwith contribute to SGF 0.001% (i.e. Re.1 per Rupees one Lakh) of his turnover during the concerned settlement or such other amount as the Board may from time to time decide (hereinafter referred to as "Traders' / Dealers' Continuous Contribution"). The Traders' / Dealers' Continuous Contribution as determined by the Board may be determined on the basis of the turnover of the Trader / Dealer or it may be determined as a lump sum or otherwise as may be decided by the Board. A Trader's / Dealer's Continuous Contribution shall be non-refundable and may be collected through bills raised by the Clearing House and / or by debiting the Trader's / Dealer's Pay - in account. A Trader / Dealer shall not be allowed to recover the same from his clients separately.

Explanation - For the purpose of this Bye-law, "turnover" as regards any Trader / Dealer shall mean (i) the aggregate value at the transaction price

of all sale and purchase transactions entered into by the Trader / Dealer during a settlement through ISE's computerised trading system (except negotiated deals, crossed transactions and other transactions not covered under the SGF) or (ii) shall have such other meaning as the Board may from time to time determine.

20.12 Trader's / Dealer's Additional Contributions – Each Trader / Dealer shall provide to SGF such additional contributions as the Board may from time to time determine (hereinafter referred to as "Traders' / Dealers' Additional Contributions"). A Traders' / Dealers' Additional Contribution may be in such form as the Board may determine (which may include cash, securities, bank guarantees or fixed deposit receipts). The Traders' / Dealers' Additional Contributions may be refundable or non-refundable, as may be specified by the Board and shall be in such form as the Board may specify. Unless the Board otherwise specifies, SGF shall be entitled to receive all dividend, interest, rights, entitlements, rights shares, bonus shares and other income and accretions in respect of the Trader's / Dealer's non-refundable Additional Contributions. The Board may specify the manner in which the Trader's / Dealer's Additional Contributions shall be utilised. However, dividend, interest, rights, entitlements, rights shares, bonus shares and other income and accretions in respect of the Trader's / Dealer's refundable Additional Contributions shall be passed on to the respective Trader/ Dealer.

Explanation: For the purpose of this Bye-law, Additional Capital deposited by a Trader/ Dealer shall be construed as Refundable Additional Contribution.

20.13 General and Specific Access to Contributions –

(i) Upon any Trader / Dealer being declared a Defaulter, all non-refundable contributions and Base Minimum Capital Contribution of every Trader / Dealer shall be available to the Defaults Committee and SGF for application in accordance with the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE (hereinafter referred to as "General Access Funds").

(ii) If a Trader's / Dealer's margin or Additional Capital (as required by ISE or the Securities and Exchange Board of India) or any bank guarantee furnished at the instance of a Trader / Dealer is treated as his Additional contribution to SGF pursuant to Bye-law 20.12 or otherwise, the Defaults Committee or SGF shall have access to the same only in the event of default of the concerned Trader / Dealer

and not in case of default of any other Trader / Dealer and only for paying the creditors of that Trader / Dealer and not for paying the creditors of any other Trader / Dealer (hereinafter referred to as "Specific Access Funds").

(iii) Subject to the provisions of Bye-law 20.13 (i) and 20.13 (ii) above, the Board shall determine whether any Trader's / Dealer's Additional Contributions are General Access Funds or Specific Access Funds.

20.14 Liability of Trader / Dealer Unaffected by Cessation of Traders' / Dealers' trading rights – Any unsatisfied obligation of a Trader / Dealer to SGF shall not be discharged or otherwise prejudicially affected by the cessation of the Traders' / Dealers' registration with ISE.

20.15 Action for Failure to Pay to Fund – The Board may take such action as it thinks fit and proper against a Trader / Dealer who fails to pay any amount to the Settlement Guarantee Fund including action by way of suspension of business of the Trader / Dealer, expulsion / termination of registration of the Trader / Dealer, fining him or declaring him as a Defaulter.

20.16 Replacement of Refundable Contribution – Unless otherwise provided by the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the Defaults Committee may permit a Trader / Dealer to replace / substitute a refundable contribution after he has furnished to SGF other refundable contribution of the same or greater value and of a nature acceptable to the Board or Defaults Committee.

20.17 Non-refundable Contribution – A Trader / Dealer shall not be entitled to receive back any non-refundable contribution on cessation of his registration as a Trader / Dealer or otherwise under any circumstances.

20.18 Refund of Refundable Contributions – The Defaults Committee may refund a Traders'/Dealers' refundable contribution to him, after he/it ceases to be a Trader/Dealer provided that each of the following conditions are complied with to the satisfaction of the Defaults Committee:

(i) All obligations and transactions of the Trader / Dealer which are outstanding at the time of his /its ceasing to be a Trader / Dealer, which could result in SGF being required to pay any amount shall have been finally settled.

(ii) All obligations of the Trader / Dealer to ISE and the Clearing Bank or Clearing House shall have been satisfied in full.

(iii) All non-disputed amounts payable by the Trader / Dealer in respect of transactions in securities made subject to the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE shall have been satisfied in full.

(iv) All amounts disputed by the Trader / Dealer as payable by him in respect of transactions in securities made subject to the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE shall have been satisfied in full or shall have been secured by the Trader / Dealer to the satisfaction of the Board or the Defaults Committee.

(v) A suitable amount as may be determined by the Board or the Defaults Committee at its discretion shall have been set aside for providing for –

a) any payment which may arise from any bad delivery or defective documents that may be reported in future, and

b) such other obligations as may be perceived by the Board or the Defaults Committee to arise in future,

(vi) Another Trader / Dealer of ISE (hereinafter referred to as 'the other Trader / Dealer), who in the opinion of the Defaults Committee is a person of sufficient means, executes such documents and Undertakings as may be required by the Board or Defaults Committee.

Provided that the refund of refundable contribution to the Traders / Dealers shall be subject to a minimum retention period of 18 (Eighteen) months or such other period, as may be decided by the Board from time to time.

Provided further that notwithstanding anything stated hereinabove, the refund of refundable contribution to the Traders / Dealers shall be dealt with on case to case basis by the Board or Defaults Committee taking into consideration the risk profile and historical record of the respective Traders / Dealers.

20.19 Discharge of Trader's / Dealer's Obligations – In the event of a Trader / Dealer ceasing to be a Trader / Dealer of ISE otherwise than by being declared as Defaulter, the Board or the Defaults Committee may retain and / or apply any unutilized refundable contribution of the Trader / Dealer towards discharging any of his obligations specified in Bye-law (20.18) or paying any of the amounts payable by him as specified in Bye-

law (20.18) in such manner and in such order or priority as the Board or the Defaults Committee thinks fit.

20.20 Non-refund of Refundable Contributions – Notwithstanding anything stated above, a Trader / Dealer shall not be entitled to receive back any refundable contribution: -

(i) after it has been applied for the purposes of SGF; or

(ii) in the event of the Trader / Dealer being declared as a Defaulter.

20.21 Limit on Refund of Refundable Contributions – The amount of a refundable contribution refunded to a Trader / Dealer shall not exceed the actual refundable contribution available to the credit of such Trader / Dealer after deducting therefrom all sums which may be deducted or retained therefrom.

20.22 Contribution Part of Fund –

(i) A non-refundable contribution by a Trader / Dealer to SGF shall form part of SGF and the Trader / Dealer shall not be entitled to any rights whatsoever over the contribution in any manner.

(ii) A Trader / Dealer shall not be entitled to transfer, assign or otherwise deal with a refundable or non-refundable contribution made by him in any manner and, notwithstanding anything provided in any other Law for the time being in force, the contribution shall not be liable to be attached or otherwise prejudicially affected by any attachment, injunction or other order at the instance of the Trader / Dealer or in respect of any obligation of the Trader / Dealer or otherwise.

20.23 Minimum Value of Fund –

(a) **The Board and the Defaults Committee shall endeavor to ensure that the value of SGF at any point of time will be at least, lowest of: -**

(i) 75% of the closing value of SGF as on 31st March of immediately preceding year; or

(ii) such other amount, not being less than Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crores Only), as the Board may from time to time specify, or

(b) The value of SGF shall include the value of all money, assets and property mentioned in Bye-law 20.7(a) and 20.7(b) but shall not include any Specific Access Funds.

(c) The operation of SGF shall not be suspended by reason of the value of SGF becoming less than the minimum value specified under this Bye-law.

(d) If the value of SGF decreases to a value less than Rs. 1,00,00,000/- (Rupees One Crore Only) then: -

(A) ISE shall, within three Business Days, place a communication on the trading network or issue communication in any other manner prescribed by the Board notifying the Traders / Dealers of ISE of the same and

(B) the Securities and Exchange Board of India may suspend any benefit or feature for which Securities and Exchange Board of India has prescribed introduction of the Settlement Guarantee Fund as a pre-condition.

20.24 Further Contributions to SGF –

(i) In the event of the value of SGF becoming less than the minimum value under Bye-law [20.23(a)], the Board will forthwith, and in any event within two weeks of SGF becoming less than such minimum value, take such steps, as it thinks fit, to ensure that the value of SGF is increased to a value which is not less than the minimum value by way of: -

(a) contributions from all the Traders / Dealers, equally or otherwise,

(b) contributions from ISE and / or

(c) in such manner as the Board may decide from time to time.

(ii) The provision of Bye-law 20.24 shall not prejudice the Board's or the Defaults' Committee's right to call from time to time for additional contributions from the Traders / Dealers when the value of SGF is above the minimum value.

(iii) The operation of SGF shall not be suspended by reason of SGF becoming less than the minimum value under Bye-law (20.24).

20.25 Investment of Fund –

(a) Subject to the instructions and directions of the Board, the Defaults Committee may: -

(i) open, maintain, operate and close one or more bank accounts and

(ii) invest the money of SGF in such investments as are permissible for investing SGF and money of ISE and sell, transfer, vary, transpose and otherwise deal with such investments.

(b) All investments and bank accounts of SGF may be held in the name of ISE, and all bank accounts of SGF may be operated jointly by any two Directors of ISE, as may be decided by the Board.

(c) The Defaults Committee shall be entitled to utilise the money of SGF only for the purposes of SGF.

20.26 Loss to Fund Investments – Any loss or diminution in value of the investments of SGF from whatever cause, not being due to the willful default or fraud by any member of the Defaults Committee, by any Director of ISE or any sub-committee or any Trustee(s), shall be borne by SGF and the member(s) of the Defaults Committee or the sub-committee or the Trustee(s) or Directors of ISE shall incur no responsibility or liability by reason of or on account thereof. In case of any such loss or diminution by reason of willful default or fraud by any member or members of the Defaults Committee or any member(s) of any sub-committee or any Trustee(s) or Directors of ISE, the persons committing the willful default or fraud shall be personally liable for the loss or diminution and other persons, who are not parties to the willful default or fraud, shall not be liable for the loss or diminution.

20.27 Intimation of Trader's / Dealer's apprehended Failure – A Trader / Dealer who has reason to apprehend that he may commit any of the acts or omissions referred to in Bye-law 19 shall immediately notify to the Defaults Committee, -

(i) the details of such acts or omissions;

(ii) the details or value of all his commitments, obligations and liabilities to other Traders / Dealers arising out of transactions

made subject to the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE;

(iii) the extent to which he will be able to discharge and meet such commitments and obligations out of his own funds and / or out of funds obtained by him from others, and

(iv) all the facts and circumstances which have caused or contributed to the apprehended failure to meet such commitments and obligations.

Provided that such intimation shall not in any manner reduce responsibility of the Trader / Dealer to comply with all his settlement and other obligations strictly on schedule.

20.28 Traders / Dealers Failure to Pay Amount to Clearing Bank or Clearing House –

(i) If a Trader / Dealer fails to pay any amount payable by him to the Clearing Bank or Clearing House or fails to maintain adequate funds in his Pay-in Account to meet his settlement obligations in respect of any transaction entered into by him then, within 24 hours of such failure, the Trader / Dealer, Clearing Bank or the Clearing House shall inform the relevant authority in writing of such failure and the extent of unfulfilled obligations and commitments of the Trader / Dealer.

(ii) On receipt of any of the above-mentioned intimations from the Clearing Bank or Clearing House or from the Trader / Dealer, the relevant authority of ISE shall, by not less than two hours, written or oral notice, summon the Trader / Dealer to appear before the relevant authority or before the Executive Director or Co-ordination Officer of the Participating Exchange.

(iii) If the Trader / Dealer fails to pay before the scheduled Pay-in of the relevant Settlement, any amount payable by him to the Clearing Bank or Clearing House in respect of that Settlement or fails to maintain adequate funds in his Pay-in Account to meet his settlement obligations, then the matter shall be referred to the Executive Committee for initiating further actions against such Traders/ Dealers including realisation of all his margins, bank guarantees, other deposits, etc. and also for taking the decision to declare him a defaulter.

20.29 Payment under Settlement Guarantee – On failure of a Trader / Dealer in meeting his settlement obligation at the time of scheduled pay-in, then the following procedure shall be followed:

(i) In order to declare the Pay–out strictly on schedule, the Settlement Stabilisation Fund set up under Bye law 21. shall be utilised forthwith to the extent of default irrespective of the amount of default.

(ii) If subsequently the amount payable by such defaulting Trader/ Dealer is realised from sale proceeds of his assets, liquidation of his additional capital deposits and/or through subsequent payment by the Trader/ Dealer, the Settlement Stabilisation Fund shall be replenished out of amount received in this process.

(iii) If the amount payable by the defaulting Trader/ Dealer cannot be recovered in full, the Executive Committee will declare the Trader/ Dealer as Defaulter under Bye law 19 and in that case the Settlement Stabilisation Fund shall be replenished out of Settlement Guarantee Fund forthwith.

(iv) In respect of all open transactions entered into by the Trader / Dealer in the settlement subsequent to the settlement in which he has defaulted in meeting his obligations, ISE will attempt to square off all such open positions and the difference or loss or other obligations originating from such open positions shall be dealt with in the same manner, so far as utilisation, replenishment and refund of funds from or to the Settlement Stabilisation Fund and Settlement Guarantee Fund is concerned, as applicable to the Pay–in default of earlier settlement.

Provided that if, in spite of reasonable efforts by ISE, such open transactions could not be squared off, ISE shall be free to settle such residual transactions in any other manner, including delivery or payment or closing out at hammer price or otherwise, as may be decided by ISE.

20.30 Notwithstanding anything stated in Bye-law 20.29, -

(i) under Bye-law 20.29, the Defaults Committee shall pay only such amounts as are payable by the Defaulter to the Clearing Bank or Clearing House in respect of sale and purchase of transactions entered into by the Defaulter in respect of the settlement in which he has been declared a Defaulter.

(ii) in case of the Defaulter having failed to deliver any security into the Clearing House in respect of the settlement in which he has

been declared a Defaulter, the Defaults Committee may settle such transactions by way of payment of difference arising out of auction or closing out of such short delivery on account of the defaulting Trader/ Dealer or by delivering the security into the Clearing House or directly to the concerned Trader / Dealer, within two weeks, by acquiring the same from the market or otherwise, as it may deem fit and proper.

20.31 (i) Notwithstanding anything stated elsewhere in the Articles, Rules,

Bye-laws and Regulations, if the Defaults Committee has reason to believe that any transaction –

(a) is not bona fide;

(b) is disallowed under any Bye-law relating to the default of a Trader / Dealer and, in particular, under Bye-law 19.21; or

(c) is connected with payment or repayment of a deposit or loan,

then the Defaults Committee, shall record the reasons for its belief, and shall not make payment or deliver securities out of SGF in respect of any transaction which is of a nature referred to in Bye-law 20.31 (i) (a) (b) and (c) (in this Bye-law referred to as "disallowed transactions") unless and until the Defaults Committee has finally determined that the transaction is not disallowed but, shall make payment and deliver securities in respect of other transactions in accordance with Bye-law 20.30 and other applicable Articles, Rules, Bye-laws and Regulations. If for any reason any payment is wrongfully made or securities are delivered in respect of any such transaction, the concerned receiving Trader / Dealer shall repay such amount or redeliver such securities to the Defaults Committee within 48 hours of being required to do so in accordance with the provisions of Bye-law 20.34.

(ii) If the Defaults Committee has prima facie reason to believe that a transaction is liable to be disallowed under Bye-law 20.31(i) above or subsequently it has withheld or received back payment of any amount or any securities under Bye-law 20.31(i) above, the Defaults Committee shall provide an opportunity to the concerned Trader / Dealer(s) to be heard by giving him / them not less than 24 hours' written notice before finally determining whether the transaction is to be disallowed.

(iii) For the purpose of determining whether or not a transaction is liable to be disallowed, the Defaults Committee shall be entitled to consider, inter-alia, the surrounding circumstances, the usual course of transactions on ISE, the relationship between the defaulter and the claimant, the quantity and prices of the securities involved in the transaction, other trades in the same scrip and such other matters or direct or circumstantial evidence as the Defaults Committee thinks fit.

(iv) The Defaults Committee shall determine whether or not a transaction is a disallowed transaction within one month from the date of the relevant Pay-Out.

(v) A Trader / Dealer whose transaction has been finally determined by the Defaults Committee to be a transaction of the nature referred to in Bye-law 20.31clause (i) of this Bye-law may file an appeal to the Board against the decision of the Defaults Committee within seventy two hours of the Defaults Committee's decision and the reasons therefor being communicated to him or such other extended period (not exceeding 15 days of the Defaults Committee's decision and the reasons therefor being communicated to him) as the Board may permit.

Provided that if the concerned Trader / Dealer has received any amount or delivery of securities for the disallowed transaction/s, then he shall not be entitled to file an appeal unless he has re-deposited the payment or securities received by him, in respect of the disallowed transactions, with the Defaults Committee.

20.32 Outstanding transactions in Other Settlement –

(1) In respect of any settlement or settlements which is or are incomplete at the time when a Trader / Dealer is declared a defaulter, the Defaults Committee may at the risk and cost of the defaulter, square up all or any of the Defaulters' outstanding sales and purchase positions by entering into corresponding purchase and sale transactions in the market. The profit or loss on such squaring up shall, in the first place, be paid to or by SGF and credited or debited by SGF to the defaulter Trader's / Dealer's account with SGF.

Provided that if, in spite of reasonable efforts by ISE, such open transactions could not be squared off, ISE shall be free to settle such residual transactions in any other manner, including delivery or payment or closing out at hammer price or otherwise, as may be decided by ISE.

(2) Upon a Trader / Dealer being declared a defaulter, in respect of loss or difference originating from outstanding transactions in other settlements pursuant to Bye-law 20.32, the provisions of Bye-law 20.29, 20.30, 20.31 and other applicable Bye-laws shall apply mutatis mutandis to any settlement or settlements other than the settlement in which the defaulter has been declared a Defaulter unless the Board, for reasons to be recorded, passes a resolution determining otherwise, in which case no payment shall be made from SGF in respect of such settlement or settlements (other than the settlement in which the defaulter has been declared a Defaulter) as the Board may specify.

20.33 Shortfall in Fund – In the event of SGF being insufficient to make full settlements of the payments to be made from SGF under Bye-law 20.29, the transactions of Traders / Dealers with the defaulter in the settlement in which he has been declared a defaulter and in subsequent settlements shall be closed out, adjusted, settled and / or cancelled in accordance with the provisions of Bye-law 20.56, and the Defaults Committee shall pay the amounts payable to the Traders / Dealers by the defaulter on such closing out, adjustment, settlement and / or cancellation on a pro-rata basis to the extent possible out of SGF, and the balance unfulfilled obligations, if any, remaining after such application of funds may be dealt with by the Board in any manner, as it may, in its absolute discretion, thinks fit and equitable.

20.34 Repayment by Payee Disentitled to Receive – If the Defaults Committee or the Clearing Bank or Clearing House has paid any sum under these Bye-laws and it is subsequently found that the payee was for any reason not entitled to receive such amount then the payee shall forthwith repay the same to the Defaults Committee, Clearing Bank or the Clearing House, as the case may be, together with interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Defaults Committee may specify) for the period commencing on the date on which the payment was received by the payee upto the date on which such amount is repaid by the payee.

20.35 Money and Property of Defaulter – All money (including margin money and Additional Capital), securities and other property whatsoever of the defaulter lying with ISE or with the Clearing House (save and except those which may be at any time excluded by the Board from the provisions of this Bye-law) and all securities and money delivered or paid by the Traders / Dealers to the Clearing Bank or Clearing House or to ISE to the credit of the defaulter shall be handed over to the Defaults Committee or

held by ISE or the Clearing House subject to these Bye-laws and the directions of the Defaults Committee.

20.36 Utilisation of Money and Property for Payment and Order of Priority - For the purpose of making any payment referred to in Bye-laws 20.29 and 20.32, the Defaults Committee shall be entitled to utilise such of the money of SGF and / or other money and assets available to the Defaults Committee, as the Defaults Committee thinks fit and, so far as may be possible, convenient and expedient, the Defaults Committee shall utilise the money of SGF and / or other money and assets available to the Defaults Committee in the following order of priority :-

(i) Firstly, any security and / or the proceeds of the realisation of any security created by the defaulter in favour of the Defaults Committee or ISE; and

(ii) In the event of further funds being required, the refundable contribution of the defaulter and any Specific Access Funds deposited by the defaulter Trader / Dealer with ISE; and

(iii) In the event of further funds being required, the money, property and securities referred to in Bye-law 20.17 and / or the proceeds from the realisation of such property and securities; and

(iv) In the event of further funds being required, any other assets and / or the proceeds of the realisation of any assets of the Defaulter available to the Defaults Committee, including fifty percent of the sale proceeds of membership rights of such Trader in the Participating Exchange as received from the Participating Exchange. and

(v) In the event of further funds being required, the accumulated interest, accretions and other earnings of SGF; and

(vi) In the event of further funds being required, the corpus of SGF; and

(vii) In the event of further funds being required, the refundable contributions of other Traders / Dealers to the extent the same are available for such application.

20.37 Repayment and Payment of interest by Defaulter – The Defaulter shall be liable to forthwith repay the amount of his settlement obligation to ISE or to the Defaults Committee or to the credit of SGF together with interest on such amount at the rate of 2% per cent per month (or such other rate as the Board may determine) for the period of default, as may be

determined by the Defaults Committee in addition to other fines and penalties, Additional Deposits, etc. as may be decided by ISE and, for the purposes of the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, such interest, fines, penalties and Additional Deposits shall be deemed to be an amount due to ISE and/or SGF, as may be decided by the Board .

20.38 Application of Defaulters' Assets and other Amounts – Subject to the provisions of Bye-law 20.36, the Defaults Committee shall realise and apply all the money, rights and assets of the defaulter which have vested in or which have been received by the Defaults Committee (other than the amount paid by the Board to the Defaults Committee pursuant to Bye-law 19.32 to Bye-law 19.37 in respect of the consideration received by the Board from the Participating Exchange) and all other assets and money of the defaulter in ISE or the market including the money and securities receivable by him from any other Trader / Dealer, money and securities of the Defaulter lying with the Clearing House or ISE, credit balances lying in the Clearing Bank or Clearing House , security deposits, any bank guarantees furnished on behalf of the defaulter, fixed deposit receipts discharged or assigned to or in favour of ISE, Base Minimum / Additional Capital deposited with ISE by the defaulter, any security created or agreed to be created by the defaulter or any other person in favour of ISE on behalf of the defaulting Trader / Dealer or the Defaults Committee for the obligations of the defaulter to the following purposes and in the following order of priority, viz. –

(i) First – to make payments required to be made under Bye-law 20.29 and 20.32 including replenishment of Settlement Stabilisation Fund as specified under Bye-law 20.29(iii);

(ii) Second – the payment of such subscriptions, debts, fines, fees, charges and other money as shall have been determined by the Defaults Committee to be due to ISE or to the Clearing Bank or Clearing House by the Defaulter;

(iii) Third - the rectification or replacement of or compensation for any bad deliveries made by or on behalf of the defaulter to any other Trader or Dealer in the settlement in which the defaulter has been declared a defaulter or in any prior or subsequent settlement (unless the relevant authority has otherwise determined in respect of such settlement or settlements under the Bye-laws of the Exchange), subject to the provisions of the Bye-laws and Regulations in this respect.

(iv) Fourth – the balance, if any, shall be paid into SGF to the extent of the money paid out of SGF (other than payments out of defaulting Trader's / Dealer's refundable Contributions) and not recovered by SGF and the interest payable by the defaulter to SGF in respect thereof;

(v) Five – the balance, if any, shall be paid into SGF to the extent of the money paid out of SGF out of the refundable contributions of other Traders' / Dealers' (other than the refundable contributions of the Defaulter) and not recovered by SGF and the interest payable by the defaulter to SGF in respect thereof;

(vi) Six – subject to the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, including in particular Bye-law 19.21, the balance, if any, shall be applied by the Defaults Committee for the payment of such unpaid outstanding, debts, liabilities, obligations and claims to or of Traders / Dealers of ISE arising out of any transactions made by the defaulter with such Trader / Dealers subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, as may be admitted by the Defaults Committee; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full they shall be paid and satisfied pro rata;

(vii) Seven – subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, including in particular Bye-law 19.21, the balance, if any, shall be applied by the Defaults Committee for the payment of such unpaid debts, liabilities, obligations and claims to or of the Defaulters' clients arising out of any transactions made by such Defaulter subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE as shall have been admitted by the Defaults Committee; provided that if the amount available be insufficient to pay and satisfy all such debts, liabilities, obligations and claims in full, they shall be paid and satisfied pro rata;

(viii) Eighth – the balance, if any, shall be paid into ISE's Investors' Protection Fund to the extent of all amounts paid out of the Investors' Protection Fund towards the obligations or liabilities of the defaulter Trader / Dealer and interest thereon at the rate of 2% per month (or such other rate as the Board may specify) from the date of payment out

of the Customers' / Investors' Protection Fund to the date of repayment of SGF; and

(ix) Nineth – the surplus, if any, shall be vested in the corpus of the Settlement Guarantee Fund.

20.39 Application of Consideration for Right of Nomination – In the event of the Defaulter's asset and other amounts mentioned in Bye-law 20.38 being insufficient to pay the amounts mentioned in Bye-law 20.38 (i) to (vii), then the amount received by the Defaults Committee from Participating Exchange in respect of such defaulter Trader pursuant to Bye-law 19.32 to 19.37 shall be applied by the Defaults Committee for the purposes and in the order of priority mentioned in Bye-law 20.38 and the surplus, if any, shall be paid to SGFs of ISE; provided that ISE in general meeting may at its absolute discretion direct that such surplus be disposed of or applied in such other manner as it may deem fit.

20.40 Charge on Defaulters' Assets – Upon payment of any money by the Defaults Committee out of Settlement Guarantee Fund, ISE and the Defaults Committee shall each have a first charge on all assets and property of the defaulter where-so-ever situated and of whatsoever nature as security for the repayment of such money and the payment of interest thereon.

20.41 Proceedings by Defaults Committee and Exchange – For the purpose of recovering any amount payable by the Defaulter to ISE, the Defaults Committee, the Investors' Protection Fund, ISE and / or the Managing Director shall be entitled to take such steps and proceedings, both civil and criminal (including but not limited to sale of any property or a portion thereof), as ISE and / or the Defaults Committee may think fit, against the defaulter, the defaulter's property and any person by whom any amount is payable to the defaulter.

20.42 Borrowings – For the purpose of making any payments referred to in Bye-law 20.29 and / or Bye-law 20.32, the Defaults Committee may borrow money without security and / or against the security of any property of SGF and / or any property offered to it as security by the defaulter or any Trader / Dealer.

20.43 Expenses of SGF – The members of the Defaults Committee shall not be entitled to any remuneration but shall be entitled to charge to SGF all expenses of creation, administration and management of SGF including fees of auditors, lawyers, legal advisors, Chartered Accountants, valuers and other professional advisers and salaries, wages and all related costs, charges and expenses in connection with the creation, administration or

management of SGF and to exercise their powers and responsibilities under SGF.

20.44 Protection for actions taken in good faith and indemnity – Save and except in the case of willful default and fraud, the Defaults Committee, any sub-committee or a member of the Defaults Committee or any sub-committee shall not be liable for any act or omission on its or his part in the exercise of its or his duties and functions.

20.45 Legal recourse - A Trader / Dealer cannot take any legal recourse against the function or operation of the Settlement Guarantee Fund, actions of the Defaults Committee or Board or the relevant authority or officers of ISE, without satisfying all the recourses available to him / it within ISE through the process of Arbitration and Conciliation as provided under Chapter 18 of the Bye-laws and after meeting, all claims raised on him / it or liabilities outstanding in the market against him / it.

20.46 Without prejudice to the Bye-law 20.44 above, SGF shall bear all costs, charges and expenses for all suits, actions, proceedings and claims filed or made against the Defaults Committee or any member of the Defaults Committee or officers of ISE, except those arising out of its / their willful default or fraud, and the members of the Defaults Committee shall be indemnified by SGF from and against all actions, proceedings, losses, damages, claims, liabilities, costs, charges and expenses in connection with SGF or the creation, management and administration thereof or any transactions therewith except those arising by reason of their willful default or fraud.

20.47 Limited payment from SGF – The payment from SGF shall be limited to the extent of the money and assets available with SGF; and in the event of any shortfall, ISE, and / or the Defaults Committee or any authority of ISE shall not be liable.

20.48 Meetings of Defaults Committee – The Defaults Committee shall meet at least once in three months during every calendar year and not more than three months shall lapse between any two meetings.

20.49 Meetings of Defaults Committee – A Defaults Committee meeting may be convened by giving not less than forty-eight hours, written notice of the same to the members of the Defaults Committee. Provided however that in case of urgency, Defaults Committee meeting may be convened by giving not less than one hour's oral or written notice of the same to the members of the Defaults Committee and the decision of the Chairman of the Defaults Committee as to whether a case of urgency exists and as to whether proper notice has been given, shall be final and conclusive. A

meeting of the Defaults Committee may be held on working days, holidays, within business hours and also outside business hours.

20.50 Confidentiality – All minutes and proceedings of and all information obtained by ISE, Board, Defaults Committee, the Chairman of the Defaults Committee, the Managing Director or any Officer of ISE shall be deemed confidential.

20.51 Minutes – Minutes of the proceedings of the Defaults Committee shall be maintained under the authority of the Secretary of the Defaults Committee. Such minutes shall be deemed to be confidential.

20.52 Correspondence – The Defaults Committee shall not be obliged to recognize or act upon any communication unless it is in writing, it discloses the identity and address of the person addressing the communication and is signed by the person addressing the communication.

20.53 Arbitration – Any claim, dispute or difference between ISE or the Defaults Committee and a Trader / Dealer or a defaulter in connection with any amount payable or alleged by ISE or the Defaults Committee as being payable by the Trader / Dealer or the defaulter to ISE, the Defaults Committee or the Settlement Guarantee Fund, shall be referred to the arbitration of the Managing Director of ISE or to the arbitration of such person as the Managing Director may nominate in this behalf or shall be subject to such other procedure of Arbitration, as may be decided by the Board from time to time.

20.54 Date on which SGF becomes Operational –

(1) Upon the Board being satisfied that the value of SGF is sufficient for SGF to become operational [which value shall not be less than the value mentioned in Bye-law 20.23(a) the Board shall specify a date as the date on which SGF becomes operational.

(2) The provisions of Bye-law 20.29 to 20.40 and 20.42 shall come into force only on and from the date on which SGF becomes operational and shall apply only to defaults declared after such date.

20.55 Applicability of Hammer Price Provisions – Notwithstanding anything stated elsewhere in the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, when a Trader / Dealer is declared a defaulter, in the following circumstances the sale and purchase transactions entered into by the defaulter with other Traders / Dealers in the settlement in which a Trader / Dealer was declared as defaulter and in any other settlement which is open or incomplete at the time of declaration of default shall be adjusted,

closed out and settled in accordance with the provisions of the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations relating to hammer prices and closing out and adjustment of open transactions with a defaulter or in any other manner as may be decided by the Board or Defaults Committee:-

(i) where a Trader / Dealer is declared a defaulter prior to the date on which SGF becomes operational;

(ii) when the payment is not made from SGF by reason of SGF being insufficient to make full payment as envisaged under Bye-law 20.33.

(iii) when the Board passes a resolution to the effect that the provisions of this Bye-law shall apply under special circumstances of the case.

21. SETTLEMENT STABILISATION FUND

21.1 ISE will maintain a Settlement Stabilisation Fund (SSF) for the purpose of ensuring smooth and timely settlements. The Board or the Managing Director, and in his absence the Whole-time Director, shall have all powers and authorities regarding administration and management of this fund including utilisation of corpus of SSF provided it is being used in pursuit of the objectives of SSF.

21.2 In the Rules, Bye-laws and Regulations, unless there is anything repugnant to the subject or context:

"Date on which the Settlement Stabilisation Fund becomes operational" means the date specified by the Board as the date on which the Settlement Stabilisation Fund shall become operational."

21.3 ISE shall create the SSF out of contributions received from the Participating Stock Exchanges for this purpose.

21.4 Every Participating Stock Exchange shall pay Rs. 10,00,000 (Rupees Ten lakhs only) or such other sum, as may be decided by the Board from time to time, towards the corpus of Settlement Stabilisation Fund.

21. 5 (i) Subject to the other provisions of the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, the objects of SSF shall be to ensure the settlement of bonafide transactions of Traders / Dealers of ISE inter-se which form part of ISE's settlement system so as to endeavor to ensure timely completion of settlements on ISE and thereby to inculcate confidence in the minds of Traders/ Dealers and investors regarding the expeditious, smooth and timely completion of settlements on ISE.

(ii) The Board shall be entitled to make such Regulations, as it thinks fit and proper in connection with the manner, norms and procedures for the operation and coverage of SSF. The Regulations made by the Board shall not be inconsistent with the Bye-laws.

(iii) Without prejudice to the generality of Bye-law 21.5 (ii) above, the Board shall be entitled to make Regulations relating to norms, procedures and manner in respect of –

(a) the management and administration of SSF,

(b) the structure and composition of SSF,

(c) the contributions to be made to SSF by the Participating Exchanges,

(d) investment of SSF,

(e) application of SSF,

(f) the rights and powers of the Managing Director / Whole time Director regarding administration of SSF,

21. 6 Management of SSF –

Subject to the Rules, Bye-laws and Regulations of ISE and any directions and instructions, which the Board may from time to time issue, the Managing Director, and in his absence the Whole-time Director, shall have absolute control over the management and administration of SSF in addition to the powers conferred by the other provisions of the Articles, Rules, Bye-laws and Regulations of ISE, and he may exercise his discretion necessary or expedient for or incidental to the management and administration of SSF or for achieving the objects and purpose of SSF.

21. 7 Operations of SSF –

Unless the Board otherwise decides, the Corpus of SSF shall consist of contributions made by the Participating Stock Exchanges under Bye-laws 21 A (4), which shall be kept in the name of ISE and shall be earmarked for the purposes of SSF. ISE shall keep corpus of SSF invested in a Bank in the form of Fixed Deposit, unless otherwise decided by the Board. ISE may also obtain against such corpus a line of credit from the Bank which shall be utilised under the authority of the Managing Director or Whole time Director or such other authority which may be specifically authorised for the purpose, for meeting the deficit, if any, in respect of the pay-in or to temporarily fill-up the gap between pay-in and pay-out so that the pay-out will be complete strictly on schedule.

21. 8 Utilisation of SSF-

The Board or the Managing Director or the Whole time Director, or such other Authority, as may be specified from time to time, shall, exercise the line of credit obtained against the corpus of this Fund, if there is a shortfall in respect of pay-in. It will be utilised in such a manner that the pay-out is effected strictly on schedule and clear balance for the purpose of pay-out is available at the respective Stock Exchange centres at the scheduled time.

21.9 Replenishment of SSF-

The procedure for replenishment of SSF shall be as follows:

(a) If the amount of shortfall in pay-in is subsequently recovered from the liquidation of additional deposits, margins, etc. (excluding the Base Minimum Capital) as well as out of subsequent payment received from the defaulting Trader, then SSF shall be replenished out of such realisations, provided that the Trader shall be required to pay such interest, fine and penalty, as the Board may decide, in addition to the principal amount.

(b) If the entire amount of shortfall is not recovered in the process stated in Bye-law 21.9 (a) above, then the Trader/ Dealer shall be declared a defaulter by the Executive Committee and in such case, the amount of Base Minimum Capital of such defaulter Trader/ Dealer shall also be liquidated and utilised towards replenishment of the Settlement Stabilisation Fund to the extent of shortfall, while the surplus, if any, remaining after such replenishment shall be dealt with in accordance with Bye-law 20.38 of the Bye-laws.

(c) If the entire amount of shortfall is still not recovered in the process stated in Bye-law 21.9 (a) and (b) above, then SSF shall be forthwith replenished out of the Settlement Guarantee Fund.

(d) Under special circumstances, SSF shall be replenished by the Participating Stock Exchanges in the manner as may be decided by the Board.

21.10 Accounts and Audit of SSF – Unless the Board otherwise directs, the accounts of SSF shall be prepared and maintained as a part of the accounts of ISE and shall be audited as a part of the accounts of ISE.

21.11 No participating Stock Exchange shall be allowed to participate in ISE unless it complies with and maintains its contribution towards Settlement Stabilisation Fund to the extent of Rs. 10 lakhs or such other amount, as may be specified by the Board from time to time.

21.12 Interest and other accruals on corpus of SSF:

Unless otherwise decided by the Board, the interest and other accruals on corpus of SSF shall form part of the income of the Settlement Guarantee Fund in accordance with Bye-law 20.7 (vii) and shall be transferred to Settlement Guarantee Fund once at end of six months and again at the end of the financial year.

21. 13 Loss to Fund Investments:

Any loss or diminution in value of the investments of SSF from whatever cause, not being due to the willful default or fraud by any Director of ISE or any sub-committee or any Officer, shall be borne by SSF and the Directors or officers of ISE shall incur no responsibility or liability by reason of or on account thereof. In case of any such loss or diminution by reason of willful default or fraud by any Director or Officer or any member(s) of any sub-committee, the persons committing the willful default or fraud shall be personally liable for the loss or diminution and other persons, who are not parties to the willful default or fraud, shall not be liable for the loss or diminution.

21. 14 Shortfall in Fund –

In the event of SSF being insufficient to make full settlements of the payments to be made from SSF, the Managing Director of ISE shall have all the rights to suspend operations of SSF and also to take any other decision, as may be appropriate under given circumstances.

21.15 Money and Property of Defaulter –

SSF shall have a charge, to the extent of its corpus or line of credit utilised towards settlement of Pay-out, including interest thereon, as may be decided by ISE, against all money (including margin money and Additional Capital), securities and other property whatsoever of the defaulter lying with ISE or with the Clearing Bank or Clearing House (save and except those which may be at any time be excluded by the Board from the provisions of this Bye-law) and all securities and money delivered or paid by the Traders / Dealers to the Clearing Bank or Clearing House or to ISE to the credit of the defaulting Trader/ Dealer.

21. 16 Protection for actions taken in good faith and Indemnity –

Save and except in the case of willful default and fraud, the Directors, any sub-committee or Officers of ISE shall not be liable for any act or omission on its or his part in the exercise of its or his duties and functions.

21. 17 Legal recourse –

A Trader / Dealer cannot take any legal recourse against the function or operation of the SSF, actions of the Directors or officers of ISE, without satisfying all the recourses available to him within ISE and after meeting,

all claims raised on him or liabilities outstanding in the market against him.

21. 18 Limited payment from SSF –

The payment from SSF shall be limited to the extent of the money and assets available with SSF; and in the event of any shortfall, ISE, and / or the Directors or Officers or any authority of ISE shall not be liable.

21.19 Date on which SSF becomes Operational –

Upon the Board being satisfied that the value of SSF is sufficient for SSF to become operational, the Board shall specify a date as the date on which SSF becomes operational.

22. INVESTOR PROTECTION FUND

22.1 In respect of such market segment of ISE, as may be prescribed by the relevant authority, an Investors' Protection Fund shall be maintained, to which each Trader or Dealer shall contribute the amounts required by this Part, to make good claims for compensation which may be submitted by any client who suffers loss arising from any Trader or Dealer being declared as a defaulter by ISE under these bye laws.

Provided that a Trader or Dealer can file a claim with the Investors' Protection Fund only if the relationship between him and the Defaulter Trader / Dealer was that of a Trader and client in respect of those transactions or as a representative Trader within the meaning of Bye-law 9.7.1 and he had placed orders for execution of those trades with the defaulter Trader / Dealer just like a normal client would have placed it.

22.1.1 The setting up of the fund and its administration shall be done in consonance with the Guidelines specified by SEBI/Government in this regard.

22.2 Subject to this Part, the amount which any claimant shall be entitled to claim as compensation shall be the amount of the actual loss suffered by him (including the reasonable costs incurred on processing and proving the claim) less the amount or value of all monies or other benefits received or receivable by him from any other source in reduction of loss. However, it will be subject to the upper ceiling placed on disbursement by the relevant authority or SEBI.

22.3 The amount that may be paid under this part to each person who suffers loss on account of a Trader or Dealer being declared as a defaulter shall not exceed Rs. 50,000(Rupees Fifty thousand only) or such other amount as may be decided by the relevant authority from time to time.

22.4.1 The relevant authority shall cause to be published in a daily newspaper circulating widely, a notice specifying a date not less than 3 months after the said publication, on or before which claims for compensation in relation to the person specified in the notice may be made.

22.4.2 A claim for compensation in respect of a default shall be made in writing to the relevant authority on or before the date specified in the said notice and any claim which is not so made shall be barred unless the relevant authority otherwise determines.

22.5 Any person wishing to make a claim under this Part shall sign an undertaking to be bound by the decision of the relevant authority and such decision shall be final and binding.

22.6 The relevant authority in disallowing (whether wholly or partly) a claim for compensation shall serve notice of such disallowance on the claimant.

22.8 The relevant authority may at any time and from time to time require any person to produce and deliver any securities, documents or statements of evidence necessary to support any claim made or necessary for the purpose of establishing his claims and in default of delivery of any such securities, documents or statements of evidence by such person, the relevant authority may disallow any claim filed by him under this Part.

22.9 The contribution of each Trader or Dealer to the Investor Protection Fund shall be such amount as may be determined by the relevant authority from time to time.

22.10 In respect of a claim filed by a constituent pursuant to default of a Trader / Dealer firstly the Defaults Committee shall process the claim to examine its genuineness. Thereafter, the Defaults Committee shall utilise the residual assets of the defaulter Trader/ Dealer, if any, available after settlement of all liabilities stated under clause (I) to (v) of Bye-law 20.38 in the manner as prescribed under clause (vi) of Bye-law 20.38. If claims of the constituents could not be settled in full due to insufficiency of defaulter's assets, then the Defaults Committee may settle such outstanding claims out of Investors Protection Fund subject to other provisions of the Articles, Bye-laws and Regulations and further subject to other conditions as may be imposed by the relevant authority.

22.11 The Investor Protection Fund to be held in trust as aforesaid shall vest in ISE or any other entity or authority as may be prescribed or specified by the relevant authority from time to time.

23. INVSTOR SERVICES FUND

23.1 ISE will maintain an Investor Services Fund for the purpose of providing service to investors including conducting of investors' awareness programme, conducting seminar and workshops and launching other media for investors' education. The Board or the Managing Director, and in his absence the Whole-time Director, shall have all powers and authorities regarding administration and management of this fund including utilisation of corpus of the Fund provided it is being used in pursuit of the objectives of the Fund.

23.2 Each Trader or Dealer shall contribute the amounts required by this Part, as may be decided by the Board from time to time for the promotion of objectives of the Investor Services Fund.

23.3 The setting up of the fund and its administration shall be done in consonance with the Guidelines specified by SEBI/Government in this regard.

23.4 The relevant authority may make rules and regulations governing the administration of the Investor Services Fund.

24. PARTICIPANTS

REGISTRATION OF PARTICIPANTS ON APPLICATION

24.1 The relevant authority may register as a "Participant" those individuals, corporate bodies or institutions which are desirous of registering themselves as such, in accordance with the Bye-laws and Regulations framed from time to time, for such purpose and subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

SUO MOTO REGISTRATION OF PARTICIPANT

24.2 Notwithstanding anything contained in 24.1 above, the relevant authority may suo moto register as "participant" those from amongst the clients as, in the opinion of the relevant authority for reasons to be recorded, will be so registered, subject to such terms and conditions as may be prescribed by the relevant authority.

RIGHTS AND LIABILITIES OF PARTICIPANTS

24.3 (a) Notwithstanding any provisions to the contrary as may be contained in any other part of the Bye-laws, the ICMS may recognise a Participant as a party to the transaction or trade made, firmed up or transacted by the Participant through a Trader or Dealer on any segment of the ICMS, for such purposes (including for clearing and settlement) subject to such terms, conditions and requirements and in such circumstances as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

(b) Save as otherwise provided in these Bye-laws and Regulations, recognition of the Participant by ICMS as a party to the transaction or trade made, firmed up or transacted by the Participant through the Trader or Dealer, shall not in any way affect the jurisdiction of the ICMS on the concerned Trader or Dealer in regard thereto; and such Trader or Dealer shall continue to remain responsible, accountable and liable to ISE in this behalf.

24.4. The relevant authority may prescribe from time to time such guidelines governing the functioning and operation of the Participants on the ICMS and conditions for continuance of their registration or recognition. Without prejudice to the generality of the foregoing, such norms, requirements and conditions may include prescription of, inter alia, deposits, margins, fees, system usage charges, system maintenance charges, etc.

24.5. Rights and liabilities of the Participants as mentioned in these Bye-laws are in addition to their rights and liabilities under these Bye-laws as clients, save where a specific provision of these Bye-laws or Regulations prescribed from

time to time regarding any right or liability of a Participant is at variance with that applicable to a client. In the event of such a variance, the specific provision by virtue of the terms and conditions of their registration with ISE regarding any right or liability of Participant shall prevail.

24.6. Rights and liabilities of the Participants shall be subject to these Bye-laws and Regulations as may be prescribed by the relevant authority from time to time.

24.7. Subject to the Regulations prescribed from time to time, the relevant authority shall at any time be entitled to cancel the registration or recognition of a Participant on such terms and conditions as the relevant authority may specify. Save as otherwise expressly provided in the regulation or in the decision of the relevant authority, all rights and privileges available to the Participant shall accordingly stand terminated on such cancellation.

24.8. At the discretion of ISE, and subject to such regulations as may be prescribed or other terms and conditions as may be stipulated by the relevant authority, the participant may be permitted conditional and / or limited access to the trading system or any part thereof, as may be decided by the relevant authority from time to time.

25. MISCELLANEOUS

25.1 The relevant authority shall be empowered to impose such restrictions on transactions in one or more ISE securities as the relevant authority in its judgment deems it advisable in the interest of maintaining a fair and orderly market in the securities or if it otherwise deems advisable in the public interest or for the protection of investors. During the effectiveness of such restrictions, no Trader or Dealer shall, for any account in which it has an interest or for the account of any client, engage in any transaction in contravention of such restrictions.

25.2 Any failure to observe or comply with any requirement of this Bye Law, or any Bye Laws, Rules or Regulations, where applicable, may be dealt with by the relevant authority as a violation of such Bye Laws, Rules or Regulations and may cause actions as per the Articles, Rules, Bye laws and Regulations.

25.3 Traders and Dealers have an obligation to inform the relevant authority of ISE about insider trading, information on takeover and such other information/practices as may be construed as being detrimental to the efficient operations of ISE and participating exchange and as may be required under SEBI Act and Rules and Regulations framed thereunder.

25.4 Save as otherwise specifically provided in the regulations prescribed by the relevant authority regarding clearing and settlement arrangement in promoting, facilitating, assisting, regulating, managing and operating ISE, ISE shall not be deemed to have incurred any liability and accordingly no claim or recourse, in respect of, or in relation to, any transaction in securities or any matter connected therewith shall lie against ISE or any authorized person(s) acting for ISE.

25.5 No claim, suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against ISE or any authorized person(s) acting for ISE, in respect of anything which is in good faith done or intended to be done or omitted to be done in pursuance of any order or other binding directive issued to ISE under any law or delegated legislation for the time being in force.

FOR INTER-CONNECTED STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED,

JOSEPH MASSEY
Managing Director.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1999
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1999